इकाई 1 कम्पनी अधिनियमः नियम, विनिमय एवं मौलिक विषय

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 कम्पनी विधायन की उत्पत्ति
    1.2.1 स्वतंत्र भारत में कम्पनी अधिनियम
1.3 कम्पनी का अर्थ
    1.3.1 कम्पनी की मुख्य विशेषताएँ
    1.3.2 कम्पनी के समामेलन के पर्दें को उठाने का सिद्धान्त
1.4 कम्पनी के प्रकार
    1.4.1 विनिर्माण के आधार पर
    1.4.2 सदस्यों की संख्या के आधार पर
    1.4.3 सदस्यों के दायित्व के आधार पर
    1.4.4 प्रबंधन एवं नियंत्रण के आधार
    1.4.5 कम्पनी के अन्य प्रकार
1.5 कम्पनी का निर्माण
    1.5.1 प्रवर्तन
    1.5.2 रजिस्ट्रीकरण या सम्मेलन
    1.5.3 आवश्यक सामग्री एकत्रीकरण अवस्था
    1.5.4 व्यापार का प्रादुर्भाव
1.6 पार्षद सीमा नियम
    1.6.1 पार्षद सीमा नियम की सामग्री
    1.6.2 अधिकारिता की सामग्री
1.7 पार्षद अन्तर्नियम
    1.7.1 पार्षद अन्तर्नियम की सामग्री
    1.7.2 संरचनात्मक नोटिस का सिद्धान्त
    1.7.3 आन्तरिक प्रबंध का सिद्धान्त
        1.7.3.1 आन्तरिक प्रबधं सिद्धान्त के अपवाद
1.8 प्रविवरण
    1.8.1 प्रविवरण की सामग्री
    1.8.2 प्रविवरण के स्थान पर कथनोक्ति (धारा 70)
1.9 सारांश
1.10 शब्दावली
1.11 बोध प्रश्न
1.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
1.13 स्वपरख प्रश्न
1.14 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :–

- प्रचलन में भारतीय कम्पनी अधिनियम का विवेचन कर सकें।
- कम्पनी विधायनों का इतिहास एवं विकास का वर्णन कर सकें।
- कम्पनी का अर्थ एवं इसके विभिन्न प्रकारों को समझ सकें। ।
- कम्पनी को स्थापित करने की प्रक्रिया का विवेचन कर सकें।
- पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अन्तर्नियम का वर्णन कर सकें।
- कम्पनी निर्माण से संबंधित अन्य मुद्दों का विवेचन कर सकें।

1.1 प्रस्तावना

हम यह जानते हैं कि व्यावसायिक गतिविधियों की विभिन्न व्यवसायिक के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है जैसे एकल व्यवसाय, साझेदारी, निजी मर्यादित कंपनियाँ और लोक मर्यादित कंपनियाँ, सहकारी कपनियाँ आदि। यह इकाई कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है जिसमें व्यवसाय के कंपनी के संपूर्ण प्रकार अन्तर्निहित हैं। विश्व में किसी भी देश का कम्पनी अधिनियम कम्पनी के ऊपर नियमों एवं विनियमों को निर्धारित करता है, राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत नियमों का विनिष्चय अर्धानियम के अन्तर्गत होता है। अधिनियम कम्पनी के प्रारंभ से लेकर अन्त तक सभी मामलों के लिये दिशा निर्देश एवं सुविधाएं देता है एवं क्रियान्वयन सुचारू रूप से चलने हेतु विनिश्चत करता है।

1.2 कम्पनी विधायन की उत्पत्ति

भारत में समय–समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम 1956 का पालन कर रहे हैं। हालांकि शीघ्रातिशीघ्र नया कम्पनी अधिनियम आने वाला है। किन्तु कम्पनी विधियन के संदर्भ में नये सीखने वाले लोगों का यह जानना लाभदायक होगा कि यह शुरूआती दौर से हम यहाँ तक किस प्रकार पहुँच पाये हैं। इस दौरान संसार में क्या –क्या घटित हुआ ।

संयुक्त पूंजी कम्पनी का उद्गम सर्वप्रथम इटली में 12 वीं शताब्दी में बिना किसी उचित विधायन के हुआ। आज हम कम्पनी जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में आने में इसे कई वर्ष लग गये । भारतीय विधि के लिये अंग्रेजी कमपनी अधिनियम प्रेरणा स्त्रोत के रूप में था। भारतीय कम्पनी अधिनियम भी अंग्रेजी कम्पनी अधिनियम से प्रभावित था। भारत में प्रथम संयुक्त पूंजी कम्पनी अधिनियम, 1850 पारित हुआ। यह इंग्लैंड के संयुक्त पूंजी कम्पनी अधिनियम, 1844 पर अधारित था।

इंग्लैंड में कट्टरपंथी कानून के विकास और वृद्धि की प्रक्रिया अतीत में शुरू हुई थी। 11 वीं एवं 13 वीं शताब्दी के दौरान सबसे शुरूआती व्यापारिक सहयोगी 'व्यापारी मंडलियाँ' थी। सम्राट (क्राउन) के द्वारा चार्टर प्रदान किया गया जो उन्हें संबंधित व्यापार में एकाधिकार प्रदान करता था। इन संस्थाओं को या तो कमेन्डा (मंडल) या सोसायटिस (समाज) के रूप में बनाया गया था। कमेन्डा को अपने कार्यकलाप एक साझेदार के रूप में जारी रखना था जहाँ वित्त पोषक एक सुषुप्त

साझेदार था और उसके सीमित दायित्व थे, यह अपेक्षा की जा रही थी कि सारे दायित्वों का पालन क्रियाशील साझेदारों द्वारा किया जायेगा । 'सोसाइट्स' के अन्तर्गत सभी सदस्य व्यापार के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनका असीमित दायित्व होता है।

14 वीं शताब्दी के दौरान कुछ व्यापारियों ने उनके विदेशी उद्यमों के लिये शब्द 'कम्पनी' को अंगीकार किया। यह कम्पनी विदेशी व्यापार में व्यापारी मंडली का विस्तार था। 16 वीं शताब्दी के अन्त में इग्लैंड ने रायल– चार्टर जारी किये जिसने कम्पनी के सदस्यों को कुछ क्षेत्राधिकार तक व्यापार के एकाधिकार को मान्यता दी। इन कम्पनियों को रेग्युलेटेड कम्पनी कहा गया। 1600 ए.डी. चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना की गयी । और यह उपर वर्णित कम्पनी का उस समय का सर्वोत्तम उदाहरण है।

भारतीय कम्पनी अधिनियम 1850 ने बहुत सारी कंपनियों को रजिस्ट्रीकृत किया लेकिन सीकित दायित्व की आवधारणा को छोड़ दिया । केवल असीमित दायित्व वाली कंपनियां ही इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो सकती थीं। भारतीय कंपनी अधीनियम 1857 (बेंकिंग और बीमा कंपनियों को छोड़कर) के द्वारा पहली बार सीमित दायित्व वाली कंपनी की अवधारणा को जोड़ा गया। यह अधिनियम ब्रिटिश कम्पनी अधिनियम, 1856 के आधार पर ही तैयार किया गया था। सीमित दायित्व की अवधारणा का भारत में पूर्णरूपेण विस्तार 1858 में हुआ अब बैंकिंग और बीमा कंपनियों का पंजीयन इस रूप में होने की स्वीकृति दी गयी थी।

भारतीय कम्पनी अधीनियम, 1966 का विकास अंग्रेजी कंपनी अधिनियम 1962 के आधार पर हुआ था। वर्ष 1887, 1889, 1895, 1900 एवं 1910 में बहुत सारे संशोधनों के साथ भारतीय अधिनियम पुनः अधिनियमित किया गया। भारतीय कम्पनी अधिनियम 1913 ने पुराने अधिनियम का स्थान लिया और इस बार इंग्लिश कम्पनी अधिनियम 1908 इसका प्रेरणा स्त्रोत था। वर्ष 1914, 1915, 1920, 1926, 1930, 1932, और 1936 में विभिन्न संशोधनों के साथ यह अधिनियम 1956 तक विद्यमान रहा।

1.2.1 स्वतंत्र भारत में कम्पनी अधिनियम :–

दासता के समय के कानूनों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली कम्पनी विधायन बनाने के लिये स्वतंत्र भारत बेकरार था । इसके अतिरिक्त द्वितीय विष्व युद्ध ने आर्थिक वृद्धि हेतु चिंतित किया। स्वतंत्र भारत ने दूरदर्शिता के साथ 1950 में श्री भाबा की अध्यक्षता के अन्तर्गत उच्च सतरीय समिति की नियुक्ति थी, ताकि भविष्य में भारतीय औद्योगिक मांग की पूर्ति हेतु तत्कालीन कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा सके।

भाषा समिति ने 1952 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, इस समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े परिवर्तनों की सिफारिश की :–

1. कंपनियों का गठन और प्रोन्नति।
2. कंपनियों की पूंजी संरचना ।
3. कंपनी की प्रक्रियाएं एवं बैठकें।
4. लेखा परीक्षकों की शक्ति एवं लेखा, संपरीक्षा की प्रस्तुति।

5. कंपनियों का निरीक्षण एवं जाँच।
6. निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशकों की शक्तियाँ।
7. कंपनी विधि का प्रषासन ।

भाभा समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम 1956 अस्तित्व में आया जिसमें नये दिषा–निर्देष दिये। यद्यपि यह 1956 का अधिनियम, 1956 का वर्ष 1960, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1974, 1977, 1985, 1988, 1991, 2000, 2002, और 2006 में कई बार संशोधन किया गया। सीखने वालों के लिये पिछले दो बार में हुये संशोधन को संक्षिप्त रूप में वर्णित किया गया है। कम्पनी संशोधन अधिनियम 2002 ने, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत् सहकारी समितियों के विनयमन की स्थापना की और निम्रता कम्पनी के रूप में प्रसिद्धि के लिये निर्माता कम्पनी की स्थापना की। अधिनियम में बीमार कंपनियों से संबंधित नियमों का प्रावधान था। अधिनियम में जटिल प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने का और बीमार कम्पनियों के पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया। इस अधिनियम में जटिल प्रक्रिया को तेज करने के लिये राट्रीय कम्पनी विधि प्राधिकरण की स्थापना की भी सिफारिश की गयी ताकि कम्पनी के संसाधनों का उपयोग अधिक कुषलतापूर्वक किया जा सके, अपेक्षाकृत इसके कि उन्हें बीमार कंपनियों में बदल दिया जाये।

कमपनी (संशोधन) अधिनियम 2006 में निदेशक पहचान संख्या (डी.आई.एन.) के संबंधित विभिन्न प्रावधानों को जोड़ा गया और इस बात पर जोर दिया गया कि निदेशक के रूप में किसी भी व्यक्ति की नयी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकेगी, निदेशक की नियुक्ति तभी सम्भव है जब व्यक्ति को निदेशक पहचान संख्या आबंटित हो गयी हो। कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2006 में प्रशासन और ई–फाईल करने सबंधी विभिन्न प्रावधान बनाये । केन्द्र सरकार में दस्तावेजी नियमों के इलेक्ट्रानिक फाइलिंग और प्रमाणन हेतु कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म, अनुप्रयोग और वहनीय दस्तावेज स्वरूप (पी.डी.एफ.) की घोषणा को अधिसूचित किया । और अंकीय हस्ताक्षर को प्राधिकृत किया। नया कम्पनी अधिनियम शीघ्रातिशीघ्र आने वाला है।

1.3 कम्पनी का अर्थ

साधारण बोलचाल की भाषा में कम्पनी का अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है जो समान विधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित होते हैं। किन्तु तकनीकी रूप से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(i) के अनुसार, ''कम्पनी से आशय इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्माणित एवं पंजीकृत अथवा किसी विद्यमान कम्पनी से है। धारा 3(1)(ii) आगे परिभाषित करती है कि विद्यमान कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जो धारा 3(1)(ii) के अन्तर्गत वर्णित पूर्व अधिनियम के अधीन निर्मित एवं पंजीकृत हुई है।''

इसका तात्पर्य है कि कोई भी कम्पनी जो पूर्व वर्णित विधि के अन्तर्गत पहले से ही पंजीबद्ध है, जो कभी भी अयोग्य नहीं हो सकती और यदि संशोधन के परिणाम स्वरूप नये प्रावधानों के कारण यदि ऐसा होता है, तो कुछ कंपनियों को उसके अनुपालन के लिये पर्याप्त समय दिया जावेगा।

एक कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पृथक अस्तित्व, शाष्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य सील होती है। कम्पनी एक वैधानिक एवं अदृश्य कृत्रिम व्यक्ति है। लोक कम्पनी के अंश सवतंत्र रूप से हस्तान्तरणीय है और सदस्य अंश की मात्रा तक सीमित दायित्व का उपभोग करते है। आपको अब कम्पनी को समझना होगा। हमारे मन में उत्पन्न तस्वीर को और सटीक बनाने के लिये हमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों की परिभाषाओं का परीक्षण करना होगा ।एक कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व और सामान्य सील होती है।'' प्रो. हैन।

मुख्य न्यायाधीश मार्शल के अनुसार –'' एक संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल अधिनियम के अनुसार एक कृत्रिम व्यक्ति है, जो अदृश्य, स्थायी एवं विद्यमान रहता है।''

न्यायाधीश लिण्डबे के अनुसार –''कम्पनी से आशय अनेक व्यक्तियों के ऐसे संघ से है जो संयुक्त स्टॉक में द्रव्य या अन्य सम्पत्ति प्रदान करता है तथा किसी सामान्य उद्देश्य के लिये उसका उपयोग करते हैं और जो इससे होने वाले लाभ एवं हानि को बांटते हैं। संयुक्त स्टॉक को द्रव्य में अंशदान किया जाता है और यह कम्पनी की पूंजी होता है । जो लोग कम्पनी में पैसा लगाते हैं वह इसके सदस्य कहलाते हैं। पूंजी का अनुपात जिसके लिये प्रत्येक सदस्य हकदार है, उसका हिस्सा है। अंश हमेशा हस्तांतरणीय है, यद्यपि हस्तांतरण के अधिकार अक्सर कम या अधिक प्रतिबंधित होते है।

1.3.1 कम्पनी की मुख्य विशेषताएँ :–

संयुक्त स्टॉक कम्पनी के मुख्य लक्षण इस प्रकार है:–

1. संयुक्त अस्तित्व (सममिलन)
2. स्वतंत्र कानूनी सत्ता
3. कृत्रिम व्यक्ति
4. सीमित दायित्व
5. अविच्छिन्न (शाश्वत) उत्तराधिकार
6. सार्वमुद्रा
7. अंशों की हस्तांतरणीयता

1.3.2 कम्पनी के समामेलन के पर्दे को उठाने का सिद्धान्त :

अब आपको यह समझना होगा कि कम्पनी का इसके सदस्यों के अतिरिक्त या मनुष्यों के अलावा अपना एक अलग विधिक व्यक्तित्व होता है। इस लक्षण के विरोध में, कम्पनी और इसके सदस्यों को एक ही माना जाता है, दुराचरण या कपट के मामलों में अलग विधिक व्यक्तित्व को को नकारा जाता है। कम्पनी के सममिलन के पर्दे को उठाने के सिद्धान्त के अनुसार कभी –कभी अलग विधिक अस्तित्व की अवधारणा को नज़र अन्दाज करना आवश्यक हो जाता है।

साधारणतः एक कम्पनी की अलग कानून अस्तित्व की अवधारणा को सम्मानित किया जाता है, बशर्तें अलग–अलग व्यक्तियों के वैधानिक विशेषाधिकारों को वैध

व्यवसाय के प्रयोजनों के लिये इसतेमाल को वैध व्यवसाय के प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। जब लोक नीति के विरूद्ध किसी भी तरीके से इस विशेषाधिकार का दुरूपयोग होता है, तब न्यायालय पृथक अस्तित्व को दर किनार कर कम्पनी और सदस्यों के बीच के पर्दे को उठाता है।

वह परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत पर्दा उठाया जा सकता है, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है –

(1) साविधिक प्रावधान

(2) न्यायिक व्याख्या

साविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत् निम्नलिखित मामलों में निगमित व्यक्तित्व का पर्दा हटाया जा सकता है:–

1. वैधानिक न्यूनता के नीचे सदस्यता कम करना (धारा 45)
2. विवरणिका में दुर्व्यपदेशन (धारा 62 और 63)
3. धनराशि हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल करने में असफलता (धारा 69)
4. समयानुसार अंश प्रमाण पत्र देने में विफलता (धारा 113)
5 कम्पनी क नाम का गलत विवरण (धारा 147)
6. सहायक कम्पनियों के खातों को दिखाने में असफलता (धारा 212)
7 धारा 235/237/239 के तहत् नियुक्त निरीक्षक के कार्य को सुवधिाजनक बनाने के लिये भी पर्दा हटया जा सकता है।
8 स्वामित्व कम्पनी की जाँच हेतु (धारा 247)
9. कपटपूर्ण आचरण (धारा 542)
10 अधिकारातीत अधिनियमों के लिये दायित्व ।
11 अन्य संविधयों के अन्तर्गत दायित्व ।

न्यायिक व्याख्या के अन्तर्गत ऐसी अन्तहीन परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब न्यायालय को अहसास होता है कि उसे अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुये निगमित पर्दा उठाना है तो वह ऐसा कर सकता है। इसके पीछे मुख्य उद्‌देश्य धोखे को रोकना और दुराचरण की पहचान करना है।

1.4 कम्पनियों के प्रकार

इस भाग में आप कार्पोरेट जगत में हमारे आसपास विद्यमान कंपनियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। यहाँ तक कि कम्पनी अधिनियम के अनुसार कम्पनी की प्रास्थिति के विषय में जानकारी न होते हुये भी आप विभिन्न प्रकार की कंपनियों की पहचान कर सकेंगे। जरा सोचकर आप उत्तर दे कि क्या आप कुछ कम्पनियों के नाम बता सकते हैं? हाँ, आप कर सकते है। और यदि नहीं तो आप अपने घर में प्रयोग में आने वाली मशीनों और उपकरणों जैसे वीडियोकॉन, ओनिडा, एल.जी. सैमसंग, वर्हलपूल, बजाज आदि के बारे में सोचना प्रारंभ करें, उसके बाद दवाई निर्माता कंपनियों जेसे कैडिला, इन्डस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लैक्सो आदि के बारे में सोचना प्रारंभ करें। कुछ और जैसे जीवन बीमा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय खाद्य निगम आदि कंपनियों की पहचान भी आसानी से की जा सकती है। अब देखो, आप बहुत सहजता से दस या बीस या इससे अधिक कंपनियों के नाम बता सकते हैं।

यह समझना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सह भी कम्पनियाँ विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि किस आधार पर इन कम्पनियों को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है और उनसे संबंधित प्रावधान क्या है ?

1.4.1 प्रारूप (न्यिास) के आधार पर :–

एक कम्पनी के गठन के आधार पर एक निगमित निकाय को पहचानने के दो अलग–अलग तरीके विद्यमान हैः जैसे–

(1) सांविधिक निगम

(2) पंजीकृत कम्पनियाँ

साविधिक निगमः– सांविधिक कम्पनियाँ या निगम संघ या राज्य विधियों के विशिष्ट अधिनियम द्वारा निगमित किये जाते हैं भारतीय रिजर्ब बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि साविधिक विधियों के कुछ उदाहरण है। इस अधिनियम में एक वैधानिक निगम के कामकाज के लिये नियम और विनियम भी शामिल हैं और इसीलिये सांविधिक कम्पनियों को पार्षद सीमा नियम की आवश्यकता नहीं है। इन कम्पनियों की लेखा परीक्षा भारत के महालेखा परीक्षक की निगरानी में होता है। यह सांविाकि निकाय सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के लिये बनाये जातो हैं।

पंजीकृत कम्पनियों :– जैसा कि नाम से ही विदित होता है, कंपनियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैः–

1. निजी कम्पनियाँ
2. सार्वजनिक कम्पनियाँ
3. एकल व्यक्ति कम्पनी

निजी कम्पनिया :– निजी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी, से है– जिसकी परिभाषा धारा 3(2) (2) 2000 संशोधन में दी गयी है। इस धारा के अनुसार निजी कमपनी का आशय ऐसी कम्पनी से है, जो अपने अन्तर्निमयों द्वारा (अ) अपने अंशों (यदि कोई हो) के हस्तांतरण अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा देती है। (ब) अपने सदस्यों की संख्या 50 तक रखती है एवं (स) अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिये यह जनता को निमन्त्रण नहीं दे सकती है। यह :–

1. सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाती है।
2. सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 और न्यूनतम 2 रखती है, इसमें वह सदस्य सम्मिलित नहीं है जो कम्पनी के नियोजन में या तो हैं या थे।
3. यह जनता को अंश या ऋण पत्र के निमंत्रण पर रोक लगाती है।
4. यह अपने सदस्यों, निदेशकों या रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के जमाओं के निमंत्रण या स्वीकृति को रोकती है ।

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2000 यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक निजी कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूंजी एक लाख रूपये से कम है, इसके प्रारंभ होने के दो साल के अन्दर प्रदत्त पूंजी एक लाख से अधिक बढ़ायेगी । और यदि यह ऐसा करने में असफल रहती है तो इसे धारा 560 के अन्तर्गत मृत कम्पनी माना जायेगा और

कंपनियों के रजिस्टर में से इसका नाम हटा दिया जायेगा। हालांकि धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों को न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की आवष्यकता से छूट प्राप्त है।

सार्वजनिक कम्पनियाँः– सार्वजनिक कम्पनी वह कम्पनी हैं जो :–

1. निजी कम्पनी नहीं है ।
2. जिसके पास न्यूनतम प्रदत्त पूंजी पांच लाख रूपये या इससे अधिक है, जैसा कि कम्पनी के दस्तावेजों में निर्धारित होता है।
3. एक ऐसी निजी कम्पनी है जो एक सार्वजनिक कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम के संशोधन के समय न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही थीं उनके लिये यह स्पष्ट टिप्पणी की गयी थी कि संशोधन अधिनियम 2000 के प्रारंभ के समय मौजूदा प्रत्येक सार्वजनिक कम्पनी, जिनकी प्रदत्त पूंजी पांच लाख रूपये हैं, वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद दो साल के अन्दर प्रदत्त पूंजी पांच लाख से अधिक बढ़ायेंगे । ऐसा करने में असफल होने पर ऐसी कम्पनी को धारा 560 के अन्तर्गत 'मृत कम्पनी' घोषित कर दिया जायेगा और इसका नाम कम्पनियों के रजिस्टर में से हटा दिया जायेगा। धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत वह कम्पनियाँ जो लाभ प्राप्त न करने वाली कम्पनियाँ है और प्राधिकारियों की अनुशंसा से पंजीकृत है उन्हें ऊपर वर्णित न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की शर्त की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक कम्पनी के निर्माण के लिये कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है ।

1.4.2 सदस्यों की संख्या के आधार पर

<u>**एक सदस्यीय कम्पनियाँ**</u> :– इससे तात्पर्य ऐसी कम्पनी से है जिसमें एक व्यक्ति पर्यान्त अंश धारण करता है और कम्पनी की शक्ति को नियंत्रित करता है। हालांकि निजी कम्पनी के मामले में न्यूनतम दो सदस्य एवं सार्वजनिक कम्पनियों के मामले में न्यूनतम सात सदस्यों का होना आवश्यक है। व्यावहारिक रूप से इस प्रकार की कम्पनियों में सारे अंश एक ही व्यक्ति धारण करता है और बाकी के सदस्य केवल सांविधिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध करते हैं। इन्हें पारिवारिक कम्पनियों के नमा से भी जाना जाता है।

1.4.3 सदस्यों के दायित्व के आधार परः–

कम्पनी के सदस्यों के दायित्व इस प्रकार हो सकते है :–

1. सीमित या
2. असीमित

सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँः– इस प्रकार की कम्पनियों के सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा धारण किये हुए अंशों तक सीमित होते हैं । अंशों द्वारा सीमित मामलों में यह दायित्व अशों तक ही सीमित होते है। यदि यह अंशों द्वारा सीमित नहीं है तो यह पार्षद में वर्णित गांरटी के विस्तार तक सीमित होते हैं। सामान्यतः संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की मात्रा तक सीमित रहता है।

असीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ :– सदस्यों के असीमित दायित्व से तात्पर्य है कि सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो ऋण के रूप में कम्पनी को सम्पूर्ण राशि देय होने की सीमा तक विस्तारित होगा।

1.4.4 **प्रबंधन एवं नियंत्रण पर आधारित :–** निम्नलिखित पहले मामले में कम्पनी की समस्त गतिविधियों पर उसका नियंत्रण हो सकता है किन्तु दूसरे मामले में नियंत्रण दूसरे के हाथों में चला जाता है।

1. नियंत्रण (धारित) कम्पनी
2. सहायक कम्पनियां

नियंत्रक कम्पनियाँ :– किसी अन्य कम्पनी के संदर्भ में एक कम्पनी नियंत्रक कम्पनी कहलायेगी जब यह दूसरी कम्पनी पर नियंत्रण स्थापित करती है। धारा 4(4) कहती है कि कम्पनी को दूसरे पर नियंत्रक कंपनी कहा जायेगा यदि दूसरी सहायक है। कोई भी कम्पनी जिसके दूसरी कम्पनी में बहुमत में (50 प्रतिशत से अधिक) अंश हैं तो उसे नियंत्रक कम्पनी कहा जायेगा।

सहायक कम्पनियाँ:– अधिनियम की धारा 4 परिभाषित करती है– एक कम्पनी को दूसरे की सहायक माना जायेगा, यदि,

1. दूसरी कम्पनी उसके प्रबंध निदेशकों के संविधान पर बहुमत से नियंत्रण रखती है। या
2. दूसरी कम्पनी के पास आधे से अधिक इक्विटी अंश पूंजी है।
3. यह तीसरी कम्पनी की सहायक है जो स्वयं ही नियंत्रक कम्पनी की सहायक है।

उदाहरण के लिये, कम्पनी x कम्पनी की सहायक कम्पनी है और कम्पनी Z, x कम्पनी की सहायक है तब कम्पनी z विधित x कम्पनी की सहायक कम्पनी होगी।

1.4.5 **कम्पनियों के अन्य प्रकार :–**

अलाभ कर कम्पनियाँ :– यह लाभ न कमाने वाली कम्पनियाँ पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकती हैं यदि सदस्य चाहते हैं कि कम्पनी पंजीकृत हो तो कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत उसका पंजीयन होता है।

इस तरह की कम्पनियों को केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है। ऐसी कम्पनियां सरकार की नज़र में विशिष्ट कम्पनियाँ होती हैं और कुछ उपखंड़ों के तहत इन्हें रियायत मिल जाती है जैसा कि पहले भी हो चुका है, जब उन्हें संशोधन 2000 में पूंजी के रखरखाव के मामले में छूट मिली थी।

सरकारी कम्पनियाँ :–

एक सरकारी कम्पनी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार आंशिक तौर पर दोनों ही सरकारों द्वारा 51 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त अंश पूंजी धारण करती है।

विदेशी कम्पनियाँ:–

अधिनियम के अनुसार, विदेशी कम्पनियों का सम्मेलन भारत के बाहर होता है लेकिन व्यापार भारत में होता है। एक विदेशी कम्पनी को धारा 592 में वर्णित दस्तवेजों को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसके अतिरिक्त, धारा 594, 595, 600, 603–608 के अन्तर्गत आभारों का अनुसरण करना होता है। इस बात का

ध्यान रखा जाना चाहिये कि धारा 59182) के अनुसार जहां विदेशी कम्पनी में 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त अंश पूंजी (किसी भी प्रकार की) एक या एक से अधीक भारत के नागरिक धारण कर रहे हैं या एक या एक से अधिक भारत में नियमित निकायों के पास हैं, चाहे अकेले हों या समय रूप से धारण करते हों, ऐसी कम्पनियों को अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा जैसा कि भारत में किये जाने वाले व्यापार के संबंध में अधिनियम में निर्धारित यदि इस कम्पनी का सम्मेलन भारत में हुआ है।

1.5 कम्पनी का निर्माण

अब हम भारत में कम्पनी विधायक सीख सकते है– जैसे प्रचलन में कमपनी अधिनियम और विभिन्न प्रकार की कम्पनियों के लिये बुनियादी प्रावधान है। अन्य व्यवसायों जैसे एकल प्रोपरायटर या साझेदारी आदि की अपेक्षा कम्पनी के रूप में व्यवसाय अधिक महत्वपूर्ण है।

कम्पनी बनाने कीप्रक्रिया को चार विभिन्न चरणों के माध्यम से समझा जा सकता हैः–

1. प्रवर्तन
2. पंजीयन या सममिलन
3. पूंजी अभिदान अवस्था

1.5.1 प्रवर्तन :– कम्पनी निर्माण की प्रक्रिया की पहली अवस्था प्रवर्तन होती है। वास्तव में एक नयी कंपनी स्थापित करने की योजना में इस ओर कुछ कदमों की आवश्यकता होती है। प्रवर्तन के अन्तर्गत कम्पनी प्रारंभ करने के दौरान आने वाले सभी चरण सम्मिलित हैं जो कम्पनी निर्माण के अंतिम दौर तक चलते हैं । वह व्यक्ति जो प्रवर्तन की प्रारंभिक गतिविधियों का संचालन करते है। उन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कम्पनी बनाने का विचार करता है जो एक लाभार्थ कम्पनी भी हो सकती है, वहीं से प्रवर्तन प्रारंभ होता है और इसमें विचारों की संभाव्यता की प्रारंभिक जांच, व्यापार के एकीकरण और कम्पनी को लांच करने के लिये जरूरी पूंजी (फंड्स) के प्रावधान भी सम्मिलित हैं। प्रवर्तन ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक कम्पनी, स्थापित करने का विचार उत्पन्न करती है तथा उस विचार को कार्यरूप में बदलने हेतु आवश्यक कार्यवाही करती है। कोई भी व्यक्ति ,सिंडीकेट समूह, भागीदार या कम्पनी प्रवर्तन हो सकता है, जो कि प्रवर्तन में सहायता प्रदान करता है। इन प्रारंभिक गतिविधियों में सम्मिलित है । पर्याप्त फीस के साथ आवेदन करना, कम्पनी का नाम निष्चित करना, पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अन्तनियम जैसे दस्तावेजों का निर्माण करना आदि।

1.5.2 पंजीयन या सम्मेलन :–

यह दूसरी अवस्था है जिसमें कम्पनी, कम्पनी के रूप में, कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीबद्ध हो जाती है, जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की शर्तों को पूरा करती है। तत्पश्चात् कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा सममिलन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

इस संबंध में धारा 12 कहती है कि '' कोई भी सात या उससे अधिक व्यक्ति जो कम्पनी बनाना चाहते हैं और किसी विधि पूर्ण उद्देश्य के लिये संगठित होते है और उनका ना पार्षद सीमा नियम में अंकित है। और इसी के साथ अधिनियम में वर्णित आवश्यकताओं जैसे पंजीयन, कम्पनी के सममिलन आदि की पूर्ति करते हैं, उसे सार्वजनिक कम्पनी कहा जायेगा। इसी तरह जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर योजना तैयार करते हैं तो उसे निजी कम्पनी कहा जायेगा ।

1.5.3 आवश्यक सामग्री एकत्रीकरण अवस्था :–

समामेलन का प्रमाण–पत्र मिलने के पश्चात् एक सार्वजनिक कम्पनी आवश्यक पूंजी जुटाने के लिये तैयार हो जाती है । यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यवापार चलाने के लिये पर्याप्त पूंजी बढ़ायी जाती है एवं कम्पनी का संचालन संतोषजनक रूप से करते हैं। प्रत्येक कम्पनी को रजिस्ट्रार के समक्ष यह सिद्ध करना होगा कि इस पूंजी से वे भविष्य में अपना व्यापार सफलता पूर्वक चला सकेंगे।

1.5.4 व्यापार का प्रारंभः–

व्यापार शुभारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होना कम्पनी निर्माण का आखिरी चरण होता है। इस संदर्भ में हम निजी और सार्वजनिक कम्पनियों के प्रावधान देखेंगे। एक निजी या सार्वजनिक कम्पनी बिना अंश पूंजी के अपना व्यवसाय तुरन्त प्रारंभ कर सकते हैं बशर्तें कि उन्हें सममिलन (निर्माण) का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो यगा हो। किन्तु सार्वजनिक कम्पनी को अंशपूंजी के साथ व्यवसाय प्रांरभ करने का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना आवश्यक होता है धारा 149(i) के संबधं में बताती है और धारा 149(ii) उन कंपनियों के बारे में बताती है जिनकी विवरणिका नहीं है।

1.6 पार्षद सीमा नियम

अब तक आप यह समझ गये कि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक कम्पनी बनायी जा सकती है। पार्षद सीमा नियम कम्पनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे कम्पनी निर्माण के समय प्रवर्तकों द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। इसे कम्पनी का चार्टर भी कहा जाता है। कम्पनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होने से, यह कम्पनी के चार्टर की भांति काम करता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 2(28) पार्षद सीमा नियम को परिभाषित करती है– '' सीमा नियम से आशय, कम्पनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है, जो पिछले कम्पनी अधिनियमों अथवा इस अधिनियम के अधीन मूलरूप से निर्मित किये गये अथवा समय–समय पर परिवर्तित किये गये हैं।''

पार्षद सीमा नियम मौलिक किन्तु महत्वपूर्ण जानकारी से भरा होता है अतः इसे कम्पनी का संविधान भी कहा जाता है। इसे लोक प्रपत्र के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति इसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। यह अंशधारकों, लेनदारों और उन सभी लोगों को जो कम्पनी से जुड़े हुये हैं, सभी लोगों को योग्य बनाता है कि वह यह जानकारी प्राप्त कर सकें कि उनकी क्या शक्तियाँ है और उनकी गतिविधियाँ कहाँ तक विस्तृत है।

1.6.1 पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्रीः–

धारा 13 पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री का वर्णन करती है। प्रत्येक कम्पनी के पार्षद सीमा नियम में निम्न विवरण का होना आवश्यक हैः–

1. कम्पनी का नाम
2. पंजीकृत कार्यालय का खण्ड
3. उद्देश्य खण्ड
4. दायित्व खण्ड
5. पूंजी खण्ड
6. सदस्यता खण्ड

नाम खण्डः– इस खण्ड में प्रत्येक कम्पनी को सावधानी पूर्वक उसका नाम चुनना आवश्यक है क्योंकि यह सब कम्पनी के रजिस्टार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। समिति दायित्व वाली कम्पनी के मामले में शब्द सीमित या ''प्रायवेट मर्यादित' नाम के साथ जोड़ कर लिखा जाना चाहिये। आगे यह भी ध्यान रखना चाहिये कि नाम अवांछनीय न हो पहले से ही विद्यमान कम्पनियों के समान न हो। केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह कम्पनी द्वारा प्रस्तावित नाम को अस्वीकार कर सकती है यदि कम्पनी धारा 20 के अंतर्गत प्रावधानिक की अवहेलना करती है।

परिवर्तन :– कम्पनी अधिनियम की धारा 21 से 23 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी किसी भी समय अपना नाम परिवर्तित कर सकते हैं।

1. एक संकल्प पारित करके और
2. लिखित रूप में केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके

यदि केन्द्र सरकार को लगता है कि उसी नाम की कोई दूसरी कम्पनी पहले से ही विद्यमान है तब,

1. एक साधारण संकल्प पारित करके और
2. केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लिखित में प्राप्त करके

अतः परिवर्तित नाम की सूचना कम्पनी रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अन्दर दी जानी चाहिये ताकि वह तदनुसार प्रमाण पत्र जारी कर सके।

पंजीकृत कार्यालय खण्डः– खण्ड में कम्पनी के अपने पंजीकृत राज्य कार्यालय का उल्लेख जरूरी है। प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी एक पंजीकृत कार्यालय होना आवश्यक है। खण्उ के अनुसार प्रारंभ में कार्यालय का पूरा पता देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु कम्पनी के सम्मिलन के 30 दिनों के अन्दर रजिस्ट्रार को नाम व पते की सूचना दी जानी आवश्यक है। भविष्य में सभी सम्प्रेषण इसी पते पर निर्देशित होंगे हालांकि कम्पनी का कारपोरेट आफिस, पंजीकृत कार्यालय से अलग कहीं भी बनाया जा सकता है।

परिवर्तन :–

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के उसी शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होने की स्थिति में कम्पनी बोर्ड द्वारा पारित संकल्प ही पर्याप्त है किन्तु इस परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष पहुँचनी जरूरी है। यदि कार्यालय उसी राज्य में एक शहर से दूसरे शहर को स्थानांतरित होता है तो

मर्यादा के भीतर एक विशेष संकल्प पारित होने की आवश्यकता है एवं रजिस्ट्रार के 30 दिनों के भीतर सूचित करना अनिवार्य है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में कायग्रलय का स्थानांतरण की स्थिति में पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना आवश्यक होता है और केन्द्र सरकार की अनुमति के साथ–साथ एवं विशेष संकल्प भी पारित होना आवश्यक होता है।

उद्देश्य खण्ड :– यह ज्ञापन का मुख्य खण्ड होता है क्योंकि यह उद्देश्यों पर कार्य करता है और समस्त गतिविधियों को इंगित करता है। कोई भी कम्पनी इस खण्ड के अन्तर्गत अपने उद्देश्यों के बिना कोई व्यवसाय सहो धार्मिक रूप से नहीं चला सकती । किसी भी तरह से यह ऊपर वर्णित सीमाओं को पार करता है तो इसे अधिकालातीत और शून्य माना जायेगा। इस नियम का उद्देश्य कम्पनी के सदस्यों, लोगों और लेनदारों को सुरक्षा प्रदान करना है। उद्देश्य खण्ड को बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये :–

(1) उद्देश्य अवैधानिक नहीं होना चाहिये।

(2) इसी तरह कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध भी उद्देश्य नहीं होने चाहिये।

(3) इन्हें लोक नीति के विरूद्ध नहीं होना चाहिये।

(4) उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिये और उनमें तनिक भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिये

(5) ये काफी विस्तृत होने चाहिये।

परिवर्तन :– पार्षद (ज्ञापन) के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से (उद्देश्य खण्ड) में परिवर्तन संभवव है लेकिन अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। धारा 17(i) एक सूची निर्धारित करती है जिनके आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इस खण्ड में परिवर्तन करने की अनुमति दी गयी है:–

(1) व्यापार को अधिक मितव्ययता या कुशलता से चलाने के लिये

(2) नयी खोज एवं तकनीकों के उपयोग के लिये।

(3) व्यवसाय के भौगोलिक विस्तार की संभावना हेतु।

(4) अनुपयोगी उद्देश्यों को कम करने हेतु।

(5) कम्पनी को पूर्णतः या आंशिक समाप्ति के लिये।

(6) अन्य कम्पनी या व्यक्तियों के निकाय के साथ सममिलन हेतु

आम सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके परिवर्तन संभव है। इसकी सूचना रजिस्ट्रार के समक्ष 30 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिये।

दायित्व खण्ड :–

इस खण्ड के अन्तर्गत कम्पनी के सदस्यों की देयता (दायित्व) की प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता को स्थान दिया गया है। जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है कम्पनी का दायित्व सीमित या असीमित हो सकते है। सीमित दायित्व वाली कम्पनी के मामले में, दायित्व खण्ड में यह स्पष्ट होना चाहिये कि सदस्यों का दायित्व सीमित है, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि यह

सीमित दायित्व अंशों द्वारा या गारंटी द्वारा सीमित है। असीमित दायित्व के मामले में पार्षद सीमा नियम में इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है।

<u>परिवर्तन</u> :— दायित्व में बढ़ोत्तरी के विषय में इस खण्ड में परिवर्तन तभी संभव है जब सभी सदस्य इस हेतु लिखित में अपनी सहमति देते हैं। किसी भी मामलां में दायित्व में कटौती अस्वीकार नहीं होगी।

<u>पूंजी खण्डः—</u> केवल अंश पूंजी वाली सीमित दायित्व वाली कंपनी के दस्तावेज में इस खण्ड को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। पूंजी खण्ड कंपनी की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, इसके अलावा अंष पूंजी को बढ़ाया नहीं जा सकता । इस पूंजी को पंजीकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी या सांकेतिक पूंजी के नाम से जाना जाता है।

परिवर्तन :— यदि पार्षद अन्तर्नियम कंपनी पूंजी में परिवर्तन करने की अनुमति देता है तो कम्पनी उसकी पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। इसे करने के लिये साधारण या विशेष प्रस्ताव पारित करने होते है। निमनलिखित मामलों में एक साधारण प्रस्ताव की आवश्यता होती हैः—

(1) नये अंश जारी करके अंश पूंजी में वृद्धि के मामलों में ।

(2) विद्यमान अंशों की बड़ी या छोटी राषि के एकत्रीकरण या विभक्तीकरण हेतु।

(3) पूरी तरह से भुगतान किये गये अंशों का स्टॉक या इसके विपरीत में रूपांतरण होने पर ।

(4) असंतुष्ट अंशों को रद्द करने हेतु।

विशेष प्रस्ताव पारित करके और इसके लिये पुष्टिकरण प्राप्त करके पूंजी को कम करने के लिये परिवर्तन किया जा सकता है।

सदस्यता खंडः—अंतिम खंड में एक कम्पनी खोलने की अपनी इच्छा के बारे में ज्ञापन के हस्ताक्षर कर्ताओं द्वारा घोषणा शामिल है। इसमें योग्य अंशों यदि कोई हैं उसको धारण करने की इच्छा भी शामिल है एवं इसमें व्यक्तियों के विवरण उसके हस्ताक्षर सहित प्रमाणित प्रतियाँ भी शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिये सार्वजनिक कम्पनी में कम से 7 सदस्य निजी कम्पनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिये।

1.6.2 अधिकारातीत का सिद्धान्त :— कम्पनी विधि का यह एक और महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। शब्द अत्यधिक से तात्पर्य सीमा से बाहर होता है एवं अधीन का प्रयोग शक्ति के लिये किया गया है। अतः अधिकारातीत कार्य से तात्पर्य है तात्पर्य है शक्ति से बाहर होकर कार्य करना । ।

यह अध्यान देने योग्य बात है कि निदेशकों की शक्ति से बाहर किये गये कार्य अधिकारातीत के कार्य कहलाते हैं। पार्षद अन्तर्नियम के अधिकारातीत से तात्पर्य है पार्षद अन्तर्नियम के अधिकार से बाहर किये गये कार्य । सड़ी प्रकार पार्षद नियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर किय गये कार्य का कम्पनी के अधिकारातीत के रूप में माने जायेंगे।

अब आप यह समझ गये होंगे कि अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों से आप क्या समझते है। किन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि ऐसा होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ? अब हम निम्नलिखित मामलों में अधिकारातीत कार्यों के उपचारों और प्रभाव की चर्चा करेंगे :—

निर्देशकों के लिये अधिकारातीत :– निदेशकों के कार्य शून्य नहीं है और अंषधारकों की आम सभा में पुष्टि की जा सकती है।

पार्षद अन्तर्नियम के लिये अधिकारातीतः– कार्य पूरी तरह से शून्य नहीं है और विशेष प्रस्ताव पारित करके पार्षद सीमा नियम में बदलाव के माध्यम से कम्पनी के द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है।

कम्पनी के लिये अधकारातीतः– अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य पूर्णतः शून्य है और कम्पनी इस तरह के कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं है।

1.7 पार्षद अन्तर्नियम

कम्पनी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पार्षद अन्तर्नियम है जिसे कम्पनी बनाने के समय कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अन्तर्नियम कम्पनी के व्यापार के आन्तरिक प्रबन्ध से संबंधित नियम है। कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध को नियंत्रित करने के लिये अन्तर्नियम में उपनियम समाविष्ट है यह पार्षद सीमा नियम में दिये गये उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाये जाते है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार, ''अन्तर्नियमों से आशय कम्पनी के उन पार्ष्द अन्तर्नियमों से है जो पिछले कम्पनी अधनियम अथवा इस अधिनियम के अनुरूप मूलरूप से बनाये अथवा समय समय पर परिवर्तित किये गये है।'' अन्तर्नियम, कम्पनी और उसके सदस्यों के बीच संविदा उत्पन्न करते है। इसमें काल करना, अंशों का निदेशकों की योग्यता, अंकेक्षकों की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य, अन्तरण और अंशों एवं ऋण पत्रों के हेतु प्रक्रिया आदि मामलों की उपलब्धता रहती है।

1.7.1 पार्षद अन्तर्नियम की विषय सामग्री :–

पार्षद सीमा नियम में निम्नलिखित मामलों और नियमों का प्रावधान रहता हैः–

1. तालिका 'ए' लागू होने के विस्तार तक के मामले
2. अंशों एवं उनके अधिकारों की विभिन्न श्रेणियाँ,
3. अंश प्रमाण पत्रों एवं अंश वारन्ट जारी करने से संबंधित प्रावधान ।
4 अंशू पूंजी एवं आबंटन संबंधी प्रक्रिया ।
5 अंशों की जब्ती एवं पुनः जारी करने की प्रक्रिया
6 अंशों का हस्तांतरण एवं वितरण।
7 अंशों का आबंटन।
8 अंशों का स्टॉक में परिवर्तन ।
9 अंशों पर धारणाधिकार
10 अंशों पर कमीशन का भुगतान एवं अधोलिखित ऋण–पत्र
11 प्रारंभिक अनुबंधों को स्वीकार, या अस्वीकार करने के नियम।
12 अंशपूंजी का पुनर्गठन एवं एकत्रीकरण
13 अंश पूंजी में बदलाव
14 निदेशकों की ऋण संबंधी अधिकार।
15 साधारण मीटिंग, प्रक्रिया, वोट देने एवं काल्पनिक व्यक्ति संबंधी नियम।
16 सदस्यों के मत देने का अधिकार ।

17 लाभांश का भुगतान और भंडार का निर्माण

18. निदेशकों के अधिकार, कर्तव्य, योगयता , पारिश्रमिक और नियुक्ति

19 कम्पनी की सामान्य सील का उपयोग

20 लेखा पुस्तकों और उनकी लखेा परीक्षा (अंकेक्षण) रखना।

21 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, अाकिार, कर्तव्य एवं पारिश्रमिक इत्यादि।

22 पूंजी लाभ

23 बोर्ड मीटिंग और प्रक्रियाएं।

24 प्रस्ताव संबंधी नियम

25 प्रबंध निदेशक, प्रबधंक और सचिव की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, योग्यता, पारिश्रमिक आदि, यदि कोई है।

26 पंचायत संबंधी प्रावधान, यदि कोई है।

27 अधिकारों संबंधी वहीं प्रावधान – जिनका पालन पार्षद की प्राधिकारी शक्ति के बिना नहीं किया जा सकता, उदाहरण क लिये, प्रतिदेय वरीयता अंशों के मामले, वाहक को अंश वारन्ट, अंशों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इन्कार करना, कम्पनी की अंश पूंजी में कमी, काल भुगतान अग्रिम में स्वीकार करना, अतिरिक्त या वैकल्पिक निर्देशक (निर्देशकों) की नियुक्ति

28 समापन ।

परिवर्तन :– कम्पनी अधिनिमय की व्यवस्थाओं एवं पार्षद सीमा नियम की शर्तों के अधीन विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्तर्नियम को परिवर्तित किया जा सकता है। धारा – 31 के अनुसार कम्पनी के पार्षद अन्तर्नियमों में परिवर्तन एक विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। कम्पनी द्वारा किये गये परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय में 30 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिये। कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जिनमें केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति ली जानी आवश्यक होती हैः–

(1) सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तन के मामले में ।

(2) किसी निर्देशक के पाश्रिमिक में बढ़ोत्तरी के परिवर्तन के मामले में।

1.7.2 रचनात्मक सूचना का सिद्धान्तः–

रचनात्मक सूचना के सिद्धान्त से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति का कम्पनी से संबंध है उसे पार्षद सीमा नियम और अन्तर्नियमों की जानकारी होगी। संबंधित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उपर वर्णित दस्तावेजों का निरीक्षण करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधारण फीस देकर दस्तावेज की जांच कर सकता है। धारा 610 कहती है कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष रखें दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी कम्पनी के साथ ऐसा अनुबंध करता है जो कम्पनी के पार्षद सीमा नियम और अन्तर्नियम के विपरीत है तो उसे वह सहायता नहीं मिल पायेगी। यह सिद्धान्त अधिकृत कार्यो से बाहर कार्य करने के विरूद्ध कम्पनी को रक्षा प्रदान करता है।

1.7.3 आन्तरिक प्रबंध का सिद्धान्त :–

आन्तरिक प्रबधंन के सिद्धान्त रचनात्मक सूचना के सिद्धान्त के विपरीत, कम्पनी के खिलाफ बाहरी व्यक्ति की सुरक्षा करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार ऐसा

माना जाता है कि कम्पनी से व्यवहार अथवा अनुबन्ध करने वाला व्यक्ति कम्पनी के आन्तरिक मामलों से उतना वाकिफ नहीं है और न ही वह यह जान सकता है कि कम्पनी के आन्तरिक मामलों में गलती कहाँ है? कम्पनी के संबंधित अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह मामले की देखभाल करे। नियम यह है कि कम्पनी से व्यवहार रखने वालों प्रत्येक व्यक्ति को यह मान लेने का अधिकार है कि जहाँ तक कम्पनी की आन्तरिक कार्यवाहियों का संबंध है, समस्त कार्य नियमित रूप से किये गये है। उनका यह कार्य कदापि नहीं है कि वह यह देखे कि कम्पनी की आन्तरिक कार्यवाहियाँ नियमानुार चल रही है। इस नियम को आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है ।

1.7.3.1 आन्तरिक प्रबधं सिद्धान्त के अपवाद :–

निम्नलिखित मामलों में इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकतीः–

1. यदि बाहरी व्यक्ति को अनियमितता की जानकारी है।
2. बाहरी व्यक्ति की असावधानी होने पर।
3. कपट
4. पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर्नियम की जानकारी न होने पर।
5. उत्पीड़न (अत्याचार)

1.8 प्रविवरण

कम्पनी अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार ''प्रविवरण से आशय ऐसे प्रपत्र से है, जो प्रविवरण की भांति वर्णित या र्निमितकिया जाता है, ऐसे नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्रों को सम्मिलित करता है जो एक समामेलित संस्था के अंशों या ऋणपत्रों के क्रय करने हेतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।''

प्रविवरण को आम जनता के लिये अंशपूंजी या ऋण पत्र प्रदान करने का आमंत्रण के रूप में जाना जाता है। एक सार्वजनिक कम्पनी आम लोगों के लिये प्रविवरण जारी कर सकती है जबकि निजी कंपनियों पर प्रतिबंध है।

1.8.1 प्रविवरण की विषय सामग्रीः– प्रविवरण में कम्पनी से संबंधित समस्त बातों का विवरण दिया जाना आवश्यक है। प्रायः विवरण में इन बातों का समावेष होता हैः–

1. कम्पनी के मुख्य उद्देश्य इसके इतिहास और व्यापार का।
2. कम्पनी के नाम, पता और इसके पंजीकृत कार्यालय का।
3. पत्र के जारी होने और समापन की तारीख।
4. ऋण पत्रों के मामलों में ट्रस्टी का नाम एवं पता।
5. कम्पनी प्रवर्तकों के विस्तार में नाम और पते।
6. निर्देशकों , अंकेक्षकों, वकीलों, प्रबंधकों की सलाह ।
7. प्रबंधन, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों के नाम पते और व्यवसाय।
8. प्रत्येक अंश के आवेदन और आवेदन पर देय राशि के साथ–साथ फार्म, प्रविवरण और भुगतान के तरीके की उपलब्धता।
9. कम्पनी सचिव, विधिक सलाहकार, अंकेक्षक, संचालन, प्रबंधक, बैंकर और आढ़तियों (दलालों) के नाम और पते।

10. संग्रहण के प्रकार में प्रति भूतियों के लिये सदस्यता के विकल्प का विवरण (डिपाजिटरी अधिनियम 1996 के द्वारा अन्तस्थापित)
11. अंश प्रमाण पत्र जारी करने एवं आबंटन प्रक्रिया ।
12. वर्तमान मुद्दे या आकार, प्रवर्तकों एवं अन्य लोगों को प्राथमिक आबंटन के लिये अलग से आरक्षण दे रहा है।
13. अंशों के अधिकार, विशेषाधिकार एवं निर्बन्धन, यदि कोई हो,
14. प्रबन्ध निदेशकों या प्रबन्धकों की नियुक्ति से संबंधित अन्तर्नियम की सामग्री एवं इनकों देय पारिश्रमिक का विवरण।
15. न्यूनतम सदस्यता खंड।
16. क्षेत्रीय स्टॉक विनियम एवं अन्य स्टॉक विनियम के नाम जहाँ वर्तमान मामले भी सूची के लिये आवेदन बनाया गया है।
17. बीमाग्राहकों के नाम और पते , बीमा राशि,, बीमा कमीशन और निदेशक मंडल द्वारा की गयी घोषणा की संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिये बीमा ग्राहकों के पास समुचित संसाधन है।
18. परियोजना का विवरण, प्लान्ट मशीनरी और तकनीकी प्रक्रिया, कच्चामाल बुनियादी सुविधाएं पानी, बिजली आदि।
19. उत्पादन की प्रकृति।
    उत्पादन प्रारंभ होने के प्रारंभिक तीन सालों के दौरान क्षमता की उपयोगिता से संबंधित भविष्य की संभावनाएं ।
20. शेयर बाजार स्थिति,
21. पिछले तीन सालों में सार्वजनिक मुद्दों के विवरण एवं एक ही प्रबंधन की अन्य सूचीबद्ध कम्पनियाँ।
22. कम्पनी के खिलाफ दर्ज किये गये बकाया मुकदमों का विवरण, यदि कोई हो ।
23. भूल–चूक के विवरण, यदि कोई हो।
24. जोखिम के कारणों से संबंधित प्रबंधकीय धारणा।
25. सी.आर. आई.एस. आई.एल. द्वारा या अन्य मान्य मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा किया गया ऋण मूल्यांकन ।
26. जारी करने में होने वाले व्यय।
27. कंपनी द्वारा प्राप्त की गयी किसी सम्पत्ति के विवरण।
28. किसी भी प्रवर्तक या कम्पनी के अधिकारी की दो पूर्ववर्ती वर्षों में भुगतान या दिये गये लाभ की राशि।
29. किसी भी इच्छुक प्रवर्तक या निदेषक के द्वारा पूर्ववर्ती दो वर्षो में प्राप्त की गयी सम्पत्ति।
30. पिछले पाँच वर्षों का तैयार संतुलन पत्र एवं कम्पनी के लाभ एवं हानि।
31. पिछले पाँच वर्षों के दौरान कंपनी के आश्वासनों के किसी भी पुनर्मूल्यांकन का विवरण ।
32. कम्पनी और उसके अंशधारकों के लिये विशेष कर लाभ।

33. कम्पनी अधिनियम के सभी प्रासंगिक प्रावधान एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देष या प्रतिभूमि एवं भारतीय विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश, जैसा भी मामला हो, से संबंधित घोषणा।

और कोई भी दिया गया बयान प्रविवरण के प्रावधानों के नहीं है, ऐसी घोषणा भी की जानी चाहिये। यदि इस समस्या को सफलतापूर्वक स्वीकार यिका जाता है तो इक्विटी शेयर धारक कम्पनी के असली मालिक बन जाते हैं और बाद में आने वाले वर्षों में व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। किन्तु इसके विपरीत यदि सदस्यता विफल (मामले के 90 प्रतिशत से भी कम) होती है। तब राशि उन व्यक्तियों को वापिस कर दी जाती है जिनहोंने आवेदन दिया था। निर्धारित समय के बाद भुगतान में देरी से व्यक्ति को 15 प्रतिशत बयाज का भुगतान करना होता है।

1.8.2 प्रविवरण के स्थान पर विवरण (कथन) (धारा 70) :—

अंशपूंजी से युक्त सार्वजनिक कम्पनी का यदि विवरण पत्र नहीं है तो इसके बदले में एक कथन जारी करेगी। इसका तात्पर्य है कि कम्पनी सार्वजनिक पेशकश के बिना धन का प्रबंधन करेगी।

या

जहाँ कम्पनी ने विवरण पत्र तो जारी किया है किन्तु कम से कम अंशदान में असफल होने पर अंशों के सार्वजनिक आबंटन की ओर प्रवृत्त नहीं हुयी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि एक निजी कम्पनी विवरण पत्र जारी करने या विवरण पत्र के स्थान पर रजिस्ट्रार के समक्ष कथन देने से स्वतंत्र है।

1.9 सारांश

यह इकाई कम्पनी विधायन और भारत में कम्पनी के प्रचलित कार्यों के बारे में वर्णन करती है। हम कम्पनी अधिनियम 1956 का अनुसरण कर रहे है। जिसमें स्वमेय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और शीघ्रातिशीघ्र नये अधिनियम की प्रतीक्षा है। अधिनियम में कम्पनी के व्यवसाय के प्रकार का वर्णन है। कम्पनी से तात्पर्य कृत्रिम व्यक्ति से है। जिसका निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत होता है, इसका शाष्वत उत्तराधिकार होता है, स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व होता है और एक कामन सील होती है। इस व्यापार जगत में विभिन्न प्रकार की कम्पनियाँ कार्यरत है। जैसे साविधिक कम्पनियाँ, पंजीबद्ध कम्पनियाँ, सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ, असीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ, निजी कम्पनियाँ, सार्वजनिक कम्पनियाँ, सरकारी कम्पनियाँ, खाताधारी कम्पनियाँ, सहायक कम्पनियाँ आदि।

कम्पनी के प्रवर्तकों द्वारा नयी कम्पनियाँ बनायी जाती है। वे प्रमोषन से लेकर अन्त में व्यवसाय का प्रमाण पत्र लेने तक की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। एक सार्वजनिक कम्पनी सार्वजनिक अंश पूंजी के साथ, व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण—पत्र मिलने के बाद अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। दो महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे—पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अन्तर्नियम , इस प्रक्रिया के दौरान बनाये जाते है जिससे कम्पनी का उद्देश्य स्पष्ट होता है और साथ ही आन्तरिक प्रबन्धन की प्रक्रिया भी स्पष्ट होती है। सार्वजनिक रूप से खुले आम राशि एकत्रित करने के लिये विवरण पत्र जारी किया जाता है। राशि एकत्रित करने के दो प्रसिद्ध तरीके है

अंश और ऋण पत्र । अधिकारातीत का सिद्धान्त, संरचनात्मक सूचना और आन्तरिक प्रबंधन, अवश्यम्भावी हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।

1.10 शब्दावली

कम्पनीः कम्पनी का अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है जो समान विधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित होते हैं।

प्रवर्तकः वह व्यक्ति जो प्रवर्तन की प्रारंभिक गतिविधियों का संचालन करते है। उन्हें कहा जाता है।

पार्षद अन्तर्नियमः जो कम्पनी के व्यापार के आन्तरिक प्रबन्ध से संबंधित नियम है।

1.11 बोध प्रश्न

1. भारतीय कम्पनी अधीनियम, 1966 का विकास अंग्रेजी कंपनी अधिनियम .... के आधार पर हुआ था।
2. जो लोग कम्पनी में पैसा लगाते हैं वह इसके .... कहलाते हैं।
3. .... संघ या राज्य विधियों के विशिष्ट अधिनियम द्वारा निगमित किये जाते हैं।
4. ....के सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा धारण किये हुए अंशों तक सीमित होते हैं ।
5. .... को आम जनता के लिये अंशपूंजी या ऋण पत्र प्रदान करने का आमंत्रण के रूप में जाना जाता है।

1.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 1962 2. सदस्य 3. सांविधिक कम्पनियाँ या निगम
4. सीमित दायित्व वाली कम्पनियों 5. प्रविवरण

1.13 स्वपरख प्रश्न

1. कम्पनी विधायन एवं भारत में इसके विकास पर एक विस्तृत लेख लिखिये।
2. कम्पनी से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट करें और कंपनियों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
3. कम्पनी निर्माण के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए ।
4. 'पार्षद सीमा नियम' एवं 'पार्षद अन्तर्नियम' कम्पनी के दो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते है।'' इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
5. प्रविवरण (विवरण पत्र) से आप क्या समझते हैं ? इसकी विषय समाग्री क्या है?

1.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. एन0डी0 कपूर, कम्पनी लॉ, सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
2. एस0सी0 अग्रवाल, कम्पनी लॉ, धनपत राय पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. एस0के0 अग्रवाल, बिजनेस लॉ, गलगोटिया पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
4. के0आर0 बालचन्द्री, बिजनेस लॉ फॉर मैनेजमेन्ट, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. एस0एस0 गुलशन एण्ड जी0के कपूर, बिजनेस लॉ, न्यू ऐज इण्टरनेशनल पब्लशर्स नई दिल्ली।
6. एस0सी0 पुच्छल, मर्केन्टाइल लॉ, विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।

इकाई 2 लेखांकन एवं अंकेक्षण

इकाई की रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना
2.2 लेखों का अर्थ
2.3 लेखा पुस्तकों के संबंध में कानूनी प्रावधान
    2.3.1 लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
    2.3.2 अभिलेखों का स्थान
    2.3.3 पुस्तकों का निरीक्षण
    2.3.4 अभिलेखों की सुरक्षा
    2.3.5 वार्षिक लेखे एवं सत्यापन
    2.3.6 लेखों का परिचालन
    2.3.7 अभिलेखों को पूरित करना
    2.3.8 लेखों की अन्य पुस्तकें
        2.3.8.1 वैधानिक पुस्तकें
        2.3.8.2 वैकल्पिक पुस्तकें
2.4 अंकेक्षण का अर्थ
    2.4.1 एक अंकेक्षण को सम्पन्न करने के उद्देश्य
    2.4.2 एक अंकेक्षक की नियुक्ति
        2.4.2.1 अंकेक्षक की योग्यताऐं एवं अयोग्यताऐं
        2.4.2.2 प्रथम अंकेक्षक
        2.4.2.3 परवर्ती अंकेक्षक
        2.4.2.4 आकस्मिक रिक्ति
        2.4.2.5 नियुक्ति की अवधि
        2.4.2.6 एक अंकेक्षक की पुर्ननियुक्ति
        2.4.2.7 विशेष प्रस्ताव के द्वारा नियुक्ति
        2.4.2.8 केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्ति
        2.4.2.9 अंकेक्षण की सर्वाधिक सीमा
        2.4.2.10 एक अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य
        2.4.2.11 पारिश्रमिक एवं पद से हटाना (पदच्युति)
2.5 सारांश
2.6 शब्दवाली
2.7 बोध प्रश्न
2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
2.9 स्वपरख प्रश्न
2.10 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- लेखांकन का अर्थ एवं लेखे की पुस्तकों का वर्णन कर सकें ।
- अंकेक्षण का अर्थ एवं उसकी भूमिका की व्याख्या कर सकें ।
- लेखांकन एवं अंकेक्षण के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कर सकें । ।

2.1 प्रस्तावना

लेखांकन लेन–देनों के अभिलेखन की एक व्यवसायिक भाषा है। दिन – प्रतिदिन के लेन –देनों को विभिन्न लेखा पुस्तकों के रखरखाव के द्वारा महत्वपूर्ण रूप में अभिलिखित किया जाता हैं। इन अभिलेखों को कम्पनी के पास सुरक्षित रखा जाता है और मांगे जाने पर इन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।

इन लेखों को तत्पश्चात आन्तरिक अंकेक्षक एवं वाहय अंकेक्षक के द्वारा इन्हें शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए परीक्षण किया जाता है। इस इकाई में इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रवधानों को समझाया जा रहा है।

2.2 लेखों का अर्थ

'लेखा' शब्द का आशय एक कम्पनी के द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लेखा पुस्तकों से है। कम्पनी अधिनियम की धारा 209 निम्नांकित के सम्बन्ध में समुचित पुस्तकों के रखे जाने को अनिवार्य बनाती है :

(i) एक कम्पनी के द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गयी समस्त धनराशियाँ और वह मामले जिनके सम्बन्ध में प्राप्तियाँ एवं व्यय किए गए है।

(ii) कम्पनी के माल का समस्त विक्रय एवं क्रय।

(iii) ऐसी दशा में जबकि कम्पनी का सम्बन्ध कम्पनियों के ऐसे वर्ग से है, जो उत्पादन, प्रक्रियन, विनिर्माण अथवा खनन गतिविधियों में संलग्नता से है, तो सामग्री, श्रम अथवा लागत की अन्य मदों के उपयोग का विवरण, जैसा निर्दिष्ट किया गया है, यदि कम्पनियों के ऐसे वर्ग को केन्द्र सरकार के द्वारा ऐसे विवरणों को लेखा पुस्तकों में सम्मिलित करना आवश्यक है।

कम्पनी अधिनियम 1956 प्रत्येक कम्पनी के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह अपने कार्यालय में लेखा पुस्तकों का रखरखाव करें। अधिनियम लेखा पुस्तकों के नामों का वर्णन नहीं करता है किन्तु वह यह व्यक्त करता है कि एक कम्पनी को ऐसी समस्त लेखा पुस्तकें रखनी चाहिए जो कि कम्पनी की स्थिति का एक सही एवं उचित चित्र प्रदान कर सके, जिससे इसके लेन –देनों की व्याख्या हो सके,

2.3 लेखा पुस्तकों के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान

लेखा पुस्तकों के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाली वैधानिक आवश्यकताओं हेतु वैधानिक प्रावधान उपलब्ध हैं। इन कानूनी आयामों को विद्यार्थियों के दृष्टिकोंण से समझाया गया है।

2.3.1 लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

निम्नांकित व्यक्तियों को एक कम्पनी की लेखा पुस्तकों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी माना जाता है:

1. कम्पनी का प्रबन्ध संचालक या एक प्रबन्धक, यदि कोई हो।
2. यदि कम्पनी में न तो प्रबंध संचालक है और न ही प्रबन्धक तो कम्पनी का प्रत्येक निदेशक।
3. इसके अतिरिक्त प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी और एजेन्ट जैसा कि अधिनियम की धारा 240(6) में परिभाषित है, कम्पनी के बैंकर्स अंकेक्षक और कानूनी सलाहकारों को छोड़कर।

2.3.2 अभिलेखों का स्थान

सामान्यतया लेखा पुस्तकें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर रखी जाती है। किन्तु धारा 209 इस मामले को देखती है और यह प्रावधान करती है कि लेखा पुस्तकें धारा 209(i) के अपवाद को छोड़कर, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर रखी जाती है, जिसके अनुसार एक कम्पनी अपने संचालक मण्डल की इच्छा पर अभिलेखों को भारत में किसी भी अन्य स्थान पर रख सकती है, ऐसा अन्य स्थान कम्पनी की साधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव से अनुमोदित होगा। यदि ऐसा होता है, तो संचालक मण्डल के निर्णय के विषय में 7 दिन के अन्दर कम्पनी के रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना होगा।

2.3.3 पुस्तकों का निरीक्षण

लेखा पुस्तकों को अन्य महत्वपूर्ण प्रलेखों के साथ व्यावसायिक घन्टों में किसी भी समय किसी भी संचालक के द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। धारा 209 (A) इस बात पर जोर देती है कि यह लेखा पुस्तकें व्यावसायिक घण्टों में निम्नांकित के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी :

1. रजिस्ट्रार।
2. सरकार का ऐसा अधिकारी जिसे केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से अधिकृत किया हो।
3. भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का ऐसा अधिकारी जिसे सेबी (SEBI) ने अधिकृत किया हो।

धारा 209 (A) संबंधित व्यक्ति को सूचना दिए बिना प्रलेखों के निरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है।

2.3.4 अभिलेखों की सुरक्षा

लेखा की समुचित पुस्तकों को प्रत्येक कम्पनी के लिए न्यूनतम 8 सतत वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना होगा। लेखा पुस्तकें ही नही बल्कि उक्त उद्देश्य के लिए सम्बन्धित वाउचरों को भी उपलब्ध किया जाना चाहिए।

2.3.5 वार्षिक लेखे एवं सत्यापन

'वार्षिक लेखे' शब्द का प्रयोग लेखांकन विवरणों के लिए किया जाता है जो अनिवार्यतः तैयार किए जाते हैं। समस्त कम्पनियों के वार्षिक खातों में निम्नांकित सम्मिलित होते हैः

1. आर्थिक चिट्ठा एवं
2. लाभ–हानि खाता/आय और व्यय खाते

आर्थिक चिट्ठे में सम्पत्तियाँ एवं दायित्व संबंधित अवधि की अंतिम तिथि, जब यह तैयार किया जाता है, को सम्मिलित किए जाते हैं। लाभ और हानि खाते व्यापारिक कम्पनियों के आवर्ती आय एवं व्ययों को प्रदर्शित करते हैं जबकि गैर लाभ अर्जनकारी कम्पनियाँ आय एवं व्यय खाते बनाती हैं, लाभ – हानि खाते नहीं।

सत्यापन से आशय उपर्युक्त वर्णित खातों की स्वीकारोक्ति से है। धारा 215 में व्यवस्था है कि बैंकिंग कम्पनी के अतिरिक्त समस्त कम्पनियों का आर्थिक चिट्ठा और लाभ एवं हानि खाते संचालक मंडल की ओर से प्रबन्धक या सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। इसे कम से कम कम्पनी के दो संचालकों जिनमें से एक प्रबन्ध संचालक, यदि कोई हो, के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

संचालक मण्डल के पास वार्षिक साधारण सभा से पूर्व निम्नांकित प्रलेख होंगे :

1. आर्थिक चिट्ठा
2. लाभ एवं हानि खाता
3. संचालक मण्डल की एक रिपोर्ट

2.3.6 लेखों का प्रसारण या परिचारण

आर्थिक चिट्ठे, लाभ एवं हानि खाते, अंकेक्षक की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट जिसे कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाना है, कम्पनी के समस्त सदस्यों को वार्षिक साधारण सभा से न्यूनतम 21 दिन पूर्व परिचारित किया जाना चाहिए। इसे ऋणपत्रधारकों के ट्रस्टी को भी परिचारित किया जाना चाहिए। (धारा 219(i))

2.3.7 अभिलेखों को फाइल करना

इस प्रकार तैयार किए गए एवं सत्यापित लेखा पुस्तकों को 3 प्रतियों में कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास जमा करना आवश्यक है। धारा 220 प्रत्येक कम्पनी के लिए आर्थिक चिट्ठे तथा लाभ – हानि खाते को समस्त प्रलेखों के परिशिष्टों एवं संलग्नकों की तीन प्रतियों सहित रजिस्टर के पास फाइल करना निम्नवत आवश्यक करती है :

(i) वार्षिक साधारण सभा में कम्पनी के समक्ष आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते को प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर या

(ii) जहाँ वार्षिक साधारण सभा आयोजित नहीं की गयी है, तो ऐसी स्थिति में उस अन्तिम तिथि से 30 दिन के भीतर, जिस तिथि को या उससे पूर्व यह सभा आयोजित की जानी चाहिए थी।

तीनों प्रतियों को प्रबन्ध संचालक, प्रबन्धक अथवा सचिव अथवा उनकी अनुपस्थिति में संचालक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों को फाइल करने में त्रुटि की दशा में रू 50 प्रतिदिन का अर्थदण्ड उस सम्बन्धित अधिकारी पर लगाया जा सकता हैं।

2.3.8 लेखे की अन्य पुस्तकें

वार्षिक लेखों के अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकें भी पंजिकाओं और पुस्तकों के रुप में रखी जाती हैं।

2.3.8.1 वैधानिक पुस्तकें

वैधानिक पुस्तकें रजिस्टरों एवं अन्य पुस्तकों के प्रारूप में तैयार की जाती हैं, जो अत्यन्त महत्व की होती हैं। कम्पनी का यह वैधानिक दायित्व होता है कि वह इन वैधानिक पुस्तकों को अपने पास रखे एवं इनका रखरखाव करें। यह वैधानिक पुस्तकें निम्नांकित है :

1. सदस्यों का रजिस्टर (धारा 150)
2. ऋणपत्रों का रजिस्टर (धारा 152)
3. संचालकों एवं प्रबन्धकों का रजिस्टर (धारा 303)
4. संचालकों के अंश धारण का रजिस्टर (धारा 307)
5. व्ययों का रजिस्टर (धारा 143)
6. उन संविदाओं का रजिस्टर जिनमें संचालकों का हित है (धारा 301)
7. उन विनियोगों का रजिस्टर जो कम्पनी के नाम में नहीं हैं। (धारा 49(i))
8. समान प्रबन्ध वाली कम्पनियों के ऋणों का रजिस्टर (धारा 370)
9. अन्य कम्पनियों के अंशों में विनियोगों का रजिस्टर (धारा 372)
10. कार्य विवरण पुस्तकें (धारा 193)
11. विदेशी सदस्यों एवं ऋणपत्रधारियों का रजिस्टर (धारा 158)
12. लेखा पुस्तकें (धारा 209)
13. सावधि जमाओं का रजिस्टर (धारा 58 A)
14. लागत लेखा (निर्दिष्ट कम्पनियों का) अभिलेख (धारा 209 डी (i))
15. नवीनीकृत एवं डुप्लीकेट प्रमाण पत्रों का रजिस्टर

2.3.8.2 वैकल्पिक पुस्तकें

अब तक आपकों अब यह समझ में आ गया होगा कि कौन सी पुस्तकें वैधानिक पुस्तकें हैं और इनका रखरखाव अनिवार्य है? निम्नांकित पुस्तकें वैकल्पिक प्रकृति की हैं किन्तु यह सुझाव दिया जाता है कि वह समय – समय पर उपयोगी हो सकती हैं और इनके महत्व एवं अपरिहार्यता को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है :

1. अंश आवेदन एवं आबंटन पुस्तक
2. अंश याचना पुस्तक
3. ऋणपत्र याचना पुस्तक
4. ऋणपत्र आवेदन एवं आबंटन पुस्तक
5. अंश हस्तांतरण रजिस्टर
6. अंशधारियों का लाभांश पुस्तक
7. ऋणपत्र ब्याज पुस्तक
8. ऋणपत्र हस्तांतरण पुस्तक
9. प्रमाणन एवं अवशेष टिकटों का रजिस्टर
10. अंश प्रमाण पत्रों का रजिस्टर
11. अंश अधिपत्रों का रजिस्टर
12. लाभांशों का रजिस्टर
13. कार्यसूची का रजिस्टर

14. प्राक्सी रजिस्टर
15. पॉवर ऑफ एटॉर्नी का रजिस्टर
16. खोये हुए अंश प्रमाण पत्रों का रजिस्टर।

2.4 अंकेक्षण का अर्थ

अंकेक्षण खातों को तैयार करने एवं विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकों को बनाने में नियमों एवं नियमनों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। एक अंकेक्षण, अंकेक्षक के द्वारा त्रुटियों के सुधार, कपट या गड़बड़ियों का पता लगाने, यदि कोई हों, के लिए सम्पन्न किया जाता है। जहाँ तक संयुक्त कम्पनियों में अंकेक्षण का प्रश्न है, यह अंशधारियों को संरक्षण प्रदान करता है और व्यवसाय का सही एवं उचित चित्र प्रदान करता है, आइए, हम अंकेक्षण के प्रकारों को समझें :

1. वैधानिक अंकेक्षण
2. वैकल्पिक अंकेक्षण
3. विशेष अंकेक्षण

इस प्रकार, कुछ निश्चित दशाओं में अंकेक्षक कराना अनिवार्य है। इसे वैधानिक अंकेक्षण कहा जाता है। कम्पनी अधिनियम के अनुसार कम्पनियों के लिए चाहे वह सार्वजनिक हों या निजी, अंकेक्षण कराना अनिवार्य हैं, इनके खातों का अंकेक्षण एक योग्यता प्राप्त अंकेक्षक से कराना होता है। वैकल्पिक अंकेक्षण का आशय अपनी इच्छा से कराया गया अंकेक्षण है। कभी–कभी जब आपका व्यवसाय वैधानिक अंकेक्षण के अन्तर्गत नहीं आता है और आप कार्यक्षमता एवं अपनी संतुष्टि के लिए अंकेक्षण स्वयं कराते हैं, तो इसे वैकल्पिक अंकेक्षण कहा जाता है।

विशेष अंकेक्षण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसे विशेष दशाओं में कराया जाता है। केन्द्र सरकार निम्नांकित दशाओं में विशेष अंकेक्षण के लिए कह सकती है यदि उसका यह मत है कि (धारा 233 ए) :

(i) कम्पनी का व्यवसाय सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्वान्तों अथवा विवेकपूर्ण व्यावसायिक कार्य पद्धतियों से प्रबन्धित नहीं किया जा रहा है।

(ii) कम्पनी का प्रबन्धन इस ढंग से हो रहा है जिससे व्यापार, उद्योग अथवा व्यवसाय, जिससे वह सम्बन्धित है को गम्भीर हानि अथवा क्षति पहुॅचने की संभावना है।

(iii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति ऐसी है जो उसकी शोधनक्षमता के लिए हानिकारक है।

केन्द्र सरकार विशेष अंकेक्षण को सम्पन्न करने के लिए योग्यता प्राप्त अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकती है और यदि ऐसा होता है, तो इस प्रकार नियुक्त अंकेक्षक विशेष अंकेक्षक कहलाता है। विशेष अंकेक्षक के वही अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जो सामान्य दशाओं में कम्पनी अंकेक्षक के होते हैं। किन्तु इस दशा में, विशेष अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट कम्पनी के सदस्यों के स्थान पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है। यह उल्लेखनीय है कि विशेष अंकेक्षण को सम्पन्न करने का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसे सम्बन्धित कम्पनी के द्वारा भुगतान किया जाएगा।

अंकेक्षण की प्रकृति के अनुसार, इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

1. वित्तीय अंकेक्षण
2. लागत अंकेक्षण

वित्तीय अंकेक्षण पूर्व में उल्लिखित लेखा पुस्तकों के लिए किया जाता है जबकि लागत अंकेक्षण कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1959 के अन्तर्गत योग्यता प्राप्त लागत लेखाकार (जिसे सी0एम0ए0) कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। लागत अंकेक्षण वस्तु को निर्माणी, उत्पादन लागत को सामग्री, श्रम एवं अन्य व्ययों में उपयोग करने के सम्बन्ध में सत्यापन की प्रक्रिया है। लागत अंकेक्षक कम्पनी के संचालक मण्डल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अधिनियम के द्वारा लागत अंकेक्षण को उत्पादन, प्रक्रियन, विनिर्माण एवं खनन में संलग्न कुछ कम्पनियों के लिए अनिवार्य किया गया है। किन्तु, कम्पनियॉ अनिवार्य लागत अंकेक्षण करवा सकती है। इसी प्रकार जैसा कि पूर्व में समझाया गया है, एक विशेष अंकेक्षण तब भी कराया जा सकता है जब केन्द्र सरकार ऐसा कराया जाना अनुभव करती है।

कम्पनी मामलों के विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि एक लागत अंकेक्षक को उसी अवधि के लिए समान कम्पनी का आन्तरिक अंकेक्षक नहीं होना चाहिए क्योंकि लागत अंकेक्षक को आन्तरिक अंकेक्षण के क्षेत्र एवं प्रदर्शन पर रिर्पोट या आख्या करना आवश्यक होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक लागत अंकेक्षण कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1959 के अर्थ में एक लागत लेखाकार के द्वारा कराया जाता है। एक लागत लेखाकार अथवा लागत लेखाकारों की एक फर्म को लागत अंकेक्षकों की तरह नियुक्त किया जा सकता है।

निम्नांकित को लागत अंकेक्षक की तरह नियुक्ति हेतु अयोग्य ठहराया गया है :

1. एक निगमित निकाय।
2. कम्पनी का एक अधिकारी या कर्मचारी।
3. एक व्यक्ति जो कम्पनी का रु0 1000 से अधिक का ऋणी हो।
4. एक व्यक्ति जो कम्पनी का साझेदार है या जो कम्पनी में एक अधिकारी अथवा कर्मचारी की तरह रोजगार में है।
5. एक व्यक्ति जो कम्पनी की सहायक अथवा सूत्रधारी कम्पनी या सूत्रधारी की अन्य सहायक कम्पनी के लागत अंकेक्षक होने के अयोग्य है।
6. एक व्यक्ति जो एक लागत अंकेक्षण नियुक्त हुआ हो किन्तु बाद में अयोग्य हो गया हो।

2.4.1 अंकेक्षण को आयोजित करने के उद्देश्य

एक अंकेक्षण को आयोजित करने के उद्देश्य निम्नांकित हैं :

1. वैधानिक अंकेक्षण के आयोजन की अधिनियम की आवश्यकता को पूर्ण करना।
2. लेखा पुस्तकों पर निरीक्षण बनाए रखना।
3. अधिनियम के अनुसार नियमों एवं विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. कम्पनी के अंशधारियों एवं बाहय व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करना।

5. कम्पनी के प्रति समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों में विश्वास में अभिवृद्धि करना।
6. जान बूझकर न की गयी त्रुटियों का सुधार करना।
7. कपट एवं गड़बड़ियों का पता लगाना।
8. समस्त निदेशकों एवं सदस्यों की संतुष्टि को बढ़ाना।
9. अभिलेखों में परिशुद्धता एवं संगति को बनाए रखना।
10. विस्तृत वार्षिक विश्लेषण का प्रबन्ध करना।
11. कम्पनी के लिए सुधारात्मक उपायों, यदि कोई हो, का सुझाव देना।
12. निश्चित तिथि को कम्पनी की सही एवं उचित स्थिति प्रदर्शित करना।

2.4.2 अंकेक्षक की नियुक्ति

जैसा कि हम जानते हैं कि एक अंकेक्षण एक अंकेक्षक के द्वारा सम्पन्न किया जाता है और इस प्रकार अंकेक्षक की नियुक्ति आवश्यक है। अंकेक्षकों की नियुक्ति संचालक मण्डल के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा एवं केन्द्र सरकार के द्वारा, स्थितियों को देखते हुए, की जाती है।

2.4.2.1 अंकेक्षक की योग्यताऐं एवं अयोग्यताऐं

योग्यता का अर्थ है कम्पनी के अंकेक्षक होने के लिए आवश्यक वैधानिक आवश्यकताऐं और अयोग्यताऐं उपरोक्त के विपरीत होती हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 226 कम्पनी अंकेक्षक की योग्यताओं एवं अयोग्यताओं को परिभाषित करती है। धारा 226(1) कहती है कि एक व्यक्ति तब तक एक अंकेक्षक के रुप में योग्य नहीं होगा जब तक कि वह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नहीं है, जहॉ तक वित्तीय अंकेक्षण का सम्बन्ध है। (यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक लागत अंकेक्षक या कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स की एक फर्म को भी अंकेक्षकों की तरह नियुक्त किया जा सकता है।

निम्नांकित को एक अंकेक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाता है:

1. एक निगमित निकाय।
2. कम्पनी का एक अधिकारी या कर्मचारी।
3. एक व्यक्ति जो कम्पनी का रु0 1000 से अधिक का ऋणी हो।
4. एक व्यक्ति जिसने कम्पनी को किसी तृतीय पक्ष की ऋणग्रस्तता जो रु0 1000 रु0 से अधिक हो के लिए कोई गारन्टी या प्रतिभूति प्रदान की हो।
5. एक निजी कम्पनी के संचालक या सदस्य के रुप में कोई व्यक्ति।
6. एक व्यक्ति जो किसी ऐसे विलेख का धारक है, जिसमें कम्पनी के मताधिकार हैं।
7. यदि नियुक्ति के पश्चात एक व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, तो वह धारा 224(5) के अनुसार सामान्य सभा में अपना पद तत्काल छोड़ा हुआ माना जाएगा।

2.4.2.2 प्रथम अंकेक्षक

प्रथम अंकेक्षकों की नियुक्ति संचालक मण्डल के द्वारा कम्पनी के समामेलन के एक माह की निर्धारित समय सीमा में की जाती है। यह अंकेक्षक प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं, यदि वार्षिक साधारण सभा

से पूर्व कोई साधारण सभा आयोजित नहीं की गयी है। यदि संचालक मण्डल प्रथम अंकेक्षकों की नियुक्ति में असफल रहतें हैं, तो कम्पनी अपनी सामान्य सभा में अंकेक्षकों की नियुक्ति कर सकती हैं।

2.4.2.3 परिवर्ती (बाद के) अंकेक्षक

परिवर्ती अंकेक्षक एक साधारण प्रस्ताव के द्वारा प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में नियुक्त किए जाऐंगें। परिवर्ती अंकेक्षकों का अर्थ है प्रथम अंकेक्षकों के पश्चात अंकेक्षकों की नियुक्ति, कम्पनी को अनिवार्यः 7 दिन के अनदर सभी नियुक्त किए गए अंकेक्षकों को सूचित करना होगा, धारा 224 (आई0 ए0) यह आवश्यक करती है किइस प्रकार नियुक्त अंकेक्षक 30 दिन के अन्दर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति रजिस्ट्रार को सम्प्रेषित करेंगे। जब किन्ही कारणों से अंकेक्षकों की नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में नहीं की जाती है, तब कम्पनी नियुक्ति में इस असफलता को सरकार को 7 दिनों के अंदर सूचित करेगी, अंकेक्षकों की नियुक्ति के इस अन्तराल को केन्द्र सरकार अंकेक्षक नियुक्त कर भर सकती है।

2.4.2.4 आकस्मिक रिक्ति

यदि अन्तराल आकस्मिक रिक्ति के कारण हुआ है, तो संचालक मण्डल इस रिक्ति को भर सकते हैं। अंकेक्षकों के त्यागपत्र की दशा में कम्पनी के द्वारा रिक्ति को केवल साधारण सभा में ही भरा जा सकेगा।

2.4.2.4 नियुक्ति की अवधि

अंकेक्षक एक वार्षिक साधारण सभा से आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक के लिए नियुक्त किए जाते है। यदि एक वार्षिक साधारण सभा स्थगित कर दी जाती है तो अंकेक्षक की कार्यावधि स्थगित की गयी सभा की समाप्ति तक विस्तारित मानी जाएगी। (धारा 224 (i))

2.4.2.6 अंकेक्षक की पुर्ननियुक्ति

पुर्ननियुक्ति एक अधिवर्षता (रिटायरिंग) पर जाने वाले अंकेक्षक को कार्याविधि प्रदान करने के लिए की जाती है। धारा 224 (ii) यह व्यवस्था करती है कि एक रिटायर होने वाला अंकेक्षक, चाहे उसे किसी भी प्राधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया है, को निम्नांकित परिस्थितियों के अतिरिक्त ही नियुक्त किया जा सकेगाः

1. जब अंकेक्षक पुर्ननियुक्ति के लिए अयोग्य हो।
2. जब अंकेक्षक ने कम्पनी को पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी अनिच्छा संसूचित कर दी हो।
3. जब पूर्व अंकेक्षक के स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त करने का प्रस्ताव सभा में पारित हो गया हो।
4. तब मृत्यु, अक्षमता अथवा अयोग्यता के कारणों से तथा अधिवर्षता पर जाने वाले अंकेक्षक के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्ति देने के लिए जानबूझकर लाए गए प्रस्ताव का नोटिस दिया गया हो।
5. जब नियुक्ति की तिथि को अंकेक्षक निर्धारित कम्पनियों की सीमा से अधिक का अंकेक्षण कार्य धारित करता हो।

6. जब कम्पनी की 25 प्रतिशत या अधिक आवेदित पूंजी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओ/सरकारी कम्पनी अथवा दोनों ने सम्मिश्रण के द्वारा धारित की गयी हो, जब तक कि रिटायर होने वाला अंकेक्षक कम्पनी के विशेष प्रस्ताव से नियुक्त न किया गया हो।

2.4.2.7 विशेष प्रस्ताव द्वारा नियुक्ति

अंकेक्षक की नियुक्ति केवल विशेष प्रस्ताव के द्वारा तब की जाएगी जब 25 प्रतिशत या अधिक अंश पूँजी संयुक्त अथवा पृथक रुप से निम्नांकित के द्वारा धारित की जाएगी :

1. एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या केन्द्रीय सरकार की कम्पनी या राज्य सरकार की कम्पनी अथवा दोनों के सम्मिश्रण से; अथवा
2. राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्था जिसमें राज्य सरकार आवेदित पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत धारित करती है या
3. एक राष्ट्रीयकृत बैंक या एक बीमा कम्पनी जो सामान्य बीमा व्यवसाय में संलग्न हो।

2.4.2.8 केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्ति

जहाँ वार्षिक साधारण सभा में कोई भी अंकेक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त न किया गया हो, तो केन्द्र सरकार रिक्ति की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। कम्पनी सभा के 7 दिन के भीतर यह तथ्य केन्द्र सरकार को सूचित करने के लिए उत्तरदायी है। (धारा 224 (3))

2.4.2.9 अंकेक्षण की सर्वाधिक सीमा

अंकेक्षण की सर्वाधिक सीमा को धारा 224 (आई0बी0) में निम्नवत निर्धारित किया गया है :

1. जहाँ कम्पनी की चुकता अंश पूँजी रू 25 लाख से कम है, एक फर्म या एक व्यक्ति ऐसी 20 कम्पनियों का अंकेक्षण कर सकता है।
2. जहाँ कम्पनी की चुकता अंश पूँजी रू 25 लाख या उस से अधिक है, एक फर्म या एक व्यक्ति ऐसी 10 कम्पनियों का अंकेक्षण कर सकता है और अन्य 10 कम्पनियों की चुकता पूँजी रू 25 लाख से कम होगी। इस प्रकार एक फर्म या व्यक्ति अधिकतम 20 सार्वजनिक कम्पनियों का अंकेक्षक हो सकता है और साथ ही जितनी निजी कम्पनियों का वह चाहे, तो अंकेक्षक हो सकता है। (संशोधन 2000)

2.4.2.10 एक अंकेक्षक के अधिकार और दायित्व

कम्पनी के प्रत्येक अंकेक्षक को कम्पनी की लेखा पुस्तकों और वाउचरों तक पहुँच का अधिकार है, चाहे वह कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में या कहीं अन्य स्थान पर रखी हों। एक अंकेक्षक लेखा पुस्तकों, खातों का निरीक्षण कर सकता है, नोटिस प्राप्त कर सकता है, साधारण सभा में उपस्थित रह सकता है, उसे पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है और सूचनायें प्राप्त करने का अधिकार है। एक अंकेक्षक कम्पनी के अधिकारियों से ऐसी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकारी है, जो वह

अंकेक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझता है और अन्य मामलों में निम्नांकित की जांच/पूछताछ कर सकता है :

(अ) क्या कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम प्रतिभूति के आधार पर उचित रूप में सुरक्षित हैं और क्या वह शर्ते जिन पर वह दिये गए हैं कम्पनी या उसके सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं ?

(ब) क्या उसके मतानुसार कम्पनी के द्वारा विधि के अनुसार आवश्यक लेखे की पुस्तकें रखी गयी है जहाँ तक उसके द्वारा, उन पुस्तकों और उचित विवरणों जो अंकेक्षण के उद्देश्य से पर्याप्त हैं, उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें उसके द्वारा भ्रमण नहीं किया गया है, और जो उनके परीक्षण से प्रकट होता है?

(स) क्या कम्पनी के अंकेक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपधारा (8) के अन्तर्गत कम्पनी की किसी शाखा के खातों के अंकेक्षण की रिपोर्ट उपरोक्त उपधारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे भेजी गयी है या वह ढंग जो उसने रिपोर्ट को बनाने में अपनाया है?

(द) क्या कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ और हानिखाता, जिसे रिपोर्ट में व्यवहृत किया गया है, लेखा पुस्तकों एवं विवरणियों से मेल खाता है?

(य) क्या उसके मत में, वित्तीय विवरण लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है?

(र) वित्तीय लेन–देनों अथवा ऐसे मामले जिनका कम्पनी के कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव हुआ है, पर अंकेक्षक की टिप्पणियाँ एवं अवलोकन;

(ल) क्या किसी संचालक को संचालक नियुक्त होने के अयोग्य किया गया है;

(व) खातों के रखरखाव और उनसे संबंधित अन्य मामलों के सम्बन्ध में मर्यादित आख्या, असहमति अथवा विपरीत टिप्पणी।

भारत का कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा और ऐसे अंकेक्षक को वह ढंग जिसमें सरकारी कम्पनी के खातों का अंकेक्षण किया जाना है, निर्देशित करेगा और उस पर इस प्रकार नियुक्त अंकेक्षक भारत के कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल को ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल के द्वारा प्रदत्त निर्देश, यदि कोई हो, उन पर कृत कार्यवाही और कम्पनी के लेखे एवं वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव का समावेश होगा।

2.4.2.11 पारिश्रमिक एवं पदच्युत किया जाना

पारिश्रमिक का अर्थ है एक अंकेक्षक को उसके द्वारा अंकेक्षण कर्तव्यों के निर्वहन हेतु धनराशि का भुगतान। अंकेक्षक का पारिश्रमिक निम्नांकित शर्तो के अधीन होता है :

(अ) संचालक मंडल या केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक की दशा में, उसका पारिश्रमिक संचालक मंडल या केन्द्र सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा।

(ब) क्या कम्पनी के लेन–देन, जो कि केवल पुस्तकीय प्रविष्टियों के द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए है, कम्पनी के हितों के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित है?

(स) जहाँ कम्पनी एक विनियोग कम्पनी या बैंकिंग कम्पनी नहीं है, क्या कम्पनी की बहुत सी सम्पत्तियाँ, जिनमें अंश, ऋणपत्र और अन्य प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं, क्या उस मूल्य से कम पर विक्रय की गयी हैं, जिन पर कम्पनी ने उन्हें क्रय किया था।

(द) क्या कम्पनी के ऋण एवं अग्रिमों को जमाओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है ?

(य) क्या व्यक्तिगत व्ययों को रेवेन्यू (आगम) खाते से चार्ज किया गया है?

(र) जहाँ कम्पनी की पुस्तकों एवं प्रलेखों में यह उल्लिखित है कि कोई अंश नकदी के सापेक्ष आबंटित है, क्या ऐसे आबंटन पर नकद धनराशि वास्तव में प्राप्त की गयी है, और यदि कोई नकद धनराशि वास्तव में प्राप्त नहीं की गयी है, तो क्या लेखे की पुस्तकों एवं आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित स्थिति सही, नियमित एवं भ्रमपूर्ण नही है; बशर्ते कि सूत्रधारी कम्पनी के अंकेक्षक को इसकी समस्त सहायक कम्पनियों के अभिलेखों तक पहुँचने का अधिकार होगा, जहाँ तक इसका सम्बन्ध सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों के एकीकरण से है?

अंकेक्षक स्वयं द्वारा परीक्षित खातों और समस्त वित्तीय विवरणों जो आवश्यक हैं या जिनहें अधिनियम के अनुसार साधारण सभा के समक्ष रखना आवश्यक किया गया है, के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट कम्पनी के सदस्यों को प्रस्तुत करेगा और इस रिपोर्ट में इस अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं अंकेक्षण मानकों और ऐसे मामले जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना चाहिए, को ध्यान में रखेगा। अंकेक्षक उन वित्तीय विवरणों को देखेगा जो वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की स्थिति तथा लाभ हानि और वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं और अन्य ऐसे मामले भी विचार में लेगा जो उसे सन्दर्भित किए जा सकते है।

अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्नांकित का भी उल्लेख होगा :

(अ) क्या उसके द्वारा वह समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए है, जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उसके द्वारा किए गए अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे और यदि नहीं, तो उसका विवरण और वित्तीय विवरणों पर ऐसी सूचनाओं का प्रभाव निर्धारित होगा।

(ब) ऐसी दशा में जबकि अंकेक्षक की नियुक्ति कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल के द्वारा की गयी है, पारिश्रमिक कम्पनी के द्वारा साधारण सभा में निश्चित किया जाएगा;

(स) अन्य दशाओं में, पारिश्रमिक कम्पनी के द्वारा साधारण सभा में इस ढंग से निर्धारित होगा, जो कम्पनी साधारण सभा में निर्धारित कर सकती है।

प्रिय विद्यार्थी, अब आप यह समझ गए होंगे कि अंकेक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनके कर्तव्य एवं दायित्व क्या हैं?

अब प्रश्न यह है कि क्या अंकेक्षकों को उनके पद से हटाया जा सकता है? अथवा क्या उनका पद रिक्त किया जा सकता है? हम जानते हैं कि संचालक मण्डल,

कम्पनी या केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक अपनी स्थिति को आगामी साधारण सभा की समाप्ति तक धारित करते हैं। किन्तु यह जानना महत्वपूर्ण है कि उन्हें पदच्युतया पद से इस अवधि से पूर्व हटाया भी जा सकता है।

परिवर्ती अंकेक्षकों को कम्पनी के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर पदच्युत किया जा सकता है। प्रथम अंकेक्षकों को केन्द्रसरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही सामान्य सभा के आयोजन द्वारा हटाया जा सकता है।

ऐसी अनेक निश्चित स्थितियाँ हैं जहाँ पद की रिक्ति अंकेक्षकों के त्यागपत्र से उत्पन्न हो सकती है। अंकेक्षक किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र देकर अपने पद को रिक्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिंदु महत्वपूर्ण है :

1. त्यागपत्र से उत्पन्न अंकेक्षक की रिक्ति को कम्पनी केवल साधारण सभा के द्वारा पूरित कर सकती है। इस दशा में संचालक मण्डल को ऐसी रिक्ति को भरने का अधिकार नहीं है।
2. रिक्ति की स्थिति, जब तक पूरित न हो, पर अवशेष अंकेक्षक यदि कोई हों, कार्य कर सकते है;
3. यदि त्यागपत्र के कारण उत्पन्न आकास्मिक रिक्ति को भरने के लिए नए अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, तो अंकेक्षक अपने पद को आगामी वार्षिक साधारण सीाा तक धारित करेगा।

2.5 सारांश

'लेखा' शब्द का आशय कम्पनी के द्वारा रखरखाव की जाने वाली लेखा पुस्तकों से है। कम्पनी अधिनियम की धारा 209 वित्तीय लेखों की उचित पुस्तकों अर्थात आर्थिक चिट्ठा और लाभ एवं हानि खाता, जिन्हें महत्वपूर्ण लेखापुस्तकें कहा जाता है, को रखा जाना अनिवार्य करती है। उत्पादन, प्रक्रियन, खनन एवं विनिर्माण में संलग्न कम्पनियों को सामग्री, श्रम एवं अन्य व्ययों के उपयोग के सम्बन्ध में समुचित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है। ऐसी लेखा पुस्तकें कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय पर रखी जाती हैं। कम्पनी की लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी व्यक्ति –(i) प्रबंध संचालक या कम्पनी का प्रबंधक यदि कोई हो और (ii) जहाँ कम्पनी में न तो प्रबंध संचालक है और न ही प्रबंधक हो, तो कम्पनी का प्रत्येक संचालक, होता है।

इसके अतिरिक्त उत्तरदायी व्यक्ति, जैसा कि धारा 240(6) में परिभाषित है, बैंकर्स, अंकेक्षक विधिक सलाहकार को छोड़कर कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी और एजेन्ट हैं। लेखा पुस्तकों को अन्य महत्वपूर्ण प्रलेखों के साथ कम्पनी के किसी भी संचालक के द्वारा व्यावसायिक समय में किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है। धारा 209(अ) इस बात पर जोर देती है कि यह लेखा पुस्तकें निरीक्षण के लिए सामान्य व्यावसायिक घण्टों में खुली रहेंगी। लेखे की उचित पुस्तकों को प्रत्येक कम्पनी के द्वारा लगातार 8 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है। इस उद्देश्य से लेखा पुस्तकें ही नहीं बल्कि सम्बन्धित वाउचरों को भी उपलब्ध करया जाना चाहिए।

धारा 215 में यह व्यवस्था है कि बैंकिंग कम्पनी को छोड़कर सभी कम्पनियों के खाते को प्रबन्धक या सचिव के द्वारा संचालक मंडल की ओर से हस्ताक्षरित किया जायेगा। इसे न्यूनतम दो संचालकों, जिनमें से एक को प्रबंध संचालक होना चाहिए

यदि कोई हो के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। संचालक मंडल को वार्षिक साधारण सभा में निम्नांकित प्रलेख पुस्तुत करने होंगे अर्थात आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि खाता और संचालक मंडल की रिपोर्ट।

आर्थिक चिट्ठे, लाभ और हानि खाते, अंकेक्षक की रिपोर्ट और संचालक की रिपोर्ट की एक प्रति, जिसे वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है, को वार्षिक साधारण सभा की तिथि से न्यूनतम 21 दिन पूर्व कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को परिचारित किया जाना चाहिए। ऋणपत्रो के ट्रस्टी को भी इसे परिचारित किया जाना चाहिए। (धारा 219(i))

इस प्रकार तैयार किए गए एवं सत्यापित लेखा पुस्तकों को 3 प्रतियों में कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास जमा करना आवश्यक है।वैधानिक पुस्तकें रजिस्टरों एवं अन्य पुस्तकों के प्रारूप में तैयार की जाती हैं, जो अत्यन्त महत्व की होती हैं। कम्पनी का यह वैधानिक दायित्व होता है कि वह इन वैधानिक पुस्तकों को अपने पास रखे एवं इनका रखरखाव करें।अंकेक्षण खातों को तैयार करने एवं विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकों को बनाने में नियमों एवं नियमनों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। एक अंकेक्षण, अंकेक्षक के द्वारा त्रुटियों के सुधार, कपट या गड़बड़ियों का पता लगाने, यदि कोई हों, के लिए सम्पन्न किया जाता है। जहाँ तक संयुक्त कम्पनियों में अंकेक्षण का प्रश्न है, यह अंशधारियों को संरक्षण प्रदान करता है और व्यवसाय का सही एवं उचित चित्र प्रदान करता है, । अंकेक्षण के प्रकार हैं :

1. वैधानिक अंकेक्षण
2. वैकल्पिक अंकेक्षण
3. विशेष अंकेक्षण

प्रथम अंकेक्षकों की नियुक्ति संचालक मण्डल के द्वारा कम्पनी के समामेलन के एक माह की निर्धारित समय सीमा में की जाती है। यह अंकेक्षक प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं, यदि वार्षिक साधारण सभा से पूर्व कोई साधारण सभा आयोजित नहीं की गयी है। यदि संचालक मण्डल प्रथम अंकेक्षकों की नियुक्ति में असफल रहतें हैं, तो कम्पनी अपनी सामान्य सभा में अंकेक्षकों की नियुक्ति कर सकती हैं।

परिवर्ती अंकेक्षक एक साधारण प्रस्ताव के द्वारा प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में नियुक्त किए जाऐंगें। परिवर्ती अंकेक्षकों का अर्थ है प्रथम अंकेक्षकों के पश्चात अंकेक्षकों की नियुक्ति, कम्पनी को अनिवार्यः 7 दिन के अन्दर सभी नियुक्त किए गए अंकेक्षकों को सूचित करना होगा, धारा 224 (आई0 ए0) यह आवश्यक करती है कि इस प्रकार नियुक्त अंकेक्षक 30 दिन के अन्दर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति रजिस्ट्रार को सम्प्रेषित करेंगे। जब किन्ही कारणों से अंकेक्षकों की नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में नहीं की जाती है, तब कम्पनी नियुक्ति में इस असफलता को सरकार को 7 दिनों के अंदर सूचित करेगी, अंकेक्षकों की नियुक्ति के इस अन्तराल को केन्द्र सरकार अंकेक्षक नियुक्त कर भर सकती है।

यदि अन्तराल आकस्मिक रिक्ति के कारण हुआ है, तो संचालकमण्डल इस रिक्ति को भर सकते हैं। अंकेक्षकों के त्यागपत्र की दशा में कम्पनी के द्वारा रिक्ति को

केवल साधारण सभा में ही भरा जा सकेगा। अंकेक्षक एक वार्षिक साधारण सभा से आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक के लिए नियुक्त किए जाते है। यदि एक वार्षिक साधारण सभा स्थगित कर दी जाती है तो अंकेक्षक की कार्यावधि स्थगित की गयी सभा की समाप्ति तक विस्तारित मानी जाएगी। (धारा 224 (i))

अंकेक्षक की नियुक्ति केवल विशेष प्रस्ताव के द्वारा तब की जाएगी जब 25 प्रतिशत या अधिक अंश पूँजी संयुक्त अथवा पृथक रुप से निम्नांकित के द्वारा धारित की जाएगी :

1. एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या केन्द्रीय सरकार की कम्पनी या राज्य सरकार की कम्पनी अथवा दोनों के सम्मिश्रण से; अथवा
2. राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्था जिसमें राज्य सरकार आवेदित पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत धारित करती है या
3. एक राष्ट्रीयकृत बैंक या एक बीमा कम्पनी जो सामान्य बीमा व्यवसाय में संलग्न हो।

जहाँ वार्षिक साधारण सभा में कोई भी अंकेक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त न किया गया हो, तो केन्द्र सरकार रिक्ति की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। कम्पनी सभा के 7 दिन के भीतर यह तथ्य केन्द्र सरकार को सूचित करने के लिए उत्तरदायी है। (धारा 224 (3))

अंकेक्षण की सर्वाधिक सीमा को धारा 224 (आई0बी0) में निम्नवत निर्धारित किया गया है :

1. जहाँ कम्पनी की चुकता अंश पूँजी रू 25 लाख से कम है, एक फर्म या एक व्यक्ति ऐसी 20 कम्पनियों का अंकेक्षण कर सकता है ।
2. जहाँ कम्पनी की चुकता अंश पूँजी रू 25 लाख या उस से अधिक है, एक फर्म या एक व्यक्ति ऐसी 10 कम्पनियों का अंकेक्षण कर सकता है और अन्य 10 कम्पनियों की चुकता पूँजी रू 25 लाख से कम होगी। इस प्रकार एक फर्म या व्यक्ति अधिकतम 20 सार्वजनिक कम्पनियों का अंकेक्षक हो सकता है और साथ ही जितनी निजी कम्पनियों का वह चाहे, तो अंकेक्षक हो सकता है। (संशोधन 2000)

2.6 शब्दवाली

'वार्षिक लेखे'– शब्द का प्रयोग लेखांकन विवरणों अर्थात आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ–हानि खाता/आय और व्यय खातेके लिए किया जाता है जो अनिवार्यतः तैयार किए जाते हैं।

पारिश्रमिक–का आशय एक अंकेक्षक को उसके द्वारा अंकेक्षण कर्तव्यों के निर्वहन हेतु धनराशि का भुगतान करना है।

वित्तीय अंकेक्षण– पूर्व में उल्लिखित लेखा पुस्तकों के लिए किया जाता है ।

लागत अंकेक्षण– वस्तु की निर्माणी, उत्पादन लागत को सामग्री, श्रम एवं अन्य व्ययों में उपयोग करने के सम्बन्ध में सत्यापन की प्रक्रिया है।

वैकल्पिक अंकेक्षण – का आशय अपनी इच्छा से कराया गया अंकेक्षण है।

सेबी (SEBI)– प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड,
अधिवर्षता –रिटायरिंग,
सी0एम0ए0– योग्यता प्राप्त लागत लेखाकार या चार्टर्ड मैनेजमैन्ट एकाउन्टेंन्ट ,

2.7 बोध प्रश्न

सत्य अथवा असत्य बताइये।

1. कम्पनी अधिनियम 1956 प्रत्येक कम्पनी के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह अपने कार्यालय में लेखा पुस्तकों का रखरखाव करे।
2. कम्पनी अधिनियम की धारा 209 समुचित पुस्तकों के रखे जाने को अनिवार्य बनाती है।
3. जहाँ कम्पनी की चुकता अंश पूँजी रू 25 लाख से कम है, एक फर्म या एक व्यक्ति ऐसी 10 कम्पनियों का अंकेक्षण कर सकता है।
4. गैर लाभ अर्जनकारी कम्पनियाँ आय एवं व्यय खाते बनाती हैं, लाभ – हानि खाते नहीं।
5. प्रथम अंकेक्षकों को केन्द्रसरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही सामान्य सभा के आयोजन द्वारा हटाया जा सकता है।
6. अंकेक्षक किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र देकर अपने पद को रिक्त कर सकता है।
7. सदस्यों का रजिस्टर एवं ऋणपत्रों का रजिस्टर वैधानिक पुस्तकें नहीं हैं।
8. एक लागत अंकेक्षक या कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स की एक फर्म को भी अंकेक्षकों की तरह नियुक्त किया जा सकता है।

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. सत्य 5 सत्य 6. सत्य 7. असत्य 8. सत्य

2.9 स्वपरख प्रश्न

1. कम्पनी द्वारा किस प्रकार की पुस्तकें रखी जाती हैं?
2. लेखा पुस्तकों से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान कौन से हैं?
3. अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? अंकेक्षण करने के लिए कौन योग्य हैं?
4. हम प्रथम अंकेक्षक, परवर्ती अंकेक्षक और आकस्मिक अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे करते हैं?
5. अंकेक्षकों की पदच्युति एवं त्यागपत्र पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों को समझाइए?

2.10 संदर्भ पुस्तकें

1. एन0डी0 कपूर, कम्पनी लॉ, सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
2. एस0सी0 अग्रवाल, कम्पनी लॉ, धनपत राय पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. एस0के0 अग्रवाल, बिजनेस लॉ, गलगोटिया पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
4. के0आर0 बालचन्द्री, बिजनेस लॉ फॉर मैनेजमेन्ट, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. एस0एस0 गुलशन एण्ड जी0के कपूर, बिजनेस लॉ, न्यू ऐज इण्टरनेशनल पब्लशर्स नई दिल्ली।
6. एस0सी0 पुच्छल, मर्केन्टाइल लॉ, विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।

इकाई 3 निगमीय शासन प्रणाली / नियमन (Corporate Governance)

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना
3.2 निगमीय शासन प्रणाली से आशय
3.2.1 वैश्विक स्तर पर निगमीय शासन प्रणाली का विकास
3.2.2 भारत में निगमीय शासन प्रणाली का विकास
3.3 निगमीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषतायें
3.4 निगमीय शासन प्रणाली के संघटक
3.5 निगमीय शासन प्रणाली के सिद्धान्त
3.5.1 OECD सिद्धान्त
3.6 निगमीय शासन प्रणाली के लाभ
3.7 निगमीय शासन प्रणाली – दिशा निर्देश
3.7.1 सूचीकृत अनुबन्ध के सम्बन्ध में सेबी की धारा 49
3.7.2 निगमीय शासन प्रणाली दिशा निर्देश 2009
3.8 सारांश
3.9 शब्दावली
3.10 बोध प्रश्न
3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
3.12 स्वपरख प्रश्न
3.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उददेश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- निगमीय शासन प्रणाली के आशय की व्याख्या कर सकें।
- भारत एवं विदेशों में इसके विकास का अनुसंधान का विश्लेषण कर सकें।
- निगमीय क्षेत्रों में इसकी भूमिका की व्याख्या कर सकें।
- इसकी विशेषताओं एवं सिद्धान्तों का अध्ययन कर सकें।
- OECD मानदण्डों का अध्ययन कर सकें।
- निगमीय शासन प्रणाली के लाभों का मूल्यांकन कर सकें।

3.1 प्रस्तावना

निगमीय शासन प्रणाली निगमीय क्षेत्र में सकारात्मक रूख का प्रभाव रखने वाली अपेक्षाकृत एक नवीन विचारधारा है। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक शासन प्रणाली को अनदेखा नहीं किया जा सकता । परन्तु हम यहां केवल निगमीय शासन प्रणाली का ही अध्ययन करेंगे। निगमीय शासन प्रणाली विकास अवस्था की आवश्यकता है जो आने वाले वर्षों में और भी सशक्त होगी।

वैश्विक वित्तीय संकटकाल के प्रारम्भ में ही यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि संचालक मंडल अल्पकालीन वित्तीय के अतिरिक्त भी नीतिगत रूप से यथावत

आवश्यक सूचनायें रखें। कम्पनियों को जनता एवं वातावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के आकस्मिक जोखिम से निपटने के लिए विशिष्ट रीतियों से व्यवहार करना चाहिए। इससे अंशधारियों की अंश सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तथा व्यावसायिक अवसरों को भी सुगमता से प्राप्त किया जा सकेगा। मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधी के माध्यम से नवीन मूल्य स्थापित किये गये जिससे संचालक मंडल एवं प्रबन्ध की जवाबदेही अंशधारियों के प्रति स्पष्ट हो।

3.2 निगमीय शासन प्रणाली एवं इसका अर्थ

निगमीय शासन प्रणाली शब्द का अर्थ निगमीय क्षेत्र में अच्छी शासन प्रणाली से है। इसमें कम्पनी पर उचित, स्वच्छ एवं निष्पक्ष विधि से नियन्त्रण उपाय लागू किया जाना सम्मिलित है। इस दृष्टि से यह स्वामित्व संचालक मंडल, प्रबन्ध एवं अंशधारियों आदि से सम्बन्धित नियमों में भी व्यवहार करता है। निगमीय शासन प्रणाली के माध्मय से अंशधारी एवं लेनदार, कम्पनी एवं वित्तीय बाजार, निगम एवं अन्य संस्थान, कम्पनी एवं कर्मचारियों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन भी किया जाता है। निगमीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ऐसे सभी बिन्दु जिनसे संस्कृति एवं पर्यावरण प्रभावित होता है तथा निगमीय संचालन से सम्बद्ध है, को भी सम्मिलित किया जाता है।

प्रो0 Wolfen Sohn ने निगमीय शासन प्रणाली को परिभाषित करते हुए कहा – ''निगमीय स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेयता निगमीय शासन प्रणाली में विकसित होते हैं।''

Sir Adrxain Cadbury के शब्दों में, ''निगमीय शासन प्रणाली आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों के मध्य तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने से सम्बद्ध है।''

निगमीय शासन प्रणाली का अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है –

1. संकुचित अर्थ में
2. व्यापक अर्थ में

संकुचित अर्थ में, निगमीय शासन प्रणाली में कम्पनी प्रबन्ध, इसके अंशधारी, अंकेक्षक एवं अन्य पक्षकार आदि के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन सम्मिलित होता है। इन दिशा निर्देशों के आधार पर मूल अवसंरचना एवं पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों के सम्बन्ध में नियम निर्माण किये जाते हैं तथा कम्पनियों के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं तथा संचालनीय क्रियाओं के दौरान निगरानी एवं नियन्त्रण भी रखा जाता है। अतः अच्छी निगमीय शासन प्रणाली के प्रमुख तत्वों में निगमीय अवसंरचना एवं संचालनीय पारदर्शिता, प्रबन्धकों की जवाबदेही एवं सम्बन्धित हित धारकों के प्रति संचालकों एवं अंशधारियों का उत्तरदायित्व सम्मिलित होते हैं।

व्यापक अर्थों में, निगमीय शासन प्रणाली का अर्थ कम्पपनी एवं कम्पनी के बाह्य पूंजी प्रदाताओं के मध्य दीर्घकालीन विश्वास निर्मित करना है। इस अर्थ में निगमीय शासन प्रणाली आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत सामूहिक लक्ष्यों के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य करती है। शासन प्रणाली का ढांचा संसाधनों के सर्वोत्तम प्रभावशाली उपयोग के आधार पर कार्य करता है साथ ही उन

संसाधनों प्रबन्धन सम्बन्धी जवाबदेही भी निर्धारित करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक हित के साथ निगमीय उद्देश्यों की प्राप्ति है।

इसके माध्यम से निष्पक्षता, सत्यता एवं स्वच्छता के लिए सभी सम्बन्धित पक्षकारों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। शासन प्रणाली का अर्थ ही समस्त हितधारकों के हित की सुरक्षा है। इस दृष्टि से निगमीय शासन प्रणाली की प्रमुख शब्दावली में केन्द्रित दृष्टिकोण, सत्य चित्र, उद्घोषणा, पारदर्शिता, सहभागिता, जवाबदेयता, दक्षता एवं कुशलता तथा सर्वोपरि हितधारकों की सन्तुष्टि है।

धारा 49 के अनुसार निगमीय शासन प्रणाली का प्रयोग प्रतिभूति बाजार में अंशों के सूचीयन में भी है। यह सुनिश्चित करती है कि इस सम्बन्ध में बनाये गये निगमीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन हो किसी भी नियम के उल्लंघन की दशा में कम्पनी के अंश तत्काल प्रभाव से असूचीकृत किये जा सकते हैं। यद्यपि कम्पनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधान अंशधारियों के अधिकार, संचालक मंडल के उत्तरदायित्व, संवैधानिक लेखा पुस्तकों, अंशधारियों की हित सुरक्षा, धोखाधड़ी का पता लगाना एवं रोकथाम आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से केन्द्रित हैं परन्तु भूतकाल में हुए हर्षद मेहता, एम0एस0 शूज, सत्यम कम्पनी आदि घोटालों के दृष्टिगत एक अच्छी सशक्त निगमीय शासन प्रणाली की आवश्यकता अनुभव होती है।

सम्पूर्ण विश्व में जनसंख्या एवं विकास आवश्यकताओं के आधार पर कम्पनियों का निर्माण अभूतपूर्व गति से हो रहा है। प्रतियोगिता के इस युग में स्थिरता के लिए हित धारकों का सहयोग एवं सर्वोत्तम शासन प्रणाली व्यवहार, नियंत्रण आवश्यक है। कम्पनी का प्रबन्ध तन्त्र अंशधारियों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। निगमीय शासन प्रणाली के कार्यक्षेत्र में निम्न भी सम्मिलित हैं –

1. प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रयोग अधिकार
2. संचालक मंडल द्वारा प्रबन्धकीय अधिकारों पर नियन्त्रण
3. हितधारकों के प्रति प्रबन्ध तन्त्र की जवाबदेही
4. वह औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से हितधारक प्रबन्धकीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

3.2.1 वैश्विक स्तर पर निगमीय शासन प्रणाली का विकास :–

निगमीय शासन प्रणाली के विकास की प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक प्राचीन नहीं है। दिशा निर्देश एवं सर्वोत्तम व्यवहार का प्रारम्भ इंग्लैंड एवं कनाडा में 90 के दशक के शुरू में ही हो चुका था। निगमीय शासन प्रणाली को विकसित करने एवं ढांचे को समुचित विस्तार प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों समितियों का गठन किया गया। इनमें से प्रमुख समितियां निम्न थीं –

1. कैडबरी समिति प्रतिवेदन (1992)
2. ग्रीनबरी समिति प्रतिवेदन (1993)
3. हैम्पल समिति प्रतिवेदन (1998)
4. लन्दन प्रतिभूति बाजार : संयुक्त नियमावली, अच्छी शासन प्रणाली एवं बेहतर व्यवहार सिद्धान्त (1998)
5. काल्पर का निगमीय शासन प्रणाली जवाबदेयता सिद्धान्त (1999)

6. ब्ल्यू रिबन समिति प्रतिवेदन (1999)
7. निगमीय शासन प्रणाली पर किंग समिति (2002)
8. सरबैन्स ऑक्सले अधिनियम यू0एस0ए0 (2002)
9. हिंग्स प्रतिवेदन : गैर कार्यकारी निदेशकों की भूमिका एवं प्रभावशीलता, यू0के0 (2003)
10. निगमीय शासन प्रणाली की संयुक्त भूमिका (2003)
11. ASX निगमीय शासन प्रणाली समिति प्रतिवेदन (2003)
12. OECD निगमीय शासन प्रणाली के सिद्धान्त (2004)
13. निगमीय शासन प्रणाली की संयुक्त संहिता (2006)
14. UNC TAD
15. निगमीय शासन प्रणाली की संयुक्त संहिता (2008), निगमीय शासन प्रणाली की बेहतर व्यवहार पर दिशा निर्देश (2006)

सन् 1998 में रूस, ब्राजील, एशिया के वित्तीय संकट में विभिन्न देशों में निगमीय व्यवहार से अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और न केवल निगमीय शासन प्रणाली संकट में आया वरन् अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की स्थिरता भी खतरे में पड़ गयी। विभिन्न निगमीय घोटालों से निगमीय विश्वसनीयता भी डगमगा सी गयी। सर ऐडरिन कैडबरी ने निगमीय शासन प्रणाली की वित्तीय व्यवस्थाओं पर प्रतिवेदन में यू0के0 में कहा था– ''निगमीय शासन प्रणाली विभिन्न कम्पनियों को निर्देशित एवं नियन्त्रित करने वाला तन्त्र है।''

वास्तव में इस प्रतिवेदन में कम्पनी संरचना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय घोषणायें, निगमीय शासन प्रणाली की संहिता का अनुपालन, प्रतियोगी पारिश्रमिक नीति, अंशधारियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व, वित्तीय प्रतिवेदन एवं आन्तरिक नियन्त्रण आदि बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये इन प्रयासों के फलस्वरूप संचालक मंडल की संचालनीय व्यवस्था, कम्पनी प्रबन्ध एवं प्रशासन में सकारात्मक परिणाम सामने आये साथ ही पर्यवेक्षीय एवं अधिकारी स्तर के पारस्परिक सम्बन्धों का भी एक बेहतर स्वरूप सामने आया।

इस सम्बन्ध में प्राथमिक स्तर पर किये गये अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकाला गया कि वैश्विक स्तर पर सभी देशों में एक अच्छी निगमीय शासन प्रणाली को निर्मित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि एशियन विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन एवं विश्व बैंक द्वारा निगमीय शासन प्रणाली के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में किये गये अध्ययन के आधार पर बल देकर यह कहा कि निगमीय शासन प्रणाली का कोई एक मॉडल अच्छा नहीं कहा जा सकता।

OECD मानदंडों में यह माना गया कि निगमीय शासन प्रणाली का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न वैधानिक तन्त्रों (व्यवस्थाओं) एवं संस्थागत संरचनाओं की आवश्यकता है। यद्यपि सभी में अंशधारियों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गयी है।

3.2.2 भारत में निगमीय शासन प्रणाली का विकास :–

सम्पूर्ण विश्व में भारत उन देशों में से एक है जहां सूचीकृत कम्पनियों की संख्या सर्वाधिक है, भारत में प्रारम्भिक प्रमुख निगमीय शासन प्रणाली सम्बन्धी कदम 1999–2000 में उठाये गये। इस सम्बन्ध में प्रथम प्रयास Confedration of Indian Industry (CII), निगमीय शासन प्रणाली की ऐच्छिक संहिता था। दूसरा महत्वपूर्ण कदम सेबी द्वारा सूचीकृत अनुबन्ध के सम्बन्ध में धारा 49 की शुरूआत करके उठाया गया। तीसरा प्रयास नरेश चन्द्रा समिति ने 2002 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करके दिया। इस क्षेत्र में चौथा प्रयास पुनः सेबी द्वारा नारायण मूर्ति समिति प्रतिवेदन (2002) के रूप में किया गया एवं उसके बाद यह विकास क्रम आज तक निरन्तर चल रहा है।

1. **<u>CII संहिता :–</u>**

एशियन संकटकाल से पूर्व CII द्वारा निगमीय शासन प्रणाली के बिन्दुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति की स्थापना की गयी जो निगमीय शासन प्रणाली के लिये उचित एवं बेहतर व्यवहार सम्बन्धी ऐच्छिक आचार संहिता प्रस्तावित करे। समिति का यह निश्चित मत था कि भारत में घरेलू एवं विदेशी पूंजी के कम्पनियों में विनियोजन हेतु एक अच्छी निगमीय शासन प्रणाली आवश्यक है। इस संहिता का प्रथम खाका अप्रैल 1997 में तैयार हुआ परन्तु अन्तिम स्वरूप 'निगमीय शासन प्रणाली में वांछनीय' 1 अप्रैल 1998 को निर्गत किया गया, इस संहिता का स्वरूप ऐच्छिक प्रकृति का था।

2. <u>कुमार मंगलम् बिड़ला समिति प्रतिवेदन एवं धारा 49 :–</u>

यह अनुभव किया गया कि भारतीय परिस्थितियों में एक ऐच्छिक आचार संहिता की तुलना में वैधानिक आचार संहिता अधिक प्रभावी एवं कारगर रहेगी। परिणामस्वरूप निगमीय शासन प्रणाली के सम्बन्ध में दूसरा प्रमुख कदम सेबी द्वारा 1999 में उठाया गया। "आवश्यकता आविष्कार की जननी है" के आधार पर सेबी ने तत्कालीन आवश्यकतानुसार कुमार मंगलम् बिड़ला की अध्यक्षता में एक समिति अच्छी निगमीय शासन प्रणाली के मानक और मानदण्ड स्थापित करने के लिए की गयी। 2002 के प्रारम्भ में सेबी द्वारा इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए धारा 49 में प्रतिभूति बाजार में सूचीकृत प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में सूचीकृत अनुबन्ध को शामिल किया।

3. <u>निगमीय शासन प्रणाली पर नरेश चन्द्र समिति :–</u>

अगस्त 2002 में वित्तीय एवं निगमीय मामलों के मंत्रालय के आधीन निगमीय मामलों के विभाग द्वारा नरेश चन्द्र समिति की स्थापना निगमीय शासन प्रणाली के प्रमुख बिन्दुओं का परीक्षण करने के लिए की गयी। समिति द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ अपना प्रतिवेदन दिसम्बर 2002 को प्रस्तुत किया गया। इसकी सिफारिशों एवं प्रतिवेदन में निगमीय शासन प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न दो बिन्दुओं को आधार माना गया –

(i) वित्तीय एवं गैर वित्तीय उद्घोषणायें (प्रकटीकरण)

(ii) स्वतन्त्र अंकेक्षण एवं प्रबन्ध का व्यापक दृष्टिकोण

4. <u>निगमीय शासन प्रणाली पर नारायण मूर्ति समिति प्रतिवेदन :–</u>

देश में निगमीय शासन प्रणाली के लिये चौथी पहल के रूप में नारायण मूर्ति समिति की सिफारिशें प्रस्तुत हुईं। समिति की स्थापना धारा 49 की समीक्षा के लिए तथा निगमीय शासन प्रणाली के सुधार के नवीन मापदण्ड स्थापित करने के सुझाव देने के लिए की गयी। समिति की प्रमुख सिफारिशें (2002) अंकेक्षण समिति, अंकेक्षण प्रतिवेदन, स्वतन्त्र संचालक, पक्षकारों के लेन देन, जोखिम प्रबन्ध, निदेशक पद एवं उनकी क्षतिपूर्ति, आचार संहिता, वित्तीय प्रकटीकरण आदि के सम्बन्ध में थीं। नारायण मूर्ति समिति प्रतिवेदन (2003) में पुरानी सिफारिशों में और सुधार करने के सुझाव दिये जिससे संशोधित रूप में धारा 49 और अधिक प्रभावी हो सके।

3.3 निगमीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषतायें

1. अच्छी शासन प्रणाली
2. समाज को सामाजिक मूल्य
3. समाज को आर्थिक मूल्य
4. पारदर्शिता
5. पूर्ण प्रकटीकरण
6. अधिकार का उचित विभाजन
7. पर्यावरण सुरक्षा
8. जवाबदेही की स्थापना
9. अंशधारियों की सुरक्षा
10. स्वच्छ प्रबन्ध
11. भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण
12. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व
13. सतत्
14. दक्ष एवं प्रभावी
15. अंशधारियों की सन्तुष्टि
16. अल्पमतधारियों की सुरक्षा

निम्न दो परिभाषाओं से परिदृश्य को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है –

''निगमीय शासन प्रणाली प्रबन्ध द्वारा अंशधारियों को स्वामी के रूप में उनके अविभाज्य अधिकार के लिये स्वीकार करना है और प्रबन्ध तन्त्र अंशधारियों के लिये ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। यह मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, व्यावसायिक क्रियाओं की नैतिकता एवं कम्पनी प्रबन्ध में व्यक्तिगत एवं निगमीय कोषों में अन्तर से सम्बद्ध है।''

– सेबी 2003

''निगमीय शासन प्रणाली संकुचित एवं व्यापक दोनों ही अर्थों में संदिग्ध प्रतीत होती है। वास्तव में इसमें सम्मिलित विभिन्न नियमों को स्पष्ट करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। निगमीय शासन प्रणाली एक अवधारणा है न कि किसी का व्यक्तिगत अस्त्र या तन्त्र। इसमें उचित प्रबन्धन एवं कम्पनी की नियन्त्रणीय संरचना पर चर्चा होती है। इसके अतिरिक्त इसमें स्वामी, संचालक, प्रबन्ध, अंशधारी, कर्मचारी, पूर्तिकर्ता,

ग्राहक, उपभोक्ता एवं जन सामान्य की अधिकार सत्ता के सम्बन्धों को सम्मिलित किया जाता है।''

—नारायण मूर्ति, अध्यक्ष, निगमीय शासन प्रणाली समिति 2003

3.4 निगमीय शासन प्रणाली के संघटक

एक अच्छी निगमीय शासन प्रणाली के प्रमुख संघटक निम्नलिखित हैं –

- बोर्ड की भूमिका एवं अधिकार
- विधान
- आचार संहिता
- बोर्ड की स्वतन्त्रता
- बोर्ड की दक्षता
- प्रबन्धकीय पर्यावरण
- बोर्ड की नियुक्ति
- बोर्ड का अधिष्ठापन एवं प्रशिक्षण
- बोर्ड की सभा
- रणनीति निर्धारण
- व्यावसायिक एवं सामुदायिक कर्तव्य
- वित्तीय एवं संचालनीय प्रतिवेदन प्रस्तुति
- बोर्ड के प्रदर्शन की निगरानी
- अंकेक्षण समिति
- जोखिम प्रबन्धन

3.5 निगमीय शासन प्रणाली के सिद्धान्त

निगमीय शासन प्रणाली का सर्वप्रमुख सिद्धान्त अच्छी शासन प्रणाली है जिसमें ईमानदारी, पारदर्शिता, अखंड विश्वास, पारस्परिक सम्मान, संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, खुला प्रदर्शन, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, अधिकार विभाजन, हितधारकों की सुरक्षा आदि सम्मिलित होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निगमीय शासन प्रणाली के उचित सिद्धान्त प्रतिपादित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। OECD द्वारा निर्धारित मानदण्ड इस सम्बन्ध में अग्रणी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।

3.5.1 OECD सिद्धान्त :–

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा 1999 में प्रथम बार अपने मानदण्ड निर्मित किये गये। OECD सिद्धान्त सरकार को उसका कानूनी एवं वैधानिक ढांचा निर्मित करने एवं सुधार करने में सहयोगी हैं जिससे अच्छी निगमीय शासन प्रणाली विकसित हो और परिणामस्वरूप वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता स्थापित हो सके। OECD सिद्धान्त शासन प्रणाली व्यवहार की सर्वोत्तम व्यवस्था पर बल देते हैं। OECD सिद्धान्त मूलतः OECD की कौंसिल सभा द्वारा राष्ट्रीय सरकारों, अन्य सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी संस्थान आदि से गहन मंथन के बाद अच्छी

निगमीय शासन प्रणाली के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानदण्ड एवं दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए 27 – 28 अप्रैल 1998 को विकसित किये गये।

OECD सिद्धान्तों को 2004 में संशोधित किया गया जिससे विभिन्न संस्कृति वाले देश भी इसके प्रति अपनी स्वीकृति प्रदान करें। यह सिद्धान्त सभी देशों में (स्वामित्व के आकार से पृथक) समान रूप से लागू हैं। यह सिद्धान्त मुख्यतः सूचीकृत कम्पनियों से सम्बद्ध हैं परन्तु इसके अतिरिक्त भी यह उपयोगी हैं।

इन सिद्धान्तों को निम्न छः प्रमुख बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है–

- प्रभावी निगमीय शासन प्रणाली के ढांचे का आधार सुनिश्चित करना
- अंशधारियों के अधिकार एवं स्वामित्व के प्रमुख कार्य
- अंशधारियों के प्रति न्यायसंगत व्यवहार
- निगमीय शासन प्रणाली में हित धारियों की भूमिका
- प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता
- बोर्ड के उत्तरदायित्व

राज्य स्वामित्व संगठनों के लिए **OECD** के दिशा निर्देश :–

OECD ने राज्य स्वामित्व संगठनों के लिए 2005 में दिशा निर्देश स्वीकार किये। किसी भी देश की आर्थिक कार्य क्षमता एवं प्रतियोगिता क्षमता के विकास के लिए राज्य स्वामित्व संगठनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण सकारात्मक योगदान होता है। इस सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश पर केन्द्रित किया गया –

- राज्य स्वामित्व संगठनों का प्रभावशाली कानूनी एवं वैधानिक ढांचा सुनिश्चित करना
- राज्य की भूमिका स्वामी के रूप में
- अंशधारियों के प्रति न्यायसंगत व्यवहार
- हितधारियों के साथ सम्बन्ध
- पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण
- राज्य स्वामित्व संगठन के बोर्ड के उत्तरदायित्व

3.6 निगमीय शासन प्रणाली के लाभ या उपयोगिता

निगमीय शासन प्रणाली के सम्बन्ध में किये गये शोध एवं अनुसंधान यह बताते हैं कि इसके अनेकों लाभ हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं –

1. बाह्य दुनिया से अधिक सम्पर्क एवं व्यवहार अधिक विनियोग, अधिक विकास एवं अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है।
2. निम्न पूंजी लागत ।
3. बेहतर प्रबन्ध में संसाधनों के बेहतर विभाजन परिणाम ।
4. पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण से ईमानदारी एवं विश्वास में वृद्धि ।
5. अच्छी निगमीय शासन प्रणाली वित्तीय संकटों के जोखिमों को कम करती है ।
6. अच्छी निगमीय प्रणाली का अर्थ है हितधारकों के साथ बेहतर सम्बन्धों का निर्माण ।

7. यह उच्च स्तर पर स्वतन्त्र संचालकों को सम्मिलित कर नीतिगत निर्णयन क्षमता में सुधार करता है।
8. विनियोजक हितों की सुरक्षा एवं सुदृढ़ पूंजी बाजार व्यवस्था ।
9. अच्छी शासन प्रणाली सदैव अच्छी बाजार मूल्यांकन निर्मित करती है।
10. बोर्ड की सम्पूर्ण प्रतिबद्धता ।
11. अच्छी निगमीय शासन प्रणाली धोखाधड़ी एवं घोटालों के जोखिमों को न्यूनतम करती है।
12. इसके माध्यम से कम्पनी का सर्वांगीण प्रदर्शन बेहतर होता है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं राष्ट्रीय समृद्धि होती है।
13. यह अल्पसंख्यकों (अल्पमतधारियों) को सुरक्षा प्रदान करता है।

3.7 निगमीय शासन प्रणाली के दिशा निर्देश

वैश्विक स्तर पर निगमीय शोध एवं अनुसंधान के पश्चात सम्पूर्ण विश्व में अच्छी निगमीय शासन प्रणाली के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये। यह दिशा निर्देश अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक मॉडल के रूप में सभी देशों को सुझाव रूप में थे। कोई भी देश अपने निगमीय वैधानिक और ऐच्छिक नियम इन सुझावों के दृष्टिगत पृथक रूप से निर्मित कर सकता है। निगमीय शासन प्रणाली के सम्बन्ध में भारतीय आचार संहिता को निम्न से समझा जा सकता है–

3.7.1 सूचीकृत अनुबन्ध के सम्बन्ध में सेबी की धारा 49 :–

सेबी द्वारा अच्छी निगमीय शासन प्रणाली के मानदण्ड स्थापित करने के लिए 2000 के प्रारम्भ में कुमार मंगलम् बिड़ला की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी। सेबी द्वारा इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर प्रतिभूति बाजार में सूचीकरण अनुबन्ध के रूप में धारा 49 में समामेलित किया गया। भारतीय कम्पनियों को सूचीकरण अनुबन्ध के सम्बन्ध में धारा 49 के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है तथा अच्छी निगमीय शासन प्रणाली के लिये प्राथमिक रूप से निम्न क्षेत्रों में दृष्टिपात करना चाहिए–

- बोर्ड संरचना स्वतन्त्र संचालकों को स्पष्ट करते हुए
- संचालकों का पारिश्रमिक
- बोर्ड प्रक्रिया
- प्रबन्ध
- अंकेक्षण समिति
- सहायक कम्पनियां
- जोखिम प्रबन्ध
- वित्तीय अभिलेखों एवं आन्तरिक नियन्त्रण के लिये CEO / CFO का प्रमाणीकरण
- अंशधारी
- निगमीय शासन प्रणाली पर प्रतिवेदन

- निष्पादन
- अन्य प्रकटीकरण आदि।

3.7.2 निगमीय शासन प्रणाली दिशा निर्देश 2009 :—

कम्पनी कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 2009 में निगमीय शासन प्रणाली के लिए ऐच्छिक दिशा निर्देश जारी कये गये तथा 14 — 21 दिसम्बर 2009 को भारतीय निगमीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। यह दिशा निर्देश निम्न हैं —

1. संचालक मंडल —

(i) संचालक मण्डल की नियुक्ति — कम्पनी द्वारा एक औपचारिक नियुक्ति पत्र, गैर कार्यकारी संचालक और स्वतन्त्र संचालकों के सम्बन्ध में, कर्मचारियों एवं कार्यकारी संचालकों की नियुक्ति के समय जारी किया जाता है। इस पत्र में यह स्पष्ट होना चाहिए —

(अ) नियुक्ति की अवधि।

(ब) नियुक्त संचालकों के निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे अपेक्षायें जो कि कार्य के दौरान उनसे कम्पनी को हैं।

(स) नियुक्ति के साथ उनके कर्तव्यों एवं दायित्व जो उन्हें निर्वाह करने हैं।

(द) संचालक एवं अधिकारी सम्बन्धी प्रावधान

(क) आचार संहिता कम्पनी के व्यापार के सम्बन्ध में जिसके अनुपालन की संचालकों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है।

(ख) संचालकों द्वारा अपने कार्य निष्पादन में न करे जाने वाले कार्यों की सूची।

(ग) पारिश्रमिक, स्थिर शुल्क एवं स्कन्ध विकल्प।

(घ) संचालक मंडल की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के सत्यापन के समय औपचारिक पत्र अंशधारियों को प्रकटीकरण का एक भाग होना चाहिये। यदि कम्पनी की कोई वेबसाइट है तो यह पत्र उस पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिये। यदि कम्पनी एक सूचीकृत कम्पनी है तो यह पत्र उस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये जहां यह कम्पनी सूचीकृत है।

(ii) अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालयों की पृथकता — अधिकारों के केन्द्रीयकरण एवं एक व्यक्ति के निरंकुश निर्णयों से बचने के लिए संचालक मंडल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन स्पष्ट रूप से होना चाहिये तथा अधिकारों के सन्तुलन के लिए उनके कार्यालय भी पृथक होने चाहिए।

(iii) नामित समिति —

(अ) कम्पनी एक नामित समिति बना सकती है जिसमें अध्यक्ष सहित स्वतन्त्र संचालक अधिक होने चाहिये। यह समिति उपयुक्त स्वतन्त्र एवं गैर कार्यकारी संचालकों की खोज, मूल्यांकन एवं संस्तुति के लिए प्रस्तावों को स्वीकार करेगी। यह चयन पारदर्शी दिशा निर्देशों जो कि घोषित हों के आधार पर उनकी योग्यताओं, सकारात्मक रूख, संचालक की स्वतन्त्रता एवं कार्य के प्रति उनके द्वारा दिये गये समय के आधार पर किया जायेगा।

(ब) यह समिति प्रत्येक संचालक तथा सम्पूर्ण संचालक मंडल को क्षमता, योग्यता ज्ञान, अनुभव एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करेगी।

(स) इस अवधारणा से कि संचालक मंडल के निर्णय उचित एवं तार्किक हों, यह समिति संचालक मंडल में कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी संचालकों का संतुलन सुनिश्चित करेगी।

(द) नामित समिति कार्यकारी संचालकों का मूल्यांकन एवं नियुक्ति की संस्तुति करेगी।

(य) वार्षिक प्रतिवेदन में एक पृथक भाग रखा जाना चाहिये जिसमें नामित समिति के वर्षभर के क्रियाकलाप एवं वह दिशा निर्देश जिनके आधार पर उसने कार्य किया है का उल्लेख हो।

(iv) <u>कम्पनियों की संख्या जिनमें एक व्यक्ति एक संचालक के रूप में कार्य कर सकता है –</u> यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कम्पनी में प्रबन्ध संचालक या पूर्ण कालिक संचालक के रूप में कार्य करता है तो वह अधिकतम सात कम्पनियों में गैर कार्यकारी संचालक या स्वतन्त्र संचालक के रूप में कार्य कर सकता है।

2. <u>स्वतन्त्र संचालक –</u>

<u>(i) स्वतन्त्र संचालकों के गुण या विशेषतायें –</u>

(अ) संचालक मंडल को स्वतन्त्र संचालकों की सत्यनिष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता, दूरदर्शिता, प्रबन्धकीय गुण एवं वित्तीय अभिलेखों को पढ़ने समझने की योग्यता को निर्धारित करने के लिए एक नीति बनानी चाहिये। इस नीति को संचालक मंडल द्वारा एक प्रतिवेदन के रूप में अंशधारियों को प्रकट किया जाना चाहिए, इस नीति को अंशधारियों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है।

(ब) सभी स्वतन्त्र संचालकों को एक प्रमाण पत्र अपनी स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अपनी नियुक्ति के समय देना होता है और उसके बाद प्रतिवर्ष वह प्रमाण पत्र देना होता है। यह प्रमाण पत्र यदि कम्पनी की वेबसाइट हो तो उस पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिये। यदि कम्पनी सूचीकृत है तो यह पत्र उस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये जहां यह कम्पनी सूचीकृत है।

(ii) <u>स्वतन्त्र संचालकों का कार्यकाल –</u>

(अ) एक व्यक्ति स्वतन्त्र संचालक के रूप में एक कम्पनी में छः वर्ष से अधिक कार्य नहीं कर सकता है।

(ब) ऐसे व्यक्ति को उसी कम्पनी में किसी भी रूप में कम से कम तीन वर्ष पश्चात ही शामिल किया जा सकता है।

(स) उपरोक्त अ तथा ब में वर्णित विधि के अनुसार भी कोई व्यक्ति अधिकतम केवल तीन अवधि तक ही नियुक्त हो सकता है।

(द) एक व्यक्ति अधिकतम सात सार्वजनिक कम्पनियों में स्वतन्त्र संचालक के रूप में कार्य कर सकता है।

(iii) स्वतन्त्र संचालकों को यह विकल्प एवं स्वतन्त्रता होती है कि वह कम्पनी प्रबन्ध से आवधिक रूप से मिले –

(अ) अपने कर्तव्यों के कुशल एवं प्रभावशाली निष्पादन के लिये स्वतन्त्र संचालकों को कम्पनी प्रबन्ध से आवधिक विचार विमर्श का विकल्प या स्वतन्त्रता होती है।

(ब) स्वतन्त्र संचालकों को उपयुक्त स्वतन्त्र कार्यालय स्थान, संसाधन, कम्पनी सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये तथा कम्पनी प्रबन्ध द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं को अध्ययन एवं विश्लेषित करने के लिए अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है।

3. संचालकों का पारिश्रमिक –

(i) कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि योग्य एवं गुणवान संचालक जो कम्पनी को सफलता से संचालित कर सके, को आकर्षित करने की दृष्टि से पारिश्रमिक उपयुक्त एवं पर्याप्त होना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रदर्शन और पारिश्रमिक का सम्बन्ध स्पष्ट हो। उपयुक्त प्रदर्शन के अनुसार या आधार पर अतिरिक्त प्रेरणा की योजना तथा कम्पनी द्वारा कीर्तिमान बनाने की दशा में प्रतिफल/पुरूस्कार का प्रावधान होना चाहिये। कम्पनी द्वारा उल्लेखनीय प्रगति को वार्षिक रूप से सदस्यों को प्रकट किया जाना चाहिए।

(ii) संचालक मंडल एवं प्रमुख कार्यकारियों की पारिश्रमिक नीति पूर्णतः स्पष्ट एवं घोषित होनी चाहिये। कम्पनी के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति एवं परिस्थिति अनुसार, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रगति एवं प्रदर्शन के आधार पर स्थायी पारिश्रमिक एवं अतिरिक्त प्रोत्साहनों में सन्तुलन बनाये रखा जाना चाहिये।

(iii) कुल पारिश्रमिक पैकेज का निर्माण प्रदर्शन आधारित होना चाहिये जिससे कार्यकारी संचालक अंशधारियों के हितों से भी जुड़ सकें और इन संचालकों को उनके उच्च प्रदर्शन के लिए विशिष्ट प्रतिफल का प्रावधान रहना चाहिये।

4. गैर कार्यकारी संचालकों का पारिश्रमिक –

(i) कम्पनी के पास यह विकल्प होता है कि वह गैर कार्यकारी संचालकों को स्थायी अनुबन्ध पारिश्रमिक प्रदान करें जो कि लाभदायकता से जुड़ा हुआ न हो। कम्पनी के पारिश्रमिक भुगतान के निम्न विकल्प होते हैं।

   (अ) कम्पनी के आधार पर अधिकतम सीमा के साथ अनुबन्धात्मक स्थायी पारिश्रमिक गैर कार्यकारी संचालकों को दिया जाये।

   (ब) कम्पनी के शुद्ध लाभों में एक उचित प्रतिशत ।

(ii) सभी गैर कार्यकारी संचालकों के लिए एक समान व्यवस्था चयन की जानी चाहिए।

(iii) यदि उपरोक्त (i)अ का विकल्प हो तो गैर कार्यकारी संचालक को लाभ में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा।

(iv) यदि गैर कार्यकारी संचालक को पारिश्रमिक भुगतान के लिए स्कन्ध विकल्प का चयन किया जाता है तो यह सम्बन्धित संचालक के संचालक मंडल तीन वर्ष बाहर रहने तक होगा।

5. गैर कार्यकारी संचालकों की क्षतिपूर्ति संरचना –

(i) कम्पनी गैर कार्यकारी संचालकों की पारिश्रमिक संरचना के लिए निम्न प्रारूप प्रयोग कर सकती है –

(अ) स्थायी घटक/अवयव – पारिश्रमिक की स्थायी व्यवस्था तुलनात्मक रूप से कम होनी चाहिये जिससे गैर कार्यकारी संचालक परिवर्तनशील भाग के लिए अधिक सक्षम हो सकें । परन्तु यह भाग उसके कुल पारिश्रमिक पैकेज का एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ब) परिवर्तनशील घटक/अवयव – कम्पनी की समितियों एवं संचालक मंडल की सभाओं में उपस्थिति के आधार पर (कम से कम 75 उपस्थिति योग्यता की प्राथमिक शर्त है)।

(स) अतिरिक्त परिवर्तनशील भुगतान की अवस्था –

- बोर्ड का अध्यक्ष यदि वह गैर कार्यकारी अध्यक्ष है।
- अंकेक्षण समिति या अन्य समिति का अध्यक्ष
- बोर्ड समिति के सदस्य

(द) यदि बोर्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित या उसके समकक्ष पारिश्रमिक संरचना स्वीकार की जाती है तो उसे वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से अंशधारियों को प्रकट किया जाना चाहिये।

6. स्वतन्त्र संचालकों को पारिश्रमिक –

(i) कम्पनी के स्वतन्त्र संचालकों की गुणवत्ता को आकृष्ट, बनाये रखने और अभिप्रेरित करने के लिए उनको पर्याप्त पारिश्रमिक का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिये। यह कम्पनी के शुद्ध मूल्य एवं विक्रय दोनों पर आधारित हो सकता है।

(ii) स्वतन्त्र संचालकों को स्कन्ध विकल्प एवं लाभों में प्रतिभाग की अनुमति नहीं होनी चाहिये जिससे उनकी स्वतन्त्रता अप्रभावित रहे।

7. पारिश्रमिक समिति –

(i) कम्पनी को बोर्ड की एक पारिश्रमिक समिति बनानी चाहिये जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें बहुमत गैर कार्यकारी संचालकों का रहेगा तथा कम से कम एक स्वतन्त्र संचालक भी रहेगा।

(ii) इस समिति का उत्तरदायित्व होगा कि वह सभी कार्यकारी संचालकों तथा कार्यकारी अध्यक्ष का समस्त क्षतिपूर्ति जैसे सेवा निवृत्ति लाभ या स्कन्ध विकल्प सहित पारिश्रमिक निर्धारण करे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कोई भी संचालक अपने ही पारिश्रमिक निर्धारण में संलग्न न रहे।

(iii) यह समिति पारिश्रमिक नीति के सम्बन्ध में मानदण्ड एवं सिद्धान्त निर्धारित करेगी तथा अंशधारियों को इसे प्रकट करके उनसे टिप्पणी/प्रतिक्रिया लेगी तथा यदि कोई टिप्पणी है तो उस पर समुचित विचार करेगी। जब भी इस

नीति में परिवर्तन होगा तो उसके लिये समुचित कारण/स्पष्टीकरण दिये जाने चाहिये तथा यथोचित रूप से प्रकट किये जाने चाहिये।

(iv) इस समिति को वरिष्ठ प्रबन्ध जो कि संचालक मंडल के एकदम नीचे होते हैं के लिए भी वेतन संरचना का निरीक्षण एवं प्रस्ताव करना चाहिये।

(v) यह समिति अपने नियम एवं संदर्भ, इसकी भूमिका, संचालक मंडल द्वारा इसे प्रदत्त अधिकार तथा वर्ष भर इसके द्वारा निष्पादित क्रियाओं को वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से अंशधारियों की समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगी।

8. संचालकों का प्रशिक्षण –

(i) कम्पनी द्वारा संचालकों को सम्मिलित करने के लिये एक उपयुक्त परिचय प्रक्रिया, उनकी भूमिका, उनके उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में सुनिश्चित करनी चाहिये। इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिए कि प्रत्येक संचालक में वित्तीय प्रपत्रों एवं उनमें दी गयी सूचनाओं को समझने की योग्यता हो। इस सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन में एक विवरण संचालक मंडल द्वारा दिया जाना चाहिये।

(ii) इसके साथ ही बोर्ड को संचालकों की योग्यता वृद्धि के लिये समय समय पर उपयुक्त विधियों का प्रयोग करना चाहिये।

9. गुणवत्तापूर्ण निर्णय में सक्षम –

बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक संचालक को ऐसी तकनीक, प्रक्रिया एवं संसाधन उपलब्ध कराये जायें जिससे वह प्राप्त सूचना का विश्लेषण करके कम्पनी हित में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर सके। संचालक को समंकों के अध्ययन का पर्याप्त समय तथा बोर्ड चर्चाओं में प्रतिभाग का प्रभावी अवसर प्रदान करना चाहिये।

10. जोखिम प्रबन्धन –

(i) संचालक मंडल, इसकी अंकेक्षण समिति, इसके कार्य प्रबन्ध को संयुक्त रूप से कम्पनी व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जोखिमों को चिन्हित करना चाहिये। जोखिम प्रबन्धन रणनीति अथवा नीति के अन्तर्गत जोखिम चिन्हीकरण, जोखिम अल्पता, जोखिम अनुकूलता आदि प्रक्रिया का अभिलेखन किया जाना चाहिये।

(ii) संचालक मंडल को अपने प्रतिवेदन में यह प्रकट एवं सुनिश्चित करना चाहिये कि कम्पनी के लिये समीक्षात्मक जोखिम प्रबन्धन संरचना की गयी है जिसे बोर्ड द्वारा हर छः माह बाद पुनः निरीक्षित किया जायेगा। इस प्रकटीकरण में, वह जोखिम तत्व जिन्हें कम्पनी के अस्तित्व के लिये संचालक जोखिम के रूप में अनुभव करता है, विवरण के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिये।

11. संचालक मण्डल समिति एवं व्यक्तिगत संचालकों का मूल्यांकन –

बोर्ड को अपने, समितियों एवं व्यक्तिगत संचालकों की भूमिका एवं प्रदर्शन का औपचारिक एवं दृढ़ मूल्यांकन किया जाना चाहिये। बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन में विवरण देना चाहिये कि उसकी समितियों एवं व्यक्तिगत संचालकों की क्रियाओं को किस प्रकार निष्पादित एवं मूल्यांकित किया गया।

12. **बोर्ड द्वारा अधिनियमों के अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए कार्यविधि स्थापित करना –**

(i) कम्पनी के अंशधारियों के विनियोगों एवं कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु, कम से कम वार्षिक, कम्पनी की आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था की प्रभावशीलता की बोर्ड द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये और इस क्रियाविधि के सम्बन्ध में अंशधारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस समीक्षा में सामग्री, वित्त, संचालन, निष्पादन एवं जोखिम नियन्त्रण क्रियाविधि सम्मिलित होनी चाहिये।

(ii) संचालकों के उत्तरदायित्व अभिलेख में एक सुनिश्चित विधि प्रपत्र सम्मिलित होना चाहिये जिसमें कम्पनी सम्बन्धी समस्त नियमों एवं अधिनियमों का अनुपालन करने का तन्त्र सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इसमें 'निष्पादन या विवरण' सिद्धान्त को अनुसरित किया जाना चाहिये।

(iii) यदि बोर्ड की किसी सभा में होने वाली किसी क्रियाविधि से अल्पमत अंशधारियों के हितों के प्रभावित होने की आशंका हो तो सभा की कार्यसूची में 'अल्पमत अंशधारियों पर प्रभाव विश्लेषण' संलग्न होना चाहिये। स्वतन्त्र संचालक इस प्रभाव विश्लेषण पर चर्चा करके टिप्पणी देंगे जिसको समुचित रूप से अभिलेखित किया जाना चाहिये।

13. **अंकेक्षण समिति – संविधान –**

कम्पनी की कम से कम तीन सदस्यीय अंकेक्षण समिति होनी चाहिये जिसमें स्वतन्त्र संचालकों का बहुमत होना चाहिये। इस समिति का अध्यक्ष एक स्वतन्त्र संचालक होना चाहिये। समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय प्रबन्ध, अंकेक्षण एवं लेखों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये।

14. **अंकेक्षण समिति – अधिकारों की सक्षमता –**

(i) अंकेक्षण समिति को निम्न के लिये अधिकार होना चाहिये –

- कम्पनी कार्यालय द्वारा पूर्ण सहयोग एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता
- कम्पनी अभिलेखों के रिकार्ड से सूचना प्राप्त करना
- बाह्य स्रोतों से पेशेवर सलाह प्राप्त करना

(ii) अंकेक्षण समिति को आन्तरिक एवं बाह्य अंकेक्षकों के साथ प्रबन्ध तंत्र से भी चर्चा की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये।

15. **अंकेक्षण समिति – भूमिका एवं उत्तरदायित्व –**

(i) अंकेक्षण समिति का निम्न के प्रति उत्तरदायित्व होगा –

- कम्पनी के वित्तीय विवरणों की सत्यता पर निगरानी रखना।
- कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण व्यवस्था, आन्तरिक अंकेक्षण कार्य प्रणाली एवं जोखिम प्रबन्ध व्यवस्था की समीक्षा एवं निगरानी का अधिकार।
- बाह्य अंकेक्षक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति एवं उनको हटाने का अधिकार। बाह्य अंकेक्षक को संलग्न करने के लिये नियम व शर्तें तथा उनके पारिश्रमिक अनुमोदन का अधिकार।

- बाह्य अंकेक्षक की अंकेक्षण प्रक्रिया में अंकेक्षक की स्वतन्त्रता निष्पक्षता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी का अधिकार।

(ii) अंकेक्षण समिति अन्य सभी पक्षकारों से सम्बन्धित लेन देनों की समीक्षा, निगरानी एवं अनुमोदन के अतिरिक्त इन सभी लेन देनों में परिवर्तनों या सुधार का अधिकार भी रखती है।

(iii) एक औपचारिक प्रारूप/संरचना पर सभी सम्बन्धित पक्षकारों से लेन देनों का ब्यौरा उस वर्ष के संचालक मंडल के प्रतिवेदन में विभिन्न हितधारकों के लिये प्रकट किया जाना चाहिये।

16. <u>अंकेक्षकों की नियुक्ति –</u>

(i) संचालक मंडल की अंकेक्षक समिति को अंकेक्षकों की नियुक्ति को प्रथम संदर्भ बिन्दु पर रखना चाहिये।

(ii) अंकेक्षण समिति को अंकेक्षण फर्म की योग्यता, साझेदारों का अनुभव, उनकी शक्तियां एवं कमजोरियां, यदि कोई हैं, पूरी प्रोफाइल एवं सम्बन्धित विषयक ज्ञान को संज्ञान में रखना चाहिये।

(iii) अपने कर्तव्यों के लिये अंकेक्षण समिति को चाहिये –

- अंकेक्षक द्वारा उसकी वार्षिक कार्य योजना, गहनता एवं उसकी विस्तृत क्रियाविधि के सम्बन्ध में चर्चा/विचार–विमर्श करे।
- अंकेक्षण फर्म के स्वायत्त प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों का निरीक्षण एवं समीक्षा करे।
- वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति एवं उनको हराने की क्रिया की संस्तुति, उनके वार्षिक पारिश्रमिक सहित, संचालक मंडल को करे।

17. <u>स्वायत्त/स्वतन्त्रता प्रमाण–पत्र –</u>

(i) प्रत्येक कम्पनी को अंकेक्षक से उसकी स्वायत्तता को स्पष्ट करने वाला तथा पक्षकार कम्पनी से उसके निष्पक्ष सम्बन्ध का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिये।

(ii) स्वायत्त प्रमाण पत्र में अंकेक्षक, अपने सलाहकार एवं विशिष्ट सेवा सहयोगियों, सहायकों एवं सम्बन्ध कम्पनियों या नेटवर्क या ग्रुप के सम्बन्ध में आश्वस्त करता है कि वह कम्पनी सम्बन्धी किसी गैर अंकेक्षीय प्रतिबन्धित क्रिया में संलग्न नहीं होंगे एवं पक्षकार कम्पनी के प्रति स्वायत्त है।

18. <u>अंकेक्षण साझेदारों एवं फर्म का चक्रानुक्रम –</u>

(i) अंकेक्षक की स्वायत्तता बनाये रखने तथा वित्तीय एवं गैर वित्तीय मामलों में अंकेक्षीय क्रियाओं को नवीन दृष्टिकोण से संचालित करने के लिए कम्पनी अंकेक्षकों के चक्रानुक्रम की नीति स्वीकार कर सकती है जो निम्न प्रकार हो सकती है –

- अंकेक्षक साझेदार – प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार चक्रानुक्रम
- अंकेक्षक फर्म – प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार चक्रानुक्रम

(ii) एक अंकेक्षक साझेदार को अंकेक्षण सम्बन्धी विशिष्ट कार्य को पुनः सौंपे जाने के लिए तीन वर्ष का अंतराल रहना चाहिये जबकि यह अन्तराल फर्म के लिए पांच वर्ष होगा।

19. कम्पनी द्वारा अंकेक्षक को प्रदत्त सूचनाओं में स्पष्टता की आवश्यकता –

(i) समुचित एवं जवाबदेह अंकेक्षण की दृष्टि से कम्पनी प्रबन्ध एवं अंकेक्षकों के मध्य सूचनाओं /प्रपत्रों/अभिलेखों आदि एवं आवधिक/आवृत्ति की स्पष्टता एवं निरन्तरता उपलब्धता की दृष्टि से बनी रहनी चाहिये।

(ii) प्रत्येक दशा में अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि वह यह सूचना प्रमाणित करे कि उसे कम्पनी द्वारा आवश्यक सूचनायें प्राप्त हुई या नहीं। पश्चात् क्रियाओं में उसे यह विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिये कि कौन से वित्तीय विवरण प्रपत्र या अभिलेख अप्राप्त रहे और उनकी अप्राप्ति से क्या प्रभाव हुआ।

20. आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति –

आन्तरिक अंकेक्षण प्रक्रिया की यथोचितता एवं विश्वसनीयता की दृष्टि से संचालक मंडल आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकता है परन्तु जिस कम्पनी में वह आन्तरिक अंकेक्षक का कार्य करे वहां का कर्मचारी नहीं होना चाहिये।

संचालक मंडल का कम्पनी की शासन प्रणाली में पारदर्शिता, नैतिकता एवं उत्तरदायित्व बोध सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दायित्व है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि इस सम्बन्ध में बोर्ड की प्रक्रिया एवं तन्त्र अत्यन्त मजबूत एवं दृढ़ हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी सचिवीय अंकेक्षण भी किसी निपुण पेशेवर से करा सकती है। बोर्ड को सचिवीय अंकेक्षण के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी से अंशधारियों को अवगत कराना चाहिये।

(i) कम्पनी को इस प्रकार का संस्था तंत्र कर्मचारियों के लिए विकसित किया जाना चाहिये जिससे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी या कम्पनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन की तत्काल सूचना प्राप्त हो।

(ii) कम्पनी को उन कर्मचारियों की प्रताड़ना से अभिसुरक्षा के प्रति भी सजग रहना चाहिये जो तन्त्र का हिस्सा है और अपवाद स्वरूप जिनकी सीधी पहुंच अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष तक अनुमत है।

3.8 सारांश

निगमीय शासन तन्त्र अपेक्षाकृत नवीन अवधारणा है जो कि निगमीय क्षेत्र में अच्छी शासन व्यवस्था से सम्बद्ध है। यह अभी भी विकास की प्रक्रिया में है तथा आने वाले वर्षों में और सशक्त होगी। यह कम्पनी पर नियन्त्रण विधियां लागू कर कम्पनी के समुचित एवं स्वच्छ प्रबन्ध तन्त्र पर बल देता है। इस सम्बन्ध में यह संचालकों के अधिकार, स्वामित्व के अधिकार, प्रबन्ध एवं हितधारकों के सम्बन्ध में नियमों के अनुपालन से भी सम्बद्ध है। निगमीय शासन तन्त्र में अंशधारियों, लेनदार एवं संस्था, वित्तीय बाजार, संस्थायें एवं निगम तथा कर्मचारी एवं संस्था के पारस्परिक सम्बन्धों को भी सम्मिलित किया जाता है। निगमीय शासन प्रणाली में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मुद्दे एवं संस्कृति, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अवयव आदि में भी व्यवहार होता है।

संकुचित अर्थ में निगमीय शासन प्रणाली में कम्पनी प्रबन्ध, संचालक मंडल, अंशधारी, अंकेक्षक एवं अन्य हितधारकों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों को शामिल किया

जाता है। जबकि व्यापक अर्थ में, निगमीय शासन प्रणाली कम्पनी तथा बाह्य पूंजी प्रदाताओं के मध्य दीर्घकालीन विश्वास का निर्माण करता है। इस अर्थ में निगमीय शासन प्रणाली आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों तथा व्यक्तिगत तथा सामूहिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन बनाये रखने का कार्य करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नब्बे के दशक के प्रारम्भ में निगमीय शासन प्रणाली की एक समुचित संरचना को विकसित करने के लिए अनेकों समिति स्थापित हुई जैसे– कैडबरी समिति प्रतिवेदन (1992), ग्रीनबरी समिति प्रतिवेदन (1993), हैम्पल समिति प्रतिवेदन यू0के0 (1998), लन्दन स्टॉक एक्सचेंज : संयुक्त आचार संहिता, अच्छी शासन प्रणाली के सिद्धान्त एवं सर्वश्रेष्ठ व्यवहार (1998), क्लैपर के निगमीय शासन प्रणाली के वैश्विक सिद्धान्त (1999), ब्ल्यू रिबन समिति प्रतिवेदन (1999), निगमीय शासन प्रणाली पर किंग समिति (2002), सारबेन्स ऑक्सले अधिनियम यू0एस0ए0 (2002), हिंग्स प्रतिवेदन : गैर कार्यकारी संचालकों की भूमिका एवं प्रभावशीलता की समीक्षा यू0के0 (2003), निगमीय शासन प्रणाली की संयुक्त भूमिका (2003), ASX निगमीय शासन प्रणाली कौंसिल प्रतिवेदन (2003), OECD निगमीय शासन तन्त्र के सिद्धान्त (2004), निगमीय शासन तन्त्र की संयुक्त आचार संहिता (2006), UNCTAD के निगमीय शासन प्रणाली के अच्छे व्यवहार एवं प्रकटीकरण दिशा निर्देश (2006), निगमीय शासन पर संयुक्त आचार संहिता (2008)।

विश्व में सर्वाधिक सूचीकृत कम्पनियों वाले देशों में से भारत एक है, भारत में निगमीय शासन प्रणाली के लिये व्यापक कदम 1990–2000 के मध्य प्रारम्भ हुये। भारत में इस सम्बन्ध में प्रथम प्रयास 1998 में CII द्वारा ऐच्छिक नियमावली थी जो निगमीय क्षेत्र के लिए लागू की गयी। दूसरा बड़ा कदम सेबी द्वारा धारा 49 का सूचीकृत कम्पनियों के विषय में लागू करना था। तीसरे प्रमुख प्रयास के रूप में 2002 में नरेश चन्द्र समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस क्षेत्र में पुनः चौथा प्रयास सेबी द्वारा नारायणमूर्ति समिति प्रतिवेदन (2002) के रूप में था।

निगमीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐच्छिक दिशा निर्देश जारी किये गये तथा 14–21 दिसम्बर को निगमीय सप्ताह घोषित किया गया। इस ऐच्छिक आचार संहिता में विभिन्न धारायें प्रायोगिक तौर पर सम्मिलित की गयी। यदि भारतीय पर्यावरण के आधार पर इन्हें उपयुक्त समझा गया तो आने वाले वर्षों में इन्हें वैधानिक अनिवार्य नियमावली के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

3.9 शब्दावली

पर्यावरण – व्यवसाय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्व।

व्यवसाय – एक ऐसी संस्था या फर्म जो वस्तु, सेवा या दोनों का व्यापार उपभोक्ताओं के लिए करे।

वैश्वीकरण – अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया।

उदारीकरण – सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की नीतियों पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को शिथिल या समाप्त करना।

निगमीय – कम्पनी सम्बन्धी या निगमित संस्था सम्बन्धी।

आचार संहिता – नियमावली/नियमों उपनियमों की सूची।

जवाबदेही – कार्य के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण।
अधिष्ठान – स्थापना।
अल्पमतधारी – जिनकी कुल अंशभागिता 50% से कम हो।
स्वायत्तशासी – प्रतिबन्धों से मुक्त/स्वयं निर्णय लेने में सक्षम।

3.10 बोध प्रश्न

1. ....के अन्तर्गत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ऐसे सभी बिन्दु जिनसे संस्कृति एवं पर्यावरण प्रभावित होता है तथा निगमीय संचालन से सम्बद्ध है, को भी सम्मिलित किया जाता है।
2. .... सिद्धान्त सरकार को उसका कानूनी एवं वैधानिक ढांचा निर्मित करने एवं सुधार करने में सहयोगी हैं जिससे अच्छी निगमीय शासन प्रणाली विकसित हो और परिणामस्वरूप वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता स्थापित हो सके।
3. सेबी द्वारा अच्छी निगमीय शासन प्रणाली के मानदण्ड स्थापित करने के लिए 2000 के प्रारम्भ में की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयभ्
4. एक व्यक्ति स्वतन्त्र संचालक के रूप में एक कम्पनी में ....वर्ष से अधिक कार्य नहीं कर सकता है।

3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. निगमीय शासन प्रणाली 2. OECD 3. कुमार मंगलम् बिड़ला 4. छः

3.12 स्वपरख प्रश्न

1. निगमीय शासन प्रणाली का महत्व बताइये।
2. निगमीय शासन प्रणाली की प्रगति एवं विकास पर एक विस्तृत आलेख लिखिये।
3. निगमीय शासन प्रणाली के सम्बन्ध में OECD सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
4. भारत में निगमीय शासन प्रणाली के क्या नियम हैं?
5. निगमीय शासन प्रणाली के लागू करने के पक्ष एवं विपक्ष में क्या तर्क दिये जा सकते हैं?

3.13 संदर्भ पुस्तकें

1. एन0डी0 कपूर, कम्पनी लॉ, सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
2. एस0सी0 अग्रवाल, कम्पनी लॉ, धनपत राय पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. एस0के0 अग्रवाल, बिजनेस लॉ, गलगोटिया पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
4. के0आर0 बालचन्द्री, बिजनेस लॉ फॉर मैनेजमेन्ट, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. एस0एस0 गुलशन एण्ड जी0के कपूर, बिजनेस लॉ, न्यू ऐज इण्टरनेशनल पब्लशर्स नई दिल्ली।
6. एस0सी0 पुच्छल, मर्केन्टाइल लॉ, विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।

इकाई 4 कम्पनी प्रबन्ध

इकाई की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना

4.2 कम्पनी प्रबन्ध : एक अवलोकन

4.3 कम्पनी का संचालक मंडल

- 4.3.1 संचालक की योग्यतायें एवं अयोग्यतायें
- 4.3.2 संचालकों के प्रकार
- 4.3.3 संचालकों की नियुक्ति
- 4.3.4 संचालकों की संख्या
- 4.3.5 संचालक पहचान संख्या (DIN)
- 4.3.6 संचालकों के अधिकार एवं कर्तव्य
- 4.3.7 संचालक मंडल सभायें
- 4.3.8 पारिश्रमिक
- 4.3.9 संचालक की मुक्ति

4.4 कम्पनी का प्रबन्ध संचालक

- 4.4.1 प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति
- 4.4.2 प्रबन्ध संचालक की अयोग्यतायें
- 4.4.3 प्रबन्ध संचालक की अवधि एवं पारिश्रमिक

4.5 कम्पनी का प्रबन्धक

- 4.5.1 प्रबन्धक की नियुक्ति एवं अयोग्यतायें
- 4.5.2 प्रबन्धक की अवधि एवं पारिश्रामिक
- 4.5.3 प्रबन्धक संचालक एंव प्रबन्धक – एक तुलना

4.6 कम्पनी सचिव

- 4.6.1 सचिव की नियुक्ति के लिये योग्यतायें
- 4.6.2 कम्पनी सचिव की नियुक्ति
- 4.6.3 कम्पनी सचिव की भूमिका
- 4.6.4 कम्पनी सचिव की सेवामुक्ति (बर्खास्तगी)

4.7 सभायें एवं प्रस्ताव : एक अवलोकन

- 4.7.1 विभिन्न प्रकार की सभायें एवं वैधानिक प्रावधान
- 4.7.2 प्रस्ताव एवं वैधानिक प्रावधान

4.8 कम्पनी का समापन

4.9 सारांश

4.10 शब्दावली

4.11 बोध प्रश्न

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.13 स्वपरख प्रश्न

4.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उददेश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- कम्पनी प्रबन्ध की अवधारणा का ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- प्रबन्ध संचालक एव संचालक मंडल के अधिकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- प्रबन्धक सचिव अंशधारियों की भूमिका का ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- कम्पनी प्रबन्धक की नियुक्ति एंव रिक्ति प्रक्रिया का वर्णन कर सकें।
- विभिन्न प्रकार की सभाओं से सम्बन्धित प्रावधानो का वर्णन कर सकें।
- विभिन्न प्रस्तावो का ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- कम्पनी के समापन की विधियों की व्याख्या कर सकें।

4.1 प्रस्तावना

सन्नियम की दृष्टि से कम्पनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप मे माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती है परन्तु यह भी सत्य है कि वह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है कम्पनी से जुड़े हुये व्यक्ति उसे अपने प्रयत्नों से सफल या असफल बनाते हैं कम्पनी की क्रियाओं को संचालित करने के लिये जब बहुत से प्राकृतिक व्यक्ति व्यवस्था करते है तो उसे कम्पनी प्रबन्ध के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है जैसा कि पहले बताया गया कि कम्पनी विधान द्वारा निर्मित है अतः प्रचलित कम्पनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को इसे अनिवार्यतः स्वीकार करना होता है। कम्पनी क्रियाओं को संचालित करने में संचालक मंडल, प्रबन्ध संचालक, प्रबन्धक, सचिव एवं अंशधारी संलग्न रहते है।

4.2 कम्पनी प्रबन्ध : एक अवलोकन

संचालक मंडल, प्रबन्ध संचालक, प्रबन्धक, सचिव तथा अंशधारी संयुक्त रूप से कम्पनी प्रबन्ध कहे जाते हैं जो कम्पनी की संचालक क्रियाओं से जुड़े रहते हैं। एक संयुक्त कम्पनी बिना भौतिक शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क के एक कृत्रिम व्यक्ति है। साथ ही खुद कोई क्रिया भी निष्पादित नहीं कर सकती है। कम्पनी संचालन सम्बन्धी विभिन्न क्रियाओं को कम्पनी की ओर से कम्पनी प्रबन्ध संचालित करता है।

कम्पनी प्रबन्ध में कम्पनी संचालक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के प्रबन्ध एवं प्रशासन के लिये इनका होना अनिवार्य है जबकि अन्य प्रबन्धकीय स्टॉफ जैसे प्रबन्ध संचालक या प्रबन्धक ऐच्छिक होते हैं। कम्पनी उनकी नियुक्त कर भी सकती है और नहीं भी। कम्पनी के संचालक मंडल कम्पनी क्रियाओं का प्रबन्ध या तो स्वयं कर सकते हैं अथवा प्रबन्ध संचालक/प्रबन्धकों का सहयोग कम्पनी क्रियाओं के संचालन को सुगम बनाने के लिये ले सकते हैं। इस इकाई में संचालकों, प्रबन्ध संचालक, प्रबन्धकों, सचिव आदि की कम्पनी प्रबन्ध में नियुक्ति एवं उनकी भूमिका तथा वैधानिक रूप से की जाने वाली क्रियाओं की चर्चा की गयी है।

4.3 कम्पनी का संचालक मंडल

विभिन्न कम्पनी संचालक संयुक्त रूप से मिलकर बोर्ड, जिसे कम्पनी का संचालक मंडल कहा जाता है, का निर्माण करते हैं। संचालक मंडल कम्पनी की प्रक्रियाओं का प्रबन्ध करने में, कम्पनी के नीति निर्माण में तथा उनके पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण में सहयोग प्रदान करते हैं। अन्य क्रियाओं का निष्पादन अन्य प्रबन्धकीय व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम की धारा 2 (13) में संचालक को परिभाषित किया गया है– 'कोई व्यक्ति, संचालक की स्थिति अधिग्रहित किये हुए, चाहे उसका कोई भी नाम हो।' जहां तक कम्पनी की सम्पत्ति एवं दायित्वों के प्रबन्ध का सम्बन्ध है संचालक एक ट्रस्टी की भांति क्रिया करते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत या उल्लेखन के अनुसार कम्पनी की विभिन्न क्रियाओं के लिये विभिन्न संचालक नियुक्त किये जा सकते हैं। निजी एवं सार्वजनिक कम्पनियों के सम्बन्ध में अधिनियम में कुछ प्रतिबन्ध भी है।

संचालकों को कम्पनी का नौकर या कर्मचारी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें सेवा में नहीं लिया जाता वरन् अंशधारियों द्वारा आम सभा में नियुक्त किया जाता है। संचालकों की स्थिति कम्पनी के ट्रस्टी अथवा प्रतिनिधि की होती है।

4.3.1 संचालक की योग्यतायें एवं अयोग्यतायें :–

अधिनियम के अनुसार संचालक के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गयी है। उसको योग्यता अंशों को धारित करने की भी कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है जब तक कि कम्पनी के अन्तर्नियमों में इस प्रकार का प्रावधान या व्यवस्था न हो। सामान्यतः अन्तर्नियमों नियमों में संचालकों के लिये योग्यता अंशों को धारित करने का प्रावधान होता है। येाग्यता अंश से आशय अंशों की उन संख्या से है जो कि किसी भी व्यक्ति को संचालक होने के लिये धारित करने होते हैं।

संचालकों को अपनी नियुक्ति के दो माह के अन्दर योग्यता अंशों को धारित करना या लेना होता है बशर्ते वह उसने पूर्व में ही न ले रखे हों। धारा 149 के अनुसार एक नवीन स्थापित कम्पनी की स्थिति में संचालकों को योग्यता अंशों के प्रति भुगतान 'व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र' प्राप्त करने से पूर्व ही करना होता है। योग्यता अंशों का नाम मात्र मूल्य 5000 रू0 से अधिक नहीं होना चाहिये।

यदि कोई संचालक निर्धारित अवधि में योग्यता अंश क्रय नहीं करता है तो उसका कार्यालय रिक्त माना जायेगा। साथ ही उस पर प्रावधानों के अनुसार जुर्माने की व्यवस्था भी हो सकती है।

धारा 274 के अनुसार संचालकों की अयोग्यताओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है–

एक व्यक्ति किसी भी कम्पनी के संचालक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि –

1. यदि वह किसी न्यायालय द्वारा अस्थिर मस्तिष्क का पाया जाये।
2. वह दिवालिया घोषणा की प्रक्रिया में हो।
3. उसने अपने आपको दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया हो।

4. यदि उसे न्यायालय द्वारा किसी दोष या अपराध के लिये अभियुक्त या अपराधी माना हो, जिसमें नैतिक भ्रष्टता सम्मिलित है तथा कम से कम 6 माह का कारावास हुआ हो तथा अब तक उसको पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो।
5. उसने अंशों पर याचना का भुगतान 6 माह तक न किया हो।
6. न्यायालय द्वारा किसी को संचालक होने के अयोग्य घोषित किया गया हो।
7. वह पहले से ही किसी सार्वजनिक कम्पनी का संचालक हो तथा उस कम्पनी ने 1 अप्रैल 1999 के पश्चात् तीन निरन्तर वित्तीय वर्षों के वार्षिक खाते तथा वार्षिक विवरणी दाखिल न की हो।

या

यदि वह अपनी जमाओं या ब्याज का देय तिथि पर भुगतान करने में असफल रहा है अथवा ऋण पत्रों के शोधन की देय तिथि या लाभांश भुगतान में असफल रहा है और यह असफलता 1 वर्ष या उससे अधिक निरन्तर बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अन्य किसी अन्य सार्वजनिक कम्पनी का संचालक उसके दोषी होने की तिथि से 5 वर्ष तक नहीं हो सकता।

4.3.2 संचालकों के प्रकार :–

संचालकों के विभिन्न नाम है जैसे–

1. प्रथम संचालक की नियुक्ति
2. सामान्य सभा में संचालक की नियुक्ति
3. संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति
4. तीसरे पक्षकार द्वारा नियुक्ति
5. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति

4.3.3 संचालकों की नियुक्ति :–

धारा 253 के अनुसार केवल एक व्यक्ति किसी कम्पनी का संचालक हो सकता है एवं कोई भी निगमित संस्था या व्यक्तियों का संगठन संचालक नहीं हो सकता है। कम्पनी अधिनियम (संशोधित) अधिनियम 2006 में धारा 253 को भी संशोधित किया गया और प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त एवं पुनर्नियुक्त किसी कम्पनी में किया जा सकता है बशर्ते उसे संचालक पहचान संख्या (DIN) आवंटित हो।

प्रथम संचालक की नियुक्ति :–

कम्पनी अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम संचालक की नियुक्ति प्रवर्तकों द्वारा की जाती है। यदि अन्तर्नियमों में प्रथम संचालक का नाम विशिष्ट रूप से न दिया गया हो तो पार्षद सीमा नियम में योगदान करने वाले जो कि व्यक्ति हों, प्रथम संचालक माने जायेंगे। ये संचालक कम्पनी की आम/सामान्य सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति होने तक संचालक बने रहेंगे।

अनुवर्ती या आगामी संचालक :–

आगामी संचालकों की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा सामान्य सभा में की जाती है। संचालकों की कुल संख्या का दो तिहाई किसी भी सार्वजनिक कम्पनी में अथवा

उसकी निजी सहायक कम्पनी में अंशधारियों की सामान्य सभा में संचालक के रूप में अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाता है। उस कम्पनी एवं निजी कम्पनी के शेष संचालकों की नियुक्ति अन्तर्नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

नियुक्ति न होने की दशा में अथवा अन्तर्नियमों में नियुक्ति के प्रावधान की अनुपस्थिति की दशा में यह रिक्तियां भी सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा भरी जा सकती है। कुल संचालकों में से दो तिहाई संचालक चक्रानुक्रम (Rotation) में सेवा निवृत होंगे, मात्र एक तिहाई संचालकों को स्थायी नियुक्त किया जा सकता है। संचालकों की नियुक्ति के लिये साधारण सभा में एक सामान्य प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।

संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति :–

संचालक मंडल भी संचालकों की नियुक्ति के अपने अधिकार का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में कर सकता है –

1. अतिरिक्त संचालक (धारा 260)
2. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति (धारा 262)
3. वैकल्पिक संचालक (धारा 313)

अतिरिक्त संचालक :–

यदि अन्तर्नियमों में व्यवस्था एवं अनुमति हो तो अन्तर्नियमों में दी गयी अधिकतम संचालकों की सीमा के अन्दर संचालक मंडल अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। अतिरिक्त संचालकों को भी अन्य संचालकों की भांति समान अधिकार प्राप्त होते हैं।

आकस्मिक रिक्तियां :–

यदि किसी संचालक का पद उसकी नियत अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी कारण से रिक्त हो जाता है इन कारणों में मृत्यु, त्याग पत्र, दिवालिया होना आदि सम्मिलित हैं तो इससे आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह आकस्मिक रिक्ति पार्षद अन्तर्नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भरी जायेंगी परन्तु अन्तर्नियमों में ऐसे किसी प्रावधान की अनुपस्थिति संचालक मंडल को ऐसी रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिये अधिकृत करती है।

वैकल्पिक संचालक :–

यदि कोई अन्य संचालक, संचालक मंडल की सभा होने के समय से, तीन माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति की जा सकती है। परन्तु वास्तविक संचालक की वापसी या उसका कार्यकाल समाप्त होने की दशा में वैकल्पिक नियुक्त संचालक को पद छोड़ना होगा। (धारा 313)

केन्द्र सरकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति :–

केन्द्रीय सरकार कम्पनी संचालकों की नियुक्ति कम्पनी मामलों में उत्पीड़न एवं कुप्रबन्ध के रोकथाम की दृष्टि से राष्ट्रीय कम्पनी अधिनियम ट्रिब्युनल की सिफारिशों

के आधार पर कर सकती है। ट्रिब्युनल अनुसंधान के पश्चात् इस प्रकार के आदेश निर्गत कर सकता है यदि

1. इसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्दर्भित किया गया हो।
2. कम से कम 100 कम्पनी सदस्यों का आवेदन प्राप्त हो।
3. कुल मतदान संख्या के कम से कम 1/10 संख्या में सदस्यों का आवेदन प्राप्त हो।

किसी भी परिस्थिति में ऐसे नियुक्त संचालकों की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार किसी भी ऐसे संचालक को किसी भी समय पदमुक्त कर किसी अन्य की नियुक्ति कर सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त संचालक को योग्यता अंश धारित करना अनिवार्य नहीं होता तथा चक्रानुक्रम द्वारा उनकी सेवा निवृति भी नहीं होती है।

तृतीय पक्षकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति :–

तृतीय पक्षकार द्वारा भी संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। तृतीय पक्षकार से आशय कम्पनी के बाह्य पक्षकारों जैसे वित्तीय संस्थान, विदेशी सहयोगी, ऋणपत्रधारी, बैंकिंग कम्पनी आदि से है।

इस श्रेणी में नियुक्त संचालकों को नामित संचालक कहा जाता है। नामित संचालकों की संख्या कुल संचालकों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है।

4.3.4 संचालकों की संख्या :–

कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी में कम से कम चाहिये–

1. सार्वजनिक कम्पनी की दशा में 3 संचालक
2. निजी कम्पनी की दशा में 2 संचालक

अधिनियम में संचालकों की अधिकतम संख्या के विषय में कोई प्रावधान नहीं है यद्यपि कम्पनी के अन्तर्नियमों द्वारा इसको यदि चाहे तो अधिकृत किया जा सकता है।

संचालक होने की अधिकतम सीमा (धारा 275 से 279 कम्पनी [संशोधन] अधिनियम 2000) –

कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 15 से अधिक (पूर्व सीमा 20) कम्पनियों का संचालक पद ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 15 कम्पनियों से अधिक का संचालक पाया जाता है तो कम्पनी अधिनियम (संशोधन) 2000 के आधार पर दो माह के अन्दर उसे अपनी पसंद की 15 कम्पनियों को चुनना होगा, शेष से त्याग पत्र देकर कम्पनी रजिस्ट्रार एवं केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित करना होगा।

यद्यपि निम्न को इस पन्द्रह की संख्या में नहीं गिना जायेगा–

1. किसी भी ऐसी निजी कम्पनी का संचालक पद, जो कि किसी भी सार्वजनिक कम्पनी की सूत्रधारी या सहायक न हो।
2. असीमित कम्पनी का संचालक पद।
3. गैर लाभार्जन संस्थान का संचालक पद।

4. वैकल्पिक संचालक पद।

4.3.5 संचालक पहचान संख्या (DIN) :–

DIN का अर्थ संचालक पहचान से है। यह पहचान संख्या केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालकों को मान्यता देने के उद्देश्य से आवंटित की जाती है। संचालक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को इसके लिये निर्धारित शुल्क सहित केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना होता है। एक व्यक्ति केवल तभी संचालक बन सकता है जबकि उसे संचालक आवंटन संख्या आवंटित हो।

4.3.6 संचालकों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

धारा 291 में संचालक मंडल के साधारण अधिकार वर्णित है। यह संचालकों को वह सभी अधिकार प्रयोग करने के लिये सक्षम बनाती है जिनके लिये कम्पनी द्वारा उनको अधिकृत किया गया है।

संचालकों के वैधानिक अधिकार :–

धारा 292 जैसा कि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2001 में वर्णित है निम्न अधिकार, अन्तर्नियमों में दिये गये प्रतिबन्धों के अन्तर्गत, संचालक मंडल द्वारा केवल तभी प्रयोग किये जा सकते हैं जब इसके लिये संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित किया गया हो न कि प्रस्ताव प्रसार से;

1. याचना का अधिकार
2. कम्पनी के अपने अंशों या अन्य विशिष्ट प्रतिभूतियों की पुनः खरीद का अधिकार कुल चुकता पूंजी एवं मुक्त कोषों के 10% सीमा तक
3. ऋणपत्र निर्गमन का अधिकार
4. ऋणपत्रों के अतिरिक्त प्रकार से उधार प्राप्त करने का अधिकार
5. कम्पनी के कोषों को विनियोजित करने का अधिकार
6. ऋण देने का अधिकार

अंशधारियों का हस्तक्षेप :–

सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करने में अंशधारी एक सीमा तक हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में वह निम्न प्रकरणों में नियन्त्रण कर सकते हैं–

1. यदि संचालक दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने व्यक्तिगत हित का प्रवर्तन कम्पनी हित को नजरअंदाज करके करने लगे।
2. जब कम्पनी के संचालक कम्पनी के प्रति कार्य करने के अयोग्य हो जायें।
3. जब संचालक मंडल पारस्परिक गतिरोध के कारण क्रियायें करने में असफल हो जाये।
4. जब कम्पनी संचालक कम्पनी के विरूद्ध मुकदमे में संलग्न हों।

संचालकों से यह आशा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे विश्वास, पूर्ण परिश्रम, ईमानदारी एवं देखभाल से करें।

4.3.7 संचालक मंडल सभायें :–

संचालक अपने अधिकारों का प्रयोग संचालक सभाओं के माध्यम से ही कर सकते हैं। संचालक मंडल की सभायें निर्णयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालक मंडल की सभा 3 माह में एक बार अर्थात

वर्ष में 4 बार होनी अनिवार्य है। केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह विशिष्ट कम्पनियों के लिये इस शर्त को मुक्त कर दे। संचालक मंडल की सभा की सूचना सभी संचालकों को अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दी जानी चाहिये अन्यथा सभा अवैधानिक मानी जायेगी।

कार्यवाहक संख्या :–

कार्यवाहक संख्या से आशय उन योग्य व्यक्तियों की संख्या से है जिनकी उपस्थिति सभा की वैधानिकता के लिये आवश्यक है। संचालकों की सभा में कार्यवाहक संख्या कुल संचालक संख्या का एक तिहाई अथवा दो संचालक, जो भी अधिक हो, होती है। कुल संख्या की गिनती में रिक्त पदों को नहीं गिना जायेगा। यदि कोई सभा का कार्यवाहक संख्या की कमी के कारण नहीं हो पाती है तो यह स्थगित सभा स्वतः उसी दिन अगले सप्ताह उसी स्थान तथा उसी समय पर सम्पन्न होगी।

4.3.8 पारिश्रमिक :–

संचालकों को पारिश्रमिक पार्षद अन्तर्नियमों अथवा सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर देय होता है। संचालक को देय पारिश्रमिक अधिकतम कुल पारिश्रमिक की सीमा में होना चाहिये। कम्पनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार संचालकों की अधिकतम संख्या निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान हैं–

1. एक सार्वजनिक कम्पनी द्वारा इसकी सहायक निजी कम्पनी के संचालकों को देय कुल पारिश्रमिक उस वर्ष के कुल शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं होना चाहिये। यद्यपि सभा में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में प्राप्त शुल्क इस पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
2. सामान्य परिस्थितियों में यदि किसी वित्तीय वर्ष में कम्पनी को समुचित लाभ नहीं होता है तो वह किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेगी।

4.3.9 संचालक की मुक्ति :–

यदि एक संचालक अधिनियम के अनुसार निम्न प्रकार अयोग्य हो जाता है तो उसका कार्यालय रिक्त माना जायेगा–

1. यदि अपनी नियुक्ति की तिथि के दो माह के अन्दर संचालक योग्यता अंश लेने में असफल रहता है।
2. यदि सक्षम न्यायालय द्वारा संचालक को अस्थिर मस्तिष्क का घोषित कर दिया जाये।
3. यदि संचालक न्यायालय में दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया हो।
4. यदि संचालक को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।
5. यदि किसी अनैतिक कार्य के लिए संचालक को कम से कम 6 माह का कारावास हुआ हो।
6. यदि संचालक याचना राशि के भुगतान में देय तिथि से 6 माह बाद तक भी भुगतान में असफल रहता है।

7. यदि संचालक बिना संचालक मंडल को सूचित किये हुए तीन लगातार सभाओं से अनुपस्थित रहे अथवा लगातार तीन माह तक अनुपस्थित रहे, जो भी अधिक हो
8. यदि संचालक कम्पनी द्वारा किये गये किसी अनुबन्ध में अपने हित को घोषित करने में असफल रहता है।
9. यदि संचालक केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई ऋण, गारंटी या सुरक्षा स्वीकार करता है।
10. यदि संचालक को न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।
11. जब संचालक को उसके पद से उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व एक सामान्य प्रस्ताव पारित कर हटा दिया गया हो।
12. यदि संचालक की नियुक्ति कम्पनी के किसी कार्यालय में सेवाओं के लिये कर दी जाती है तो जब से संचालक कम्पनी में सेवारत होगा तब से उसका संचालक का पद रिक्त माना जायेगा।

संचालक को निम्न में से किसी भी विधि से हटाया जा सकता है–

1. कम्पनी के द्वारा सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके
2. ट्रिब्युनल की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा

यदि संचालक ऐसा अनुभव करे तो वह अपने कार्यालय से त्यागपत्र भी दे सकता है।

4.4 कम्पनी का प्रबन्ध संचालक

कम्पनी अधिनियम की धारा 2(26) की परिभाषा के अनुसार, ''एक संचालक, कम्पनी के साथ अपने अनुबन्ध के कारण या संचालक मंडल की सभा द्वारा या कम्पनी की सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के द्वारा या अन्तर्नियमों द्वारा, को कुछ विश्वासाश्रित सारभूत प्रबन्धकीय अधिकार, जो कि अन्यथा उसके द्वारा प्रयोग नहीं किये जा सकते थे, प्रदान करता है और प्रबन्ध संचालक के पद को ग्रहण करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।''

सारभूत या विश्वासाश्रित अधिकारों का तात्पर्य कुछ विशिष्ट निर्णय के अधिकार से है जैसे– उत्पादनों का मूल्य निर्धारण, नवीन तकनीक को लागू करना, क्रय एवं विक्रय सम्बन्धी, कर्मचारियों की नियुक्ति आदि। निम्न क्रियायें प्रबन्ध संचालक के अधिकारों के बाहर होंगी –

1. कम्पनी की सार्वमुद्रा को लगाने का अधिकार
2. कम्पनी की ओर से किसी चैक का भुगतान प्राप्त करने अथवा उसे पृष्ठांकित करने का अधिकार
3. किसी अंश प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करने का अधिकार

4.4.1 प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति :–

एक प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति निम्न में से किसी विधि द्वारा हो सकती है–

1. कम्पनी के साथ एक अनुबन्ध के द्वारा
2. कम्पनी द्वारा सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा
3. संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा

4. कम्पनी के पार्षद अन्तर्नियम द्वारा

4.4.2 प्रबन्ध संचालक की अयोग्यतायें :–

पूर्व में वर्णित संचालकों की अयोग्यतायें प्रबन्धक संचालक के सम्बन्ध में लागू होती है। यद्यपि धारा 267 यह स्पष्ट करती है जो व्यक्ति निम्न रूप से अयोग्य हो वह किसी भी कम्पनी का प्रबन्ध संचालक नहीं हो सकता–

1. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समय दिवालियापन की प्रक्रिया में हो अथवा न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो।
2. वह व्यक्ति जो अपने लेनदारों का भुगतान करने में असफल रहा हो।
3. वह व्यक्ति जिसने अपने लेनदारों से समझौता किया हो या कर रहा हो।
4. वह व्यक्ति जो अनैतिक क्रियाओं के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी समय दोषी पाया गया हो।

4.4.3 प्रबन्ध संचालक की अवधि एवं पारिश्रमिक :–

कम्पनी अधिनियम की धारा 317 (1) के अनुसार एक व्यक्ति एक अवधि में 5 वर्ष से अधिक अवधि के किये प्रबन्ध संचालक पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एक समय में दो कम्पनियों का प्रबन्धक संचालक नहीं हो सकता जैसे– एक सार्वजनिक कम्पनी और एक निजी कम्पनी। यद्यपि वह कितनी भी निजी कम्पनियों का प्रबन्ध संचालक हो सकता है।

जहां तक प्रबन्ध संचालक के पारिश्रमिक का सम्बन्ध है तो उसे मासिक भुगतान के आधार पर या कम्पनी के शुद्ध लाभ का निश्चित प्रतिशत या दोनों आंशिक रूप से पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किये जा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रबन्ध संचालक को पारिश्रमिक के रूप में कम्पनी के शुद्ध लाभ का 5% से अधिक भुगतान नहीं हो सकता। प्रत्येक सार्वजनिक कम्पनी जिसकी चुकता अंश पूंजी 5 करोड़ रूपये या अधिक है को एक प्रबन्ध संचालक या पूर्णकालिक संचालक या प्रबन्धक रखना होगा। [धारा 269(1)]

4.5 कम्पनी का प्रबन्धक

धारा 2(24) एक प्रबन्धक को पारिभाषित करती है– ''एक व्यक्ति, संचालक मंडल की देख रेख, निर्देशन एवं नियन्त्रण में, सभी प्रबन्ध करता है या सारभूत रूप से कम्पनी के सभी प्रकरणों की देख रेख करता है एवं इसमें संचालक शामिल है या कोई अन्य व्यक्ति जो प्रबन्धक पद को धारण करता हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय एवं वह सेवा अनुबन्ध में हो अथवा नहीं।''

4.5.1 प्रबन्धक की नियुक्ति एवं अयोग्यतायें :–

प्रबन्धक की नियुक्ति के सम्बन्ध में वही सब प्रावधान लागू होते हैं जो पूर्व में प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति के सम्बन्ध में बताये गये है।

धारा 385 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निम्न अयोग्यतायें रखता हो किसी भी कम्पनी में प्रबन्धक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

1. कोई भी व्यक्ति जो पांच वर्षों में किसी भी समय किसी भी न्यायालय में दिवालिया की प्रक्रिया में रहा हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो।

2. कोई भी व्यक्ति जिसने गत पांच वर्षो में कभी भी अपने किसी भी समय लेनदारों का भुगतान निलम्बित रखा हो अथवा लेनदारों का भुगतान निलम्बित करता हो।
3. कोई भी व्यक्ति जिसने गत पांच वर्षो में किसी भी समय अपने लेनदारों से भुगतान सम्बन्धी समझौता किया हो।
4. कोई भी व्यक्ति जो गत पांच वर्षों में किसी भी समय किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध सम्बन्धी अभियोग के लिये अपराधी ठहराया गया हो।

4.5.2 प्रबन्धक की अवधि एवं पारिश्रामिक :–

प्रबन्धक की अवधि के सम्बन्ध में वही सब प्रावधान लागू होते हैं जो पूर्व में प्रबन्ध संचालक की अवधि के सम्बन्ध में बताये गये हैं। कोई भी व्यक्ति एक समय में पांच वर्ष के लिये प्रबन्धक नियुंक्त किया जा सकता है।

कम्पनी प्रबन्धक को पारिश्रामिक मासिक भुगतान के आधार पर अथवा शुद्ध लाभ के निश्चित प्रतिशत के आधार पर कम्पनी द्वारा भुगतान किया जा सकता है। कम्पनी अधिनियम की धारा 387 के अनुसार केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं हो सकता।

4.5.3 प्रबन्धक संचालक एंव प्रबन्धक – एक तुलना :–

क्रम संख्या	प्रबन्धक संचालक	प्रबन्धक
1	एक प्रबन्धक संचालक अनिवार्य रूप से कम्पनी का संचालक होता है	एक प्रबन्धक का कम्पनी का संचालक होना अनिवार्य नही है
2	एक कम्पनी मे एक से अधिक प्रबन्धक संचालन हो सकते है	एक कम्पनी मे एक से अधिक प्रबन्धक नहीं हो सकते।
3	एक प्रबन्धक संचालक को समस्त प्रबन्धकीय अधिकार नहीं होते। वह केवल संचालक मंडल या अन्तर्नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ही उपयोग कर सकता है।	एक प्रबन्धक कम्पनी प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापों के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार रखता है।
4	अधिनियम के अनुसार प्रबन्ध संचालक को अयोग्यता मुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।	केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार प्रबन्धक को अयोग्यता मुक्त कर सकती है।

4.7 कम्पनी सचिव

धारा 2(45) में सचिव को परिभाषित करते हुए बताया गया है– ''सचिव का अर्थ कम्पनी सचिव से है जो कम्पनी अधिनियम 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) तथा अनुच्छेद (स) में वर्णित किया गया है, इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित है जो निर्धारित

योग्यता के साथ नियुक्त हो तथा सचिव द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक एवं कार्यालीय कार्य सम्बन्धी कर्तव्यों का निष्पादन करता हो।''

कम्पनी सचिव अधिनियम में कम्पनी सचिव को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह कम्पनी सचिव संस्थान का सदस्य हो। यह ध्यान रखते योग्य है कि –

14. केवल एक व्यक्ति को कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है एवं किसी फर्म या निगमित संस्था को इस उद्देश्य के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता।
15. एक कम्पनी सचिव के पास यथोचित योग्यता होनी चाहिये।
16. एक कम्पनी सचिव कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अपने कार्यों को निष्पादित करता है।

इसका अर्थ यह है कि कम्पनी सचिव वह व्यक्ति है जो सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे अर्थात कम्पनी सम्बन्धी मामलों में अपनी क्रियाओं को संचालित करने में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.6.1 सचिव की नियुक्ति के लिये योग्यतायें :–

एक सचिव की शैक्षिक योग्यतायें विभिन्न कम्पनियों में पृथक–पृथक हो सकती हैं। जिस कम्पनी की चुकता अंशपूंजी पचास लाख रूपये या अधिक हो उसे एक पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति करनी चाहिये जो भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान का सदस्य हो।

यदि किसी कम्पनी की चुकता अंश पूंजी 50 लाख रूपये से कम है तो सचिव को नियुक्ति के लिये निम्न में से कोई एक या अधिक योग्यता रखनी होती है–

1. भारतीय कम्पनी सचिवीय संस्थान का सदस्य।
2. भारतीय कम्पनी सचिवीय संस्थान द्वारा आयोजित इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3. भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान का सदस्य हो।
4. भारतीय लागत एवं वर्क्स एकाउन्ट्स संस्थान का सदस्य हो।
5. किसी भी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री हो।
6. किसी भी विश्वविद्यालय से विधि (LAW) की डिग्री हो।
7. IIMs द्वारा प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिग्री हो।
8. निगमीय विधि एवं प्रबन्ध में भारतीय विधि संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त किया हो।
9. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्शियल प्रैक्टिस से कम्पनी सचिव का पी0जी0 डिप्लोमा किया हो।
10. सचिव एवं प्रबन्धक संघ, कलकत्ता का सदस्य हो।
11. उदयपुर विश्वविद्यालय से कम्पनी विधि एवं सचिवीय व्यवहार में पी0जी0 डिप्लोमा किया हो।

कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को ऊपर लिखी शर्तों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं होती।

4.6.2 कम्पनी सचिव की नियुक्ति :–

सचिव वह व्यक्ति होता है जो कम्पनी प्रकरणों के सम्बन्ध में वैधानिक ज्ञान रखता है। यही कारण है कि प्राथमिक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवर्तक सचिव को सहायक के रूप में आवश्यक समझते हैं। इस स्थिति पर सचिव को अस्थायी सचिव के रूप में जाना जाता है। यद्यपि यह अनिवार्यतः नहीं है कि अस्थायी सचिव को ही बाद में कम्पनी के प्रथम सचिव के रूप में नियुक्त किया जाये। कम्पनी के प्रथम सचिव की नियुक्ति बोर्ड की सभा में प्रस्ताव पारित करके की जाती है। अस्थायी सचिव को कम्पनी के समामेलन के पश्चात् कम्पनी के प्रथम सचिव के रूप में बने रहने के लिए बोर्ड की सभा में अपने पक्ष में इस आशय का प्रस्ताव पारित करा लेना चाहिये।

4.6.3 कम्पनी सचिव की भूमिका :–

Panorma Developments (Guildford) Ltd. V/s Fidelies Furnishing Fabrics Ltd. (1971) के मामले में लॉर्ड डेनिंग ने अनुभव किया, ''एक कम्पनी सचिव पुरानी स्थितियों की तुलना में वर्तमान समय में और अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया है। वह कम्पनी का विस्तारित कर्तव्यों एवं दायित्वों वाला अधिकारी है। अब वह मात्र एक लिपिक नहीं रह गया है। वह निरन्तर कम्पनी का प्रतिनिधित्व करता है और कम्पनी की ओर से अनुबन्ध करता है। न्यायाधीश सोलोमन ने भी इस मामले में यह अनुभव किया कि सचिव कम्पनी की ओर से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने का प्रत्यक्ष या दृश्यमान अधिकार रखता है।''

हम यह कह सकते हैं कि कम्पनी के प्रति अपने कर्तव्यों के जागरूक अनुपालन में कम्पनी सचिव प्रमुखतः दो प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करता है–

1. सामान्य कर्तव्य
2. वैधानिक कर्तव्य

सामान्य कर्तव्य :–

सामान्यतः सचिव को कम्पनी की सभी सभाओं में उपस्थित रहना होता है। सचिव संचालक मंडल के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक सूचनायें (Notices) जारी करता है एवं सभा के सूक्ष्य एवं कार्यवाही को निर्मित करता है। वह कम्पनी की सभी आन्तरिक पुस्तकों का प्रभारी होता है तथा अंशधारियों के साथ होने वाले सभी पत्राचार का प्रबन्ध भी करता है। यहां तक कि वह कम्पनी रजिस्ट्रार से होने वाले आवश्यक पत्र व्यवहार को भी करता है।

वैधानिक कर्तव्य :–

कम्पनी सचिव वह व्यक्ति है जो कम्पनी अधिनियम एवं देश में लागू अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। कम्पनी सचिव द्वारा निस्तारित किये जाने वाले वैधानिक कर्तव्यों में से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार है –

(i) प्रक्रिया/कार्यवाही सम्बन्धी प्रपत्रों को सत्यापित एवं हस्ताक्षरित करना जिनको कम्पनी द्वारा अधिकृत किये जाने की आवश्यकता हो। (धारा 54)
(ii) अंशपूंजी की वृद्धि के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार को सूचना देना। (धारा 97)
(iii) आबंटन एवं अंश आबंटन सम्बन्धी अनुबन्धों के पंजीकरण वापसी की व्यवस्था करना रोकड़ के अतिरिक्त। (धारा 75)

(iv) आबंटन के तीन माह के अन्दर तथा हस्तान्तरण के दो माह के अन्दर अंश प्रमाण पत्र निर्गत करना। (धारा 113)

(v) प्रत्येक सदस्य अथवा ऋणपत्र धारियों की प्रार्थना पर विश्वासाश्रित अनुबंध (Trust Deed) सात दिन के अन्दर उनके निरीक्षण/अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना। (धारा 118)

(vi) अंश अधिपत्र निर्गमित किये जाने पर सदस्य रजिस्टर में उसका लेखा करना। (धारा 115)

(vii) रहन (गिरवी) या प्रभार विवरण रजिस्ट्रार के यहां पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करना। (धारा 125 – 127)

(viii) व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी आवश्यक प्रकटीकरण या घोषणा करना। (धारा 149)

(ix) कम्पनी का नाम अथवा नाम पट्टिका कम्पनी के प्रत्येक कार्यालय के बाहर अंकित कराना, सभी सम्बन्धित प्रपत्रों एवं मुहर पर इसे मुद्रित कराना।

(x) वार्षिक विवरणी को हस्ताक्षरित करना तथा संलग्न प्रपत्रों को सत्यापित करना।

(xi) सदस्य रजिस्टर को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना।

(xii) पंजीकरण हेतु प्रस्तावों एवं ठहरावों को रजिस्ट्रार के सम्मुख दाखिल करना। (धारा 192)

(xiii) सदस्यों को सामान्य सभा की तथा संचालकों को संचालक मंडल की सभाओं की सूचना देना।

(xiv) प्रत्येक सामान्य सभा एवं प्रत्येक संचालक मंडल की सभा की कार्यवाही के सूक्ष्यों का लेखा करना तथा प्रत्येक सभा के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना। (धारा 193)

(xv) संचालक रजिस्टर को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना। (धारा 304)

(xvi) सामान्य सभा के सूक्ष्यों की पुस्तिका को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना। (धारा 196)

(xvii) कम्पनी की सभी वैधानिक पुस्तकों की देख रेख करना जैसे– कम्पनी द्वारा रखा जाने वाला विनियोग रजिस्टर नॉमिनी के नाम में, शुल्क रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, सदस्य सूची, अनुबन्ध रजिस्टर जिनमें संचालकों का हित हो, संचालक प्रबन्धक एवं सचिव का रजिस्टर, संचालकों की अंशधारिता का रजिस्टर।

4.6.4 कम्पनी सचिव की सेवामुक्ति (बर्खास्तगी) :–

संचालक मंडल एक प्रस्ताव के माध्यम से कम्पनी सचिव को उसके पद से हटा सकते हैं। उसे एक नोटिस देकर या क्षतिपूर्ति प्रदान कर पदमुक्त किया जा सकता है। यद्यपि एक सचिव को निम्न परिस्थितियों में बिना सूचना (Notice) दिये हुए पदमुक्त (बर्खास्त) किया जा सकता है–

1. जानबूझ कर आदेश अवहेलना की स्थिति में।
2. दुराचार या नैतिक अधमता की स्थिति में।

3. लापरवाही की स्थिति में।
4. अयोग्यता, अक्षमता या पूर्ण अक्षमता की स्थिति में।

जैसे ही कम्पनी सचिव की नियुक्ति समाप्त की जाती है, इसकी विधिवत् सूचना प्रारूप 32 पर दो प्रतिलिपियों में 30 दिन के अन्दर कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में दी जानी होती है।

4.7 सभायें एवं प्रस्ताव – एक अवलोकन

कम्पनियां बहुधा विभिन्न समस्याओं से घिरी रहती है तो उनके समाधान हेतु विभिन्न निर्णय लिये जाने होते हैं। कुछ निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर लिये जा सकते हैं परन्तु कुछ के समाधान हेतु अधिसंख्या की सहमति आवश्यक होती है। कम्पनी की सभायें संचालक मंडल, अन्य स्टॉक एवं अंशधारियों आदि से जुड़े विषयों पर सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिये आयोजित होती है। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से सभा का अभिप्राय किसी विषय विशेष पर चर्चा एवं निर्णय के उद्देश्य से एकत्र होना है।

जब सभा में एकत्र व्यक्ति बहुमत के माध्यम से किसी कार्य को करने अथवा उसे न करने के सम्बन्ध में निर्णय करते हैं तो इसे प्रस्ताव का पारित होना कहते हैं।

4.7.1 विभिन्न प्रकार की सभायें एवं वैधानिक प्रावधान :–

1. अंशधारियों की सभायें
    (i) वैधानिक सभा
    (ii) वार्षिक साधारण सभा
    (iii) असाधारण सामान्य सभा
    (iv) वर्ग (Class) सभा
2. संचालक सभायें
3. ऋणपत्रधारियों की सभायें
4. लेनदारों की सभायें

वैधानिक सभा :–

समामेलन के पश्चात् सदस्यों की प्रथम होने वाली सभा वैधानिक सभा कहलाती है। कम्पनी द्वारा यह सभा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र मिलने के एक माह पश्चात् परन्तु 6 माह से पूर्व की जानी आवश्यक है। वैधानिक सभा कम्पनी के जीवनकाल में केवल एक ही बार आयोजित होती है। एक निजी कम्पनी अथवा सार्वजनिक कम्पनी जो गारंटी द्वारा सीमित हो तथा बिना अंशपूंजी के हो, को वैधानिक सभा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

वार्षिक साधारण सभा :–

जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है यह सभा प्रतिवर्ष आयोजित होती है। यह सदस्यों को अपनी राय प्रस्तुत करने तथा कम्पनी प्रबन्ध क्रियाओं पर नियन्त्रण का अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक कम्पनी चाहे वह निजी कम्पनी हो अथवा सार्वजनिक कम्पनी हो को वार्षिक साधारण सभा आयोजित करना अनिवार्य है। सामान्य परिस्थितियों में दो वार्षिक साधारण सभाओं में 15 माह से अधिक का अन्तराल नहीं हो सकता यद्यपि कम्पनी रजिस्ट्रार इस अवधि को विस्तारित करने की अनुमति दे सकता

है जो कि 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। कम्पनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा कम्पनी के समामेलन की तिथि से 18 माह के अन्दर आयोजित की जानी चाहिये। कम्पनी की इस सभा की लिखित सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व सभी सदस्यों को प्रसारित कर दी जानी चाहिये।

<u>असामान्य साधारण सभा :–</u>

वैधानिक सभा एवं वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त होने वाली सभी साधारण सभायें असामान्य साधारण सभा कहलाती हैं। तालिका 'अ' का नियम 47 यह परिभाषित करता है, ''सभी साधारण सभायें जो वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त होंगी असामान्य साधारण सभा मानी या कही जायेंगी।

असामान्य साधारण सभा निम्न द्वारा आयोजित हो सकती है–

(i) संचालक जब भी उचित समझें संचालक सभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर असामान्य साधारण सभा आयोजित कर सकते हैं।

(ii) यदि कुल मतदान संख्या के कम से कम 1/10 भाग सदस्य किसी विषय विशेष पर सभा की आवश्यकता महसूस करते हैं तो इसकी मांग कर सकते हैं और उनकी मांग पर सम्बन्धित विषय के सम्बन्ध में संचालकों द्वारा असामान्य साधारण सभा का आयोजन करना होता है। यदि मांगकर्ता सदस्य कम से कम 1/10 या अधिक हैं तो निर्धारित अवधि में यदि संचालक मंडल सभा आहूत करने में असफल रहता है तो वह मांगकर्ता सदस्य असामान्य साधारण सभा स्वयं भी आयोजित कर सकते हैं।

<u>वर्ग **(Class)** सभा :–</u>

जब अंशधारियों के एक वर्ग विशेष की सभा आयोजित की जाती है तो उसे वर्ग सभा कहते हैं। एक कम्पनी के दो प्रकार के अंशधरी हो सकते हैं– पूर्वाधिकार अंशधारी एवं समता अंशधारी। किसी समय सभा में किसी एक वर्ग के सदस्यों की उपस्थिति ही आवश्यक होती है। उदाहरण के लिये यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों की लाभांश दर परिवर्तित की जानी है तो सभा में केवल उन्हीं की उपस्थिति आवश्यक होगी।

<u>संचालक सभायें :–</u>

संचालक मंडल द्वारा आयोजित सभायें बोर्ड सभायें कहलाती हैं। यह हर तीन माह में एक बार आयोजित होती है।

<u>ऋणपत्रधारियों की सभायें :–</u>

ऋणपत्रधारी ऋणपत्र ट्रस्ट अनुबंध के आधार पर सभा बुला सकते हैं। सामान्यतः यह विशिष्ट सभा अंशनिर्गमन की शर्तों में परिवर्तन के लिये आयोजित की जाती है। यद्यपि न्यायालय को भी यह अधिकार है कि वह किसी भी समय ऋणपत्रधारियों की सभा बुलाने की घोषणा करे।

<u>लेनदारों की सभा :–</u>

लेनदारों की सभा न्यायालय के आदेश के द्वारा आयोजित की जा सकती है।

<u>4.7.2 प्रस्ताव एवं वैधानिक प्रावधान :–</u>

एक पारित प्रस्ताव प्राथमिक रूप से विशिष्ट विषय या प्रश्न पर इस प्रस्ताव पर सभा में सदस्यों की स्वीकृति है। अन्य शब्दों में प्रस्तावित प्रस्ताव जब अंशधारियों द्वारा बहुमत मतदान से पारित किया जाता है तो कम्पनी प्रस्ताव कहलाता है। कम्पनी अधिनियम में कम्पनी की साधारण सभा में तीन प्रकार के प्रस्ताव पारित किये जाने का प्रावधान है –

(अ) साधारण / सामान्य प्रस्ताव

(ब) विशेष प्रस्ताव

(स) प्रस्ताव जिनके लिये विशिष्ट सूचना आवश्यक है।

साधारण / सामान्य प्रस्ताव :–

यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष में दिये गये मतदान की संख्या उसके विपक्ष में किये गये मतदान से अधिक होती है तो उसे साधारण प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें अनुपस्थित अथवा तटस्थ सदस्यों को नहीं गिना जाता। एक साधारण प्रस्ताव सामान्यतः साधारण उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जाता है जैसे– वार्षिक खातों को पारित करना, लाभांश घोषणा, संचालकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षकों की नियुक्ति।

मतदान या तो हाथ उठाकर किया जा सकता है अथवा मतदान आयोजित करके किया जा सकता है।

विशेष प्रस्ताव :–

विशेष प्रस्ताव सभा में उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होते हैं। इस उद्देश्य के लिये प्रति पुरूष वैधानिक या मान्य होते हैं। विशेष प्रस्ताव अति महत्वपूर्ण एवं विशेष विषय जैसे विधान, नीति सम्बन्धी एवं प्रशासन को प्रभावित करने से सम्बद्ध होते हैं।

कम्पनी अधिनियम में कुछ निश्चित विषयों का उल्लेख है जिनके सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव आवश्यक होता है। इन विषयों मे ंउदाहरण के लिये कुछ निम्न हैं–

1. कम्पनी के सीमानियम में परिवर्तन (धारा 17)
2. कम्पनी के अन्तर्नियमों में परिवर्तन (धारा 31)
3. कम्पनी के नाम में परिवर्तन
4. SWEAT समता अंशों का निर्गमन (धारा 77अ)
5. रिक्ति पूर्व अधिकार के बिना अंशों का निर्गमन
6. कोष पूंजी निर्माण हेतु (धारा 99)
7. अंशपूंजी में कमी करना (धारा 100)
8. अंशधारियों के अधिकारों में विभिन्नता (धारा 106)
9. सदस्यों की पूंजी पर ब्याज का भुगतान (धारा 208)
10. संचालक की किसी कार्यालय को अधिग्रहित करने के लिये अधिकृत करना (धारा 314)
11. कम्पनी के ऐच्छिक समापन के लिये (धारा 484)

विशेष सूचना वाले प्रस्ताव :–

यह एक साधारण प्रस्ताव है। इस भिन्नता के साथ कि इसके सम्बन्ध में कम्पनी को कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना होता है। कम्पनी को

अंशधारियों को सभा से कम से कम 7 दिन पहले या तो व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जाना अनिवार्य है अथवा किसी उचित समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से। (धारा 190)

सामान्य निम्न प्रकरणो में एक विशेष सूचना आवश्यक होती है–

(अ) सेवा निवृत अंकेक्षक के अतिरिक्त अन्य किसी अंकेक्षक की नियुक्ति। (धारा 225)

(ब) एक सेवा निवृत अंकेक्षक को पुनर्नियुक्त न किये जाने का प्रावधान। (धारा 225)

(स) किसी संचालक को उसकी नियत अवधि से पूर्व पद से हटाना। (धारा 284)

(द) किसी संचालक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की संचालक के रूप में नियुक्ति। उसकी नियत अवधि से पूर्व पदमुक्ति (धारा 284)

(य) किसी भी व्यक्ति की संचालक के रूप में नियुक्ति जो कि सेवानिवृत संचालक न हो। (धारा 257)

<u>डाक मतदान द्वारा प्रस्ताव पारित होना (धारा 192अ) :–</u>

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2000 में एक नवीन धारा 192अ को जोड़ा गया जो केवल सूचीकृत कम्पनियों के द्वारा डाक मतदान द्वारा प्रस्ताव पारित करने से सम्बन्धित है।

डाक मतदान में सभा में उपस्थित होकर मतदान के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान सम्मिलित है। किसी भी प्रकरण में कम्पनी प्रस्ताव पारित करने के लिये इसका प्रयोग कर सकती है। यदि कोई प्रस्ताव डाक मतदान के माध्यम से पारित किया जाता है तो सभी अंशधारियों को प्रस्ताव के प्रारूप के साथ विधिवत् सूचना डाक मतदान के कारण सहित दी जानी चाहिये। उनको इस सूचना दिये जाने के 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में डाक मतदान के लिये अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करनी होती है। सूचना, पंजीकृत डाक एवं पावती सहित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित माध्यम से दी जानी चाहिये। अंशधारियों की लिखित स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिये डाक टिकिट लगा अथवा पूर्व भुगतान किया लिफाफा भी संवहन के लिये भेजा जाना चाहिये।

4.8 कम्पनी का समापन

कम्पनी की विशेषता शाश्वत अस्तित्व एवं निरन्तरता के कारण यह सोच लिया जाता है कि यह सदैव बनी रहेगी। परन्तु वास्तव में यह विघटित या समाप्त हो सकती है।

प्रोफेसर ग्रोवर के शब्दों में, ''कम्पनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कम्पनी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा इसकी सम्पत्तियां लेनदारों एवं सदस्यों में उनके हित या लाभ के लिये वितरित हो जाती हैं। एक प्रशासक जिसे निस्तारक कहते हैं कम्पनी पर नियन्त्रण के लिये नियुक्त किया जाता है, वह सारी सम्पत्ति एकत्र करता है, दायित्वों का भुगतान करता है और अन्त में शेष को सदस्यों में उनके अधिकारों के अनुपात में वितरित कर देता है।

<u>कम्पनी के समापन की विधियां :–</u>

1. ट्रिब्युनल द्वारा अनिवार्य समापन
2. ऐच्छिक समापन (बिना ट्रिब्युनल के हस्तक्षेप के)
3. ट्रिब्यनल के हस्तक्षेप या निरीक्षण में ऐच्छिक समापन

4.9 सारांश

कम्पनी क्रियाओं में संलग्न विभिन्न सामान्य समितियों की संयुक्त प्रबन्धकीय क्रियाकलापों को कम्पनी प्रबन्ध के अन्तर्गत रखा जाता है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि कम्पनी विधान द्वारा निर्मित है अतः उसे कम्पनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन करना होता है। संचालक मंडल, प्रबन्ध संचालक, प्रबन्धक, सचिव एवं अंशधारी कम्पनी की प्रबन्धकीय क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। एक संयुक्त पूंजी कम्पनी बिना शारीरिक संरचना आत्मा एवं मस्तिष्क के एक कृत्रिम व्यक्ति है। साथ ही यह क्रियायें स्वयं निष्पादित नहीं कर सकती। इसकी ओर से कम्पनी प्रबन्ध द्वारा कम्पनी सम्बन्धी सभी क्रियायें संचालित की जाती है।

कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के संचालक प्रबन्ध एवं प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जबकि अन्य प्रबन्धकीय कर्मचारी जैसे प्रबन्ध संचालक या प्रबन्धक वैकल्पिक है। कम्पनी उनकी नियुक्ति कर भी सकती है और नहीं भी। या तो कम्पनी का संचालक मंडल स्वयं कम्पनी प्रबन्ध संचालित करते हैं अथवा प्रबन्ध संचालक। प्रबन्धकों की सहायता से कम्पनी क्रियाओं को निस्तारित कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम की धारा 2 (13) के अनुसार संचालक को परिभाषित किया गया है, ''कोई भी व्यक्ति जो संचालक के पद पर हो भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाय।'' कम्पनी का संचालक मंडल कम्पनी की सम्पत्ति एवं दायित्वों के सम्बन्ध में ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। उसे विधि (अधिनियम) की दृष्टि में योग्यता प्राप्त होना चाहिये। संचालकों की नियुक्ति विभिन्न प्रकार से की जाती है जैसे प्रथम संचालक की नियुक्ति, संचालक मंडल की नियुक्ति, तृतीय पक्षकार द्वारा नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी में कम से कम नियुक्त होने चाहिये –

1. सार्वजनिक कम्पनी की दशा में तीन संचालक।
2. निजी कम्पनी की दशा में दो संचालक।

एक व्यक्ति केवल उसी स्थिति में संचालक नियुक्त किया जा सकता है जबकि उसको संचालक विशिष्ट संख्या (DIN) आबंटित हो। एक सार्वजनिक कम्पनी द्वारा अपनी सहायक निजी कम्पनी को कुल प्रबन्धकीय भुगतान कम्पनी के कुल शुद्ध लाभ, जो वित्तीय वर्ष में हो, के 11% से अधिक नहीं हो सकता। यद्यपि सभाओं में उपस्थित होने की शुल्क प्राप्ति इस अधिनियम प्रबन्धकीय पारिश्रमिक सीमायें सम्मिलित नहीं होगी।

धारा 2 (26) में प्रबन्ध संचालक को परिभाषित किया गया है– ''एक संचालक, कम्पनी के साथ हुए ठहराव के माध्यम से अथवा कम्पनी के संचालक द्वारा कम्पनी की सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से, पार्षद सीमा नियम या पार्षद अन्तर्नियमों के माध्यम से, उन मूलभूत प्रबन्धकीय अधिकार जो उसके द्वारा संचालित नहीं होंगे के

विश्वास के साथ, जो प्रबन्ध संचालक की स्थिति या पद को ग्रहण करता हो, भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाय।''

जबकि धारा 2 (24) में प्रबन्धक को परिभाषित करते हुए कहा गया है– ''एक व्यक्ति जो संचालक मंडल के निरीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण में, कम्पनी के समस्त प्रबन्ध अथवा कम्पनी सम्बन्धी समस्त प्रकरणों में सारभूत अधिकार रखता है, जो कि एक संचालक या अन्य व्यक्ति हो, प्रबन्धक की स्थिति या पद को धारित करता हो, चाहे किसी भी सम्बोधन से पुकारा जाय, सेवा अनुबन्ध में हो अथवा नहीं।''

धारा 2 (45) में कम्पनी सचिव को परिभाषित किया गया है– ''सचिव का अर्थ कम्पनी सचिव से है जो कम्पनी अधिनियम 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) तथा अनुच्छेद (स) में वर्णित किया गया है, इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित है जो निर्धारित योग्यता के साथ नियुक्त हो तथा सचिव द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक एवं कार्यालीय कार्य सम्बन्धी कर्तव्यों का निष्पादन करता हो।''

कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार की सभायें आयोजित की जा सकती है जो अग्रलिखित हैं– वैधानिक सभा, वार्षिक सामान्य सभा, असामान्य साधारण सभा, क्लास सभायें, संचालक सभायें, ऋणपत्र धारियों की सभायें, लेनदारों की सभायें।

कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की सामान्य सभा में तीन प्रकार के प्रस्ताव पारित किये जा सकते हैं– सामान्य प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव जिनके लिये विशिष्ट सूचना आवश्यक हो।

कम्पनी (संशोधित) अधिनियम 2000 में एक नवीन धारा 192अ सम्मिलित की गयी है जिसके आधार पर केवल सार्वजनिक कम्पनी डाक मतदान द्वारा भी प्रस्ताव पारित कर सकती है। डाक मतदान में सभा में उपस्थित होकर मतदान के स्थान पर इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान सम्मिलित है। किसी भी प्रकरण में प्रस्ताव पारित करने के लिये कम्पनी द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है।

यह माना जाता है कि अपनी पृथक एवं सतत् अस्तित्व की विशेषता के कारण कम्पनी सदैव बनी रहती है परन्तु यथार्थ में कम्पनी भी समाप्त हो सकती है। कम्पनी के समापन की तीन विधियां हैं– न्यायाधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन, ऐच्छिक समापन (न्यायाधिकरण के बिना हस्तक्षेप के) तथा न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप से ऐच्छिक समापन।

4.10 शब्दावली

<u>प्रबन्ध –</u> क्रियाओं का संचालन।

DIN – संचालक पहचान संख्या।

<u>कार्यसूची –</u> किसी भी सभा में किये जाने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण।

<u>कार्यवाहक संख्या –</u> किसी भी सभा की वैधानिकता के लिये न्यूनतम सदस्य संख्या।

<u>सभा के सूक्ष्म –</u> किसी सभा की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण ।

<u>प्रतिपुरूष –</u> सदस्य द्वारा मतदान के लिये किसी अन्य को अधिकृत किया जाना।

4.11 बोध प्रश्न

1. .... कम्पनी की प्रक्रियाओं का प्रबन्ध करने में, कम्पनी के नीति निर्माण में तथा उनके पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण में सहयोग प्रदान करते हैं।
2. कम्पनी अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ....की नियुक्ति प्रवर्तकों द्वारा की जाती है।
3. कोई भी व्यक्ति एक ही समय में .... से अधिक कम्पनियों का संचालक पद ग्रहण नहीं कर सकता है।
4. समामेलन के पश्चात् सदस्यों की प्रथम होने वाली सभा .... सभा कहलाती है।

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. संचालक मंडल 2. प्रथम संचालक 3. 15 4. वैधानिक

4.13 स्वपरख प्रश्न

6. एक संचालक को परिभाषित कीजिये। संचालक की नियुक्ति से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान क्या है?
7. एक प्रबन्ध संचालक क्या करता है? एक कम्पनी प्रबन्ध संचालक की निर्धारित अवधि एवं अयोग्यताओं का वर्णन कीजिये।
8. एक प्रबन्धक एवं प्रबन्ध संचालक का अन्तर बताइये।
9. कम्पनी सचिव की क्या स्थिति है? अधिनियम के अनुसार कौन व्यक्ति कम्पनी सचिव पद के योग्य हैं?
10. कम्पनी सचिव के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन कीजिये।
11. कम्पनी द्वारा बुलाई जाने वाली विभिन्न सभाओं को बताइये। सभा के सम्बन्ध में लागू कार्यवाही संख्या क्या है?
12. कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों को चिन्हित कीजिये। इस सम्बन्ध में डाक मतदान का क्या महत्व होता है?

4.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. एन0डी0 कपूर, कम्पनी लॉ, सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
2. एस0सी0 अग्रवाल, कम्पनी लॉ, धनपत राय पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. एस0के0 अग्रवाल, बिजनेस लॉ, गलगोटिया पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
4. के0आर0 बालचन्द्री, बिजनेस लॉ फॉर मैनेजमेन्ट, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. एस0एस0 गुलशन एण्ड जी0के कपूर, बिजनेस लॉ, न्यू ऐज इण्टरनेशनल पब्लशर्स नई दिल्ली।
6. एस0सी0 पुच्छल, मर्केन्टाइल लॉ, विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।

इकाई 5 बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण 1999 (IRDA)

इकाई की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना
5.2 IRDA का निर्माण
5.3 प्राधिकरण की संरचना
5.4 प्राधिकरण की सभायें
5.5 IRDA के कर्तव्य, अधिकार एवं कार्य
5.6 IRDA के वित्तीय खाते एवं अंकेक्षण
5.7 नियम बनाने का अधिकार
5.8 बीमा सलाहकार समिति (IAC)
5.9 विनियमन निर्माण का अधिकार
5.10 सारांश
5.11 शब्दावली
5.12 बोध प्रश्न
5.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
5.14 स्वपरख प्रश्न
5.15 सन्दर्भ पुस्तकें

उददेश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- भारत में बीमा की आधारभूत बातों की व्याख्या कर सकें।
- IRDA के निर्माण के ज्ञान को समझ सकें।
- प्राधिकरण की रचना एवं सभाओं का वर्णन कर सकें।
- IRDA के कर्तव्य, अधिकार एवं कार्य का वर्णन कर सकें।
- वित्त, लेखे एवं अंकेक्षण प्रक्रिया की व्याख्या कर सकें।

5.1 प्रस्तावना

भारत में बीमे का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। इसका उल्लेख मनु (मनुस्मृति), याज्ञवलक्य (धर्मशास्त्र) एवं कौटिल्य (अर्थशास्त्र) की रचनाओं में है। इन रचनाओं में संसाधनों के एकत्रीकरण का जिक्र है और उन संसाधनों को आग, बाढ़, महामारी, अकाल के समय पुनः वितरित करने की बात है। संभवतः यह आज के बीमे का तत्कालीन प्राचीन स्वरूप था। प्राचीन भारत के इतिहास को प्रारम्भ में देखने से बीमे के प्रारम्भिक लक्षण समुद्री व्यापार ऋण एवं परिवहन अनुबन्धों में दिखायी देते हैं। अन्य देशों विशेषकर इंग्लैंड की तुलना में भारत इस व्यापार में काफी पूर्व से संलग्न था।

भारत में बीमा व्यवसाय का आगमन 1818 में कलकत्ता में ओरियंटल जीवन बीमा कम्पनी की स्थापना के साथ हुआ। यह कम्पनी हालांकि 1834 में असफल/फेल हो गयी। 1829 में मद्रास Equitable ने मद्रास प्रेसीडेंसी में जीवन बीमा व्यवसाय का

लेन देन प्रारम्भ किया। 1870 में ब्रिटिश बीमा अधिनियम लागू हुआ और 19वीं सदी के अन्तिम तीन दशकों में बौम्बे म्युचल (1871) ओरियंटल (1874) Empire of India (1897), बौंम्बे प्रेसीडेंसी में प्रारम्भ हुई। यद्यपि यह युग विदेशी बीमा कम्पनियों के प्रभुत्व का था जिन्होंने भारत में अच्छा व्यवसाय किया जैसे– अलबर्ट जीवन बीमा, रायल जीवन बीमा, लिवरपूल एवं लन्दन ग्लोब जीवन बीमा। भारतीय कम्पनियों के लिये विदेशी कम्पनियों से यह कड़ी प्रतियोगिता का समय था।

1914 में भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा कम्पनियों की प्रत्याय को प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। भारतीय जीवन बीमा कम्पनी अधिनियम 1912 जीवन बीमा व्यवसाय को नियमित करने का प्रथम वैधानिक प्रयास था। 1928 में भारतीय बीमा कम्पनी अधिनियम लागू किया गया, जिसके माध्यम से सरकार जीवन बीमा तथा गैर–जीवन बीमा, भारत में विदेशी बीमा कम्पनियों तथा प्रॉवीडेन्ट बीमा सोसाइटी द्वारा किये गये व्यवसाय के सम्बन्ध में सांख्यिकी सूचनायें एवं आंकड़े एकत्र करने का कार्य निष्पादित किया। 1938 में बीमा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्व के सभी वैधानिक नियमों, अधिनियमों को समायोजित कर व्यापक प्रावधानों के साथ बीमा व्यवसाय पर प्रभावी नियन्त्रण, बीमा गतिविधियों पर निगरानी और बीमा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए संशोधित बीमा अधिनियम 1938 लागू किया गया।

सन् 1950 में संशोधित बीमा अधिनियम में सभी मूल संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। फिर भी अनेकों बीमा कम्पनियां कार्यरत थी और प्रतियोगिता का स्तर अत्यन्त ऊंचा था। अनुचित व्यापार व्यवहार के आरोप भी लगाये गये। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया।

19 जनवरी, 1956 को एक अध्यादेश जारी करके जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा इसी वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। जीवन बीमा निगम में कुल 245 भारतीय एवं गैर भारतीय बीमा कम्पनियों का संविलयन हुआ जिनमें 154 भारतीय, 16 गैर भारतीय बीमा कम्पनियां तथा 75 प्रोवीडेन्ट सोसाइटी थीं। 1990 तक इस व्यवसाय में जीवन बीमा निगम (LIC) का एकाधिकार था जब तक कि निजी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र के द्वार पुनः खोले नहीं गये।

सामान्य बीमा का इतिहास पश्चिम में औद्योगिक क्रान्ति एवं जहाजरानी व्यवसाय एवं वाणिज्य के 17वीं सदी में क्रमिक विकास से भी पूर्व का है। भारत में सामान्य बीमा की जड़े ब्रिटिश द्वारा 1850 में ट्रिटोन बीमा कं0 लि0 कलकत्ता में, 1907 में भारतीय मरकेन्टाइल बीमा लि0 की स्थापना से जुड़ी है यह व्यवसाय भारत में ब्रिटिश व्यवसाय की विरासत के रूप में आया।

भारतीय बीमा एसोसिएशन की शाखा के रूप में 1957 में सामान्य बीमा कौंसिल का निर्माण हुआ। इस सामान्य बीमा कौंसिल द्वारा बीमा व्यवसाय में सार्थक, दृढ़ एवं स्वच्छ व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया।

1968 में बीमा अधिनियम में विनियोग नियन्त्रण के लिए संशोधन किया गया तथा न्यूनतम शोधन क्षमता सीमा निर्धारित की गयी। इसके पश्चात प्रशुल्क सलाहकार समिति भी बनायी गयी।

1972 में सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के साथ सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1973 को लागू किया। 107 बीमा कम्पनियों को संविलयन करके 4 कम्पनियां निर्मित की गयीं इनके नाम – नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं0 लि0, द ओरियंटल इंश्योरेंस कं0 लि0 एवं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0 थे। जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन 1971 में एक कम्पनी के रूप में समामेलित हुई एवं 1 जनवरी, 1973 से इसने अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया।

इस सहस्त्राब्दि ने बीमा व्यवसाय के लगभग 200 वर्षों तक विस्तृत यात्रा पूर्ण चक्र को देखा। 1990 के प्रारम्भ में इस क्षेत्र को पुनः खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और पिछले दशक में वास्तविक रूप से खोल दिया गया। 1993 में आर0एन0 मल्होत्रा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर द्वारा बीमा क्षेत्र में सुधारों को प्रस्तावित किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में प्रारम्भ किये गये सुधारों की सम्पूर्णता (पूरक व्यवस्था) था। 1994 में समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा अन्य बातों के अतिरिक्त बीमा उद्योग में निजी कम्पनियों की भागीदारी को अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की। उनको मतानुसार भारतीय कम्पनियों की डांवाडोल स्थिति के साथ विदेशी कम्पनियों को व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति हो, प्रमुखतः भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में।

1999 में मल्होत्रा समिति प्रतिवेदन के आधार पर ''बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)'' एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में बीमा उद्योग को नियमित एवं विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। अप्रैल 2000 में IRDA को एक वैधानिक संस्था के रूप में समामेलित किया गया। IRDA का प्रमुख उद्देश्य प्रतियोगिता को बढ़ावा देना था जिससे विकल्पों की अधिकता, कम प्रीमियम से ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा मिले साथ ही बीमा बाजार में वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। IRDA ने अगस्त 2000 में पंजीकरण के लिये आवेदन मांगकर विदेशी कम्पनियों को 26% तक स्वामित्व प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर बाजार को खोल दिया। प्राधिकरण को बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114A एवं 2000 के अन्तर्गत विनियमन लागू करने के अधिकार के तहत उसने कम्पनियों के पंजीकरण, बीमा व्यवसाय के संचालन में पॉलिसी धारकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न नियम बनाये एवं लागू किये।

दिसम्बर 2000 में जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन (GIC) की सहायक कम्पनियों को स्वतन्त्र कम्पनियों के रूप में पुनर्गठित किया गया और इसी समय GIC को राष्ट्रीय पुनर्बीमा कर्ता में परिवर्तित किया गया। जुलाई 2002 में लोक सभा में GIC की सहायक कम्पनियों को इससे पृथक करने का बिल पारित किया।

आज देश में 14 सामान्य बीमा कम्पनियां जिनमें ECGC एवं भारतीय कृषि बीमा कारपोरेशन भी सम्मिलित है तथा 14 जीवन बीमा कम्पनियां संचालित हो रही हैं। बीमा क्षेत्र अब एक व्यापक क्षेत्र बन चुका है और 15–20% की तीव्र दर से

विकसित हो रहा है। बैंकिंग सेवाओं के साथ बीमा सेवायें देश की GDP में लगभग 7% अंशदान कर रही हैं। एक पूर्ण विकसित बीमा क्षेत्र किसी भी आर्थिक विकास का आधार होता है क्योंकि यह संरचना विकास के लिए दीर्घकालीन कोष उपलब्ध कराता है साथ ही देश जोखिम वहनीय शक्ति को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है।

5.2 IRDA का निर्माण

जैसा कि इस इकाई में पूर्व में भी बताया जा चुका है कि 1999 में मल्होत्रा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ''बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण'' का निर्माण एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया जिसे बीमा उद्योग को नियमित एवं विकसित करना था। अप्रैल 2000 में IRDA को एक वैधानिक संस्था के रूप में समामेलित किया गया इस प्राधिकरण के प्रमुख बिन्दु एवं तथ्यों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

5.3 IRDA की संरचना

प्राधिकरण में निम्न सदस्य होंगे –

(अ) एक अध्यक्ष या सभापति

(ब) अधिकतम पांच दीर्घकालीन सदस्य

(स) अधिकतम चार अंशकालिक सदस्य

इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से की जाती है जो केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में योग्य, विश्वसनीय एवं स्थायित्व रखते हों तथा जीवन बीमा, सामान्य बीमा, बीमांकिक विज्ञान, वित्त, अर्थशास्त्र, सन्नियम, लेखाकर्म, प्रशासन आदि का ज्ञान एवं अनुभव रखते हों तथा प्राधिकरण के लिए उपयोगी हों।

5.4 प्राधिकरण की सभायें

1. प्राधिकरण की सभायें किसी समय एवं स्थान पर लेन देनों की प्रक्रिया एवं नियमों का अवलोकन करने के लिए की जायेगी (सभा में कार्यवाहक संख्या सहित) जैसा कि नियमों द्वारा निर्धारित हों।
2. सभापति या यदि किसी कारण से वह प्राधिकरण की सभा में सम्मिलित होने में सक्षम नहीं है तो सभा में उपस्थित सदस्यों में से किसी अन्य सदस्य को सभा संचालन के लिए सभापति चुना जा सकता है।
3. प्राधिकरण की सभा में सभी प्रश्न जो किसी सभा के समक्ष रखे जाते हैं उपस्थित सदस्यों की वोटिंग के आधार पर सर्वसम्मति से तय किये जायेंगे यदि मतदान बराबर रहता है तो ऐसी दशा में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में चुना गया सभापति अपना मत दे सकता है।
4. प्राधिकरण व्यावसायिक लेन देनों के सम्बन्ध में सभा में नियम निर्माण कर सकता है।

5.5 IRDA के कर्तव्य, अधिकार एवं कार्य

1. इस अधिनियम के आधीन अथवा किसी समय किसी अन्य अधिनियम के लागू होने पर प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह बीमा व्यवसाय एवं पुनर्बीमा व्यवसाय के नियमित, प्रवर्तित एवं क्रमिक विकास को सुनिश्चित करे।

2. बिना किसी दुर्भावना या भेदभाव के उपधारा (1) के सामान्य प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के अधिकार एवं कार्यों में निम्न सम्मिलित होगा –
   - (i) आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पंजीकरण का नवीनीकरण, संशोधन, वापसी, निलम्बन या रद्द करना।
   - (ii) पॉलिसी धारक के हितों की सुरक्षा के लिए पॉलिसी सम्बन्धित विषय वस्तु को स्पष्ट कराना जैसे– धारक का नाम, नॉमिनी का नाम, बीमित ब्याज, बीमा क्लेम का निर्धारण, पॉलिसी का समर्पण मूल्य तथा बीमा अनुबन्ध की अन्य आवश्यक शर्तें।
   - (iii) सहायकों, बीमा सहायकों, एजेंटों की निर्धारित योग्यता का स्पष्टीकरण, उनकी नियमावली (आचार संहिता) एवं उनका व्यवहारिक प्रशिक्षण।
   - (iv) सर्वेक्षण कर्ताओं एवं हानि मूल्यांकन कर्ताओं के लिये आचार संहिता या नियमावली।
   - (v) बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यक्षमता वृद्धि का प्रवर्तन।
   - (vi) बीमा व्यवसाय या पुनर्बीमा व्यवसाय से सम्बद्ध पेशेवर संस्थाओं का नियमन एवं विकास।
   - (vii) इस अधिनियम के संचालन के उद्देश्य से शुल्क एवं अन्य फीस या व्यय।
   - (viii) बीमाकर्ता कम्पनी, सहायक, बीमा सहायक कम्पनियां एवं बीमा व्यवसाय से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं से सूचना मांगना, उनका निरीक्षण, पूछताछ करना, अनुसंधान एवं अंकेक्षण सहित सभी क्रियायें।
   - (ix) बीमा कम्पनी द्वारा उन प्रस्तावित दरों, लाभों, नियमों व स्थितियों को नियमित एवं नियंत्रित करना जो बीमा व्यवसाय से सम्बद्ध हों तथा टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64U द्वारा नियमित एवं नियन्त्रित न हों।
   - (x) बीमाकर्ता एवं उसकी सहायक बीमा संस्थाओं के लिये लेखा पुस्तकें, विवरण पत्र आदि के लिये निर्धारित प्रारूप जारी करेगा।
   - (xi) बीमा कम्पनियों द्वारा विनियोजित कोषों का नियमन।
   - (xii) शोधन क्षमता की सीमाओं को नियमित रखना।
   - (xiii) बीमा कम्पनी एवं सहायकों या बीमा सहायक कम्पनियों के मध्य विवादों पर न्यायिक निर्णय।
   - (xiv) प्रशुल्क सलाहकार समिति की क्रियाओं का पर्यवेक्षण।
   - (xv) धारा (F) में निर्दिष्ट पेशेवर संगठनों के नियमन एवं विकास के लिए बीमा कम्पनी की वित्तीय योजनाओं में प्रीमियम आय प्रतिशत दर को स्पष्ट करना।
   - (xvi) बीमा कम्पनी द्वारा कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में किये गये जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा की प्रतिशत को स्पष्ट करना।
   - (xvii) अन्य अधिकारों का, जैसे निर्दिष्ट हों, प्रयोग करना।

5.6 IRDA के वित्तीय खाते एवं अंकेक्षण

17. प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में विधिवत खाते तथा सम्बन्धित लेखे रखेगा तथा वित्तीय खातों का विवरण भी बनायेगा।

18. प्राधिकरण के खातों का अंकेक्षण नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा उनके द्वारा निर्धारित समय अन्तराल से किया जायेगा । इस अंकेक्षण के सम्बन्ध में होने वाले सभी व्ययों का भुगतान प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किया जायेगा।

19. नियंत्रक महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकरण के अंकेक्षण के लिये नियुक्त किया गया हो वही अधिकार विशेषाधिकार रखता है जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक को रहते हैं, उसको प्राधिकरण की उत्पादन सम्बन्धी लेखा पुस्तकें, सम्बन्धित बिल, प्रमाणक एवं अन्य प्रपत्र मांगने, देखने एवं निरीक्षण का अधिकार होगा।

20. नियंत्रक महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकरण के अंकेक्षण के लिये नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदत्त अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजा जायेगा जिसे सरकार द्वारा प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

5.7 नियम बनाने का अधिकार

21. केन्द्र सरकार, अधिसूचना जारी करके, इस अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए नियम बना सकती है।

22. विशेष रूप से, बिना किसी भेदभाव के, सामान्य अधिकारों की दृष्टि से यह नियम निम्न में से किसी भी विषय से संदर्भित हो सकते हैं जैसे –
    - (अ) अंशकालिक सदस्यों के अतिरिक्त धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सदस्यों को देय वेतन भत्ते एवं सेवा की अन्य नियम एवं शर्तें;
    - (ब) धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंशकालिक सदस्यों को देय भत्ते;
    - (स) धारा 14 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (q) में वर्णित अन्य अधिकार जो प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किये जा सकते हों;
    - (द) धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विवरण खातों के लिए प्रारूप;
    - (क) धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित अवधि में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरणिकाओं के प्रारूप;
    - (ख) धारा 25 की उपधारा (5) के अन्तर्गत बीमा सलाहकार समिति की सलाह पर प्राधिकरण को प्राप्त विषय;
    - (ग) अन्य कोई विषय जिसकी आवश्यकता हो, या निर्धारित हो या नियमान्तर्गत किसी प्रावधान के सम्बन्ध में हो।

5.8 बीमा सलाहकार समिति (IAC)

1. प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना जारी करके अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से एक समिति जिसे बीमा सलाहकार समिति कहते हैं, स्थापित कर सकता है।
2. बीमा सलाहकार समिति में अधिकतम 25 सदस्य होते हैं । परन्तु पदेन सदस्यों के अतिरिक्त वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता हित का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जैसे– सर्वेक्षक, प्रतिनिधि, सहायक, संगठन जो सुरक्षा एवं हानि बचाव में संलग्न हो, शोध संस्थायें एवं कर्मचारी संगठन जो बीमा क्षेत्र से सम्बन्धित हों।
3. प्राधिकरण के सभापति एवं सदस्य, बीमा सलाहकार समिति के पदेन सभापति एवं पदेन सदस्य रहेंगे।
4. बीमा सलाहकार समिति का उद्देश्य धारा 26 के अन्तर्गत नियमन निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण को सलाह देना है।
5. उपधारा (4) के प्रावधानों के पक्षपात के अतिरिक्त बीमा सलाहकार समिति प्राधिकरण को अन्य विषयों के सम्बन्ध में जैसा निर्धारित हो सलाह प्रदान करेगी।

5.9 विनियमन निर्माण का अधिकार

1. प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति से विमर्श के पश्चात इस अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के सुसंगत नियम निर्माण कर सकता है।
2. विशेष रूप से पूर्ववर्ती अधिकारों के सामान्यतः पक्षपात के बिना यह नियम निम्न में से किसी भी विषय से सन्दर्भित हो सकते हैं जैसे–
   - (अ) धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकरण की सभाओं का समय, स्थान, सभा प्रक्रिया तथा व्यवसाय लेनदेन के लिये नियत कार्यवाहक संख्या;
   - (ब) धारा 10 की उपधारा (4) के अन्तर्गत व्यावसायिक लेनदेन एवं इसकी सभायें;
   - (स) धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा नियम एवं शर्तें;
   - (द) धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत समितियों के सदस्यों को प्रत्यावर्तित अधिकार एवं कार्य; एवं
   - (य) अन्य कोई विषय जिसकी आवश्यकता हो, या निर्धारित हो, या नियमान्तर्गत किसी प्रावधान के सम्बन्ध में हो।

5.10 सारांश

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का प्रारम्भ 1818 में कलकत्ता में ओरियंटल जीवन बीमा कम्पनी की स्थापना के साथ प्रत्यक्ष हुआ। भारतीय जीवन बीमा कम्पनी अधिनियम 1912 जीवन बीमा व्यवसाय को विनियमित करने का प्रथम वैधानिक प्रयास था। मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1999 में IRDA की

स्थापना बीमा व्यवसाय को विकसित करने के लिए एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गयी। IRDA एक वैधानिक संस्था के रूप में अप्रैल 2000 को समामेलित हुई। प्राधिकरण के विभिन्न पहलुओं में IRDA का निर्माण, प्राधिकरण की संरचना, प्राधिकरण की सभायें, IRDA के कर्तव्य, अधिकार एवं कार्य, IRDA के वित्तीय खाते एवं अंकेक्षण, नियम निर्माण का अधिकार, बीमा सलाहकार समिति (IAC) आदि हैं।

प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह बीमा एवं पुनर्बीमा व्यवसाय को नियमित, प्रवर्तित, एवं क्रमिक विकास को सुनिश्चित करे। प्राधिकरण के अधिकार एवं कार्यों में सम्मिलित मामलों में पंजीकरण, बीमा अनुबन्धों की शर्तें एवं नियम, बीमा सहायक कम्पनी तथा हानि मूल्यकांक एवं सर्वेक्षक की आचार संहिता तथा बीमा व्यवसाय एवं पुनर्बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित अन्य प्रकरण सम्मिलित हैं।

इन प्रकरणों के अतिरिक्त सूचना प्राप्ति, एकत्रण शुल्क अथवा अन्य शुल्क, दरों का विनिमियन एवं नियन्त्रण, लाभ, नियम एवं शर्तें जो कि बीमा कम्पनी द्वारा सामान्य व्यवसाय के लिये प्रस्तावित की जायें, लेखा पुस्तकों एवं अन्य विवरण जो बीमा कम्पनी, उसकी सहायक कम्पनी आदि द्वारा किस प्रारूप में रखे जायें, बीमा कम्पनी के कोष विनियोजन का विनियमतीकरण, शोधन क्षमता की सीमाओं का निर्धारण, विवादों का वैधानिक निस्तारण जो बीमा कम्पनी तथा सहायक कम्पनियों या सहायकों के मध्य हों आदि भी सम्मिलित हैं।

प्रशुल्क सलाहकार समिति का पर्यवेक्षण एवं कार्यप्रक्रिया में बीमा कम्पनियों की प्रीमियम प्रतिशत को विशिष्ट करते हुए आय का वित्तीय योजनाओं में विनियोजन तथा उनका विनियमन एवं प्रवर्तन तथा बीमा कम्पनी द्वारा कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में जीवन बीमा व्यवसाय एवं सामान्य बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में दरों का निर्धारण भी सम्मिलित होता है।

5.11 शब्दावली

बीमा – भविष्य की सुरक्षा हेतु प्रावधान ।

बीमा विनियोग – प्रीमियम रूप में प्राप्त राशि का अन्यत्र विनियोजन।

रिजर्व बैंक – भारत का केन्द्रीय बैंक।

स्यावत्तशासी – स्वतन्त्र/बिना प्रतिबन्ध निर्णय लेने में सक्षम।

सन्नियम – सरकार द्वारा लागू अधिनियम।

क्लेम – बीमे के प्रतिफल स्वरूप भुगतान की गयी राशि।

पर्यवेक्षण – निगरानी/देखभाल।

5.12 बोध प्रश्न

1. भारत में बीमा व्यवसाय का आगमन 1818 में कलकत्ता में ....की स्थापना के साथ हुआ।
2. .... को एक अध्यादेश जारी करके जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ।
3. प्राधिकरण के खातों का अंकेक्षण .... द्वारा उनके द्वारा निर्धारित समय अन्तराल से किया जायेगा ।

4. बीमा सलाहकार समिति में अधिकतम सदस्य होते हैं ।

5.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. ओरियंटल जीवन बीमा कम्पनी 2. 19 जनवरी, 1956
3. नियंत्रक महालेखा परीक्षक 4. 25

5.14 स्वपरख प्रश्न

13. बीमा क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से मल्होत्रा समिति का क्या योगदान है?
14. भारतीय बीमा क्षेत्र का इतिहास बताइये।
15. IRDA के वित्तीय खाते एवं अंकेक्षण के सम्बन्ध में प्राधिकरण के प्रावधान कौन कौन से हैं?
16. बीमा सलाहकार समिति पर टिप्पणी लिखिए।
17. IRDA के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए।
18. प्राधिकरण के नियम एवं परिनियम निर्माण के अधिकार पर एक लेख लिखिए।
19. IRDA की सभाओं एवं कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रावधान क्या हैं?
20. IRDA की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

5.15 संदर्भ पुस्तकें

1. Raviner Kumar, Legal Aspects of Business
2. PPS Gogna, Mercantile Law
3. N.D.Kapoor, Elements of Mercantile Law,
4. M C Kuchhal, Mercantile Law including Company Law
5. B S Moshal, Mercantile Law
6. GK Kapoor, Business Law

इकाई 6 बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 विनियम और प्रावधान

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना

6.2 प्रारंभिक

6.3.1 लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ

6.3.2 परिभाषाएं

6.4 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

6.4.1 प्राधिकरण की स्थापना और निगमन

6.4.2 प्राधिकरण की संरचना

6.4.3 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल

6.4.4 कार्यालय से हटाना

6.4.5 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते

6.4.6 सदस्यों के भविष्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध

6.4.7 अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां

6.4.8 प्राधिकरण की बैठकें

6.4.9 रिक्तियां इत्यादि प्राधिकारी की कार्यवाही को अमान्य नहीं करने के लिए

6.4.10 प्राधिकरण के आधिकारी व कर्मचारी

6.5 अन्तरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की परिसम्पतियां, दायित्व आदि का हस्तांतरण

6.6 प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियाँ और कार्य

6.7 वित्त, लेखे और अंकेक्षण

6.7.1 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान

6.7.2 निधि का सविधान

6.7.3 लेखा और अंकेक्षण

6.8 विविध

6.8.1 केन्द्र सरकार की दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति

6.8.2 केन्द्र सरकार की प्राधिकरण को अधिक्रमण करने की शक्ति

6.8.3 केन्द्र सरकार को रिटर्न/विवरण आदि प्रस्तुत करना

6.8.4 प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, आधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक के रूप में

6.8.5 सद्भावना में की गई कार्रवाही का सरंक्षण

6.8.6 आधिकारों का प्रत्यायोजन

6.8.7 नियम बनाने की शक्ति

6.8.8 बीमा सलाहकार समिति की स्थापना

6.8.9 विनियम बनाने की शक्ति

6.8.10 संसद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले नियम और विनियम
6.8.11 अन्य कानूनों के आवेदन के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं
6.8.12 कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति
6.9 सारांश
6.10 शब्दवाली
6.11 बोध प्रश्न
6.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
6.13 स्वपरख प्रश्न
6.14 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की व्याख्या कर सकें ।
- प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन कर सकें ।
- केन्द्र सरकार की दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति को जान सकें ।
- बीमा सलाहकार समिति की स्थापना को समझ सकें ।

6.2 प्रस्तावना

यह एक अधिनियम है जो बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने, विनियमित करने, बढ़ावा देने और बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने और इससे जुड़े मामलों के लिए और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और सामान्य बीमा, 1972 में संशोधन करने के लिए, किसी प्राधिकरण की स्थापना करता है ।

6.3 प्रारंभिक

6.3.1 लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ

1. इस अधिनियम को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, कहा जा सकता है ।
2. यह पूरे भारत तक फैला हुआ है
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित तिथि या उनके द्वारा आधिकारिक राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना की तारीख पर यह लागू होगाः

बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग अलग तिथियां और किसी भी संदर्भ को इस अधिनियम के किसी भी ऐसे प्रावधान को प्रारंभ करने में एक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा ।

6.3.2 परिभाषाएं

1. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में आवश्यक नहीं है, अन्यथा :

(a) नियत दिन से आशय वह तारीख जिस दिन धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार अधिनयम की स्थापना होती है ।

(b) प्राधिकरण से आशय धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार स्थापित बीमा नियामक विकास प्राधिकरण से है ।

(c) अध्यक्ष से आशय प्राधिकरण के अध्यक्ष से है ।

(d) निधि से आशय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि से है जो धारा 16 और उपधारा (1) के तहत गठित किया गया हो ।

(e) अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण से आशय बीमा विनियामक प्राधिकरण से हैं जो सरकार द्वारा प्रस्ताव संख्या 17 (2)/94–Ins&V. दिनांक 23 जनवरी 1996 के तहत स्थापित किया गया हो ।

(f) मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ में बीमा दलालों, पुनर्बीमा दलालों, बीमा सलाहकार, सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता शामिल है ।

(g) सदस्य से आशय प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य से है जिसमे अध्यक्ष भी शामिल है ।

(h) अधिसूचना से आशय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है ।

(i) वर्णित से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णित नियमों से है ।

(j) अधिनियम से आशय प्राधिकरण द्वारा बनाये गए अधिनियमों से है ।

2. शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो कि इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है लेकिन उनका अर्थ बीमा अधिनियम 1938 (1938 की धारा 4) या बीमा निगम अधिनियम,1956 (1956 की धारा 31) या जनरल बीमा व्यापार अधिनियम (राष्ट्रीकरण), 1972 (1972 की धारा 57) में क्रमशः उन्हें निर्दिष्ट किए गए अर्थ हैं।

6.4 बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

6.4.1 प्राधिकरण की स्थापना और निगमन

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिए जारी की गई अधिसूचना और नियुक्त की गई तारीख से प्रभावी माना जायेगा और इस प्राधिकरण को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कहा जाता है ।
2. प्राधिकरण उपरोक्त नाम से एक निगम कहलायेगा जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और शक्ति के साथ एक मुहर इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अधिग्रहण, पकड़ और संपत्ति के, चल और अचल दोनों के निपटान, और अनुबंध करने के लिए और उस नाम से, मुकदमा किये जाने या उस पर मुकदमा किया जा सकता है ।
3. प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार समय–समय पर निर्णय कर सकती है ।
4. प्राधिकरण भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

6.4.2 प्राधिकरण की संरचना

प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थातः –

(ए) एक अध्यक्ष;

(बी) पाँच पूर्णकालिक सदस्यों से अधिक नहीं;

(सी) चार अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा उनकी क्षमता, ईमानदारी व जिनके पास जीवन बीमा में ज्ञान या अनुभव है, सामान्य बीमा, बीमांकिक विज्ञान, वित्त, अर्थशास्त्र, कानून, लेखा, प्रशासन या किसी अन्य अनुशासन में ज्ञान या अनुभव है, जो कि, केंद्र सरकार की राय में, प्राधिकरण के लिए उपयोगी हो नियुक्त किया जाएगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के दौरान, सुनिश्चित करें कि कम से कम एक व्यक्ति को क्रमशः बीमा, सामान्य बीमा या बीमांकिक विज्ञान का ज्ञान या अनुभव प्राप्त है ।

6.4.3 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल

1. अध्यक्ष और हर दूसरे पूर्णकालिक सदस्य जिस तिथि पर वह प्रवेश करता है उससे पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय में रहेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

   बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त की है:

   बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यालय नहीं रखेगा यदि वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं।
2. एक अंशकालिक सदस्य जिस पद पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है वह उस तिथि से पांच साल तक से अधिक तक सदस्य नही होना चाहिए ।
3. उप–धारा (1) या उपधारा (2) में निहित किसी भी चीज के बावजूद, एक सदस्य हो सकता है –

   (ए) केंद्र सरकार को अपने कार्यालय को त्यागने की लिखित सूचना कम से कम तीन महीने पहले देनी चाहिए ।

   (बी) अनुभाग के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यालय से हटाया जाना चाहिए।

6.4.4 कार्यालय से हटाना

1. केंद्र सरकार किसी भी सदस्य को कार्यालय से निकाल सकती है,

वह है:

(a) किसी भी समय, एक दिवालिया हो गया हो या फिर दिवालिया घोषित किया गया है; या

(b) मानसिक रूप से एक सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है
किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो कि केन्द्र सरकार की राय में जिसमें नैतिक अक्षमता शामिल है,
या

(c) किसी ने ऐसे वित्तीय या अन्य ब्याज का अधिग्रहण किया हो जो सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रभावित करता हो ,
या

(d) कार्यालय में अपनी निरंतरता को बनाये रखने के लिए अपने पद का दुरुप्रयोग किया हो जो कि सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो ,

(e) ऐसे किसी सदस्य को खंड (ई) या खण्ड (डी) के तहत तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक इस मामले में उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है ।

6.4.5 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तें

1. वेतन और भत्ते, और अन्य शर्ते के लिए और सेवा की शर्ते अंशकालिक सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों के लिए भी वही होंगे जो निर्धारित किये गये हो।
2. अंशकालिक सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि निर्धारित हो ।
3. वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें सदस्य की नियुक्ति के बाद उसके नुकसान के लिए अलग से नहीं होंगे ।

6.4.6 सदस्यों के भविष्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उस तिथि से दो साल तक कार्य नहीं करेंगे जिस तिथि को वह कार्यालय में कार्य करने से रोक दिए जाते है, सिवाय इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त यदि वह

(a) केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार में रोजगार प्राप्त हो या

(b) बीमा क्षेत्र की किसी कम्पनी में कार्यरत हो

6.4.7 अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां

अध्यक्ष के पास सामान्य पर्यवेक्षण और प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करने की शक्तियां होंगी ।

6.4.8 प्राधिकरण की बैठकें

1. प्राधिकरण अधिनियमों द्वारा निर्धारित किये गए समय और स्थानों पर मिलेंगे और अपनी बैठकों में व्यापार के लेनदेन के संबंध में (ऐसी बैठकों में कोरम सहित) ऐसे नियम और प्रक्रियाओं का पालन करेगें ।
2. अध्यक्ष, या अन्य सदस्य यदि किसी भी कारण से वह प्राधिकरण की किसी बैठक में शामिल होने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में बैठक के बीच से मौजूद सदस्यों को किसी द्वारा चुने गए सदस्यों को बैठक की अध्यक्षता के लिए कहा जा सकता है ।
3. प्राधिकरण की किसी भी बैठक से पहले आने वाले सभी प्रश्न का फैसला वर्तमान सदस्यों द्वारा बहुमत के वोटों और मतदान द्वारा किया जाएगा, और वोटों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार होगा ।
4. प्राधिकरण, अपनी बैठकों में व्यापार के लेनदेन के लिए नियम बना सकता है।

6.4.9 रिक्तियां आदि, की कार्यवाही को अमान्य नहीं करने के लिए अधिकार

प्राधिकरण की कोई कार्यवाही या कार्यवाही केवल इसके कारण ही अमान्य नहीं होगी, कि:

a) कोई भी रिक्ति या प्राधिकरण के संविधान में कोई दोष हैं ; या
b) प्राधिकरण के किसी भी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी भी सदस्य की नियुक्ति में कोई दोष हो,
c) प्राधिकरण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता मामले की योग्यता को प्रभावित नहीं करती है।

6.4.10 प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी

1. प्राधिकरण अधिकारी और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिसे वह इस अधिनियम के तहत अपने कार्य के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझते हैं ।
2. प्राधिकरण के उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और अन्य शर्तों का निर्वहन इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के द्वारा शासित किया जाएगा।

6.4.11 अन्तरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की परिसम्पतियां, दायित्व आदि का हस्तांतरण

नियत दिन पर:

(a) अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण की सभी संपत्तियां और देनदारियां प्राधिकरण में निहित शक्तियों के अंतर्गत हस्तान्तरित होंगी ।

स्पष्टीकरण: अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण की सभी संपत्तियां में सभी अधिकार, और शक्तियों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा चाहे चल या अचल हो जिसमें, विशेष रूप से, नकद शेष, जमा और अन्य सभी हित और सभी अधिकार जो प्रदान किये जाते है, वह सभी संपत्तियां जो अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण के आधिकार में हों और इसी से समबन्धित सभी पुस्तकें व दस्तावेज, इसी तरह दायित्वों में सभी ऋण, देयताएं और किसी भी प्रकार के दायित्व शामिल करने के लिए समझा जाएगा;

(b) पिछले खण्ड (ए) के बिना पूर्वाग्रह के अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण के उसी दिन व उससे पहले के सभी ऋण, दायित्वों और अदा की जाने वाली देनदारियों, किये जाने सभी अनुबंध व देखे जाने वाले सभी मामलें में, व उपरोक्त प्राधिकरण के उद्देश्यों के साथ सम्बन्धित होने के कारण, इसे प्राधिकरण द्वारा किया जाना है माना जायेगा, इसमें प्रवेश किया हुआ माना जायेगा, और सम्पन्न किया माना जाएगा ।

(c) अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण को देय सभी राशि ठीक उस दिन से पहले वह प्राधिकरण के लिए देय समझा जायेगा ।

(d) अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा या इसके खिलाफ किये गए या किये जाने वाले सभी मुकदमे व क़ानूनी कार्यवाही उस दिन के तुरंत बाद प्राधिकरण के द्वारा या इसके खिलाफ किये या जारी किये जा सकते है

6.4.12 प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कार्य

1. इस अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी अन्य कानून के अधीन जो प्रभावी रूप से लागू है, के अंतर्गत प्राधिकरण का कर्तव्य, बीमा कारोबार और पुनर्बीमा

कारोबार का नियमन, उनके सुदृढ़ विकास को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना होगा ।

2. उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण के अधिकार और कार्य में निम्न शामिल है :

(a) आवेदक को पंजीकरण, नवीनीकरण, इस तरह के पंजीकरण को संशोधित करने, वापस लेने, निलंबित या रद्द करना करने का एक प्रमाण पत्र निर्गमित करना;

(b) पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन, नीति के निर्धारण के बारे में, बीमा योग्य हित, बीमा दावे का निपटान, समर्पण पॉलिसी का मूल्य और अनुबंध के अन्य नियम और शर्तों बीमा के सम्बन्ध में पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा;

(c) मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थों और एजेंट के लिए अपेक्षित योग्यता, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(d) हानि मूल्यांकनकर्ताओं व सर्वेक्षकों के लिए आचार संहिता निर्दिष्ट करना ;

(e) बीमा व्यवसाय के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना

(f) बीमा और पुनः बीमा व्यवसाय से जुड़े व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना व विनियमन करना

(g) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों को लगाना;

(h) निरीक्षित किये जाने वाले उपक्रम से जानकारी को एकत्रित करना, जाँच पड़ताल और अन्वेषण करना जिसमें बीमाकर्ता, मध्यस्थ, बीमा मध्यस्थ और अन्य बीमा कारोबार से जुड़े संगठनों का अंकेक्षण भी शामिल है ;

(i) दरें, लाभ, नियमों का नियंत्रण और विनियमन और शर्तों के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा बीमा कंपनियों को पेशकश की जा सकती है जिसे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस बीमा अधिनियम 1938 (1938 की 4) की धारा 64U के तहत नियंत्रित और विनियमित करता है ।

(j) खाते की पुस्तकों को अनुरक्षित करने के रूप और तरीकों व बीमा कंपनियों और अन्य बीमा मध्यस्थों द्वारा प्रदान किये गये खातो के विवरण को निर्दिष्ट करना,

(k) बीमा कंपनियों द्वारा किये गये धन के निवेश को विनियमित करना,

(l) शोधन क्षमता के मार्जिन के रखरखाव का विनियमन करना ,

(m) बीमा कम्पनियों बीमाकर्ता, मध्यस्थ बीमा व मध्यस्थ के मध्य विवादों का निर्णय,

(n) टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज की निगरानी,

(o) बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना ताकि वह खण्ड (एफ़) में वर्णित योजनाओं का वित्तपोषण को प्रोत्साहित कर सके व पेशेवर संगठनों को विनियमित कर सके ,

(p) बीमाकर्ता द्वारा ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में किये जाने वाले जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के कारोबार का प्रतिशत निर्दिष्ट करना, तथा

(q) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग जो निर्धारित की गई है।

6.7 वित्त, लेखे और अंकेक्षण

6.7.1 केंद्र सरकार द्वारा अनुदान

केंद्र सरकार, संसद द्वारा किए गए उचित समायोजन के बाद व इस ओर से कानून द्वारा ऐसी राशि को प्राधिकरण को अनुदान के रूप जैसा कि सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होने के लिए उपयुक्त समझ सकती है, में प्रदान कर सकती

6.7.2 निधि का संविधान

1. वहां एक निधि बनाई जाएगी जिसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि कहा जायेगा तथा जहाँ निम्न को क्रेडिट किया जायेगा :

(a) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, शुल्क और प्रभार ,

(b) प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तय किये गए अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशि ;

(c) बीमाकर्ता से प्राप्त निर्धारित प्रीमियम आय का प्रतिशत,

2. निधि को बैठक के लिए लागू किया जाएगाः

(a) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(b) प्राधिकरण के अपने कार्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्य खर्चे ।

6.7.3 लेखा और अंकेक्षण

1. प्राधिकरण उचित खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और इस तरह के रूप में खातों का वार्षिक विवरण जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श किया गया हो के अनुसार तैयार करेगा

2. प्राधिकरण के खातों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अंतराल पर के रूप में लेखा–परीक्षण किया जाएगा और ऐसे अंकेक्षण के संबंध में किए गए किसी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देय व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा ।

3. प्राधिकरण के खातों के अंकेक्षण के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति समान अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसा कि इस तरह के अंकेक्षण के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आमतौर पर सरकार के खातों ऑडिट के संबंध में विशेष रूप से हैं और उनको खाते की पुस्तकों, सम्बंधित वाउचर और अन्य दस्तावेजों और कागजात के प्रस्तुत करने की मांग, और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण के खातों के प्रमाण पत्र और उनकी और से तैयार की गई अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ मिलकर केंद्र सरकार को सालाना भेजी जाएगी और वह सरकार के दवारा प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

6.8 विविध

6.8.1 केंद्र सरकार की दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति

1. इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के तहत उसकी शक्तियों करेगा या इसके कार्य का निर्वहन करेगा, वह इस तरह के निर्देशों से बाध्य होगा जो कि केंद्र सरकार समय समय पर पॉलिसी के प्रश्न, तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित और अन्य के अतिरिक्त, में दिए जाते है ।

   यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण, जहां तक व्यावहारिक होगा, इस उपधारा के अंतर्गत दिए गए किसी भी दिशा निर्देश अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा

2. केंद्र सरकार का निर्णय, चाहे एक नीति का प्रश्न है या नहीं है, अंतिम होगा।

6.8.2 प्राधिकरण का अतिक्रमण करने की केन्द्र सरकार की शक्तियाँ

1. अगर किसी भी समय केंद्र सरकार का यह लगे कि

(a) किन्हीं कारणों से परिस्थितियां प्राधिकरण के नियंत्रण से परे है और यह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिए गए द्वारा कार्य का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है,

या

(b) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिए गए द्वारा कार्य का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में यदि प्राधिकरण लगातार चूक कर रहा है तो इस तरह की चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण का प्रशासन प्रभावित होता है;

या

(c) मौजूद परिस्थितियाँ जिसमे केन्द्र सरकार को जन हित में प्राधिकरण के अधिकारों का अतिक्रमण जिस अवधि के लिए करना पड़ा, या इसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए तो उसे इसे प्राधिकरण को सूचित करना पड़ता है तथा इस तरह की अवधि छह महीने से अधिक नहीं हो सकती है जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो और यदि ऐसा पहले न किया गया हो तो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 की 4) की धारा 2 बी के तहत एक व्यक्ति की नियुक्ति बीमा नियंत्रक के रूप में कर सकती हैः

बशर्ते कि इस तरह की किसी भी तरह की अधिसूचना से पहले केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को अपना पक्ष या प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, को रखने का उचित मौका देगी ।

2. उप धारा (1) के तहत प्राधिकरण के अधिग्रहण की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले

(a) अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिग्रहण की तारीख से पहले, जैसा भी हो, अपने कार्यालयों को खाली कर देंगे,

(b) सभी शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य जो की इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हो सकती है, जिनका निर्वहन किया जाता है उनका निर्वहन बीमा नियंत्रक के द्वारा उपधारा (3) के तहत तब तक किया जायेगा ।

(c) उपधारा (3) के तहत जब तक कि प्राधिकरण को पुनर्निर्मित न किया जाए, तब तक प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित सभी संपत्तियो का अधिकार केन्द्र सरकार के पास रहेगा ।

3. उपधारा (1) तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिग्रहण की अवधि की समाप्ति से पहले या उससे पहले केंद्र सरकार एक नए सिरे से प्राधिकरण का पुनर्गठन करेगी और एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी और उपधारा (2) के खण्ड (ए) के तहत इस तरह के मामलों में किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यालय को छोड़ा गया था वह इसकी पुनर्नियुक्ति अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है ।

4. केंद्र सरकार उप धारा (1) के तहत इस सम्बन्ध में जारी की गई किसी भी तरह की अधिसूचना और किसी भी कार्यवाही की रिपोर्ट की एक प्रति प्रत्येक समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

6.8.3 केन्द्र सरकार को रिटर्न/विवरण आदि प्रस्तुत करना

1. प्राधिकरण समय समय पर बीमा उद्योग के पदोन्नति और विकास के लिए किसी भी प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम से सम्बंधित रिटर्न्स और विवरण व अन्य विवरण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप या तरीके से या केन्द्र द्वारा के निर्देशन के अनुसार से प्रस्तुत करेगा,
2. उपधारा (1) के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना प्राधिकरण प्रत्येक नौ महीने के भीतर और वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व अपनी गतिविधियों की सही व सम्पूर्ण रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में बीमा उद्योग के पदोन्नति और विकास से सम्बन्धित सभी गतिविधियों सहित केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।
3. उपधारा (2) के तहत प्राप्त की गई इस तरह की सभी रिपोर्ट, जब भी प्राप्त हो या उनके प्राप्त होने के पश्चात प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएँगी।

6.8.4 प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, आधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक के रूप में

भारतीय दंड संहिता, की धारा 21 (1860 की 45) के अर्थ के अंतर्गत प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुकरण में कार्य करने या अभिप्राय करते समय लोक सेवक समझे जाएंगे ।

6.8.5 सद्भावना में की गई कार्रवाही का सरंक्षण

केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के किसी भी अधिकारी, किसी भी सदस्य या प्राधिकरण के किसी भी आधिकारी या कर्मचारी के प्रति इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के तहत किए गए सद्विश्वास में किये गए कार्यों के लिए कोई भी मुकद्दमा या अभियोजन या अन्य क़ानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगीः

बशर्ते कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही से छूट नहीं पायेगा जो इस कानून के तहत उस के खिलाफ लाया गया है।

6.8.6 शक्तियों का प्रत्यायोजन

1. प्राधिकरण, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या कार्यालय के प्रतिनिधि को ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, निर्दिष्ट की गई हो तो इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों के क्रम जैसे आवश्यक समझे इस रूप में कर सकता है ।
2. प्राधिकरण, लिखित रूप में एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सदस्यों की समितियों का निर्माण कर सकता और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट नियमो के अनुसार उन्हें प्राधिकरण के कार्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है।

6.8.7 नियमों को बनाने की शक्ति

1. केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है,
2. विशेष रूप से, पूर्वाग्रह के बिना और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति,, ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित मामलों में से किसी के लिए बना सकते हैं, अर्थातः

(a) धारा 7 की उपधारा (1) के तहत अंशकालिक सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और अन्य सेवा की शर्तों के लिए,

(b) धारा 7 की उपधारा (2) के तहत अंशकालिक सदस्यों की देय भत्ते ,

(c) धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (क्यू) के तहत प्राधिकारी द्वारा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है,

(d) धारा 17 की उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण के द्वारा खातों के वार्षिक विवरण के प्रारूप तैयार किये जाने चाहिए,

(e) धारा 20 की उपधारा (1) तहत केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले रिटर्न और विवरण और अन्य तथ्यों के रूप और समय के जिसके भीतर उनको प्रस्तुत किया जाना है,

(f) धारा 25 की उपधारा (5) के तहत जिन मामलों पर बीमा सलाहकार समिति द्वारा प्राधिकरण को दी जाने वाली सलाह,

(g) किसी भी अन्य मामलें जिसकी आवश्यकता हो या हो सकती है या पहले से कोई मामला निर्धारित हो या नियम के तहत कोई प्रावधान किया गया हो या किया जा सकता है ।

6.8.8 बीमा सलाहकार समिति की स्थापना

1. प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, एक समिति को बीमा सलाहकार समिति के रूप प्रभाव से स्थापित कर सकता है।
2. बीमा परामर्शदात्री समिति में पदेन सदस्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए पदेन सदस्यों में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंच, सर्वेर्स, एजेंट, मध्यस्थ, संगठन सुरक्षा और हानि की रोकथाम, शोध निकायों में लगे हुए हैं और बीमा क्षेत्र में कर्मचारी संघ को छोड़कर पच्चीस से अधिक शामिल नहीं होंगे ।
3. बीमा सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य होंगे ।
4. बीमा सलाहकार समिति धारा 26 के तहत प्राधिकरण को विनियम के निर्माण से संबंधित मामलों पर सलाह देने का कार्य करेगी ।
5. धारा (4) प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बीमा सलाहकार समिति प्राधिकरण को इस तरह के निर्धारित अन्य मामलों में सलाह दे सकती है।

6.8.9 विनियम बनाने की शक्ति

1. प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति से परामर्श करके अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अनुरूप विनियम बनाते हैं तथा साथ ही इसके तहत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियमों को बनाती है ।
2. विशेष रूप से, और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पूर्वगामी शक्ति, ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित मामलों में से किसी के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, अर्थातः –

a) धारा 10 की उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण की बैठकों के समय और स्थान, इस तरह की बैठकों में शामिल होने की प्रक्रिया और सामान्य कार्यवाही के लिए आवश्यक कोरम ,
b) धारा 10 की उपधारा (4) के तहत बैठकों में सम्पन्न की जाने वाली कार्यवाही
c) धारा 12 की उपधारा (2) के तहत प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा की शर्तें व अन्य शर्तें,
d) धारा 10 की उपधारा (4) के तहत समितियों के सदस्यों को सौपें जाने वाली शक्तियाँ व कार्य,
e) कोई अन्य मामला जो अधिनियम के अनुसार आवश्यक हो या निर्दिष्ट किया जा सकता है या अधिनियम के अनुसार यदि प्रावधान किया गया हो।

6.8.10 संसद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले नियम और विनियम

इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक विनियम और नियम को संसद के प्रत्येक सदन में जैसे ही यह बन के तैयार हो जाते है, जल्द से जल्द रखे जायेगें, जब सत्र चल रहे हो, सत्र तीस दिनों की कुल अवधि के लिए जो एक में शामिल हो सकते हैं या सत्र या दो या अधिक लगातार सत्रों की अवधि और यदि, सत्र की समाप्ति से पहले सत्र या लगातार सत्र के तुरंत बाद सत्र उपरोक्त, दोनों सदनों में नियम या विनियमन बनाने में कोई भी संशोधन, संशोधन करने में सहमत हैं या दोनों

सदनों सहमत हैं कि नियम या विनियमन नहीं बनाया जाना चाहिए, नियम या विनियमन उसके बाद केवल इस तरह के प्रभाव में होगा संशोधित रूप या कोई प्रभाव नहीं, जैसा भी मामला हो; इसलिए, कोई भी उस नियम या विनियमन के पहले किया गया कुछ भी इस तरह के संशोधन या विरूपण वैधता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।

6.8.11 अन्य कानूनों के आवेदन के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं

इस अधिनियम के प्रावधान पहले से बनाये गए कानूनों के अतिरिक्त होंगें न कि पहले से बनाये गए किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के हनन के नहीं होंगे ।

6.8.12 कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

1. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है, तो केंद्र सरकार, इस कठिनाई को दूर करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए जरूरी प्रतीत होने वाले प्रावधान, जो इस तरह के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होते हैं, को प्रकाशित कर सकती हैः
   बशर्ते इस धारा के तहत नियुक्त के दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस तरह का कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा ।
2. इस धारा के तहत पारित किये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में बनने के बाद प्रस्तुत किया जायेगा ।

6.9 सारांश

आईआरडीए को एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा, विनियमन, को बढ़ावा देना, और बीमा उद्योग और मामलों के लिए व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना तथा साथ ही इसके साथ जुड़े हुए अन्य प्रासंगिक मामलों को सुनिश्चित किया जा सके है। पूरे अधिनियम को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है जो कि सार्वजनिक हित के मामलों को निपटाने से सम्बंधित विभिन्न प्रावधानों से सम्बन्ध रखते हैं।

प्रथम अध्याय प्रारंभिक जिसमे लघु शीर्षक, विस्तार, प्रारम्भ, और परिभाषाएं शामिल है, दुसरे अध्याय में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से सम्बंधित है बीमा के साथ सौदों जिसमें स्थापना शामिल है और प्राधिकरण का निगमन, प्राधिकरण का निर्माण, कार्यालय से हटाना, कार्यालय, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तें, सदस्यों के भविष्य के रोजगार पर प्रतिबन्ध, अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां, सदस्यों की बैठकें, रिक्तियां, इत्यादि अध्याय 3 अंतरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की परिसंपत्तियां, देनदारियों के साथ सौदों आदि से अध्याय 4 प्राधिकरण के अधिकारों के कर्तव्य, शक्ति और कार्यों के साथ, अध्याय 5 वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा जिसमें केंद्रीय द्वारा अनुदान शामिल है, लेखे और अंकेक्षण और निधि का गठन शामिल है अध्याय 6 विविध प्रावधानों से सम्बंधित है जिसमें केन्द्र सरकार, अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और लोक सेवक के रूप में अन्य कर्मचारियों को प्रदान की गई शक्तियाँ शामिल हैं ।

6.10 शब्दावली

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण: यह एक अधिनियम है जो बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने, विनियमित करने, बढ़ावा देने और बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करता है।

6.11 बोध प्रश्न

1. प्राधिकरण में अध्यक्ष और हर दूसरे पूर्णकालिक सदस्य जिस तिथि पर वह प्रवेश करता है उससे ....वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय में रहेगा ।
2. प्राधिकरण के सदस्य केंद्र सरकार को अपने कार्यालय को त्यागने की लिखित सूचना कम से कम महीने पहले देनी चाहिए ।
3. .... के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य होंगे ।

6.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. पांच 2. तीन 1956 3. बीमा सलाहकार समिति

6.13 स्वपरख प्रश्न

1. आईआरडीए के वित्तीय खातों और लेखा परीक्षा से संबंधित प्राधिकरण के प्रावधान कौन–कौन से हैं ।
2. बीमा सलाहकार समिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।
3. आईआरडीए के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए ।
4. प्राधिकरण की नियम और विनियम बनाने के लिए शक्तियों पर टिप्पणी लिखिए।
5. आईआरडीए के बैठक और कार्य से संबंधित विभिन्न प्रावधान क्या हैं?
6. आईआरडीए की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए ।

6.14 संदर्भ पुस्तकें

1. Raviner Kumar, Legal Aspects of Business
2. PPS Gogna, Mercantile Law
3. N.D.Kapoor, Elements of Mercantile Law,
4. M C Kuchhal, Mercantile Law including Company Law
5. B S Moshal, Mercantile Law
6. GK Kapoor, Business Law

इकाई 7 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

इकाई की रूपरेखा

7.1 प्रस्तावना
7.2 उपभोक्ता का अर्थ
7.3 उपभोक्तावाद क्यों?
7.4 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता
7.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
  7.5.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएँ
  7.5.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की सीमा
  7.5.3 इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक उपभोक्ता कौन है?
  7.5.4 वाणिज्यिक प्रयोजन क्या है?
  7.5.5 माल का अर्थ
  7.5.6 सेवाएँ
  7.5.7 शिकायतकर्ता
  7.5.8 शिकायत
  7.5.9 उपभोक्ता विवाद
7.6 सारांश
7.7 शब्दावली
7.8 बोध प्रश्न
7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
7.10 स्वपरख प्रश्न
7.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में जागरूक कर सकें।
- उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकें।
- तीन–स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण संरचना को समझ सकें।
- संरचना, न्यायक्षेत्र और निवारण प्रक्रियाओं के साथ परिचित हो सकें।

7.1 प्रस्तावना

प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदने पड़ते हैं। वे जो भी खरीदते हैं इसके लिए वे भुगतान करते हैं और अपनी खपत और उपयोग से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी–कभी ऐसा हो सकता है कि वे जो उत्पाद खरीदते हैं उससे वे संतुष्ट न हों। यह उत्पाद की खराब गुणवत्ता, दुकानदार द्वारा अतिभारित, सामग्री की कम गुणवत्ता, भ्रामक विज्ञापन, इत्यादि हो सकते हैं। यह बड़ी चिंता का विषय है कि क्या इस अभ्यास को जारी रखा जाना चाहिए? यदि नहीं, तो क्या इस तरह के कदाचार के लिए कोई उपाय है?

उत्तर उपभोक्तावाद और उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा में है। उपभोक्तावाद इस शोषण के खिलाफ एक लड़ाई है। यह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास है। यह विक्रेताओं के खिलाफ अपने अधिकारों को जानने का एक साधन है। यह व्यवसाय को अधिक ईमानदार, कुशल और जिम्मेदार बनाने के लिए एक सामाजिक शक्ति है। यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार को आवश्यक कानूनी उपायों को अपनाने के लिए दबाव भी देता है। यह मूल रूप से एक विरोध आंदोलन है। यह आमतौर पर सार्वजनिक और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा शुरू किया गया एक गैर–आधिकारिक आंदोलन है।
उपभोक्तावाद को विभिन्न लेखकों द्वारा अलग ढंग से परिभाषित किया गया है।

विपणन गुरु फिलिप कोटलर ने उपभोक्तावाद को ''एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया है जो विक्रेताओं के संबंध में क्रेताओं के अधिकारों और शक्तियों को बढ़ाने की माँग करता है।''

यह परिभाषा हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि उपभोक्तावाद जो विक्रेता के खिलाफ क्रेता के अधिकारों और शक्तियों से सम्बन्धित एक सोशलिस्ट गतिविधि है । इसमें कानूनी जाँच की जाँच के अलावा, नैतिक जाँच का भी प्रयोग किया जा सकता है।

श्रीमती वर्जीनिया के. नाउर का कहना है कि उपभोक्तावाद को पुराने क्रेता सावधान की तुलना में ''विक्रेता से सावधान रहे'',या ''क्रेता सावधान रहे'' के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिभाषा सम्पूर्ण नहीं है और न ही उपभोक्तावाद के विशेषताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है। यह केवल क्रेता सावधान के कानूनी पहलू के बारे में बताती है।

व्यापक और विस्तृत परिभाषा क्रेवेन एवं हिल द्वारा दी गई है, ''उपभोक्तावाद एक सामाजिक शक्ति है जिसका प्रयोग व्यवसाय पर कानूनी, नैतिक और आर्थिक दबाव बनाने और उपभोक्ताओं की सहायता और सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है'' के रूप में बताते हैं।

यह परिभाषा स्पष्ट रूप से उपभोक्तावाद के विभिन्न घटकों को निर्दिष्ट करती है जो व्यावसायिक वातावरण में सामाजिक शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है और जो कानूनी, नैतिक और आर्थिक शक्तियों के द्वारा ग्राहकों को सुरक्षा और सहायता देने के लिए तैयार है।

7.2 उपभोक्ता का अर्थ

साधारण शब्दों में उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग या उनका उपयोग करता है। वस्तुएँ गेहूँ, आटा, नमक, चीनी, फलों आदि जैसे उपभोग्य सामग्रियाँ हो सकती हैं या टिकाऊ वस्तुएँ जैसे टेलीविजन, फ्रिज, टोस्टर, मिक्सर आदि सेवाएँ सामान्य रूप से बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, परिवहन आदि जैसीवस्तुओं का संदर्भ देती हैं, आमतौर उपभोग या वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग होता है जिससे व्यक्ति को 'उपभोक्ता' कहा जाता है। लेकिन कानून की दृष्टि में, जो कोई भी वस्तुएँ या किसी भी सेवा का प्रतिफल (मूल्य) देकर और जो कोई क्रेता की स्वीकृति के साथ ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है तो उसे उपभोक्ता

कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएँ खरीदता है और यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग हुआ, तो खरीदार के साथ–साथ उपभोगी व्यक्ति को भी उपभोक्ता माना जाता है। यहाँ तक कि सेवाओं के मामले में, क्रेता चाहे स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग के लिए खरीदता है तो वह उपभोक्ता के रूप में माना जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं के उद्देश्य से पृथक् परिभाषित किया गया है।

माल के प्रयोजन के लिए उपभोक्ता का अर्थ है (i) जो किसी भी वस्तु को प्रतिफल के लिए; और (ii) कोई भी व्यक्ति के अलावा अन्य ऐसी वस्तुओं का कोई उपयोगकर्ता जो वास्तव में इसे खरीदता है, बशर्ते इस तरह का उपयोग क्रेता के अनुमोदन से किया जाता है।

(अभिव्यक्ति 'उपभोक्ता' में ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त करता है)

सेवाओं के प्रयोजन के लिए, उपभोक्ता का अर्थ है (i) जो किसी भी सेवा या सेवाओं के प्रतिफल के लिए रखता है और (ii) ऐसी सेवा (सेवा) के किसी भी लाभार्थी को इस सेवा का लाभ ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से लिया गया है।

7.4 उपभोक्तावाद क्यों?

उपभोक्ता का शोषण चारों ओर हो रहा है। वे न केवल निजी क्षेत्र के उद्यमों के शोषण के शिकार हैं बल्कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों, राज्य विद्युत बोर्ड, टेलीफोन विभाग आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शोषण के भी। हालाँकि भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कई कानूनों को समय–समय पर पारित किया गया है, लेकिन कई कानूनों के बावजूद वे अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं।

इसलिए, व्यवसाय समुदाय द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के कारण उपभोक्तावाद या उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अधिकांश उपभोक्ता अक्सर मिलावटी, नकली, खतरनाक, डुप्लिकेट और घटिया वस्तुओं के साथ ही गलत वजन और मापन के शिकार बन जाते हैं। अनैतिक, झूठे और भ्रामक विज्ञापन के सहारा, व्यवसायी उपभोक्ताओं से त्वरित धन कमाते हैं।

कंपनी के 44वें वार्षिक साधारण बैठक में दिए गए अपने भाषण में श्री टी. थॉमस, अध्यक्ष, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने ठीक ही कहा :'जबकि उत्पादक को उत्पाद, वितरण, विज्ञापन और मूल्य डिजाइन करने का अधिकार है, उपभोक्ता के पास केवल इसे क्रय करने की शक्ति नहीं है। एक यह तर्क हो सकता है कि निर्माता कई अधिकारों के बावजूद अधिक जोखिम उठाता है क्योंकि वीटो शक्ति उपभोक्ताओं के साथ रहती है हालाँकि, उपभोक्ता अक्सर यह मानते हैं कि उनके पास वीटो की शक्ति है, लेकिन वह हमेशा उस शक्ति को अपने सर्वोत्तम हित में उपयोग करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं है। ''उपभोक्ता की यह समस्या ही उपभोक्तावाद को जन्म देती है।''

कई विकसित देशों में, भारतीय उपभोक्ताओं की तुलना में, उपभोक्ता अधिक सुरक्षित हैं। विभिन्न मूल्य नियंत्रण उपायों के बावजूद, भारत में व्यापारियों ने अभी भी उच्च कीमतों के लिए स्वयं के संदिग्ध विधियों को अपनाया है। यहाँ तक कि शिक्षित लोगों को व्यवसाय द्वारा एक परिष्कृत तरीके से धोखा दिया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं ने उपभोक्तावाद के विकास को जन्म दिया।

7.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के उपायों को अपनाने की आवश्यकता मुख्य रूप से उपभोक्ताओं की असहाय स्थिति के कारण होती है। कोई इनकार नहीं करता है कि उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के कारण हुई क्षति या नुकसान से संरक्षित करने का मूल अधिकार है, लेकिन जागरूकता, अज्ञानता और सुस्त रवैये के कारण वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं। हालाँकि विद्यमान कदाचार और उनकी भेद्यता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें भौतिक सुरक्षा, आर्थिक हितों की सुरक्षा, सूचना तक पहुँच, संतोषजनक उत्पाद मानक और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक उपाय प्रदान करना आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष में अन्य मुख्य तर्क निम्नानुसार हैं :

1. **सामाजिक उत्तरदायित्व** : व्यवसाय को सामाजिक और नैतिक मानदंडों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, यह उपभोक्ता के हितों की सेवा के लिए व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी है। इस सिद्धांत के साथ लाइन रखते हुए यह उत्पादकों और व्यापारियों का कर्तव्य है कि वे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सही गुणवत्ता और मात्रा प्रदान करें।
2. **जागरूकता बढ़ाना** :उपभोक्ता व्यवसाय द्वारा कदाचार के खिलाफ अपने अधिकारों के प्रति अधिक परिपक्व और जागरूक होते जा रहे हैं। कई उपभोक्ता संगठन और संघ जो उपभोक्ता को जागरूकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न स्तरोंपर अपने मामलों को उठाना और उन्हें अपने अधिकारों को लागू करने में मदद करना।
3. **उपभोक्ता संतोष** : राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने एक बार विनिर्माण और व्यापारियों को ''भगवान के रूप में अपने ग्राहकों का इलाज'' करने के लिए बुलाया था। उपभोक्ताओं की संतुष्टि व्यवसाय की सफलता की कुंजी है इसलिए व्यापारियों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता की वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करके उपभोक्ताओं के हितों की सेवा के लिए हर कदम उठाना चाहिए।
4. **सामाजिक न्याय के सिद्धांत** : उपभोक्ता का शोषण राज्य के नीति निर्देशक के विरुद्ध है, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना, निर्माताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं से होने की संभावना है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल कर सकें।
5. **ट्रस्टीशिप के सिद्धांत** : गाँधीवादी दर्शन के अनुसार, विनिर्माण और उत्पादक व्यवसाय का वास्तविक मालिक नहीं है। संसाधन समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वे केवल संसाधनों के न्यासी हैं और इसलिए उन्हें ऐसे संसाधनों का

उपयोग समाज के लाभ के लिए प्रभावी ढंग से करना चाहिए, जिसमें उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है।

6. **जीवन रक्षा और व्यापार का विकास** : व्यवसाय को वैश्वीकरण और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ता हितों की पूर्ति करना है, कोई भी व्यावसायिक संगठन भ्रष्टाचार में लिप्त होने या अपने अंतिम उपभोक्ता को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में विफल होता है तो ऐसे में उसे सेवा जारी रखनीहोगी। इसलिए उन्हें लम्बे समय तक अपने उपभोक्ता हितों की ओर उन्मुख होना चाहिए।

7.6 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा या सुरक्षा की दृष्टि से और व्यवसायों द्वारा अनुचित व्यापार और अनुचित व्यापार अनुपालन के अनुसरण में, सरकार ने कुछ कानूनों को लागू किया है । ये कानून मुख्य रूप से बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, मूल्य और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। विभिन्न विधायी उपायों में से एक महत्वपूर्ण विधायी उपायों में से एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण को किसी अन्य कानून की तुलना में अधिक व्यापक रूप से प्रदान करता है। उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में न केवल अनुचित व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कानूनी उपाय चाहता है बल्कि बैंकिंग, बीमा, वित्तपोषण, परिवहन, टेलीफोन, बिजली या अन्य ऊर्जा, आवास, बोर्डिंग और आवास, मनोरंजन, मनोरंजन जैसी सेवाओं में कमी के कारण भी है।, आदि इस अधिनियम में केंद्र और राज्य में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान भी शामिल है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए, अधिनियम ने अर्ध–न्यायिक प्रणाली के लिए प्रदान किया है। उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। ये उपभोक्ता अदालतों के रूप में माना जा सकता है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, उपभोक्ता को अब तक का सबसे शक्तिशाली कानून है। यह एकमात्र ऐसा कानून है जो सीधे बाजार से संबंधित होता है, और इससे उत्पन्न होने वाली शिकायतों का निवारण करना चाहता है। यह उपभोक्ताओं के लिए अनुचित व्यापार पद्धतियों, असंतोषजनक सेवाओं और दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए प्रभावी संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता के विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए बेहतर संरक्षण प्रदान करना है। अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैली हुई है।

7.6.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं

(i) यह सभी क्षेत्रों को शामिल करता है कि क्या निजी, सार्वजनिक, और सहकारी या कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान प्रतिपूर्ति के साथ–साथ निरोधक और दंडनीय हैं और अधिनियम सभी सामानों पर लागू होता है जो माल अधिनियम और सेवाओं की

बिक्री द्वारा कवर किया जाता है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जातीय

(ii) यह उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों को शामिल करता है :

(a) वस्तु और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षित होने का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है;

(b) वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, सामर्थ्य, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित करने का अधिकार ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके;

(c) जहाँ भी संभव हो, आश्वासन देने का अधिकार, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के सामानों और सेवाओं तक पहुँच;

(d) सुनवाई किये जाने का अधिकार और आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं की हित उपयुक्त मंच पर उचित विचार प्राप्त करेगी;

(e) अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण की तलाश का अधिकार; तथा

(f) उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार;

(iii) इस अधिनियम में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है;उपभोक्ता शिकायतों की एक सरल, शीघ्र और सस्ती निवारण प्रदान करने के लिए, इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर तीन–तिहाई अर्द्ध–न्यायिक मशीनरी की परिकल्पना की गई है। ये हैं : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसे राष्ट्रीय आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के नाम से जाना जाता है, राज्य आयोगों और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के रूप में जाना जाता है जिसे जिला मंच के रूप में जाना जाता है; तथा

(iv) इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों को अपमानित नहीं करने के अतिरिक्त और इसके अतिरिक्त हैं।

7.6.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की सीमा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से 15–4–87 से लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक निर्माता पर सख्त दायित्व लगाता है, यदि उसके द्वारा दोषपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में, और एक सेवा प्रदाता, इसकी सेवाओं के प्रक्षेपण में कमी के मामले में। मामलों के एक कैट में आयोजित होने वाले शब्द ''दोष'' और ''कमी'' शब्द को किसी भी तरह की गलती, अपूर्णता या कमी की व्यापक क्षितिज में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, मानक, जिसे बनाए रखा जाना आवश्यक है, सेवा या वस्तु में वैधानिक जनादेश तक सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यापारी द्वारा किसी भी तरह स्पष्ट रूप से या निहित तरीके से दावा किया जाएगा।

7.6.3 इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक उपभोक्ता कौन है?

कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को किसी प्रतिफल के लिए खरीदता है (नकद या प्रकार में भुगतान) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित एक 'उपभोक्ता' है लेकिन, ऐसे व्यक्ति जो 'पुनर्विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए' ऐसे सामान प्राप्त करते हैं, वह उपभोक्ता नहीं है नतीजतन, वह उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी से संपर्क नहीं कर सकता जिसने उसने खरीदा हुआ सामान में कोई दोष लगाया।

7.6.4 वाणिज्यिक प्रयोजन क्या है?

जब किसी भी वस्तु को एक साथ ''लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए, बड़े पैमाने पर किसी भी गतिविधि को ले जाने के लिए'' खरीदा जाता है, तो यह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एक खरीद है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा उठाए गए लगातार विचार किया गया है।

दूसरे शब्दों में, यदि खरीदी गईवस्तु 'बड़े पैमाने पर' व्यावसायिक गतिविधि के लिए 'लाभ कमाने' के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्रेता एक उपभोक्ता नहीं है।

7.6.5 माल का आशय

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ''वस्तु'' शब्द का अर्थ एक ही है, जैसा कि वस्तु बिक्री अधिनियम, 1930 में पाया गया है। यह वस्तु को ''हर तरह की चल सम्पत्ति के अलावा वाद–योग्य दावे और धन के रूप में परिभाषित करता है; और इसमें स्टॉक और शेयरों, बढ़ती फसलों, घास, और उन चीजों को शामिल करता है जो भूमि के हिस्से से जुड़े या उनके हिस्से हैं, जो बिक्री से पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत कटे जाने के लिए सहमत हैं।''

संक्षेप में, सभी चल वस्तुएँ जो बेची जाने में सक्षम हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत माल हैं। जमीन और चीजों के रूप में अचल वस्तुओं जैसे इसे जुड़ी हुई है या इसमें एम्बेडेड है, जो इससे अलग नहीं किया जा सकता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य के लिए माल नहीं हैं। लकड़ी, फसलों, घास इत्यादि, जो पृथ्वी से जुड़ी होती हैं, माल बन जाती हैं जब वे इससे पृथक् और कटे हुए होते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए वस्तु खरीदता है, वह उपभोक्ता है। अचल सम्पत्ति माल नहीं है, तो ऐसे गुणों का क्रेता उपभोक्ता नहीं है।

7.6.6 सेवाएं

एक उपभोक्ता किराए पर किसी भी सेवा की कमी के बारे में भी शिकायत कर सकता है। कमी, गुणवत्ता, प्रकृति या 'प्रदर्शन के तरीके' में गलती, अपूर्णता, कम आ रही या अपर्याप्त के रूप में परिभाषित की गई है, जिसे कानून द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता है। यह शब्द 'प्रदर्शन का तरीका' उदारतापूर्वक व्याख्या किया जा सकता है। आधिकारिक राय के अनुसार, मौजूदा कानून के तहत, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं कुशलतापूर्वक, आर्थिक रूप से और अच्छे कारोबारी सिद्धांतों पर की जाती हैं। इस प्रकार, अगर कोई उपभोक्ता सड़क परिवहन निगम या भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायत कर रहा है, तो वह इस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकता है कि प्रदर्शन कानून द्वारा निर्धारित मानकों तक नहीं है।

सेवाओं में बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, बिजली की आपूर्ति या अन्य प्रकार की ऊर्जा, बोर्डिंग या लॉजिंग, मनोरंजन, मनोरंजन और सूचना शामिल है। निरू शुल्क आपूर्ति की गई कोई भी सेवा शामिल नहीं है। व्यक्तिगत सेवाओं को बाहर रखा गया है एक मास्टर– नौकर रिश्तों में एक नौकर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं इस प्रकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1993 में सेवाओं की परिभाषा के भीतर आवास निर्माण शामिल है।

7.6.7 शिकायतकर्ता

एक 'शिकायतकर्ता' उपभोक्ता या किसी भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ या केन्द्रीय या कोई राज्य सरकार हो सकता है।

इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उन शिकायतों की तीन श्रेणियों को पहचानता है जो शिकायत कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून में परिभाषित सरकार के रूप में उपभोक्ता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शिकायत कर सकती है।

7.6.8 शिकायत

इस अधिनियम के तहत, एक 'शिकायत' का अर्थ निम्न में से एक या अधिक के संबंध में कमांडेंट द्वारा लिखित रूप में कोई भी आरोप है :

(1) यदि शिकायतकर्ता किसी भी अन्यायपूर्ण परिणाम के रूप में नुकसान या क्षति का सामना करना पड़ा है किसी भी व्यापारी द्वारा अपनाया गया व्यापारिक अभ्यास

(2) यदि शिकायतकर्ता को दिया गया माल में एक या एक से अधिक दोष हैं

(3) यदि प्रदान की गई सेवा किसी भी संबंध में कमी है

(4) यदि व्यापारी उस वस्तु के लिए मूल्य का भुगतान करता है जो कि किसी भी कानून के तहत या किसी कानून के तहत निर्धारित मूल्य से अधिक है या माल पर प्रदर्शित किया जाता है या ऐसे सामान युक्त किसी पैकेज पर प्रदर्शित किया जाता है।

नोट्स :उपभोक्ता सार्वजनिक सेवाओं जैसे : सड़कों और उनके रखरखाव के खिलाफ निपटान भी कर सकते हैं । सार्वजनिक शौचालय, मल और उनके रखरखावय जल वितरण प्रणालीय सार्वजनिक बिजली वितरण प्रणालीय टेलीफोन प्रणालीय सार्वजनिक सड़क परिवहनय प्रदूषण नियंत्रण विधियोंय सार्वजनिक प्रसारण प्रणालीय चिकित्सा सुविधाएं आदि

7.6.9 उपभोक्ता विवाद

इस अधिनियम के तहत एक शिकायत स्वचालित रूप से उपभोक्ता विवाद नहीं बनती है। यदि व्यक्ति, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत में निहित आरोपों का खंडन करता है, या इनकार करता है तो यह उपभोक्ता विवाद बन जाता है।

7.6 सारांश

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से

15–4–87 से लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक निर्माता पर सख्त दायित्व लगाता है, यदि उसके द्वारा दोषपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में, और एक सेवा प्रदाता, इसकी सेवाओं के प्रक्षेपण में कमी के मामले में। यह सभी क्षेत्रों को शामिल करता है कि क्या निजी, सार्वजनिक और सहकारी या किसी भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान प्रतिपूर्ति के साथ–साथ निरोधक और दंडात्मक प्रकृति में होते हैं और अधिनियम, माल अधिनियम और सेवाओं की बिक्री द्वारा कवर किए गए सभी सामानों पर लागू होता है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती। यह उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों को संरक्षित करता है जैसे कि संरक्षित करने का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार, सुनाई जाने का अधिकार, अनुचित व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण से निपटने का अधिकारय और उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार इस अधिनियम में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।

सीपीए के तहत उपभोक्ताओं के दावों के निर्णय के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मंच विशेष रूप से गठित किए गए हैं।

धारा 14 सीपीए के अनुसार माल में दोष की खोज पर पहुँचने पर, क्षेत्रीय उपभोक्ता फोरम एक या अधिक घोषणाओं को निर्देश दे सकता है।

सीपीए के तहत दायित्व सख्त या गलती आधारित है या नहीं, आज तक सुप्रीम कोर्ट (भारत में सर्वोच्च न्यायालय) का कोई स्पष्ट कथन मौजूद नहीं है। हालांकि, किसी भी कानून, अनुबंध या व्यापारी के प्रतिनिधित्व के लिए अपेक्षित मानकों के अनुरूप होने में विफलता एक दोष का गठन करने के लिए पर्याप्त हैं।

सीपीए के अनुसार, जहाँ एक व्यापारी या शिकायतकर्ता प्रासंगिक उपभोक्ता फोरम द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, ऐसे व्यक्ति को एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है जो कि एक महीने से कम नहीं है, लेकिन यह तीन साल तक हो सकता है या दो हजार रुपए से कम के जुर्माने के साथ, लेकिन दस हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों के साथ।

7.7 शब्दावली

उपभोक्ता : माल के उद्देश्य के लिए उपभोक्ता का अर्थ है जो किसी भी माल और प्रतिफल खरीदता है और उस व्यक्ति के अलावा ऐसे माल का कोई भी उपयोगकर्ता जो वास्तव में इसे खरीदता है, बशर्ते इस तरह का उपयोग खरीदार के अनुमोदन से किया जाता है। सेवाओं के उद्देश्य के लिए, उपभोक्ता का अर्थ है जो किसी भी सेवा या सेवाओं को ध्यान में रखता है और ऐसी सेवा (सेवा) के किसी भी लाभार्थी ने इस तरह के व्यक्ति के अनुमोदन से सेवा का लाभ उठाया है।

वाणिज्यिक प्रयोजन : जब किसी भी माल को 'कमाई लाभ के उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर किसी भी गतिविधि पर ले जाने के लिए' एक ही दृश्य का उपयोग करने के लिए खरीदे जाते हैं, तो यह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एक खरीद है।

माल : सामान का माल माल की बिक्री अधिनियम, 1930 में परिभाषित के रूप में होता है। उस अधिनियम के अंतर्गत, सामान का अर्थ है कि सभी दावों के दावों और धन के अलावा चल संपत्तियां और स्टॉक और शेयर, बढ़ती फसलों, घास और चीजों से जुड़ी चीजें भूमि जो बिक्री से पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत कटे जाने के लिए सहमत हैं

सेवाएँ (सेट) लाभ हैं जो कि ट्रिगर करने योग्य, उपभोज्य और प्रभावी रूप से किसी भी अधिकृत सेवा उपभोक्ता के लिए उपयोगी होते हैं और जैसे ही वह एक सेवा को चालू कर देते हैं इन लाभों का विवरण वांछित सेवा उपभोक्ताओं के शब्दों और शब्दों में अनुवाद किया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता : एक 'शिकायतकर्ता' उपभोक्ता या किसी भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ या केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार का हो सकता है।

शिकायत : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, 'शिकायत' का अर्थ है अधिनियम के तहत प्रदान की गई एक या अधिक चीजों के संबंध में एक शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में कोई भी आरोप।

उपभोक्ता विवाद : उपभोक्ता विवाद का अर्थ विवाद होता है, जहाँ शिकायत में निहित आरोपों को अस्वीकार, अस्वीकार या विवाद करने वाला व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज होती है।

7.8 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरें

1. ....एक सामाजिक शक्ति है जिसका प्रयोग व्यवसाय पर कानूनी, नैतिक और आर्थिक दबाव बनाने और उपभोक्ताओं की सहायता और सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है'' के रूप में बताते हैं।
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से .... से लागू किया गया।
3. ....से आशय है अधिनियम के तहत प्रदान की गई एक या अधिक चीजों के संबंध में एक शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में कोई भी आरोप।

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. उपभोक्तावाद 2. 15.4.87 3. 'शिकायत'

7.10 स्वपरख प्रश्न

1. उपभोक्तावाद से क्या मतलब है?
2. उपभोक्तावाद की आवश्यकता क्यों है?
3. उपभोक्ता कौन है?
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं को दें।
5. उपभोक्ता संरक्षण परिषद की भूमिका क्या है?
6. एक जिला उपभोक्ता निवारण मंच के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करें।

7. एक राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के संशोधन के क्षेत्राधिकार को समझाओ।
8. उपभोक्ता और उपभोक्तावाद शब्द को परिभाषित कीजिए । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
9. तिथि के अनुसार संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधान को बताएं। क्या अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में सक्षम है?

7.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Raviner Kumar, Legal Aspects of Business
2. PPS Gogna, Mercantile Law
3. N.D.Kapoor, Elements of Mercantile Law,
4. M C Kuchhal, Mercantile Law including Company Law
5. B S Moshal, Mercantile Law
6. GK Kapoor, Business Law
7. http://chdfood.gov.in/Word%20Documents/18CP.Act.pdf

इकाई 8 उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और निवारण के लिए ढाँचा

इकाई की रुपरेखा

8.1 प्रस्तावना
8.2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद
8.3 उपभोक्ता विवाद निवारण मंच
8.3.1 जिला मंच की संरचना
8.3.2 राज्य आयोग की संरचना
8.3.3 राष्ट्रीय आयोग की संरचना
8.4 सारांश
8.5 शब्दावली
8.6 बोध प्रश्न
8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
8.8 स्वपरख प्रश्न
8.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में जागरूक हो सकें ।
- उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें ।
- त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण संरचना को समझ सकें ।
- संरचना, न्यायक्षेत्र और निवारण प्रक्रियाओं से परिचित हो सकें ।

8.1 प्रस्तावना

समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण सरकार के प्रमुख विचारों में से एक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापना की परिकल्पना की गई है ।

केंद्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष होते है। विभिन्न प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिषद में अन्य अधिकारी और गैर– आधिकारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। केन्द्रीय परिषद के प्रमुख उद्देश्यों में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। अधिनियम में तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण संरचना की स्थापना की परिकल्पना की गई है। उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में प्रत्येक जिले में एक जिला मंच, प्रत्येक राज्य में एक राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग भी शामिल है ।

8.2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण परिषद के निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की राज्य सरकार की होगी।

अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार अपने यहाँ उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेंगी। अधिनियम में वर्णित विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता आधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जायेगी । परिषद् में केन्द्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार में सम्बन्धित विभाग के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष व अन्य आधिकारिक व गैर–अधिकारिक सदस्य शामिल होंगे ।

यू एस ए के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ़ कैनेडी ने घोषणा की थी कि उपभोक्ताओं के चार बुनियादी अधिकार हैं, सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित करने का अधिकार है, और सुनने का अधिकार। बाद में, इंटरनेशनल ऑरगेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर यूनियन ने तीन और अधिकार इसमें जोड़ दिए अर्थात, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार।

- **चुनने का अधिकार :** उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि, उन्हें कहीं भी प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध होने की संभावना है । यहां तक कि एक प्रतिस्पर्धी बाजार में भी, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को संतोषजनक गुणवत्ता और सेवाओं का आश्वासन होना चाहिए ।
- **सुचना का अधिकार** : कपट, धोखेबाज या गंभीर रूप से भ्रामक जानकारी के खिलाफ, विज्ञापन, लेबलिंग या इस तरह की अन्य प्रथाओं से उपभोक्ताओं को संरक्षित किया जाना चाहिए ।

  उत्पाद या सेवा से संबंधित जानकारी जैसे गुणवत्ता और प्रदर्शन मानक, उत्पाद की सामग्री, परिचालन आवश्यकताओं, उत्पाद की ताजगी, संभव प्रतिकूल साइड इफेक्ट इत्यादि उपभोक्ताओं को प्रदान की जानी चाहिए । यह अधिकार उपभोक्ताओं को एक बेहतर विकल्प चुनने व उसके सम्बन्ध में सौदा करने के लिए भी सक्षम बनाता है ।
- **सुरक्षा का अधिकारः** ख़रीदे गए या इस्तेमाल किये जाने वाला सामान या सेवाएँ उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य या जीवन के लिए खतरनाक न हो । उन्हें बाजार में उपलब्ध उत्पाद से किसी भी प्रकार का शरीरिक खतरा नहीं होना चाहिए ।
- **निवारण का अधिकार** : यह आधिकार उपभोक्ताओं को विक्रेताओं द्वारा होने वाले नुकसान या उनके कारण होने वाली चोट आदि के प्रति मुआवजे के आधिकार को सुनिश्चित करता है ।

  विस्तृत अर्थ में, 'निवारण' शब्द में भविष्य में होने वाले दुरुपयोग को रोकने व संभावित नुकसान से सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले सभी अधिकार आदि शामिल हैं ।
- **सुनवाई का अधिकार** : उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उनके हितों का सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीति में पूर्ण और सहानुभूति

विचार किया जायेगा तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण में उनका निष्पक्ष और तेजी से उपचार किया जाएगा ।

- **स्वस्थ पर्यावरण का आधिकार** : जनता को प्रदान किये जाने वाले उत्पाद व सेवाओं से भौतिक वातावरण पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए । उन्हें हवा या पानी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्हें उपयोगकर्ताओं के साथ–साथ गैर –उपयोगकर्ताओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए । हर उपभोक्ता को स्वस्थ वातावरण का अधिकार है ।
- **उपभोक्ता शिक्षा का आधिकार** : केवल विधायी क़ानूनी आधिकार ही उपभोक्ताओं को सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा। जब तक उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध उपायों से अवगत नहीं कराया जाएगा, वह बेईमान व्यापारियों के अनुचित और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ स्वंय को नहीं बचा सकते है। इसलिए, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित होना चाहिए । शैक्षिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठन और संस्थागत एजेंसियां द्वारा इस तरह की शिक्षा प्रदान की जा सकती है ।

8.3 उपभोक्ता विवाद निवारण मंच

उपभोक्ता विवाद सुलझाने के लिए इस अधिनियम में तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण संरचना जिसमें जिला स्तर पर जिला मंच, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है । इस प्रकार उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शामिल हैंः

1. प्रत्येक जिले में एक जिला मंच।
2. प्रत्येक राज्य में एक राज्य आयोग।
3. केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आयोग ।

राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक जिले में एक जिला मंच और राज्य स्तर पर राज्य आयोग स्थापित करें। उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1993, राज्य सरकार को यह आधिकार प्रदान करता है कि यदि वह उचित समझता है तो वह एक जिले में एक से अधिक जिला मंच स्थापित कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा अगस्त 1988 में की गई ।

8.3.1 जिला मंच की संरचना

प्रत्येक जिला मंच में निम्न शामिल होंगेः

1. एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है जो वर्तमान में या तो जिला न्यायाधीश है, या बनने के योग्य है, इसका अध्यक्ष होगा ।
2. शिक्षा, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति ।
3. एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता।

इस प्रकार जिला मंच में न्यायपालिका का प्रतिनिधि, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य में श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होता है । फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता का समावेश स्वागत योग्य प्रावधान है। चूंकि गृहिणियां बाजार में प्रमुख खरीदार हैं, विशेष रूप से गैर–टिकाऊ वस्तुओं की, अब यह उम्मीद की जा सकती है कि उनकी समस्याओं को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा । जिला फ़ोरम के एक सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, इसमें जो भी पहले हो तक होगा । हालांकि, वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

जिला फोरम की कार्यवाही कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की जानी चाहिए, जिनमें से एक अध्यक्ष होना चाहिए । फोरम का आदेश इन दो लोगों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। जब दोनों के मध्य राय का अंतर होता है, तो उस अवस्था में तीसरे सदस्य की राय की मांग को बहुमत के फैसले करने के लिए करनी चाहिए।

जिला फोरम का अधिकार क्षेत्र –यदि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और मुआवजा का दावा यदि कोई हो और उसका मूल्य रूपये पांच लाख से अधिक नहीं है तो जिला फोरम ऐसी दावों का निपटारा अपने स्तर से कर सकता है।

शिकायत दाखिल करने के लिए समय सीमा– शिकायतकर्ता को यदि शिकायत करनी है तो इसके लिए उसे घटना के तारीख से एक वर्ष के भीतर फोरम/उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करनी चाहिए ।

शिकायत कैसे दर्ज की जाये : शिकायत दर्ज करने और उसको निपटारे की प्रक्रिया सरल व शीघ्र सम्पन्न होने वाली है । शिकायत दर्ज करने के लिए न तो किसी शुल्क और न ही किसी वकील आवश्यकता है । उपभोक्ता या उसके प्राधिकृत एजेंट व्यक्ति अपनी शिकायत को उपयुक्त उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या उसे पोस्ट द्वारा भेज सकता है ।

प्रत्येक शिकायत में निम्नलिखित जानकारी या तो अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में हस्तलिखित होनी चाहिए, या टाइप की गई होनी चाहिए :

1. शिकायतकर्ता का नाम, विवरण और पता।
2. विपरीत पक्षों के नाम, विवरण और पता, जैसी स्थिति हो, क्योंकि उनका पता लगाया जा सकता है।
3. शिकायत से संबंधित तथ्यं और यह कहाँ से उत्पन्न हुए ।
4. शिकायत में निहित आरोपों के समर्थन में, दस्तावेज, यदि कोई हो ।
5. राहत जिसकी शिकायतकर्ता अपेक्षा करता है ।

माल से संबंधित शिकायतों का निपटान करने की प्रक्रिया– यदि जिला फोरम को माल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो यह एक प्रतिलिपि शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्ष को दर्ज शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय देंगे या इस तरह से विस्तारित अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती है ।

अगर विपरीत पक्ष शिकायत में दर्ज इन आरोपों से इनकार करता है या विवाद करता है, या जिला फोरम द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है या चूक करता है, तो जिला मंच उपभोक्ता विवाद को सुलझाने के लिए नीचे वर्णित व्याख्या के अनुसार कार्यवाही करेगा :

जिला फोरम शिकायतकर्ता से माल का एक नमूना प्राप्त करके उपयुक्त प्रयोगशाला में यह पता लगाने के लिए भेजेगें कि क्या इस तरह की वस्तुएँ शिकायत में लगाए गए दोषों से ग्रस्त हैं या नहीं । उपयुक्त प्रयोगशालाएं वह प्रयोगशालाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या जो सरकार चलाई जा रही है, वित्तपोषित या सहायता प्राप्त है। उपयुक्त प्रयोगशाला को अपनी रिपोर्ट संदर्भ की प्राप्ति से 45 दिनों की अवधि के भीतर या जिला फोरम द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर जिला फोरम को भेजनी चाहिए ।

फ़ोरम को शिकायतकर्ता को प्रयोगशाला को आवश्यक परीक्षण या विश्लेषण करने के लिए शुल्क का उचित भुगतान करने के लिए कहा जायेगा । इसका उद्देश्य बेवजह की मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना है। उपयुक्त प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, फोरम रिपोर्ट की एक प्रति विपरीत पक्ष को भेजेंगी और विपरीत पक्ष या शिकायतकर्ता को रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियों को, यदि कोई हो को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के कहा जायेगा । उपयुक्त प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात शिकायतकर्ता को उचित मौके देने के साथ–साथ विपरीत पक्ष द्वारा रिपोर्ट के संबंध में दिए गए अपने विचार को प्रस्तुत करने के बाद, जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के तहत एक उपयुक्त आदेश जारी करेगा ।

उन वस्तुओं से संबंधित शिकायतों को संभालने की प्रक्रिया जिसके लिए प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता नहीं है या यदि शिकायत किसी भी सेवा से संबंधित है इस मामले में जिला फोरम शिकायत की एक प्रति को विपरीत पक्ष को संदर्भित करेगा, और निर्देशित करेगा कि दर्ज शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय देंगे या इस तरह से विस्तारित अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती है । अगर विपरीत पक्ष शिकायत में दर्ज इन आरोपों से इनकार करता है या विवाद करता है, या जिला फोरम द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है या चूक करता है तो जिला फोरम उपभोक्ता विवाद को शिकायतकर्ता द्वारा उसके संज्ञान में लाये गए सबूत के आधार पर सुलझाएगा ।

शिकायत का समाधान करने के उद्देश्य के लिए जिला फोरम को एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियों निहित होती है ।

8.3.2 राज्य आयोग की संरचना

प्रत्येक राज्य आयोग में निम्न शामिल होंगे:

1. एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या नियुक्त किया गया है, इसके अध्यक्ष होंगे और

2. दो अन्य सदस्यों, ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें योग्यता एवं अखंडता हों या पर्याप्त ज्ञान या अनुभव जिसके पास है या अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन, से संबंधित समस्याओं से निपटने की क्षमता है, जिनमें से एक महिला होगी ।

राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार : राज्य आयोग उन शिकायतों का निपटारा करता है जिसमे वस्तुओ एवं सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा यदि कोई किया गया है, 5 लाख से अधिक लेकिन 20 लाख से अधिक नहीं है । राज्य आयोग राज्य के भीतर जिला फोरम के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की भी सुनवाई करेगा ।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम उपभोक्ता विवाद में लंबित किसी भी मामले उपयुक्त आदेश देने, राज्य के भीतर किसी भी जिला फोरम द्वारा पहले या लिए गए किसी निर्णय के सम्बन्ध में, जहां राज्य आयोग को यह लगता है कि जिला मंच ने ऐसे न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा निहित नहीं है, या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में विफल रहा है जो उसे निहित है, या इसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध तरीके से या सामग्री अनियमितता के साथ किया है के सम्बन्ध में राज्य के भीतर राज्य आयोग को किसी भी रिकॉर्ड को मंगवाने की शक्ति प्रदान करता है ।

शिकायतों को निपटाने की प्रक्रिया : – राज्य आयोग द्वारा किसी भी शिकायत को निपटाने की प्रक्रिया जिला फोरम द्वारा शिकायत को निपटारे के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के समान ही है ।

राज्य आयोग के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है ।

8.3.3 राष्ट्रीय आयोग की संरचना

राष्ट्रीय आयोग में निम्न शामिल होगें :

1. एक व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है या होना चाहिए, इसके अध्यक्ष होंगे तथा
2. चार अन्य सदस्यों, जिनमें योग्यता एवं अखंडता हों या पर्याप्त ज्ञान या अनुभव जिसके पास है या अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन, से संबंधित समस्याओं से निपटने की क्षमता है, जिनमें से एक महिला होगी ।

राष्ट्रीय आयोग का न्यायक्षेत्र :राष्ट्रीय आयोग उन शिकायतों का निपटारा करता है जिसमें वस्तुओ एवं सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा यदि कोई किया गया है, 20 लाख से अधिक है। राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की भी सुनवाई करेगा ।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता विवाद में लंबित किसी भी मामले में उपयुक्त आदेश देने, राज्य के भीतर किसी भी राज्य आयोग द्वारा पहले या लिए गए किसी निर्णय के सम्बन्ध में, जहां राष्ट्रीय आयोग को यह लगता है कि राज्य आयोग ने ऐसे न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा निहित नहीं है, या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में विफल रहा है जो उसे निहित है, या इसके अधिकार

क्षेत्र का प्रयोग अवैध तरीके से या सामग्री अनियमितता के साथ किया है तो उन स्थितियों में आयोग को किसी भी रिकॉर्ड को मंगवाने की शक्ति प्राप्त है ।

शिकायतों को संभालने की प्रक्रियाः राष्ट्रीय आयोग– राष्ट्रीय आयोग द्वारा किसी भी शिकायत को निपटाने की प्रक्रिया जिला फोरम द्वारा शिकायत के निपटारे के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के समान ही है ।

किसी भी शिकायत के निपटारा करने में या उससे पहले किसी भी कार्यवाही के लिए, आयोग के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां रहती है ।

राष्ट्रीय आयोग के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर सर्वोच्च अदालत में अपील कर सकता है ।

क्या राहत उपलब्ध है?

चाही गई राहत की प्रकृति और मामलें से संबंधित तथ्यों के आधार पर निवारण मंच एक या एक से अधिक निम्नलिखित आदेश दे सकता हैः

1. माल और सेवाओं से दोष और कमियों को हटाना ।
2. समान विवरण के नए सामान के साथ पुराने सामान का प्रतिस्थापन ।
3. भुगतान किए गए मूल्य या भुगतान किए गए शुल्क की वापसी ।
4. विपरीत पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए नुकसान या चोट के लिए क्षतिपूर्ति का निर्णय ।

जिला फोरम के आदेश का अनुपालन करने में विफल होने पर, राज्य आयोग, या राष्ट्रीय आयोग किसी भी अवधि के लिए कारावास जो तीन साल से अधिक का न हो या जुर्माना जो रूपये 10,000 से अधिक का न हो या दोनों की सजा दे सकता है ।

शिकायत के निपटारे के लिए समय सीमा

शिकायत का निपटारा करने के लिए वैधानिक समय सीमा केस दाखिल करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर है। लेकिन कई उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत तीन से अधिक वर्षों से लंबित हैं। उदाहरण के लिए, 1989 से तमिलनाडु में सभी उपभोक्ता न्यायालयों में दायर कुल मामलों में से केवल 3% का ही निपटारा समय अवधि के भीतर किया जा सका।

8.4 सारांश

आज उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति में अच्छी तरह से जागरूक हैं और इसलिए उनके अधिकारों की सुरक्षा समय की आवश्यकता है। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापना की व्यवस्था की गई है । केंद्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष होते है। विभिन्न प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिषद में अन्य अधिकारी और गैर– आधिकारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। केन्द्रीय परिषद के प्रमुख उद्देश्यों में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। अधिनियम में तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण संरचना की स्थापना की परिकल्पना की गई है । उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में

प्रत्येक जिले में एक जिला मंच, प्रत्येक में एक राज्य आयोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग भी शामिल है ।

प्रत्येक जिला मंच में एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है जो वर्तमान में या तो जिला न्यायाधीश है, या बनने के योग्य है, इसका अध्यक्ष होगा, शिक्षा, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति, और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे । प्रत्येक राज्य आयोग में एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या नियुक्त किया गया है, इसके अध्यक्ष होंगे और दो अन्य सदस्यों, ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें योग्यता एवं अखंडता हों या पर्याप्त ज्ञान या अनुभव जिसके पास है या अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन, से संबंधित समस्याओं से निपटने की क्षमता है, जिनमें से एक महिला शामिल होंगे । राज्य आयोग उन शिकायतों का निपटारा करता है जिसमे वस्तुओ एवं सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा यदि कोई किया गया है, 5 लाख से अधिक लेकिन 20 लाख से अधिक नहीं है । राज्य आयोग राज्य के भीतर जिला फोरम के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की भी सुनवाई करेगा ।

इसी प्रकार राष्ट्रीय आयोग में एक व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है है या होना चाहिए, इसके अध्यक्ष होंगे तथा चार अन्य सदस्यों, जिनमें योग्यता एवं अखंडता हों या पर्याप्त ज्ञान या अनुभव जिसके पास है या अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन, से संबंधित समस्याओं से निपटने की क्षमता है, जिनमें से एक महिला शामिल होगें।

राष्ट्रीय आयोग उन शिकायतों का निपटारा करता है जिसमें वस्तुओ एवं सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा यदि कोई किया गया है, 20 लाख से अधिक है । राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की भी सुनवाई करेगा ।

8.5 शब्दावली

उपभोक्ता संरक्षण परिषदः उपभोक्ता संरक्षण परिषद विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता आधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त प्राधिकार है ।

उपभोक्ता अधिकार : सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित करने का अधिकार है, और सुनने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार आदि विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता अधिकारों का निर्माण अधिनियम में उपभोक्ताओं के लाभ व हितों की रक्षा के लिए बनाये गये है ।

जिला फोरम/मंच :जिला मंच में एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है जो वर्तमान में या तो जिला न्यायाधीश है, या बनने के योग्य है, इसका अध्यक्ष होगा, शिक्षा, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे ।

राष्ट्रीय आयोग :राष्ट्रीय आयोग उन शिकायतों का निपटारा करता है जिसमें वस्तुओ एवं सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा यदि कोई किया गया है, 20 लाख से

अधिक है । राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की भी सुनवाई करेगा ।

निपटारा/निवारण : 'निवारण' शब्द में भविष्य में होने वाले दुरुपयोग को रोकने व संभावित नुकसान से सुरक्षा के लिए प्राप्त होने वाले सभी अधिकार आदि शामिल हैं ।

राज्य आयोगः राज्य आयोग उन शिकायतों का निपटारा करता है जिसमे वस्तुओ एवं सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा यदि कोई किया गया है, 5 लाख से अधिक लेकिन 20 लाख से अधिक नहीं है। राज्य आयोग राज्य के भीतर जिला फोरम के किसी भी आदेश के खिलाफ की गई अपील की भी सुनवाई करेगा ।

8.6 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरें

1. केंद्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री ....के अध्यक्ष होते है।
2. .... का आधिकार उपभोक्ताओं को विक्रेताओं द्वारा होने वाले नुकसान या उनके कारण होने वाली चोट आदि के प्रति मुआवजे के आधिकार को सुनिश्चित करता है ।
3. राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा .... में की गई ।
4. राज्य आयोग उन शिकायतों का निपटारा करता है जिसमे वस्तुओ एवं सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा यदि कोई किया गया है, जो .... से अधिक का होता है ।

8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. केंद्रीय परिषद 2. निवारण 3. अगस्त 1988 4. 5 लाख

8.8 स्वपरख प्रश्न

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित मूल अधिकार कौन–कौन से है?
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।
3. उपभोक्ता संरक्षण परिषद की भूमिका की व्याख्या कीजिए ।
4. जिला उपभोक्ता निवारण मंच के क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए ।
5. राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए ।

8.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Raviner Kumar, Legal Aspects of Business
2. PPS Gogna, Mercantile Law
3. N.D.Kapoor, Elements of Mercantile Law,
4. M C Kuchhal, Mercantile Law including Company Law
5. B S Moshal, Mercantile Law
6. GK Kapoor, Business Law

इकाई 9 एम आर टी पी अधिनियम का अवलोकन

इकाई की रुपरेखा

9.1 प्रस्तावना
9.2 एम आर टी पी अधिनियम के उद्देश्य और क्षेत्र
9.3 प्रवर्तन मशीनरी
9.3.1 एम आर टी पी आयोग
9.3.2 जाँच और पंजीकरण के महानिदेशक
9.3.3 केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट
9.4 एकाधिकार व्यापार व्यवहार
9.5 प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार (आरटीपी)
9.6 अयोग्य व्यापार व्यवहार
9.7 सारांश
9.8 शब्दावली
9.9 बोध प्रश्न
9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
9.11 स्वपरख प्रश्न
9.12 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- एमआरटीपी अधिनियम के उद्देश्यों और कवरेज की व्याख्या कर सकें।
- एमआरटीपी अधिनियम के लागू करने के लिए मशीनरी को समझ सकें।
- एकाधिकार व्यापार प्रथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार और अनुचित व्यापार व्यवहार को समझ सकें।

9.1 परिचय

आर्थिक सिद्धांत हमें बताता है कि एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित करता है और मानक स्थितियों के तहत मूल्यों को बढ़ाता है। व्यावहारिक जीवन में, एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विकल्प को प्रतिबंधित करते हैं, आर्थिक विकास के लिए हानिकारक होते हैं और उपभोक्ता शोषण का नेतृत्व करते हैं। लंबे समय में, यह अनुसंधान और विकास को रोकते हैं, नस्ल की अक्षमता, राष्ट्रीय संसाधनों के गैर–आर्थिक उपयोग को बढ़ावा देते हैं और समाज में धन और आय की एकाग्रता को बढ़ा देते हैं। कई देशों में एकाधिकार विरोधी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने और व्यावसायिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एकाधिकार विरोधी कानून है। भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रथा (एमआरटीपी) अधिनियम 1969 में पारित किया गया था और 1970 (1 जून) में एमआरटीपी कमीशन की स्थापना के साथ लागू हुआ था। यह अधिनियम राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की धारा 39 के अनुरूप था, जो यह सुनिश्चित करने के लिए

राज्य को निर्देश देता है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन धन की एकाग्रता और उत्पादन के साधनों को सामान्य नुकसान में नहीं लाता है। नए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के पारित होने के साथ, एमआरटीपी अधिनियम, 1969 को निरस्त कर दिया गया है और एमआरटीपी आयोग भंग कर दिया गया है। हालाँकि, इसके बावजूद एमआरटीपी अधिनियम का खंड मुख्य रूप से इस तथ्य को बरकरार रखा गया है कि निरस्त अधिनियम क अधिकांश भाग नए प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के लिए नींव और अवधारणात्मक समझ प्रदान करते हैं। सभी मामलों में एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं में संबंधित एम आर टी पी अधिनियम को नए अधिनियम के तहत गठित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया है और निरसित एमआरटीपी के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। चूँकि ऐसे मामलों की संख्या बड़ी है, इस तथ्य के बावजूद एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि यह निरस्त कर दिया गया है। कुछ देशों द्वारा खोजा गया देश में आर्थिक शक्ति के उच्च स्तर की एकाग्रता को देखते हुए एमआरटीपी अधिनियम आवश्यक था। 1964 की शुरूआत में महालनोबिस समिति (पी.एस.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में) ने निर्माता और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में उत्पादक एकाग्रता की सूचना दी। संपत्ति की स्वामित्व में समान एकाग्रता पायी गयी थी। 1965 में, अपनी रिपोर्ट में एकाधिकार जाँच आयोग (केसी दास गुप्ता की अध्यक्षता में सरकार द्वारा तैयार की गई) में पाया गया कि कुल 1380 उत्पादों के 62 प्रतिशत में, शीर्ष तीन कंपनियाँ संबंधित उत्पाद में कुल उत्पादन के तीन–चौथाई हिस्से में थीं, संगठित क्षेत्र में इस उत्पाद समूह में, 425 उत्पादों में से प्रत्येक में एकाधिकार (केवल एक निर्माता) मिला, 225 उत्पादों में से प्रत्येक में दोपेयता (केवल दो उत्पादक) और 160 उत्पादों में से प्रत्येक में केवल तीन उत्पादक। आयोग ने आगे पाया कि उस समय शीर्ष 75 व्यापारिक घारानों (प्रत्येक में कुल संपत्तियाँ 5 करोड़ रूपये से अधिक थीं) का कुल संपत्ति का 47 प्रतिशत और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की कुल प्रदत्त पूँजी का 44 प्रतिशत हिस्सा था।

9.2 एमआरटीपी अधिनियम के उद्देश्य और क्षेत्र

संशोधनों से पहले अधिनियम के निम्न उद्देश्य थेः

- आम हानि के लिए आर्थिक शक्ति की एकाग्रता का नियंत्रण और विनियमन।
- एकाधिकार और एकाधिकार व्यापार प्रथाओं का नियंत्रण; तथा
- प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं का निषेध।

बाद के संशोधन के दौरान, अधिनियम के उद्देश्यों को संशोधित किया गया है। 1984 में, अधिनियम को अनुचित व्यापार पद्धतियों (बाद में परिभाषित) को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था। 1991 में घोषित नई उदार औद्योगिक नीति में, अधिनियम में संशोधन किया गया और एमआरटीपी कंपनियों की परिसंपत्ति सीमा खत्म कर दी गई। यह निजी हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकने के अपने शुरूआती उद्देश्य में बहुत सफल था। सीमित हद तक, इस अधिनियम ने विलय और अधिग्रहण भी विनियमित किए। एक गलत धारणा थी कि यह अधिनियम बड़े उपक्रमों पर ही लागू

होता है वास्तव में, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यह सभी निजी व्यवसायिक संस्थाओं को बड़े या छोटे, उनके कॉर्पोरेट फॉर्म और व्यक्तियों के बादजूद भी लागू किया। अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून के प्रतिस्थापन में नहीं होते हैं और इसके समान या संबंधित उद्देश्यों को लागू होते हैं। एमआरटीपी अधिनियम लागू था जहाँ भी कंपनी लॉ बोर्ड या सेबी समाधान के लिए उपलब्ध है। 1991 से (27 सितंबर की सरकारी अधिसूचना के अनुसार), निम्नलिखित श्रेणियों की संस्थाओं को एमआरटीपी अधिनियम के प्रवधानों से छूट दी गईः

1. सरकार या एक सरकारी कम्पनी का स्वामित्व या नियंत्रण है, जो हथियारों और गोला–बारूद के उत्पादन में लगे हुए हैं, सुरक्षा उपकरणों, रक्षा विमानों और युद्धपोतों, परमाणु ऊर्जा के लिए खनिज।
2. मुद्रा अैर सिक्के।
3. ट्रेड यूनियनों और उनकी सुरक्षा के उद्देश्य के लिए गठित कार्यकर्ता या कर्मचारियों के अन्य संगठन।

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित, निजी उपक्रम, सहकारी संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अधिनियम द्वारा कवर किए गए थे। सितंबर 1991 की अधिसूचना से पहले, अधिनियम इस पर लागू नहीं हुआ :

(अ) किसी भी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित सरकार या किसी सरकारी कम्पनी या एक निगम (एक कम्पनी नहीं) के स्वामित्व या नियंत्रण;

(ब) एक उद्योग में लगे उपक्रम जिसमें प्रबंधन को एक व्यक्ति या व्यक्ति के निकाय द्वारा केंद्र सरकार द्वारा कानून के तहत अधिकृत किया गया था।

(स) सहकारी समितियों से संबंधित एक अधिनियम के तहत गठन और पंजीकृत एक सहकारी समाज के स्वामित्व वाले उपक्रम।

(द) उपरोक्त दो श्रेणियों (1991 के बाद) के अलावा वित्तीय संस्थानों अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं हुआ।

9.3 प्रवर्तन मशीनरी

एमआरटीपी अधिनियम के प्रवर्तन के लिए मशीनरी में एमआरटीपी आयोग, जाँच महानिदेशक और पंजीकरण (डीजीआईआर) शामिल थे और व्यापक दायरे में इसमें केन्द्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय शामिल थे। इन संस्थानों को निम्नलिखित खण्डों में वर्णित किया गया है।

9.3.1 एमआरटीपी आयोग

आयोग एमआरटीपी अधिनियम के तहत गठित एक अर्ध–न्यायिक निकाय था। इस अधिनियम ने आयोग को विस्तृत शक्तियाँ प्रदान कीं। आयोग की रचना, शक्तियाँ और कार्य निम्नानुसार थे :

संरचना और सदस्यों की योग्यता

आयोग में पाँच साल की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 2–8 सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता तालिका 9.1 में सूचीबद्ध है। अध्यक्ष और सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है लेकिन आयोग में उनका कुल कार्यकाल 10 वर्षों से अधिक नहीं हो सकता है। अध्यक्ष या किसी सदस्य को अपनी स्थिति से हटाया जा सकता है अगर यह प्रमाणित किया जा सकता हो कि उसने अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया था या अपने कार्यों के लिए वित्तीय या अन्य हितों से जुड़े हितों का अधिग्रहण किया था।

तालिका 9.1: अध्यक्ष और एमआरटीपी आयोग के अध्यक्ष की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्य व्यक्ति। सदस्य कोई औपचारिक योग्यता नहीं है कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने की योग्यता, अखण्डता और खड़ा होने वाला व्यक्ति।

तालिका नं0 9.1 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता

अध्यक्ष	व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो।
सदस्य	कोई फार्मल योग्यता नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, लोक समाज और एडमिनिस्ट्रेशन का योग्यता तथा अनुभव है, वह सदस्य हो सकता है।

आयोग की शक्तियाँ

आयोग के अधिकार निम्नानुसार थे :

1. **जाँच की शक्ति** : आयोग किसी एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक या अनुचित व्यापार अभ्यास के संदर्भ में निम्न आधारों पर कर सकता हैः
   - (अ) उपभोक्ता, एक व्यापार संघ या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत उपभोक्ता संघ से शिकायत की रसीद; या
   - (ब) केन्द्र सरकार से प्राप्त एक संदर्भ; या
   - (स) निदेशक–जनरल जाँच और पंजीकरण (डीजीआईआर) से प्राप्त आवेदन; या
   - (द) आयोग की अपनी जानकारी या ज्ञान के आधार पर।

एकाधिकार व्यापार अभ्यास के मामले में जाँच केवल (ब), (स) या (द) के आधार पर शुरू की जा सकती है। जाँच के प्रयोजन के लिए, आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ थीं जिसके तहत वह गवाहों को बुलाने और जाँच कर सकती हैं, शपथ पत्रों के साक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं, किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की माँग कर सकती हैं और मामले से जुड़ी पार्टियों के सामने उपलब्ध करा सकता है। आयोग की आय को न्यायिक कार्यवाही माना गया था।

2. **व्यक्तियों और रिकॉर्डस की माँग करने की शक्ति** : आयोग पूरे भारत में सम्मन और वारंट जारी कर सकता है और गवाहों की उपस्थिति को लागू कर सकता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को व्यापार व्यवहार से संबंधित दस्तावेजों या सुचनाओं को प्रदान करने के लिये

कहा जा सकता है। यह अन्य व्यक्तियों को किसी भी परिसर में खोज करने और संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार भी दे सकता है।

3. **अस्थाई संयोजन देने के लिए शक्ति** : व्यापार व्यवहार से संबंधित मामला तय किया गया था, आयोग ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस तरह के व्यवहार को नियंत्रित करने से रोक सकता है। जाँच के दौरान किसी भी समय ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है।
4. **क्षति और क्षतिपूर्ति के आदेश का अधिकारः** अगर कोई एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक या अनुचित अभ्यास साबित हुआ तो आयोग पीड़ित पक्ष की वजह से नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि इस तरह के मुआवजे की प्रकृति जुर्माना या सिविल कोर्ट द्वारा दी गई दंड से अलग थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग प्रतिस्पर्धी पार्टियों को उचित अवधि के भीतर अपने व्यापार प्रथाओं को संशोधित करने की अनुमति दे सकता है। अवमानना के मामले में, उच्च न्यायालय को दंड देने की शक्ति के समान शक्ति होती है। एक जाँच खत्म होने के बाद, आयोग निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक तरह का फैसला दे सकता है :
   - कि सम्बन्धित मे अभ्यास बंद हो जाएगा और भविष्य में दोहराया नहीं जायेगा (बुलाया और निरंतर आदेश कहा जाता है)।
   - कि व्यापार व्यावहार से सम्बन्धित समझौता शून्य/अवैध होगा या आयोग के आदेश के अनुसार होगा। आयोग अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकता है अगर मामले के तथ्यों में कोई भौतिक परिवर्तन हो या यदि कोई नया तथ्य आयोग के नोटिस में आया, तो मामले के नतीजे पर असर पड़ सकता है।

आयोग के आदेशों का अनुपालन

आयोग किसी विशेष पार्टी या व्यापार प्रथा के संदर्भ में सार्वभौमिक आवेदन या विशिष्ट आदेश के लिए सामान्य आदेश पारित कर सकता है। आयोग के आदेश उसी तरह लागू होते थे जैसे अदालत के आदेश। यदि आयोग के आदेश निष्पादित नहीं किए गए थे, तो आयोग उसे न्यायालय के माध्यम से निष्पादित करा सकता था जिसमें व्यक्तिगत या व्यवसाय इकाई स्थित थी। इसके आदेशों का अनुपालन करने के लिए, आयोग अपने डीजीआईआर के किसी भी अधिकारियों या एक अधिकारी को यह प्रमाणित कर सकता है कि उसके आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। आयोग ने अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जाँच के आधार पर निम्न दो रूपों में से कोई भी कार्यवाही कर सकता है:

- आयोग इस मामले को न्याय सत्र में संदर्भित कर सकता है, जिसके पास दंड और दंड लगाने की शक्ति है।
- यह अपराधों के 'समझौता' के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। कम्पाउंडिंग आयोग द्वारा निर्धारित भुगतान है और देनदार पैरा के द्वारा देय है जिसके

विरूद्ध आयोग आगे की कार्रवाई के लिए मामले को छोड़ने के लिए सहमत हो सकता है। अदालत की कार्यवाही की लागत और समय बचाने के लिए आयोग द्वारा एक मौका दिया जा सकता है। आयोग द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन तथा आयोग को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का भी अधिकार था।

कार्य

आयोग के कई कार्य ऊपर बताए गए, अपनी शक्तियों में निहित थे तथा कुछ पुनरावृत्ति की लागत पर, आयोग के मुख्य कार्य निम्नानुसार सुचीबद्ध हो सकते हैः

- एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों की पूछताछ और सुनने के लिए।
- आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को प्रतिबंधित करने के लिए उपक्रमों के विभाजन या पृथक् से सम्बन्धित मामलों में सरकार को सलाह देना।
- सरकार के अंतिम आदेश के लिए एकाधिकार व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित मामलों पर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए। (ऐसे मामलों में, आयोग अस्थायी अवरोधों और मुआवजे दे सकता है, लेकिन आयोग द्वारा रिपोर्ट के आधार पर अंतिम आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे। आयोग को हांलाकि, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में व्यापक शक्तियाँ दी थीं।)

9.3.2 जाँच और पंजीकरण महानिदेशक (डीजीआईआर)

डीजीआईआर, प्रवर्तन मशीनरी के हिस्से के रूप में, एमआरटीपी अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। सरकार अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक निदेशक–जनरलों को भी नियुक्त कर सकती है, क्योंकि वह फिट हो सकती है। एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार महानिदेशक के पास शक्तियाँ और कार्य थे और आयोग से स्वतंत्र काम किया था। निदेशक–जनरल को न तो आयोग द्वारा नियुक्त किया गया और न ही नियंत्रित किया गया।

जाँच कार्य

डीजीआईआर का आयोग के आदेश पर, व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध में एक शिकायत की प्रारम्भिक जाँच करने का कर्तव्य था। यह स्वयं जाँच कर सकता है और जाँच के लिए आयोग को भी लागू कर सकता है। डीजीआंआर या प्रारम्भिक जाँच करने के लिए प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति ने कंपनी अधिनियम के धारा 240 या धारा 240 (ए) के तहत एक 'निरीक्षक' के समान शक्ति का आन्नद लिया। इस सम्बन्ध में, डीजीआईआर के पास आवश्यक जानकारी माँग करने की शक्ति थी। उन्हें आयोग से पहले किसी भी जाँच के दौरान उपस्थित होने का अधिकार था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से पहले आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

पंजीकरण कार्य

एमआरटीपी अधिनियम के अंतर्गत, सभी समझौतों जो प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहारों से सम्बन्धित हैं, वे डीजीआईआर के साथ पंजीकृत हो सकते हैं अगर

समझौते के लिए कम से कम एक दलों ने अपने व्यापार को भारत में किया हालाँकि, मौजूदा कानून या सरकार द्वारा या जिन सरकारों ने एक पार्टी थी, जिनके द्वारा अनुमति दी गई थी, उन्हें सार्वजनिक नीति के आधार पर पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट मिली थी। डीजीआईआर द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रैबल समझौतों का विवरण एक रजिस्टर में रखे जाते हैं। डीजीआईआर ने पंजीकरण के लिए प्राप्त प्रत्येक समझौते के विवरण की छानबीन की तथा सम्बन्धित पक्षों द्वारा विसंगतियों या चूक, यदि कोई हो, ठीक हो सके। पंजीकरण पर, प्रत्येक दस्तावेज तथा निम्न तथ्यों के साथ प्रस्तुत होता है :

(अ) पंजीकरण की तारीख,

(ब) सीरियल नंबर और पेज नंबर जिस पर पंजीकरण में प्रवेश किया जाता है और

(स) डीजीआईआर की सील और हस्ताक्षर

रजिस्टर (एक विशेष खण्ड को छोड़कर) सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रखा गया था (एक के खिलाफ एक नाममात्र प्रभार) पारदर्शिता और सामान्य जानकारी के हित में जनता के किसी भी सदस्य को किसी विशेष समझौते के खिलाफ अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र था, सार्वजनिक या स्वयं के हित में। किसी भी दल ने डीजीआईआर को इस आधार पर पंजीकरण से छूट के लिए आवेदन कर सकता है कि समझौते के पास आर्थिक महत्व नहीं है। यह 'विशेष खण्ड' में समझौते के किसी विशेष भाग को शामिल करने के लिए भी आवेदन कर सकता है, जो जनता के लिए खुला नहीं था। हालाँकि इस सम्बन्ध में पर्याप्त कारण दिया जाना था। डीजीआईआर या एमआरटीपी आयोग पंजीकरण के लिए पंजीकृत या प्राप्त समझौते के आधार पर एक जाँच शुरू कर सकता है।

9.3.3 केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट

केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, प्रवर्तन मशीनरी के सर्वोच्च स्तर पर थे। केन्द्रीय सरकार ने एमआरटीपी आयोग और डीजीआईआर को मशीनरी के केन्द्रीय भागों के रूप में नियुक्त किया। आयोग द्वारा निर्दिष्ट एकाधिकार व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में अंतिम आदेश पारित करने की शक्ति केन्द्र सरकार के साथ थी। अधिनियम का कवरेज सरकार द्वारा समय–समय पर बढ़ाया गया था। अपेक्षाकृत दुर्लभ मामलों में, उपक्रमों के विभाजन और अंतरपात्र किए गए उपक्रमों के विभाजन को आयोग द्वारा निर्दिष्ट आर्थिक शक्ति की एकाग्रता की जाँच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और सत्र की अदायगी को लागू करने वाले मशीनरी के भाग के रूप में भी माना जा सकता है। एमआरटीपी आयोग ने प्रासंगिक क्षेत्रों पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप अनुदेश दिया था। सम्बन्धित पार्टियों द्वारा गैर–अनुपालन के मामले में सत्रों को कभी–कभी आयोग के आदेश के निष्पादन में शामिल किया गया था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग या केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ अपील का फैसला किया है, अगर कानून के पर्याप्त प्रश्न उठाए।

9.4 एकाधिकार व्यापार व्यवहार (एमटीपी)

संकल्पना और प्रकार

एमआरटीपी अधिनियम [धारा 2 (i)] के तहत, एमटीपी को एक व्यापार व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया था जो निम्न प्रभावों में से (या होने की संभावना) था :

- सामान या सेवाओं को सीमित या नियंत्रित करना, आपूर्ति या वितरण करना जिससे उनके मूल्य को अनुचित स्तर पर बनाए रखा जा सके।
- तकनीकी विकास या पूँजीगत निवेश को सीमित करना या गुणवत्ता या सामान या सेवाओं को खराब करने की अनुमति देना।
- प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए अनुचित रूप से रोकना।
- सेवाओं के लिए अनुचित रूप से बढ़ती लागत या उत्पादन या शुल्क।
- वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी।
- वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति पर बिना किसी कारण के मुनाफे में बढ़ोतरी।
- वस्तुओं या सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को कम करने या रोकने के लिए अनुचित या भ्रामक साधनों का सहारा देना। ऐसी प्रथाओं को प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के गंभीर रूपों के रूप में देखा गया।

सार्वजनिक रूचि के गेटवे

गेटवेज़ परिस्थितियों को संदर्भित करते हैं जिसके तहत उचित व्यापार प्रथाओं की अनुमति होगी। कानून की आँखों में सभी एमटीपी खराब थे, यानी सार्वजनिक हित के लिए पूर्ववर्ती। यह खण्ड महत्वपूर्ण था यदि एक व्यापारिक अभ्यास सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिकूल नहीं है, तो उसे एमटीपी की परिभाषा से मुक्त किया जा सकता है। अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रकार की प्रथा सार्वजनिक हितों के लिए प्रतिकूल नहीं थीं:

- आचरण जो एक अधिनियमित द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत थे।
- केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति दी जाने वाली प्रथाएँ।

एमटीपी का विनियमन

एमआरटीपी आयोग निम्नलिखित में से किसी के आधार पर एक जाँच कर सकता है:

- इस तरह के अभ्यास के अस्तित्व के बारे में केन्द्र सरकार से प्राप्त संदर्भ।
- इस सम्बन्ध में डीजीआईआर से प्राप्त आवेदन।
- आयोग की अपनी जानकारी या ज्ञान।

आयोग ने पूरी जाँच कराई और रिपोर्ट को केन्द्र सरकार को सौंप दिया, जो अकेले इस अभ्यास पर निर्णय लेने की शक्ति थी। हालाँकि, इस अभ्यास से होने वाले नुकसान के लिए आयोग को मुआवजे का आदेश देने की शक्ति थी। सरकार, चरम फैसले में, असंतोष या अभ्यास के निषेध का आदेश दे सकता है या इस तरह के

अभ्यास से युक्त पूरे समझौता रद्द कर सकता है। जिन अन्य रूपों का सरकार निर्णय ले सकती है, उनमें निम्न में से कोई भी हो सकता है:

- माल और सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या नियंत्रण का विनियमन और मूल्य और आपूर्ति सहित बिक्री की शर्तों को तय करना।
- वस्तुओं और सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों को ठीक करना या उनका विनियमन करना।
- समझौते के कुछ भागों को घोषित करना और समझौते के पूरे या हिस्से को रद्द करना।

व्यापार व्यवहार से उत्पन्न होने वाले मुनाफे का विनियमन

एमटीपी मामले में सरकार का आदेश 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था और डीजीआईआर को आदेश के जारी होने के 90 दिनों के भीतर इस अनुपालन की रिपोर्ट करना पड़ा। एमटीपी प्रावधान किसी भी उपक्रम पर लागू थे। 1984 के संशोधन से पहले ये केवल उन उपक्रमों पर ही लागू होते थे, जो कि प्रश्न के किसी विशेष प्रकार के सामान या सेवाओं के 50 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण करता था।

9.5 प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार (आरटीपी)

संकल्पना और प्रकार

एमआरटीपी अधिनियम में आरटीपी के नियंत्रण के सम्बन्ध में विस्तृत प्रावधान थे। इस अधिनियम के तहत एक आरटीपी को परिभाषित किया गया था जिसने किसी भी तरह से प्रतिस्पर्धा को रोकने, विकृत करने या सीमित करने का प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से एक आरटीपी का प्रभाव था:

- उत्पादन के लिए पूँजी या संसाधनों के प्रवाह को बाधित करना; या
- उपभोक्ताओं को कीमतों में बाधा या बाजार के लिए वितरण या आपूर्ति की शर्तों के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में अनुचित लागत या प्रतिबंधों को शामिल करना।

आरटीपी के रूप में समझे जाने वाली कुछ सामान्य प्रथाएँ निम्न थीं:

- **खरीदना और बिक्री पर प्रतिबंध:** ये उन व्यक्तियों को सीमित करने के रूप में हो सकते हैं जिनके लिए माल बेचा जा सकता है या जिनके द्वारा ये खरीदा जा सकता है।
- **टाई–इन सेल्स:** ये किसी व्यक्ति को उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर होना (एक ग्राहक नहीं है जिसके लिए वह मजबूती के मामले के रूप में खरीदता है), जिसे वह खरीदना चाहती है (जैसे ग्राहक को क्रीम के साथ एक शेविंग ब्लेड खरीदने के लिए आवश्यक है)।
- **विशेष डीलरशिप समझौते:** समझौते के लिए एक विशेष उत्पाद के डीलर की आवश्यकता होती है, जो किसी अन्य उत्पाद (आम तौर पर एक प्रतिद्वंदी) में नहीं निपटता। इसमें एक विशेष भौगोलिक स्थिति (स्थानीय एकाधिकार बनाने) में किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को विशेष डीलरशिप अधिकार भी शामिल हैं।

- **सामूहिक मूल्य निर्धारण और निविदाः** यह सामूहिक रूप से एक उत्पाद को खरीदने या बेचने के लिए व्यक्तियों या व्यवसाय इकाइयों के बीच समझौते को एकत्र करने की प्रथा है या केवल पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य और शर्तों पर होता है अल्पसंख्यक में, फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा का खत्म करने और एकाधिकार उच्च मूल्य पर शुल्क लगाने के लिए 'कार्टेल' के रूप में इस अभ्यास का सहारा ले सकता है।
- भेदभावपूर्ण व्यवहार अभ्यास के तहत, एक विक्रेता अलग–अलग खरीदारों के बीच भेद करता है, अलग–अलग कीमतों का शुल्क लेता है और ऑर्डर के आकार के आधार पर बिक्री के अलग–अलग नियमों (छूट सहित, व्यापार क्रेडिट आदि) लगाता है। अभ्यास के तहत, एक थोक व्यापारी एक फुटकर बिक्री के लिए एक बड़ा डिस्काउंट देता है जिसका ऑर्डर बड़ा है। इस तरह के अभ्यास से बड़े खुदरा विक्रेताओं को छोटे खुदरा विक्रेताओं की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना पड़ेगा और प्रतियोगिता अब निष्पक्ष नहीं रहेगी।
- **पुनर्विक्रय मूल्य रखरखावः** यह अभ्यास वितरण श्रृंखला में विभिन्न स्तरो पर व्यापारियों के बीच व्यवहार में प्रबल होता है। इस अभ्यास के तहत एक डीलर (एक वितरक) एक और डीलर की आवश्यकता है (एक थोक व्यापारी) उत्पाद 'किसी निश्चित कीमत से नीचे' या 'एक निश्चित कीमत के ऊपर' नहीं बेचते। इस अधिनियम के तहत ऐसा कोई समझौता शून्य था, जब तक एमआरटीपी आयोग द्वारा किसी वैध जमीन पर विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती।
- **आउटपुट या आपूर्ति प्रतिबंधः** इस तरह के करार एक सीमा की तलाश करते हैं, किसी उत्पाद की आउटपुट या आपूर्ति को रोकते हैं या प्रतिबंधित करते हैं या किसी विशेष बाजार को उनके निपटान के लिए आवंटित करते हैं। कभी–कभी क्षेत्र प्रतिबंधों को ऐसे आधार पर उचित माना जाता है जैसे बिक्री के बाद सेवा, ग्राहक के साथ निरंतर संपर्क या निर्माता के सीमित वितरण नेटवर्क।
- **विनिर्माण प्रक्रिया प्रतिबंधः** इस तरह के प्रतिबंध आम तौर पर एक निर्माता द्वारा दूसरे पर लगाए जाते हैं जब वे किसी तरह के रिश्ते में हैं जैसे कि लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, सह उत्पादन व्यवस्था, उप– ठेके, खरीद–वापस, संयुक्त निविदा, खरीद–बैंक की व्यवस्था, मार्केट शेयरिंग व्यवस्था, संयुक्त उद्यम या सहयोग के किसी भी अन्य प्रकार। इस तरह के समझौते के लिए एक निर्माता की आवश्यकता हो सकती है, न कि किसी खास प्रकार के पूँजीगत उपकरण, तकनीक और उत्पादन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना या किसी प्रक्रिया या तकनीक का उपयोग करके सीमित मात्रा तक किसी उत्पाद का उत्पादन करना। ऐसे समझौतों से उत्पादन और प्रतिस्पर्धा को रोक दिया जाता है।

- **मूल्य नियंत्रण समझौतेः** ऐसे समझौते कीमतों पर उत्पादों को बेचने की तलाश करते हैं जो प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वियों को नष्ट कर देगा। यह संपार्श्विक मूल्य निर्धारण, शिकारी मूल्य या डंपिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सामान्य बाजार मूल्य के नीचे कीमतों पर उत्पाद बेचना या उत्पादन की लागत भी ऐसी प्रथा का उदाहरण है। हालाँकि, प्रतिस्पर्धा में कीमत छूट देने के अभ्यास के तहत कवर नहीं किया जाता है।
- **सामूहिक बोली लगानाः** यह अभ्यास बहुत आम है लेकिन यह साबित करना बहुत मुश्किल है। इस अभ्यास बोलीदाताओं में प्रतिस्पर्धा के बजाय मिलनसार, बोली लगाने वालों को किसी विशेष मूल्य से अधिक बोली मूल्य नहीं देने या नीलामी किसी विशेष व्यक्ति या समकक्ष के पक्ष में जाने की पूर्व योजना सम्मिलित है।
- **कोई अन्य समझौताः** उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है, इस अधिनियम के तहत सरकार, एमआरटीपी आयोग की सिफारिश पर, किसी अन्य अभ्यास को प्रतिबंधात्मक घोषित कर सकती है एक अधिसूचना के तहत इस प्रथा को प्रतिबंधात्पक घोषित किया जा सकता है इस प्रावधान का उद्देश्य सरकार को इस तरह के प्रतिबंधक अभ्यास को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना था जो भविष्य में प्रचलित हो सकते हैं।

गेटवे और बैलेंसिंग प्रावधान

निम्न श्रेणियों में से किसी एक में सम्बन्धित व्यापार प्रथा को आरटीपी की परिभाषा से छूट दी गई थीः

- ऐसे समझौतों जो सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं थे।
- इस नियम के तहत, प्रतिबंधात्मक समझौते और उन परिस्थितियों के नकारात्मक प्रभावों के बीच संतुलन को देखते हुए एक अभ्यास की अनुमति दी जा सकती है जिसके तहत प्रतिबंध सामान्य दिखाई देता है।
- समझौते जिसमें उत्पादों के उत्पादों के उपयोग, खपत या स्थापना से, जनता (व्यक्तियों या उनके परिसर) को चोट पहुँचाने के लिए उचित प्रतिबंध प्रदान किया जाना था।
- प्रतिद्वंद्वियों के ऐसे व्यवहारों के खिलाफ रक्षा में किए जाने वाले प्रतिबंधित प्रथाएँ (उदाहरण के लिए, किसी उत्पादित उत्पाद के भेदभावपूर्ण छूट को इस आधार पर उचित माना जा सकता है कि इस तरह की प्रथा प्रतियोगियों के बीच प्रचलित थी)।
- प्रतिबंधित प्रथाओं जो खरीदार को बाजार में व्यापार के प्रमुख हिस्से को नियंत्रित करने वाले एक सप्लायर के साथ बेहतर शर्तों के लिए बातचीत करने में सक्षम हो सकता है। बाद में अपनी प्रमुख स्थिति के आधार पर खरीदार का फायदा उठाने की संभावना थी और खरीदार के हिस्से पर प्रतिबंधात्मक व्यवहार शोषण भरपाई कर सकता है।

- निकासी की प्रथाओं, जिनकी वापसी निर्यात को खराब कर सकती है या गंभीर बेरोजगारी उत्पन्न कर सकती है– ।
- प्रतिबंध जो कि सार्वजनिक हित के आधार पर एमआरटीपी आयोग द्वारा अनुमोदित पहले के एक माध्यमिक या संबद्ध था।
- आचरण, जो 'दिमाग के सिद्धांत' द्वारा कवर किए गए थे सिद्धांत के तहत, एक अभ्यास छूट दी गई है अगर मौजूदा प्रतियोगिता पर इसका थोड़ा प्रतिकूल असर हुआ है।
- प्रतिबंध, सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई थी। उदाहरण के लिए, अगर सरकार ने मौजूदा कानून (जैसे दवा दर नियंत्रण आदेश) के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत पर नियंत्रण किया है, तो यह अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है।
- प्रतिबंध, जो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है या आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए।
- कुछ उत्पादों के मामले में पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव आयोग द्वारा अनुमत होने की अनुमति हो सकती है अगर आयोग को यह आश्वासन दिया गया था कि, स्थिति को हटाने से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का कारण होगाः
  - (अ) सार्वजनिक हित की हानि को माल की गुणवत्ता में गिरावट; या
  - (ब) खुदरा कीमतों में वृद्धि उपभोक्ता हित को चोट पहुँचाई जाएगी; या
  - (स) उपभोक्ता हित को नुकसान पहुँचाने के लिए आवश्यक आपूर्ति कम या बंद हो जाएगी। उपरोक्त छूटों के अतिरिक्त, एमआरटीपी आयोग किसी भी प्रतिबंधक प्रथा की अनुमति दे सकता है जो परिस्थिति के तहत उचित माना जाता है जिसके तहत यह प्रचलित है और प्रतिस्पर्धा पर इसका प्रभाव या सामान्य रूप से सार्वजनिक है।

आरटीपीएस के लिए नियंत्रण तंत्र

जैसा कि डीजीआईआर से सम्बन्धित पूर्ववर्ती अनुभागों में बताया गया है, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक खण्डों वाले सभी करारों को अनुबंध के 60 दिनों के भीतर डीजीआईआर के साथ पंजीकृत किया जाना था, जिसमें सम्बन्धित पक्षों का विवरण और समझौते की शर्तों का विवरण दिया गया था। पंजीकरण की आवश्यकता किसी भी फर्म, ट्रस्ट, एसोसिएशन या व्यक्तिगत पर लागू होती है। पंजीकरण डीजीआईआर की जानकारी और डेटाबेस के लिए भी था।

जनता के शिकायत मिलने के बाद ही पंजीकृत अनुबंध शून्य हो गया था, जाँच की गई और 'रुकने और विरत' आदेश पारित किए गए। पंजीकरण से, समझौते पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिबिंब नहीं था। पंजीकरण आवश्यकता ने सम्बन्धित पार्टियों को इस समझौते में किसी भी प्रतिबंधक धाराओं से बचने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार निवारक के रूप में सेवा की।

जाँच पड़ताल

एमआरटीपी आयोग निम्नलिखित में से किसी के आधार पर विशेष प्रतिबंधक व्यापार अभ्यास की जाँच शुरू कर सकता हैः

(अ) उपभोक्ता या उपभोक्ता संगठन से प्राप्त शिकायत; या

(ब) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किए गए एक संदर्भ; या

(स) बीआईएफआर से प्राप्त आवेदन; या

(द) अपनी जानकारी या समझ।

आयोग इस तथ्य के बावजूद एक जाँच शुरू कर सकता है कि प्रश्न में आरटीपी दर्ज किया गया था या नहीं। आयोग एक समय सीमा समाप्त समझौते की भी जाँच कर सकता है और निर्णय दे सकता है ताकि एक ही या कुछ अन्य पार्टी फिर से इस अभ्यास का सहारा न ले। आयोग ने अपनी जाँच में सम्बन्धित सभी दलों को सुना और उसके फैसले निम्न श्रेणियों में से एक तरह के हो सकते हैं।

- इस प्रथा की अनुमति दी जा सकती है अगर उसे सार्वजनिक हित के प्रति पूर्वाग्रह नहीं मिला; या
- अगर 'सार्वजनिक और सार्वजनिक हितों के लिए पूर्ववर्ती पाया गया' तो 'विरत और निर्णायक आदेश' पारित किया जा सकता है; या
- आयोग के आदेश के अनुसार इस समझौते को संशोधित किया जा सकता है; या
- यदि पक्ष ने स्वयं को बंद करने का वादा किया, भविष्य में अभ्यास को दोहराए जाने या बदलने का नहीं, तो कार्यवाही को हटाया जा सकता है।

9.6 अयोग्य व्यापार व्यवहार (यूटीपीएस)

संकल्पना और प्रकार

यूटीपी को एमआरटीपी अधिनियम में अध्याय V के भाग B के रूप में 1984 में संशोधन के लिए जोड़ दिया गया था। यह खराश समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर किया गया था ताकि ग्राहक को अनुचित व्यापार पद्धतियों से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए बचाया जा सके जो उपभोक्ताओं के शोषण का लाभ उठाते हैं। प्रथाओं का भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उल्लेख किया गया है अधिनियम ने निम्नलिखित श्रेणियों के यूटीपी की पहचान कीः

- झूठी या भ्रामक प्रतिनिधित्व, यह सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत होने वाले एक बयान, (लिखित या मौखिक) या दृश्यमान प्रस्तुति के रूप में हो सकता है;
- एक अच्छा या सेवा की गुणवत्ता या मानक;
- पुराने के रूप में नए सामान;
- माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं की प्रायोजन या अनुमोदन;
- एक अच्छा या सेवा की आवश्यकता या उपयोगिता;

- उचित परीक्षण के बिना माल की गारन्टी;
- माल या सेवाओं की कीमत; या
- अन्य व्यक्तियों के सामान और सेवाओं के तथ्य।

एक बयान, जो एक आम आदमी को गुमराह करने की संभावना नहीं है, एक यूटीपी नहीं माना जा सकता है। मुख्य प्रकार के यूटीपी निम्न में से हैं:

- सौदा बिक्री, प्रलोभन और स्विच बेचनाा। इसमें सौदे की बिक्री भी शामिल है, इसके बिना असली पेशकश की यह सामान्य कीमत के संदर्भ के बिना एक अनुचित रूप से छोटे समय के लिए या एक छोटी मात्रा या तथाकथित सौदा मूल्य के लिए पेशकश की जा सकती है। इसी तरह सौदा मूल्य को आकर्षित करने के लिए एक प्रलोभन के रूप में विज्ञापित किया जा सकता है।
- एक उत्पाद के लिए उसका मन और प्राथमिकता जानने के लिए ग्राहक एक बार आकर्षित होने पर ग्राहक को अन्य उत्पादों की पेशकश की जाती है, जिसे 'स्विच सेलिंग' कहा जाता है।
- निःशुल्क उपहार और प्राचार प्रतियोगिताएँ इसमें 'मुफ्त उपहार या पुरस्कार शामिल हैं जो वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं और उनकी कीमत मुख्य उत्पाद की कीमत में निहित रूप से शामिल हो सकती है'। इसी तरह, कीमत बढ़ाने के बाद छूट भी दे रही है।
- यूटीपी एमआरटीपी कमेटी को सार्वजनिक हितों के लिए बुरा और प्रतिकूल प्रभाव के रूप में प्रचार प्रतियोगिता माना जाता है क्योंकि ये लोगों को लागत, गुणवत्ता या जरूरत से अलग विचारों पर उत्पाद खरीदने के लिए प्रलोभन करते हैं।
- उत्पाद सुरक्षा मानकों को अनदेखा करना, प्रथा का मतलब एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं माल बेचने और संभावित उपभोक्ताओं के लिए चोट या जोखिम को रोकने के लिए आवश्यक है। ऐसे मानदंड एक उत्पाद के संयोजन, डिजाइन, प्रदर्शन, परिष्करण या पैकेजिंग के सम्बन्ध में हो सकते हैं।
- सामानों के संग्रहण या जानबूझकर विनाश, इस तरह की कार्रवाई आपूर्ति को कम करने, उत्पादन कम करने और उत्पाद की कीमत बढ़ाने के इसरदे से हो सकती है। कमोडिटीज एक्ट ऐसे व्यवहारों के साथ भी काम करता है।

यूटीपी के नियंत्रण

यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आरटीपी के तहत उपलब्ध गेटवे, यूटीपी के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालाँकि, यूटीपी पर आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है अगर यह सार्वजनिक हित के लिए पूर्वाभ्यासकारी हो। इसी तरह, एक अभ्यास, जिसे विशेष रूप से कुछ मौजूदा कानून द्वारा अधिकृत किया गया था एमआरटीपी अधिनियम के तहत कार्रवाई योग्य नहीं था। चूँकि यूटीपी के बारे में कई शिकायत फर्जी, अनन्य या तुच्छ हो सकते हैं, एमआरटीपी कमीशन को इस सम्बन्ध में प्रारंभिक

जाँच करने के लिए डीजीआईआर को आदेश देने की आवश्यकता है। आरटीपी के मामले में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर जाँच शुरू की जा सकती है और इसका आदेश आरटीपी के मामले में वर्णित श्रेणियों में से किसी एक मे गिर सकता है। इसके अलावा, आयोग सार्वजनिक हित में प्रकाशित होन वाली यूटीपी से सम्बन्धित कोई सूचना, वक्तव्य या विज्ञापन का आदेश दे सकता है। आयोग प्रभावित व्यक्ति या पार्टी को नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भी आदेश दे सकता है। नुकसान निम्नानुसार का हो सकता हैः

- प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय, मात्रा निर्धारित होने में सक्षम;
- परोक्ष रूप से वित्तीय, लाभदायक अवसर, प्रतिष्ठा या विश्वसनीयता की हानि जैसी; या
- गैर–वित्तीय हानि जैसे मानसिक पीड़ा, शारीरिक बीमारी आदि।

9.7 सारांश

भारतीय व्यवसायिक पर्यावरण मे एम आर टी पी अधिनियम समानता तथा संवृद्वि के बीच एक संधर्ष है। इस अधिनियम के उदारीकरण तथा सरलता की आवश्यकता भारतीय अर्थव्यवस्था के औधोगिक विकास के लिए समय–समय पर आवश्यक हुई है। जैसा कि यह अधिनियम बडी फर्मो पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुप से कई तरह के प्रतिबन्ध लगता है जिससे यह विश्व बाजार मे प्रतियोगिता के लिए सक्षमता प्राप्त नही कर पाती। विरोधाभस यह है कि इस अधिनियम की आवश्यकता तथा इसका उदगम बाजार मे प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिए किया गया था।

9.8 शब्दावली

व्यापार : व्यापार से तात्पर्य उद्योग या व्यवसाय से सम्बन्धित उत्पाद, आपूर्ति वितरण या माल के नियंत्रण और सेवाओं के प्रावधान से है।

ट्रेस प्रैक्टिस : किसी भी अभ्यास में किसी भी गतिविधि सहित किसी भी व्यापार को लेकर सम्बन्ध है, जो व्यापार या व्यापार की कीमत या पद्धति को नियंत्रित या प्रभावित करता है।

प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास : प्रतिबंधात्मक व्यापारिक अभ्यास है जिसने किसी भी तरह से विकृत या प्रतिबंधित प्रतियोगिता को रोकने का प्रभाव पड़े।

9.9 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरें

1. एमआरटीपी अधिनियम को वर्ष .... में अनुचित व्यापार प्रथाओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था।
2. एमआरटीपी कमीशन एमआरटीपी अधिनियम के तहत गठित एक .... व्यक्ति था।
3. अध्यक्ष और एमआरटीपी आयोग के सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है लेकिन आयोग में उनका कुल कार्यकाल .... वर्षों से अधिक नहीं हो सकता है।

4. एमआरटीपी कमीशन के आदेश उसी तरह लागू होते हैं जैसे कि .... के डिक्री के आदेश।
5. डीजीआईआर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से पहले .... का प्रतिनिधित्व करता है।
6. .... उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसके तहत उचित व्यापार प्रथाओं की अनुमति होगी।
7. वितरण श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर व्यापारियों के बीच व्यवहार में .... अभ्यास प्रबल होता है।
8. कीमत बढ़ाने के बाद छूट देना भी एक .... है ।

9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 1984, 2. न्यायालयी, 3. 10, 4. न्यायालय, 5. एमआरटीपी आयोग, 6. गेटवेज, 7. पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव, 8. यूटीपी

9.11 स्वपरख प्रश्न

1. एमआरटीपी आयोग की शक्तियाँ क्या हैं? इसके बारे में बताएँ।
2. अन्वेषक और पंजीकरण के महानिदेशक के कार्यों की व्याख्या करें ।
3. 'सार्वजनिक हित के गेटवे' क्या हैं? ये एमआरटीपी के लिए कैसे लागू होते हैं?
4. एमटीपीपी अधिनियम के तहत एमटीपी, आरटीपी और यूटीपी को नियंत्रण तंत्र की चर्चा करें, तंत्र की सीमाएँ क्या हैं?
5. क्या आपको लगता है कि उदारीकरण के निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित मौजूदा आर्थिक नीति के तहत एमआरटीपी अधिनियम अप्रासंगिक हो गया है? आपके उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दें।

9.12 सन्दर्भ पुस्तकें

1. सरकार भारत, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम।
2. सरकार भारत को, प्रतिस्पर्धा अधिनियम।
3. अहलूवालिया, आईजे और आईएमडी लिटल, भारत के आर्थिक सुधार और विकास।
4. गुप्त, सी.बी., व्यापार पर्यावरण।
5. अधिकारी, एम, व्यापार के आर्थिक पर्यावरण।
6. धिंग्रा, आईसी, भारतीय आर्थिकः पर्यावरण और नीति।

इकाई 10 प्रतिस्पर्धा अधिनियम की शुरूआत, एमआरटीपी एक्ट, 1969 में सुधार

इकाई की रुपरेखा

10.1 प्रस्तावना

10.2 प्रतिस्पर्धा व्यवस्था की स्थापना और इतिहास

10.3 नई प्रतिस्पर्धा नीति की मुख्य विशेषताएँ

10.4 प्रतिस्पर्धा अधिनियम के घटक

10.5 एमआरटीपी और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के मध्य अंतर

10.6 सारांश

10.7 शब्दावली

10.8 बोध प्रश्न

10.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.10 स्वपरख प्रश्न

10.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- इतिहास और प्रतिस्पर्धा शासन की स्थापना पर चर्चा कर सकें।
- नई प्रतिस्पर्धा नीति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कर सकें। ।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम के घटकों का वर्णन कर सकें। ।
- एमआरटीपी अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बीच भेद कर सकें।

10.1 परिचय

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, आधे सौ सांसद के बेहतर हिस्से के लिए भारत ने नीतियों को अपनाया और पालन किया, जिसमें कमान और नियंत्रण कानून, नियम, विनियम और कार्यकारी आदेश के रूप में जाना जाता है। यह 1991 व्यापक आर्थिक सुधार किए गए थे और इसके परिणामस्वरूप एक अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार सिद्धांतों पर अधिक आधारित नियमों, कानूनों द्वारा संचालित किया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो एमआरटीपी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, उनमें से एक हैं । जैसा कि कई देशों के लिए सच है, आर्थिक उदारीकरण ने भारत में जड़ें लगाई हैं और एक प्रभावी प्रतिस्पर्धा व्यवस्था की आवश्यकता को भी मान्यता दी गई है। नई आर्थिक नीति प्रतिमान के संदर्भ में, भारत ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 नामक एक नए प्रतिस्पर्धा कानून को चुना है। एमआरटीपी अधिनियम को नए कानून, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2001 में बदल दिया है। नया कानून मौजूदा को निरस्त करने के लिए बनाया गया है। "उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रथाओं को रोकने के लिए एक आयोग की स्थापना देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए और भारत में, बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे

जुड़े मामलों या उसके साथ प्रासंगिक मामलों के लिए सुरक्षा प्रदान करने का एक अधिनियम है ।"

10.2 प्रतिस्पर्धा व्यवस्था की स्थापना और इतिहास

प्रतिस्पर्धा क्षेत्र

भारत सरकार ने आय और जीवन स्तर के वितरण पर महालनोबिस कमेटी नियुक्त की, जिसने 1960 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि भारत में पश्च–निर्भरता अवधि में बढ़ती आय असमानताओं का उजागर करती है। आय में ऐसी असमानता "न्याय–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक" के संवैधानिक आदर्श के विपरीत माना गया था, साथ ही राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को मौलिक अधिकारों और व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित संवैधानिक स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के साथ पढ़ा गया था। इससे एक उच्चस्तरीय एकाधिकार जाँच आयोग (एमआईसी) का गठन हुआ जिसने 1965 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। एमआईसी की सिफारिशों के आधार पर, भारत ने अपना पहला प्रतियोगिता कानून बनाया जिसे मोनोपॉलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, 1969 (एमआरटीपी अधिनियम) कहा गया। एमआरटीपी अधिनियम का उद्देश्य निजी उद्यमों द्वारा आर्थिक धन की एकाग्रता को रोकने के दो उद्देश्यों को प्राप्त करना और गैर–पूर्वाभ्यास सुनिश्चित करना था।

भारत में आर्थिक गतिविधियों में सार्वजनिक हित एमआरटीपी अधिनियम ने कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया था। आर्थिक उदारीकरण और 1991 के बाद से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों के चलते चुनौतियों का सामना करने और वैश्वीकरण की पेशकश के अवसरों के लाभ के साथ, राघवन समिति की स्थापना 1999 में भारत की प्रतिस्पर्धा व्यवस्था के विकास की आवश्यकता का आँकलन करने के लिए की गई थी। 2000 की अपनी रिपोर्ट में समिति ने आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून की स्थापना की और एमआरटीपी अधिनियम से बाहर निकलने की सिफारिश की। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") दिसंबर 2002 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे 13 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और जैसा कि नीचे बताया गया है, वह अब कार्यान्वित हो रहा है। अधिनियम के लागू होने के लिए किसी भी अन्य कानून में किसी भी असंगत प्रावधान पर एक ओरवराइडिंग प्रभाव पड़ता है, और एक कमीशन की स्थापना के लिए प्रदान करता है;

(अ) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव वाले प्रथाओं को रोकें,
(ब) बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और बनाए रखने के लिए,
(स) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और
(द) भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

अधिनियम के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी और एक अध्यक्ष और आयोग का एक प्रशासनिक सदस्य भी 14 अक्टूबर 2003 को नियुक्त किया गया था। हालाँकि, अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, एक

जनहित याचिका दायर की गई थी 30 अक्टूबर, 2003 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने, अन्य जगहों पर नियुक्ति को चुनौती देने के साथ अन्य बातों के बाद सेः

(अ) प्रस्तावित आयोग, जो एक नौकरशाह की अध्यक्षता में होगा, एमआरटीपी आयोग की जगह होगी, जिस पर एक न्यायिक सदस्य की अध्यक्षता की गई थी;

(ब) आयोग का न्यायनिर्णय कार्य था जो इस बात की पुष्टि करता था कि अध्यक्ष एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए।

आखिरकार जनवरी 2005 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुलझाया था, इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए कि भारत सरकार न्यायिक अपीलीय प्राधिकरण का गठन करने के लिए कानून में संशोधन शुरू कर रही है, जबकि चुनौती के जवाब दिए बिना आयोग में विशेषज्ञ नियामक स्थान छोड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में, इस अधिनियम को सितंबर 2007 में संशोधित किया गया था जिसमें एक न्यायिक सदस्य की अध्यक्षता वाली एक अपीलीय न्यायाधिकरण ("अपीलीय ट्रिब्यूनल") की स्थापना के लिए अपील की और मुआवजे का फैसला किया गया था। आयोग के फैसले से उत्पन्न होने वाले दावों 2002 में इसके अधिनियमन होने के बाद से, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया गया है धारा 3 से 6, 18 से 21, 26 से 33, 35, 38–39, 41–48 और 66 के धाराओं को अभी तक लागू नहीं किए जा रहे हैं। 28 फरवरी, 2009 को, सरकार ने अध्यक्ष नियुक्त किया और आयोग के दो अन्य सदस्यों, जिन्होंने कार्यालय संभाला है दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई है और उन्होंने भी हाल ही में कार्यालय संभाला है। अध्यक्ष और अपीलीय ट्रिब्यूनल के दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया क्रमशः भारत और सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पना के सक्रिय चरण में है। अब यह अपेक्षा की जाती है कि आयोग और अपीलीय ट्रिब्यूनल 2009 की तीसरी तिमाही तक पूर्ण रूप से चालू हो जाएँगे। एमआरटीपी अधिनियम और इसके तहत स्थापित आयोग, को निरस्त करने और एक साथ भंग करने की उम्मीद है।

10.3 नई प्रतिस्पर्धा नीति की मुख्य विशेषताएँ

प्रतिस्पर्धा

भारत के लिए प्रतिस्पर्धा कानून भारत के संविधान के लेख 38 और 3 द्वारा शुरू किया गया था। ये लेख राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा हैं। निर्देशक सिद्धांतों पर पेंगिंग, पहला भारतीय प्रतियोगिता कानून 1969 में अधिनियमित किया गया था और इसे एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (एमआरटीपी अधिनियम) नाम दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के अन्य बातों के साथ, कि राज्य, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा और प्रभावी ढंग से रक्षा करेगा, जैसा कि हो सकता है कि एक सामाजिक आदेश जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगा। राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थान, और राज्य, विशेष रूप से, सुरक्षा के प्रति अपनी नीति का निर्देशन करेगाः

1. कि समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को उतना वितरित किया जाता है जितना कि उप–सामान्य काम करता है; तथा
2. कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन आम नुकसान के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता में न हो।

अक्टूबर 1999 में, भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा नीति और प्रतिस्पर्धा कानून पर एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जो अंतरराष्ट्रीय विकास के साथ–साथ देश के लिए एक आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून की सलाह देने के लिए और एक विधायी ढाँचे का सुझाव देने के लिए, जिसमें एक नया कानून या उपयुक्त संशोधन हो सकता है। एमआरटीपी अधिनियम समिति ने मई 2000 में अपनी प्रतिस्पर्धा नीति रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। प्रतिस्पर्धा कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया और नवंबर 2000 में सरकार को प्रस्तुत किया गया। कुछ शोधन के बाद, सभी इच्छुक पार्टियों के साथ व्यापक विचार–विमर्श और चर्चाओं के बाद संसद ने दिसंबर 2002 में नया कानून, अर्थात्, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 निम्नलिखित प्रतिस्पर्धा अधिनियम की विशेषताएँ हैं के साथ पारित हुआः

(अ) पर्यावरण संरक्षण और स्मारकों और राष्ट्रीय विरासत संरक्षण विचारों आदि के लिए (औद्योगिक और बचाव) अधिनियम, 1951, अब जगह नहीं छोड़ने के लिए आवश्यक हो सकता है।

(ब) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और सम्बन्धित देनदारियों के सम्बन्ध में उनके कानूनी दायित्वों के अधीन, गैर–व्यवहार्य, अयोग्य और अक्षम इकाईयों के लिए आसान निकास प्रदान करने के लिए संबद्ध संशोधनों को संशोधित करने की आवश्यकता है।

(स) बीमार औद्योगिक कम्पनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए औद्योगिक वित्त एवं पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(द) विश्व व्यामार संगठनः विश्व व्यापार संगठन समझौतों के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली घटनाओं के साथ–साथ या प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के परीक्षण और निर्णय लेने के लिए आवश्यक प्रावधान होने चाहिए। विशेष रूप से, विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सब्सिडी, काउंटरवैलिंग कर्तव्यों, एंटी डंपिंग उपायों, सैनिटरी और साइटो सैनिटरी उपायों, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएँ और सरकारी खरीद से सम्बन्धित समझौतों को प्रतिस्पर्धा नीति/प्रतिपक्ष प्रथाओं से निपटने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ कानून प्रतिस्पर्धा कानून को अतिरिक्त बनाया जाना चाहिए।

(ई) एमआरटीपी अधिनियमः यह सुझाव दिया जाता है कि

(i) एमआरटीपी अधिनियम 1969 रद्द कर दिया जा सकता है और अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित प्रावधानों को भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम में शामिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के अंतर्गत आते हैं।

(ii) एमआरटीपी आयोग में लंबित यूटीपी मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सम्बन्धित उपभोक्ता न्यायालयों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। एमआरटीपी आयोग में लंबित एमटीपी और आरटीपी मामले उन चरणों में से सीसीआई द्वारा फैसला किया गया है।

10.4 प्रतियोगिता/ प्रतिस्पर्धा अधिनियम के घटक

नए कानून के प्रतिवाद, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 अनिवार्य रूप से चार हैं

- विराधि प्रतिस्पर्धा समझौते
- प्रभुत्व का दुरूपयोग
- संयोजन विनियमन
- प्रतियोगिता वकालत

इन चार डिब्बों को वर्णित किया गया हैः

1. विरोधी प्रतिस्पर्धा समझौता

कम्पनियाँ समझौतों में प्रवेश करती हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा सीमित करने की क्षमता हो सकती है। दुनिया के प्रतिस्पर्धा कानूनों के स्कैन से पता चल जाएगा कि वे फर्मों के बीच "क्षैतिज" और "ऊर्ध्वाधर" समझौतों के बीच भेद करते हैं। पूर्व, क्षैतिज समझौते प्रतिस्पर्धियों और उत्तरार्द्धों में से होते हैं, अर्थात् ऊर्ध्वाधर करार वे होते हैं जो एक दूसरे को खरीदने या बेचने के वास्तविक या संभावित सम्बन्ध होते हैं। विशेष रूप से क्षैतिज समझौतों का कार्यक्षेत्र के करारों में हानिकारक हैं, यदि वे फर्मों के बीच प्रभुत्व की स्थिति में हैं। ज्यादातर प्रतिस्पर्धा कानून, लंबवत समझौतों को आम तौर पर क्षैतिज समझौतों से अधिक धीमी गति से देखते हैं, जैसा कि पहली नजर में, क्षैतिज समझौतों से क्रेता–विक्रेता सम्बन्धों में कम्पनियों के बीच समझौतों की तुलना में प्रतियोगिता को कम करने की संभावना अधिक होती है।

क्षैतिज समझौते

दो या दो से अधिक उद्यमों के बीच समझौते जो उत्पादन श्रृंखला के एक ही स्तर पर हैं और एक ही बाजार में क्षैतिज विविधता का निर्माण होता है एक स्पष्ट उदाहरण जो दिमाग में आता है, उसी में सम्बन्धित उद्यमों के बीच एक समझौता है। प्रासंगिक बाजार को परिभाषित करने के लिए इस अधिनियम ने ध्यान रखा है कानून के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, उत्पादों के विकल्प होना चाहिए। अगर समझौते के पक्ष दोनों उत्पादक या खुदरा विक्रेताओं (या थोक व्यापारी) हैं, तो उन्हें उत्पादन श्रृंखला के समान स्तर पर माना जाएगा। प्रतिस्पर्धा नीति/कानून का एक विशिष्ट लक्ष्य है और प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया को विकृत करने वाले अन्य एजेंटों के माध्यम से आर्थिक एजेंटों की रोकथाम या तो वास्तविक या संभावित प्रतियोगियों को बाहर करने के लिए तैयार किए गए एकतरफा कार्यों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसे प्रतिस्पर्धी उद्यमों (क्षैतिज समझौतों) के बीच कीमतों या उनके प्रतिस्पर्धी बातचीत के अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के बीच समझौतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसी तरह, विनिर्माण या वितरण प्रक्रियाओं (ऊर्ध्वाधर समझौतों,

उदाहरण के लिए एक निर्माता और थोक व्यापारी के बीच) के विभिन्न स्तरों पर कम्पनियों के बीच समझौता जा प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचने की संभावना है (यद्यपि क्षैतिज समझौतों से कम हानिकारक) प्रतियोगिता नीति/कानून में संबोधित करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रतिस्पर्धा नीति/कानून का सबसे प्रमुख घटक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का उद्देश्य है और इसके पीछे की प्रथाओं और आचरण के खिलाफ प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए "कारण का नियम" परीक्षण आवश्यक है कि कोई अनुबंध अवैध है हालाँकि, कुछ प्रकार के समझौतों के लिए, यह अनुमान है कि वे किसी भी उपयोगी या सार्थक प्रतिस्पर्धी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इस धारणा के कारण, कानून बनाने वाले इस तरह के समझौते "कारण के नियम" परीक्षा के लिए नहीं करते हैं। अधिनियम मानता है कि उप–उद्यमों के बीच निम्नलिखित चार प्रकार के हैं:

- समझौतों, जो सामानों या सेवाओं के प्रावधानों के समान या समान विनिर्माण या व्यापार में शामिल हैं।
- कीमतों के सम्बन्ध में समझौताः इनमें सभी समझौते शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद या बिक्री मूल्य को ठीक करते हैं।
- मात्रा के सम्बन्ध में समझौताः इनमें अनुबंध, उत्पादन, आपूर्ति, बाजार, तकनीकी विकास, निवेश या सेवाओं के प्रावधान को सीमित करने या नियंत्रित करने के उद्देश्य शामिल हैं।
- बोलियों के सम्बन्ध में समझौता (मिलनसार बोली या बोली आरोहण)।

इसमें किसी भी संयुक्त गतिविधि या समझौते के परिणामस्वरूप प्रस्तुत निविदाएँ शामिल हैं।

- बाजार साझाकरण के सम्बन्ध में समझौताः इनमें बाजार या भौगोलिक क्षेत्र के सामान या सेवाओं या बाजार में ग्राहकों की संख्या या किसी अन्य तरह के तरीके के आवंटन के माध्यम से बाजार या स्रोतों के या सेवाओं के प्रावधान को साझा करने के लिए समझौते शामिल हैं।

प्रति से अवैधता

इस तरह के क्षैतिज समझौतों, जिसमें कार्टेल की सदस्यता शामिल है, प्रतिस्पर्धा के अनुचित प्रतिबंधों को जन्म देने के लिए अनुमान लगाया जाता है और इसलिए प्रतिस्पर्धा पर एक प्रशंसनीय प्रतिकूल असर होने का अनुमान लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई कानून मूल्य निर्धारण व्यवस्था, बहिष्कार और अनन्य व्यवहार के कुछ रूपों पर प्रतिबंध लगता है। नए यूके प्रतिस्पर्धा कानून, अर्थात् प्रतिस्पर्धी अधिनियम, 2000, प्रतिस्पर्धा पर एक सराहनीय प्रभाव रखने के लिए कुछ समझौतों का समर्थन करता है (अनुमान अभी भी प्रतिबन्ध है)। एक प्रति अवैधता का आशय होगा कि अभियोजन पक्ष और न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में विवेक और व्याख्या के लिए बहुत सीमित दायित्व होगा। उपरोक्त चार प्रकार के समझौतों को छोड़कर, अन्य सभी इस अधिनियम में "कारण के नियम" के अधीन होंगे।

कार्यक्षेत्र

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऊर्ध्वाधर समझौतों को प्रतिस्पर्धा कानून की कठोरता के अधीन नहीं किया जाएगा। हालाँकि, जहाँ एक ऊर्ध्वाधर समझौते में प्रतियोगिता को बिगाड़ने या रोकने के चरित्र हैं, यह कानून की निगरानी में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित प्रकार के समझौतों, अन्य बातों के साथ, "कारण नियम" परीक्षा के अधीन किया जाएगाः–

- टाई–व्यवस्था में;
- विशेष आपूर्ति समझौता;
- विशेष वितरण समझौता;
- सौदा करने से इन्कार करना;
- पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव।

यह अधिनियम यह निर्धारित करने के लिए कि किसी समझौते या अभ्यास का प्रतिस्पर्धा पर एक प्रशंसनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं, इस अधिनियम में निम्नलिखित कारकों को न्यायिक प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना है, अर्थात्

(अ) बाजार में नए प्रवेशकों के लिए अवरोधों का निर्माण,
(ब) मौजूदा प्रतियोगियों को बाजार से बाहर चलाते हुए,
(स) बाजार में प्रवेश बाधा द्वारा प्रतियोगिता का पुरोबंध,
(द) उपभोक्ताओं के लिए लाभ की प्राप्ति,
(ई) माल के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान में सुधार और
(फ) माल के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से तकनीकी, वैज्ञानीकी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

अपवाद

विरोधी प्रतिस्पर्धा समझौतों से सम्बन्धित प्रावधान किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का नियंत्रण करने के लिए या ऐसे उचित परिस्थितियों को लागू करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा, जो कि उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्यों के लिए जरूरी हो सकते हैं जिन्हें दिया गया या दिया जा सकता है निम्नलिखित बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों के तहत, कॉपीराइट एक्ट, 1957;

- पेटेंट अधिनियम, 1970;
- व्यापार और मर्कैंडाइज मार्क्स अधिनियम, 1958 या ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999;
- भौगोलिक संकेतों का माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999;
- डिजाइन अधिनियम, 2000;
- अर्ध–कंडक्टर एकीकृत सर्किट लेआउट–डिजाइन अधिनियम, 2000।

इस अपवाद के लिए तर्क यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों में शामिल अधिकारों का बंडल, रचनात्मकता और मानवीय मन की बौद्धिक/अभिनव शक्ति के हिते में परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, अधिकार निबंधों का यह बंडल एक विरोधी चरित्र है, यहाँ तक कि एकाधिकार शक्ति की सीमा भी है। लेकिन ऐसे अधिकारों की रक्षा के बिना, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में नवाचार,

नई तकनीक और वृद्धि के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि, अधिनियम बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण या शोषण का एक हिस्सा बनाने वाली किसी भी अनुचित स्थिति की अनुमति नहीं देता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिस्पर्धी कानून की कीमतों, मात्रा, गुणवत्ता या किस्मों की प्रतिकूलता को प्रभावित करने की अनुमति देकर लाइसेंसिंग व्यवस्था तब तक खत्म हो जाएगी जब तक वे बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ जाने वाले अधिकारों के बंडल के साथ उचित सम्बन्ध में नहीं हैं। एंटी काम्पिटिशन समझौतों से सम्बन्धित प्रावधानों के प्रयोज्यता के लिए एक और अपवाद भारत से माल निर्यात करने के लिए किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, एक समझौता विशेष रूप से उत्पादन, आपूर्ति, वितरण या सेवाओं के नियंत्रण या सेवाओं के प्रावधान से सम्बन्धित है ऐसे निर्यात के लिए बोलने के तरीके में, निर्यात कार्टेल प्रतियोगिता कानून के दायरे से बाहर हैं। ज्यादातर देशों व्यापार और/या भुगतान संतुलन के हित में अपने निर्यात प्रयासों पर किसी भी बंधन की इच्छा नहीं रखते हैं। समग्र रूप से, हालाँकि, निर्यात कार्टेल की छूट है मुक्त प्रतियोगिता की अवधारणा के खिलाफ केन्द्र सरकार के पास अधिनियम के तहत, या किसी भी प्रावधान, उद्यमों का एक वर्ग, एक अभ्यास, एक समझौते आदि से मुक्त करने के लिए अधिनियम के अधीन शक्ति है।

प्रभुत्व का दुरूपयोग

"प्रमुख स्थान" को अधिनियम में "उचित स्थिति में परिभाषित किया गया है," ताकत की स्थिति, किसी डद्यम द्वारा आन्नदित, प्रासंगिक बाजार में, भारत में, जो इसे सक्षम बनाता है (i) प्रासंगिक बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्धी शक्तियों से; या (ii) अपने प्रतिद्वंद्वियों या उपभोक्ताओं या प्रासंगिक बाजार को इसके पक्ष में प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा शायद कुछ अस्पष्ट हो सकती है और विभिन्न न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा अलग–अलग व्याख्याओं में सक्षम हो सकती है। लेकिन फिर, इस अस्पष्टता में औचित्य है इस तथ्य के सम्बन्ध में कि केवल 20% की कम बाजार हिस्सेदारी वाले एक फर्म के साथ ही बड़ी संख्या में प्रतिद्वंद्विता द्वारा बनाए गए 80% शेष अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने की स्थिति में हो सकते हैं जबकि एक फर्म 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ एक प्रतियोगी द्वारा आयोजित शेष 40% बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्विता की वजह से अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए, गतिशील बदलते आर्थिक माहौल में, "प्रभुत्व" को परिभाषित करने कके लिए एक स्थिर अंकगणितीय आकृति हो सकती है, शायद एक विपथन हो। इस विस्तृत परिभाषा के साथ, नियामक प्राधिकरण के पास गलत उपक्रमों को ठीक करने और प्रतिस्पर्धी बाजार प्रथाओं को प्रोत्साहित करने की स्वतंत्रता होगी, भले ही एक बड़े खिलाड़ी आसपास हो। प्रभुत्व का दुरुपयोग अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ तक प्रमुख उद्यमों का सम्बन्ध है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस गिनती पर उसके प्रावधान केवल प्रभावी होंगे यदि प्रभुत्व स्पष्ट रूप से स्थापित हो। जैसा कि पहले ही कहा गया है, वहाँ कोई एकल उद्देश्य

बाजार हिस्सेदारी मानदंड नहीं है, जो आँखों से आक्रमण के एक परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिनियम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जब प्रभुत्व स्पष्ट रूप से स्थापित हो, तो प्रभुत्व का दुरुपयोग कथित तौर पर किया जा सकता है। इस पर कोई भी अस्पष्टता बड़ी खतरा हो सकता है।

कुशल कम्पनियाँ

उत्पाद बाजार और भौगोलिक बाजार

यह आँकलन करने से पहले कि उपक्रम प्रभावी है, क्षैतिज समझौते के मामले में, यह महत्वपूर्ण है कि प्रासंगिक बाजार क्या है। इसके दो आयाम हैं– उत्पाद बाजार और भौगोलिक बाजार। माँग पक्ष पर सम्बन्धित उत्पाद बाजार में ऐसे सभी विकल्प शामिल होते हैं जो उपभोक्ता स्विच करते हैं, यदि जाँच के लिए उत्पाद की कीमत में वृद्धि होनी चाहिए। आपूर्ति पक्ष से इसमें उन सभी उत्पादकों को शामिल किया जाएगा जो अपनी मौजूदा सुविधाओं के साथ, ऐसे वैकल्पिक वस्तुओं के उत्पादन पर स्विच कर सकते हैं। प्रासंगिक बाजार की भौगोलिक सीमाएँ इसी प्रकार परिभाषित की जा सकती हैं भौगोलिक आयाम में भौगोलिक क्षेत्र की पहचान शामिल होती है जिसके भीतर प्रतिस्पर्धा होती है। प्रासंगिक भौगोलिक बाजार स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या कभी–कभी वैश्विक भी हो सकते हैं। भौगोलिक आयाम से सम्बन्धित कुछ कारक खपत और शिपमेंट पैटर्न, परिवहन लागत और आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों के बीच उत्पादों के शिपमेंट में बाधाओं का अस्तित्व है। उदाहरण के लिए, सीमेंट में उच्च परिवहन लागत को देखते हुए प्रासंगिक भौगोलिक बाजार विनिर्माण क्षेत्र के करीब का क्षेत्र हो सकता है। अधिनियम, उन कारकों को इंगित करता है जिन्हें "प्रासंगिक उत्पाद बाजार" और "प्रासंगिक भौगोलिक बाजार" का निर्धारण करने के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए, नीचे यहाँ पुनर्निमित किया गया है।

प्रासंगिक उत्पाद बाजार

- भौतिक विशेषताओं या माल का अंतिम उपयोग;
- माल या सेवा की कीमत;
- उपभोकता वरीयता;
- घर के उत्पादन का अनुमान;
- विशेष उत्पादकों की व्याख्या;
- औद्योगिक उत्पादों का वर्गीकरण;
- प्रासंगिक भौगोलिक बाजार;
- नियामक व्यापार अवरोध;
- स्थानीय विनिर्देश आवश्यकता;
- राष्ट्रीय खरीद नीतियाँ;
- पर्याप्त वितरण सुविधाएँ;
- यात्रा शुल्क;

- भाषा;
- सुरक्षित या नियमित आपूर्ति या त्वरित बिक्री के बाद सेवाओं की आवश्यकता है।

बेहद सस्ती कीमत

प्रभुत्व के दुरुपयोग के सबसे घातक रूपों में से एक हिंसक मूल्य निर्धारण की प्रथा है अधिमानी मूल्य निर्धारण होता है, जहाँ एक प्रमुख उद्यम समय की लंबी अवधि के दौरान कम कीमतों का भुगतान करता है ताकि बाजार से प्रतिस्पर्धी को चलाने के लिए या दूसरों को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया जाए और उसके बाद घाटे को कम करने के लिए कीमतों को बढ़ाया जा सके। उत्पादों और बाजारों के मामले में एंटरप्राइज की गतिविधियों के विविधीकरण और अधिक से अधिक अपने वित्तीय संसाधन, अधिकतर हिंसक व्यवहार में संलग्न होने की क्षमता है।

"अपहरक मूल्य" का अर्थ अधिनियम में परिभाषित किया गया है कि माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान, मूल्य से कम है, जो नियमों से निर्धारित किया जा सकता है, सामानों के उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान के अनुसार, प्रतिस्पर्धा को कम करें या प्रतियोगियों को खत्म करें। लूटपाट मूल्य निर्धारण, इसलिए एक ऐसी स्थिति है जहाँ बाजार की कीमतों के नीचे एक फर्म है ताकि प्रतिस्पर्धी को बाजार से बाहर कर सकें और इस तरह प्रभुत्व की स्थिति हासिल या बनाए रखें। लेकिन हिंसक व्यवहार के साथ सह–प्रतिस्पर्धी मूल्यों को भ्रमित करने का एक खतरा है। वास्तविकता में, केवल तभी वस्तुएँ स्थापित की जाती हैं जब प्रतिद्वंद्वी ने बाजर छोड़ दिया और बाजार में शिकारी ने एक एकाधिकार स्थिति हासिल कर ली। हालाँकि, रोकने के लिए कोई भी कानून सार्थक है, केववल तभी जब यह इस तथ्य से पहले प्रभावी होता है कि पहले प्रतियोगी ने बाजार छोड़ दिया है। लूटनात्मक मूल्य निर्धारण एक प्रकार का विश्वासघात है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआरटीपी आयोग, 1996) में भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार पद्धति आयोग ने देखा कि सारे प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने के लिए हिंसक मूल्य निर्धारण की कीमत कम से कम कीमत है इसके अलावा, आयोग ने स्पष्ट किया कि "उत्पादन की लागत से कम मूल्य की पेशकश केवल स्वचालित रूप से हिंसक मूल्य निर्धारण के अभियोग का कारण नहीं बन सकती है" और "व्यापार से प्रतिस्पर्धी को चलाने या प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए" दुर्भावनापूर्ण इरादे का सबूत है की आवश्यकता है। आयोग की चेतावनी के तहत तर्क यह है कि मूल्य–कटौती वास्तविक कारणों के लिए हो सकती है। इस अधिनियम ने प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में हिंसक मूल्यों को गैरकानूनी घोषित किया है। वैध प्रतिस्पर्धा से शिकारी व्यवहार को भेद करना मुश्किल है कम कीमतों के बीच का अंतर, जो हिंसक व्यवहार और कम कीमतों के कारण होता है, जो वैध प्रतिस्पर्धी व्यवहार से उत्पन्न होता है, अक्सर बहुत सफल होता है और आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। दरसल, कभी–कभी यह तर्क दिया जाता है कि हिंसक व्यवहार एक प्रतिस्पर्धा की जरूरी सहभागिता है।

जब प्रभुत्व का दुरुपयोग कानून को आकर्षित करता है?

अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि संयम, बँटवारे नए प्रवेश के लिए बाधा बनाते हैं या मौजूदा प्रतियोगियों को बाजार से बाहर कर देते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि इन व्यवस्थाओं से बाजार को निर्माताओं (अंतर–ब्रांड प्रतिद्वंद्वीता) के लिए रोक दिया जाता है और जिस हद तक ये प्रतिद्वंद्वीयों की लागत और/या मौजूदा प्रतिस्पर्धा को कम कर देता है इस तरह की व्यवस्था की लागत को लाभों के खिलाफ तौला जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, इन प्रतिबंधों में से कुछ फ्री–राइडर समस्या से मुकाबला करने और खुदरा बिक्री में बड़े पैमाने के अर्थव्यवस्थाओं के शोषण की अनुमति देते हैं। अगले कम्पार्टमेंट में जाने से पहले, "प्रभुत्व" का गठन करने वाले कानून से कारकों की एक सूची और "प्रभुत्व के दुरुपयोग" का गठन किया गया है, जो नीचे दिया गया है।

वर्चस्व का निर्धारण निम्नलिखित कारकों में से एक या अधिक खाते में किया जाता है:

- उद्यम की बाजार हिस्सेदरी;
- उद्यम के आकार और संसाधन;
- प्रतिस्पर्धियों का आकार और महत्व;
- वाणिज्यिक सहित उद्यम की आर्थिक शक्ति;
- उद्यम के ऊर्ध्वाधर एकीकरण, या ऐसे उद्यम के बिक्री या सेवा नेटवर्क;
- उद्यम पर उपभोक्ताओं की निर्भरता;
- किसी भी कानून के परिणामस्वरूप या सरकारी कम्पनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्यथा होने के कारण अधिग्रहित होने वाली एकाधिकार या प्रभावशाली स्थिति;
- नियामक बाधाओं, वित्तीय जाखिम, प्रवेश की उच्च पूँजी लागत, विपणन प्रविष्ट बाधाएँ, तकनीकी प्रवेश अवरोध, पैमाने की अर्थव्यवस्था, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उच्च लागत या उपभोक्ताओं के लिए सेवा जैसे बाधाओं सहित प्रवेश बाधाओं;
- प्रतिभूति खरीद, बिजली;
- बाजार की संरचना और बाजार का आकार;
- सामाजिक दायित्वों और सामाजिक लागत;
- आर्थिक रूप से लाभ, आर्थिक योगदान के माध्यम से विकास, प्रतिस्पर्धा पर एक प्रशंसनीय प्रतिकूल असर होने की संभावना वाले एक प्रमुख स्थिति का आनंद ले रहे उद्यम द्वारा;
- किसी भी अन्य कारक, जिसके लिए आयोग प्रासंगिक विचार कर सकता है।

जाँच

प्रतिस्पर्धा पर एक प्रभावशाली प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले प्रभुत्व का दुरुपयोग तब होता है जब एक उद्यम,

(अ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुचित या भेदभावपूर्ण–

(i) माल या सेवा की खरीद या बिक्री में शर्त; या

(ii) माल या सेवा की खरीद या बिक्री (शिकारी कीमत सहित) में कीमत

(ब) सीमा या प्रतिबंधित–

(i) माल का उत्पादन या सेवाओं या बाजार के प्रावधान के लिए; या

(ii) उपभोक्ताओं के पूर्वाग्रह को सामान या सेवाओं से सम्बन्धित तकनीकी या वैज्ञानिक विकास; या

(स) बाजार में प्रवेश के इनकार में जिसके परिणामस्वरूप अभ्यास या प्रथाओं में संतोष; या

(द) अन्य के द्वारा स्वीकृति के अधीन अनुबंधों को समाप्त करना है पूरक दायित्वों की पार्टियाँ, जो उनके स्वभाव से या वाणिज्यिक उपयोग के अनुसार, ऐसे अनुबंधों के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं हैं; या

(ई) एक प्रासंगिक बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का उपयोग करने के लिए प्रवेश, या रक्षा, अन्य प्रासंगिक बाजार इसलिए यह देखा जा सकता है क अधिनियम प्रभुत्व पर भ्रम नहीं करता है, बल्कि प्रभुत्व के दुरुपयोग पर करता है।

संयोजन विनियमन

संयोजन, अधिनियम में दिए गए अर्थों के अनुसार, विलय, एकीकरण, अधिग्रहण और नियंत्रण के अधिग्रहण शामिल हैं, लेकिन चर्चा के प्रयोजनों के लिए, विलय के विनियमन को मान लिया गया है। समझौते के मामले में, विलय को विशेष रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विलय में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न बाजारों में संचालित उद्यमों के बीच विलय को समूह विलय कहा जाता है। विलय एक वैध साधन है जिसके द्वारा कम्पनियाँ विकास कर सकती हैं और आम तौर पर औद्योगिक विकास और पुनर्गठन की नई प्रक्रिया, विकास और बाहर निकलने की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रतिस्पर्धा नीति के दृष्टिकोण से, यह क्षैतिज विलय है तो आम तौर पर ध्यान को फोकस करता है। जैसे क्षैतिज समझौते के मामले में, ऐसे विलयों में प्रतियोगिता कम करने की क्षमता होती है दुर्लभ मामलों में, जहाँ एक प्रमुख स्थान में एक उद्यम एक आसान बाजार में एक अन्य फर्म के साथ एक ऊर्ध्वाधर विलय को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रभुत्व की स्थिति को आगे बढ़ाता है, विलय चिंता का कारण प्रदान कर सकता है। संगठनात्मक विलय आमतौर पर विलय पर किसी भी कानून के दायरे से बाहर होना चाहिए। एक विलय एक "बुरा" नतीजा निकलता है, अगर यह एक प्रमुख उद्यम बनाता है जो बाद में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करता है। कुछ हद तक, यह मुद्दा उद्यमों के बीच समझौतों के समान है और यह भी प्रभुत्व और इसक दुरुपयोग के मुद्दे के साथ ओवरलैप करता है, जो पहले चर्चा की गई थी। इस तरह से देखा गया है, शायद विलय पर एक अलग कानून की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर कानूनों में इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं क्योंकि यह प्रभुत्व के संभावित दुरुपयोग को पूर्व–स्थापित करना है, जहाँ यह संभव है, क्योंकि बाद में अप्रभावी दोनों मुश्किल और सामाजिक रूप से महंगा हो सकता है इस प्रकार,

समग्र लक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए, सामान्य सिद्धांत यह है कि विलय को चुनौती दी जानी चाहिए अगर वे प्रतिस्पर्धा को कम कर दें और कल्याण को प्रभावित कर दें।

संयोजन विनियमन पर अधिनियम

इस अधिनियम ने सभी पक्षों के विलय आयोग के लिए अपने प्रस्तावित समझौते या संयोजनों को सूचित करने के लिए स्वैच्छिक बना दिया है, अगर संयोजन सभी पक्षों की कुल संपत्ति '1000 करोड़ से अधिक (220 मिलियन अमरीकी डॉलर) या 3000 करोड़ (660 मिलियन अमरीकी डॉलर)' इस अधिनियम द्वारा परिभाषित संयोजन में विलय, एकीकरण, शेयरों का अधिग्रहण, मतदान अधिकार या परिसंपत्तियाँ और नियंत्रण के अधिग्रहण शामिल हैं। संयुक्त पार्टियों में से या तो दोनों भारत के बाहर हैं या दोनों बाहर हैं, दहलीज सीमाएँ परिसंपत्तियों के लिए $500 मिलियन और कारोबार के लिए $1500 मिलियन हैं। यदि विलय करने वाली पार्टियों में से एक समूह के अंतर्गत आता है, जो इसे नियंत्रित करता है, तो सम्पत्ति के मामले में दहलीज सीमा 4000 करोड़ (यूएस $880 मिलियन) और 12000 करोड़ (लगभग 2640 मिलियन अमेरिकी डॉलर) कारोबार के मामले में है। अगर समूह में भारत के बाहर परिसम्पत्तियाँ या कारोबार होता है, तो दहलीज सीमाएँ परिसम्पत्तियों के लिए 2 अरब डॉलर और कारोबार के लिए 6 अरब डॉलर हैं। इस प्रयोजन के लिए एक समूह का अर्थ है दो या अधिक उद्यम जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हैं:

- अन्य उद्यमों मे 26% या अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता; या
- अन्य उद्यमों में निदेशक मंडल के आधें से अधिक सदस्यों को नियुक्त करने की क्षमता; या
- अन्य उद्यम के मामलों को नियंत्रित करने की क्षमता।

नियंत्रण (उपरोक्त 'समूह' को परिभाषित तीसरी बुलेट में जो अभिव्यक्ति होती है), को अधिनियम में भी परिभाषित किया गया है। नियंत्रण में मामनों या प्रबंधन को नियंत्रित करना शामिल हैः

(i) एक या अधिक उद्यम, या तो संयुक्त रूप से या अकेले, एक अन्य उद्यम या समूह पर;

(ii) एक या अधिक समूह, या तो संयुक्त रूप से या अकेले, एक अन्य समूह या उद्यम के ऊपर

परिसंपत्तियों और कारोबार की दहलीज सीमा को थोक मूल्य सूचकांक या रूपए या विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के आधार पर हर दो साल में संशोधित किया जाएगा। इस अधिनियम में यह निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखा जाएगा कि क्या संयोजन प्रतियोगिता का प्रभाव या इसके प्रतिस्पर्धियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

- बाजार में आयात के माध्यम से प्रतियोगिता का वास्तविक और संभावित स्तर;
- बाजार में प्रवेश के लिए बाधाओं की सीमा;

- बाजार में संयोजन का स्तर;
- बाजार में काउंटरवैलिंग पावर की डिग्री;
- संभावना है कि संयोजन के परिणामस्वरूप पार्टियों को संयोजन में महत्वपूर्ण और स्थायी रूप से मूल्य या लाभ मार्जिन में वृद्धि करने में सक्षम होगा;
- बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा की सीमा बनाए रखने की संभावना ;
- जो विकल्प उपलब्ध हैं या बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है;
- बाजार में हिस्सेदारी, प्रासंगिक बाजार में, व्यक्तियों या उद्यमों के संयोजन में, व्यक्तिगत रूप से और संयोजन के रूप में;
- यह संभावना है कि संयोजन के परिणामस्वरूप बाजार में एक जोरदार और प्रभावी प्रतियोगी या प्रतियोगियों को हटाने होंगे;
- बाजार में ऊर्ध्वाधर एकीकरण की प्रकृति और सीमा;
- एक असफल व्यापार की संभावना;
- नवाचार की प्रकृति और सीमा;
- आर्थिक लाभ में, आर्थिक योगदान के माध्यम से विकास, प्रतिस्पर्धा पर होने वाले या संभावित होने की संभावना वाले किसी भी संयोजन से;
- संयोजन के लाभ, संयोजन के प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, के बावजूद।

कानून संसद द्वारा पारित किए जाने से पहले, मसौदा कानून को वेबसाइट पर रखा गया था और संयोजनों के विनियमन से सम्बन्धित प्रावधानों पर विशेष रूप से कई सुझाव प्राप्त हुए थे। सरकार में कई अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों और अधिकारियों का मानना था कि भारत के आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर पर, संयोजन नियंत्रण को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से दूर होने और आर्थिक गतिविधियों में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भागीदारी के रास्ते के माध्यम से नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि संयोजन अनुमादन (निर्दिष्ट सीमा के ऊपर) को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है संयोजनों की अधिसूचना दूसरी और स्वैच्छिक हो सकती है, यद्यपि बाद में डिमर्जरों की सहूलियत लागत के साथ–साथ प्रतिस्पर्धी विलय की खोज के जोखिम के साथ–साथ एक अन्य सुझाव था सीमा को दोहरी करके सीमा बढ़ाने के लिए मसौदा कानून। इन सुझावों को सरकार द्वारा उचित विचार दिया गया था और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए ड्राफ्ट कानून को संसद के समक्ष पेश किया गया था। पूर्वोक्त सुझावों में ट्रिगर कारणों से भारत में कम्पन्यिों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए आकार में बढ़ने की जरूरत महसूस की गई। इस अधिनियम ने सम्बन्धित पक्षों के लिए स्वैच्छिक संयोजनों की पूर्व–अधिसूचना बनाई है। हालाँकि, यदि संयोजन के लिए पार्टियाँ सीसीआई को सूचित नहीं करने का विकल्प चुनती हैं, क्योंकि यह सूचित करना अनिवार्य नहीं है, वे सीसीआई द्वारा पोस्ट कॉम्बिनेशन की कार्रवाई का जोखिम चलाते हैं, अगर बाद में इसकी खोज की जाती है, तो इस संयोजन का प्रतियोगिता पर एक अनुकूल प्रभाव पड़ता है। एक राइडर है कि सीसीआई एक तारीख को एक वर्ष की सम्पत्ति के बाद एक संयोजन में पूछताछ

नहीं करेगी जिस पर संयोजन ने प्रभाव डाला है। नियामक प्राधिकरण, अर्थात् प्रतियोगिता के विलय बेंच संभावित लाभ के खिलाफ संभावित दक्षता हानियों का वजन करके विलय पर निर्णय लेने के लिए भारत का आयोग अधिनियम द्वारा अनिवार्य है। आदेश में कि भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग (विलय के खंडपीठ) को इसके निर्णय पर विलंब नहीं करना चाहिए कि क्या विलय पारिश्रमिक प्रकृति की वजह से हो सकता है या बंद किया जा सकता है, इस अधिनियम ने विनियामक प्राधिकरण को 90 दिन के भीतर अपने फैसले को सौंपने की सलाह दी है।

इस अधिनियम में 15 कार्य दिवसों की समय–सीमा के भीतर विलय करने वाले दलों पर सम्बन्धित 15 दिनों के भीतर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित दायित्वों के साथ विलय करने वाले दलों से जानकारी माँगने के लिए नियामक प्राधिकरण की शक्ति को सीमित करने के लिए भी प्रावधान है। इस प्रकार कानून द्वारा, न्यायिक अभ्यास की अनुक्रम विशिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित किया गया है, ताकि संभावित देरी से बचा जा सके। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा विलय करने की मंजूरी होनी चाहिए। ऐसी मंजूरी के बारे में 6 महीने से एक वर्ष या इससे भी ज्यादा और 90 कार्य दिवसों की विलंब विवाद के लिए समय सीमा उस अवधि में शामिल की जाएगी।

प्रतियोगिता वकालत

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुरूप, कानून (हाई स्तरीय समिति, 2000) को लागू करने से परे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के जनादेश को बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा की वकालत प्रतिस्पर्धा की एक संस्कृति बनाता है देश की कानूनी और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर, प्रतिस्पर्धा की वकालत के लिए कई संभावित मूल्यवान भूमिकाएँ हैं। एक हालिया ओईसीडी रिपोर्ट निम्नानुसार दर्ज की गई हैः

"लगभग हर सदस्य देश में जहाँ महत्वपूर्ण सुधार प्रथा अधिनियम के तहत वकालत प्रावधानों के मामले में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) अधिनियम के तहत विनियामक प्राधिकरण, देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में भाग लेने और प्रतिस्पर्धा से सम्बन्धित कानूनों की समीक्षा में भाग लेने के लिए सक्षम है।" केन्द्र सरकार के उदाहरण पर केन्द्र सरकार प्रतिस्पर्धा किसी मौजूदा कानून के गठन या मौजूदा कानून के सम्भावित प्रभाव पर अपनी राय के लिए सीसीआई का एक संदर्भ बना सकती है। संदर्भ प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर आयोग को केन्द्र सरकार को अपनी राय देना अनिवार्य है। इसलिए आयोग प्रतिस्पर्धा अधिवक्ता की भूमिका निभाने के लिए, सरकारी नीतियों को लाने के लिए सक्रिय रूप से अभिनय करेगा, जो प्रवेश के लिए बाधाओं को कम करता है, जो नियामक और व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है और जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम में प्रतिस्पर्धा की वकालत और प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन के बीच एक सीधा सम्बन्ध लाने का प्रयास है। प्रतिस्पर्धा की वकालत के मुख्य उद्देश्यों में से एक है सीसीआई की प्रत्यक्ष जुर्माना भरी हुई हस्क्षेप के बिना अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना और व्यावसायिक व्यवहार के लिए नेतृत्व करने वाली स्थितियाँ। अधिनियम की योजना के तहत, सीसीआई की राय सरकार को उसके कानून या नीति को अंतिम रूप देने के

लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट का गठन करेगी, जहाँ तक प्रतिस्पर्धा पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धा की वकालत को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और साथ ही सभी सम्बन्धित (सीसीआई और उसके अधिकारियों के अध्यक्ष और सदस्यों सहित) को प्रशिक्षण देने के लिए, अधिनियम ने नियामक की स्थापना को निषिद्ध करते हुए कहा कि प्रतियोगिता फंड को शिकयतें दर्ज करने और कानून के तहत आवेदन करने के लिए प्राप्त फीस का श्रेय दिया जाएगा। ऊपर चर्चा की गई चार मुख्य भागों में, सीसीआई किस प्रकार तैयार की गई है, का विवरण है, जो कि अधिनियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

10.5 एमआरटीपी और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के मध्य अंतर

एमआरटीपी और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बीच मध्य अंतर हैं:

क्र. सं.	एसएमआरटीपी अधिनियम, 1969	प्रतियोगिता अधिनियम, 2002
1	यह पूरे उदारीकरण और वैश्वीकरण युग पर आधारित है।	यह बाद के सुधारों के परिदृश्य पर आधारित है।
2	इस अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक शक्ति की एकाग्रता से आम हानि को रोकने के लिए है एकाधिकार का नियंत्रण, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं की रोकथाम।	इस अधिनियम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रथाओं को रोकता है और साथ ही साथ बाजार में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए और व्यापार की स्वतंत्रता सुतिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के साथ–साथ इसे बढ़ावा देता है।
3	इसमें 14 अपराधों की सूची है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के खिलाफ है।	यह केवल 4 अपराधों को स्वीकार करता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है।
4	एमआरटीपी कमीशन को केवल "सीजन" और "डेस्टिस्ट" ऑर्डर देने की शक्ति है।	प्रतिस्पर्धा अधिनियम उन गतिविधियों को रोकने और सजा देने के आदेश को पारित कर सकता है, जो प्रतियोगिता को दुर्व्यवहार करता है।
5	एमआरटीपी अधिनियम ने अपनी गतिविधियों के लिए फंड बनाने के लिए नहीं दिया था।	प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतियोगी वकालत और प्रतिस्पर्धी मुद्दों और प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतियोगिता के नियम प्रदान करता है, जैसा कि इसके नियमों में निर्धारित किया जा सकता है।
6	मुख्य स्थान कि स्थिति में होने वाले संस्था को खुद को बुरा माना जाता है।	प्रमुख स्थान की स्थिति वाले इकाई को बुरे के रूप में नहीं माना जाता है। जबकि उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाली प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग अनैतिक माना जाता है।

7	समझौते के सामान्य पंजीकरण अनिवार्य था।	यह समझौतों के पंजीकरण के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रखता है।
8	'समूह' की परिभाषा व्यापक थी।	'समूह' परिभाषा को सरल किया गया है।
9	फर्म का आकार, प्रभुत्व आदि का निर्धारण करने के लिए कारक है।	यह आकार के कारक व फर्म की संरचना पर केन्द्रित नहीं है।
10	एमआरटीपी आयोग की भूमिका केवल सलाहकार की थी।	प्रतिस्पर्धा आयोग स्वयं कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और दंड लगा सकता है।
11	एमआरटीपी आयोग ने अनुचित व्यापार प्रथाओं को निपटाया।	अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित मामलों को उपभोक्त न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाएगा।
12	बड़े पैमाने पर उपभोक्ता हित में केन्द्रित,	बड़े पैमाने पर जनता पर ध्यान केन्द्रित करता है।
13	केन्द्र सरकार द्वारा एमआरटीपी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।	आयोग के अध्यक्ष को एक समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसमें सेवानिवृत्त न्यायपालिका, व्यापार वाणिज्य, उद्योग, वित्त आदि के विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर विशेषज्ञता वाले व्यक्ति शामिल हैं।

10.6 सारांश

यह संदेश विल्कुल साफ तथा गहरा है कि सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम सभी उपक्रमों चाहे वह किसी भी आकार का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी तरह का उत्पाद तथा सेवायें दे रहा हों के लिए लाभदायक होगा। यह सभी कम्पनियों, इनके निदेशको एंव प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक हैं जिससे वह मौद्रिक जुर्माना, सिविल कारावास, मेहनत से कमायी ख्याति के अवमूल्यन से बच सकें। बदले हुए परिदृश्य मे भारत को आवश्यकता है एक नये प्रतिस्पर्धा कानून की और एक नयी नियामक प्राधिकरण की जो इस नीति के अर्न्तगत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। यह कानून तभी अपना उददेश्य पूर्ण कर पायेगा जब यह स्वतत्रं रुप से बने तथा स्वतंवत रुप से लागू किया जाए तथा कम खर्चीली हो।

10.7 शब्दावली

क्षैतिल करारः दो या अधिक उद्यमों के बीच समझौते जो उत्पादन श्रृंखला के समान स्तर पर हैं और एक ही बाजार में क्षैतिज विविधता का निर्माण होता है।

प्रति से बेकायदाः प्रति अवैधता का मतलब होगा कि मुकदमा चलाने और निर्णय लेने वाले अधिकारियों के विवेक और व्याख्या के लिए बहुत सीमित दायित्व होगा।

लूटने वाला मूल्यः यह अधिनियम में परिभाषित किया गया है कि माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान, लागत से नीचे की कीमत पर, नियमों के अनुसार निर्धारित किया

जा सकता है, वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान के साथ, एक दृश्य के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतियोगियों को खत्म करने के लिए।

10.8 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान भरें

1. प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, दिसंबर 2002 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और .... 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
2. भारत के संविधान के लेख .... द्वारा भारत के लिए प्रतिस्पर्धा कानून शुरू किया गया था।
3. कार्यक्षेत्र के समझौतें, घातक हैं, यदि वे .... की स्थिति में फर्मों के बीच हैं।
4. भौगोलिक आयोग में भौगोलिक क्षेत्र की पहचान शामिल है, जिसके भीतर _...... .... होता है।
5. विभिन्न बाजारों में काम कर रहे उद्यमों के बीच विलय को .... विलय कहा जाता है।
6. प्रतिस्पर्धा अधिनियम .... कारक पर नहीं फर्म की संरचना पर केन्द्रित है।

10.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.13 जनवरी, 2.38 और 39, 3. प्रभुत्व, 4. प्रतिस्पर्धा, 5. सम्पिण्डित, 6. आकार

10.10 स्वपरख प्रश्न

1. प्रतिस्पर्धा अधिनियम की स्थापना और इतिहास के बारे में लिखें।
2. नई प्रतिस्पर्धा नीति की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? इनके बारे में बताएँ।
3. प्रतिस्पर्धा अधिनियम के विभिन्न महत्वपूण घटकों का मूल्यांकन कीजिए।
4. एमआरटीपी अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

10.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Raviner Kumar, Legal Aspects of Business
2. PPS Gogna, Mercantile Law
3. N.D.Kapoor, Elements of Mercantile Law,
4. M C Kuchhal, Mercantile Law including Company Law
5. B S Moshal, Mercantile Law
6. GK Kapoor, Business Law

इकाई 11 प्रतियोगिता अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना
11.2 प्रतियोगिता अधिनियम के उद्‌देश्य
11.3 भारत का प्रतियोगिता आयोग
11.4 आयोग के कर्तव्य, अधिकार तथा कार्य
11.5 महानिदेशक के कर्तव्य
11.6 प्रतियोगिता पुनर्विचार प्राधिकारी
11.7 सारांश
11.8 शब्दावली
11.9 बोध प्रश्न
11.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
11.11 स्वपरख प्रश्न
11.12 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्‌देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- प्रतियोगिता अधिनियम के उद्‌देश्यों की व्याख्या कर सकें।
- भारत के प्रतियोगिता आयोग का गठन तथा संरचना को समझ सकें।
- आयोग के दायित्व, शक्तियॉ तथा कार्य का वर्णन कर सकें।
- महा निदेशक के दायित्व की व्याख्या कर सकें।
- पुनर्विचार न्यायाधिकरण की स्थापना, संरचना तथा नियुक्ति का वर्णन कर सकें।

11.1 प्रस्तावना

प्रतियोगिता अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो उन व्यवहारों को रोकने जिनके कारण प्रतियोगिता पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाये रखने, उपभोक्ताओं के हितों संरक्षित करने तथा भारत के बाजार में अन्य प्रतिभागियों के लिए व्यापार की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिए तथा इनसे सम्बधित अथवा अन्य प्रासंगिक मामलों के लिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, आयोग (जिसे प्रतियोगिता आयोग अथवा केवल आयोग नाम से भी जाना जाता है) की स्थापना का प्रावधान करता है। इसे भारतीय लोकतन्त्र के 53 वर्ष पूर्ण होने पर (अर्थात् सन् 2002) में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जो कि राज्य स्तरीय कानूनों से आच्छादित है, सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। इसे केन्द्र सरकार द्वारा अपने सरकारी गजट में संसूचित तिथि से लागू किया गया। एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 को वापस ले लिया गया तथा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यवहार आयोग जो कि उक्त अधिनियम की उपधारा 1 के अधीन स्थापित किया गया था, को भंग कर दिया गया।

प्रतियोगिता बिल को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति महोदय की सहमति 13 जनवरी 2003 को प्राप्त हो गई। संविधान की पुस्तकों में यह प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाता है।

11.2 प्रतियोगिता अधिनियम के उद्देश्य

इस अधिनियम के उद्देश्यों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में इसकी भूमिका में कहा गया है कि– ''एक अधिनियम जो उन व्यवहारों को रोकने जिनके कारण प्रतियोगिता पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाये रखने, उपभोक्ताओं के हितों संरक्षित करने तथा भारत के बाजार में अन्य प्रतिभागियों के लिए व्यापार की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिए तथा इनसे सम्बधित अथवा अन्य प्रासंगिक मामलों के लिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।''

इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. उन व्यवहारों को रोकना जिनका प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है,
2. बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना तथा उसे बनाये रखना,
3. उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करना,
4. भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों की व्यापार की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करना।

11.3 भारतीय प्रतियोगिता आयोग

आयोग की स्थापनाः (अनुच्छेद 7)

केन्द्र सरकार की अधिसूचना की तिथि से इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक आयोग जिसे भारतीय प्रतियोगिता आयोग (आगे इसे आयोग अथवाा सी0सी0आई0 कहा जायेगा) के नाम से जाना जायेगा, को स्थापित किया जायेगा। { (अनुच्छेद 7 (1)}

निगमित निकायः

आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका उपरोक्त नाम से सतत उत्तराधिकार होगा तथा एक शक्तियुक्त सार्वमुद्रा होगी, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन चल व अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने, रखने एवं समाप्त करने का अधिकार होगा तथा यह अपने नाम से अनुबन्ध कर सकता है, यह बाद कर सकता है तथा इस पर बाद किया जा सकता है। { (अनुच्छेद 7 (2)}

कार्यालयः

आयोग का प्रधान कार्यालय उस स्थान पर होगा जहॉ केन्द्र सरकार समय–समय पर निर्धारित करे। { (अनुच्छेद 7 (3)}

आयोग भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकता है। { (अनुच्छेद 7 (4)}

आयोग की संरचनाः (अनुच्छेद 8)

आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा कम से कम दो तथा अधिक से अधिक छः सदस्य होंगे जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। { (अनुच्छेद 8 (1)}

योग्यताः

अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य एक योग्य, सत्यनिष्ठायुक्त तथा प्रतिष्ठायुक्त व्यक्ति होगा जिसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यापार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा, प्रबन्धन, उद्योग, सार्वजनिक विषयों तथा प्रतियोगिता मामलों, प्रतियोगिता कानून व नीति सहित, का ज्ञान तथा तथा कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो तथा जो केन्द्र सरकार की दृष्टि में आयोग के लिए उपयोगी हो।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे। { (अनुच्छेद 8 (3)}

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए चयन समितिः (अनुच्छेद 9)

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की अनुशंसा पर बनाए गयी सूची में से किया जायेगा। उक्त चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे–

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनका प्रतिनिधि (अध्यक्ष)
2. कम्पनी मामलों के मंत्रालय का सचिव (सदस्य)
3. कानून व न्याय मंत्रालय का सचिव (सदस्य)
4. दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र व्यापार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा, प्रबन्धन, उद्योग, सार्वजनिक मामलों अथवा प्रतियोगिता कानून व नीति सहित प्रतियोगिता मामलों का विशिष्ट ज्ञान व पेशेवर अनुभव हो। (सदस्य)

{(अनुच्छेद 9 (1)}

चयन समिति का कार्यकाल तथा नाम–सूची चयन का ढ़ंग यथा प्रावधानित होगा। { (अनुच्छेद 9 (2)}

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल (अनुच्छेद 10)

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल अपने कार्यालय में आने के बाद पॉच वर्ष का होगा तथा उसकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। किन्तु, अध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने कार्य पर नहीं रहेगा। {(अनुच्छेद 10 (1)}

रिक्ति

अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के त्याग पत्र अथवा अनुच्छेद 11 के अधीन निष्कासन से, मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न रिक्ति को अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार नई नियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा। {(अनुच्छेद 10 (2)}

कार्यालय की शपथ

आयोग का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व कार्य तथा गोपनीयता की शपथ निर्धारित प्रारुप व प्राविधि के अनुसार तथा निर्धारित प्राधिकारी के सम्मुख लेनी होगी। {(अनुच्छेद 10 (3)}

अध्यक्ष पद पर मृत्यु, त्यागपत्र, अथवा अन्य कारण से रिक्ति होने की दशा में नये अध्यक्ष का चुनाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप होने तथा नये अध्यक्ष के कार्यभार संभालने की तिथि तक वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

{(अनुच्छेद 10 (4)}

अनुपस्थिति, बीमारी अथवा किसी अन्य कारण अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन कर पाने में असमर्थ होने की स्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के वापस आने तक अध्यक्ष के कार्यों का सम्पादन करेगा। {(अनुच्छेद 10 (5)}

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का त्यागपत्र, निष्कासन तथा निलम्बन (अनुच्छेद 11)

त्यागपत्रः अध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार को अपने हस्तलिखित सूचना पत्र के द्वारा पद से त्यागपत्र दे सकता है किन्तु अध्यक्ष अथवा सदस्य को, जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा जल्दी कार्य छोड़ने की अनुमति न हो, उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति से तीन माह की समाप्ति तक अथवा उसका उत्तराधिकारी विधिवत नियुक्त होने तक, जो भी पहले हो, अपना कार्य जारी रखना होगा। {(अनुच्छेद 11 (1)}

निष्कासनः अनुच्छेद 11(1) में वर्णित किसी प्रावधान के अतिरिक्त केन्द्र सरकार अपने आदेश के द्वारा निम्न परिस्थितियों में अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को उसके कार्य से च्युत कर सकती है–

(ए) वह दीवालिया हो अथवा किसी समय दीवालिया घोषित हो गया हो, अथवा

(बी) अपने कार्यकाल में किसी समय किसी भुगतानित रोजगार में हो, अथवा

(सी) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो केन्द्र सरकार के विचार से नैतिक भ्रष्टता से संलिप्त हो,

(डी) कोई ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित प्राप्त कर लिया है जो सदस्य के रुप में उसके कार्यों को हानिकारक ढ़ंग से प्रभावित कर सकता है, अथवा

(ई) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका कार्य जारी रखना सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक हो, अथवा

(एफ) सदस्य के रुप में कार्य करने में शारीरिक अथवा मानसिक रुप से अक्षम हो गया हो। {(अनुच्छेद 11 (2)}

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों पर कुछ मामलों में रोजगार प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध (अनुच्छेद 12)

अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य अपने कार्य से मुक्त होने के बाद अगले दो वर्ष तक कोई ऐसा रोजगार किसी संस्थान मे अथवा उससे सम्बन्धित संस्थान के प्रबन्ध अथवा प्रशासन में स्वीकार नहीं कर सकता जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले में संलिप्त पक्षकार रहा हो।

अध्यक्ष के प्रशासनिक अधिकार (अनुच्छेद 13)

अध्यक्ष को आयोग से सम्बन्धित समस्त प्रशासनिक प्रकरणों पर सामान्य पर्यवक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होगा। यद्यपि अध्यक्ष प्रशासनिक प्रकरणों से सम्बन्धित उन अधिकारों को, जिन्हें वह उचित समझे, आयोग के सदस्यों अथवा अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकता है।

अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के वेतन व भत्ते तथा सेवा सम्बन्धी अन्य नियम व शर्तें (अनुच्छेद 14)

अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के वेतन तथा यात्रा व्यय, मकान किराया भत्ता तथा परिवहन सुविधाएं, व्यय सम्बन्धी भत्ता तथा चिकित्सा सुविधाओं सहित सेवा सम्बन्धी अन्य नियम व शर्ते उसी प्रकार होंगे जैसा कि प्रावधानित किया जाये। {(अनुच्छेद 14 (1)}

अध्यक्ष तथा सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा सम्बन्धी अन्य नियम व शर्तें उसके नियुक्ति के बाद होने वाली हानियों के आधार पर परिवर्तित नहीं होंगे।

{(अनुच्छेद 14 (2)}

रिक्ति आदि के कारण आयोग की कार्यवाही अमान्य न होना (अनुच्छेद 15)

आयोग की कोई भी कार्यवाही मात्र निम्नलिखित स्थितियों के कारण अमान्य नहीं होगी–

(क) कोई रिक्ति अथवा आयोग के संविधान में कमी होने पर।

(ख) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रुप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई कमी होने पर।

(ग) आयोग द्वारा कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिससे कि सम्बन्धित प्रकरण प्रभावित न होता हो।

महानिदेशक की नियुक्ति आदि (अनुच्छेद 16)

केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करके आयोग इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन होने पर जॉच में आयोग की सहायता करने तथा अन्य ऐसे कार्य करने, जिनके लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया है, के लिए एक महा निदेशक की नियुक्ति कर सकती है। {(अनुच्छेद 16 (1)}

महा निदेशक कार्यालय में अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों व ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या तथा उक्त अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों व ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का ढ़ंग यथानिर्धारित विधि से होगा। {(अनुच्छेद 16 (1ए)}

प्रत्येक अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों अथवा (ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी) महा निदेशक के सामान्य नियन्त्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

{(अनुच्छेद 16 (2)}

वेतनः

महानिदेशक तथा अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों व ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा के नियम व शर्तें वैसे होंगे जैसे के प्रावधानित किये जायें। {(अनुच्छेद 16 (3)}

सत्यनिष्ठा तथा योग्यता वाले व्यक्यिों में से नियुक्तिः

महानिदेशक तथा अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों व ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का चयन उन लोगों में से किया जायेगा जिनकी सत्यनिष्ठा तथा योग्यता उच्च प्रकृति की हो तथा जिन्हें अन्वेषण का अनुभव हो और लेखांकन, प्रबन्धन, व्यापार, लोक प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विधि अथवा अर्थशास्त्र का ज्ञान एवं अन्य ऐसी योग्यताएं हों जैसी प्रावधानित की जायें। {(अनुच्छेद 16 (4)}

आयोग के सचिव, विशेषज्ञ, पेशेवर तथा अधिकारी व अन्य कर्मचारी (अनुच्छेद 17)

आयोग द्वारा सचिव तथा ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है जिन्हें अधिनियम के अधीन कार्यों के उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिए आवश्यक समझा जाये। {(अनुच्छेद 17 (1)}

आयोग के सचिव तथा अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा नियम व शर्तों, साथ ही उनकी संख्या का निर्धारण प्रावधानों के अनुसार होगा। {(अनुच्छेद 17 (2)}

आयोग अपने अधिनियम की विशिष्ट प्रक्रिया के आधार पर इतनी संख्या में निष्ठावान तथा असाधारण योग्यता वाले विशेषज्ञों तथा पेशेवरों, जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, व्यापार अथवा प्रतियोगिता से सम्बन्धित ऐसे अन्य विषयों का विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं, की सेवा ले सकता है जितने वह आयोग के कार्यो को अधिनियम के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक समझे। {(अनुच्छेद 17 (3)}

11.4 आयोग के कर्तव्य, शक्तियॉ तथा कार्य

आयोग के कर्तव्य (अनुच्छेद 18)

इस अधिनियम की प्रावधानों के अनुसार, आयोग का कर्तव्य होगा –

1. प्रतियोगिता को दुष्प्रभावित करने वाली प्रथाओं को समाप्त करना।
2. प्रतियोगिता को बढ़ावा देना तथा उसे बनाये रखना।
3. उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, तथा
4. भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों को व्यापार की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करना।

उपक्रमों के कतिपय अनुबन्धों तथा प्रभावशाली स्थिति की जॉच (अनुच्छेद 19)

जॉचः अनुच्छेद 3(1) अथवा अनुच्छेद 4(1) के प्रावधानों का कथित उल्लंघन होने पर स्वतः अथवा निम्न परिस्थितियों में जॉच करा सकता है–

(अ) किसी व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उनके संगठन अथवा व्यापार संघ से कोई सूचना प्राप्त होने पर उस ढंग से तथा अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर, अथवा

(ब) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संवैधानिक प्राधिकारी से कोई संदर्भ प्राप्त होने पर। {(अनुच्छेद 19 (1)}

आयोग की शक्तियॉ तथा कार्यों में वे शक्तियॉ तथा कार्य सम्मिलित हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद19 के उप अनुच्छेद 3 से 7 तक में वर्णन किया गया है।

{(अनुच्छेद 19 (2)}

प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव डालने वाले तत्वों पर विचारणः

यह निर्धारित करते समय कि कोई समझौता अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत प्रतियोगिता पर पर्याप्त विपरीत प्रभाव रखता है अथवा नहीं, आयोग निम्न सभी अथवा इनमें किन्हीं तत्वों पर ध्यान देता है–

(क) बाजार में नवागन्तुकों के लिए बाधा उत्पन्न करना,

(ख) बाजार से वर्तमान प्रतिस्पर्धियों को बाहर करना,

(ग) बाजार में प्रवेश में बाधा पहुॅचाकर प्रतिस्पर्धा को रोकना,

(घ) उपभोक्ताओं को लाभों का संग्रहण,

(ड.) वस्तुओं के उत्पादन व वितरण अथवा सेवाओं के प्रावधान में बढोत्तरी,

(च) वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण तथा सेवाओं के प्रावधान के द्वारा तकनीकी, वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। {(अनुच्छेद 17 (3)}

किसी उपक्रम के प्रभावशाली स्थिति में होने की जॉच

आयोग किसी उपक्रम की अनुच्छेद 4 के आधार पर प्रभावशील स्थिति में होने अथवा न होने की जॉच करने के लिए निम्न कारकों को आधार बनाता है–

1. उपक्रम की बाजार में हिस्सेदारी
2. उपक्रम का आकार तथा संसाधन
3. प्रतिस्पर्धियों का आकार तथा महत्व
4. प्रतिस्पर्धियों पर वाणिज्यिक लाभप्रदता सहित उपक्रम की आर्थिक शक्ति
5. उपक्रम के लम्बवत एकीकरण अथवा उक्त उपक्रम का विक्रय या सेवा का जाल
6. उपभोक्ताओं की उपक्रम पर निर्भरता
7. एकाधिकार अथवा प्रभुत्व की स्थिति चाहे वह किसी कानून के कारण हो, सरकारी कम्पनी होने के कारण हो, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हो अथवा कुछ अन्य।
8. नियामक बाधा, वित्तीय जोखिम, प्रवेश की उच्च पूॅजीगत लागत, बाजार में प्रवेश सम्बन्धी बाधा, तकनीकी प्रवेश बाधाएं, मात्रा सम्बन्धी मितव्ययिता, उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्थानी वस्तु अथवा सेवा की उच्च लागत सहित समस्त प्रवेश सम्बन्धी बाधाएं।
9. समस्तरीय क्रेता शक्तियॉ
10. बाजार की संरचना तथा बाजार का आकार
11. सामाजिक दायित्व तथा सामाजिक लागत
12. आर्थिक विकास में सहयोग के रुप में उपक्रम के प्रभुत्वपूर्ण स्थिति में होने के अथवा प्रतियोगिता पर पर्याप्त विपरीत प्रभाव होने की आशंका के कारण तुलनात्मक लाभ।
13. कोई अन्य कारक जिसे आयोग जॉच हेतु आवश्यक समझे।

यह निर्धारित करने के लिए कि बाजार अधिनियम की दृष्टि से सम्बन्धित बाजार की श्रेणी में आता है, आयोग सम्बन्धित भौगोलिक बाजार तथा सम्बन्धित उत्पाद बाजार को अपने ध्यान में रखेगा।

सम्बन्धित भौगोलिक बाजार का निर्धारण:

सम्बन्धित भौगोलिक बाजार का निर्धारण करते समय आयोग निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखता है–

1. व्यापार की नियामक बाधाएं
2. स्थानीय विशिष्टताओं की आवश्यकताएं
3. राष्ट्रीय प्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नीतियॉ
4. पर्याप्त वितरण सुविधाएं
5. यातायात की लागत
6. भाषा
7. उपभोक्ता का अधिमान या वरीयता
8. आश्वस्त अथवा नियमित आपूर्ति अथवा विक्रयोपरान्त सेवा

{(अनुच्छेद 19(6)}

सम्बन्धित उत्पाद बाजार की निर्धारणः

सम्बन्धित उत्पाद बाजार का निर्धारण करते समय आयोग निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखता है–

1. उत्पाद की भौतिक विशिष्ताएं तथा उसका अन्तिम उपयोग
2. वस्तु अथवा सेवा का मूल्य
3. उपभोक्ता की वरीयताएं
4. आन्तरिक उत्पादन को सम्मिलित न करना
5. विशेषज्ञ उत्पादकों की उपस्थिति
6. औद्योगिक उत्पादों का वर्गीकरण

{(अनुच्छेद 19 (7)}

आयोग द्वारा संयुक्तता की जॉच (अनुच्छेद 20)

अधिग्रहण, नियन्त्रण तथा संयुक्तता सम्बन्धी जॉचः आयोग स्वतः संज्ञान द्वारा अथवा अनुच्छेद 5 (अ) में संदर्भित अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना अथवा अनुच्छेद 5 (ब) में वर्णित नियन्त्रण प्राप्ति अथवा अनुच्छेद 5 (स) में वर्णित विलय अथवा एकीकरण की सूचना के आधार पर जॉच करेगा कि क्या इस प्रकार के संयोजन के कारण भारत में प्रतियोगिता किसी स्तर तक दुष्प्रभावित हुई है अथवा हो सकती है।

आयोग किसी भी ऐसे संयोजन की जॉच नहीं करेगी जिसे एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई हो। {(अनुच्छेद 20 (1)}

अनुच्छेद 6 (2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त होने की दशा में आयोग जॉच करेगा कि उक्त नोटिस में वर्णित संयोजन अथवा संदर्भ के कारण भारत में प्रतियोगिता पर कोई पर्याप्त विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है अथवा पड़ सकता है। {(अनुच्छेद 20 (2)}

संयोजन को प्रभावित करने वाले कारकः

यह जानने के लिए कि क्या संयोजन सम्बन्धित बाजार पर पर्याप्त विपरीत असर करेगा अथवा कर सकता है, आयोग निम्नलिखित कारकों पर समुचित ध्यान देगा–

1. बाजार में आयात के कारण प्रतियोगिता का वास्तविक तथा संभावित स्तर
2. बाजार में प्रवेश के लिए बाधाओं की मात्रा
3. बाजार में संयोजनों का स्तर
4. बाजार में प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों का स्तर
5. इस बात की संभावना कि संयोजन से संयोजन के पक्षकारो को मूल्यों तथा लाभान्तर में पर्याप्त तथा निरन्तर वृद्धि होगी
6. बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा की मात्रा की संभावना
7. बाजार में स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता की मात्रा अथवा संभाव्यता
8. संयोजन के पक्षकार व्यक्तियों अथवा उपक्रमों का सम्बन्धित बाजार में व्यक्तिगत तथा उपक्रम स्तर पर बाजार अंश
9. इस बात की संभावना कि संयोजन से सशक्त तथा प्रभावी प्रतिस्पर्धी अथवा प्रतिस्पर्धियों को हटाया जा सकेगा
10. बाजार में लम्बवत एकीकरण की प्रकृति तथा मात्रा

11. व्यापार के असफल होने की संभावना
12. नवाचारों की प्रकृति तथा मात्रा
13. किसी संयोजन से प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त विपरीत प्रभाव होने अथवा होने की संभावना से आर्थिक विकास में योगदान के आधार पर सम्बन्धित लाभ
14. क्या संयोजन के लाभों से संयोजन के विपरीत प्रभावों ,यदि कोई हैं, को दूर किया जा सकेगा? {(अनुच्छेद 20 (4)}

आयोग द्वारा संदर्भ (अनुच्छेद 21 अ)

1. जब किसी संवैधानिक प्राधिकारी से सम्मुख कार्यवाही के समय किसी पक्षकार द्वारा यह मामला उठाया जाता है कि उक्त प्राधिकारी द्वारा लिया गया अथवा लिया जाने की संभावना वाला कोई निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, तब उक्त प्राधिकारी सम्बन्धित मामले को आयोग को संदर्भित कर सकता है।

   फिर भी, आयोग स्वतः संज्ञान के आधार पर संवैधानिक प्राधिकारी को प्रकरण संदर्भित कर सकता है।
2. उप अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत किसी संदर्भ की प्राप्ति पर आयोग संदर्भ प्राप्ति के साठ दिन के अन्दर अपनी राय उस संवैधानिक प्राधिकारी को व्यक्त करेगा जो आयोग की राय पर विचार करेगा तथा तत्पश्चात् राय को अपने निष्कर्षों में अभिलेखित करेगा जिसके सम्बन्ध में राय प्रदान की गई है।

आयोग की सभाएं (अनुच्छेद 22)

1. आयोग उतनी बार तथा स्थानों पर सभा करेगा तथा उन नियमों तथा प्राविधि का पालन कार्य के पालन में करेगा जितना अधिनियम के प्रावधानों में व्यवस्था है।
2. अध्यक्ष यदि किसी कारण से आयोग की सभा में भाग लेने में असमर्थ है तो उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य सभा की अध्यक्षता करेगा।
3. सभा के सम्मुख रखे गये समस्त प्रश्नों पर उपस्थित तथा मत प्रयोग करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार से फैसला लिया जायेगा तथा वोटों की किसी बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला सदस्य दूसरा अथवा निर्णायक मत देगा।

इस प्रकार की सभाओं के लिए गणपूर्ति अर्थात् न्यूनतम आवश्यक संख्या तीन सदस्य होगी।

अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत जॉच हेतु प्राविधि

अनुच्छेद 26 में प्रतियोगिता अधिनियम के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत जॉच करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 26 को प्रतियोगिता (संशोधन) अधिनियम 2006 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। जॉच किये जाने के लिए संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी संवैधानिक प्राधिकारी से संदर्भ प्राप्त होने अथवा स्वतः संज्ञान अथवा अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्राप्त किसी सूचना के आधार

पर यदि आयोग की यह राय बनती है कि इसमें प्रारम्भिक आधार पर मामला बनता है तो वह अपने
महा निदेशक को इस पर जॉच करने के निर्देश दे सकता है।
इस शर्त पर कि प्राप्त सूचना आयोग की राय में किसी पूर्व प्राप्त सूचना के काफी हद तक समान है अथवा किसी पूर्व प्रकरण में इसे सम्मिलित किया जा चुका है, तो इस नई सूचना को पूर्व सूचना के साथ संयुक्त किया जा सकता है। {(अनुच्छेद 26 (1)}

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी संवैधानिक प्राधिकारी से संदर्भ प्राप्त होने अथवा अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्राप्त किसी सूचना के आधार पर यदि आयोग की यह राय है कि इसमें कोई प्रारम्भिक प्रसंग नहीं बनता है, तो वह प्रकरण को बन्द कर देगा तथा इस प्रकार का आदेश पारित करेगा जैसा कि वह चाहे तथा उसकी प्रतिलिपि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संवैधानिक प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित पक्षकार को, जैसी भी परिस्थिति हो, प्रेषित कर देगा।
{(अनुच्छेद 26 (2)}

उप अनुच्छेद (1) से निर्देश प्राप्त होने पर महा निदेशक अपने निष्कर्षों की आख्या आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेगा। {(अनुच्छेद 26 (3)}

आयोग उप अनुच्छेद (3) में संदर्भित उक्त आख्या की प्रतिलिपि को सम्बन्धित पक्षकारों को अग्रसारित कर सकता है।

यदि जॉच को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा संवैधानिक प्राधिकारी से संदर्भ के आधार पर की गई है तो आयोग उप अनुच्छेद (3) में संदर्भित आख्या की प्रतिलिपि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संवैधानिक प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को अग्रेसित करेग {(अनुच्छेद 26 (4)}

यदि उप अनुच्छेद (3) में संदर्भित महा निदेशक की आख्या यह संस्तुत करती है कि अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो आयोग केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संवैधानिक प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित पक्षकार से, जैसी भी स्थिति हो, महानिदेशक की आख्या पर आपत्तियॉ या सुझाव आमंत्रित करेगा।
{(अनुच्छेद 26 (5)}

यदि उप अनुच्छेद (5) में संदर्भित आपत्तियों तथा सुझावों पर विचारोपरान्त आयोग महा निदेशक की संस्तुतियों से सहमत होता है तो वह प्रकरण को समाप्त कर देगा तथा यथोचित आदेश पारित कर केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संवैधानिक प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित पक्षकारों, जैसी भी स्थिति हो, को संप्रेषित कर देगा।
{(अनुच्छेद 26 (6)}

यदि उप अनुच्छेद (5) में संदर्भित आपत्तियों तथा सुझावों पर विचारोपरान्त आयोग का यह अभिमत है कि अग्रेतर जॉच की आवश्यकता है तो वह महा निदेशक को अग्रेतर जॉच के लिए निर्देशित कर सकता है अथवा इस प्रकरण पर नई जॉच किये जाने के लिए कह सकता है अथवा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप स्वयं जॉच प्रारम्भ कर सकता है। {(अनुच्छेद 26 (7)}

यदि उप अनुच्छेद (3) में संदर्भित महा निदेशक की आख्या यह संस्तुति करती है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तथा आयोग का यह विचार है कि

अग्रेतर जॉच की जानी चाहिए, यह अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर उक्त उल्लंघनों के बारे में जॉच करा सकता है। {(अनुच्छेद 26 (8)}

अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियॉ (अनुच्छेद 33)

यदि आयोग जॉच के समय सन्तुष्ट है कि अनुच्छेद 3 (1) अथवा अनुच्छेद 4 (1) अथवा अनुच्छेद 6 का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है अथवा ऐसा कार्य किया जाने वाला है तो आयोग, यदि ऐसा करना उचित समझे, बिना सम्बन्धित पक्षकार को सूचना दिये आदेश पारित करके किसी पक्षकार को ऐसा कृत्य करने से उक्त जॉच का निष्कर्ष प्राप्त होने अथवा अगले आदेशों तक अस्थाई रुप से रोक सकता है।

आयोग के समक्ष उपस्थिति (अनुच्छेद 35)

कोई व्यक्ति अथवा उपक्रम अथवा महानिदेशक स्वयं अथवा अपने किसी अधिकृत एकाधिक सांवधिक लेखाकारों अथवा कम्पनी सचिवों अथवा लागत लेखाकारों अथवा विधिक पेशेवरों अथवा अपने किन्हीं अधिकारियों को अपने प्रकरण पर अपना पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

आयोग की अपनी प्रक्रियाओं को स्वयं नियमित करने की शक्तियॉ (अनुच्छेद 36)

अपने कार्यों के सम्पादन में आयोग नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त से निर्देशित होगा तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार के किसी अन्य नियम का उल्लंघन न होने की सीमा तक आयोग को अपनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होती है।

आयोग को अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों के सम्पादन के लिए वे समस्त शक्तियॉ प्राप्त होती हैं जो निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए किसी दीवानी न्यायालय को सिविल प्रोसीजर कोड (सी0पी0सी0) 1908 (1908 का पॉचवॉ) के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं–

1. किसी व्यक्ति को बुलावा भेजना तथा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उसे शपथ द्वारा परीक्षण करना,
2. अभिलेखों के प्रकटन तथा प्रस्तुतिकरण कराना,
3. शपथ पत्र के द्वारा साक्ष्य प्राप्त करना,
4. गवाह अथवा अभिलेखों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का प्रथम) के अनुच्छेद 123 तथा 124 के प्रावधानों की सीमा तक किसी भी कार्यालय से कोई सार्वजनिक दस्तावेज अथवा अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि मंगाना। {(अनुच्छेद 36 (2)}

आयोग अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखांकन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा किसी अन्य विषय से उतने विशेषज्ञों को आयोग की सहायता के लिए निमन्त्रित कर सकता है जितना वह उचित समझे। {(अनुच्छेद 36 (3)}

आयोग किसी व्यक्ति को निम्न कार्यो के लिए निर्देशित कर सकता है–

(अ) महानिदेशक अथवा सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के सम्मुख सम्बन्धित व्यक्ति के पास रक्षित अथवा उसके नियन्त्रण में ऐसी पुस्तकें

अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना जो किसी व्यापार से सम्बन्धित हों जिनकी इस अधिनियम के लिए आवश्यक हो।

(ब) महानिदेशक अथवा सचिव अथवा कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी को व्यापार अथवा सम्बन्धित सूचना जो कि उनके अधिकार में हो अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना। {(अनुच्छेद 36 (3)}

आयोग के आदेशों को लागू करना तथा अर्थ दण्ड लगाना (अनुच्छेद 39)

यदि कोई व्यक्ति उस पर अधिनियम के अन्तर्गत लगाए गये अर्थ दण्ड का भुगतान करने में असफल होता है तो आयोग इस दण्ड को अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के आधार पर वसूली कर सकता है। {(अनुच्छेद 39 (1)}

यदि आयोग को ऐसा लगता है कि वह अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये दण्ड की वसूली आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43वॉ) के द्वारा कर सकता हैं तो वह आयकर अधिकारियों को दण्ड को कर के रुप में वसूल करने के लिए संदर्भित कर सकता है। {(अनुच्छेद 39 (2)}

यदि आयोग द्वारा उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत दण्ड की वसूली हेतु संदर्भित किया गया है तो जिस व्यक्ति से वसूली की जानी हैं, को आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वॉ) के अन्तर्गत चूक में कर निर्धारिती माना जायेगा तथा उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 221 से 227, 228ए, 229, 231 तथा 232 तथा अधिनियम की दूसरी अनुसूची तथा बनाये गये कोई भी नियम, जो भी अभी तक हो, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे प्रावधान अधिनियम का अंग हों तथा इस अधिनियम में दण्ड की राशि के रुप में ही संदर्भित होंगे, न कि आयकर के रुप में तथा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 42वॉ) के अन्तर्गत लगाये गये दण्ड, जुर्माने तथा ब्याज की राशि को निर्धारण अधिकारी के स्थान पर आयोग को प्रदान करेगा। {(अनुच्छेद 39 (3)}

11.5 महानिदेशक के कर्तव्य

महानिदेशक, यदि आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देशित किया जाय, आयोग को अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अन्तर्गत किसी नियम या प्रावधानों के उल्लंघन होने सम्बन्धी जॉच में सहयोग करेगा। {(अनुच्छेद 41 (1}

महानिदेशक के पास वे सभी शक्तियॉ होंगी जो उन्हें आयोग द्वारा अनुच्छेद 36 के उप अनुच्छेद 2 के द्वारा प्रदान की जायें। {(अनुच्छेद 41 (1)}

कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का प्रथम) के अनुच्छेद 240 (2) तथा 240ए के प्रावधानों से पूर्वाग्रह के बिना, यथापरिस्थिति महानिदेशक अथवा उसके प्राधिकार से जॉचकर्ता अधिकारी उसी प्रकार लागू होंगें जैसे कि वे अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किसी निरीक्षक पर होते हैं। {(अनुच्छेद 41 (1)}

आयोग अथवा महानिदेशक के निर्दशों के पालन में असफल होने पर दण्डः

यदि कोई व्यक्ति महानिदेशक के उसे अनुच्छेद 41(2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर दिये गये निर्देशों का पालन करने में असफल होता है तो आयोग उस पर उक्त अनुपालन में असफलता के लिए प्रत्येक दिन रु0 1,00,000 प्रतिदिन की दर पर दण्ड निर्धारित करेगा।

11.6 प्रतियोगिता अपीलीय/ पुनर्विचार प्राधिकारी

अपीलीय न्याायाधिकरण की स्थापना (अनुच्छेद 53ए)

केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करके अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करेगी जिसे प्रतियोगिता अपीलीय न्यायाधिकरण के रुप में जाना जायेगा–

(अ) आयोग द्वारा अनुच्छेद 26 के उप अनुच्छेद 2 व 6, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद31, अनुच्छेद32, अनुच्छेद33, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43ए, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 अथवा अनुच्छेद 46 के द्वारा पारित किसी निर्देश अथवा निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने तथा उसके निबटान के लिए,

(ब) आयोग की जॉच के परिणाम अथवा आयोग के जॉच परिणाम पर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश अथवा अनुच्छेद 42ए अथवा इस अधिनियम के अनुच्छेद 53क्यू के उप अनुच्छेद 2 के कारण उत्पन्न क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दावे पर निर्णय के लिए तथा इस अधिनियम के अनुच्छेद 53एन के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली के आदेश पारित करने के लिए। {(अनुच्छेद 41 (1)}

अपीलीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि केन्द्र सरकार अपनी अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।

अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुख अपील (अनुच्छेद 53बी)

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा उपक्रम अथवा कोई व्यक्ति जो कि अनुच्छेद 53ए के पैरा ए में संदर्भित किसी निर्देशन, निर्णय अथवा आदेश से पीड़ित हो, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है। {(अनुच्छेद 53एबी (1)}

उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा उपक्रम अथवा व्यक्ति जो उक्त उप अनुच्छेद में संदर्भित है, द्वारा आयोग के निर्देशन अथवा निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह निर्धारित रुप में व निर्धारित फीस के साथ होना चाहिए। तथापि अपीलीय न्यायाधिकरण उक्त निर्धारित 60 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारणों से संतुष्ट हो। {(अनुच्छेद 53बी (2)}

उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत अपील प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे– निर्देशों, निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है का सुनिश्चितीकरण, परिवर्तीकरण अथवा रद्द कर देना। {(अनुच्छेद 53बी (3)}

अपीलीय न्यायाधिकरण अपने प्रत्येक आदेश की प्रतिलिपि आयोग को तथा अपील के प्रत्येक पक्षकार को प्रेषित करेगी। {(अनुच्छेद 53बी (4)}

अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुच उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्येक अपील का निस्तारण त्वरित गति से किया जायेगा तथा अपील को इसकी प्राप्ति के छः माह में निस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा। {(अनुच्छेद 53बी (5)}

अपीलीय प्राधिकरण की संरचना (अनुच्छेद 53सी)

अपीलीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दो सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी।

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की योग्यताएं (अनुच्छेद 53डी)

अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जोकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रहा हो।

अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य ऐसी योग्यता, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रकरणों में विशेष ज्ञान तथा कम से कम पच्चीस वर्ष का पेशेवर अनुभव हो जिसमें प्रतियोगिता कानून व नीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यापार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखांकन, प्रबन्धन, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रशासन अथवा ऐसे कोई भी विषय जिन्हें केन्द्र सरकार अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए उपयोगी समझे, सम्मिलित हो सकता है।

चयन समिति (अनुच्छेद 53 ई)

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा एक चयन समिति द्वारा नामों की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, जिसमें निम्न सम्मिलित होते हैं–

(अ)	भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके प्रतिनिधि	अध्यक्ष
(ब)	कम्पनी मामलों के मंत्रालय के सचिव	सदस्य
(स)	कानून व न्याय मंत्रालय के सचिव	सदस्य

चयन समिति का कार्यकाल तथा नामों के पैनल की प्रणाली जैसी भी निर्धारित की जाय, होगी।

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल (अनुच्छेद 53एफ)

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल उनके कार्य प्रारम्भ से पॉच वर्ष होगा तथा वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, तथापि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य निम्न परिस्थितियों में अपने कार्य पर नहीं रहेगा–

(अ) अध्यक्ष के मामले में 68 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर

(ब) न्यायाधिकरण के अन्य सदस्य के मामले में 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर।

अपीलीय न्यायाधिकरण का स्टाफ (अनुच्छेद 53एम)

केन्द्र सरकार अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए उतनी मात्रा में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जितनी वह उचित समझे।

अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें उसी प्रकार होंगी जैसी निर्धारित की जायें।

क्षतिपूर्ति प्रदान करना (अनुच्छेद 53एन)

इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना केन्द्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई उपक्रम अथवा कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसी क्षतिपूर्ति के दावे पर निर्णय करने के

लिए प्रार्थना कर सकता है जो कि आयोग की जॉच अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी अपील के प्रति आदेश अथवा अनुच्छेद 42ए अथवा अधिनियम के अनुच्छेद 53क्यू के उप अनुच्छेद 2 के लिए हो तथा किसी उपक्रम से ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति की वसूली करने का आदेश दे जो उपक्रम द्वारा अध्याय 2 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा उपक्रम अथवा व्यक्ति को हुई है।

उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ आयोग की जॉच आख्या, यदि कोई हो, तथा शुल्क जैसा भी निर्धारित किया जाय, लगाया जाना चाहिए।

1. अपीलीय न्यायाधिकरण उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत आवेदन में वर्णित आरोपों की आवश्यक जॉच के उपरान्त उपक्रम को यह आदेश दे सकता है कि वह आवेदक को उस उपक्रम के द्वारा अध्याय 2 के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरुप आवेदक को हुई हानि अथवा क्षति की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान करे, बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण उक्त क्षतिपूर्ति के आदेश को जारी करने से पूर्व आयोग की अनुशंसा को प्राप्त कर ले।

अपीलीय न्यायाधिकरण की क्रियाविधि तथा शक्तियॉ (अनुच्छेद 53 ओ)

1. अपीलीय न्यायाधिकरण सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (1908 का पॉचवॉ) की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं हैं किन्तु न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त से निर्देशित होगा तथा न्यायाधिकरण को इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन, अपीलीय न्यायाधिकरण को अपनी क्रियाविधि को लागू करने का अधिकार होगा।
2. अपीलीय न्यायाधिकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निष्पादन के उद्देश्य से निम्न प्रकरणों की सुनवाई के समय उन समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (1908 का 5वॉ) के द्वारा किसी नागरिक न्यायालय को प्राप्त है–
    1. किसी व्यक्ति को बुलावा भेजने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उनका शपथ द्वारा परीक्षण करना,
    2. अभिलेखों की खोज तथा प्रस्तुतिकरण के लिए आदेशित करना,
    3. शपथ–पत्र के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना,
    4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का प्रथम) के अनुच्छेद 123 तथा 124 के प्रावधानों के अधीन किसी भी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख अथवा प्रमाण की मॉग करना,
    5. साक्ष्य अथवा अभिलेख के परीक्षण हेतु अधिकृत करना,
    6. निर्णयों का पुनरावलोकन,
    7. किसी प्रत्यावेदन को चूक के आधार पर निरस्त करना अथवा एकपक्षीय निर्णय देना,
    8. किसी प्रत्यावेदन को चूक के आधार पर निरस्त करने के आदेश अथवा एक पक्षीय निर्णय को निरस्त करना,

9. कोई भी अन्य प्रकरण जो विहित किया जाय।

अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रत्येक कार्यवाही को अनुच्छेद 193 तथा 228 तथा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45वॉ) के अनुच्छेद 196 के उद्देश्य से न्यायिक कार्यवाही माना जायेगा तथा अपीलीय न्यायाधिकरण को अनुच्छेद 195 तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अध्याय XXVI के उद्देश्य से एक नागरिक न्यायालय माना जायेगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन (अनुच्छेद 53पी)

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक निर्णय को इसके द्वारा उसी प्रकार अनुपालित कराया जायेगा जैसे यह किसी न्यायालय में किसी मुकदमें पर आदेश हो, तथा यह अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए भी विधिसम्मत होगा कि वह, स्वयं क्रियान्वयन न कर सकने की स्थिति में, स्थानीय कार्यक्षेत्र के न्यायालय को प्रेषित कर दे–

(अ) किसी कम्पनी के विरुद्ध आदेश होने की दशा में उस स्थान पर जहॉ कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो।

(ब) किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में उस स्थान पर जहॉ पर वह व्यक्ति स्वैच्छिक रुप से रहता है अथवा व्यापार करता है अथवा लाभ के लिए कार्य करता है, स्थित हो।

अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों का उल्लंघन (अनुच्छेद 53क्यू)

इस अधिनियम के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह एक करोड़ रुपये तक के दण्ड अथवा तीन वर्ष तक के कारावास अथवा दोनों जैसा कि दिल्ली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उचित समझें बशर्ते कि दिल्ली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस उप अनुच्छेद में किसी दण्डनीय अपराध का अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी अधिकृत अधिकारी की किसी शिकायत पर संज्ञान न लें।

इस अधिनियम के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण को किसी उपक्रम के विरुद्ध उसके द्वारा प्रदर्शित किसी हानि अथवा क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली के आदेश के लिए उक्त उल्लंघनकर्ता उपक्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों के बिना किसी उपयुक्त आधार के उल्लंघन अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों कें पालन में विलम्ब के लिए आवेदन कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में अपील (अनुच्छेद 53टी)

अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी निर्णय अथवा आदेश के कारण पीड़ित केन्दं सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा आयोग अथवा संवैधानिक प्राधिकारी अथवा कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई उपक्रम अथवा कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में उक्त निर्णय अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के उन तक संप्रेषण के 60 दिन के अन्दर अपील कर सकता है बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय, यदि इस बात से सन्तुष्ट है कि आवेदक किसी उचित कारण से निर्धारित समयावधि में अपील दायर नहीं कर

सका तो उसे 60 दिन की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी अपील दायर करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

11.7 सारांश

एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 जो कि कालातीत हो गया था, को प्रतियोगिता अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसके विभिन्न उद्देश्य हैं। प्रतियोगिता अधिनियम प्रतियोगिता–विरोधी व्यवहारों की व्यापक परिप्रेक्ष्य में पहचान करता है तथा लोचदार किन्तु प्रभावी तन्त्र को स्थापित करता है जिससे कि प्रतियोगिता को संरक्षित तथा सवंर्द्धित किया जा सके। इसका प्रभाव सर्वाधिक इस बात पर निर्भर करेगा कि नए अधिनियम को किस भावना के साथ लागू किया जाता है। विशेषतः यह उन कमियों को दूर करता है जो कि इसके पूर्ववर्ती अधिनियम में चित्रित की गई थीं।

11.8 शब्दावली

वस्तु/माल/सामान/सामग्रीः इसका तात्पर्य उस माल से है जो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 (1930 का तीसरा) में परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित हैं– (अ) उत्पादित, प्रसंस्करित अथवा खनन उत्पाद, (ब) ऋणपत्र, स्कन्ध तथा अंश (आबन्टन के उपरान्त) तथा (स) सामग्री की भारत में आपूर्ति, वितरण तथा नियन्त्रण के सम्बन्ध में भारत में आयातित सामग्री।

व्यवहारः इसमें किसी व्यक्ति अथवा उपक्रम व्यापार को संचालित करने से सम्बन्धित कोई व्यवहार सम्मिलित होता है।

सार्वजानिक वित्तीय संस्थाएंः कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का प्रथम) के अनुच्छेद 4ए में वर्गीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं तथा जिसमें राज्य वित्तीय, औद्योगिक अथवा निवेश निगम सम्मिलित हैं।

सम्बन्धित बाजारः बाजार जिसे आयोग द्वारा सम्बन्धित उत्पाद बाजार अथवा सम्बन्धित भौगोलिक बाजार अथवा दोनों बाजारों के संदर्भ में निर्धारित किया गया है।

सम्बन्धित उत्पाद बाजारः बाजार जिसमें वे समस्त उत्पाद अथवा सेवाएं सम्मिलित हैं जो कि उपभोक्ता के लिए उत्पाद अथवा सेवा की विशेषताओं, मूल्य तथा सम्बन्धित प्रयोग की दृष्टि से परस्पर विनिमेंय अथवा स्थानापन्न हों।

सेवाः सेवा से आशय किसी भी प्रकार की सेवा जो संभावित प्रयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जाये तथा जिसमें औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक प्रकार के व्यापार से सम्बन्धित सेवाओं का प्रावधान हो, सम्मिलित है।

11.9 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए

1. आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य .... सदस्य होंगे।
2. आयोग का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य स्वलिखित नोटिस के द्वारा जो कि .... को सम्बोधित हो, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
3. आयोग का यह कर्तव्य है कि वह भारत के बाजार में कार्यरत अन्य प्रतिभागियों की .... की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करे।

4. यदि कोई व्यक्ति महानिदेशक द्वारा अनुच्छेद 41(2) में निहित शक्तियों के पालन में निर्गत निर्देशों का पालन करने में असफल होता है तो आयोग उस व्यक्ति पर .... प्रतिदिन का दण्ड उक्त असफलता की अवधि के लिए आरोपित करेगा।
5. अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का कार्यकाल अपना कार्यभार संभालने की तिथि से .... वर्षों तक के लिए होगा तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा।

11.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) 1. पूर्णकालिक, 2. केन्द्र सरकार, 3. व्यापार, 4. रु0 1,00,000 5. पॉच

11.11 स्वपरख प्रश्न

1. प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की प्रमुख विशेषताएं बताइये।
2. महा निदेशक के क्या कर्तव्य हैं? अनुच्छेद 197 के अन्तर्गत जॉच की क्या प्रक्रिया है?
3. भारतीय प्रतियोगिता आयोग की संरचना पर एक लेख लिखिए।
4. भारतीय प्रतियोगिता आयोग के दायित्वों शक्तियॉ तथा कर्तव्यों पर चर्चा कीजिए।
5. क्या प्रतियोगिता आयोग भारत के बाहर होन वाले उन कार्यों को नियमित कर सकता है जिनका प्रभाव भारत की प्रतियोगिता पर होता है?
6. प्रतियोगिता अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना तथा संरचना पर एक लेख लिखिए।

11.12 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Raviner Kumar, Legal Aspects of Business.
2. N.D.Kapoor, Elements of Mercantile Law.
3. PPS Gogna, Mercantile Law.
4. B S Moshal, Mercantile Law.
5. M C Kuchhal, Mercantile Law including Company Law.
6. G K Kapoor, Business Law.

****

इकाई 12 प्रतियोगिता अधिनियम के दण्ड तथा अन्य प्रावधान

इकाई की रूपरेखा

12.1 प्रस्तावना
12.2 दण्ड
12.3 विविध प्रावधान
12.4 सारांश
12.5 शब्दावली
12.6 बोध प्रश्न
12.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
12.8 स्वपरख प्रश्न
12.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- प्रतियोगिता अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न दण्डों की व्याख्या कर सकें।
- केन्द्र सरकार की निर्देश जारी करने तथा आयोग का अधिकार छीन लेने की शक्तियों से सम्बन्धित प्रतियोगिता अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कर सकें।

12.1 प्रस्तावना

प्रतियोगिता कानून सरकार द्वारा प्रतियोगी बाजारों में वस्तुओं तथा सेवाओं को नियमित करने सम्बन्धी कानूनों को संदर्भित करता है तथा उसे वर्तमान विश्व के आधुनिक प्रतियोगी अथवा अविश्वास (कम्पनियों को पदार्थों के दाम गलत रुप से बढ़ाने के विरुद्ध) कानून की ओर प्रशस्त करता है। बीसवीं शताब्दी से ही प्रतियोगिता कानून वैश्विक हो गये हैं। प्रतियोगिता नियमन के लिए दो सर्वाधिक बड़ी तथा प्रभावशाली प्रणाली संयुक्त राष्ट्र अविश्वास कानून तथा यूरोपीय समुदाय प्रतियोगिता कानून हैं। भारत का प्रतियोगिता कानून प्रतियोगिता अधिनियम 2002 में धारित है। प्रतियोगिता अधिनियम 2002 को भारत के राष्ट्रपति महोदय की सहमति दिनांक 13 जनवरी 2003 को प्राप्त हुई तथा यह भारत के गजट में 14 जनवरी 2003 को प्रकाशित हुआ। अधिनियम के कुछ अनुच्छेद 31 मार्च 2003 से तथा अन्य अधिकांश अनुच्छेद 2007 में प्रभाव में आये।

12.2 दण्ड

आयोग के आदेशों का उल्लंघन (अनुच्छेद 42)

अधिनियम के अनुच्छेद 42 को प्रतियोगिता (संशोधन) अधिनियम 2007 के द्वारा संशोधित किया गया है तथा जो आयोग के आदेशों के उल्लंघन की दशा में कठिन दण्ड का प्रावधान करता है। आयोग अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिये गये अपने आदेशों अथवा निर्देशों के अनुपालन के लिए जॉच करा सकता है। {अनुच्छेद 42 (1)}

यदि कोई व्यक्ति, बिना किसी उचित कारण के, आयोग द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 27, 28, 31, 32, 33, 42ए तथा 43ए के अन्तर्गत जारी आदेशों अथवा निर्देशों का पालन करने में असफल होता है तो वह पालन न करने की अवधि के लिए एक लाख रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम दस करोड़ रुपये के दण्ड का आयोग के निर्धारण के अधीन, भागी होगा। {अनुच्छेद 42 (2)}

यदि कोई व्यक्ति निर्गत आदेशों अथवा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत लगाये गये दण्ड का भुगतान करने में असफल होता है तो वह, अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, तीन वर्ष तक के कारावास से अथवा अर्थदण्ड जो कि पच्चीस करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से, जैसा भी दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उचित समझें, दण्डित किया जा सकता है तथापि दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट इस अनुच्छेद के ऐसे उल्लंघन का संज्ञान नहीं लेंगे जो आयोग अथवा इसके किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा दाखिल किसी शिकायत पर सुरक्षित रखी गई हो।

{अनुच्छेद 42 (3)}

आयोग के आदेशों के उल्लंघन की दशा में क्षतिपूर्ति (अनुच्छेद 42ए)

अनुच्छेद 42ए एक नया अनुच्छेद है जो कि प्रतियोगिता (संशोधन) अधिनियम 2007 में समाविष्ट किया गया है। यह किसी उपक्रम द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने के कारण किसी व्यक्ति को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी उपक्रम द्वारा उसके द्वारा हानि अथवा क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली का आदेश प्रदान करने लिए आवेदन कर सकता है। उस व्यक्ति के द्वारा उक्त उपक्रम के द्वारा आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किये जाने अथवा बिना किसी उचित कारण के आयोग के द्वारा अनुच्छेद 27, 28, 31, 32 तथा 33 अथवा किसी शर्त या प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने अथवा आयोग के आदेश या निर्देश के पालन में विलम्ब करने के कारण हानि सहन की गई हो, बशर्ते कि उसके लिए आवश्यक अनुमति, स्वीकृत, निर्देश अथवा छूट इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई हो।

आयोग अथवा महा निदेशक के निर्देशों के अनुपालन में असफल रहने पर दण्ड (अनुच्छेद 43)

यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के पालन करने में असफल रहता है—

(अ) अनुच्छेद 36 के उप अनुच्छेद 2 व 4 के अन्तर्गत आयोग, अथवा

(ब) अनुच्छेद 41 के उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक।

ऐसा व्यक्ति उस दण्ड से दण्डित किया जा सकता है जो कि पालन न होने की अवधि के लिए एक लाख रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम एक करोड़ रुपये तक जैसा भी आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये हो सकता है।

संयोजनों द्वारा सूचना प्रदान न करने पर दण्ड लगाने की शक्तियॉ (अनुच्छेद 43ए)

यदि कोई व्यक्ति अथवा उपक्रम जो आयोग को अनुच्छेद 6 के उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत सूचना देने में असफल रहता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति या उपक्रम पर ऐसा दण्ड निर्धारित कर सकता है जो कि उक्त संयोजन की कुल बिक्री अथवा सम्पत्तियों, जो भी अधिक हो, के एक प्रतिशत भाग तक हो सकता है।

महत्वपूर्ण सूचनाओं के सम्बन्ध में झूठे वक्तव्य देने अथवा भूल के लिए दण्ड (अनुच्छेद 44)

यदि कोई व्यक्ति संयोजन का एक पक्षकार होते हुए–

(अ) ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी महत्वपूर्ण विषय में झूठा हो अथवा झूठा प्रतीत हो, अथवा

(ब) यह जानते हुए भी वह महत्वपूर्ण है ऐसी सूचना बताने से चूक करता है
ऐसा व्यक्ति ऐसे दण्ड का भागी होगा जो कि पचास लाख रुपये से कम न हो किन्तु यह एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, जैसा कि आयोग निर्धारित करे।

सूचना प्रदान करने में दोष के लिए दण्ड (अनुच्छेद 45)

अनुच्छेद 44 के प्रावधानों से पूर्वाग्रह के बिना, यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई विवरण, अभिलेख अथवा सूचना प्रदान करता है अथवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है–

(अ) किसी महत्वपूर्ण विषय में ऐसा वक्तव्य देता है अथवा ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करता है जो, वह जानता है अथवा जानने का पर्याप्त आधार है, झूठे हैं, अथवा

(ब) यह जानते हुए भी वह महत्वपूर्ण है कोई महत्वपूर्ण सूचना देने में चूक करता है, अथवा

(स) किसी ऐसे अभिलेख को जानबूझकर बदलता है, दबाता है या नष्ट करता है जो कि उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करना होता है ।

ऐसा व्यक्ति ऐसे दण्ड का भागी होगा जो कि अधिकतम एक करोड़ रुपये तक, जैसा भी आयोग निर्धारित करे, हो सकता है।

दण्ड को कम करने की शक्ति (अनुच्छेद 46)

आयोग, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता, किसी समूहन सहित, जिस पर अनुच्छेद 3 के उल्लंघन का आरोप है, ने आरोपित उल्लंघनों के सम्बन्ध में पूर्ण एवं सही प्रकटीकरण कर दिया है तथा यह प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है, उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर अधिनियम, नियमों अथवा परिनियमों के अनुसार निर्धारणीय राशि से कम दण्ड, जैसा भी वह उचित समझे, निर्धारित कर सकता है।

किन्तु कम दण्ड की राशि आयोग द्वारा उस स्थिति में नहीं लगाई जायेगी जहॉ उक्त खुलासे से पूर्व अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत जॉच की आख्या प्राप्त हो गई है।

इसके अलावा कम दण्ड की राशि आयोग द्वारा तब लगाई जायेगी जब उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता, किसी समूहन सहित, ने पूर्ण, सत्य तथा महत्वपूर्ण प्रकटीकरण इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किया हो।

यदि आयोग सन्तुष्ट हो तो ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता, किसी समूहन सहित को प्रक्रिया के तहत–

(अ) उन शर्तों को पूर्ण नहीं करता है जो कि कम दण्ड के लिए आयोग द्वारा निर्धारित हैं, अथवा

(ब) झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है, अथवा

(स) प्रकटीकरण कोई महत्वपूर्ण नहीं है

ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता को इस अपराध के लिए परीक्षण किया जा सकता है जिसके लिए कम दण्ड लगाया गया है, उसे ऐसे दण्ड के लिए दायी माना जायेगा जिसके लिए वह उत्तरदायी है, तथा कम दण्ड नहीं लगाया गया है।

दण्ड स्वरुप वसूली गई धनराशि को भारत के समेकित कोष में जमा कराना (अनुच्छेद 47)

इस अधिनियम के अन्तर्गत वसूल की गई सम्पूर्ण धनराशि को भारत के समेकित कोष में जमा कराया जायेगा।

कम्पनियों द्वारा उल्लंघन (अनुच्छेद 48)

जब इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा किसी नियम, विनियम, निर्गत आदेश अथवा निर्देश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, कोई भी व्यक्ति जो कि इस उल्लंघन के समय उसके लिए प्रभारी था तथा उस कम्पनी में कम्पनी के कार्यों तथा कम्पनी के लिए उत्तरदायी था, को उल्लंघन के लिए दोषी माना जायेगा तथा उस पर मुकदमा चलाया जायेगा तथा तदनुसार दण्डित किया जायेगा। किन्तु इस उप अनुच्छेद में वर्णित कुछ भी ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड हेतु उत्तरदायी नहीं मानेगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी में नहीं था अथवा उसने आयोग के इस उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक समस्त प्रयास किये थे।

जब इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा किसी नियम, विनियम, निर्गत आदेश अथवा निर्देश का उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह सिद्ध हो जाता है कि उल्लंघन उसकी सहमति व सुविधा के लिए तथा किसी लापरवाही के लिए आरोपणीय है तो कम्पनी के ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी को उक्त उल्लंघन का दोषी माना जायेगा तथा उसे मुकदमा चलाये जाने तथा तदनुसार दण्डित किये जाने का अधिकारी माना जायेगा।

12.3 विविध प्रावधान

मुक्त करने की शक्ति (अनुच्छेद 54)

केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम अथवा इसके किसी प्रावधान को लागू करने के लिए किसी ऐसी अवधि के लिए मुक्ति प्रदान कर सकता है जैसी कि उक्त अधिनियम में वर्णित की जाये–

(अ) उद्यमों का कोई ऐसा वर्ग जिसे ऐसी माफी देना राज्य की सुरक्षा अथवा सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक हो,

(ब) भारत द्वारा किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ समझौते, अनुबन्ध अथवा परम्परा के परिणामस्वरुप कोई चलन अथवा समझौता,

(स) कोई ऐसा उद्यम जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से कोई शासकीय कार्य करता हो।

बशर्ते कि कोई उद्यम किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त हो, सरकार की ओर से कोई सरकारी कार्य सहित, को केन्द्र सरकार केवल राजकीय कार्य से सम्बन्धित भाग के लिए मुक्ति प्रदान कर सकती है।

केन्द्र सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 55)

इस अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों से पूर्वाग्रह न रखते हुए आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करते हुए, तकनीकी तथा प्रशासनिक प्रकरणों के अतिरिक्त जैसा कि केन्द्र सरकार समय समय पर प्रदान करे, उक्त नीति आधारित निर्देशों से आबद्ध होता है।

बशर्ते कि आयोग को यथा व्यावहारिक, कोई निर्देशन जारी करने से पूर्व अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा। केन्द्र सरकार का निर्णय चाहे वह नीतिगत हो या नहीं, अन्तिम होगा।

केन्द्र सरकार की आयोग को अतिक्रमित करने की शक्ति (अनुच्छेद 56)

यदि कभी भी केन्द्र सरकार की राय होती है कि–

(अ) आयोग के नियन्त्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण वह अपने कार्यों को करने में अथवा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, अथवा

(ब) आयोग द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के पालन में अथवा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिये गये कर्तव्यों के क्रियान्वयन अथवा निष्पादन में निरन्तर चूक की है तथा इस प्रकार की चूक के कारण आयोग की वित्तीय स्थिति अथवा प्रशासन दुष्प्रभावित हुआ है, अथवा

(स) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हैं कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो

केन्द्र सरकार उचित कारणों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना जारी करके अधिसूचना में उल्लिखित अवधि, जो छः माह से अधिक न हो, आयोग का अतिक्रमण कर सकती है।

बशर्ते कि ऐसी अधिसूचना जारी करने के पूर्व केन्द्र सरकार आयोग को इस प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन देने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी तथा आयोग द्वारा यदि कोई प्रतिवेदन दिया जाता है तो उस पर विचार करेगा।

उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत आयोग के अतिक्रमण पर अधिसूचना का प्रकाशन होने पर–

(अ) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अतिक्रमण की तिथि से अपना कार्यालय छोड़ देंगे,

(ब) आयोग के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जो भी शक्तियों, कार्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता था, का निर्वहन उप अनुच्छेद 3

के अन्तर्गत आयोग के पुनर्स्थापित होने तक केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(स) आयोग की समस्त सम्पत्तियों का स्वामित्व व नियन्त्रण आयोग के उप अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत पुनर्स्थापित होने तक केन्द्र सरकार के पास रहेगा।

उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत अधिसूचना में वर्णित अवधि के पूर्ण होने अथवा उससे पूर्व केन्द्र सरकार अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नई नियुक्ति के द्वारा आयोग की पुनर्स्थापना करेगा तथा इस प्रकार के प्रकरण में कोई व्यक्ति जो कि उप अनुच्छेद 2 के पैरा (अ) के अन्तर्गत अपना कार्यालय छोड़ चुका है पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।

केन्द्र सरकार उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना तथा इस अनुच्छेद के द्वारा किसी कार्यवाही की पूर्ण आख्या प्राप्त करेगी तथा इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने की परिस्थितियों तथा कृत कार्यवाही को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख शीघ्रातिशीघ्र रखेगी।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध (अनुच्छेद 57)

इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा के द्वारा किसी उपक्रम से सम्बन्धित कोई भी सूचना बिना उक्त उपक्रम की लिखित अनुमति के, अलावा इसी अधिनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के परिपालन में, प्रकट नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष, सदस्य, महानिदेशक, सचिव, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी आदि का सार्वजनिक सेवक होना (अनुच्छेद 58)

आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य तथा महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक तथा सचिव तथा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी कार्य के समय अथवा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45वॉ) के अनुच्छेद 21 के अर्थों में सार्वजनिक सेवक माने जायेंगे।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिए संरक्षण (अनुच्छेद 59)

केन्द्र सरकार अथवा आयोग अथवा केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी अथवा आयोग के अध्यक्ष, किसी सदस्य, महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक, सचिव या कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी के द्वारा इस अधिनियम तथा नियम अथवा परिनियमों के अन्तर्गत सद्भावनापूर्वक किये गये अथवा करने के लिए प्रवृत्त होने पर उनके विरुद्ध कोई वाद, अभियोग अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अधिनियम के निरस्तीकरण प्रभाव (अनुच्छेद 60)

इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी अन्य तत्समय प्रचलित कानून की सामग्री के होते हुए भी निरस्तीकरण प्रभाव प्राप्त होंगे।

नागरिक न्यायालय के परिक्षेत्र से बहिष्करण (अनुच्छेद 61)

कोई भी नागरिक न्यायालय ऐसे किसी प्रकरण पर वाद को स्वीकार अथवा कार्यवाही नहीं करेगा जिसके लिए आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण इस अधिनियम के द्वारा व इसके अन्तर्गत अधिकृत हैं तथा अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत की गई किसी कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा जारी नहीं की जायेगी।

अन्य कानूनों का प्रचालन बाधित नहीं (अनुच्छेद 62)

इस अधिनियम का प्रयोग उक्त समय में प्रचलित किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ अतिरिक्त रुप में किया जायेगा न कि किसी का अल्पीकरण करते हुए।

नियम बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 63)

केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

विशेष रुप से तथा सामान्य तथा प्रचलित शक्तियों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना इस प्रकार के नियम निम्न में से किसी अथवा सभी प्रकरणों में लागू होंगे—

1. अनुच्छेद 10 के उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत चयन समिति के कार्यकाल तथा नामों के पैनल के चयन की प्रक्रिया निर्धारित करना,
2. अनुच्छेद 10 के उप अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत पद तथा गोपनीयता की शपथ किस रुप में, किस प्रकार तथा किस प्राधिकारी के समक्ष ली जायेगी,
3. अनुच्छेद 14 के उप अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रदान किये जाने वाले वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों व प्रतिबन्धों का निर्धारण जिसमें यात्रा व्यय, मकान किराया भत्ता, यातायात सुविधा, व्यय भत्ता तथा चिकित्सा सुविधाएं जो कि अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को प्रदान की जायेंगी सम्मिलित हैं।
4. अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 1ए के अन्तर्गत महानिदेशक के कार्यालय में नियुक्त किये जाने वाले अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों अथवा ऐसे अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों की संख्या तथा ऐसे अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों अथवा ऐसे अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की ढंग,
5. अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों अथवा ऐसे अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य शर्त व प्रतिबन्ध
6. अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत महानिदेशक, अतिरिक्त, संयुक्त, उप तथा सहायक महानिदेशकों अथवा ऐसे अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की योग्यताएं
7. अनुच्छेद 17 के उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत सचिव तथा अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों को देये वेतन व भत्ते तथा सेवा की शर्तें व प्रतिबन्ध तथा ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या

8. अनुच्छेद 52 के उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत करने का ढ़ंग,
9. अनुच्छेद 53 के उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को आयोग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्याय, विवरण तथा ब्यौरों को जमा किये जाने का समय तथा प्रकार व ढ़ंग,
10. अनुच्छेद 53 के उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक विवरण का ढ़ंग तथा समय,
11. अनुच्छेद 53बी के उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुख अपील प्रस्तुत करने का ढ़ंग तथा उक्त अपील के लिए जमा किया जाने वाला शुल्क
12. अनुच्छेद 53ई के उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत चयन समिति का कार्यकाल तथा पैनल के नामों के चयन का ढ़ंग,
13. अनुच्छेद 53जी के उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन तथा भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्त व प्रतिबन्ध,
14. अनुच्छेद 53एम के उप अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्त व प्रतिबन्ध,
15. अनुच्छेद 53एन के उप अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के लिए लगाये जाने वाले शुल्क
16. अनुच्छेद 53ओ के उप अनुच्छेद 2 के पैरा 1 अन्तर्गत अन्य प्रकरण जिसके लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5वॉ) के अन्तर्गत किसी वाद के लिए शक्ति प्राप्त हैं।
17. अनुच्छेद 66 के उप अनुच्छेद 2 के पैरा चार के अन्तर्गत वह ढंग जिसके अनुसार भारतीय प्रतियोगिता आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को मूवी हस्तांतरण किया जायेगा,
18. कोई अन्य प्रकरण जिसे नियमों के अन्तर्गत किये जाने या किये जा सकने के लिए प्रावधान किया जा सकता हो।

अनुच्छेद 20 के उप अनुच्छेद 3 तथा अनुच्छेद 54 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्माण के बाद शीघ्र अति शीघ्र संसद के दोनों सदनों में कुल तीस दिन जो कि एक सत्र में पूर्ण हो अथवा दो या अधिक निरन्तर सत्रों में तथा यदि सत्र के पूर्ण होने से ठीक पूर्व आगामी सत्र अथवा यथोक्त निरन्तर सत्रों में यदि दोनों सदन अधिसूचना अथवा नियम में किसी परिवर्तन पर सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि संशोधन नहीं किया जाना चाहिए अथवा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो अधिसूचना अथवा नियम पूर्व के इस अधिसूचना अथवा नियमों कार्यों बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा केवल संशोधित रुप में प्रभावी होगा अथवा

प्रभावी नहीं होगा (जैसी भी स्थिति हो), इसप्रकार कोई भी संशोधन अथवा नियम बिना पूर्व अधिसूचना या नियम की वैधता के प्रति पूर्वाग्रह के लागू की जायेगी।

विनियम बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 64)

आयोग अधिसूचना जारी करके अधिनियम के अनुरुप विनियम तैयार कर सकता है तथा अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियम बना सकता है। विशेषतः तथा बिना किसी पूर्व प्रचलित प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के ये प्रावधान निम्न प्रकरणों अथवा उनमें से किसी के लिए बनाये जा सकते हैं–

1. उत्पादन की लागत जो कि अनुच्छेद 4 की व्याख्या के पैरा बी के आधार पर परिगणित की जाये,
2. सूचना का प्रकार तथा शुल्क की दर वैसी होगी जैसी कि अनुच्छेद 6 उप अनुच्छेद 2 के अनुसार तय की जाये,
3. अनुच्छेद 6 के उप अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अभिग्रहण दाखिल करने का ढंग,
4. अनुच्छेद 17 के उप अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत विशेषज्ञों तथा पेशेवरों की सेवा लेने की प्रक्रिया,
5. अनुच्छेद 19 के उप अनुच्छेद 1 के पैरा ए अन्तर्गत निर्धारित किया जाने वाला शुल्क,
6. अनुच्छेद 22 के उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत आयोग की बैठकों के कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी नियम,
7. अनुच्छेद 39 के उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत दण्ड की वसूली करने का ढंग,
8. कोई अन्य प्रकरण जिसके लिए कोई प्रावधान किया जाना है अथवा किया जा सकता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित कोई भी अधिनियम निर्माण के बाद शीघ्र अति शीघ्र संसद के दोनों सदनों में कुल तीस दिन जो कि एक सत्र में पूर्ण हो अथवा दो या अधिक निरन्तर सत्रों में तथा यदि सत्र के पूर्ण होने से ठीक पूर्व आगामी सत्र अथवा यथोक्त निरन्तर सत्रों में यदि दोनों सदन अधिसूचना अथवा नियम में किसी परिवर्तन पर सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि संशोधन नहीं किया जाना चाहिए अथवा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो अधिसूचना अथवा नियम पूर्व के इस अधिसूचना अथवा नियमों कार्यों बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा केवल संशोधित रुप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावी नहीं होगा (जैसी भी स्थिति हो), इसप्रकार कोई भी संशोधन अथवा नियम बिना पूर्व अधिसूचना या नियम की वैधता के प्रति पूर्वाग्रह के लागू की जायेगी।

बाधाओं को दूर करने की शक्ति (अनुच्छेद 65)

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्र सरकार सरकारी गजट में आदेश का प्रकाशन करके ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न होते हुए कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक माने जायें।

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया जा सकता।

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्गत प्रत्येक आदेश को शीघ्रातिशीघ्र सदन के प्रत्येक सदन के सम्मुख रखा जायेगा।

निरसन एवं बचत (अनुच्छेद 66)

एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54वॉं) को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है तथा उक्त अधिनियम (जिसे आगे रद्द अधिनियम कहा गया है) के अनुच्छेद 5 के उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत गठित एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यवहार आयोग को विघटित किया जाता हैः

प्रावधानित है कि इस उप अनुच्छेद में धारित किसी अन्य विवरण से अलग एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग जो कि रद्द अधिनियम के अनुच्छेद 5 व उप अनुच्छेद 1 के प्रावधान यह अधिनियम लागू होने के दो वर्ष बाद तक अपने कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों को उन प्रकरणों तथा कार्यवाहियों के लिए धारित करेगा जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व (इसके द्वारा प्राप्त शिकायतों अथवा इसे प्रस्तुत संदर्भ तथा आवेदनों सहित) ऐसे प्राप्त की गई हों जैसे कि एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (1969 का 54वॉं) को रद्द न किया गया होता तथा रद्द किये गये कथित अधिनियम के समस्त प्रावधान समस्त संशोधनों के साथ इन प्रकरणों, कार्यवाहियों, शिकायतों, संदर्भों अथवा आवेदनों तथा अन्य सभी प्रकरणों पर लागू हैं।

तथापि, एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54वॉं) का रद्दीकरण प्रभावित नहीं करेगा—

(अ) उक्त रद्द किये गये अधिनियम के समस्त कार्य जो कि विधिवत किये अथवा सहन किये गये हैं, अथवा

(ब) उक्त रद्द किये गये अधिनियम के द्वारा धारित, अर्जित अथवा लिए गये समस्त अधिकार, विशेषाधिकार, प्रभार अथवा दायित्व, अथवा

(स) उक्त रद्द किये गये अधिनियम के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई दण्ड, जब्ती अथवा सजा, अथवा

(द) उपरोक्त कथित किसी अधिकार, विशेषाधिकार, प्रभार, दायित्व, दण्ड, रोक अथवा सजा से सम्बन्धित कोई कार्यवाही अथवा निदान तथा ऐसी कार्यवाही या निदान प्रारम्भ करना, जारी रखना या लागू करना तथा ऐसा कोई दण्ड, रोक या सजा को लगाना या देना जैसे कि अधिनियम रद्द न किया गया हो।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के विघटन पर वह व्यक्ति जो एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हो तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो सदस्य, जॉच व पंजीकरण का महानिदेशक, जॉच व पंजीकरण का अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक तथा उक्त आयोग का कोई अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हो तथा उक्त विघटन से तुरन्त पूर्व कार्यरत हो, अपना पद तुरन्त प्रभाव से छोड़ देगा तथा ऐसे अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य कार्यकाल के समयपूर्व समापन अथवा किसी सेवा के अनुबन्ध के लिए अधिकतम तीन माह के वेतन व भत्तों के लिए दावा करने के अधिकारी होंगे।

प्रावधानित है कि जॉच व पंजीकरण का महानिदेशक, जॉच व पंजीकरण का अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक अथवा कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी जो एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के विघटन से तुरन्त पूर्व एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, उक्त विघटन के फलस्वरुप अपने पैतृक संवर्ग में मन्त्रालय अथवा विभाग, जैसा भी हो, को वापस भेजा जायेगा।

यह भी प्रावधानित है कि जॉच व पंजीकरण का महानिदेशक, जॉच व पंजीकरण का अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक अथवा कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी जो एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के विघटन से तुरन्त पूर्व एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग में नियमित नियुक्ति के द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग रखा गया हो, वह उक्त विघटन के बाद भारतीय प्रतियोगिता आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण में अधिकारी या कर्मचारी के रुप में समान अधिकार व विशेषाधिकारों यथा– पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य प्रकरण उन्हें देय होंगे जैसे कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग हस्तांतरण न किया गया हो तथा इस प्रकार रखे जायेंगे जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाये तथा भारतीय प्रतियोगिता आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण में, जैसी भी स्थिति हो, तब तक कार्य करता रहेगा जब तक उसकी सेवाऐं समाप्त नहीं हो जाती हैं अथवा जब तक भारतीय प्रतियोगिता अधिनियम अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उसके मानदेय, रोजगार की शर्तें व प्रतिबन्धों में बदलाव नहीं किया जाता है। यह भी प्रावधानित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14वॉ) अथवा तत्समय प्रचलित किसी कानून के किसी प्रावधान के उपरान्त भी एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग में कार्यरत कोई जॉच व पंजीकरण का महानिदेशक, जॉच व पंजीकरण का अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक अथवा कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी की सेवाओं का अन्तरण भारतीय प्रतियोगिता आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, में होने पर जॉच व पंजीकरण का महानिदेशक, जॉच व पंजीकरण का अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक अथवा कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा तथा ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यह भी प्रावधानित है कि जहॉ एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग में नियुक्त जॉच व पंजीकरण के महानिदेशक, जॉच व पंजीकरण के अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक अथवा कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के लिए एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग द्वारा जॉच व पंजीकरण के महानिदेशक, जॉच व पंजीकरण का अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक अथवा कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के हित के लिए भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति, कल्याण अथवा अन्य कोष की स्थापना की गई है तो उन

अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवाएं इस अधिनियम के अन्तर्गत तथा इसके द्वारा भारतीय प्रतियोगिता आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण में स्थानांन्तरण किया गया है, इनके अवशेष कोषों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के विघटन पर भारतीय प्रतियोगिता आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण में भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति, कल्याण अथवा अन्य कोष को अन्तरित कर दिया जायेगा तथा उक्त कोषों को आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उचित प्रकार से प्रयोग किया जायेगा।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के पास एकाधिकार व्यापार व्यवहार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार से सम्बन्धित समस्त लम्बित प्रकरणों (उन प्रकरणों सहित जिनमें अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप हो) को दो वर्ष की अवधि जो कि उप अनुच्छेद (1) द्वारा प्रदान की गई है, को अपीलीय न्यायाधिकरण को अन्तरित कर दिया जायेगा तथा उन पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रद्द अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर उसी प्रकार निर्णय लिया जायेगा जैसे कि उसे रद्द ही न किया गया हो।

उप अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अधीन अनुचित व्यापार व्यवहारों से सम्बन्धित एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के समक्ष उप अनुच्छेद(1) के प्रावधानों द्वारा संदर्भित दो वर्ष की अवधि से पूर्व अथवा समाप्त होने तक के लम्बित समस्त प्रकरण, एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (1969 का 54वॉ) के अनुच्छेद 36ए के उप अनुच्छेद 1के पैरा (x) में संदर्भित प्रकरणों के अतिरिक्त, को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 68वॉ) के अधीन एक राष्ट्रीय आयोग को अन्तरित कर दिया जायेगा तथा राष्ट्रीय आयोग इस प्रकरणों का निस्तारण इस प्रकार करेगा जैसे कि वह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किये गये हों।

प्रावधानित है कि राष्ट्रीय आयोग, यदि उचित समझे, इस उप अनुच्छेद के अन्तर्गत इसे सौंपे गये किसी प्रकरण को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 68वॉ) के अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग को स्थानान्तरित कर सकता है तथा राज्य आयोग इसे ऐसे ही निस्तारित करेंगे जैसे कि इन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ही दर्ज किया गया हो।

एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के अनुच्छेद 36ए के उप अनुच्छेद 1 के पैरा (x) में संदर्भित अनुचित व्यापार व्यवहारों के समस्त प्रकरण तथा एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के समक्ष लम्बित प्रकरणों को उप अनुच्छेद 1 के प्रावधानों में संदर्भित दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अपीलीय न्यायाधिकरण को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे तथा अपीलीय न्यायाधिकरण इनका निस्तारण उसी प्रकार करेंगे जैसे उन्हें उस अधिनियम के अन्तर्गत ही दर्ज किया गया हो।

जॉच तथा पंजीकरण के महा निदेशक के सम्मुख इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त तिथि तक लम्बित समस्त जॉच तथा कार्यवाहियॉ, अनुचित व्यापार व्यवहार से सम्बन्धित को छोड़कर, भारतीय प्रतियोगिता आयोग को इसके प्रारम्भ होने

के साथ ही हस्तांतरित हो जायेंगे तथा भारतीय प्रतियोगिता आयोग इन प्रकरणों में ऐसी जॉच तथा कार्यवाही संचालित कर सकती है अथवा उस ढंग से जॉच या कार्यवाही करने के लिए आदेशित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

अनुचित व्यापार व्यवहार से सम्बन्धित समस्त जॉच अथवा कार्यवाही, एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (1969 का 54वॉ) के अनुच्छेद 36ए के उप अनुच्छेद 1 के पैरा (x) में संदर्भित मामलों के अतिरिक्त, तथा जॉच व पंजीकरण के महानिदेशक के पास इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर या इससे पूर्व को राष्ट्रीय आयोग, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 68वॉ) के अन्तर्गत गठित किया गया है, को अन्तरित कर दिया जायेगा तथा राष्ट्रीय आयोग इन प्रकरणों में ऐसी जॉच तथा कार्यवाही संचालित कर सकता है अथवा उस ढंग से जॉच या कार्यवाही करने के लिए आदेशित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (1969 का 54वॉ) के अनुच्छेद 36ए के उप अनुच्छेद 1 के पैरा (x) में संदर्भित अनुचित व्यापार व्यवहार से सम्बन्धित समस्त जॉच अथवा कार्यवाही तथा जॉच व पंजीकरण के महानिदेशक के पास इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर या इससे पूर्व लम्बित जॉच व कार्यवाही को भारतीय प्रतियोगिता आयोग को हस्तांतरित कर दिया जायेगा तथा भारतीय प्रतियोगिता आयोग इन प्रकरणों में ऐसी जॉच तथा कार्यवाही संचालित कर सकता है अथवा उस ढंग से जॉच या कार्यवाही करने के लिए आदेशित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

अनुच्छेद 3 से 8 तक में सुरक्षित अन्यथा प्रावधानित, एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के सम्मुख लम्बित समस्त प्रकरण या कार्यवाही समाप्त हो जायेंगी।

अनुच्छेद 3 से 8 तक संदर्भित विशिष्ट प्रकरणों के उल्लेख अथवा सामान्य परिच्छेद अधिनियम 1897 (1897 का 10वॉ) के अनुच्छेद 6 के सामान्य उपयोग रद्दीकरण के प्रभाव के संदर्भ में पूर्वाग्रहयुक्त नहीं होंगे

12.4 सारांश

प्रतियोगिता अधिनियम आयोग के आदेशों के उल्लंघन पर कठोर दण्ड का प्रावधान करता है। आयोग अपने आदेशों तथा अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिये गये निर्देशों के परिपालन के लिए जॉच बैठा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के आयोग द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 27, 28, 31, 32, 33, 42ए तथा 43ए के अन्तर्गत प्रदत्त आदेश या निर्देश में असफल होता है तो वह अनुपालन न होने की अवधि के लिए रु0 एक लाख प्रतिदिन तथा अधिकतम दस करोड़ रुपये तक, जैसा भी आयोग निर्धारित करे, का दण्ड आरोपित कर सकती है। केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के अथवा इसके किसी प्रावधान के किसी निश्चित समय के लिए, जैसा अधिसूचना में निर्धारित किया जाये, परिपालन से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आयोग अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी उपक्रम के सम्बन्ध में प्राप्त

की गई किसी सूचना को उस उपक्रम की लिखित अनुमति के बिना, इस अधिनियम अथवा किसी अन्य तत्समय प्रचलित कानून के पालन के अतिरिक्त, उद्घाटित नहीं किया जायेगा।

12.5 शब्दावली

व्यवहारः इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यवहार सम्मिलित होता है जो किसी व्यक्ति या उपक्रम द्वारा व्यापार के संचालन में लिए किया जाता है।

अपीलीय न्यायाधिकरणः इसका आशय प्रतियोगिता अपीलीय न्यायाधिकरण से है जिसे अनुच्छेद 53ए के उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत स्थापित किया जाये।

आयोगः आयोग से आशय भारतीय प्रतियोगिता आयोग है जिसे अनुच्छेद 7 के उप अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत स्थापित किया जाये।

व्यापारः इसका आशय किसी प्रकार की सेवा के प्रावधान सहित उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, संग्रहण अथवा वस्तुओं पर नियन्त्रण से सम्बन्धित व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, पेशे अथवा आजीविका से है।

12.6 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए

1. .... के द्वारा उस व्यक्ति के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान होता है जिसे किसी उपक्रम द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन न करने अथवा उल्लंघन करने के कारण कोई क्षति हुई हो।
2. अनुच्छेद 47 के अन्तर्गत प्राप्त समस्त दण्डों से प्राप्त राशि को .... में जमा किया जाता है।
3. आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी अधिनियम के किसी प्रावधान के अनुसार कार्य करते अथवा उसे लागू समय .... के अनुच्छेद 21 के अनुसार जनसेवक माने जायेंगे।
4. इस अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आने पर केन्द्र सरकार .... में प्रकाशित आदेश के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से भिन्नता न रखते हुए ऐसे प्रावधान बना सकती है जो वह कठिनाई के निवारण के लिए आवश्यक समझे।

12.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) 1. अनुच्छेद 42ए, 2. भारतीय समेकित निधि, 3. भारतीय दण्ड विधान, 4. सरकारी गजट

12.8 स्वपरख प्रश्न

1. उस व्यक्ति के लिए क्या प्रावधान हैं जो प्रतियोगिता आयोग के आदेशों की अवहेलना करता है?
2. निम्न के लिए निर्धारित दण्ड बताइएः

(अ) महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में असत्य कथन प्रस्तुत करना अथवा चूक करना, (ब) सूचना प्रस्तुत करने सम्बन्धी अपराध, (स) आयोग अथवा महानिदेशक के आदेशों का पालन करने में असफल रहना।

3. क्या कोई व्यक्ति आयोग के किसी निर्णय अथवा आदेश से असन्तुष्ट होने की दशा में अपील योजित कर सकता है? यदि हॉ, तो किसके विरुद्ध?
4. केन्द्र सरकार की प्रतियोगिता अधिनियम के अन्तर्गत सामान्यतः तथा विशिष्ट प्रकरणों (अ) मुक्त करने, (ब) निर्देश जारी करने, (स) नियम बनाने, (द) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से सम्बन्धित कठिनाइयॉ दूर करने, के सम्बन्ध में क्या शक्तियॉ हैं?
5. (अ) आन्तरिक सहायता देने, (ब) अपनी स्वयं की प्रणाली लागू करने, (स) अपने निर्णयों के पुनरावलोकन, (द) अपने आदेशों को सुधारने के सम्बन्ध में आयोग की शक्तियॉ बताइए।

12.9 संदर्भ पुस्तकें

1. Raviner Kumar, Legal Aspects of Business
2. PPS Gogna, Mercantile Law
3. N.D.Kapoor, Elements of Mercantile Law,
4. M C Kuchhal, Mercantile Law including Company Law
5. B S Moshal, Mercantile Law
6. GK Kapoor, Business Law

****

इकाई 13 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 कार्य, शक्तियां एवं अधिकार

इकाई की रुपरेखा

13.1 प्रस्तावना
13.2 सेबी से आशय एवं उद्देश्य
13.3 सेबी का संगठन एवं प्रबन्ध
13.4 सेबी के कार्य
13.5 सेबी की भूमिका
13.5.1 प्राथमिक बाजार
13.5.2 द्वितीयक बाजार
13.5.3 द्वितीयक बाजार में सुधार
13.5.4 भेदिया व्यापार
13.5.5 निगमीय देय/ऋण प्रतिभूति सम्बन्धी नियमावली
13.6 सेबी के अधिकार एवं शक्तियां
13.7 स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंश हस्तान्तरण अभिकर्ता आदि का पंजीकरण
13.8 म्युचुअल फंड एवं सेबी
13.9 सेबी की आलोचनात्मक समीक्षा
13.10 सारांश
13.11 शब्दावली
13.12 बोध प्रश्न
13.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
13.14 स्वपरख प्रश्न
13.15 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- भारतीय विनिमय प्रतिभूति अधिनियम 1992 का प्रबन्ध संगठन एवं उद्देश्य की व्याख्या कर सकें।
- प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में सेबी की भूमिका की व्याख्या कर सकें।
- सेबी के कार्य एवं अधिकार का वर्णन कर सकें।
- भेदिया बाजार एवं म्युचुअल फण्ड के संगठन एवं नियन्त्रण में सेबी की भूमिका की व्याख्या कर सकें।
- सेबी का समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकें।

13.1 प्रस्तावना

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन् 1988 में एक प्रस्ताव द्वारा की गयी और बाद में सन् 1992 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 30 जनवरी 1992 को पारित किया गया तथा इसको

परिमार्जित करके एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसके अनुसार सरकारी नियन्त्रण के स्थान पर इसकी स्थिति वैधानिक एवं स्वायत्व नियमन बोर्ड के रूप में की गयी जिसमें इसके पृथक अधिकार एवं दायित्व बाजार को विकसित एवं नियन्त्रित करने के लिए स्पष्ट किये गये। यह विडम्बना ही है कि प्रतिभूति घोटाले 1990–1991 पर इसको एक सकारात्मक प्रतिक्रिया कहा गया। सेबी के अस्तित्व में आने से पूर्व पूंजी निर्गमन नियन्त्रक इस सम्बन्ध में विधिक रूप से अधिकृत थे जो पूंजी निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 द्वारा आच्छादित थे। प्रारम्भ में सेबी का गठन एक गैर वैधानिक एवं अधिकार विहीन संस्था के रूप में किया गया था परन्तु सन् 1995 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड नियम 1992 में सुधार करते हुए भारत सरकार द्वारा इसे अतिरिक्त वैधानिक अधिकार देने का निर्णय लिया गया और 1 अप्रैल सन् 1998 को भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव के आधीन सेबी की स्थापना भारतीय पूंजी बाजार के नियन्त्रक के रूप में स्थापित हुई।

सेबी ने विनिमय एवं प्रतिभूति बाजार के लिये विस्तृत नियन्त्रण विधियां, पंजीकरण हेतु नियमावली, निर्धारित अहर्ताएं, दायित्व निर्धारण, विभिन्न सहायक संस्थाओं के लिए नियमावली जैसे निर्गमन बैंक, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर्स एवं सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार, पोर्टफोलियो मैनेजर, क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी, अभिगोपक आदि पर नियन्त्रण के लिए विस्तृत नियमावली जारी की। सेबी ने नियमों उप नियमों का निर्माण किया तथा प्रतिभूति विनिमय समाशोधन गृह के सम्बन्ध में जोखिम एवं जोखिम प्रबन्ध विधियों को परिभाषित करते हुए निर्देश जारी किये जिससे प्रतिभूति विनिमय लेनदेन विनियोगकर्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं पारदर्शी हो सके।

13.2 सेबी से आशय एवं उद्देश्य

सेबी भारतीय विनियोग बाजार में एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य बाजार में नियमावली लागू करके स्थिर एवं प्रभावशाली स्वरूप प्रदान करना है। सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार में नियामक एवं नियन्त्रक के रूप में कार्य करता है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के रूप में किया गया।

सेबी प्रारम्भ से ही अत्यन्त निपुणता एवं सफलता से अपने निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में लगा हुआ है। सेबी के लागू होने के पश्चात विनिमय बाजार में पूंजीकरण आवश्यकता, विलय, समाशोधन निगमों की स्थापना आदि के सम्बन्ध में जोखिम कम हुए हैं और विनियोजक सुरक्षित हुए हैं। सेबी अधिनियम के प्रस्तावना के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. प्रतिभूतियों में विनियोग रूचि रखने वाले विनियोजक की सुरक्षा।
2. प्रतिभूति बाजार का विकास एवं उन्नयन।
3. प्रतिभूति बाजार पर नियन्त्रण।
4. सम्बन्धित अन्य सभी घटनाओं एवं तथ्यों पर नियन्त्रण।
5. सेबी के लिए बनाये गये विभिन्न नियमों एवं उपनियमों के बाद सन् 2000 में सेबी को व्यापार एवं प्रतिभूति निर्देशांक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया

गया। (जैसे–S&P, CNX, Nifhty & Sensex)। इस सम्बन्ध में व्यापार निर्देशांक निम्न कारणों से प्रभावशाली एवं सुविधाजनक माना जा सकता है :–

- यह व्यापार व्यवहार के मापक के रूप में कार्य करता है।
- यह पोर्टफोलियो क्रियाशीलता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- इसे भविष्य एवं विकल्प के लिए एवं महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
- इसका प्रयोग निष्क्रिय कोष प्रबन्ध के लिए निर्देशित कोष के रूप में किया जा सकता है।

13.3 सेबी का संगठन एवं प्रबन्ध

सेबी द्वारा प्रबन्ध 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है, दो सदस्य केन्द्रीय मन्त्रालय से होते हैं, एक सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया तथा शेष दो सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। सेबी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का चुनाव करते समय केन्द्र सरकार द्वारा दृष्टिगत रखा जाता है कि वह योग्य एवं क्षमतावान हो उन्हें प्रतिभूति बाजार एवं उसकी समस्याओं का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। इसके अतिरिक्त उन्हें वित्त अर्थशास्त्र लेखांकन प्रशासन एवं अधिनियमों का भी पर्याप्त ज्ञान हो। जिससे वह अपनी भूमिका कुशलता, दक्षता एवं प्रभावपूर्ण तरीके से निभा सके। सेबी का प्रधान कार्यालय मुम्बई में स्थित है जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता, दिल्ली एवं चेन्नई में स्थित है।

सेबी का संगठन :–

सेबी का संगठन इस प्रकार से किया गया है कि वह प्रत्येक रूप में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। सेबी अपने उद्देश्यों को सरल एवं प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सके। इसके लिए इसको निम्न विभागों में बांटा गया है –

1. **प्राथमिक विभाग –**
   यह प्राथमिक बाजार सहायक एवं स्वयं नियमित संस्थाओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करता है तथा विनियोग कर्ता के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं।
2. **निर्गमन प्रबन्ध एवं सहायक विभाग –**
   यह विभाग सहायक एवं प्रतिभूति के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले प्रपत्रों के पंजीकरण, नियमन एवं निगरानी का कार्य करता है।
3. **द्वितीयक बाजार विभाग –**
   यह विभाग ब्रोकरों के पंजीकरण, भेदिया व्यापार आदि के सम्बन्ध में प्रतिभूति विनिमय सम्बन्धी प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है तथा मूल्यों एवं बाजार पर निगरानी रख उनको नियन्त्रित करने का प्रयास करता है।
4. **संस्थागत विनियोग –**
   इसके अन्तर्गत म्युचुअल फण्ड विदेशी संस्था का विनियोग विलय एवं अधिग्रहण आदि क्रिया कलापों को नियमित एवं नियन्त्रित करता है।

13.4 सेबी के कार्य

सेबी के विभिन्न प्रमुख कार्यों को निम्न प्रकार से बताया जा सकता है –

- प्रतिभूति विनिमय बाजार एवं अन्य प्रतिभूति सम्न्धी बाजारों का विनियमन।
- स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंश हस्तांतरण एजेन्ट, निर्गमन बैंक, ट्रस्ट समझौतों के ट्रस्टी, निर्गमन सम्बन्धी रजिस्ट्रार, मर्चेन्ट बैंकर, अभिगोपक, पोर्टफोलियो, मैनेजर, विनियोग सलाहकार एवं अन्य सम्बन्धित सहायक जो कि किसी प्रकार प्रतिभूति बाजार से जुड़े हुए हैं, के पंजीकरण एवं उनकी कार्यप्रणाली के नियमन की व्यवस्था करना।
- विनियोग एवं जमा प्रतिभागियों, प्रतिभूति संरक्षक, विदेशी संस्थागत विनियोजक, क्रेडिट रेटिंग संस्थायें एवं सभी सहायक संस्थाओं जैसे कोई बोर्ड या इस रूप में अधिकृत की गयी है, के पंजीकरण एवं उनकी कार्यप्रणाली के विनियमन की व्यवस्था करना।
- उद्यम पूंजी विनियोग एवं सामूहिक विनियोग योजनाओं (म्युचुअल फण्ड) सहित आदि के पंजीकरण की व्यवस्था करना एवं उनकी कार्य प्रणाली का विनिमयन करना।
- स्वः नियमित संस्थानों का उन्नयन विकास एवं विनियमन।
- धोखाधड़ी, जालसाजी एवं अनुचित, व्यापार व्यवहारों जो कि प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित हों पर रोकथाम करना।
- प्रतिभूति बाजार में संलग्न विनियोजकों एवं सहायकों के लिए सम्बन्धित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- प्रतिभूति बाजार के सम्बन्ध में भेदिया व्यापार को प्रतिबन्धित करना।
- अंशों के सारभूत क्रय एवं कम्पनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना।
- प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित प्रतिभूति विनिमय म्युचुअल फण्ड, प्रतिभूति बाजार सहायक एवं विनियमित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में निरन्तर सूचना प्राप्त करना, उनका निरीक्षण सम्पादित करना एवं आवश्यकता अनुसार उनका अंकेक्षण करना।
- प्रतिभूति अनुबन्ध विनियमन अधिनियम 1956 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तान्तरित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त सभी क्रियाओं को निष्पादित करना।
- इस धारा से सम्बन्धित लेवी शुल्क तथा अन्य शुल्क प्राप्त करना।
- उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शोध कार्य निष्पादित करना।
- अधिनियम के अनुसार प्रतिभूति बाजार सम्बन्धित अन्य किसी भी आवश्यक क्रिया को निष्पादित करना।

13.5 सेबी की भूमिका

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की भूमिका का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित हैः –

13.5.1 प्राथमिक बाजार :–

जिस बाजार में विनिमय के उद्देश्य से नयी प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है वह प्राथमिक बाजार कहलाता है। निगमीय संस्थायें, सरकार अथवा अन्य संगठन अपने कोषों को जुटाने के लिए ऋण एवं समता आधारित प्रतिभूतियों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न अभिगोपक समूह जिनमें विनियोग बैंक सम्मिलित होते हैं। प्राथमिक बाजार में अभिकर्ता के रूप में क्रियाशील रहते हैं। यह प्रस्तावित प्रतिभूति के लिए प्रारम्भिक मूल्य दर का निर्धारण करते हैं और विनियोजकों को इनके सीधे विक्रय की व्यवस्था करते हैं।

प्राथमिक बाजार में कार्यरत विनियोगकर्ता की हित रक्षा एवं लघु एवं छोटे विनियोजकों को प्रतिभूति बाजार की ओर आकृष्ट करने के लिए सेबी द्वारा विभिन्न प्रयत्न एवं उपाय किये जाते हैं। नीति एवं सिद्धान्त विहीन प्रवर्तकों से विनियोग कर्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सेबी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रवेशित एवं घोषित नियमों के सम्बन्ध में कठोर नियमावली लागू की गयी हे। अंशों के आवंटन एवं प्रवर्तकों के अंशदान को नियमित एवं नियन्त्रित किया गया है।

1. **प्रवेश नियम** –

पूंजी बाजार में विभिन्न कम्पनियों के प्रवेश के सम्बन्ध में सेबी द्वारा सुधार के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

अ– किसी भी कम्पनी को नवीन निर्गमन से पूर्व पिछले तीन वर्षों का लाभांश भुगतान का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है।

ब– यदि किसी कम्पनी के अंश पूंजी बाजार में पहले से ही सूचीकृत है तो उसे प्रवेशित नियमावली की आवश्यकताओं को तभी पूर्ण करना होगा जबकि उसकी बाद की अंश निर्गमन का शुद्ध मूल्य उसके पूर्व में निर्गमित अंशों के शुद्ध मूल्य से पांच गुना हो।

स– यदि एक निर्माता कम्पनी पिछले तीन वर्षों का लाभांश का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करती है अथवा यह ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तो वह केवल उसी स्थिति में पूंजी बाजार में सार्वजनिक निर्गमन कर सकती है जबकि उसकी इस परियोजना का मूल्यांकन किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया गया हो तथा परियोजना निवेश में उसकी भी भागीदारी हो।

द– यदि कोई निगमीय संस्था सार्वजनिक निर्गमन करना चाहती है तो उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से किये गये निर्गमन के सम्बन्ध में प्रति एक लाख रूपये की विशुद्ध पूंजी के प्रति कम से कम पांच सार्वजनिक अंशधारियों का होना आवश्यक है।

य– जो कम्पनियों अपनी लाभांश घोषणा के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा प्रस्तुत कर देती है या वो संस्थायें जो कि OTCEI के अन्तर्गत सूचीकृत हैं, के सम्बन्ध में सेबी निर्गमन के सम्बन्ध में आमन्त्रण प्रपत्रों की जांच नहीं करता है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी स्थिति में इन कम्पनियों के पिछले दो वर्षों के

लाभ के लेखे जोखे से सम्बद्ध बैंक को सन्तुष्ट करना अनिवार्य होता है।

2. **प्रवर्तकों का अंशदान** –

प्रवर्तकों के अंशदान से तात्पर्य प्रविवरण में उल्लिखित संचालकों, मित्रों, सम्बन्धियों अथवा अन्य सम्बद्ध से है।

अ– प्रवर्तकों का अंशदान कुल निर्गमित पूंजी के बीस प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये चाहे निर्गमन आकार कितना भी हो।

ब– प्रवर्तकों को अपना सम्पूर्ण अंशदान सार्वजनिक निर्गमन से पूर्व प्राप्त कराना होगा। इसके अतिरिक्त यदि निर्गमन की राशि 100 करोड़ रूपये से अधिक है तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तकों का अपने निर्धारित अंशदान का 50% सार्वजनिक निर्गमन के पूर्व करना होगा जबकि अंशों से याचना से पूर्व उन्हें अपने निर्धारित अंशदान की शेष राशि का भुगतान करना होगा।

स– सेबी द्वारा यह स्थापित किया गया कि पूर्वाधिकार एवं सार्वजनिक निर्गमन के सम्बन्ध में कुल निर्गमन का 20% प्रवर्तकों को 5 वर्ष तक अनिवार्य रूप से रखना होगा परन्तु यह प्रतिबन्ध सूचीकृत कम्पनियों के गत 3 वर्षों के लाभांशों का अभिलेख प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों पर लागू नहीं होगा।

द– सेबी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यदि सार्वजनिक निर्गमन गैर अभिगोपित है तो ऐसी दशा में प्रवर्तक अपने स्रोतों से अथवा बाह्य स्रोतों से 60 दिन के अन्दर अंशदान एकत्र कर सकते हैं बशर्ते कि आमन्त्रण अभिलेखों में इसका स्पष्ट उल्लेख हों।

3. **प्रकटीकरण** –

कम्पनी का लिखित प्रविवरण जो कि सेबी को प्रस्तुत किया जाता है एक पारदर्शी सार्वजनिक अभिलेख है। यह लिखित अभिलेख प्रारूप पारदर्शी एवं कम्पनी की सारी सूचनायें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त विनियोग से जुड़ी भविष्य की सम्भावनाओं एवं विनियोग से जुड़े जोखिम को भी स्पष्ट करेगा।

4. **बुक बिल्डिंग** –

सेबी द्वारा किसी भी सार्वजनिक निर्गमन के लिए बुक बिल्डिंग को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रविवरण के माध्यम से निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में शत प्रतिशत बुक बिल्डिंग के लिए सेबी द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये। इसके माध्यम से एक द्वितीय स्तरीय अभिगोपन व्यवस्था दी गयी है जिसमें बुक रनर के रूप में मर्चेन्ट बैंक सम्मिलित होता है और किसी भी अन्य परिस्थिति में अभिगोपन दायित्व को स्वीकार करता है। सेबी द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि कम से कम 30 बुक बिल्डिंग केन्द्र बनाये जाने चाहिए जहां पर संस्था के सदस्य प्रत्येक केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।

5. अंशों का आबन्टन –

छोटे विनियोजकों को प्राथमिक बाजार की ओर आकृष्ट करने के लिए सेबी ने न्यूनतम अंशों के आवेदन की संख्या 500 से घटाकर 200 कर दी है। आनुपातिक आवन्टन भी किया जाता है। छोटे नियोजकों के लिये 50% के आरक्षण की आवश्यकता भी है वो विनियोजक जो 1000 या उससे कम अंशों या प्रतिभूति के लिए आवेदन करना चाहते हैं छोटे विनियोजक माने जाते हैं। किसी भी कम्पनी को अपना सार्वजनिक निर्गमन बन्द होने के 30 दिन के अन्दर आवन्टन प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। यदि कोई कम्पनी निर्धारित अवधि में अंश आवेदन राशि की वापसी सुनिश्चित नहीं करती तो उसको इस राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज राशि का भुगतान करना होगा।

6. बाजार मध्यस्थ –

प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थों की भूमिका को सीमित एवं नियमित करने के लिए प्रथम एवं प्रमुख रूप से सेबी ने मर्चेन्ट बैंकों को अधिकृत कर लाइसेंस प्रदान किया। मर्चेन्ट बैंकों को यह लाइसेंस उनकी पूंजीकरण क्षमता तथा पूंजी बाजार सम्बन्धी प्रक्रियाओं में उनके गत रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य मध्यस्थों जैसे अभिगोपकों, रजिस्ट्रार, हस्तान्तरण एजेन्ट आदि को लाइसेंस दिया जा सकता है। सेबी को यह अधिकार रहेगा कि वह इन मध्यस्थों के अभिलेखों का आवश्यकतानुसार निरीक्षण करें।

13.5.2 द्वितीयक बाजार :–

प्राथमिक बाजार एवं मूल रूप से निर्गमन के पश्चात अथवा प्रतिभूति बाजार में सूचीकृत होने के पश्चात जब वह दोबारा लेन देन के लिए प्रतिभूतियां प्रस्तुत होती है तो उसे द्वितीयक बाजार कहा जाता है। द्वितीयक बाजार में समता एवं अन्य ऋण प्रतिभूतियों का लेन देन होता है और यह बाजार लेन देन का प्रमुख केन्द्र है।

सामान्य विनियोगकर्ता की दृष्टि से द्वितीयक बाजार प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए एक प्रभावशाली स्थान है। कम्पनियों के प्रबन्ध की दृष्टि से द्वितीयक समता बाजार की प्रक्रिया को नियन्त्रित एवं देखभाल की दृष्टि से प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि गतिविधियों को नियन्त्रित किया जाता है तथा अनुबन्धी लाभ सम्बनधी प्रबन्ध अनुबन्ध का लागू करने हेतु समस्त सूचनाओं को एकत्र एवं समेकित कया जाता है जिससे कम्पनी के प्रबन्ध निर्णयों को दिशा निर्देश प्राप्त हो सके।

<u>द्वितीयक बाजार में क्या वित्तीय उत्पादन प्रस्तुत हो सकता है ?</u>

वित्तीय बाजार निम्न वित्तीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों के सम्बन्ध में व्यवहार करता है।

- <u>समता अंश –</u>

  एक समता अंश से आशय सामान्यतया साधारण अंशों से होता है तथा वह अंशधारी के रूप में आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। आंशिक स्वामी के रूप में इसका संस्था के उद्यम के सम्बन्ध में अधिकतम

जोखिम रहता है। इन अंशों को धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य कहे जाते हैं और मतदान का अधिकार रखते हैं।

- **अधिकार अंश –**

  कम्पनी के वर्तमान अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन अधिकार निर्गमन और उनके द्वारा इस प्रकार लिये गये अंश अधिकार अंश कहलाते हैं।

- **बोनस अंश –**

  कम्पनी द्वारा अपने गत वर्षों के अर्जित लाभ में से बनाये गये संचयों का पूंजीकरण करने के उद्देश्य से कम्पनी के वर्तमान अंशधारियों को उनके धारित अंशों के अनुपात में निःशुल्क अंश प्रदान किये जाते हैं तो उन्हें बोनस अंश कहते हैं।

- **पूर्वाधिकार अंश –**

  इन अंशो का स्वामित्व रखने वाले अंशधारियों को समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व एक निश्चित दर से लाभांश कर भुगतान किया जाता है वह अन्य किसी आधिक्य की स्थिति में भी समता अंशधारियों की तुलना में किसी भी होने वाले भुगतान पर प्राथमिकता रखते हैं परन्तु कम्पनी के समापन की स्थिति में उनको ऋण पत्रधारियों, बान्ड धारकों एवं लेनदारों के भुगतान के बाद ही भुगतान प्राप्त होता है।

- **संचयी पूर्वाधिकार अंश –**

  इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का भुगतान, संचयी आधार पर किया जाता है। इनको सभी अदेयता अंश का भुगतान समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व किया जाता है।

- **परिवर्तनीय संचयी पूर्वाधिकार अंश –**

  इन पूर्वाधिकार अंशों पर भी संचयी पूर्वाधिकार अंशों के अदेय लाभांश का भुगतान संचयी रूप में ही किया जाता है परन्तु यह अंश पूर्व निर्धारित तिथि अथवा पूर्व निर्धारित समय के अनुसार समता अंश पूंजी में परिवर्तित हो जाते हैं।

- **प्रतिभागी पूर्वाधिकार अंश –**

  इन विशिष्ट पूर्वाधिकार अंशों को निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त करने के पश्चात लाभ में प्रतिभाग करने का अधिकार भी होता है। समता अंशधारियों को भुगतान किये गये लाभांश के आधार पर यह प्रतिभागिता एक निश्चित सीमा तक तय की जाती है।

- **सुरक्षा रसीद –**

  सुरक्षा रसीद से आशय एक रसीद या सुरक्षा, जो प्रतिभूतिकरण कम्पनी और पुनर्संगठित कम्पनी द्वारा किसी योजना के लिए किसी संस्थागत क्रेता को क्रय के प्रमाण या अधिग्रहणकर्ता को उसके अधिकार के लिए

प्रतिभूतिकरण में समायोजित उसके अविभाज्य अधिकार, स्वत्व या हित, जो वित्तीय सम्पत्तियों में है, के लिये जारी की जाती है।

- <u>सरकारी प्रतिभूतियां –</u>

  यह एक प्रकार के साख जोखिम मुक्त कूपन के रूप में अवलेख प्रपत्र होते हैं जो कि भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार के बाजार आहरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्गमित किये जाते हैं। इस प्रकार के कूपन या प्रपत्र पर निर्धारित दर से निर्धारित तिथि पर छमाही भुगतान किया जाता है। इस प्रकार के प्रपत्र पृथक पृथक भुगतान तिथि के साथ अल्प अवधि (एक वर्ष से कम) से दीर्घ अवधि (20 वर्ष तक) की तिथियों के साथ विस्तृत रूप से उपलब्ध होते हैं।

- <u>ऋण पत्र –</u>

  यह ऋण प्रपत्र या बॉन्ड के रूप में निर्गमित किये जाते हैं जिनकी राशि पर एक निर्धारित दर से ब्याज देय होता है। यह ब्याज सामान्यतः छमाही रूप से निर्धारित तिथि पर भुगतान योग्य होता है। ऋण पत्रों में विनियोजित मूल धन राशि कर भुगतान निर्धारित तिथि पर ऋण पत्रों के विमोचन पर देय होता है। सामान्यतः ऋणपत्रधारियों के पक्ष में ऋण पत्रों के प्रति कम्पनी सम्पत्तियों का सामान्य चल प्रभार रहता है।

- <u>बॉन्ड –</u>

  एक बॉन्ड में धनराशि विनियोगकर्ता बॉन्ड निर्गमनकर्ता को निश्चित धनराशि निश्चित अवधि के लिए उपलबध कराता है। इसके प्रतिफल में निर्धारित अवधि में निर्धारित दर पर इस राशि पर ब्याज का भुगतान करता है। यह धनराशि अथवा बॉन्ड सामान्यतः असुरक्षित रहते हैं। कोई कम्पनी नगर पालिका अथवा सरकारी संस्था इस प्रकार के बॉन्ड निर्गमित कर सकती है। विभिन्न प्रकार के बॉन्ड निम्नलिखित प्रकृति के हो सकते हैं।

- <u>शून्य कूपन बॉन्ड –</u>

  इस प्रकार के बॉन्ड छूट पर निर्गमित किये जाते हैं और प्रतिफल में विनियोगकर्ता को पूर्ण मूलधन राशि का भुगतान किया जाता है। इन पर किसी भी प्रकार का कोई आविधिक ब्याज देय नहीं होता है। निर्गमन मूल्य एवं अन्त में प्राप्त सम्पूर्ण राशि का अन्तर ही विनियोगकर्ता की आय होती है। इस प्रकार के बॉन्ड में विनियोगकर्ता को निर्धारित अवधि के बाद मूल धनराशि का एक ही बार भुगतान किया जाता है।

- <u>परिवर्तनीय बॉन्ड –</u>

  इस प्रकार के बॉन्ड मे विनियोगकर्ता को इनको समता अंशों में एक निश्चित परिवर्तनीय मूल्य पर परिवर्तन का विकल्प प्रदान किया जाता है।

- <u>वाणिज्यिक प्रपत्र –</u>

  इस प्रकार के प्रपत्र मुद्रा बाजार में सामान्यतः 90 दिन की अवधि के लिए निर्गमित किये जाते हैं एवं अल्पावधि ऋण के रूप में स्वीकार किये जाते

हैं। सामान्यतः इस प्रकार के वाणिज्यिक प्रपत्र प्रतीज्ञा पत्र के रूप में अत्यन्त सुदृढ़ साख वाली संस्थाओं या कम्पनियों द्वारा निर्गमित किये जाते हैं। इनका निर्गमन सीधे या किसी विशिष्ट मध्यस्थ के माध्यम से किया जा सकता है।

- ट्रेजरी विल्स –

  यह सरकार द्वारा अपनी रोकड़ आवश्यकताओं को पूरा करने के लए जारी किया गया अल्पावधि बाह्य प्रपत्र होता है।

13.5.3 द्वितीयक बाजार में सुधार :–

1. प्रबन्धशासी बोर्ड –

   सेबी के निर्देशों के अनुसार प्रतिभूति बाजार के प्रबन्धशासी मण्डल को पुर्नगठित किया गया है जिसमें शेयर ब्रोकर और गैर शेयर ब्रोकर का आधा आधा प्रतिनिधित्व होता है। गैर ब्रोकर का 60% पंच निर्णय अनुशासनात्मक एवं अन्य अनिवार्य समीतियों में प्रतिभूति बाजार में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिभूति बाजार के नियमन के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधि एवं सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि की व्यवस्था की गयी है। ऐसे व्यक्ति जो प्रतिभूति बाजार में सक्रिय नहीं है उनका प्रतिनिधित्व प्रतिभूति बाजार की क्रियाओं को गैर पक्षपात पूर्ण एवं उचित दिशा निर्देश देने में सहायक होता है। सेबी के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रबन्धशासी मण्डल में व्यापारिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व मात्र 40% ही रहेगा।

2. संरचना –

   प्रतिभूति बाजार की क्रियाओं को पारदर्शी एवं संवेदनशील बनाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का गठन किया गया जिसके माध्यम से प्रतिभूति बाजार की क्रियाओं को ऑनलाइन स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाने लगा इसके लिये विभिन्न व्यापारिक टर्मिनल भी बनाये गये। सेबी ने यह भी निर्णय किया कि निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार नवीन प्रतिभूति विनिमय केन्द्र बनाये जायें जिनके माध्यम से प्रतिभूति बाजार के ऑनलाइन लेन–देन सम्भव हो सके।

3. सौदा निस्तारण एवं क्लियरिंग –

   पूर्व में लागू आगे के लेन–देन की पद्धति को समाप्त करके सेबी द्वारा सभी प्रतिभूति विनिमय केन्द्रों में साप्ताहिक निस्तारण प्रणाली लागू की गयी जिसके अनुसार यदि सदस्य आठ दिन में अंशों या प्रतिभूति की उपलब्धता निश्चित नहीं करता तो सौदे का निस्तारण आठ दिनों में प्रतिभूति बाजार को अनिवार्य रूप से करना होगा सौदे के विफल रहने की दशा में नगद समूहों में अनुबन्ध को पुर्नजीवित किया जा सकेगा, परन्तु इन नकद समूहों में एक सौदे के माध्यम से किसी अन्य का निस्तारण सम्भव नहीं होगा। बी0डी0 शाह समीति की सिफारिशों के परिपेक्ष्य में सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रतिभूति विनिमय केन्द्रों को अपनी अल्प विक्रय स्थिति को एक लघु पत्रिका के रूप में लिखित रूप से सार्वजनिक करना होगा।

4. ऋण बाजार क्रियाएं –

सन् 1996 में एक परिवर्तन के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में थोक ऋण प्रतिभूतियों के कारोबार को स्वीकृति प्रदान की गयी। सरकारी प्रतिभूतियों का डी मैट के रूप में लेन देन स्वीकार किया गया। उन कम्पनियों को भी सेबी द्वारा अपने ऋण प्रपत्रों को सूचीकृत कराने की अनुमति प्रदान की गयी जिनके अंश पहले सूचीकृत नहीं थे। विदेशी विनियोगी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों में ऋण पत्रों के रूप में शत प्रतिशत विनियोग की अनुमति प्रदान की गयी।

5. <u>मूल्य स्थायित्व –</u>

सेबी ने प्रतिभूति बाजार केन्द्रों के सहयोग से मूल्यों में असामान्य उतार चढ़ाव को रोकने के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया। सेबी ने विनिमय केन्द्रों को यह निर्देश जारी किये कि वह सूचीकृत होने वाली नयी कम्पनियों के व्यापारिक लेन देनों पर प्रारम्भ से ही अपनी दृष्टि रखें। असामान्य उच्चावचन को रोकने के लिए विशेष 25% या अधिक के मार्जिन की व्यवस्था की गयी जो कि नियमित मार्जिन के अतिरिक्त होगा। गश्ती व्यापार एवं मूल्य उच्चावचन को नियन्त्रित करने के लिए सेबी द्वारा एक मूल्य नियन्त्रक पद्धति लागू की गयी । व्यापारिक अवधि में प्रतिदिन व्यापारिक रहतिये की ऊपरी एवं निचली सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया गया जिसमें निश्चित समय में मूल्यों के असामान्य उतार चढ़ाव से बचा जा सके।

6. <u>असूचीयन –</u>

सेबी ने असूचीयन को स्वीकृति देने वाले नियमों को कठोर बनाया और Chandratre समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया और निम्न निर्देश जारी किये –

- ऐच्छिक असूचीयन चाहने वाली कम्पनियों को असूचीयन से पूर्व क्षेत्रीय प्रतिभूति विनिमय केन्द्र में सभी अंशधारियों को पुनः खरीद प्रस्ताव योजना आवश्यक होगा।
- प्रवर्तक इस क्रय के लिये उत्तरदायी होंगे और क्रेताओं की सुरक्षा के लिए इस क्रय की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
- असूचीयन कराने वाली कम्पनी से तीन वर्ष की सूचीयन फीस विनिमय केन्द्र द्वारा Escrow खाते में जमा करके रखी जायेगी।

13.5.4 भेदिया व्यापार :–

प्रतिभूति बाजार में मूल्य भेदिया सूचनायें प्राप्त करके अधिक लाभ कमाने की तकनीक अत्यधिक प्रचलन में है। इस प्रवृत्ति पर रोकथाम के लिये सेबी द्वारा सन् 1992 में भेदिया व्यापार नियमन अधिनियम लागू किया गया जिसके अनुसार आन्तरिक व्यक्ति या भेदिया एवं मूल्य संवेदनशील सूचनाओं को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया –

- जो किसी भी रूप में कम्पनी से सम्बद्ध है।

- जो कि कम्पनी से सम्बद्ध समझा जाता है और अपनी इस सम्बद्धता के आधार पर अप्रकाशित मूल्य सूचनाओं तक पहुंच रखता हो।
- जिसने किसी भी रूप में कम्पनी से सम्बद्ध अप्रकाशित मूल्य सूचनायें प्राप्त की हों।
- जो कम्पनी अधिनियम के अनुसार दी गयी परिभाषा के आधार पर कम्पनी का संचालक हो अथवा समझा जाता है।
- कम्पनी का कोई भी कर्मचारी अथवा अधिकारी।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पेशेवर अथवा अपने व्यापारिक सम्बन्ध के अनुसार इस स्थिति में हो कि वह कम्पनी की संवेदनशील मूल्य सूचनाओं तक पहुंच रखता हो।
- प्रतिभूति विनिमय बाजार का कोई अधिकारी अथवा सदस्य।
- विनिमय बाजार में प्रतिभूतियों का कोई अधिकृत लेन देन कर्ता अथवा उसका कर्मचारी।
- किसी वित्तीय संस्थान का संचालक अथवा कर्मचारी।
- किसी स्व नियमित संस्थान का अधिकारी अथवा कर्मचारी।
- किसी कम्पनी का बैंकर।
- अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य सूचनाओं के क्षेत्र के सम्बन्ध में सेबी ने निम्न निर्धारित किया है।
- कम्पनी के वित्तीय परिणाम।
- लाभांश की घोषणा का विचार।
- अधिकार एवं बोनस अंशों का प्रस्ताव।
- नवीन विस्तार परियोजना अथवा नवीन परियोजना का कार्य।
- एकीकरण समविलयन एवं अधिग्रहण।
- अधिग्रहित का पूर्ण निस्तारण।
- ऐसी अन्य कोई सूचना जो कि कम्पनी के लाभ या प्राप्तियों को प्रभावित कर सकती हो।
- कम्पनी की नीतियों योजनाओं अथवा संचालन पद्धति में कोई परिवर्तन।

13.5.5 निगमीय ऋण प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में नियमावली :–

निगमीय बॉन्ड से तात्पर्य उन सभी ऋण प्रतिभूतियों से है जो किसी बैंक, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय, निगमित संस्था एवं कम्पनी द्वारा 365 दिन से अधिक की अवधि के लिए निर्गमित हों, यदि इस प्रकार की प्रतिभूतियां सार्वजनिक रूप से निर्गमित की जाती है अथवा किसी सूचीकृत कम्पनी द्वारा निजी स्तर पर निर्गमित की जाती है तो उसे सेबी द्वारा जारी उद्घोषणा एवं विनियोजक सुरक्षा नियमावली 2000 एवं सेबी द्वारा जारी अन्य प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

सेबी द्वारा 30 सितम्बर 2003 एवं 22 दिसम्बर 2003 को जारी निर्देश के अनुसार यदि उपरोक्त प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है तो निर्गमन संस्था को कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों सेबी के विनियोजक सुरक्षा एवं उद्घोषणा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ सेबी के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी से अपनी श्रेणी प्राप्त करनी होगी तथा डिमैट सम्बन्धी वैधानिक व्यापारिक नियमावली आदि का पालन भी करना होगा।

13.6 सेबी के अधिकार एवं शक्तियां

विनियोजकों के हितों की सुरक्षा के लिये सेबी को निम्न अधिकार है :–

1. <u>प्रतिभूति बाजार पर नियन्त्रण के लिये नियमन का अधिकार :–</u>

   भारतीय प्रतिभूति बाजार को नियन्त्रित करने के लिये सेबी को नये नियम बनाने का अधिकार है उदाहरण के लिये सेबी ने प्रतिभूति बाजार में व्यापार व्यवहार का समय प्रात 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है।

2. <u>विक्रेता एवं ब्रोकर को लाइसेन्स प्रदान करना :–</u>

   पूंजी बाजार में कार्य कर रहे विक्रेता एवं ब्रोकर को लाइसेन्स प्रदान करने का कार्य सेबी का है। यदि सेबी यह देखती है कि कोई वित्तीय उत्पाद पूंजी प्रवृत्ति का है तो सेबी ऐसे उत्पाद एवं विक्रेता पर नियन्त्रण कर सकती है इसका प्रमुख उदाहरण यूलिप का केस है जिसमें सेबी ने कहा यह एक म्युचुअल फण्ड की तरह है तथा सभी बैंक वित्त एवं बीमा संस्थायें जो इसे निर्गमित करना चाहती है, को सेबी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

3. <u>पूंजी बाजार में धोखाधड़ी पर रोकथाम :–</u>

   सेबी को पूंजी बाजार में जालसाजी एवं धोखाधड़ी को रोकने के लिये अनेकों अधिकार प्राप्त है। यह जालसाजी एवं अनुचित व्यापार एवं व्यवहार में संलग्न ब्रोकर के ऊपर प्रतिबन्ध लगा सकती है। वह भेदिया बाजार में संलग्न पूंजी बाजार के मध्यस्थों पर भी जुर्माना कर सकती है।

4. <u>कम्पनियों के संविलियन एवं अधिग्रहण पर नियन्त्रण :–</u>

   भारत में अनेकों बड़ी कम्पनियां पूंजी बाजार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। इसलिए यह कम्पनियां अन्य सभी कम्पनियों को संविलियन के आधार पर क्रय कर लेती है। सेबी यह देखता है कि यह संविलियन एवं अधिग्रहण व्यवसाय के विकास के लिए हो अथवा पूंजी बाजार को क्षति पहुँचाने के लिए न हो।

5. <u>प्रतिभूति बाजार की क्रियाओं का अंकेक्षण :–</u>

   सेबी विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं का अंकेक्षण कराने का अधिकार रखती है जिससे उनकी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया जा सके।

6. <u>आगामी सौदों पर नये नियम बनाना :–</u>

   आगामी सौदे जो अंश व्यापार लेन देन में हो वह ब्रोकर के कुल लेन देनों का 25% से अधिक नहीं हो सकते तथा आगामी सौदों पर 90 दिन की सीमा है।

7. <u>**ICAI** के साथ सम्बन्ध स्थापना :–</u>

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट ऑफ इण्डिया को यह अधिकार है वह कम्पनियों के अंकेक्षक बनाये। अंकेक्षित वित्तीय खाते किसी भी कम्पनी का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं जिससे विनियोजक विनियोग करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकता है। सेबी ने ICAI के साथ एक स्वस्थ सम्बन्ध इस सम्बन्ध में स्थापित किया है जिससे क्रियाओं को पारदर्शी बनाया जा सके। भारत में विनियोगकर्ता अंकेक्षित वित्तीय प्रतिवेदनों पर सुगमता से विश्वास कर लेते हैं। सत्यम घोटाले के बाद सेबी और ICAI इस अनुसंधान में लगे हैं कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट अपना काम नैतिकता से कर रहे हैं अथवा नहीं।

8. <u>व्युत्पन्न अनुबन्धों के सम्बन्ध में अस्थिरता निर्देशांक का परिचय :–</u>

व्युत्पन्न अनुबन्धों के सम्बन्ध में विनियोजकों के जोखिम तत्व को कम करने के उद्देश्य से सेबी ऐसे सौदों के सम्बन्ध में एक अस्थिरता सूचकांक से परिचित कराती है निम्न शर्तो के अन्तर्गत –

(अ) कम से कम एक वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड इस अस्थिरता सूचकांक के आधार को रेंखाकित करेगा।

(ब) स्टॉक एक्सचेंज ऐसे व्युत्पन्न सौदों के सम्बन्ध में उचित जोखिम प्रबन्ध संरचना बनाएगी।

स्टॉक एक्सचेंज अनुबंधों में व्यवहार से पूर्व निम्न प्रस्तुत करना होता है–

(i) विशिष्ट अनुबन्ध

(ii) स्थिति एवं अभ्यास सीमाऐं

(iii) सीमायें या उपान्त

(iv) सेवा का आर्थिक उद्देश्य

(v) व्यापार के विकास में अंशदान की प्रवृत्ति

(vi) बाजार की विश्वसनीय, विनियोगकर्ता के हित एवं सरल व्यापार व्यवहार के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपनाया गया जोखिम सुरक्षा तंत्र

(vii) इस प्रकार के सौदों पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से एक्सचेंज द्वारा निगरानी व्यवस्था की सरंचना

(viii) निष्पत्ति प्रक्रिया एवं व्यवस्था का विवरण

(ix) पिछली अवधि के उपांत की गणना का विवरण पिछले एक वर्ष का जिसमें काल एवं पुट विकल्प को .25, -.25 के वास्तविक मूल्य को रेखांकित किया जाए।

9. <u>पोर्टफोलियो प्रबंध क्रियाओं के प्रतिवेदन की आवश्यकता :–</u>

पूंजी बाजार में प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए सेबी को ये अधिकार है कि वह पोर्टफोलियो प्रबंध के सम्बंध में प्रतिवेदन की मांग करे। अभी हाल ही में सेबी ने सभी भारत में पंजीकृत पोर्टफोलियो मैनेजर को प्रतिवेदन की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है।

10. <u>विनियोजकों को शिक्षित करना :–</u>

समय–समय विनियोजको के ज्ञानवर्धन एवं शिक्षण के लिए सेबी कार्यशालायें आयोजित करता रहता है।

11. <u>निर्देश निर्गमन का अधिकार :–</u>

सेबी को निम्न निर्देश जारी करने के अधिकार है –

(i) प्रतिभूति बाजार के विनियोजकों के हित में व्यवस्थित विकास करना।

(ii) किसी भी मध्यस्थ अथवा व्यक्ति द्वारा विनियोजकों के हित के विरूद्ध कार्य करने पर उसकी रोकथाम करना ।

(iii) इस प्रकार के किसी भी मध्यस्थ अथवा व्यक्ति के प्रति उचित प्रबंध व्यवस्था के निर्देश देना ।

(अ) किसी भी व्यक्ति और व्यक्तियों जो कि प्रतिभूति बाजार में संलग्न हो, को धारा 12 के अन्तर्गत र्निदेश देना।

(ब) प्रतिभूति एवं प्रतिभूति बाजार के विनियोजकों के हित में धारा 11अ के लिखे गये विषयों के सम्बन्ध में किसी कम्पनी को निर्देश जारी करना।

12. <u>निरीक्षण का अधिकार :–</u>

सेबी को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को लिखित में आदेशित करके प्रतिभूति बाजार में संलग्न किसी भी व्यक्ति अथवा मध्यस्थ की क्रियाओं का निरीक्षण करे तथा यदि कोई मध्यस्थ अथवा व्यक्ति जो कि प्रतिभूति बाजार में संलग्न है और अधिनियम में से किसी भी प्रावधान या नियम या निर्देशों का उल्लंघन करता है तो इस विषय में सेबी के अधिकारियों को प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित करे।

13. <u>कार्यवाही को रोकने एवं समाप्त करने का अधिकार :–</u>

यदि किसी जाँच के बाद सेबी यह अनुभव करता है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन किया है अथवा उल्लंघन का प्रयास किया है तो ऐसी स्थिति में सेबी को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति पर इस नियम उल्लंघन के लिए रोक लगा दें।

13.7 स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंश हस्तान्तरण एजेन्ट आदि का पंजीकरण

- सेबी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त ना करने की दशा में कोई भी स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंश हस्तान्तरण, प्रतिनिधि, किसी निर्गमन का बैंकर, ट्रस्ट समझौते का ट्रस्टी, निर्गमन का रजिस्ट्रार, मर्जेन्ट बैंक, अभीगोपक पोर्टफोलियो प्रबन्धक विनियोग सलाहकार अथवा अन्य मध्यस्थ जो कि प्रतिभूति बाजार से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित है प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का लेन देन नहीं कर सकते।
- कोई भी डिपॉजिटरी, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों का धारक, विदेशी संस्थागत विनियोजक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और अन्य कोई मध्यस्थ जो कि प्रतिभूति

बाजार से किसी प्रकार से सम्बन्धित है प्रत्येक को प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय और लेन देन के लिये अधिनियम के नियमों के अनुसार एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- कोई भी व्यक्ति जो कि जोखिम पूंजी कोष अथवा सामूहिक विनियोग योजना जिसमें म्युचुअल फण्ड सम्मिलित है को प्रायोजित नहीं कर सकता और न ही प्रायोजन का कारण बन सकता है जब तक कि सेबी के नियमों के अनुसार वह पंजीकरण प्रमाण पत्र न प्राप्त कर ले।
- पंजीकरण के लिये किसी भी आवेदन को नियमानुसार शुल्क भुगतान करना होगा।
- सेबी नियमों के अन्तर्गत आदेश देकर किसी भी पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलम्बित या रद्द कर सकता है।

13.8 म्युचुअल फण्ड एवं सेबी

म्युचुअल फण्ड क्या है ?

म्युचुअल फण्ड संसाधनों को एकत्र करने का एक माध्यम है। यह निर्गमन प्रस्ताव में घोषित किये गये उद्देश्यों के आधार पर विनियोजकों को विनियोजित कोष के लिए यूनिट्स का निर्गमन करता है। इन प्रतिभूतियों में विनियोजित धनराशि को अलग अलग क्षेत्रों एवं उद्योगों में विनियोजित किया जाता है जिससे जोखिम कम हो जाता है। विनियोगों की विविधता जोखिम की मात्रा को कम कर देती है क्योंकि स्कन्ध की सारी मात्रा एक समय एक अनुपात एवं एक दिशा में ही नहीं चलते हैं। म्युचुअल फण्ड के प्रति विनियोजक को उसके द्वारा विनियोजित धन के अनुपात में यूनिट प्रदान किये जाते हैं। म्युचुअल फण्ड में धनराशि विनियोजित करने वाले को यूनिट धारक कहा जाता है।

विनियोजक उसके विनियोग के अनुपात में लाभ या हानि में प्रतिभाग करता है। सामान्यतः म्युचुअल फण्ड समय समय पर अलग अलग विनियोग उद्देश्य लेकर भिन्न भिन्न योजनाओं के साथ निर्गमित किये जाते हैं किसी भी म्युचुअल फण्ड को सेबी के अन्तर्गत पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है जो कि सार्वजनिक रूप से प्रतिशत बाजार को सार्वजनिक कोष संग्रह से पहले नियन्त्रित करता है।

म्युचुअल फण्ड उद्योग में सेबी की भूमिका :–

सन् 1963 में भारत में प्रथम म्युचुअल फण्ड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा स्थापित किया गया। 1990 के प्रारम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं संस्थाओं को म्युचुअल फण्ड स्थापित करने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की गयी। सन् 1992 में सेबी एक्ट पारित किया गया। सेबी का उद्देश्य विनियोजकों के हितों को प्रतिभूति बाजार में सुरक्षा एवं प्रतिभूति बाजार को विकसित एवं नियन्त्रित करना था।

जहां तक म्युचुअल फण्ड का प्रश्न है विनियोजकों के हित को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सेबी नीतियां बनाकर म्युचुअल फण्ड बाजार को नियन्त्रित करता है। सन् 1993 में सेबी ने म्युचुअल फण्ड विनियमन की अधिसूचना जारी की इसके पश्चात निजी क्षेत्र के संस्थाओं को भी पूंजी बाजार में म्युचुअल फण्ड प्रायोजित करने

की अनुमति प्रदान की गयी। सन् 1996 में इस विनियमन को पूर्णतः संशोधित कर दिया गया तथा समय समय पर इसमें संशोधन किये जाते हैं। म्युचुअल फण्ड में कोष विनियोग करने वाले विनियोजकों के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी करता रहता है।

सभी म्युचुअल फण्ड चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र द्वारा निर्गमित किये जाये अथवा किसी विदेशी संस्था द्वारा विकसित किये जायें इसी विनियोजन द्वारा बाधित होते हैं। निर्गमनकर्ता की दृष्टि से वैधानिक आवश्यकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा सेबी को इन सभी को निरीक्षण एवं निगरानी का अधिकार प्राप्त है। इन सभी प्रकार की म्युचुअल फण्ड योजनाओं में प्रायोजन की दृष्टि से जोखिम की मात्रा बराबर होती है।

13.10 सेबी का समीक्षात्मक अध्ययन

सेबी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है परन्तु फिर भी कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जिन पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है उदाहरणार्थ इन क्षेत्रों के लिए ही अपेक्षानुसार कार्य के लिए सेबी ने विषयों का पुर्नरीक्षण किया एवं 1994 से 1996 के मध्य शिथिल प्राथमिक बाजार का नेतृत्व करने के लिए मुद्रा को संगठित करने के लिए अनेकों संदिग्ध व्युत्पन्न विषयों को अनुमति प्रदान की।

1. <u>प्रकटीकरण :—</u>

   यद्यपि सेबी द्वारा अथक प्रयास किये जाते हैं कि प्रकटीकरण को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके जिससे सूचना की गुणवत्ता ऐच्छिक स्तर की हो। समयबद्ध प्रकटीकरण एक अन्य चिन्तन का क्षेत्र है। यद्यपि सेबी द्वारा अंशधारियों के हित सम्बन्धी सूचनाओं को जो कि किसी सौदे या लेन देन से सम्बन्धित हों, अधिकतम 48 घंटे में उस तक पहुंचाने की अवधि निर्धारित की हुई है परन्तु इसका पालन नहीं होता है। अतः सेबी को सूचनाओं के समयबद्ध प्रसार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. <u>प्रसार प्रक्रिया :—</u>

   विशिष्ट सूचनाएं जिनका प्रकटीकरण करना होता है, उनकी सूची अत्यन्त व्यापक है, जिनको सेबी के माध्यम से प्रकट करना होता है। कम्पनियां सूचनाएं सेबी को उपलब्ध कराती हैं तथा वह उन्हें विनियोजकों के बीच में सार्वजनिक करता है। इस प्रक्रिया में काफी समय विलम्ब हो जाता है। इस विलम्ब को दूर करने के लिए ऐसी वेबसाइट बनायी जानी चाहिए जिन पर सूचना सामग्री डाउनलोड की जा सके।

3. <u>समाधान या समझौता :—</u>

   NSE का समाधान चक्र बुधवार – मंगलवार तथा BSE का समाधान चक्र सोमवार – शुक्रवार निर्धारित है। यह पंच निर्णय हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध करता है। प्रतिभूतियों के (समझौता) मूल्यों में प्रथम दिन एवं अन्तिम दिन पर पर्याप्त उच्चावचन अनुभव किया गया है। एक रूप व्यवसाय चक्र का लागू किया जाना, मूल्य सूचना की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रतिभूति लेन देन

व्यवहार में विनियोजकों पर लगायी लागत में कमी करेगा। असंतुलित समाधान में T + 5 का प्रयोग प्रतिभूति व्यवहार की लागत में कमी लायेगा।

4. सरकारी अनुमोदन :–

केन्द्र सरकार ने सेबी को अधिकृत किया हुआ है कि वह पूंजी बाजार की गतिविधियों पर दृष्टि बनाये रखने के लिए नियमों एवं परिनियमों का निर्माण करे। यह नियम एवं परिनियम प्रथमतः केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कराये जाते हैं। यह वित्त मंत्रालय की ओर से अनावश्यक विलम्ब का कारण है। सेबी को नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपराधिक वाद दाखिल करने से पूर्व भी अनुमोदन प्राप्त करना होता है जिससे पुनः सरकारी स्तर पर कार्यवाही में विलम्ब होता है।

5. स्वायत्तता का अभाव :–

सेबी का पूर्ण स्वायत्तता नहीं प्रदान की गयी है। इसके संचालक मण्डल में सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि रहते हैं। कुल 5 संचालकों में से 2 बाहर के होते हैं जो वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

6. बदला व्यापार :–

आगामी सौदा प्रणाली मुख्यतः सट्टेबाज ब्रोकर द्वारा एवं अधिकांश व्यापारियों द्वारा प्रयोग की जाती है। सट्टेबाजी सौदों में असामान्य मूल्य वृद्धि से भुगतान की समस्या हो जाती है जो कि विनियोजक के विश्वास को प्रभावित करती है। बदला व्यवहारों को उचित जांच एवं शेष को देखकर लेन देन (उधार एवं प्राप्ति) व्यवस्था के रूप में समझा जाना चाहिए।

13.10 सारांश

इस इकाई में हमने सेबी के विषय में एवं प्रतिभूति बाजार में इसकी भूमिका का अध्ययन किया । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया एवं 30 जनवरी 1992 को अधिनियम पारित कर पूर्णतः स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसे प्रोन्नत किया गया। सेबी ने तुलनात्मक नियमन उपायों को प्रस्तावित किया, पंजीकरण नियम लागू किये। निश्चित अर्हतायें, दायित्व, नियमावली, सिद्धान्त आदि विभिन्न मध्यस्थों जैसे निर्गमन बैंक, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार, निवेश संभाग प्रबन्धक, साख श्रेणी संस्थायें, अभिगोपक आदि पर लागू किये। सेबी का प्रमुख उद्देश्य पूंजी बाजार को नियमित एवं नियन्त्रित करके विनियोजकों के हित की सुरक्षा करना है। समय समय पर सेबी विनियोजकों की ज्ञान वृद्धि के लिए विभिन्न कार्याशालायें आयोजित करता है। पूंजी बाजार में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सेबी के पास अनेकों अधिकार हैं। वह प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यवहार में संलग्न ब्रोकरों के व्यापार व्यवहारों को प्रतिबन्धित कर सकता है। वह भेदिया बाजार में संलग्न मध्यस्थों पर दंड या जुर्माने का प्रावधान भी कर सकता है। सेबी प्रतिभूति बाजार के व्यवहारों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न प्रतिभूति बाजारों के अंकेक्षण कराने के अधिकारों का प्रयोग करता है। यद्यपि सेबी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है परन्तु

फिर भी सेबी के कार्यक्षेत्र में अभी भी अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

13.11 शब्दावली

- ''**मध्यस्थ**'' का आशय उस व्यक्ति से है जो बोर्ड के साथ इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार पंजीकृत हैं, परन्तु इसमें विदेशी संस्थागत विनियोजक एवं विदेशी जोखिम पूंजी विनियोजक सम्मिलित नहीं हैं।
- ''**विनियोजक**'' से आशय प्रतिभूतियों में विनियोगकर्ता से है जिसमें विदेशी संस्थागत विनियोजक तथा विदेशी जोखिम पूंजी विनियोजक सम्मिलित हैं।
- ''**बाजार के प्रतिभागी**'' से आशय मध्यस्थों, अन्य पक्षकारों, विनियोजकों, सूचीकृत कम्पनियों और उन कम्पनियों से है जो अपने अंशों को सूचीकृत कराना चाहती हैं।
- **"FIMMDA"** – Fixed income] स्थायी आय, Money Market मुद्रा बाजार एवं Derivatives Association व्युत्पन्न संघ।
- ''**अन्य सत्ता/अस्तित्व**'' का अर्थ किसी भी अधिकृत प्रतिभूति बाजार, समाशोधन गृह, अनुमोदित मध्यस्थ जो कि प्रतिभूति ऋण योजना 1977 के अन्तर्गत हो, विनियोजक संघ एवं अन्य ऐसे व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा अधिकृत हों, कोई व्यक्ति जो किसी लाइसेंस को प्राप्त करना चाहता है या किसी स्वयं नियमित संस्था से अनुमोदन चाहता है एवं बोर्ड द्वारा सरकारी गजट में अधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति जो पूंजी बाजार से किसी प्रकार या किसी भी रूप में सम्बन्धित हो।

13.12 बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. जिसके द्वारा भारत में म्युचुअल फंड को नियमित किया जाता है –
   (अ) आरबीआई (ब) सेबी (स) प्रतिभूति बाजार
   (द) आरबीआई व सेबी दोनों
2. सेबी का मुख्य कार्यालय स्थित है –
   (अ) मुम्बई (ब) कोलकाता (स) नई दिल्ली
   (द) चेन्नई
3. वेयरहाउसिंग सुविधा का अर्थ है –
   (अ) रहतिये को मर्चेंट बैंकों के साथ भंडारण करना
   (ब) रहतिये को ब्रोकर के साथ भंडारण करना
   (स) विभिन्न व्यापार के लिए विभिन्न अनुबंध पत्र निर्गत करना
   (द) एक व्यापक मात्रा व्यापार के भागों के लिए एक अनुबंध पत्र निर्गत करना
4. भारत में प्रथम म्युचुअल फंड की स्थापना कब की थी –
   (अ) GIC (ब) LIC (स) UTI
   (द) SBI

5. सेबी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्रों की जांच नहीं होती जो .... के साथ सूचीकरण प्राप्त होते हैं, –
(अ) OTCEI (ब) NSE (स) BSE (द) ISE

13.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. (स) 2. (अ) 3. (ब) 4. (स) 5. (अ)

13.14 स्वपरख प्रश्न

1. सेबी के उद्देश्य एवं कार्य क्या हैं? सेबी के संगठन का वर्णन कीजिए।
2. प्राथमिक बाजार क्या है? सेबी प्राथमिक बाजार को कैसे नियमित करता है?
3. द्वितीयक बाजार के वह प्रमुख क्षेत्र बताइये जिनमें सेबी ने नियन्त्रण एवं सुधार लागू किये हैं।
4. प्रतिभूति बाजार को नियमित करने एवं विनियोजकों के हितों की सुरक्षा हेतु सेबी के अधिकारों की व्याख्या कीजिए।
5. भारत प्रतिभूति बाजार के सम्बन्ध में सेबी की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए।

13.15 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Kevin S, “Security Analysis and Portfolio Management”, PHI Learning, New Delhi, 2009
2. Gutpa, Shashi K, “Security Analysis and Portfolio Management”, Kalyani Publisher, New Delhi
3. Sridharan K, Mathew’s K Alex (2011), “Security Analysis and Portfolio Management”, Tata McGraw Hill.
4. http://www.sebi.gov.in/sebiweb/stpages/about_sebi.jsp
5. http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/about_us/act15ac.html#ch4
6. http://www.svtuition.org/2010/05/role-of-sebi-in-indian-capital-market.html
7. Pandian, Punithavathy (2011), “Security Analysis and Portfolio Management”, Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
8. William F. Sharpe, Gordon J. Alexander and Jeffery V. Bailey: Investments, Prentice Hall.

इकाई 14 प्रतिभूति बाजार नियमन

इकाई की रुपरेखा

14.1 प्रस्तावना
14.2 प्रतिभूति बाजार एवं इसके भाग (विभक्तीकरण)
14.3 प्रतिभूति बाजार के तत्व
14.4 विधायी एवं नियमन ढांचा
14.5 भारतीय प्रतिभूति बाजार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की भूमिका
14.6 प्रतिभूतियों के प्रकार
14.7 मुम्बई प्रतिभूति एक्सचेंज (BSE) में प्रतिभूतियों के सूचीकृत होने के लिए दिशा निर्देश
14.8 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का सूचीकरण
14.9 सूचीकरण के लाभ
14.10 सूचीकरण की सीमायें
14.11 सारांश
14.12 शब्दावली
14.13 बोध प्रश्न
14.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
14.15 स्वपरख प्रश्न
14.16 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्‌देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- प्रतिभूति बाजार एवं प्रतिभूति बाजार विभक्तिकरण की व्याख्या कर सकें।
- प्रतिभूति बाजार के तत्व का वर्णन कर सकें।
- प्रतिभूति बाजार का विनियमन एवं विधायी ढांचे का वर्णन कर सकें।
- प्रतिभूतियों के प्रकार एवं भारतीय प्रतिभूति बाजार में NSE की भूमिका की व्याख्या कर सकें।
- BSE एवं NSE में प्रतिभूतियों की सूचीकरण प्रक्रिया का वर्णन कर सकें।
- प्रतिभूतियों के लाभ एवं सीमाओं की व्याख्या कर सकें। ।

14.1 प्रस्तावना

आधुनिक बाजार तन्त्र में भारतीय प्रतिभूति बाजार में भी पर्याप्त प्रगति हुई है और प्रतिभूतियों को विनियोग का संवेदनशील माध्यम माना जाने लगा है। भारतीय पूंजी बाजार की व्यापार व्यवस्था का पूर्णतः स्वचालित मशीनी स्वरूप इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार में नकद एवं व्युत्पन्न प्रपत्र के लिए एकीकृत व्यवस्था, सम्पूर्ण भारत में 4618 ब्रोकर्स, उत्पादों की विविधता आदि सम्मिलित है। भारतीय प्रतिभूति बाजार की एक प्रमुख विशेषता इसका गुणवत्तापूर्ण नियमन है। सेबी स्वतन्त्र एवं प्रभावशाली नियन्त्रक के रूप में इस बाजार पर अंकुश एवं नियन्त्रण रखता

है। सेबी की नियमावली के अन्तर्गत मध्यस्थों, व्यापारिक तन्त्र एवं भुगतान चक्र, जोखिम प्रबन्धन, व्युत्पन्न व्यापार, कम्पनियों का अधिग्रहण आदि सभी आते हैं। इस सबके लिए एक सार्वजनिक घोषित पारदर्शी नियम तन्त्र कार्य करता है। प्रतिभूति बाजार सूचना तकनीक का व्यापक प्रयोग है। भारतीय प्रतिभूति बाजार का जोखिम प्रबन्ध तन्त्र अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक है।

बाजार में प्रतिभागियों की संख्या वृद्धि, प्रतिभूति लेन देनों की बढ़ती हुई संख्या, लेन देन की घटती लागत, कार्य क्षमता में आवश्यक सुधार, पारदर्शिता, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन आदि ने भारतीय प्रतिभूति बाजार को विश्व बाजार में एक नवीन प्रतिष्ठा दिलायी है।

14.2 प्रतिभूति बाजार एवं इसके भाग (विभक्तीकरण)

एक प्रतिभूति बीमा पॉलिसी या स्थायी वार्षिकी से पृथक निगम, सरकार या अन्य संस्था द्वारा निर्गमित विनियोग साधन है जो ऋण या समता का प्रस्ताव प्रमाण है।

प्रतिभूति बाजार के दो प्रमुख पारस्परिक निर्भर भाग है नवीन निर्गमन (प्राथमिक) बाजार एवं प्रतिभूति (द्वितीयक) बाजार। प्राथमिक बाजार नवनिर्माण एवं नवीन प्रतिभूति विक्रय का माध्यम है जबकि द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक कम्पनियों एवं सरकारी तन्त्राधीन संस्थाओं द्वारा निर्गमन किया जाता है। यह बाजार जनता को सार्वजनिक द्वारा अथवा निजी चक्र क्रिया के माध्यम से संचालित होता है। सामान्यतः यह निर्गमन सार्वजनिक होता है अर्थात कोई व्यक्ति इनमें अपना धन विनियोग कर सकता है परन्तु यदि निर्गमन निर्धारित व्यक्तियों के समूह के लिये हो तो वह निजी चक्र क्रिया कहलाती है। इस बाजार में दो प्रमुख निर्गमनकर्ता होते हैं। प्रथमतः निगमित संस्थायें जो मुख्यतः ऋण एवं समता प्रतिभूतियां निर्गत करती हैं, द्वितीयतः सरकार (केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार) जो ऋण प्रतिभूतियां ट्रेजरी बिल एवं प्रतिभूति जिन पर निश्चित तिथि हो) निर्गत करती हैं।

द्वितीयक बाजार में वह लोग प्रतिभाग करते हैं जो जोखिम मूल्यांकन के आधार पर अधिक प्रतिफल प्राप्त करने की इच्छा से पूर्व निर्गत प्रतिभूतियों में व्यवहार करते हैं। प्राथमिक बाजार में निर्गत प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाजार में क्रय–विक्रय एवं व्यापारिक व्यवहार के लिये प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक बाजार प्रमुखतः दो माध्यम से कार्य करता है– ओवर द काउन्टर बाजार (OTC) एवं प्रतिभूति विनिमय बाजार। (OTC) बाजार एक अनौपचारिक बाजार है जहां प्रमुखतः सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार व्यवहार होता है। सभी तत्काल प्रतिभूति व्यापार व्यवहार जहां तत्काल सुपुर्दगी एवं तुरन्त भुगतान होना है, (OTC) बाजार में होते हैं। अन्य विकल्प के रूप में स्टॉक एक्सचेंज संरचना के माध्यम से व्यवहार होते हैं। भारतीय प्रतिभूति बाजार मे माध्यम से सौदों का निष्पादन अत्यन्त क्रमबद्ध समय एवं प्रक्रिया से होता है। सभी व्यवहार, व्यवहार के दिन से दो दिन के अन्दर पूर्ण कर लिये जाते हैं। विनिमय बाजार व्यवहारों के निस्तारण एवं निष्पादन के लिये एक समाशोधन निगम स्टॉक एक्सचेंज के एक भाग के रूप में कार्य करता है तथा विनिमय व्यवहारों की

निष्पत्ति को सुनिश्चित करता है। वायदा बाजार द्वितीयक बाजार का एक प्रमुख अवयव है जहां प्रतिभूतियों के भविष्य की सुपुर्दगी एवं भुगतान के आधार पर लेन देन होते हैं। इसे भविष्य एवं विकल्प बाजार भी कहा जाता है। वर्तमान समय में समता बाजार के भविष्य एवं विकल्प के लेन देन केवल दो स्टॉक एक्सचेंज NSE तथा BSE में ही होते हैं।

14.3 प्रतिभूति बाजार के तत्व

प्रतिभूति बाजार के चार महत्वपूर्ण अंग हैं– विनियोगकर्त्ता, निर्गमनकर्त्ता, मध्यस्थ, एवं नियंत्रक।

विनियोगकर्त्ता :–

एक विनियोगकर्त्ता किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके पूंजी बाजार की रीढ़ की हड्डी होता है। विनियोजक ही अपने आधिक्य कोषों को विभिन्न कम्पनियों की स्थापना एवं विस्तार में प्रतिफल की आशा में विनियोजित करते हैं।

निर्गमनकर्त्ता :–

निर्गमनकर्त्ता का अर्थ है, "वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार प्रतिभूति निर्गमित करता है अथवा निर्गमन प्रस्ताव करता है अथवा निर्गमित अदत्त प्रतिभूति रखता है।"

व्यक्ति से तात्पर्य "एक सामान्य व्यक्ति या एक कम्पनी" से है। यहां एक कम्पनी से आशय एक निगमित संस्था, एक साझेदारी, एक समूह, एक संयुक्त पूंजी कम्पनी, एक ट्रस्ट, एक कोष अथवा व्यक्तियों के संगठित ग्रुप से है भले ही वह पंजीकृत हो अथवा अपंजीकृत। यूनाइटेड स्टेट के शीर्षक 11 के आधीन एक प्रापक या ट्रस्टी या समकक्ष अधिकारी अथवा समापन एजेंट अथवा इन्हीं क्षमताओं में कोई अन्य।

मध्यस्थ –

विपणन मध्यस्थ से आशय उनसे है जो इस व्यवसाय में व्यक्तिगत रुप से, किसी आदेश से, प्रतिभूति वितरण में अथवा प्रतिभूति बजार की सूचनाओ के आदान–प्रदान में किसी भी प्रकार संलग्न हैं। प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है वह क्रेता की आवश्यकता और विक्रेता की उपलब्धता के मध्य समायोजन करतें हैं। मध्यस्थ विभिन्न रूपों एवं विस्तृत संख्या में भारतीय प्रतिभूति बाजार में अपनी सेवायें प्रदान करते हैं। प्रतिभूति बाजार मध्यस्थ विनियोगकर्त्ता से निकटतम रूप से जुड़े रहते हैं तथा सुरक्षा नियन्त्रक का प्राथमिक कार्य करते हैं। प्रतिभूति बाजार में नियमन सम्बन्धी अनेक नियम, उपनियम एवं परिनियम इन मध्यस्थों से ही होकर चलते हैं। यह नियम प्रवेश, पूंजी, विवेकपूर्ण आवश्यकता, निरन्तरता निरीक्षण, अनुशासन, सफलता एवं विफलता आदि से सम्बन्धित हैं। निर्गमन से जुड़े मध्यस्थ को अपने को निगमित क्षेत्र के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्तमान में 46.10% मध्यस्थ निगमित रूप में कार्यरत हैं। मध्यस्थ व्यापार का निगमयीकरण पूंजी बाजार में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशलता से कार्य करने में सहायक होगा। निगमन के माध्यम से प्रशासन के स्तर में सुधार एवं पारदर्शिता के कारण ग्राहकों के विश्वास में भी वृद्धि होती है।

विनियमन :–

प्रतिभूति बाजार में पर्याप्त प्रतियोगिता के अभाव की स्थिति में यह नियमन अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह नियमन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बाजार में व्यवहार करने वाले निर्धारित ढंग एवं प्रक्रिया के अनुसार क्रियाशील हो जिससे प्रतिभूति बाजार निगमित क्षेत्र एवं सरकार के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता रहे तथा विनियोजकों के हित की भी सुरक्षा होती रहे। प्रतिभूति बाजार को नियन्त्रित करने के उत्तरदायित्वों में Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Corporate Affaris (MCA), Reserve Bank of India एवं SEBI प्रमुख रूप से साझेदारी करते हैं। SEBI के आदेशों के प्रति Securities Appellate Tribunal (SAT) के समक्ष अपील की जा सकती है। DEA के अधिकारों को वर्तमान में SEBI द्वारा ही प्रयोग किया जा रहा है। विक्रय अनुबन्ध एवं प्रतिभूतियों का क्रय, स्वर्ण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां एवं इनसे व्युत्पन्न प्रतिभूतियों, तैयार वायदा अनुबन्धों, ऋण प्रतिभूतियों आदि के नियमन एवं नियन्त्रण में RBI भी सक्रिय एवं संलग्न रहता है। सेबी अधिनियम एवं जमाकर्त्ता अधिनियम की प्रशासनिक देखभाल SEBI द्वारा ही की जाती है। सरकार द्वारा जारी नियमों एवं सेबी द्वारा जारी नियमावली प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करती है। इन सभी का अनुपालन एवं प्रशासन सेबी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सूचीकृत अथवा सूचीकृत के लिये आवेदित सभी कम्पनियों के द्वारा निर्गमन, हस्तान्तरण, लाभांश भुगतान न होना आदि का प्रशासन सेबी द्वारा सुनिश्चित होता है।

14.4 विधायी एवं नियमन ढांचा

वर्तमान समय में प्रतिभूति बाजार को नियन्त्रित करने के लिये पॉच प्रमुख अधिनियम लागू हैं– (अ) सेबी अधिनियम 1992 (ब) कम्पनी अधिनियम 1956, इसके माध्यम से सार्वजनिक निर्गमन, आबंटन, प्रतिभूति हस्तान्तरण एवं घोषणा आदि के सम्बन्ध में नियम एवं दिशा–निर्देश जारी करता है। (स) प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 1956 प्रतिभूति विनिमय एवं वितरण आदि व्यवहारों पर नियन्त्रण हेतु एवं (द) अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, 2002।

<u>सेबी अधिनियम, 1992 :–</u>

सेबी अधिनियम, 1992 को निम्न वैधानिक अधिकारों एवं शक्तियों के साथ लागू किया गया– (अ) प्रतिभूतियों के विनियोगकर्त्ता के हितों की सुरक्षा करना। (ब) प्रतिभूति बाजार के विकास को प्रोत्साहित करना। (स) प्रतिभूति बाजार को नियन्त्रित करना। इसकी नियन्त्रित शक्तियों में पूँजी का निर्गमन, प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण के अतिरिक्त सभी मध्यस्थों एवं प्रतिभूति बाजार से जुड़े सभी व्यक्तियों का नियन्त्रण सम्मिलित है। अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले सभी मामलों से सम्बन्धित पूछताछ, अंकेक्षण, निरीक्षण एवं सभी विधायी अपराधों आदि से सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करता है। इसके अर्न्तगत सभी मध्यस्थों का पंजीकरण एवं नियन्त्रण सम्मिलित है तथा मध्यस्थों द्वारा विनियमन के उल्लंघन करने की दशा में उन्हें दण्डित करने का अधिकार भी है। सेबी को पूर्ण स्वायत्त एवं अधिकार है कि वह प्रतिभूति बाजार के विकास एवं नियमन के लिये क्रियाशील रहे।

<u>प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 1956 :–</u>

यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति व्यापार व्यवहार के सभी पक्षों पर नियन्त्रण रखता है और प्रतिभूति बाजार में अनुचित व्यवहारों की रोकथाम सम्बन्धी क्रियाओं का नियमन करता है। यह केन्द्रीय सरकार को प्रतिभूति अनुबन्ध के सम्बन्ध में वैधानिक नियमन अधिकार प्रदान करता है– (अ) प्रतिभूति की मान्य प्रक्रिया एवं निरन्तर निरीक्षण द्वारा, (ब) प्रतिभूति अनुबन्धों में, (स) प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों का सूचीयन।

सूचीयन केन्द्रीय सरकार की सशर्त प्रक्रिया है जिससे प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त होती है। इसके माध्यम से संगठित प्रतिभूति व्यवहार किसी मान्य स्टॉक एक्स्चेंज के माध्यम से होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की अपनी विनियमन प्रक्रिया भी सूचीयन के लिए है जिससे वह यह सुनिश्चित करता है कि सूचीकरण की निर्धारित न्यूनतम योग्यता कम्पनी या प्रतिभूति पूर्ण करती है।

- <u>निवेशक अधिनियम 1996 :–</u>

  सन् 1996 में स्थापित निवेशक अधिनियम प्रतिभूतियों में विनियोगकर्त्ताओं को त्वरित मुक्त पारदर्शी हस्तांतरण एवं शुद्धता के उद्देश्य से किया गया। इसके लिए यह अधिनियम अग्र क्रिया करता है– (अ) कुछ अपवादों को छोड़कर सार्वजनिक कम्पनियों की प्रतिभूतियों का मुक्त हस्तान्तरण, (ब) निवेशक स्वरूप में प्रतिभूतियों का निरूपीकरण, (स) स्वामित्व अभिलेखों का लेखों के रूप में सरंक्षण एवं पोषण। प्रतिभूतियों व्यवहारों की निष्पादन प्रक्रिया में अधिनियम स्वामित्व हस्तान्तरण के लिए अपनी पुस्तकों/अभिलेखों के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक हस्तान्तरण करता है जिससे प्रतिभूति के भौतिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण की आवश्यकता नहीं होती। यह अधिनियम सभी सार्वजनिक कम्पनियों की प्रतिभूतियों के मुक्त हस्तान्तरण की व्यवस्था करता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में कम्पनी हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अपने विवेक प्रयोग का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम द्वारा हस्तान्तरण अनुबन्ध सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है।

- <u>कम्पनी अधिनियम 1956 :–</u>

  यह प्रतिभूतियों के निर्गमन, आबंटन, हस्तान्तरण के अतिरिक्त विभिन्न कम्पनी क्रियाओं से भी सम्बन्धित है। यह सार्वजनिक निर्गमन के सम्बन्ध में निर्धारित मानक तय करता है,। विशेषकर कम्पनी के प्रबन्ध एवं परियोजना के सम्बन्ध में यदि इस प्रबन्ध की कोई ऐसी अन्य परियोजना है तो उसके सम्बन्ध तथा संलग्न जोखिमों के सम्बन्ध में घोषणा का प्रावधान तय करता है। यह निर्गमन पर प्रीमियम, छूट, अभिगोपन एवं बोनस अंशों के अधिकार को भी विनियमित करता है। इसके अर्न्तगत ब्याज एवं लाभांश भुगतान, वार्षिक प्रतिवेदन की आपूर्ति एवं अन्य सम्बन्धित सूचनाओं के भी प्रावधान हैं।

- <u>अर्थशोधन निवारण अधिनियम 2002 :–</u>

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य काले धन की रोकथाम एवं राज्य द्वारा ऐसी सम्पत्तियों का अधिग्रहण है जिसमें काला धन संलग्न हो। काले धन का अभिप्राय उससे है जिसने उसे आपराधिक रूप से स्वयं अधिग्रहित किया हो अथवा हस्तान्तरण किया हो अथवा जानबूझ कर इस प्रकार के लेनदेन में सम्मिलित रहा हो या उस प्रक्रिया का हिस्सा बना हो अथवा इस प्रकार के काले धन की अर्जन प्रक्रिया में सहायक बना हो, भारत के अंदर अथवा भारत के बाहर आपराधिक अर्थशोधन की क्रिया की हो। इस अधिनियम में काले धन में संलिप्तता रखने वालों के लिये दंड का प्रावधान ही नहीं है वरन् उस पर रोकथाम करने के भी पर्याप्त प्रावधान हैं। यह अधिनियम ऐसी सूचनाओं से जुड़े मध्यस्थों, बैंकिंग कम्पनियों आदि के प्रति यह दायित्व उत्पन्न करता है कि वह ऐसी सभी सम्बन्धित सूचनायें भारतीय वित्त सूचना इकाई को दे जो इस प्रकार की सूचना एवं पोषित करने के लिए एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति करता है।

14.5 भारतीय प्रतिभूति बाज़ार में NSE की भूमिका

NSE को अप्रैल सन् 1993 को एक अधिकृत स्टाक एक्सचेंज बाज़ार के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। NSE की स्थापना अग्र उद्देश्यों के लिए की गयी– (अ) सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार एवं लेनदेन संभव हो, (ब) एक उचित संचार या सम्प्रेषण प्रणाली जिसके माध्यम से सम्पूर्ण देश में सभी विनियोजक समान रूप से प्रतिभाग कर सकें, (स) एक इलैक्ट्रानिक माध्यम से संचालित बाज़ार जिसमें उचित, त्वरित एवं पारदर्शी प्रतिभूति व्यवहार संभव हों, (द) अल्पतम निष्पादन समय एवं लेखापुस्तक निष्पत्ति, एवं (य) अन्तर्राष्ट्रीय मानक एवं निर्देशों की स्थापना। अत्यंत अल्प समय में NSE ने अपने निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त किया और भारतीय पूंजी बाज़ार के वर्तमान रूप को परिमार्जित करने में अपनी एक अहम् भूमिका स्थापित की है।

NSE ने रोल मॉडल के रूप में प्रतिभूति बाज़ार में एक सरंचना प्रस्तुत की है जिससे प्रतिभूति उद्योग में व्यापारिक व्यवहार, समाशोधन, निष्पत्ति, प्रयास, उनका अनुसरण कर सके। NSE ने बाज़ार व्यवहार, उत्पादक, तकनीक एवं सेवाओं के लिए जो मानक एवं निर्देश ज़ारी किए हैं प्रतिभूति बाज़ार के अन्य प्रतिभागी भी उनका अनुसरण करते हैं। यह सम्पूर्ण देश में उच्च पारदर्शिता एवं समान अवसरों के साथ चित्र प्रदर्शन के द्वारा स्वचालित इलैक्ट्रॉनिक व्यापार व्यवस्था प्रतिभूति व्यवहारों के लिए उपलब्ध कराता है। ऑनलाइन उच्चतम सूचना प्रसारण व्यवस्था लागू करना जिससे राष्ट्रीय स्तर पर फुटकर या छोटे विनियोजकों को एकीकृत किया जा सके। NSE की प्रतिभूति बाजार की सूक्ष्म संरचना एवं व्यवहार को परिमार्जित एवं परिष्कृत करने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह करता है। इसके प्रारम्भ से ही इसने एक डिम्युचलाइस्ड व्यवस्था अंगीकार की है जिसमें स्वामित्व, प्रबन्ध एवं व्यापार अधिकार तीन पृथक व्यक्तियों के समूह पर रहते हैं। इसके माध्यम से सार्वजनिक हित सम्बन्धी संघर्ष पूर्णतः समाप्त हो गए और सार्वजनिक हितों की सुरक्षा में NSE की नीतियां एवं व्यवहार कारगर रहे। इसके माध्यम से सभी प्रतिभूति व्यापारिक व्यवहार

एक विशाल कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा जोड़े गए जिसको एक्सचेंज में केन्द्रित रुप से विश्लेषित एवं निष्पादित किया जाता है, पूरे देश में व्यापारिक सदस्यों की उपचार केन्द्रों और प्रयोगकर्ता के घर के कम्प्यूटर तक पहुँच सुनिश्चित की गयी। NSE के नियमन एवं प्रयासों के माध्यम से सौंदों में जोखिम की मात्रा न्यूनतम हुई है, समाशोधन एवं सौदे की निष्पत्ति सरल, स्पष्ट एवं तीव्र हुई है, सौदों में समय चक्र कम हुआ है, व्यापारिक सदस्यों के पेशेवर रुख में वृद्धि हुई है, उत्तम संतुलित जोखिम प्रबन्ध व्यवस्था, प्रतिभूतियों का इलैक्ट्रॉनिक हस्तान्तरण, समाशोधन निगम की स्थापना आदि के माध्यम से NSE ने प्रतिभूति बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर पहुंचा दिया है।

परिणामस्वरूप प्रतिभूति बाजार वर्तमान में कलात्मक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर एक प्रभावी, पारदर्शी व्यापार, समाशोधन एवं सौदों की निष्पत्ति का कार्य कर रहा है।

NSE के माध्यम से समता प्रतिभूति, ऋण प्रतिभूति एवं व्युत्पन्न प्रतिभूतियों में एक ही स्थान (मंच) पर व्यापारिक व्यवहार किया जा सकता है। प्रतिभूति अनुबन्ध (नियम) अधिनियम 1956 द्वारा NSE को 1 अप्रैल, 1993 को स्टॉक एक्सचेंज के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात इसने अपने थोक व्यापार को प्रारम्भ किया। भारतीय प्रतिभूति बाजार में www.nseindia.com, जून 1994 में ISMR ऋण बाजार खंड प्रक्रिया, पूंजी बाजार नवम्बर 1994 में, समता व्युत्पन्न प्रतिभूति खंड जून 2000 में आदि के माध्यम से NSE द्वारा प्रतिभूति बाजार को परिष्कृत करने के लिए क्रियाऐं की गयी। जनवरी 2003 में NSE ने सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा लेनदेन प्रारंभ किया तथा अगस्त 2008 से भावी मुद्रा लेन देन में व्यापारिक व्यापार प्रारंभ किये गए। थोक ऋण बाज़ार विभाजन ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार व्यवहार के लिए विस्तृत व्यापारिक प्लेटफॉर्म मिला। इसके उत्पाद, जो कि अब FIMMDA, The FIMMDA NSE MIBID/MIBOR के साथ विस्तार कर चुके है, एक अधिकृत एवं स्वीकृत दर स्थापित करते हैं जिसके आधार सभी प्रकार के लेनदेन–अदल बदल दर, वायदा अनुबन्ध दर, फ्लोटिंग ऋणपत्र दर एवं सावधि जमा आदि पूरे देश में होते हैं। इसके "जीरो कूपन प्राप्ति वक्र" साथ ही स्थायी आय प्रतिभूति के रूप में NSE-VAR स्वायत्त प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए अत्यन्त प्रचलित हैं। इसमें इसकी तरलता निगमीय प्रपत्रों का मूल्य एवं बांड निर्देशांक आदि का कोई प्रभाव नहीं माना जाता।

NSE पूंजी बाज़ार विभाजन के माध्यम से एक स्वचालित केन्द्रीयकृत चित्रमय (स्क्रीन) व्यापारिक व्यवस्था लागू की गयी जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। इस एक्सचेंज के माध्यम से निश्चित एवं स्थायी दर, समय की प्राथमिकता आदि संचालित होते हैं। यह समपूर्ण देश में अपने सदस्यों को व्यापार एकरूपता के साथ व्यवहारों को सुगमता एवं कुशलता से उपलब्ध कराता है।

NSE द्वारा समता व्युत्पन्न विभाजन के माध्यम से व्युत्पन्न प्रतिभूतियों में व्यापार– व्यवहार के विस्तृत अवसर उपलबध कराये गये जैसे– भावी निर्देशांक, निर्देशांक विकल्प, स्कंध विकल्प, भावी स्कंध आदि।

NSE मौद्रिक व्युत्पन्न विभाजन के माध्यम से 29 अगस्त 2008 के माध्यम USD-INR पर मौद्रिक भावी सौदों को प्रारम्भ किया गया। फरवरी 2010 से अन्य रूप GBP-INR, EUR-INR एवं JPY-INR में व्यापार व्यवहार की भी अनुमति प्रदान कर दी गयी। भावी ब्याज दर मौद्रिक भावी व्युत्पन्न सौदों के लिए NSE ने इस विभाजन पर दी और यह सौदे व्यापारिक विभाजन के लिए 31 अगस्त 2009 को स्वीकृत हुए।

वर्तमान समय में भी NSE 87.64% कुल टर्नओवर का हिस्सा लेकर बाज़ार का नेतृत्व कर रहा है (यह परिमाण रोकड़ बाज़ार, समता व्युत्पन्न एवं मौद्रिक व्युत्पन्न का है) यह स्थिति 2009– 2010 के आंकड़ो पर आधारित है। NSE समता व्यापार में 74. 98% भागीदारी एवं समता व्युत्पन्न विभाजन में लगभग शत प्रतिशत साझेदारी के साथ बाज़ार में शीर्ष पर है। न केवल भारत में वरन् वैश्विक स्तर पर भी NSE ने प्रतिभूति व्यापार व्यवहार में विभिन्न साधनों के माध्यम से शीर्ष स्थान कमाया है।

14.6 प्रतिभूतियों के प्रकार

समता अंश :–

समता अंश या साधारण अंश वह अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित एवं स्थायी दर से भुगतान के पश्चात लाभांश समता अंशधारियों को दिया जाता है। समता अंशों पर लाभांश की दर स्थायी या निर्धारित नहीं होती है। यह उपलब्ध लाभ राशि एवं संचालक मण्डल की इच्छानुसार भुगतान योग्य होती है। कम्पनी के समापन की दशा में अन्य सभी देयताओं एवं पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान के पश्चात शेष धनराशि समता अंशधारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध होती है। समता अंश पूंजी का एक महत्वपूर्ण तत्व इसके स्वामियों का कम्पनी के कार्यों पर नियन्त्रण होना तथा लाभों एवं पूंजी सम्पत्ति पर असीमित हित रखना है। वह कम्पनी के कार्यों से सम्बद्ध सभी प्रकरणों में मतदान का अधिकार रखते हैं। जहां एक ओर उन्हें शून्य लाभांश का जोखिम रहता है वहीं दूसरी ओर उच्च दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार भी। कोई भी संस्थान या कम्पनी साधारण अंशों के निर्गमन के बिना लाभ अर्जित करने के लिए अस्तित्व में नहीं आ सकती। इसको जोखिम पूंजी भी कहा जाता है।

उद्यम समता :–

वित्तीय समता के विपरीत उद्यम समता किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी परियोजना में उनके प्रयासों द्वारा दिया गया अंशदान है जो कि पूंजी के रूप में उनका अंशदान होता है। एक साझेदारी में कुछ साझेदार मात्र वित्तीय पूंजी विनियोजित करते हैं जबकि कुछ साझेदार पूंजी के रूप में उद्यम/किसी स्टार्टअप निगमित संस्था में कर्मचारियों को सह स्वामित्व के रूप में रहतिया या रहतिये का विकल्प उनके वेतन या पारिश्रमिक के स्थान पर दिया जा सकता है। यह शब्द कर्मचारियों एवं स्वामी को उनके व्यापार के लिए किए गये कार्यों की क्षतिपूर्ति को दर्शाता है।

इसका प्रयोग कई बार स्टार्टअप कम्पनी के संस्थापकों को उनके प्रयासों के प्रतिफल के लिए स्वामित्व अंशों के स्थान पर भी होता है। यह विचारधारा सेवाओं के प्रति रहतिया या समता क्षतिपूर्ति भी कही जाती है।

मतदान रहित प्रतिभूति :–

मतदान रहित प्रतिभूति में अंशधारी को या तो मतदान का अधिकार नहीं होता अथवा अत्यन्त अल्पमताधिकार रहता है जैसे संचालक मण्डल के चुनाव या विलयन में। इस प्रकार के अंश उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जो कम्पनी की लाभदायकता एवं सफलता में हिस्सेदारी को मतदान में भागीदारी से अधिक महत्व देते हैं। पूर्वाधिकार प्रतिभूतियां भी मतदान रहित स्वभाव की होती हैं।

अधिकार अंश :–

एक अधिकार निर्गमन किसी कम्पनी द्वारा अंशों के निर्गमन का अतिरिक्त द्वितीय प्रस्ताव होता है। अधिकार निर्गमन अग्रिम प्रस्ताव या अग्रिम पंजीकरण की एक विशिष्ट विधि है। इसमें वर्तमान अंशधारियों को यह प्राथमिक अधिकार प्राप्त होता है कि वह इस नवीन निर्गमन से निर्धारित संख्या, निर्धारित दर एवं निर्धारित समय में अंश क्रय कर सकते हैं। इस रूप में अधिकार निर्गमन सार्वजनिक निर्गमन के विपरीत है जिसमें सामान्य जनता को बाजार में अंशों को क्रय करने का अधिकार होता है। Closed end कम्पनियाँ अनिवार्यतः अपने सभी लाभ एवं पूंजी लाभ प्रत्येक वर्ष वितरित कर देती है जिसके कारण उनके पास प्रतिधारित आय नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वह अधिकार प्रस्ताव के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी एकत्र करते हैं। सामान्यतः कम्पनियां जब परम्परागत निर्गमन के माध्यम से पूंजी एकत्रण में कुछ समस्या देखती हैं तो ब्याज दर एवं ऋण से बचने के लिए अतिरिक्त पूंजी के रूप में अधिकार अंशों के निर्गमन करती हैं।

बोनस अंश :–

बोनस अंश बिना मूल्य का वह अंश है जो वर्तमान अंशधारियों की वर्तमान अंशधारिता के आधार पर निश्चित अनुपात में दिया जाता है। इन अंशों के निर्गमन से कुल निर्गमित अंश एवं अंश स्वामित्व की संख्या में तो वृद्धि होती है परन्तु कम्पनी के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बोनस अंश निर्गमन से कुल निर्गमित अंशों की संख्या में तो वृद्धि होती है परन्तु अंशधारियों द्वारा अंशधारिता का अनुपात अपरिवर्तित रहता है।

पूर्वाधिकार प्रतिभूति :–

प्राथमिक/पूर्वाधिकार/अधिमान प्रतिभूति जिन्हें प्राथमिक सहभागिता, पूर्वाधिकार अंश भी कहा जाता है यह एक विशिष्ट समता प्रतिभूति है जिसमें समता तथा ऋण प्रतिभूति प्रपत्र दोनों के गुण होते हैं इनको सामान्यतः विनियोग का हाईब्रिड साधन माना जाता है। पूर्वाधिकार को सामान्य से वरिष्ठ परन्तु बॉड एवं ऋण पत्रों से अधिकार एवं दावे (सम्पत्तियों पर) के कारण कनिष्ठ माना जाता है।

पूर्वाधिकार प्रतिभूति धारकों को लाभांश भुगतान एवं समापन की स्थिति में सामान्य प्रतिभूतियों की तुलना में प्राथमिकता होती है परन्तु सामान्यतः मतदान का अधिकार नहीं होता। पूर्वाधिकार प्रतिभूति को पदनाम का प्रमाण पत्र भी कहा जाता है।

ऋण पत्र :–

एक ऋण पत्र एक प्रपत्र है जो ऋण को उत्पन्न करता है अथवा उसे स्वीकृति देता है यह बिना प्रतिभूति सुरक्षा के दिया गया ऋण है। निगमीय वित्त में, इसका प्रयोग मध्यम से दीर्घकालीन ऋण प्रपत्र के रूप में वृहद् कम्पनियों के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ देशों में बांड, ऋण प्रतिभूति और ऋण प्रपत्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अतः ऋणपत्र एक ऋण का प्रमाण पत्र या ऋण बांड का प्रमाणक है कि कम्पनी निर्धारित राशि एवं निर्धारित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ऋणपत्र द्वारा प्राप्त राशि कम्पनी की पूंजी संरचना का एक भाग होती है परन्तु यह अंशपूंजी नहीं होती है। वरिष्ठ ऋण पत्रों को सहायक ऋण पत्रों पर दर, जोखिम एवं भुगतान की दृष्टि से प्राथमिकता होती है।

बांड :–

एक बांड एक ऋण प्रतिभूति है जिसमें बांड का अधिकृत निर्गमनकर्ता बांड की शर्तों के अनुसार धारक को ब्याज भुगतान ऋण राशि प्रयोग के लिए तथा निश्चित तिथि अथवा परिपक्वता तिथि पर मूल धनराशि चुकाने का वचन देता है। एक बांड एक औपचारिक अनुबन्ध है जिसमें ऋण रूप में प्राप्त धनराशि को निर्धारित समयान्तराल से (छमाही, वार्षिक, कभी कभी मासिक) चुकाने का उल्लेख या वचन होता है।

वारंट :–

वारंट धारक एक निश्चित समय उपरान्त पूर्व घोषित मूल्य पर, निर्गमनकर्ता कम्पनी की घोषित पूंजी की प्राप्ति के विकल्प का अधिकारी बनता है। वारंट सामान्यतः किसी अन्य ऋण प्रतिभूति के साथ प्रोत्साहन स्वरूप निर्गमित किये जाते हैं ऐसी स्थिति में निर्गमनकर्ता कम ब्याज या लाभांश भुगतान के लिए स्वीकृति प्राप्त करता है। इस क्रिया के माध्यम से बांड की प्राप्त धनराशि का क्षेत्र विस्तृत होता है क्रेता को क्रय के लिए अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। वारंट का प्रयोग निजी समता पूंजी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह वारंट पृथकीकरण योग्य होते हैं परन्तु इनको स्वतन्त्र रूप से भी प्रतिभूति रूप में विक्रय किया जा सकता है।

14.7 मुम्बई प्रतिभूति एक्सचेंज (BSE) में प्रतिभूतियों के सूचीकृत होने के लिए दिशा–निर्देश

किसी अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार के लिए प्रवेश या पंजीकरण प्रतिभूतियों का सूचीकरण कहा जाता है। यह प्रतिभूति सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, केन्द्रीय और राज्य सरकार की हो सकती है, अर्द्ध सरकारी, वित्तीय संस्थान/निगम, स्थानीय निकायों आदि से सम्बन्धित हो सकती है। सूचीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करना।

- आर्थिक विकास के लिए बचतों को आकृष्ट करना एवं
- पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर विनियोजकों के हितों की सुरक्षा

BSE लिमिटेड का पूर्णतः समर्पित सूचीकरण विभाग SCRA 1956, SCR 1957, कम्पनी अधनियम 1956, SEBI द्वारा निर्गत नियमों एवं दिशा निर्देशों के आधार पर विभिन्न कम्पनियों की प्रतिभूतियों के सूचीकरण का कार्य करता है।

BSE ने सूचीकरण के लिए निश्चित प्रारूप एवं दिशा निर्देश निर्धारित किए हुए हैं जिन्हें आवेदक कम्पनी को पूर्ण करना होता है। यह दिशा निर्देश कम्पनी को सम्बन्धित घोषणाओं एवं औपचारिकतायें पूर्ण करने में सहायक होते हैं। यह स्थितियां निम्न हैं जिनमें इन औपचारिकताओं एवं दिशा निर्देशों को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है –

1. सार्वजनिक निर्गमन
    - प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन या प्रस्ताव
    - पुनः सार्वजनिक निर्गमन या प्रस्ताव
2. पूर्वाधिकार निर्गमन
3. भारतीय जमा रसीदें (प्रपत्र)
4. एकीकरण
5. योग्य संस्थान स्थापन/प्लेसमेंट

कोई भी कम्पनी जो BSE के अन्तर्गत अपनी प्रतिभूतियों को सूचीकृत कराना चाहती है उसे इसके द्वारा निर्धारित सभी अर्हताओं को पूर्ण करना होता है। इन प्रारूपों, नियमों एवं अर्हताओं में से प्रमुख निम्नलिखित है –

1. <u>नयी कम्पनी के सूचीकरण के लिए न्यूनतम अर्हतायें :–</u>

    कम्पनियों के सूचीकरण के उनके प्रारम्भिक निर्गमन एवं अन्य निर्गमन के लिए BSE ने निम्न न्यूनतम योग्यतायें या अर्हतायें निर्धारित की है –

    - आवेदक कम्पनी की न्यूनतम निर्गमन पश्चात चुकता पूंजी प्रारम्भिक प्रारम्भिक निर्गमन की स्थिति में 10 करोड़ रू0 तथा अन्य निर्गमन की दशा में 3 करोड़ रू0 होनी चाहिए एवं
    - कुल न्यूनतम निर्गमन आकार 10 करोड़ रूपये होगा एवं
    - कम्पनी का न्यूनतम बाजार पूंजीकरण मूल्य 25 करोड़ रूपये होगा। (निर्गमन पश्चात चुकता पूंजी के अंशों की संख्या से निर्गमन मूल्य की गुणा करके बाजार पूंजीकरण की गणना होती है) अन्य।
    - BSE के सूचीकरण के प्रस्तावों एवं प्रारूपों से यह घोषणा आवेदक कम्पनी को स्वीकार करनी होती है कि यदि चुकता पूंजी एवं बाजार पूंजीकरण सम्बन्धी अर्हतायें यदि वह प्राप्त नहीं करती है BSE आवेदक को सूचीकृत श्रेणी में सम्मिलित नहीं करेगा।
    - आवेदक, प्रवर्तक एवं/या कम्पनियों का समूह सूचीकरण सम्बन्धी अनुबन्ध का अनुपालन का खंडन नहीं करेगा।

- उपरोक्त अर्हतायें उन शर्तों के अतिरिक्त होगी जो सेबी नियमन अधिनियम 2009 में निर्धारित है।
- आवेदक सूचीकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न के विनियमन एवं दिशा निर्देशों से भी बाध्य रहेगा –
    1. SCRA 1956
    2. SCR 1957
    3. कम्पनी अधिनियम 1956
    4. SEBI अधिनियम 1992
    5. अन्य कोई आदेश स्पष्टीकरण, दिशा निर्देश जो कि किसी उचित प्राधिकरण द्वारा जारी किये जायें।

2. <u>BSE द्वारा असूचियन श्रेणी की प्रतिभूतियों के पुनः सूचीकृत कराने हेतु न्यूनतम अर्हतायें :</u>

BSE द्वारा असूचीकृत कम्पनियों को पुनः सूचीकृत होने के लिए पुनः नवीन सार्वजनिक निर्गमन करना होता है तथा BSE एवं सेबी द्वारा जारी प्रारम्भिक निर्गमन की सभी अर्हताओं को पूर्ण करना होता है।

3. <u>आवेदक कम्पनी द्वारा का BSE नाम प्रविवरण में प्रयोग करने की अनुमति :–</u>

ऐसी कम्पनी जो अपनी प्रतिभूतियों को सूचीकृत करने की इच्छा रखती हैं तथा अपने विक्रय प्रपत्र या प्रविवरण में BSE के नाम का प्रयोग करने की इच्छा रखती हैं को BSE की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। साथ ही उन्हें कम्पनी रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति भी प्राप्त होती है।

प्रविवरण में या विक्रय के प्रस्ताव में BSE के नाम की अनुमति किसी भी कम्पनी को दिये जाने के लिए BSE की एक सूचीकरण समिति है जिसमें प्रतिभूति बाजार के विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं। यह समिति प्रवर्तकों, कम्पनी, परियोजना, वित्तीय स्थिति, जोखिम तत्व आदि अनेकों तथ्यों का आवेदक कम्पनी के सम्बन्ध में मूल्यांकन करती है और उसके पश्चात इस सम्बन्ध में निर्णय लेती है। कम्पनी के आकार/प्रकार के सम्बन्ध में निर्णय का अधिकार BSE की आन्तरिक समिति को भी हस्तान्तरित किया जाता है।

4. <u>आवेदन प्रपत्र का प्रस्तुत/दाखिल करना :–</u>

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 73 के अनुसार एक कम्पनी, जो कि अपनी प्रतिभूतियों को BSE में सूचीकृत कराना चाहती है, को सभी स्टॉक एक्सचेंज जहां वह व्यवहार करना चाहती है में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है, एवं सूचीकरण सम्बन्धी आवेदन उसे कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रविवरण दाखिल करने से पूर्व करना होता है।

5. <u>प्रतिभूतियों का आबंटन :–</u>

सूचीकरण अनुबन्ध के अनुसार एक कम्पनी को आवेदन सूची के समापन की तिथि के 30 दिन के अन्दर अपनी आबंटन प्रक्रिया सम्पूर्ण करनी होती है और इस आबंटन के आधार पर सम्बन्धित स्टॉक एक्सचेंज को अनुमोदन के लिए सम्पर्क करना होता है।

बुक बिल्डिंग निर्गमन की दशा में आबंटन प्रक्रिया आवेदन की अन्तिम तिथि के 15 दिन के अन्दर सम्पूर्ण करनी होती है विफलता की स्थिति में विनियोजकों को 15% की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है।

6. <u>व्यापार व्यवहार अनुमति :–</u>

सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक आवेदक कम्पनी को आबंटन के समापन के आधार पर सभी स्टॉक एक्सचेंज पर जहां सूचीकरण होना है, 7 कार्य दिवसों में सभी अनिवार्य औपचारिकतायें पूर्ण करनी होती है।

एक कम्पनी को सतर्कतापूर्वक सेबी दिशा निर्देश 2000 द्वारा जारी निर्देशों एवं समय सीमा का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। उसे निर्धारित समय सीमा में आबंटन प्रक्रिया, आबंटन प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों का निष्कासन एवं रिफंड आदेश विनियोजकों के खाते में जमा करना सुनिश्चित करना होता है तभी उसे सभी सम्बन्धित स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति प्राप्त होगी जिनका नाम उसने विक्रय प्रस्ताव अथवा प्रविवरण में उल्लिखित किया है। यदि कम्पनी का सूचीकरण आवेदन किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो कम्पनी अपनी आबंटन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर सकती यद्यपि इस सम्बन्ध में कम्पनी BSE अधिनियम 1956 की धारा 22 के अनुसार सेबी के समक्ष अपील कर सकती है।

7. <u>1% सुरक्षा राशि की आवश्यकता :–</u>

किसी भी कम्पनी को सार्वजनिक/अधिकार अंशों के निर्गमन से पूर्व 1% सुरक्षा राशि (कुल निर्गमन राशि की) सम्बन्धित स्टॉक एक्सचेंज में जमा करनी होती है। यदि कम्पनी विनियोजकों को अंश प्रमाण पत्र/रिफंड आदेश/अभिगोपन को अदेय का भुगतान आदि शिकायतों का निस्तारण करने में असफल रहती है तो इस सुरक्षा राशि को जब्त किया जा सकता है।

8. <u>सूचीकरण शुल्क का भुगतान :–</u>

BSE के साथ सूचीकृत सभी कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष को 30 अप्रैल तक समय समय पर अनुसूची द्वारा जारी या घोषित सूचीकरण शुल्क जमा करना होता है।

सन् 2011–12 [1]के सूचीकरण शुल्क को अनुसूची द्वारा निम्न प्रकार रखा गया –

<u>सारणी 14.1 प्रतिभूतियां * निजी ऋण प्रतिभूतियों एवं म्यूचुअल फंड के अतिरिक्त</u>

क्रमांक	विवरण	रकम/धनराशि
1	प्रारम्भिक सूचीकरण शुल्क	रू0 20,000
2	वार्षिक सूचीकरण शुल्क	रू0 15,000
i	5 करोड़ रू0 तक	

* समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, भारतीय जमा प्रपत्र, पूर्णतः शोधनीय ऋणपत्र, आंशिक शोधनीय ऋणपत्र एवं अन्य ऐसी प्रतिभूतियां जो समता अंशों में परिवर्तनीय हों, सम्मिलित हैं।

ii	5 करोड़ रू0 से 10 करोड़ रू0 तक	रू0 25,000
iii	10 करोड़ रू0 से 20 करोड़ रू0 तक	रू0 40,000
iv	20 करोड़ रू0 से 30 करोड़ रू0 तक	रू0 60,000
v	30 करोड़ रू0 से 100 करोड़ रू0 तक	रू0 70,000 + 2,500 रू0 प्रति 5 करोड़ रू0 की वृद्धि पर या उसके भाग पर, 100 करोड़ रू0 से ऊपर
vi	100 करोड़ रू0 से 500 करोड़ रू0 तक	रू0 1,25,000 + 2,500 रू0 प्रति 5 करोड़ रू0 की वृद्धि पर या उसके भाग पर, 100 करोड़ रू0 से ऊपर
vii	500 करोड़ रू0 से 1000 करोड़ रू0 तक	रू0 3,75,000 + 2,500 रू0 प्रति 5 करोड़ रू0 की वृद्धि पर या उसके भाग पर, 500 करोड़ रू0 से ऊपर
viii	1000 करोड़ रू0 से अधिक	रू0 6,25,000 + 2,750 रू0 प्रति 5 करोड़ रू0 की वृद्धि पर या उसके भाग पर, 1000 करोड़ रू0 से ऊपर

नोट – ऋण पत्र पूंजी की दशा में (समता अंशों में शोधनीय के अतिरिक्त) यह शुल्क उपरोक्त शुल्क का 75% होगा।

सारणी 14.2 निजी ऋण प्रतिभूतियां :–

क्रमांक	विवरण	रकम/धनराशि
1	प्रारम्भिक सूचीकरण शुल्क	शून्य
2	वार्षिक सूचीकरण शुल्क	
i	निर्गमन आकार 5 करोड़ रू0 तक	रू0 2,500
ii	5 करोड़ रू0 से 10 करोड़ रू0 तक	रू0 3750
	10 करोड़ रू0 से 20 करोड़ रू0 तक	रू0 7,500
	20 करोड़ रू0 से अधिक	रू0 7,500 + प्रत्येक 1 करोड़ रू0 या उसके भाग की वृद्धि पर रू0 200 20 करोड़ से अधिक अधिकतम 30,000 रू0 प्रति संयत्र

नोट – ऋण प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में प्रति आवेदन अधिकतम 5,00,000 रू0 वार्षिक की सीमा है।

सारणी 14.3 म्यूचुअल फंड :–

क्रमांक	विवरण	रकम/धनराशि
1	प्रारम्भिक सूचीकरण शुल्क	शून्य
2	योजनाकाल में वार्षिक शुल्क	प्रतिमाह भुगतान योग्य अथवा उसका भाग
i	निर्गमन आकार 50 करोड़ रू0 तक	रू0 1,000
ii	50 करोड़ रू0 से 100 करोड़ रू0 तक	रू0 2,000
	100 करोड़ रू0 से 300 करोड़ रू0 तक	रू0 3,600
	300 करोड़ रू0 से अधिक एवं 500 करोड़ तक	रू0 5,900
	500 करोड़ रू0 से अधिक एवं 1000 करोड़ तक	रू0 9,800
	1000 करोड़ रू0 से अधिक	रू0 15,600

9. **सूचीकरण अनुबन्ध का क्रियान्वयन :–**

सूचीकरण की इच्छुक कम्पनी को BSE के साथ सूचीकृत होने के लिए BSE के साथ एक अनुबन्ध करना होता है जिसके माध्यम से निर्धारित घोषणायें करनी होती है तथा निश्चित क्रियाओं को करना होता है जिसमें विफल रहने पर कम्पनी को दंडित भी किया जा सकता है। इसमें सूचीकरण का निलम्बन एवं रद्द किया जाना सम्मिलित है। सूचीकरण अनुबन्ध एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस पर कम्पनी की कॉमन सील अंकित होती है। सूचीकरण अनुबन्ध के माध्यम से एक कम्पनी यह आश्वस्त करती है कि वह तत्काल हस्तान्तरण, पंजीकरण, उप विभाजन, प्रतिभूतियों का संयुक्तीकरण आदि के प्रति सजगता से कार्य करेगी तथा रिकार्ड तिथियों, पुस्तक हस्तान्तरण की निष्कासन तिथि के लए उचित नोटिस या सूचना देगी, वार्षिक प्रतिवेदन, चिट्ठा, लाभ हानि खाते की 6 प्रतियां BSE को उपलब्ध करायेगी। अंशधारिता प्रक्रिया एवं वित्तीय परिणामों से तिमाही आधार पर BSE को अवगत करायेगी। निगमीय वैधानिकता का अनुपालन करेगी तथा प्रतिभूति मूल्य एवं कम्पनी की वित्तीय निष्पादनता आदि जो कम्पनी की खुशहालता को प्रदर्शित करते हैं, से BSE को तत्परता से अवगत करायेगी।

BSE का सूचीकरण विभाग सूचीकरण अनुबन्ध के कम्पनी द्वारा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में निगरानी रखता है, विशेषकर समय से वार्षिक सूचीकरण शुल्क भुगतान, परिणामों का दाखिल करना, अंशधारिता स्वरूप

आदि से सम्बन्धित यह विभाग तिमाही आधार पर निगमीय वैधानिक प्रतिवेदनों का दाखिल करना भी सुनिश्चित कराता है। किसी कम्पनी के प्रक्रिया अनुपालन में विफल रहने पर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

10. <u>रोकड़ प्रबन्ध सेवायें – सूचीकरण शुल्क का संग्रह :–</u>

सूचीकरण शुल्क की प्रक्रिया को सरल करने के लिए BSE ने HDFC बैंक से एक अनुबन्ध किया है जिसके आधार पर पूरे देश में 141 स्थानों पर बैंक द्वारा यह रोकड़ संग्रहण प्रक्रिया की जाती है। HDFC बैंक इन शाखाओं की सूचना BSE की वेबसाइट www.bseindia.com के साथ HDFC बैंक की वेबसाइट www.hdfcbank.com पर भी उपलब्ध है। यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

14.8 NSE पर प्रतिभूतियों का सूचीकरण

भारतीय कम्पनियों की समता पूंजी प्रक्रिया में सहायता के लिए NSE एक महतवपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है तथा तरल एवं पूर्ण नियमित बाजार उपलब्ध कराता है। मार्च 2010 तक NSE के साथ 1470 कम्पनियां सूचीकृत थीं। सूचीकृत कम्पनियां विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं जैसे– भारी उद्योग, सॉफ्टवेयर, शोधन, सार्वजनिक इकाईयां, अवसंरचना एवं वित्तीय सेवायें। पूंजी बाजार में विस्तार की दृष्टि से विभिन्न प्रतिभूतियां जैसे– समता, बांड अथवा अन्य प्रतिभूतियां। पूंजी बाजार (समता) एवं थोक ऋण बाजार में सूचीकृत होती हैं। सूचीकरण का तात्पर्य NSE के व्यापारिक व्यवहारों में किसी भी प्रतिभूति का औपचारिक रूप से सम्मिलित होना है। निर्गमनकर्ता की पूंजी आवश्यकता से समझौता किये बिना NSE विनियोगकर्ता को तरलता प्रदान करता है और निर्गमितकर्ता की व्यापारिक गतिविधियों पर विनियोगकर्ता के हित के लिए प्रभावी निगरानी रखता है। निर्गमनकर्ता को अपनी प्रतिभूतियों के व्यापार व्यवहार में विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचीकरण सम्बन्धी निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है उसे सम्बन्धित अन्य नियमों को भी पूर्ण करना होता है। उसे सूचीकरण शुल्क के भुगतान एवं सूचीकरण सम्बन्धी अन्य सभी आवश्यकताओं को निरन्तरता के आधार पर पूर्ण करना होता है। सभी निर्गमनकर्ता जो अपनी प्रतिभूति का सूचीकरण चाहते हैं को सभी वैधानिक आवश्यकताओं एवं बनाये गये विनियमनों को संतुष्ट करना होता है।

<u>सूचीकरण अर्हता :–</u>

SCR 1957, सेबी अधिनियम के दिशा निर्देश एवं अन्य नियमों के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कम्पनियों के नवीन निर्गमन के सम्बन्ध में अर्हतायें घोषित की गयी हैं। इन अर्हताओं में बाजार पूंजीकरण, कम्पनी/प्रवर्तकों का पिछला रिकार्ड, न्यूनतम चुकता पूंजी आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रतिभूतियों के निर्गमनकर्ता को SCRA 1956, कम्पनी अधिनियम 1956, सेबी अधिनियम 1992 के अतिरिक्त सभी नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि जो भी इनके अनुसार निर्धारित हो का अनुपालन करना होता है।

<u>सूचीकरण अनुबन्ध :–</u>

उन सभी कम्पनियों को जो अपनी प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकृत कराना चाहती है, को स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक औपचारिक अनुबन्ध करना होता है। इस अनुबन्ध में उन सभी संख्यात्मक एवं गुणात्मक आवश्यकताओं का उल्लेख रहता है जिनको सूचीकरण की निरन्तरता के लिए कम्पनी को पूर्ण करना होता है। स्टॉक एक्सचेंज यह निगरानी रखता है कि यह अर्हता एवं आवश्यकतायें निरन्तर कम्पनी द्वारा पूर्ण की जाती रहें, ऐसा न करने पर वह सूचीकरण अनुबन्ध को निलम्बित कर कम्पनी के स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार व्यवहार को रोका जा सकता है। इस अनुबन्ध का प्रयोग निगमीय वैधानिकता को पूर्ण करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है।

सूचीकृत कम्पनी द्वारा क्रियान्वयन :–

NSE द्वारा सूचीकरण अनुबन्ध की पूर्णता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत प्रक्रिया लागू की गयी है। यह पुस्तकों के निष्कासन समय की घोषणा, अभिलेख तिथि, तिमाही परिणामों की घोषणा, अंशधारिता स्वरूप का प्रस्तुतिकरण, वार्षिक प्रतिवेदन, निष्पादन अधिकारी की नियुक्ति, निगमीय वैधानिक प्रतिवेदन, विनियोगकर्ताओं की शिकायतें एवं अन्य घोषणओं की प्रक्रियाओं आदि का आवधिक अवलोकन एवं समीक्षा करता है।

सूचीकृत कम्पनी द्वारा उद्घोषणा :–

यह अनिवार्य है कि कम्पनी सभी मूल्य संवेदनशील/तात्विक सूचनायें प्रतिभूति के सम्बन्ध में बाजार के प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये जिससे विनियोगकर्ता प्रतिभूतियों में विनियोग सम्बन्धी निर्णय से तत्काल सूचित कर सकें। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ आवधिक घोषणायें निर्धारित की हुई हैं जिन्हें कम्पनी को बाजार में NEAT टर्मिनल तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के माध्यम से करना होता है। इन घोषणाओं में निगमीय क्रियायें, तिमाही/छमाही परिणाम, बोर्ड मीटिंग का निर्णय, गैर प्रवर्तक धारितायें, प्रैस रिलीज आदि सम्मिलित होते हैं।

असूचीकरण/असूचीयन :–

SEBI दिशा निर्देश 2003 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज का असूचीयन निम्न दो प्रकार का हो सकता है –

कम्पनियों का ऐच्छिक असूचीयन :–

कोई भी प्रवर्तक या अधिगृहता यदि कम्पनी की प्रतिभूतियों का असूचीयन चाहता है उसे डाक मतदान के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव पारित कर अंशधारियों की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इसके लिए जिस स्टॉक एक्सचेंज पर असूचीयन कराना होता, वहां औपचारिक आवेदन करना होता है तथा निर्धारित प्रारूप पर स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होता है उसे उन सभी अतिरिक्त शर्तों को भी पूर्ण करना सुनिश्चित करना होता है जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित की जाये। यदि कम्पनी का कोई प्रवर्तक जो स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों के असूचीयन की इच्छा रखता है को दिशा निर्देशों के अनुसार असूचीयन की प्रतिभूतियों का बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर निष्कासन मूल्य निर्धारित करना होता है। असूचीयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज

अपनी संरचना के माध्यम से टर्मिनल पर व्यापारिक सदस्यों के लिए प्रदर्शित करने की व्यवस्था करता है जिससे विनियोगकर्ता मूल्य स्क्रीन पर प्रदर्शन के आधार पर असूचीयन प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सके।

कम्पनियो का अनिवार्य असूचीयन :–

स्टॉक एक्सचेंज उन कम्पनियों का अनिवार्य असूचीयन कर सकता है जो सूचीकरण अनुबन्ध पूर्ण न करने के कारण कम से कम 6 माह के लिए निलम्बित की गयी हों। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी करता है तथा उचित एवं विस्तृत सार्वजनिक सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से जारी करता है। स्टॉक एक्सचेंज इस असूचीयन से पूर्व 15 दिन का समय प्रदान करेगा कि यदि किसी को इस असूचीयन से आपत्ति हो तो इस अवधि में अपना विरोध–पत्र दाखिल कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज विरोध पत्र पर विचार करने के उपरांत प्रतिभूति का असूचीयन कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज समाचार पत्र अथवा अन्य सार्वजनिक माध्यम से, अपने नोटिस बोर्ड पर, स्टॉक एक्सचेंज व्यवहार व्यवस्था के माध्यम से उक्त सूचना की उद्घोषणा तथा ऐसी प्रतिभूति के उचित मूल्य को प्रसारित करने की व्यवस्था करता है।

वह स्टॉक एक्सचेंज ऐसी कम्पनी का नाम अपनी वेबसाईट के माध्यम से प्रदर्शित करता है जहॉ उस कम्पनी का असूचीयन किया गया है। कम्पनी के प्रवर्तक प्रतिभूति धारकों को प्रतिभूति के उचित मूल्य के आधार पर क्षति–पूर्ति करने को बाधित होंगे, यह निर्णय विनियोजक को करना होगा कि वह प्रतिभूति रखना चाहता है अथवा क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहता है।

14.9 सूचीयन के लाभ

स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के सूचीयन के निम्न लाभ हैं–

1. प्रीमियर बाजार–

   व्यापारिक व्यवहारों की कुल मात्रा के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है एक्सचेंज के प्रभाव में लागत कम होती है जिससे विनियोजक की व्यापार व्यवहार लागत भी कम होती है। स्टॉक एक्सचेंज की स्वचालित व्यवस्था व्यवहार में स्थिरता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करती है जिससे विनियोजक के बाज़ार के प्रति विश्वास दृढ़ होता है।

2. दृश्यता–

   व्यापारिक व्यवस्था एवं व्यापार पश्चात सूचना तंत्र को समान रूप से उपलब्ध कराती है। क्रय एवं विक्रय के सर्वोतम पांच सौदों को व्यापारिक व्यवस्था पटल पर प्रदर्शित किया जाता है तथा क्रय–विक्रय के लिए उपलब्ध कुल प्रतिभूतियों की संख्या भी प्रदर्शित रहती है। विनियोजक को इससे बाज़ार का गहराई से अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है। स्टॉक एक्सचेंज की व्यापार व्यवस्था में इसके अतिरिक्त निगमीय घोषणाऐं, परिणाम, निगमीय गतिविधियां आदि भी उपलब्ध रहते हैं।

3. अभूतपूर्व पहुँच –

स्टॉक एक्सचेंज सम्पूर्ण भारत में अपनी व्यापार व्यवस्था अतिविस्तृत रुप से उपलब्ध कराता है। सभी जगह स्टॉक एक्सचेंज के केन्द्र उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से विनियोजक व्यापार व्यवहार व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक स्थान से तत्काल सम्पर्क के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आधुनिकतम एवं उच्च तकनीक का उपयोग किया जाता है।

4. मूल्य संवर्द्धन –

कम्पनी की कर्मचारी अंश स्वामित्व योजना के लिए सूचीकृत कम्पनी संलग्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति बाजार में सूचीकृत होना कम्पनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। सूचीकरण के माध्यम से कम्पनी के निगमीय स्थायित्व एवं उत्पादों एवं ब्राण्ड के सम्बन्ध में भी जनजागरुकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी की संरचना की वरिष्ठता को स्पष्टता प्राप्त होने के कारण कम्पनी की परम्परागत विधियों से पूंजी अर्जन क्षमता में वृद्धि होती है।

5. पूंजी में वृद्धि –

स्टॉक एक्सचेंज संस्थागत एवं फुटकर विनियोजकों को पूंजी बाजार की ओर आकृष्ट करता है। स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण कम्पनी को पूंजी वृद्धि एवं प्रायोजित विनियोजकों की उपलब्धता एवं विस्तार में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन के पश्चात कम्पनी अधिकार अंशो अथवा अन्य प्रकृति की प्रतिभूतियों का निर्गमन करके भी बाजार से अपनी पूंजी वृद्धि कर सकती है।

6. अंश धारियों का व्यापक आधार –

स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रवेशित कम्पनी को विनियोजकों का एक विस्तृत एवं स्थायी सहयोग प्राप्त होता है जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के सत्व एवं बहुसंख्य विनियोजक सम्मिलित होते हैं।

7. मूल्य निर्धारण –

अपने अंशो का मूल्य निर्धारण में सूचीकृत कम्पनी को स्टॉक एक्सचेंज की स्वीकृति प्राप्त होती है।

8. निम्न लागत पूंजी –

अन्य माध्यमों से पूंजी एवं त्रण में विभिन्न मध्यस्थों के कारण लागत में वृद्धि होती है जबकि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत होने कम्पनी का प्राथमिक लाभ यही है कि पारदर्शिता के कारण पूंजी निम्न लागत पर प्राप्त हो जाती है।

9. निगमीय सूचनायें –

स्टॉक एक्सचेंज विभिन्न कम्पनियों से सम्बाधित घोषणाओं एवं सूचनाओं को पूरे देश में व्यापक रूप से प्रदर्शित करता है। कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के माध्यम से बाजार में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। निगमीय विकास सूचानायें जैसे– वित्तीय परिणाम, पुस्तकों का निष्कासन, बोनस की

घोषणा, अधिकार अंश, अधिग्रहण, संविलयन आदि सूचनाओं का सम्पूर्ण देश में व्यापक प्रचार होने से मूल्यों मे हेर फेर की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

14.10 सूचीकरण की सीमायें

1. नियन्त्रण :–

एक प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन प्रस्ताव किसी भी स्वामित्व के रूप को परिवर्तित कर देता है। एक निजी व्यवसायी अपने व्यवसाय पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है परन्तु इसके सार्वजनिक कम्पनी के स्वरूप में परिवर्तित होते ही अन्य संस्थायें एवं व्यक्ति अपने हित में निर्णयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त कर लेते है। सामान्य व्यवसाय में व्यक्तियों को आदेश देने की आदत होती है न कि स्वीकार करने की। अतः उनके लिये यह कष्टदायक होता है।

2. संचालकों का उत्तरदायित्व :–

किसी सार्वजनिक सूचीकृत कम्पनी के कार्यालय का स्वामित्व कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से परिपूर्ण होता है। कार्य उल्लंघन का परिणाम गम्भीर दण्ड एवं कार्यालय कार्य पर रोक भी हो सकता है। यद्यपि सम्बान्धित वैधानिकताओं के कारण यहां पर अपराध अभी नहीं पहुँचे है। फिर भी विभिन्न नियम एवं परिनियम कम्पनी की स्वामित्व संरचना एवं अंशधारियों के हित को दृष्टि में रखकर बनाये गये है। यह सब संचालको के उत्तरदायित्व का भाग है।

3. प्रकटीकरण –

एक सार्वजनिक कम्पनी का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक रुप से अपने अधिकारियों के माध्यम से सभी गतिविधियों के विषय में सूचित करे। ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे अंशो के मूल्य प्रभावित हों सार्वजनिक की जानी चाहिए अर्थात बाजार को इस इस सम्बन्ध में सूचित करना होता है यह कम्पनी के लिए एक दुष्कर स्थिति होती है। एक लघु एवं सीमित संसाधन वाले व्यवसाय के लिए यह एक उद्‌ग्नि करने वाली स्थिति है। एक सूचीकृत कम्पनी के लिये प्रतियोगी कम्पनियों से सूचना छिपाना अत्यन्त कठिन है।

4. लागत :–

कम्पनी का सूचीकरण एक सस्ती प्रक्रिया नहीं है। सूचीकरण की लागत के अतिरिक्त अंशधारियों को वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनों का प्रकटीकरण अतिरिक्त लागत वाला होता है। प्रविवरण का विश्लेषण करते समय इन अतिरिक्त लागतों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए।

14.11 सारांश

इस इकाई में हमने विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों तथा इस सम्बन्ध में उनके BSE तथा NSE में सूचीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। भारतीय प्रतिभूति बाजार ने अपार विकास किया तथा अनेको संवेदनशील साधन एवं आधुनिकतम बाजार तंत्र विकसित किया। सेबी एक स्वतंत्र एवं प्रभावशाली नियन्त्रक है इसने मध्यस्थों, व्यापारिक तंत्र, निष्पत्ति चक्र, जोखिम प्रबन्ध, व्युत्पन्न व्यापार एवं कम्पनियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में अत्यन्त प्रभावशाली विनियमन लागू किया है। प्रतिभूति बाजार

में उन्नत सूचना तकनीक के माध्यम से श्रेष्ठ प्रकटीकरण संरचना एवं विनियमन किया गया है। भारतीय प्रतिभूति बाजार एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक जोखिम प्रबन्ध व्यवस्था रखता है। प्रतिभूति बाजार के दो परस्पर निर्भर एवं अविभाज्य अंग है, नवीन निर्गमन बाजार एवं प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति बाजार के चार प्रमुख अंग है– विनियोजक, निर्गमनकर्ता, मध्यस्थ एवं नियंत्रक। BSE का सूचीकरण विभाग यह सुनिश्चित करता है कि कम्पनी सूचीकरण अनुबन्ध, विशेषकर सूचीकरण का वार्षिक शुल्क भुगतान, परिणामों का दाखिल करना, अंशधारिता ढाँचा एवं निगमीय विधायी प्रतिवेदनों का तिमाही प्रस्तुतीकरण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक नियमवाली का अनुपालन करें। सभी सूचीकरण की इच्छुक कम्पनियों के लिए सम्बन्धित स्टॉक एक्सचेंज से एक औपचारिक अनुबन्ध करना आवश्यक होता है। अपने अंशों का मूल्य निर्धारण सूचीकृत कम्पनी को प्राप्त सुविधा होती है।

14.12 शब्दावली

<u>व्यापारिक दिन –</u> वह दिन जब प्रतिभूति बाजार व्यापार–व्यवहार के लिए खुला हो।

<u>डिपोजटरी –</u> निर्गमनकर्ता द्वारा नियुक्त एक आधिकारिक सत्ता अथवा स्थगित डिपोजटरी रसीद जो इस बात का परिचायक है कि निर्गमनकर्ता ने अपना भाग जमा कर दिया है।

<u>डिपोजटरी रसीद –</u> डिपोजटरी अनुबन्ध के आधार पर डिपोजटरी द्वारा निर्गत एक साधन निर्गमनकर्ता के पक्ष में जो कि सूचीकृत है अथवा सूचीकरण के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन दे चुका है, के अधिकार एवं हित का प्रमाण।

<u>समता पूंजी अनुपात –</u> सूचीकृत निर्गमनकर्ता की निर्गमित समता अंश पूंजी का अंकित मूल्य एवं व्यवहार से ठीक पूर्व सूचीकृत निर्गमनकर्ता की निर्गमित समता अंश पूंजी का अंकित मूल्य।

<u>I P O</u>– प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव

<u>निर्गमनकर्ता –</u> कोई भी कम्पनी या अन्य वैधानिक व्यक्ति जिसकी समता प्रतिभूति एक्सचेंज के पास सूचीकरण के लिए आवेदित हैं अथवा जिनकी समता प्रतिभूति पूर्व में ही सूचीकृत हैं। इसमें डिपोजटरी रसीद के माध्यम से अपने अंश का सूचीकरण प्रस्तुत करने वाली या डिपोजटरी की बिना सूचीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली कम्पनी सम्मिलित हैं।

<u>सूचीकरण प्रपत्र–</u> एक प्रविवरण एक परिपत्र और समकक्ष प्रपत्र (व्यवस्थित योजना एवं प्रस्तावित प्रपत्र सम्मिलित) जो निर्गमित किया गया हो या निर्गमन का प्रस्ताव किया गया हो सूचीकरण के आवदन के सम्बन्ध में।

14.13 बोध प्रश्न

(अ) सत्य एवं असत्य–

1. Fivepaisa.com ऑनलाइन व्यापार पोर्टल के उदाहरण है।
2. विविधता के प्रयोग से एक विनियोजक का जोखिम प्रतिभूति बाजार में न्यूनतम हो जाता है।
3. प्रतिभूतियों में संलग्न जोखिम की प्रत्याय दर Beta से मूल्यांकित की जाती है।

4. स्थायी आय प्रतिभूति जैसे ऋणपत्र की दशा में आपको प्रतिफल लाभांश के रूप में प्राप्त होता है।

(ब) बहुविकल्पीय प्रश्न –

1. भारत में व्यक्तिगत प्रतिभूति का भविष्य प्रस्तावित किसने किया –
(अ) NSE (ब) BSE (स) OTCEI (द) BSE & NSE

2- NSE का प्रमुख उद्देश्य है –
(अ) सभी प्रकार की प्रतिभूतियों को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवहार सुविधा
(ब) सभी विनियोजकों को समान अवसर
(स) एक उचित, प्रभावी एवं पारदर्शी प्रतिभूति बाजार प्रदान करना
(द) न्यून निष्पत्ति चक्र एवं बुक लेखा निष्पत्ति प्रदान करना।
(य) उपरोक्त सभी

3. स्टॉक एक्सचेंज न्यूनतम अवधि .... तक निलम्बित कम्पनी को सूचीकरण अनुबन्ध का अनुपालन न करने पर असूचीकृत कर सकता है।
(अ) 3 माह (ब) 6 माह (स) 8 माह
(द) 4 माह

14.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ)	1. सत्य	2. सत्य	3. सत्य	4. असत्य
(ब)	1. (द)	2. (य)	3. (ब)	

14.15 स्वपरख प्रश्न

1. प्रतिभूति को परिभाषित कीजिए। प्रतिभूतियों के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बताइये।
2. सूचीकरण क्या है? कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में अंशों का सूचीकरण क्यों कराती है?
3. BSE के अन्तर्गत प्रतिभूति के सूचीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? समझाइये।
4. भारतीय प्रतिभूति बाजार की विनियमित एवं वैधानिक रूपरेखा को बताइये।
5. स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के सूचीकरण के लाभ एवं सीमायें बताइये।
6. कम्पनी का असूचीयन क्यों होता है? प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों के असूचीयन के प्रकार बताइये।

14.16 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Kevin S, “Security Analysis and Portfolio Management”, PHI Learning, New Delhi, 2009
2. Gupta, Shashi K, “Security Analysis and Portfolio Management”, Kalyani Publisher, New Delhi
3. Sridharan K, Mathew’s K Alex (2011), “Security Analysis and Portfolio Management”, Tata McGraw Hill.
4. http://www.bseindia.com/about/abintrobse/listsec.asp
5. http://www.sebi.gov.in/bylaws/ch4.pdf
6. http://www.sebi.gov.in/sebiweb/stpages/about_sebi.jsp
7. Pandian, Punithavathy (2011), “Security analysis and portfolio management” Vikas publishing house pvt ltd.
8. William F. Sharpe, Gordon J.Alexander and Jeffery V. Bailey,“Investments”, Prentice Hall, 2010.

इकाई 15 विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम (F E R A)

इकाई की रुपरेखा

15.1 प्रस्तावना
15.2 फेरा से आशय, विशेषतायें एवं उद्देश्य
15.3 फेरा की सीमायें
15.4 अधिनियम की प्रमुख शब्दावली
15.5 प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति एवं अधिकार
15.6 फेरा के प्रमुख नियम
15.7 फेरा के अन्तर्गत सरकार के अधिकार
15.8 अपील एवं न्यायिक प्रक्रिया
15.9 सारांश
15.10 शब्दावली
15.11 बोध प्रश्न
15.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
15.13 स्वपरख प्रश्न
15.14 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- फेरा – आशय, विशेषतायें एवं उद्देश्य की व्याख्या कर सकें।
- फेरा की सीमायें एवं प्रमुख शब्दावली को समझ सकें।
- फेरा के महत्वपूर्ण नियम की व्याख्या कर सकें।
- फेरा के अन्तर्गत सरकार के अधिकारों का वर्णन कर सकें।
- अपील एवं न्यायिक प्रक्रिया का संज्ञान ले सकें।

15.1 प्रस्तावना

विदेशी विनिमय एवं विनियमन अधिनियम (फेरा) भारतीय सरकार द्वारा भारतीय संसद द्वारा सन् 1973 में पारित किया गया तथा 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ। फेरा द्वारा विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूतियों के लेन देन एवं निर्धारित भुगतानों के सम्बन्ध में कड़े कानून एवं नियम लागू किये जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी विनिमय एवं आयात निर्यात के भुगतान पर भी होता है।

अधिनियम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूतियों से सम्बद्ध निश्चित भुगतानों का नियमन, विदेशी विनिमय एवं आयात निर्यात सम्बन्धी मुद्रा लेन देनों को भी प्रभावित करना तथा देश के विदेशी विनिमय संसाधनों का संरक्षण आदि भी है।

सन् 1997 में कोका कोला भारत की अग्रणी शीतल पेय कम्पनी थी जब उसे सरकार ने गुप्त फार्मूला देने तथा भारतीय यूनिट में अंशदान की तरलता का आदेश फेरा की मांग पर दिया और कम्पनी भारत छोड़कर चली गयी। 1993 में भारत की

उदारीकरण नीति के लागू होने के बाद यह कम्पनी (पेप्सी कं0 सहित) भारत में वापस आयी। सन् 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फेरा को निरस्त कर दिया तथा विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम से इसे प्रतिस्थापित कर दिया जिसने विदेशी विनिमय नियन्त्रण एवं प्रतिबन्धों को शिथिल एवं उदार कर दिया।

15.2 फेरा से आशय, विशेषतायें एवं उद्देश्य

एक अधिनियम जो विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूतियों के लेन देन, निश्चित भुगतान, आयात निर्यात का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले लेन देन, देश के विदेशी विनिमय संसाधनों का संरक्षण एवं उनके समुचित उपयोग एवं आर्थिक विकास के हित में संकलित, संशोधित एवं विनियमित किया गया।

फेरा की निम्न विशेषतायें है–

1. फेरा 1973 द्वारा भारत में नियमन,
2. 81 धाराओं का समामेलन
3. फेरा विनिमय नियन्त्रण में कठोरता पर बल देता है
4. विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में प्रत्येक विशिष्ट तथ्य पर नियन्त्रण
5. अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को अपराधी माना जाना
6. विदेशी विनिमय एवं विदेशी प्रतिभूति सम्बन्धी लेन देनों को न्यूनतम करना

फेरा ऐसे समय में लागू किय गया जब विदेशी विनिमय कोष (फोरेक्स) दर अत्यन्त कम थी, फोरेक्स एक दुर्लभ प्रतिभूति थी। अतः फेरा भारत सरकार के निर्देशों पर संग्रह कर भारतीय रिजर्व बैंक को समपर्ण करेगा। फेरा ने प्राथमिक रूप से सभी लेन देनों को प्रतिबन्धित कर दिया केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अपवादों को छोड़कर।

फेरा के उद्देश्य निम्नलिखित थे –

- कुछ निश्चित भुगतानों को नियमित करना,
- विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूतियों के लेन देनों को विनियमित करना,
- अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय को प्रभावित करने वाले लेन देनों को नियमित करना,
- प्रमुख एवं उत्कृष्ट विदेशी विनिमय को संरक्षित करना,
- विदेशी विनिमय का उचित एवं श्रेष्ठ उपयोग जिससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि हो

15.3 फेरा की सीमायें

फेरा सम्पूर्ण भारत में लागू था। यह भारत के उन नागरिकों जो भारत के बाहर हैं, पर भी लागू था। सभी शाखाओं, एजेंसी, कम्पनी, निगमित निगम जो भारत में पंजीकृत या समामेलित हैं, पर भी लागू है। यह सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना गजट में जारी करने की तिथि से, इसके द्वारा नियुक्त एवं विभिन्न प्रावधानों के लिए विभिन्न तिथियों तथा अन्य कोई सन्दर्भ इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिए, इन संदर्भों एवं प्रावधानों को लागू करने के लिए लाया गया।

15.4 अधिनियम की प्रमुख शब्दावली

1. ''अपीलेट बोर्ड'' का अर्थ धारा 52 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विदेशी विनिमय नियमन अपीलेट बोर्ड से है।
2. ''अधिकृत विक्रेता'' से आशय एक व्यक्ति से है जो निश्चित समय के लिये धारा 6 के अन्तर्गत विदेशी विनिमय के लिये अधिकृत हो।
3. ''वाहक प्रमाण पत्र'' से आशय ऐसे प्रतिभूति प्रमाण पत्र से है जिसके हस्तान्तरण के साथ वाहक का नाम भी हस्तान्तरण हो जाता है। (पृष्ठांकन सहित या बिना पृष्ठांकन के)।
4. ''प्रतिभूति का शीर्षक प्रमाण पत्र'' से आशय ऐसे प्रपत्र से है जिसका प्रयोग सामान्य व्यापारिक व्यवहार में प्रतिभूतियों पर अधिकार अथवा नियन्त्रण प्रदर्शित करता है अथवा अधिकृतीकरण के उद्देश्य से अधिकृत करता है या तो पृष्ठांकन अथवा सुपुर्दगी के माध्यम से, प्रतिभूति का स्वामित्व धारक प्रपत्र का हस्तान्तरण धारिता का प्रतिनिधित्व करेगा।
5. ''कूपन'' का आशय एक कूपन से है जो प्रतिभूति पर लाभांश या ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है। FER संशोधित अधिनियम 1993 के प्रावधान 8 जनवरी, 1993 को लागू हुए।
6. ''मुद्रा'' में सम्मिलित हैं सभी सिक्के, करंसी नोट, बैंक नोट, पोस्टल नोट, पोस्टड ऑर्डर, मनीऑर्डर, चैक, ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र, विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र।
7. ''विदेशी मुद्रा'' का आशय भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश की मुद्रा से है।
8. ''विदेशी विनिमय'' से आशय विदेशी मुद्रा से है जिसमें सम्मिलित है –
    - सभी जमायें, साख एवं अदेय अवशेष जो विदेशी मुद्रा में हो, एवं कोई ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र एवं विनिमय विपत्र जो भारतीय मुदा में प्राप्त हो परन्तु देय विदेशी मुद्रा में हो।
    - कोई भी उपकरण/लेखपत्र/साधन देय हो, प्राप्तकर्ता अथवा धारक या अन्य कोई आंशिक एक में और आंशिक दूसरे में प्राप्त करे।
9. ''भारतीय मुद्रा'' से आशय उस मुद्रा से है जो भारतीय मुद्रा (रूपये) में प्राप्त एवं व्यक्त हो परन्तु इसमें सम्मिलित नहीं है विशेष बैंक नोट एवं विशेष एक रूपये का नोट जो धारा 28 अ के अर्न्तगत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 द्वारा निर्गमित किये गये।
10. ''मुद्रा परिवर्तक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो धारा 7 के अनुसार निर्धारित समय के लिए विदेशी मुद्रा में व्यवहार के लिए अधिकृत हो।
11. ''ओवरसीज बाजार'' से आशय किसी माल से है जो भारत के बाहर किसी देश के बाजार में विक्रय के उद्देश्य से हो।
12. ''स्वामी'' प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में, वह व्यक्ति जिसे प्रतिभूति को विक्रय एवं हस्तान्तरित करने का अधिकार हो या जिसके पास उसका स्वामित्व हो चाहे स्वयं के लिए अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए, वो उस पर ब्याज या

लाभांश प्राप्त करता हो और वह इसमें कोई हित रखता हो, एवं यदि कोई प्रतिभूति किसी न्यास (ट्रस्ट) के स्वामित्व में हो तो उन पर प्राप्त ब्याज या लाभांश भी न्यास निधि में ही देय होगा।

13. ''व्यक्ति जो भारत का निवासी हो'' से आशय –

i. एक भारतीय नागरिक, जो 25 मार्च, 1947 के बाद किसी भी समय भारत में रहा हो परन्तु इसमें सम्मिलित नहीं है वो भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर चला गया हो या भारत से बाहर रहता हो किसी भी परिस्थिति में –

(अ) भारत से बाहर नौकरी प्राप्त करके, या

(ब) भारत से बाहर कोई व्यापार या पेशा कर रहा हो, या

(स) अन्य किसी उद्‌देश्य के लिए जिससे ऐसा भान होता हो कि वह भारत से बाहर अनिश्चित काल के लिए है।

ii. एक भारतीय नागरिक जो परिच्छेद या उपधारा के प्रभाव से समाप्त हो गया –

(अ) या परिच्छेद / उपधारा

(ब) या परिच्छेद / उपधारा

(स) भारतीय नागरिक होने की उपधारा (1)

iii. एक व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो भारत आता है या भारत में रूकता है प्रत्येक स्थिति में –

(अ) भारत में नौकरी कर रहा हो, या

(ब) भारत में व्यापार या पेशे की चलाने के लिए हो, या

(स) अपने जीवन साथी के साथ रहने के लिए जबकि जीवनसाथी भारत का निवासी हो, या

(द) अन्य किसी उद्‌देश्य के लिए, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से लगता है कि वह भारत में अनिश्चित समय रहने वाला है।

14. ''बाहर से बाहर रहने वाला व्यक्ति'' से आशय उस व्यक्ति से है जो भारत का निवासी नहीं है।

15. ''रिजर्व बैंक'' का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक से है।

16. ''प्रतिभूति'' से आशय अंश, स्कन्ध, बांड, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्कन्ध, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944 के अन्तर्गत व्यक्त सरकारी प्रतिभूति, राजकीय बचत प्रमाण पत्र अधिनियम के अनुसार जमा की रसीदें, प्रतिभूतियों में जमा के सम्बन्ध में एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम के यूनिट या उनका भाग प्रतिभूतियों के अधिकार प्रमाण पत्र सहित परन्तु विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञापत्रों को छोड़कर परन्तु सरकार प्रतिज्ञापत्रों सहित।

17. ''हस्तान्तरण'' किसी भी प्रतिभूति के सम्बन्ध में जिसमें ऋण या प्रतिभूति का हस्तान्तरण सम्मिलित है।

18. ''अवरूद्ध खाता'' से आशय एक खोले गये खाते से है, चहो वह इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व या पश्चात खोला गया हो, जो अवरूद्ध खाते

के रूप में रिजर्व बैंक की अनुमति से अधिकृत होने पर किसी भारतीय बैंक के कार्यालय या शाखा में खोला गया हो या रिजर्व बैंक के आदेश पर अधिनियम के पूर्व या पश्चात खोला गया हो।

15.5 प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति एवं अधिकार [धारा 4]

केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिसे वह उचित समझे। केन्द्रीय सरकार सहायक प्रवर्तन निदेशक से निम्न श्रेणी के प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति के लिये एक प्रवर्तन निदेशक या अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक या उपप्रवर्तन निदेशक या सहायक प्रवर्तन अधिकारी को अधिकृत कर सकती है। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा शर्तों एवं सीमाओं के अन्तर्गत जो उसके द्वारा प्रभावी की गयी हो, एक प्रवर्तन अधिकारी इस अधिनियम के आधीन अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का, जैसी उसे प्रदान की गयी हो, निर्वाह करता है।

केन्द्रीय सरकार अपने आदेशानुसार, निश्चित शर्तों एवं सीमाओं सहित जैसा वो उचित समझे, किसी भी कस्टम अधिकारी को या किसी आबकारी अधिकारी को या किसी पुलिस अधिकारी को या अन्य किसी भी अधिकारी को, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के, अधिकृत कर सकती है कि वह प्रवर्तन निदेशक या प्रवर्तन अधिकारी के रूप में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, निर्वाह कर सकता है।

15.6 फेरा के प्रमुख नियम

1. <u>विदेशी विनिमय में व्यवहार [धारा 6] :–</u>

- रिजर्व बैंक किसी भी व्यक्ति को, इसके लिए उसके प्राप्त आवेदन के आधार पर अधिकृत कर सकता है कि वह विदेशी विनिमय में व्यवहार करे।
- इस धारा के अन्तर्गत यह अधिकृत करना लिखित होगा।
- सभी प्रकार के लेन देनों सम्बन्धी विवरण, जो विदेशी मुद्रा में हो, को अधिकृत कर सकता है और लेन देनों को केवल विशिष्ट विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत कर सकता है।
- एक निश्चित अवधि अथवा एक निश्चित राशि के लिए प्रभावी अनुमति दे सकता है।
- विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सभी लेन देनों के विवरण को अधिकृत कर सकता है अथवा कुछ विशिष्ट लेन देनों तक अधिकृतता का प्रतिबंध लागू कर सकता है।
- बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के कोई भी अधिकृत विक्रेता किसी भी विदेशी विनिमय के किसी ऐसे लेन देन में संलग्न नहीं हो सकता जिसके लिए उसे इस धारा के अनुसार अधिकृत न किया गया हो।
- एक अधिकृत विक्रेता किसी भी व्यक्ति की ओर से किसी भी विदेशी विनिमय के लेन देन में संलग्न होने से पूर्व उसे पूर्णतः उचित रूप से

सन्तुष्ट करेगा कि इस अधिनियम के अनुसार यह लेन देन किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

2. **मुद्रा परिवर्तक [धारा 7] :–**

- रिजर्व बैंक किसी भी व्यक्ति को, इसके लिए उसके प्राप्त आवेदन के आधार पर, अधिकृत कर सकता है कि वह विदेशी मुद्रा में व्यवहार करें।
- इस धारा के अन्तर्गत यह करना लिखित होगा।
- सभी प्रकार की विदेशी मुद्राओं में व्यवहार के लिए अधिकृत कर सकता है अथवा विशिष्ट विदेशी मुद्रा में व्यवहार करने तक अधिकृत कर सकता है। प्रतिबधिंत कर सकता है।
- सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत कर सकता है अथवा विशिष्ट लेन देनों के लिए अधिकृत कर प्रतिबधिंत कर सकता है।
- किसी विशिष्ट स्थान की स्वीकृति दे सकता है जहां केवल मुद्रा परिवर्तन ही व्यापार करेगा।
- किसी विशिष्ट अवधि अथवा विशिष्ट राशि की सीमा के अन्दर व्यवहार की स्वीकृति दे सकता है।
- कुछ विशिष्ट शर्तो के साथ जैसे भी निर्दिष्ट हों स्वीकृति दे सकता है।
- रिजर्व बैंक द्वारा उपधारा 1 के अनुसार अधिकृत करने की स्वीकृति कभी भी समाप्त या रद्द कर सकता है यदि रिजर्व बैंक संतुष्टि है कि –
  i. यह सार्वजनिक हित में होगा,
  ii. मुद्रा परिवर्तक अधिकृत होने के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों या शर्तों का पालन नहीं कर रहा है।

3. **विदेशी विनिमय लेन देनों पर प्रतिबन्ध [धारा 8] :–**

रिजर्व बैंक की पूर्व सामान्य एंव विशिष्ट अनुमति को छोड़ कर, भारत में किसी अधिकृत विक्रेता के अतिरिक्त, भारत के बाहर अधिकृत विक्रेता को छोड़कर अन्य कोई भरतीय नागरिक, किसी भी विदेशी विनियम सम्बन्धी लेनदेन, क्रय और किसी अन्य प्रकार से प्राप्त करना या विक्रय या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्त्ररण या विनियम में व्यवहार नहीं कर सकता।

4. **भुगतान पर प्रतिबन्ध [धारा 9] :–**

रिजर्व बैंक द्वारा शर्त सहित अथवा शर्त रहित स्वीकृति के अतिरिक्त इस उपधारा के प्रावधान के अनुसार, सामान्य एवं विशिष्ट अपवादों को सुरक्षित रखते हुए, कोई व्यक्ति अथवा निवासी भारत में नहीं करेगा/देगा –

- किसी को कोई भुगतान अथवा साख भारत से बाहर रहने वाले निवासी को,
- किसी भी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से, को छोड़कर कोई भुगतान भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत प्राप्त नहीं कर सकता,
- किसी विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र को लिखता है, निर्गमित करता है, पराक्रमित करता है, जिससे किसी भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार (वास्तविक या संयोगिक) सृजित या हस्तान्तरित, किसी भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के पक्ष में होता है।
- किसी भुगतान अथवा साख को किसी व्यक्ति अथवा उसके उसके माध्यम से भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति को दिया जाना।
- भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति को उसकी साख के बदले रकम दिया जाना।
- किसी विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र को लिखता है, किसी प्रतिभूति को हस्तान्तरित या किसी ऋण को स्वीकृति देता है, जिससे एक अधिकार (वास्तविक या संयोगिक) भुगतान प्राप्त करने के लिए सृजित होता है अथवा किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित होता है।

5. <u>अवरूद्ध (ब्लॉक) खाते [धारा 10] :–</u>

भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा धारा 9 के प्रावधान के अन्तर्गत छूट प्रदान होगी और जबकि छूट की शर्त के आधार पर भुगतान किसी अवरूद्ध खाते को किया जाना हो –

- रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के अवरूद्ध खाते में नियत विधि से भुगतान होगा।
- किसी भी खाते में किसी राशि का भुगतान, एक जमा राशि की सीमा तक ही, उस व्यक्ति की भुगतान क्षमता की स्वच्छता पर किया जायेगा।
- इस अवरूद्ध खाते में जमा कोई भी राशि निकाली नहीं जा सकती, बिना रिजर्व बैंक की शर्त सहित या अन्य प्रकार से, सामान्य या विशिष्ट अनुमति के बिना।

6. <u>विशिष्ट मुद्रा में आयात–निर्यात पर प्रतिबन्ध [धारा 13] :–</u>

केन्द्रीय सरकार अपने राजकीय गजट की अधिसूचना के आधार पर आदेश जारी करके, कुछ छूट को छोड़कर, यदि कोई हो, जैसा भी अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, कोई व्यक्ति कोई भी विदेशी विनिमय भारत में लाने या निर्गत करने के लिए भारतीय मुद्रा का प्रयोग नहीं करेगा उन अपवादों को छोड़कर

जिनमें बैंक ने निश्चित शुल्क भुगतान, यदि कोई हो, के पश्चात सामान्य या विशिष्ट अनुमति प्रदान की हो।

7. विदेशी विनिमय का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण [धारा 14] :–

केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट के माध्यम से अधिसूचना जारी करके भारत के प्रत्येक व्यक्ति या निवासी को आदेशित कर सकती है –

- यदि कोई अधिसूचना में निर्धारित विदेशी विनिमय रखता है, इसको प्रस्ताव के लिए, या प्रस्ताव करने के कारण, इस विक्रय के लिये रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या उस व्यक्ति को, जिसे भी रिजर्व बैंक इस उद्देश्य के लिए अधिकृत करे, उस मूल्य पर जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया गया हो, यह मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिसे विनिमय दर के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया हो।
- जो भी इस विदेशी विनिमय को प्रापत करने के लिए अधिसूचना के आधार पर अधिकृत होने के लिए निर्दिष्ट हो, इस अधिकार को रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के आधार पर या प्रतिनिधि के रूप में, उस प्रतिफल के भुगतान पर उस दर पर जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित समय हेतु निर्धारित की गयी हो तथा इस उपधारा की प्रभावशीलता के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत की गयी हो।

8. विदेशी विनिमय प्राप्त करने के योग्य व्यक्ति के कर्तव्य [धारा 16] :–

किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत के बाहर रह रहे किसी व्यक्ति से कोई विदेशी विनिमय या रूपये में भुगतान प्राप्त करे, बशर्ते अपवाद स्वरूप उसे रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य या विशिष्ट अनुमति प्राप्त न हो, करना या करने से बचना या प्राप्त और प्राप्ति की क्रिया से बचना, जो कि इनको रखने से प्रभाव डालते हैं –

- यदि विदेशी भुगतान की पूर्ण प्राप्ति या आंशिक प्राप्ति में विलम्ब हो, या
- यदि विदेशी विनिमय या भुगतान जो उसे प्राप्त होना है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब्त कर लिया गया हो।
- जहां एक व्यक्ति उपधारा 1 के सम्बन्ध में रूपये में विदेशी भुगतान की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहता है तो रिजर्व बैंक उसे निर्देश दे सकता है, जैसा परिस्थिति एवं उद्देश्य के लिए उचित समझे, विदेशी विनिमय की प्राप्ति प्रलेख अथवा भुगतान जैसा भी मामला हो।

9. निर्यात किये माल का भुगतान [धारा 18] :–

केन्द्रीय सरकार अपने आधिकारिक गजट के माध्यम से अधिसूचना जारी करके निषिद्ध कर सकता है, धरा, समुद्र या वायु के मार्ग से सभी माल

का लाना या ले जाना (इस धारा में निर्यात से सन्दर्भित) और अन्य कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह जो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट हो भारत के बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अन्य किसी भी स्थान को बशर्ते कि निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकरण को निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण सहित जैसा निर्दिष्ट और विशिष्ट हो एवं सभी विवरण पूर्णतः सत्य हों जिसमें अन्य के साथ राशि को भी सम्मिलित किया गया हो जो निम्न का प्रतिनिधित्व करे –

- माल की कुल निर्यात कीमत या मूल्य, या
- यदि निर्यात के समय कुल निर्यात मूल्य की गणना सम्भव न हो, बाजार की परिस्थितियों के अनुसार ओवरसीज बाजार से निर्यातक इस माल के विक्रय से जिस मूल्य की प्राप्ति की आशा करता है, एवं अपने इस घोषणा पत्र में आश्वस्त करता है कि वह माल का कुल निर्यात मूल्य (चाहे निर्यात के समय मूल्यांकन संभव हो अथवा नहीं) अथवा निर्धारित अवधि में जो मूल्य होगा का निर्धारित अवधि में भुगतान करेगा।
- यदि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करे कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना अनिवार्य है तो वह अधिसूचना (आधिकारिक गजट में) जारी करके किसी विशिष्ट माल, उस माल में से जिस पर धारा अ लागू होती है, एवं उस निर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष, जहां एक निर्यातक द्वारा धारा अ उपधारा (ii) के अन्तर्गत घोषणा करता है, कि वह ओवरसीज बाजार की परिस्थितियों में उस माल को विक्रय करके जो राशि प्राप्त करने का अनुमान करता है, वह उसे नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति में अपवाद स्वरूप निर्यातक द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये आवेदन के संदर्भ में रिजर्व बैंक अधिकृत या अनुमत या स्वीकृत कर सकता है कि वह उद्घोषित मूल्य से कम मूल्य पर माल का विक्रय करे।
- इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक इस धारा के अन्तर्गत निर्यातक को सम्बन्धित विषय के सम्बन्ध में उचित प्रतिनिधित्व का अवसर दिये बिना अनुमति को निरस्त नहीं करेगा।
- इस सम्बन्ध में पुनः इस धारा के अन्तर्गत यदि निर्यातक रिजर्व बैंक के सम्मुख निर्यात आवेदन प्रस्तुत करता है और रिजर्व बैंक आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 20 दिन के अन्दर निर्यातक के आवेदन को निरस्त नहीं करता, यह मान लिया जायेगा कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

10. <u>पट्टा, किराया या अन्य व्यवस्था का भुगतान [धारा 18] :–</u>

कोई भी व्यक्ति, रिजर्व बैंक की सामान्य या विशिष्ट अनुमति के बिना, धरा, समुद्र या वायु के मार्ग से भारत से अन्य किसी स्थान पर पट्टा, किराया

या अन्य किसी व्यवसथा के अनुसार माल नहीं ले जायेगा, विक्रय या माल के अन्य किसी विधि से निस्तारण के अतिरिक्त।

11. <u>निर्यात सम्बन्धी नियम एवं प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण [धारा 19] :–</u>

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 में कुछ भी सम्मिलित होने के बावजूद कोई व्यक्ति नहीं करेगा, रिजर्व बैंक की सामान्य एवं विशिष्ट अनुमति के अपवाद के साथ –

- कोई भी प्रतिभूति भारत बाहर लाना या ले जाना,
- भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति को प्रतिभूति का हस्तान्तरण या प्रतिभूति में किसी हित का सृजन या हित हस्तान्तरण,
- अधिनियम 1993 की धारा 21 द्वारा विलोपित,
- किसी भी प्रतिभूति का निर्गमन, चाहे भारत या कहीं और, कोई भी प्रतिभूति जो भारत में पंजीकृत या पंजीकरणीय हो भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति को,
- अधिग्रहण, रखना या निस्तारण करना किसी भी विदेशी प्रतिभूति को

12. <u>वाहक प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्रतिबन्ध [धारा 22] :–</u>

रिजर्व बैंक की सामान्य या विशिष्ट अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, भारत में एवं भारत का नागरिक भारत से बाहर वाहक प्रतिभूति प्रमाण पत्र या कूपन या ऐसा कोई प्रपत्र जो रूप परिवर्तित होकर वाहक प्रमाण पत्र या कूपन हो जायेगा निर्गमित या सृजित नहीं करेगा।

13. <u>समझौता / समाधान आदि पर प्रतिबन्ध [धारा 24] :–</u>

कोई भी जो भारत का निवासी है, बिना रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमति के किसी व्यक्ति को कोई उपहार या कोई समाधान, कोई सम्पत्ति नहीं दे सकता जबकि जिस व्यक्ति को यह दिये जाने हो उस समय वह व्यक्ति भारत के बाहर का निवासी हो, उन प्रदेशों या क्षेत्रों के अतिरिक्त जो रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किये गये हैं, जिसका प्रतिभूति में हित होगा या एक व्यक्ति को भुगतान के अपने अधिकार का प्रयोग करे जो कि उस समय, इस अधिकार के प्रयोग के समय भारत से बाहर का निवासी हो, उन अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त। इस प्रकार के समाधान या उपहार या प्रयोग किए गये अधिकार जैसा बताया गया मात्र इस कारण से अवैध नहीं हो जाते कि रिजर्व बैंक की अनुमति इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं की गयी है।

14. <u>भारत से बाहर अचल सम्पत्ति को धारण करने पर प्रतिबन्ध [धारा 25] :–</u>

कोई भी भारत का निवासी नहीं करेगा, रिजर्व बैंक की सामान्य एवं विशिष्ट अनुमति के बिना, अधिग्रहण या धारण या हस्तान्तरण या विक्रय निस्तारण, गिरवी / बन्धक, पट्टा, उपहार, समाधान, किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो कि भारत से बाहर स्थित हो–

- यदि यह उपधारा इस अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण या हस्तान्तरण पर किसी भी रूप में लागू हो इस प्रकार कि पट्टे की अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो।
- कोई भी भारत का निवासी जो इस अधिनियम के लागू होने के समय भारत से बाहर अचल सम्पत्ति धारित करता है, इस अधिनियम के लागू होने के 3 माह के अन्दर अथवा इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की प्रदत्त अनुमति के आधार पर इस अचल सम्पत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र एवं विधि से, जो भी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित हो, रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।
- इस धारा को कोई भी अंश किसी भी विदेशी राज्य की राष्ट्रीयता पर लागू नहीं होता है।

15. <u>ऋण एवं अन्य अनुग्रह की गारंटी के सम्बन्ध में निर्धारित प्रावधान [धारा 26] :–</u>

बिना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सामान्य या विशिष्ट अनुमति के कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो किसी भी ऋण या अन्य अनुग्रह या दायित्व की गारंटी नहीं करेगा –

a) यदि व्यक्ति भारत का निवासी है और देयता या दायित्व भारत से बाहर के निवासी का है, या

b) भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति के सम्बन्ध में।

16. <u>भारत में व्यापार संस्थान की स्थापना से, के स्थान सम्बन्धित प्रतिबन्ध [धारा 28] :–</u>

बिना किसी पूर्वाग्रह के धारा 28 एवं धारा 47 एवं इस अधिनियम की अन्य किसी धारा के बावजूद या कम्पनी अधिनियम 1956 मे प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है (भले ही वह भारत का नागरिक हो अथवा नहीं) या एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परन्तु भारत में रहता है अथवा एक कम्पनी (बैंकिंग कम्पनी के अतिरिक्त) जो भारत में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत समामेलित नहीं हुई है या ऐसी कम्पनी की कोई शाखा, रिजर्व बैंक की सामान्य या विशिष्ट अनुमति के अतिरिक्त, नहीं करेगा–

- भारत में संचालन या भारत में शाखा की स्थापना, कार्यालय या अन्य व्यापारिक स्थान, व्यापारिक वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रकृति की गतिविधियों का संचालन, रिजर्व बैंक की धारा 28 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त संचालित गतिविधियों के अतिरिक्त।
- भारत में कार्य कर रहे किसी प्रतिष्ठान, कम्पनी की व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संस्थान पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अधिग्रहित करना या ऐसी किसी कम्पनी के अंशों को भारत में क्रय करना।

17. **विदेशी राज्यों के नागरिकों को भारत में पेशेवर गतिविधियां संचालन हेतु रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता [धारा 30] :–**

- विदेशी राज्य का कोई भी नागरिक, बिना रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के किसी पेशे या पेशे के संचालन, व्यापार एवं व्यवसाय जिससे वह विदेशी विनिमय (ऐसे विदेशी विनिमय को भारत से बाहर ले जाने की प्रवृत्ति) जो उसको भारत में पेशेगत गतिविधियों के संचालन या व्यापार या व्यवसाय जैसा भी मामला हो, में संलग्न नहीं होगा।
- यदि कोई विदेशी राज्य का नागरिक रिजर्व बैंक की उपधारा 1 की अनुमति चाहता है तो वह रिजर्व बैंक को निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित विधि से ऐच्छिक सूचनाओं सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।
- उपधारा 2 के आवेदन के प्राप्त होने पर रिजर्व बैंक, जैसा उचित समझे जांच या अनुसंधान के बाद, आवेदन पत्र को, निर्धारित शर्तों सहित यदि कोई है, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
- इस सम्बन्ध में प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र आवेदक को अपने पक्ष का उचित प्रतिनिधित्व का अवसर दिये बिना अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

18. **भारत में अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण, धारण आदि पर प्रतिबन्ध [धारा 31] :–**

- कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा कोई भी कम्पनी (बैंकिंग कम्पनी के अतिरिक्त) जो भारत में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत समामेलित नहीं है, रिजर्व बैंक की सामान्य या विशिष्ट पूर्व अनुमति के अतिरिक्त, भारत में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का निष्पादन, उपहार, अधिग्रहण, धारण, हस्तान्तरण, विक्रय द्वारा निष्पत्ति, गिरवी, पट्टा नहीं करेगा।
  जब तक कि इस अधिनियम की उपधारा में से कुछ भी अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण एवं अधिग्रहण पर लागू न हो तथा पट्टे की अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो।
- कोई भी व्यक्ति या कम्पनी जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट है तथा इस उपधारा के अन्तर्गत भारत स्थित अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण या धारण या हस्तान्तरण या विक्रय के माध्यम से निष्पत्ति, गिरवी, पट्टा, उपहार या अन्य चाहता है तो उसे रिजर्व बैंक को निर्धारित प्रारूप पर, निर्धारित विवरण सहित, जैसा भी रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट हो, एक आवेदन पत्र देना होगा।
- उपधारा 2 के अन्तर्गत इस आवेदन पत्र के प्राप्त होने के पश्चात रिजर्व बैंक जांच या अनुसंधान के बाद, जैसा वह उचित समझे, आवेदन पत्र को स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकता है।

कोई भी आवेदन पत्र आवेदनकर्ता को अपने पक्ष का उचित प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किये बिना अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

15.7 फेरा के अन्तर्गत सरकार के अधिकार

1. सूचना मांगने का अधिकार [धारा 33] :–

- केन्द्रीय सरकार किसी भी समय अपने अधिकारिक गजट के माध्यम से अधिसूचना जारी करके सम्बन्धित विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूति या अचल सम्पत्ति भारत के बाहर स्थित हो, जैसा भी निर्दिष्ट हो, एक रिटर्न या समय समय पर रिटर्न निर्धारित समय एवं निर्धारित विवरण सहित जैसा भी निर्दिष्ट हो, इनका स्वामित्व रखने वालों को रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा।
- इस अधिनियम के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या अन्य प्रवर्तन अधिकारी, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी की श्रेणी से निम्न नहीं, आवश्यक समझते हैं या उनकी प्राप्ति वांछनीय मानते हैं और किसी सूचना, अभिलेख या अन्य प्रपत्र का अवलोकन जिस व्यक्ति के पास हो केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या वह अधिकारी उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने, प्राप्त कराने या सम्पूर्ण करने को कह सकते हैं, केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या जैसा भी मामला हो, वह सम्बन्धित अधिकारी लिखित रूप में उस व्यक्ति को (जिसका नाम आदेश में निर्दिष्ट हो) प्रस्तुत, उपलब्ध एवं प्रस्तुत, केन्द्र सरकार को या रिजर्व बैंक को या उस अधिकारी को आदेश में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सूचना, अभिलेख या अन्य प्रपत्र का आदेश दे सकता है तथा वह सम्बन्धित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं या मांग की पूर्ति करने को बाध्य होगा।

2. संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी एवं अभिलेखों को जब्त करने का अधिकार [धारा 34] :–

- यदि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश से नियुक्त अधिकृत प्रवर्तन अधिकारी के पास यदि पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति के संरक्षण, स्वामित्व या नियन्त्रण में कुछ भी ऐसा अभिलेख है जो कि किसी भी जांच या अनुसंधान या प्रक्रिया जो कि इस अधिनियम के आधीन है, में सहायक या उपयोगी होगा। वह (प्रवर्तन अधिकारी) उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है तथा ऐसे अभिलेखों को जब्त कर सकता है।
- यदि कोई प्रवर्तन अधिकारी इस अधिनियम की किसी धारा के प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति की तलाशी लेना चाहता है, तो

यदि व्यक्ति चाहता है, तो उसे तत्काल अविलम्ब अपने वरिष्ठ राजपत्रित प्रवर्तन अधिकारी या न्यायाधीश के सम्मुख ले जायेगा।

- उपधारा 2 के अनुसार यदि यह मांग की जाती है तो प्रवर्तन अधिकारी उस व्यक्ति को अपने वरिष्ठ अधिकारी या न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत होने तक रोक कर रख सकता है।
- किसी भी महिला की तलाशी किसी महिला के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं ले सकता।

3. <u>गिरफ्तार करने का अधिकार [धारा 35] :–</u>

- यदि कोई प्रवर्तन अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश के अनुसार अधिकृत हो और उसके पास यह विश्वास का कारण हो कि भारत का कोई निवासी या भारतीय आबकारी जल सीमा के अनुसार किसी दण्डनीय अपराध का इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया जाये, वह ऐसे दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और शीघ्रातिशीघ्र उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बतायेगा।
- उपधारा 1 के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को बिना विलम्ब किये न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।
- इस सम्बन्ध में कोई भी प्रवर्तन अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को उपधारा 1 के अन्तर्गत गिरफ्तार करेगा तो उस व्यक्ति को जमानत पर या अन्य प्रकार से छोड़ने के सम्बन्ध में आपराधिक प्रक्रिया कोड 1973 के प्रावधानों के अनुसार एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी के समकक्ष अधिकार प्राप्त होंगे।

4. <u>वाहनों की तलाशी एवं रोकने का अधिकार [धारा 36] :–</u>

यदि किसी प्रवर्तन अधिकारी, जो कि केन्द्रीय सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश के अनुसार अधिकृत किया गया हो, के पास पर्याप्त कारण हो यह विश्वास करने का कि कोई भी प्रपत्र या अभिलेख जो कि मामले से सम्बन्धित हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी जांच या अनुसंधान के लिए उपयोगी हो तथा गोपनीय विधि से किसी वायुयान या वाहन या किसी जानवर के माध्यम से भारत में या भारत में किसी भी वाहन में या भारतीय आबकारी जल सीमा में ले जाया जा रहा हो, तो उसे अधिकार है कि वह ऐसे वाहन को, जानवर को रोक सके या हवाई जहाज के मामले में उसे रोकने या धरती पर लैंड करा सके, एवं

- ऐसे वाहन, हवाई जहाज के किसी भी भाग की, चप्पे चप्पे की तलाशी ले।
- किसी भी वाहन, हवाई जहाज या जानवर के साथ के माल की जांच या परीक्षण करे।

- उपरोक्त संदर्भित प्रपत्रों को जब्त कर ले।
- धारा (अ), (ब) एवं (स) के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित दरवाजे आदि को खोलने के लिए तोड़ दे, यदि चाबी उपलब्ध नहीं है या गायब है।

5. <u>परिसर की तलाशी का अधिकार [धारा 37] :–</u>

- यदि कोई प्रवर्तन अधिकारी, सहायक प्रवर्तन निदेशक से निम्न श्रेणी का नहीं, के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि कोई प्रपत्र या अभिलेख जो मामले से, जांच से या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया से सम्बन्धित है तथा जांच में सहायक सिद्ध हो सकते हैं किसी स्थान या परिसर में हैं, वह किसी अन्य अधिकारी को तलाशी एवं जब्तीकरण के लिए अधिकृत कर सकता है अथवा स्वयं तलाशी एवं जब्तीकरण ऐसे प्रपत्रों के सम्बन्ध में कर ले।
- आपराधिक प्रक्रिया कोड 1973 के प्रावधानों जो तलाशी से सम्बन्धित है इस धारा के अन्तर्गत लागू होंगे परन्तु धारा 165 की उपधारा 5 के संशोधन के साथ प्रभावी होगा जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट के स्थान पर जहां भी आवश्यकता हो प्रवर्तन निदेशक या अन्य अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

6. <u>प्रपत्र आदि को जब्त करने का अधिकार [धारा 38] :–</u>

बिना किसी पूर्वाग्रह के धारा 34 या धारा 36 या धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी प्रवर्तन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार की ओर से अधिकृत होने के, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा जिसके पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि कोई भी प्रलेख जो कि किसी भी प्रकार से उपयोगी हैं, सम्बन्धित है, किसी भी जांच अनुसंधान अथवा प्रक्रिया के लिए जो इस अधिनियम के अन्तर्गत हो, इस अधिनियम के किसी भी नियम, निर्देश या ओदश का उल्लंघन करता हो, वह जहां भी हो ऐसे प्रलेख या वस्तु को जब्त कर ले।

7. <u>व्यक्ति के परीक्षण का अधिकार [धारा 39] :–</u>

प्रवर्तन निदेशक अथवा अन्य कोई प्रवर्तन अधिकारी, जिसे केन्द्र सरकार की ओर से किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी जांच या प्रक्रिया के आधीन कर सकता है –

(अ) किसी भी व्यक्ति को जांच या प्रक्रिया सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत करने या सुपुर्द करने के लिए बुला सकता है।

(ब) किसी भी ऐसे व्यक्ति का परीक्षण कर सकता है जिसकी मामले की सत्यता तथा परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता हो।

8. <u>किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य (गवाही) एवं प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी करने का अधिकार [धारा 40] :–</u>

- किसी भी राजपत्रित प्रवर्तन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करे जिसकी इस अधिनियम के अनुसार किसी जांच या प्रक्रिया में उपस्थिति आवश्यक हो या तो गवाही देने के लिए या प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए।
- एक सम्मन प्रपत्रों के प्रस्तुतिकरण के लिए का अर्थ विशिष्ट प्रपत्रों या सभी प्रपत्रों जो कि निर्दिष्ट विवरण के हों और उस व्यक्ति के पास अथवा उसके नियन्त्रण में हों जिसको सम्मन जारी किया गया है।
- सभी व्यक्ति जिनको सम्मन जारी किया गया है उपस्थिति के लिए बाध्य होंगे, स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जैसा भी आदेश अधिकारी द्वारा दिया जाय, एवं सभी व्यक्ति जिनको सम्मन जारी किया गया हो सम्बन्धित विषय पर सत्य बोलने के लिए बाध्य होंगे जिसके लिए उनका परीक्षण किया जाय एवं सभी आवश्यक प्रपत्रों को प्रस्तुत करेंगे जो आवश्यक हों।
- इस प्रकार की उपस्थिति की मांग के सम्बन्ध में मुक्ति के लिए सिविल प्रक्रिया कोड 1908 की धारा 132 लागू होगी।
- उपरोक्त सभी प्रकार की जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 एवं 228 के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया ही मानी जायेगी।

9. <u>प्रपत्रों की अभिरक्षा आदि [धारा 41] :-</u>

धारा 33 या धारा 34 या धारा 36 या धारा 37 की उपधारा 2 के अनुपालन में दिये गये आदेश या धारा 39 या 40 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता या सम्मन के अनुसार यदि कोई प्रवर्तन अधिकारी पर्याप्त कारणों से यह विश्वास करता है कि सम्बन्धित प्रपत्र किसी तथ्य का साक्ष्य है जिनसे इस अधिनियम के किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन होता है तो इस सम्बन्ध में आदेशानुसार वह ऐसे प्रपत्र या प्रपत्रों को अपनी अभिरक्षा में रोक कर रख सकता है, वह इस सम्बन्धित प्रपत्र को 6 माह से अधिक अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकता या यदि इस 6 माह की अवधि समाप्ति से पूर्व कोई कार्यवाही –

i. धारा 51 लागू हो जाय, इस प्रक्रिया के निष्पादन तक, उस प्रक्रिया को सम्मिलित करके, यदि कोई है, जो कि अपीलेट बोर्ड या उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित है, या
ii. एक कोर्ट के सामने धारा 56 लागू हो जाय जब तक कि यह प्रपत्र कोर्ट में दाखिल न हो जाय।

बशर्ते उपरोक्त 6 माह की अवधि, लिखित में कारण सहित, प्रवर्तन निदेशक आगामी 6 माह के लिए अधिकतम विस्तारित कर सकता है।

10. <u>निरीक्षण [धारा 42] :-</u>

कोई भी प्रवर्तन अधिकारी, सहायक निदेशक से निम्न श्रेणी का नहीं, विशेष रूप से जिसे प्रवर्तन निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किया जाय

या रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से इस सम्बन्ध में अधिकृत किया जाय, किसी भी अधिकृत विक्रेता की पुस्तकों, खातों या अन्य प्रपत्रों का निरीक्षण कर सकता है।

11. <u>जुर्माना [धारा 50] :–</u>

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है (धारा 13, धारा 18, धारा 18A की उपधारा 1 अनुच्छेद अ एवं धारा 19 की उपधारा 1 अनुच्छेद अ के अतिरिक्त) या किसी नियम, निर्देश या आदेश जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत हो का उल्लंघन करता है, वह इस जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जो कि इस उल्लंघन में संलग्न राशि का 5 गुना अथवा 5000 रू0 दोनों में से जो अधिक हो, हो सकता है, जैसा भी प्रवर्तन निदेशक या किसी अन्य प्रवर्तन अधिकारी जो कि सहायक निदेशक से निम्न श्रेणी का न हो तथा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, तथा केन्द्र सरकार के आदेश से नियुक्त हो (दोनों ही स्थितियों में जो न्यायिक अधिकारी निर्दिष्ट हो) द्वारा न्यायिक अधिकारी के रूप में उचित समझा जाय।

12. <u>न्याय निर्णय का अधिकार [धारा 51] :–</u>

न्यायिक निर्णय के उद्देश्य से धारा 50 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है (इस धारा में निर्दिष्ट के अतिरिक्त) या इसके अन्तर्गत किसी नियम, निर्देश या आदेश जो दिया गया हो, का उल्लंघन करता है तो न्यायिक अधिकारी विधि सम्मत जांच करेगा, दोषी व्यक्ति को इस जांच के सम्बन्ध में अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात तथा यदि वह सन्तुष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति ने यह उल्लंघन किया है तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जैसा वह उचित समझे, जुर्माना लगा सकता है।

15.8 अपील एवं न्यायिक प्रक्रिया

1. <u>अपीलेट बोर्ड को अपील [धारा 52] :–</u>

- केन्द्रीय सरकार अपने आधिकारिक गजट में अधिसूचना जारी करके एक अपीलेट बोर्ड का गठन कर सकती है जिसे विदेशी विनिमय नियमन अपीलेट बोर्ड के नाम से जाना जाता है इसमें एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं तथा धारा 51 के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील सुनते हैं।
- उक्त आदेश से असन्तुष्ट व्यक्ति, निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तथा दंडस्वरूप लगाये गये जुर्माने की राशि जमा करने के पश्चात जो धारा 50 के अन्तर्गत हो, आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के अन्दर जिसे यह उल्लंघन करने के लिए तामील किया गया है अपीलेट बोर्ड के सम्मुख अपील कर सकता है।

- अपीलेट बोर्ड धारा 50 के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता, औचित्य एवं सत्यता का अध्ययन, धारा 51 की किसी भी प्रक्रिया से सम्बद्ध, अपने ढंग या अन्य प्रकार से करेगा, इस प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों की मांग करेगा तथा सम्बन्ध में जैसा उचित समझे, आदेश पारित करेगा।
- अपीलेट बोर्ड के अधिकारों एवं कार्यों को प्रयोग एवं सम्पन्न करने के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित दो सदस्यीय बैंच होती है।

2. <u>उच्च न्यायालय में अपील [धारा 54] :–</u>

धारा 52 की उपधारा 3 या 4 के अनुसार अपीलेट बोर्ड द्वारा किये निर्णय अथवा आदेश सम्बन्ध में वैधानिक प्रश्न होने पर ही उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

बावजूद इसके उच्च न्यायालय इस धारा के अन्तर्गत दाखिल किसी अपील को स्वीकार नहीं करेगा यदि वह असन्तुष्ट व्यक्ति द्वारा निर्णय या आदेश प्राप्ति की 60 दिन की अवधि बीतने के पश्चात दाखिल की गयी है। जब तक कि उच्च न्यायालय इस अपील के निर्धारित समय में न दाखिल होने के तथ्य या कारण से प्रस्तुत न होने के बचाव तर्क से सन्तुष्ट हो।

3. <u>न्यायिक अधिकारी, अपीलेट बोर्ड एवं उच्च न्यायालय द्वारा लगाये जुर्माने के आदेश का उल्लंघन [धारा 57] :–</u>

यदि कोई व्यक्ति न्यायिक अधिकारी या अपीलेट बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये जुर्माने का भुगतान करने में असफल रहता है, जैसा कि उसे आदेशित या निर्देशित किया गया हो, जो कि उसके दोषी होने के कारण न्यायालय द्वारा लगाया गया है, यह एक दण्डनीय अपराध होगा जिसमें कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

4. <u>मुद्रा, प्रतिभूति आदि का अधिग्रहण [धारा 63] :–</u>

कोई भी कोर्ट जो धारा 56 के अन्तर्गत सुनवाई कर रहा हो एवं न्यायिक अधिकारी जो 57 के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया में संलग्न हो, यदि वह उचित समझता है कि इस उल्लंघन के लिये कारावास या जुर्माना जो भी लगाया गया है के साथ यह भी निर्देशित कर सकता है कि इस सम्बन्ध में मुद्रा, प्रतिभूति या अन्य कोई मुद्रा या सम्पत्ति जो इस उल्लंघन में संलग्न हो उसको केन्द्र सरकार के लिये जब्त किया जाये और यह भी निर्देश जारी कर सकता है इस सम्बन्ध में विदेशी विनिमय धारिता, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा जिसने उल्लंघन किया है या आंशिक रूप से, भारत से वापिस लाया जायेगा अथवा इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुसार भारत से बाहर ही रोक दिया जायेगा।

5. <u>लिपिकीय त्रुटि आदि का समाधान [धारा 65] :–</u>

अपीलेट बोर्ड या न्यायिक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किसी निर्णय या आदेश में कोई परिस्थितिजन्य भूल या अंकगणितीय या

लिपिकीय त्रुटि या कुछ छूट जाये आदि के सम्बन्ध में कभी भी अपीलेट बोर्ड या न्यायिक अधिकारी या उनके उत्तराधिकारी कार्यालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

बशर्ते यदि ऐसा प्रस्तावित संशोधन जो कि इस धारा के अन्तर्गत किया जाना है, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल परिणाम का प्रभाव दिखाये। कोई संशोधन नहीं किया जायेगा –

- इस प्रकार के निर्णय या आदेश की तिथि से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात।
- बशर्ते कि जो व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति हो इस मामले में उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान किया जा चुका हो।

6. <u>समस्या निवारण का अधिकार [धारा 80] :–</u>

यदि इस अधिनियम को प्रभावी करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या अड़चन आती है तो केन्द्र सरकार कोई भी आदेश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम की धाराओं के असंगत न हो, जिसका उद्देश्य समस्या का निदान करना हो। कोई भी आदेश इस अधिनियम के लागू होने की दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद का न हो।

7. <u>निरसन एवं बचत [धारा 81] :–</u>

1) विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 अब निरस्त है।
2) इस निरस्तीकरण के बावजूद –
   - यदि कोई भी कार्यवाही की गयी है अथवा करने का दावा किया गया है (कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, निर्गत आदेश या सूचना या कोई नियुक्ति, स्थायीकरण या उद्घोषणा जो की गयी हो, या कोई लाइसेंस, अनुमति, अधिकृतीकरण या कोई स्वीकृत छूट या किसी प्रलेख या दस्तावेज का निष्पादन या कोई भी दिया गया निर्देश, या कोई निष्पादित प्रक्रिया या कोई भी जब्ती कार्यवाही या दंड या जुर्माना आदि जो लगाया गया हो, सम्मिलित करते हुए) जो कि इस अधिनियम के आधीन हो निरस्त माना जायेगा क्योंकि इस अधिनियम के सभी प्रावधान अब असंगत हो गये हैं।
   - इस अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान के सम्बन्ध में यदि किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई नियम, निर्देश या आदेश जो इस अधिनियम की किसी धारा या प्रावधान के अनुसार हो निरस्त माने जायेंगे।
   - विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम अपीलेट बोर्ड (अधिनियम की धारा 23E उपधारा 2 के अनुसार) को प्राथमिक अपील निरस्त मानी जायेगी जो इस अधिनियम के

प्रारम्भ से पूर्व निस्तारित नहीं हुई हो और इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जो कि बोर्ड के सम्मुख प्राथमिक है के सम्बन्ध में कोई आदेश दिया गया है अथवा दिया जाना है निरस्त समझा गया अपीलेट बोर्ड के किसी से सदस्य द्वारा अधिनियम की धारा 52 उपधारा (6) के प्रावधान द्वारा निस्तारित किया जा सकता है।

- इस अधिनियम की धारा 23E की उपधारा 3 तथा उपधारा 4 के अनुसार विदेशी विनिमय विनियमन अपीलेट बोर्ड कोई भी निर्णय या आदेश किसी भी अपील के सम्बन्ध में जो कि निरस्त की जायेगी, उच्च न्यायालय के सम्मुख इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के 60 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जा सकती है।

उच्च न्यायालय 60 दिन के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि वह इस तथ्य से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास 60 दिन की समाप्ति के पश्चात अपील करने के बचाव के पक्ष में पर्याप्त कारण है। उपधारा 2 में प्रस्तावित मामले किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हों तथा सामान्य धारा अधिनियम 1897 के अन्तर्गत सामान्य आवेदन जो निरस्त किया गया होगा को प्रभावित करे।

15.9 सारांश

इस इकाई में हमने फेरा से आशय, उद्देश्य, महत्वपूर्ण विनियमन एवं उसके अधिकारों के विषय में अध्ययन किया। विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम (फेरा) भारत सरकार द्वारा संसद में 1973 में पारित किया गया तथा 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया। फेरा द्वारा निश्चित भुगतानों, विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूति लेन देन एवं ऐसे लेन देन जो विदेशी विनिमय एवं आयात निर्यात को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हों, के सम्बन्ध में सीधे नियम एवं निर्देश जारी किये। इसका विस्तारण सम्पूर्ण भारत में किया गया। फेरा ऐसे समय लाया गया जब फोरेक्स कोष देश में अत्यन्त निम्न थे, जो दुर्लभ माने जाने वाली Commodity है। फेरा भारत सरकार के प्रक्रियान्तर्गत कार्य करता है तथा संग्रह कर भारतीय रिजर्व बैंक को समर्पण करता है। केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है जो उसको दिये गये आधार पर कर्तव्यों का निष्पादन एवं अधिकारों का प्रयोग करेगा। यह अधिनियम केन्द्र सरकार को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है जैसे सूचना मांगने का अधिकार, संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी का अधिकार एवं प्रपत्रों को जब्त करना, किसी भी वाहन को रोकना एवं तलाशी करना, परिसर की तलाशी एवं अभिलेखों को जब्त करने का अधिकार आदि।

15.10 शब्दावली

1. **''वाहक प्रमाण पत्र''** से आशय ऐसे प्रतिभूति प्रमाण पत्र से है जिसके हस्तान्तरण के साथ वाहक का नाम भी हस्तान्तरण हो जाता है। (पृष्ठांकन सहित या बिना पृष्ठांकन के)।
2. **''प्रतिभूति का शीर्षक प्रमाण पत्र''** से आशय ऐसे प्रपत्र से है जिसका प्रयोग सामान्य व्यापारिक व्यवहार में प्रतिभूतियों पर अधिकार अथवा नियन्त्रण प्रदर्शित करता है अथवा अधिकृतीकरण के उद्देश्य से अधिकृत करता है या तो पृष्ठांकन अथवा सुपुर्दगी के माध्यम से, प्रतिभूति का स्वामित्व धारक प्रपत्र का हस्तान्तरण धारिता का प्रतिनिधित्व करेगा।
3. **''कूपन''** का आशय एक कूपन से है जो प्रतिभूति पर लाभांश या ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है। FER संशोधित अधिनियम 1993 के प्रावधान 8 जनवरी, 1993 को लागू हुए।
4. **''मुद्रा''** में सम्मिलित हैं सभी सिक्के, करंसी नोट, बैंक नोट, पोस्टल नोट, पोस्टड ऑर्डर, मनीऑर्डर, चैक, ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र, विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र।
5. **''विदेशी मुद्रा''** का आशय भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश की मुद्रा से है।
6. **''विदेशी विनिमय''** से आशय विदेशी मुद्रा से है जिसमें सम्मिलित है –
   - सभी जमायें, साख एवं अदेय अवशेष जो विदेशी मुद्रा में हो, एवं कोई ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र एवं विनिमय विपत्र जो भारतीय मुदा में प्राप्त हो परन्तु देय विदेशी मुद्रा में हो।
   - कोई भी उपकरण/लेखपत्र/साधन देय हो, प्राप्तकर्ता अथवा धारक या अन्य कोई आंशिक एक में और आंशिक दूसरे में प्राप्त करे।
7. **''भारतीय मुद्रा''** से आशय उस मुद्रा से है जो भारतीय मुद्रा (रूपये) में प्राप्त एवं व्यक्त हो परन्तु इसमें सम्मिलित नहीं है विशेष बैंक नोट एवं विशेष एक रूपये का नोट जो धारा 28 अ के अर्न्तगत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 द्वारा निर्गमित किये गये।
8. **''मुद्रा परिवर्तक''** का अर्थ उस व्यक्ति से है जो धारा 7 के अनुसार निर्धारित समय के लिए विदेशी मुद्रा में व्यवहार के लिए अधिकृत हो।
9. **''ओवरसीज बाजार''** से आशय किसी माल से है जो भारत के बाहर किसी देश के बाजार में विक्रय के उद्देश्य से हो।
10. **''स्वामी''** प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में, वह व्यक्ति जिसे प्रतिभूति को विक्रय एवं हस्तान्तरित करने का अधिकार हो या जिसके पास उसका स्वामित्व हो चाहे स्वयं के लिए अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए, वो उस पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करता हो और वह इसमें कोई हित रखता हो, एवं यदि कोई प्रतिभूति किसी न्यास (ट्रस्ट) के स्वामित्व में हो तो उन पर प्राप्त ब्याज या लाभांश भी न्यास निधि में ही देय होगा।

15.11 बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न।

6. भारतीय संसद द्वारा फेरा अधिनियम सन् .... में लागू किया गया।
(अ) 1975 (ब) 1973 (स) 1978 (द) 1976

7. वित्तीय बाजार प्रभावित करता है –
(अ) व्यक्तिगत सम्पत्ति (ब) व्यक्ति या फर्म के निर्णय
(स) अर्थव्यवस्था स्थान को व्यवसाय चक्र में (द) उपरोक्त सभी

8. निम्न में से कौन सा बाजार ओवर द काउंटर बाजार के रूप में संगठित है –
(अ) स्कन्ध बाजार (ब) बांड बाजार
(स) विदेशी विनिमय बाजार (द) फेडरल कोष बाजार
(य) उपरोक्त सभी

9. विश्व में सबसे गतिशील/क्रियाशील प्रतिभूति बाजार है –
(अ) Nikkei प्रतिभूति बाजार (ब) लंदन प्रतिभूति बाजार
(स) शंघाई प्रतिभूति बाजार (द) न्यूयार्क प्रतिभूति बाजार

10. फेरा 1973 की 1993 में समीक्षा किस उद्देश्य से की गयी?

15.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. (अ) 2. (ब) 3. (स) 4. (द)
5. विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनियोग से सम्बन्धित आर्थिक उदारीकरण

15.13 स्वपरख प्रश्न

6. विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को संक्षेप में बताइये।
7. किसी प्रावधान के उल्लंघन पर दंड या जुर्माने के सम्बन्ध में फेरा के प्रावधान बताइये। न्यायिक अधिकारी को जुर्माना वसूली के सम्बन्ध में प्राप्त अधिकार बताइये।
8. निम्न पर टिप्पणी लिखिये।
   (अ) प्रवर्तन निदेशालय एवं उसके अधिकार।
   (ब) किसी व्यक्ति को निर्देश देने एवं निरीक्षण करने सम्बन्धी रिजर्व बैंक के अधिकार।
   (स) निरसन एवं बचत
   (द) 1993 में फेरा की समीक्षा
9. आयात–निर्यात के भुगतान के सम्बन्ध में फेरा के नियमन एवं प्रावधान का वर्णन कीजिए।

15.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Garg Rich, “Foriegn Exchange Management”, Vrinda Publications Private Ltd., 2010
2. Bharat, “Foreign Exchange Management Act : Rules and Regulations”, Bharat Law House Pvt Ltd., 2007
3. http://exim.indiamart.com/act-regulations/fera-1993.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Fera
5. http://www.cabible.com/forum/showthread.php/6677-Difference-betwen-FERA-and-FEMA
6. Sharan V, “International Financial Management”, Prentice Hall of India, N. Delhi, 2009
7. Seth A K, “International Financial Management”, Galgotia Publishing Company, 2009

इकाई 16 विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम (F E M A)

इकाई की रुपरेखा

16.1 प्रस्तावना
16.2 फेमा से आशय एवं विशेषतायें
16.3 फेमा की आवश्यकता, उद्‌देश्य एवं सीमायें
16.4 फेरा एवं फेमा में अन्तर
16.5 अधिनियम की प्रमुख शब्दावली
16.6 विदेशी विनिमय का प्रबन्ध एवं नियमन
16.7 उल्लंघन एवं जुर्माना
16.8 न्यायिक निर्णय एवं अपील
16.9 निरसन एवं बचत
16.10 सारांश
16.11 शब्दावली
16.12 बोध प्रश्न
16.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
16.14 स्वपरख प्रश्न
16.15 संदर्भ पुस्तकें

उददेश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- फेमा का परिचय विशेषतायें, आवश्यकता एवं उद्‌देश्यों की व्याख्या कर सकें।
- फेमा की प्रमुख तकनीकें एवं सीमाओं की व्याख्या कर सकें।
- फेरा एवं फेमा में अन्तर कर सकें।
- फेमा के प्रबन्ध एवं नियमन का वर्णन का वर्णन कर सकें।
- फेमा की अपील एवं न्यायिक निर्णय प्रक्रिया का वर्णन कर सकें।

16.1 प्रस्तावना

विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम सन 1999 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया जिसने विदेशी विनियमन अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। यह अधिनियम विदेशी विनिमय से सम्बन्धित अभियोगों के दीवानी मामलों में दखल रखता है इसका क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में विस्तृत है। फेमा जिसे विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम (फेरा) से प्रतिस्थापित किया गया वर्तमान समय की आवश्यकता है। फेरा भारत सरकार की उदारवादी नीतियों के लिये असंगत हो गया था। फेरा को 1974 में लागू किया गया जबकि भारत की विदेशी विनिमय कोष स्थिति अपने श्रेष्ठ स्थान पर नहीं थी। अतः एक नवीन नियन्त्रण व्यवस्था को इस स्थिति से उबरने के लिये आवश्यक समझा गया था। फेरा इन क्रियाओं को नियन्त्रित करने मे पूर्ण सफल नहीं हुआ विशेषकर TNCs (अन्तर्राष्ट्रीय निगम) के सम्बन्ध में। फेरा के सम्बन्ध में सन् 1991–93 में जागरूकता हुई तथा अनुभव किया गया कि विभिन्न परिस्थितियों में यह

निरर्थक है। सन् 1993 में संशोधन के उपरांत यह निर्णय किया गया कि अब इसका स्थान फेमा लेगा। यह आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के अर्न्तगत भारत मे विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण को शिथिल बनाने के क्रम में था। फेमा ने आयात–निर्यात (बाह्य लेन–देन) प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य किया। इसके तहत बाह्य लेन–देन करने वालों को अब चालू खाते के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

इसके माध्यम से विदेशी विनिमय को नियन्त्रित करने की अवधारणा उनके प्रबन्ध में परिवर्तित हो गयी। फेमा के रूप में परिवर्तन विदेशी पूंजी में सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन का परिचायक था। फेमा ने विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में विश्व व्यापार संगठन (W T O) की प्रबन्ध सम्बन्धी नवीन संरचना प्रस्तुत की। यह पृथक विषय है कि फेमा अधिनियम के साथ अर्थशोधन निवारण अधिनियम 2002 बनाया गया जो 1 जुलाई 2005 से क्रियाशील हुआ।

अन्य अधिनियमों की भांति जहां सब कुछ करने की स्वीकृति होती है परन्तु प्रतिबंधित क्रियायें नहीं करनी होती है इस अधिनियम में उल्लखित क्रियायें प्रतिबन्धित हैं। केवल विशेष स्वीकृत क्रियायें ही निष्पादित हो सकती है। अतः अधिनियम लहजा एवं तत्व अत्यन्त कठोर है। इसके द्वारा न्यून अपराध पर भी जेल का प्रावधान है। फेरा के अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपराधी माना जाता हैं जब तक कि वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध न कर दे जबकि अन्य अधिनियमों में व्यक्ति को जब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उस पर अभियोग सिद्ध न हो जाय।

16.2 फेमा से आशय एवं विशेषतायें

''विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियमों में एक संशोधन जिससे बाह्य व्यापार एवं भुगतान का सरलीकरण एवं भारतीय विदेशी विनिमय बाजार का विकास एवं उन्नयन हो सके।''

फेमा की निम्न विशेषतायें है–

7. विदेशी विनिमय व्यवहार एवं विदेशी प्रतिभूति सम्बन्धी भारत से बाहर व्यक्ति को भुगतान अथवा उनसे रसीद प्राप्ति क्रिया आदि को प्रतिबन्धित किया जाना, यह प्रतिबंध अधिकार केन्द्रीय सरकार का होगा।
8. ऐसे व्यक्ति जो भारत में रहकर विदेशी विनिमय में व्यवहार करते है पर प्रतिबंध लागू करना ऐसे भारतीय निवासी जिनके पास विदेशी प्रतिभूति अथवा विदेश में अचल सम्पत्ति है, को प्रतिबंधित करना।
9. फेमा ने बिना रिज़र्व बैक की सामान्य या विशिष्ट अनुमति के विदेशी विनिमय अथवा विदेशी प्रतिभूति संलग्न व्यवहार से सम्बन्धित भुगतान आदि को प्रतिबंधित किया है यह व्यवहार किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही किये जाने चाहिये।
10. विदेशी विनिमय में संलग्न व्यक्ति का चालू खाता जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा होता है क्रेन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है।

11. इस अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी विनियम सम्बन्धी विक्रय एवं आहरण किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है कि वह पूंजी खातों के लेन देनों का विभिन्न प्रकार से प्रतिबंधित कर सकता है।
12. भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को विदेशी विनिमय के लेन देन करने, विदेशी प्रतिभूतियों या अचल सम्पत्ति बाहर से रखने के लिये अनुमति प्रदान की है परन्तु केवल तभी जब यह विदेशी मुद्रा प्रतिभूति या सम्पत्ति उसने तब अधिगृहित की हो या स्वामित्व प्राप्त किया हो जब वो भारत के बाहर निवास करता था या उसे भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विरासत में मिला हो।
13. निर्यातकर्ताओं के लिये अपना निर्यात विवरण रिजर्व बैंक ऑफ इडिया को प्रस्तुत करना होता है। निर्यात लेन देन उचित प्रकर से निष्पादित हुए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिये रिजर्व बैंक निर्यातक को आवश्यक आवश्यकतायें पूर्ण करने को कह सकता है।

16.3 फेमा की आवश्यकता, उद्देश्य एवं सीमायें

विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम 1999 या संक्षेप में फेमा पूर्व अधिनियम विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (फेरा) को प्रतिस्थापित करने के लिये बनाया गया एक अधिनियम के रूप में जून माह की प्रथम तिथि को 2000 में लागू किया गया। फेमा को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य देश की उदारवादी नीतियों के पश्चात फेरा का उपयुक्त या अनुकूल न होना था। फेमा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि विदेशी विनिमय सम्बन्धी सभी अभियोगों को दीवानी अभियोगों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया जबकि फेरा के अन्तर्गत इन्हें आपराधिक अभियोग माना जाता था।

विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियमों को संशोधित कर बाह्य व्यापार एवं भुगतान को बढ़ावा देना है। इसका गठन भारतीय विनिमय बाजार को उन्नत करने, व्यवस्थित रूप से विकसित एवं पोषित करने के लिये किया गया।

फेमा सम्पूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम भारत के प्रत्येक निवासी पर लागू है तथा भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों और ऐजेन्सियों पर भी लागू होता है जिनका नियन्त्रण भारत के निवासी द्वारा किया जाता है।

फेमा का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसे प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी जाना जाता है इसका एक प्रमुख संचालक होता है। यह निदेशालय पांच क्षेत्रीय कार्यालय में बंटा हुआ है जो दिल्ली, मुम्बई, कोलकता, चेन्नई एवं जालन्धर में स्थित है। इनका नियंत्रण उपनिदेशकों द्वारा होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय पुनः सात उप–क्षेत्रीय कर्यालयों में बंटा होता है तथा सहायक संचालकों द्वारा संचालित किया जाता है और पांच कार्य क्षेत्र इकाइयां जिनके प्रमुख मुख्य प्रवर्तन अधिकारी होते हैं संचालित होते हैं।

<u>फेमा की आवश्यकता :–</u>

विदेशी मुद्रा एवं अन्य ऋण प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय व्यवसाय के माध्यम से विदेशी विनिमय बाजार में व्यक्तियों, सरकार आदि द्वारा किया जाता है यह भारत का ही नही वरन् विश्व का भी अति तरलतापूर्ण बाजार है। इसमें परिवर्तन एवं नवीनीकरण निरन्तर होता रहता है जो कि एक देश के लिये या तो लाभपूर्ण अथवा अधिक जोखिम को वहन करने वाला है। विदेशी विनियम बाजार का प्रबंध जोखिम को कम करने या जोखिमों से बचने के लिये आवश्यक है। लेन देनों की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के लिये केन्द्रीय बैंक भी क्रियाशील रहता है जिससे विदेशी विनिमय बाजार उन्नत एवं विकसित हो सके।

चाहे फेरा के अन्तर्गत हो या फेमा के अन्तर्गत हो परन्तु विदेशी विनिमय का प्रबन्ध नियंत्रण अतिमहत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय कोष राशि रखी जाये वह भी तब जब भारत विशिष्ट पदार्थों का आयात भी करता है। पर्याप्त मात्रा में कोष निर्माण भारतीय विदेशी विनिमय नीति के आयात को प्रतिस्थापित कर निर्यात व्यापार को बढ़ावा प्रदान करेगा।

16.4 फेरा एवं फेमा में अंतर

1. <u>फेरा एवं फेमा के उद्देश्य –</u>

   फेरा 1973 का उद्देश्य विदेशी विनिमय को सुरक्षित बनाना तथा भारतीय विदेशी विनिमय संतुलन स्थिति को विपरीत स्थिति से बचाने के लिये कमियों को दूर करना था।

   उदारीकरण के बाद 1992 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FD) के लिये विभिन्न क्षेत्रों को खोल दिया गया जिससे समय–समय पर विदेशी विनिमय परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन हुए। नकारात्मक शेष के स्थान पर पर्याप्त विदेशी विनियम कोष निर्मित हुआ। अतः यह आवश्यक समझा गया कि फेरा के कठोर नियमों को छोड़ दिया जाये।

2. <u>आपराधिक बनाम दीवानी फेरा एवं फेमा में –</u>

   फेरा का उल्लंघन जहां आपराधिक अभियोग था वहीं फेमा में यह दीवानी अभियोग माना जाता है। फेरा में अभियोगों में समझौता संभव नहीं था जबकि फेमा में इसकी स्वीकृति है।

   भुगतान के अनेकों प्रावधान जैसे– मूल पर्यटन कोटा (BTQ) व्यापारिक यात्रा, निर्यात कमीशन, उपहार दान, उदारीकृत प्राप्ति योजना आदि अत्यन्त मित्रवत योजनायें है जिनके माध्यम से फेमा विदेशी विनिमय को सुगम बनाता है। फेमा में दीवानी अभियोग लागू हैं जबकि फेरा में कठोर आपराधिक अभियोग का प्रावधान था।

3. <u>अनुमोदन एवं स्वीकृति में अंतर –</u>

   अनुमोदन की स्थिति में यदि अनुमोदन नहीं होता है तभी माल रोकने की क्रिया की जाती है जबकि स्वीकृति प्राप्त न होने की दशा में क्रिया या निर्णय हो ही नहीं सकता।

4. <u>फेमा के नियम एवं विनियमन में अंतर :–</u>

केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवहारिक आधार पर नियमावली निर्माण किया गया है। अधिनियम के सभी प्रावधान एवं विनियमन जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत है, अधिनियम में सम्मिलित है। भारतीय रिज़र्व द्वारा परिस्थिति के अनुसार समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जाते है वह भी वैधानिक नियमों की भांति स्वीकार्य होते हैं।

5. <u>FEMA 1999 का जुलाई 1, 2000 को वैधानिक ढांचा :–</u>

फेमा का प्रशासन विभिन्न प्रावधानों जो निम्न है से संचालित होता है –

(i) फेमा 1999 (कुल 49 खंड / धारायें)
(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी नियम (नियमों के 6 संग्रह)
(iii) आरबीआई द्वारा निर्मित विनियमन (22 नियम संग्रह अब तक)
(iv) आरबीआई के निर्गत प्रमुख सरकुलर
(v) आरबीआई के अधिकृत व्यक्ति सम्बन्धी निर्देश (AIP सीरीज)
(vi) उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्गत औद्योगिक नीति
(vii) बाह्य वाणिज्यिक प्राप्तियां (ECB / GDR / ADR नीतियां – वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित)
(viii) आयकर, आबकारी नियम, FCRA के अन्य विशिष्ट प्रावधान।

6. <u>सरकुलर्स एवं रेगूलेशन में अन्तर :–</u>

बहुधा एवं व्यवहार में आरबीआई द्वारा जारी सरकुलर नियमों को बाधित करते हैं अतः उन्हें नियमों के संशोधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। विभिन्न मामलों में यह संशोधित प्रावधान बाद में निर्गत होते हैं परन्तु प्रभावी पूर्व से माने जाते हैं। यह सभी अधिकांश सरकुलर मास्टर सरकुलर्स में एकत्र किये गए हैं।

16.5 अधिनियम की प्रमुख शब्दावली

19. ''प्राधिकरण निर्णय'' का अर्थ धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी से है।
20. ''अपीलेट ट्रिब्युनल'' का अर्थ धारा 18 के अन्तर्गत विदेशी विनियम के लिए स्थापित अपीलेट ट्रिब्युनल से है; (स) ''अधिकृत व्यक्ति'' से आशय एक अधिकृत विक्रेता, मुद्रा परिवर्तक, ऑफ शोर बैकिंग इकाई या अन्य किसी व्यक्ति से है जो धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों में व्यवहार करता हो।
21. ''बैंच'' का अर्थ अपीलेट ट्रिब्युनल की बैंच से है।
22. "पूंजी खाते के लेनदेन" से आशय धारा 6 की उपधारा 3 में दिये तथ्यों से है। इसमें भारत से बाहर किसी की सम्पत्ति, दायित्व एवं आकस्मिक दायित्वों के परिर्वतन से जो कि भारत में निवास करता हो तथा भारत में परिवर्तन हो और व्यक्ति विदेश में निवास करता हो।
23. "अध्यक्ष" का अर्थ अपिलेट ट्रिब्युनल के अध्यक्ष से है।
24. "चार्टर्ड एकाउंट" का आशय चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम 1949 की धारा 2 उपधारा (1) के clause B के अनुसार जिसे सौंपा गया।

25. "मुद्रा" में सम्मिलित हैं— सभी करेंसी नोट, पोस्टल नोट, पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर, चैक, ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र, विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र या समकक्ष साधन जैसा भी रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
26. "प्रवर्तन संचालक" का अर्थ प्रवर्तन हेतु धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त संचालक।
27. "निर्यात" व्याकरणीय परिवर्तन एवं सजातीय मनोभाव के अर्थ में:
    - किसी भी स्कंध या माल को भारत से बाहर ले जाना,
    - भारत से भारत के बाहर के व्यक्ति को सेवा प्रदान करना।
28. "विदेशी मुद्रा" का अर्थ ऐसी मुद्रा से है जो भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश की हो।
29. "विदेशी विनिमय" का अर्थ विदेशी मुद्रा से है जिसमें सम्मिलित है—
    - किसी भी विदेशी मुद्रा में जमा, साख या अदेय शेष,
    - ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र या विनिमय विपत्र जो भारतीय मुद्रा में प्राप्त हो परन्तु विदेशी मुद्रा में देय हो।
    - ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र, या विनिमय विपत्र जो किसी बैंक, संस्था या व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त हों परन्तु भारतीय मुद्रा में भुगतान योग्य हों।

12 "विदेशी प्रतिभूति" से आशय किसी प्रतिभूति, अंशों, स्कन्ध, ब्रांड, ऋणपत्र और अन्य लेखपत्र जिसका मूल्यवर्ग विदेशी मुद्रा में व्यक्त हो, लेकिन शोधन, ब्याज एवं लाभांश प्रतिफल में भारतीय मुद्रा में देय हो।

13 "आयात" व्याकरणीय परिर्वतन एवं सजातीय मनोभाव के अर्थ में भारत में प्राप्त किसी स्कंध, माल अथवा सेवा से हैं।

14 "भारतीय मुद्रा" का अर्थ ऐसी मुद्रा से है भारतीय रूपये में व्यक्त या प्राप्त हो परन्तु इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 28अ के अर्न्तगत निर्गमित विशेष नोट एवं विशेष एक रूपये का नोट सम्मिलित नहीं है।

15 "व्यक्ति जो भारत का निवासी है" अर्थ है—

iv. एक व्यक्ति जो गत वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत रहा हो परन्तु इसमें सम्मिलित नहीं होता है—

(अ) एक व्यक्ति भारत से बाहर चला गया हो या भारत के बाहर रहता हो।

(ब) एक व्यक्ति भारत में आया हो या भारत में रूका हो।

v. कोई व्यक्ति, निगमीय संस्था जो भारत में पंजीकृत या समामेलित हो।

vi. एक कार्यालय, शाखा और एजेंसी जो भारत से बाहर स्थित हो परन्तु जिसका नियन्त्रण या स्वामित्व किसी भारतीय निवासी का हो।

16 "भारत के बाहर का निवासी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भारत का निवासी नहीं है।

17 "रिज़र्व बैंक" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 3 उपधारा 1 के द्वारा गठित है।

18 प्रतिभूति से आशय अंश, स्कन्ध, बांड एवं ऋण पत्र, सकारी प्रतिभूतियां, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944 के अनुसार बचत प्रमाण पत्र जिन पर भारतीय बचत प्रमाणपत्र अधिनियम 1959 लागू होता है, जमा प्राप्तियां प्रतिभूति जमा के रूप में एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिटस भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के अनुसार अथवा कोई म्युचुअल फंड प्रतिभूति नामित प्रमाण पत्र परन्तु विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र के अलावा परन्तु सरकारी प्रतिज्ञा पत्र या अन्य कोई लेख पत्र जो इस अधिनियम के आधीन रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूति के रूप में अधिसूचित है को छोड़कर।

19 सेवाओं का अर्थ उस सेवा के विवरण से है जो कि उसके विशिष्ट प्रयोगकर्ता को उपलब्ध हो एवं वह सुविधायें भी सम्मिलित है जो बैंकिग, वित्तीय, बीमा, चिकित्सा सहायता, वैधानिक सहायता, चिट फंड, रीयल स्टेट, परिवहन प्रक्रिया, विद्युत या अन्य शक्ति आपूर्ति, रहना या खाना या दोनों, मनोरंजन, समाचार या अन्य सूचना संग्रह से प्राप्त हों परन्तु इससे अनुबन्ध आधारित निःशुल्क व्यक्तिगत सेवायें सम्मिलित नहीं हैं।

20 "हस्तान्तरण" में सम्मिलित है विक्रय, क्रय, विनिमय, बंधक, गिरवी, उपहार, ऋण और अन्य किसी रूप जैसे अधिकार, शीर्षक, स्वामित्व या ग्रहणाधिकार का हस्तांतरण।

16.6 विदेशी विनिमय का प्रबन्ध एवं नियमन

1. <u>विदेशी विनिमय में व्यवहार आदि [धारा 3] :–</u>

अन्यथा उपनिबन्धित को छोड़कर इस अधिनियम के अनुसार नियम एवं विनियमन या रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशिष्ट अनुमति के आधार पर किसी व्यक्ति के लिये निम्न प्रतिबंधित है–

- कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी विनिमय हस्तान्तरण या विदेशी प्रतिभूति के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति से व्यवहार नहीं कर सकता जो कि अधिकृत व्यक्ति न हो।
- किसी भी भारत के बाहर रह रहे व्यक्ति को कोई भुगतान या साख।
- एक अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त भारत के बाहर रह रहे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की प्राप्ति एवं भुगतान।
- किसी भी व्यक्ति से किसी भी वित्तीय लेने देन के माध्यम से प्रतिफल के स्वरूप भारत से बाहर किसी सम्पप्ति का हस्तान्तरण या अधिकार का उद्‌गम।

2. <u>विदेशी विनिमय को धारित करना आदि (धारा 4) :–</u>

अन्यथा उपनिबन्धित को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी भारत का निवासी व्यक्ति अधिग्रहित, धारित, स्वत्व,

स्वामित्व और विदेशी विनिमय, विदेशी प्रतिभूति या कोई अचल सम्पत्ति जो कि भारत से बाहर स्थित हो में उक्त व्यवहार नहीं कर सकता।

3. चालू खाता व्यवहार (धारा 5) :—

कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी प्रतिभूति एवं विनिमय में विक्रय या प्राप्ति कर सकता है यदि यह लेनदेन किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से चालू खाते लेनदेन से हो।

परन्तु इन चालू खाता लेनदनों पर केन्द्रीय सरकार सार्वजानिक हित में रिज़र्व बैंक की सलाह से संस्तुति के आधार पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है।

4. पूंजी खाता लेनदेन (धारा 6) :—

उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति विदेशी विनिमय में विक्रय या प्रप्ति किसी भी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पूंजी खाता लेन देन कर सकता है।

केन्दीय सरकार की सलाह के आधार पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यह स्यष्ट कर सकता हैः

- पूंजी खाता लेनदेनों की धारा या धारायें जो लेनदेन के लिये स्वीकृत हो।
- विदेशी विनिमय के लिये ऐसे लेनदेन जो स्वीकृत हों को सीमाबद्व करना।
- बिना किसी भेदभाव के अधिनियम की उपधारा 2 के प्रावधान के अनुसार रिजर्व बैंक निम्न को निषिद्ध या नियमित कर सकता है—
- भारतीय निवासी द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति का निर्गमन या हस्तान्रणः
- किसी भारत के बाहर निवासी व्यक्ति की किसी भारतीय शाखा, कार्यालय या एजेंसी द्वारा विदेशी प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूति का निर्गमन या हस्तान्तरणः
- कोई भी ऋण या उधार विदेशी विनिमय के माध्यम से चाहे वह कुछ भी हो या किसी भी नाम से पुकारा जायः
- एक भारतीय निवासी एवं भारत के बाहर के व्यक्ति के मध्य रूपयों का उधार या ऋण चाहे वह कुछ भी हो या किसी भी नाम से पुकारा जायः
- भारत के निवासी एवं भारत के बाहर के व्यक्ति के मध्य जमायें, निर्यात, आयात या मुद्रा या नोटों को धारित करना।

5. स्कन्ध (माल) एवं सेवाओं का निर्यात (धारा 7) :—

प्रत्येक माल का निर्यात होगा —

- रिज़र्व बैंक या अन्य प्राधिकरण को निश्चित प्रारूप पर निश्चित विधि से यह घोषणा देगा जिसमें उचित एवं सत्य माल विवरण उसके मूल्य एवं कुल निर्यात मूल्य के साथ प्रदर्शित हो।
- निर्यातक को निर्यात प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य कोई भी ऐसी सूचना जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यात के लिये आवश्यक समझी जाय रिज़र्व बैंक को देनी होगी।

6. <u>विदेशी विनिमय सम्बन्धी वसूली एवं देश प्रत्यावर्तन (धारा 8) :–</u>

अन्यथा उपनिबन्धित को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि विदेशी विनिमय की कोई राशि किसी भारत के निवासी की अदेय या उपार्जित है तो ऐसा व्यक्ति वह सभी अनुमत एवं यथोचित प्रयास इसको प्राप्त करने एवं भारत लाने के करेगा जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

7. <u>अधिकृत व्यक्ति (धारा 10) :–</u>

रिज़र्व बैंक प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर जो इस उद्देश्य के लिये हो किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है कि वह विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों में अधिकृत विक्रेता मुद्रा परिवर्तक या ऑफ शोर बैंकिग यूनिट के रूप में व्यवहार करे उसे अधिकृत व्यक्ति के नाम से जाना जाता है।

- इस धारा के अनुसार यह प्राधिकरण लिखित एवं परिस्थिति जन्य हो सकता है।
- एक अधिकृत व्यक्ति जो विदेशी विनिमय एवं विदेशी प्रतिभूतियों में व्यवहार करेगा को रिज़र्व बैंक के सामान्य दिशा निर्देशों एवं विशिष्ट निर्देशों जो कि समय–समय पर जारी होते हैं, का अनुपालन करना होगा तथा उचित रूप से कार्य करना होगा। ऐसी क्रिया को छोड़कर जिसके सम्बन्ध में उसे रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त हो। ऐसा अधिकृत व्यक्ति ऐसे किसी विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूति व्यवहार का हिस्सा नही बनेगा जो इस धारा के अन्तर्गत उसको अधिकृत करने की पुष्टि न करते हों।

16.7 उल्लंघन एंव जुर्माना

<u>जुर्माना :–</u>

इस अधिनियम के उल्लंघन की किसी स्थिति में निम्न जुर्मानों का प्रावधान है –

13. यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी नियम अधिसूचना, निर्देश या आदेश जो कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए जारी किया गया है का उल्लंघन करता है अथवा रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी प्राधिकरण की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे रिजर्व बैंक निर्णयादेश के अनुसार इस उल्लंघन में संलग्न मात्रात्मक राशि के तीन गुने तक का जुर्माना किया जा सकता है अथवा 2 लाख रूपये जहां व्यवहार मात्रात्मक राशि में अभिव्यक्त

नहीं हो सकता और यदि उसके बाद भी यह उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसी स्थिति में इसको बढ़ाकर 5000 रू0 प्रतिदिन किया जा सकता है उस प्रथम दिन के बाद से जब से यह उल्लंघन जारी रहा। [धारा 13(1)]

14. कोई न्यायिक प्राधिकरण उपधारा 1 के अन्तर्गत उल्लंघन की स्थिति में निर्णय ले सकता है (यदि उसकी सम्मति में किये गये उल्लंघन के प्रति जुर्माने के अतिरिक्त दंड आवश्यक हो) और उसे लागू कर सकता है। वह मुद्रा प्रतिभूति या सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में उल्लंघन किया गया है, की केन्द्रीय सरकार द्वारा जब्ती कार्यवाही करा सकता है। वह यह भी निर्देश दे सकता है कि विदेशी विनिमय धारिता जिसके सम्बन्ध में उल्लंघन हुआ है वह अथवा उसका भाग भारत वापिस लाया जाय अथवा भारत के बाहर ही रहने दिया जाय जैसा भी परिस्थितिनुसार निर्देश हो। [धारा 13(2)]

<u>न्यायिक प्राधिकरण के निर्देशों को लागू करना</u> :–

न्यायिक प्राधिकरण के आदेशों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान है–

(अ) धारा 19 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जुर्माना राशि का पूर्ण भुगतान 90 दिन में उस तिथि से जिससे धारा 13 के अनुसार उसे नोटिस द्वारा प्रस्तुत किया गया, करने में असफल रहता है तो इस धारा के अन्तर्गत उसको करावास की सजा हो सकती हे। [धारा 14(1)]

(ब) उल्लंघनकर्ता को गिरफ्तार करने अथवा कारवास में रखने के आदेश तब तक नहीं दिये जा सकते जब तक न्यायिक प्राधिकरण ने दोषी व्यक्ति को एक नोटिस द्वारा जारी कर उसकी तामील करायी हो जिसमें दोषी व्यक्ति को कारण बताओ के साथ निश्चित तिथि पर प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत होने का निर्देश हो कि क्यों उसे जेल नहीं भेजना चाहिये। निम्न से प्राधिकरण के संतुष्ट होने पर कारावास की कार्यवाही संस्तुत हो सकती है–

- कि दोषी व्यक्ति जुर्माने की वसूली में रुकावट डालने या प्रभावित करने के उद्‌देश्य से न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी होने के बाद बेइमानी से अपनी सम्पत्ति या उसके भाग को हस्तांतरित करने या छिपाने का प्रयास कर रहा है।
- कि दोषी व्यक्ति न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने के बाद लम्बित राशि या उसके पर्याप्त भाग को भुगतान करने से मना करता है अथवा नज़रअंदाज़ करता है अथवा मना या नज़रअंदाज़ कर चुका है। [धारा 14(2)]

(स) उपधारा (1) में कुछ ना होने के बावाजूद न्यायिक प्राधिकरण उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत कर सकता है, यदि न्यायिक प्राधिकरण शपथ पत्र अथवा अन्य किसी माध्यम से सन्तुष्ट हो जाये कि दोषी व्यक्ति नोटिस के क्रियान्वयन से बचने के लिए छिपने या स्थानीय सीमायें छोड़ने की तैयारी में है जहां न्यायिक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र है। [धारा 14(3)]

(द) यदि उपधारा 1 के अन्तर्गत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी होने के पश्चात भी यदि उल्लंघनकर्ता प्रस्तुत नहीं होता है तो प्राधिकरण उसके गिरफ्तारी के वारंट निर्गत कर सकता है। [धारा 14(4)]

(क) उपधारा 3 या उपधारा 4 के अनुसार किसी न्यायिक प्राधिकरण द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट को किसी दूसरे न्यायिक प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है जिसके कार्यक्षेत्र में उल्लंघनकर्ता उस समय पाया जाये। [धारा 14(5)]

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इन धाराओं में प्राधिकरण द्वारा जारी वारंट के अनुसार गिरफ्तार किया जाय, को जल्दी से जल्दी जितना व्यवहारिक हो। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं किसी भी स्थिति में उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर (उसकी यात्रा में लगे समय के अतिरिक्त)।

यदि उल्लंघनकर्ता जो वारंट के कारण गिरफ्तार होना है अपनी जुर्माने की राशि एवं गिरफ्तारी की राशि की लागत सम्बन्धित अधिकारी को भुगतान कर देता है तो वह अधिकारी उसे तुरन्त रिहा कर देगा। [धारा 14(6)]

(ग) जब एक उल्लंघनकर्ता को न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है कि वह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे ऐसी स्थिति में न्यायिक प्राधिकरण उल्लंघनकर्ता को कारावास से पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। [धारा 14(7)]

(घ) न्यायिक प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश जारी करे कि जांच पूरी होने तक उल्लंघनकर्ता को कारावास में रोक कर रखे अथवा प्राधिकरण उल्लंघनकर्ता के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से सन्तुष्ट होकर उसे रिहा करने के निर्देश दे। [धारा 14(8)]

(त) जांच के निष्कर्षों के आधार पर न्यायिक प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह उल्लंघनकर्ता को कारावास में रोक कर रखे अथवा यदि वह गिरफ्तार नहीं है तो गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी करे।

न्यायिक प्राधिकरण चाहे तो उल्लंघनकर्ता को गिरफ्तारी के आदेश से पूर्व अदेय का भुगतान करने का एक अवसर प्रदान कर सकता है, उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की कस्टडी से एक निश्चित अवधि जो कि 15 दिन से अधिक न हो, रिहा कर सकता है जिससे दोषी व्यक्ति अदेय का भुगतान करने की व्यवस्था करे अथवा यदि अदेय का भुगतान नहीं होता तो प्रतिभूति के सम्बन्ध में उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत होकर प्राधिकरण को सन्तुष्ट करे। [धारा 14(9)]

(थ) यदि उपधारा 9 के अन्तर्गत न्यायायिक प्राधिकरण उल्लंघनकर्ता की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के आदेश नहीं देता तो वह उसे रिहा करने के आदेश देगा। [धारा 14(10)]

(द) प्रत्येक व्यक्ति जो सिविल कारागार में प्रमाण पत्र सम्बन्धी कार्यवाही के निष्पादन हेतु रखा गया है इस प्रक्रिया में और रोका जा सकता है –

- जबकि प्रमाण पत्र में एक करोड़ रूपये से अधिक की मांग हो, 3 वर्ष तक; एवं
- अन्य किसी स्थिति में 6 माह

वह यदि उसके वारंट में उल्लिखित राशि का भुगतान सिविल जेल के सम्बन्धित अधिकारी को कर देता है तो रिहा किया जाना होगा। [धारा 14(11)]

(ध) एक उल्लंघनकर्ता जो इस धारा के अनुसार रिहा हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से, अपने अदेय के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता परन्तु वह प्रमाणक सम्बन्धी कार्यवाही के पूर्ण न होने के लिए कारावास में नहीं रहता। [धारा 14(12)]

(न) एक निरूद्ध आदेश पूरे भारतवर्ष में गिरफ्तारी के वारंट की भांति सभी जगह आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत क्रियान्वित किया जा सकता है। [धारा 14(13)]

यौगिक उल्लंघन अधिकार –

- धारा 13 के अनुसार किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में, किसी उल्लंघनकर्ता के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन के द्वारा उल्लंघन को 180 दिनों के आवेदन प्राप्त होने की तिथि से प्रवर्तन प्राधिकरण अथवा रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार की अधिकृतता या जैसा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया गया हो यौगिक करने का अधिकार है। [धारा 15(1)]
- उपधारा 1 के अनुसार जहां उल्लंघन यौगिक किया गया हो, कोई कार्यवाही अथवा अन्य कार्यवाही, जैसा भी मामला हो, नहीं हो सकती, न प्रारम्भ हो सकती है, न प्रक्रिया जारी रह सकती है, उस उल्लंघन के सम्बन्ध में जिसको यौगिक किया गया हो। [धारा 15(2)]

16.8 न्यायिक निर्णय एवं अपील

न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति :–

(अ) धारा 13 के अनुसार केन्द्रीय सरकार न्यायिक प्रक्रिया के लिये किसी भी या अनेकों अधिकारियों की नियुक्ति सरकारी गजट के माध्यम से कर सकती है जैसा वह उचित समझे, जो कि धारा 13 के अन्तर्गत जो व्यक्ति उल्लंघन का दोषी हो, के सम्बन्ध में जांच क्रिया को निष्पादित करेंगे अथवा उपधारा 2 के अनुसार जिस व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग अथवा शिकायत है, को सुनवाई का उचित अवसर दंड या जुर्माने की कार्यवाही से पूर्व प्रदान करेंगे। यदि न्यायिक प्राधिकरण यह अनुभव करता है कि वह फरार हो सकता है अथवा कार्यवाही से बचने का प्रयास कर रहा है तो वह जुर्माने की राशि, यदि अदेय है, के सम्बन्ध में अभियोगी व्यक्ति को यह निर्देश जारी कर सकता है कि वह इस सम्बन्ध में इस राशि की जमानत या बांड प्रदान करे अथवा परिस्थितिजन्य आधार पर जो उसे उचित लगे। [धारा 16(1)]

(ब) केन्द्रीय सरकार उपधारा 1 के अन्तर्गत जब न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करेगी तो सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति का उल्लेख करते हुए उसके कार्यक्षेत्र को भी स्पष्ट करेगी। [धारा 16(2)]

(स) उपधारा 1 के अनुसार कोई भी न्यायिक अधिकारी तब तक कोई जांच नहीं कर सकता जब तक कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत न की गयी हो। [धारा 16(3)]

(द) अभियोगी व्यक्ति स्वयं अथवा वकील के माध्यम से (वैधानिक सलाह पर आधारित) अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से जैसा वह उचित समझे अपने मामले के सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। [धारा 16(4)]

(क) धारा 28 की उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदत्त समान अधिकार सिविल कोर्ट के अनुसार रहते हैं।

- भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 एवं 228 के अनुसार समस्त कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।
- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 व धारा 346 के अनुसार सिविल कोर्ट माना जायेगा। [धारा 16(5)]

(ख) उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक न्यायिक प्राधिकरण या अधिकारी शिकायत के यथासंभव शीघ्र निस्तारण का प्रयास करेगा तथा शिकायत प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर शिकायत का अन्तिम निष्कासन करेगा। यदि यह शिकायत का निस्तारण इस निर्धारित अवधि में नहीं होता है तो न्यायिक अधिकारी आवधिक रूप से लिखित प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा कि किन कारणों से यह निस्तारण उक्त निर्धारित समय में नहीं हो रहा। [धारा 16(6)]

<u>विशेष निदेशक (अपील) को अपील :–</u>

- केन्द्रीय सरकार, एक अधिसूचना जारी कर, एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति न्यायिक अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए कर सकती है। अधिसूचना में यह भी उल्लेख रहेगा कि विशेष निदेशक (अपील) के कार्यक्षेत्र के अनुसार सुनवाई का क्षेत्र निर्धातिर होगा। [धारा 17(1)]
- यदि कोई व्यक्ति न्यायिक अधिकारी के आदेशों से असन्तुष्ट है तो उपनिदेशक प्रवर्तन या सहायक निदेशक प्रवर्तन उसकी अपील को उपनिदेशक (अपील) को निर्देशित करते हैं। [धारा 17(2)]
- यदि कोई व्यक्ति न्यायिक अधिकारी की कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं है तो सम्बन्धित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर निश्चित प्रारूप, निश्चित विधि एवं निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होता है। यदि विशेष निदेशक (अपील) इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि अभियोगी व्यक्ति के पास 45 दिन की अवधि में अपील न करने का पर्याप्त एवं उचित

कारण है तो वह इस अवधि पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकता है। [धारा 17(3)]

- उपधारा 1 के अन्तर्गत अपील की प्राप्ति के पश्चात विशेष निदेशक (अपील) सम्बन्धित पक्षकारों से सुनवाई के पश्चात या जैसा वह उचित समझे, आदेश की पुष्टि, संशोधन या नया आदेश जारी कर सकता है। [धारा 17(4)]
- विशेष निदेशक (अपील) अपने द्वारा किए गए आदेश की प्रति अपील करने वाले पक्षकार तथा न्यायिक प्राधिकरण को भेजेगा। [धारा 17(5)]

अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना :–

केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अधिसूचना जारी करके एक अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना करे जिसे कि विदेशी मामलों के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं जो कि न्यायिक अधिकारी एवं विशेष निदेशक (अपील) के खिलाफ इस अधिनियम के अनुसार सुनवाई करेगा।

अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील :–

- उपधारा 2 में दिये गये अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा कोई व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी, धारा 17 उपधारा 1 में उल्लिखित के अतिरिक्त, या विशेष निदेशक (अपील) के निणय से असन्तुष्ट है, अपीलेट ट्रिब्युनल को अपील करने को वरीयता दे सकते हैं। [धारा 19(1)]
- प्रत्येक अपील उपधारा 1 के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारी या विशेष निदेशक (अपील) द्वारा किये गये निर्णय की प्राप्ति के 45 दिन के अन्दर असन्तुष्ट व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार द्वारा दाखिल कर दी जानी चाहिए। यह निश्चित प्रारूप, निश्चित विधि द्वारा प्रमाणित एवं निर्धारित शुल्क सहित होनी चाहिए। [धारा 19(2)]
- उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी अपील की प्राप्ति पर, अपीलेट ट्रिब्यूनल सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का एक मौका प्रदान कर, आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, आदेश की पुष्टि, संशोधन या नया आदेश जारी कर सकता है। [धारा 19(3)]
- अपीलेट ट्रिब्युनल अपने द्वारा जारी आदेश की प्रति अपील सम्बन्धी पक्षकार तथा सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी या विशेष निदेशक (अपील) को प्रेषित करेगा, जैसा भी मामला हो। [धारा 19(4)]
- उपधारा 1 के अन्तर्गत अपीलेट ट्रिब्युनल द्वारा दाखिल अपील के प्रति यथाशीघ्र निस्तारण का प्रयास करना चाहिए तथा अपील आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 180 दिन के अन्तर्गत इसका अन्तिम निष्कासन कर देना होगा। [धारा 19(5)]
- अपीलेट ट्रिब्यूनल धारा 16 के अन्तर्गत वस्तुस्थिति के अनुसार मामले की जांच के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वैधानिक तथ्यों, स्वामित्व या सत्यता का अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्यों या अभिलेखों या कार्यवाही

का अवलोकन करने के लिए मांग सकता है अपने मूल रूप या अन्य जैसा भी वह उचित समझे। [धारा 19(6)]

<u>अपीलेट ट्रिब्युनल की संरचना :—</u>

अपीलेट ट्रिब्यूनल की संरचना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं —

1. अपीलेट ट्रिब्युनल का एक अध्यक्ष होगा तथा सदस्य या सदस्यों की संख्या जैसा केन्द्रीय सरकार उचित समझे।
2. इस अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार —
   - अपीलेट ट्रिब्यूनल का न्यायिक क्षेत्र बैंच द्वारा निर्धारित होगा।
   - अपीलेट ट्रिब्युनल की बैंच सामान्यतः नई दिल्ली में बैठती है, परन्तु केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष की सलाह से जो भी अन्य स्थान निर्धारित करे।
   - केन्द्रीय सरकार यह अधिसूचित करेगी इस सम्बन्ध में अपीलेट ट्रिब्युनल बैंच किस न्यायिक क्षेत्र के अनुसर कार्य करेगी। [धारा 20(2)]
   - उपधारा 2 के अन्तर्गत कुछ होने के बावजूद अध्यक्ष एक सदस्य को एक बैंच से दूसरी बैंच को स्थानान्तरित कर सकता है। [धारा 20(3)]
   - यदि सुनवाई के किसी भी स्तर पर किसी भी केस या मामले में अध्यक्ष या सदस्य यह अनुभव करते हैं कि मामले में प्रकृति के अनुसार उसे दो सदस्यीय बैंच द्वारा सुना जाना चाहिए तो मामले का स्थानान्तरण ऐसी बैंच को अध्यक्ष द्वारा कर दिया जाता है अथवा मामले के अनुसार अध्यक्ष जैसा उचित समझे। [धारा 20(4)]

<u>अध्यक्ष, सदस्य एवं विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति एवं योग्यतायें :—</u>

(अ) एक व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति योग्य नहीं होगा जब तक वह —
   - अध्यक्ष की दशा में हाईकोर्ट का जज योग्य व्यक्ति होता है एवं
   - सदस्य की दशा में जिला जज योग्य माना जाता है। [धारा 21(1)]

(ब) एक व्यक्ति विशेष निदेशक (अपील) के रूप में नियुक्ति योग्य नहीं होगा जब तक वह—
   - भारतीय वैधानिक सेवाओं का सदस्य हो एवं इन सेवाओं में ग्रेड I के पद पर हो या
   - भारतीय राजस्व सेवाओं का सदस्य हो एवं भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष पद पर हो। [धारा 21(2)]

<u>कार्यकाल :—</u>

अध्यक्ष एवं अन्य प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष के कार्यकाल तक इस रूप में कार्यरत रहेगा। परन्तु कोई अध्यक्ष या सदस्य इसका सदस्य पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए नहीं होगा यदि वह पहुंचता है —

- अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष की आयु पर।
- अन्य किसी सदस्य की दशा में 62 वर्ष की आयु पर।

<u>सेवा की शर्तें :–</u>

अध्यक्ष, अन्य सदस्य एवं विशेष निदेशक (अपील) का वेतन, भत्ते तथा अन्य नियम एवं शर्तें वही होंगी जो इस सम्बन्ध में निर्धारित हों। परन्तु वेतन, भत्ते तथा अन्य नियम व शर्तों के आधार पर उनको इस नियुक्ति के कारण हानि नहीं होगी। [धारा 23]

<u>रिक्तियां :–</u>

यदि किसी कारण से किसी अस्थायी अनुपस्थिति के अतिरिक्त किसी अध्यक्ष या सदस्य की अनुपस्थिति होती है तो केन्द्रीय सरकार अधिनियमों के प्रावधानों के आधीन किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति इस रिक्ति को भरने के लिए कर सकती है जिससे किसी भी दशा में अपीलेट ट्रिब्युनल की कार्यवाही किसी भी स्थिति में इस रिक्ति के आधार पर अवरूद्ध न हो और जारी रहे। [धारा 24]

<u>पंजीकरण एवं निष्कासन :–</u>

अध्यक्ष या एक सदस्य जो भी चाहे केन्द्रीय सरकार को एक लिखित प्रपत्र के माध्यम से सूचित करके इस पद से त्यागपत्र दे सकता है, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार समय पूर्व पद त्यागने की अनुमति प्रदान करे, वह अपने पद पर निरन्तर कार्य करेगा अपने त्याग पत्र की तिथि से 3 माह तक अथवा एक व्यक्ति उसका उत्तराधिकार भार वहन करने के लए विधिवत नियुक्त हो या कार्यकाल की समाप्ति, इनमें से जो भी पूर्व घटित हो। [धारा 25(1)]

अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद या कार्य से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसके दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के कारण केन्द्रीय सरकार आदेश न दे। केन्द्र सरकार यह आदेश देने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा नियुक्त जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर जो कि सम्बन्धित जांच करेगी और सम्बन्धित अध्यक्ष या सदस्य को आरोपों के सम्बन्ध में सूचित करेगी तथा अभियोग के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेगी। [धारा 25(2)]

<u>अपीलेट ट्रिब्युनल एवं विशेष निदेशक (अपील) की प्रक्रिया एवं अधिकार :–</u>

(अ) अपीलेट ट्रिब्युनल एवं विशेष निदेशक (अपील) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत दी गयी प्रक्रिया से बाधित नहीं है परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर अपीलेट ट्रिब्युनल एवं विशेष निदेशक (अपील) को अपनी प्रक्रिया एवं नियमन निर्धारित करने का अधिकार है। [धारा 28(1)]

(ब) अपीलेट ट्रिब्युनल एवं विशेष निदेशक (अपील) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्य निष्पादन के लिए वह समकक्ष अधिकार रखता है जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निहित है किसी मामले या सुनवाई के समय निम्न मामलों के सम्बन्ध में –

- किसी व्यक्ति को शपथपूर्वक जांच के लिए बुलाना एवं उपस्थिति की बाध्यता,
- प्रलेखों की खोज एवं उत्पादन की आवश्यकता होना,
- शपथ पत्रों पर गवाही प्राप्त करना
- धारा 123 एवं 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आधार पर किसी भी कार्यालय से सार्वजनिक प्रपत्र या अभिलेख अथवा उनकी प्रतियों की आवश्यकता होना,
- साक्ष्य एवं अभिलेखों के निरीक्षण हेतु कमीशन निर्गत करना,
- अपने निर्णयों की समीक्षा
- बिना पैरवी या एक पक्षीय प्रतिनिधित्व को रद्द करना,
- बिना पैरवी या एक पक्षीय का प्रतिनिधित्व करने वाले पारित आदेश को पृथक करना, एवं
- अन्य कोई मामला जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्तुत हो।

<u>सदस्य आदि का लोक सेवक होना :–</u>

अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जो न्यायिक अधिकारी, विशेष निदेशक (अपील) एवं अपीलेट ट्रिब्युनल से सम्बद्ध हों भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के आधीन लोक सेवक माने जायेंगे।

<u>सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र न होना :–</u>

ऐसे किसी मामले को जो कि न्यायिक अधिकारी, अपीलेट ट्रिब्युनल या विशेष निदेशक (अपील) के आधीन हो, सिविल कोर्ट का कार्यक्षेत्र नहीं होगा और सम्बन्धित किसी मामले का संज्ञान नहीं लेगा, इस अधिनियम के आधीन इस सम्बन्ध में कोई अन्य कोर्ट या अन्य प्राधिकरण निषेधाज्ञा जारी नहीं करेगा जो इस अधिनियम की कार्यवाही को बाधित करे। [धारा 34]

<u>उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में अपील :–</u>

यदि कोई व्यक्ति अपीलेट ट्रिब्युनल के द्वारा किये गये निर्णय से असन्तुष्ट होता है तो अपीलेट ट्रिब्युनल द्वारा किये गये निर्णय की सम्प्रेषण तिथि के 60 दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकता है। यदि उच्च न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि अपील करने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त एवं उचित कारण है जिसके कारण वह नियत अवधि में अपील नहीं कर सका तो वह उसे अपील के लिए और अवधि, जो 60 दिन से अधिक नहीं हो सकती, दे सकता है। [धारा 35]

<u>प्रवर्तन निदेशालय :–</u>

इस अधिनियम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की है जिसमें एक निदेशक एवं कुछ अन्य अधिकारी जैसा उचित समझा जाय, होते हैं उन्हें इस अधिनियम में प्रवर्तन अधिकारी कहा जाता है। [धारा 36(1)]

- उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार बिना किसी भेदभाव के केन्द्रीय सरकार एक प्रवर्तन निदेशक या उपप्रवर्तन निदेशक या एक विशेष प्रवर्तन निदेशक या

एक संयुक्त प्रवर्तन निदेशक को प्रवर्तन अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान कर सकती है जो कि सहायक प्रवर्तन निदेशक की श्रेणी से नीचे हो। [धारा 36(2)]

- केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की गयी शर्तों एवं सीमाओं के अन्तर्गत एक प्रवर्तन अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग तथा उसे प्रदत्त कर्तव्यों का अनुपालन इस अधिनियम के आधीन करेगा।

<u>तलाशी एवं बरामदगी आदि का अधिकार :–</u>

- प्रवर्तन निदेशक एवं अन्य प्रवर्तन अधिकारी, सहायक प्रवर्तन अधिकारी से निम्न श्रेणी का नहीं, धारा 13 के अनुसार जांच में उल्लंघन या बाधा पर उक्त निर्णय ले सकता है। [धारा 37(1)]
- उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसार बिना किसी भेदभाव या दुर्भावना के केन्द्रीय सरकार भी अधिसूचना जारी करके केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा रिजर्व बैंक के अधिकारी को अधिकृत कर सकती है परन्तु वह भारत सरकार के अवर सचिव से नीचे की श्रेणी का न हो। यह अधिकारी धारा 13 में उल्लिखित बाधा या जांच में उल्लंघन की दशा में उक्त निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। [धारा 37(2)]
- उपधारा 1 में वर्णित अधिकारी आयकर अधिकारियों की भांति आयकर अधिनियम 1961 की भांति अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित सीमाओं के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। [धारा 37(3)]

<u>केन्द्रीय सरकार का निर्देश देने का अधिकार :–</u>

इस अधिनियम के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार समय समय पर रिजर्व बैंक को सामान्य या विशिष्ट निर्देश जारी कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और रिजर्व बैंक इस अधिनियम के अनुसार अपने कार्य निष्पादन में उक्त निर्देशों का अनुपालन करेगा। [धारा 41]

<u>समस्याओं का निराकरण :–</u>

इस अधिनियम को प्रभावी बनाने में यदि कोई बाधा या समस्या उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार आदेश जारी कर उस बाधा को दूर करने के उद्देश्य से इसके रूप में कोई भी परिवर्तन जो असंगत न हो कर सकती है बशर्ते वह आदेश इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात न दिया गया हो। [धारा 45(1)]

प्रत्येक आदेश के निर्गमन के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र इसके बनने के बाद उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। [धारा 45(2)]

16.9 निरसन एवं बचत

विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम 1973 अब निरस्त कर दिया गया है एवं इस अधिनियम की धारा 52 उपधारा 1 के अनुसार गठित अपीलेट बोर्ड अब भंग माना जायेगा। [धारा 49(1)]

इस प्रकार भंग अपीलेट बोर्ड में नियुक्त अध्यक्ष एवं अन्य प्रत्येक सदस्य जो इस कार्यालय को इस तिथि से पूर्व सभांल रहे थे तत्काल उससे विरत हो जायेंगे अपने सम्बन्धित कार्यालय छोड़ देंगे और अध्यक्ष अथवा अन्य कोई व्यक्ति इस प्रकार अवधि पूर्व कार्यालय से निष्कासन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, किसी भी सेवा अनुबंध के अनुसार। [धारा 49(2)]

बावजूद इसके यदि किसी अधिनियम में कुछ समय के लिए कुछ प्रभावी रह गया है तो कोई न्यायालय उसे अपराध के लिए संज्ञान में नहीं लेगा और कोई न्यायिक अधिकारी इस अधिनियम की धारा 51 में वर्णित उल्लंघन का काई संज्ञान नहीं लेगा निरस्त अधिनियम के सम्बन्ध में इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के दो वर्ष पश्चात। [धारा 49(4)]

16.10 सारांश

इस इकाई में हमने फेमा के विषय में अध्ययन किया, इसके नियम, फेमा एवं फेरा में अन्तर। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम संसद के शीतकालीन अधिवेशन में सन् 1999 को पारित हुआ इसने विदेशी विनियमन अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। इस अधिनियम के आधीन विदेशी विनिमय सम्बन्धी अभियोगों को दीवानी माना गया। इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत के लिये किया गया। फेमा जिसने फेरा को विस्थापित किया वर्तमान समय की आवश्यकता है जबकि फेरा सरकार की उदारवादी नीतियों के अनुसार निरर्थक हो गया था। भारतीय विदेशी विनिमय शेषों के विपरीत स्थिति में होने के कारण फेरा 1973 का उद्‌देश्य विदेशी विनिमय की सुरक्षा एवं कमियों को दूर करना विफल हो गया। जबकि दूसरी ओर फेमा अधिनियम में विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियमों को संशोधित रूप में संकलित किया गया। इसका उद्‌देश्य बाह्य व्यापार एवं भुगतान को सुविधायें प्रदान करने, नियमित भुगतान को उन्नत करने एवं भारतीय विदेशी विनिमय बाजार को समुचित बनाये रखना है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या नियम, विनियमन, अधिसूचना, निर्देश या इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है या अन्य कोई शर्त, जिसको रिजर्व बैंक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में अधिकृत किया हो, का उल्लंघन करता है तो वह नियमानुसार दंड एवं जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

16.11 शब्दावली

1. ''**प्राधिकरण निर्णय**'' का अथ धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिकारी से है।
2. ''**अपीलेट ट्रिब्युनल**'' का अर्थ धारा 18 के अन्तर्गत विदेशी विनिमय के लिए स्थापित अपीले ट्रिब्युनल से है; (स) ''अधिकृत व्यक्ति'' से आशय एक अधिकृत विक्रेता, मुद्रा परिवर्तक, ऑफ शोर बैंकिंग इकाई या अन्य किसी व्यक्ति से है जो धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों में व्यवहार करता हो।
3. ''**बैंच**'' का अर्थ अपीलेट ट्रिब्युनल की बैंच से है।

4. ''**पूंजी खाते के लेनदेन**'' से आशय धारा 6 की उपधारा 3 में दिये तथ्यो से है। इसमें भारत से बाहर किसी की सम्पत्ति, दायित्व एवं आकस्मिक दायित्वों के परिवर्तन से जो कि भारत में निवास करता हो तथा भारत में परिवर्तन हो और व्यक्ति विदेश में निवास करता हो।
5. ''**अध्यक्ष**'' का अर्थ अपीलेट ट्रिब्युनल के अध्यक्ष से है।
6. ''**चार्टर्ड एकाउंट**'' का आशय चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम 1949 की धारा 2 उपधारा (1) के Clause B के अनुसार जिसे सौंपा गया।
7. ''**मुद्रा**'' में सम्मिलित है – सभी करेंसी नोट, पोस्टल नोट, पोस्टल आडर, मनी आर्डर, चैक, ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र, विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र या समकक्ष साधन जैसा भी रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
8. ''**प्रवर्तन संचालक**'' का अर्थ प्रवर्तन हेतु धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त संचालक।
9. "**निर्यात**" व्याकरणीय परिवर्तन एवं सजातीय मनोभाव के अर्थ में:
   - किसी भी स्कंध या माल को भारत से बाहर ले जाना,
   - भारत से भारत के बाहर के व्यक्ति को सेवा प्रदान करना।
10. "**विदेशी मुद्रा**" का अर्थ ऐसी मुद्रा से है जो भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश की हो।
11. "**विदेशी विनिमय**" का अर्थ विदेशी मुद्रा से है जिसमें सम्मिलित है–
    - किसी भी विदेशी मुद्रा में जमा, साख या अदेय शेष,
    - ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र या विनिमय विपत्र जो भारतीय मुद्रा में प्राप्त हो परन्तु विदेशी मुद्रा में देय हो।
    - ड्राफ्ट, यात्री चैक, साख पत्र, या विनिमय विपत्र जो किसी बैंक, संस्था या व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त हों परन्तु भारतीय मुद्रा में भुगतान योग्य हों।
12. "**विदेशी प्रतिभूति**" से आशय किसी प्रतिभूति, अंशों, स्कन्ध, ब्रांड, ऋणपत्र और अन्य लेखपत्र जिसका मूल्यवर्ग विदेशी मुद्रा में व्यक्त हो, लेकिन शोधन, ब्याज एवं लाभांश प्रतिफल में भारतीय मुद्रा में देय हो।
13. "**आयात**" व्याकरणीय परिर्वतन एवं सजातीय मनोभाव के अर्थ में भारत में प्राप्त किसी स्कंध, माल अथवा सेवा से हैं।
14. "**भारतीय मुद्रा**" का अर्थ ऐसी मुद्रा से है भारतीय रूपये में व्यक्त या प्राप्त हो परन्तु इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 28अ के अन्तर्गत निर्गमित विशेष नोट एवं विशेष एक रूपये का नोट सम्मिलित नहीं है।
15. "**व्यक्ति जो भारत का निवासी है**" अर्थ है–

    vii. एक व्यक्ति जो गत वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत रहा हो परन्तु इसमें सम्मिलित नहीं होता है–

    (अ) एक व्यक्ति भारत से बाहर चला गया हो या भारत के बाहर रहता हो।

(ब) एक व्यक्ति भारत में आया हो या भारत में रूका हो।

viii. कोई व्यक्ति, निगमीय संस्था जो भारत में पंजीकृत या समामेलित हो।

ix. एक कार्यालय, शाखा और एजेंसी जो भारत से बाहर स्थित हो परन्तु जिसका नियन्त्रण या स्वामित्व किसी भारतीय निवासी का हो।

16. **"भारत के बाहर का निवासी"** का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भारत का निवासी नहीं है।

17. **"रिज़र्व बैंक"** का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 3 उपधारा 1 के द्वारा गठित है।

18. **प्रतिभूति** से आशय अंश, स्कन्ध, बांड एवं ऋण पत्र, सकारी प्रतिभूतियां, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944 के अनुसार बचत प्रमाण पत्र जिन पर भारतीय बचत प्रमाणपत्र अधिनियम 1959 लागू होता है, जमा प्राप्तियां प्रतिभूति जमा के रूप में एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिटस भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के अनुसार अथवा कोई म्युचुअल फंड प्रतिभूति नामित प्रमाण पत्र परन्तु विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र के अलावा परन्तु सरकारी प्रतिज्ञा पत्र या अन्य कोई लेख पत्र जो इस अधिनियम के आधीन रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूति के रूप में अधिसूचित है को छोड़कर।

19. **सेवाओं** का अर्थ उस सेवा के विवरण से है जो कि उसके विशिष्ट प्रयोगकर्ता को उपलब्ध हो एवं वह सुविधायें भी सम्मिलित है जो बैंकिग, वित्तीय, बीमा, चिकित्सा सहायता, वैधानिक सहायता, चिट फंड, रीयल स्टेट, परिवहन प्रक्रिया, विद्युत या अन्य शक्ति आपूर्ति, रहना या खाना या दोनों, मनोरंजन, समाचार या अन्य सूचना संग्रह से प्राप्त हों परन्तु इससे अनुबन्ध आधारित निःशुल्क व्यक्तिगत सेवायें सम्मिलित नहीं हैं।

20. **"हस्तान्तरण"** में सम्मिलित है विक्रय, क्रय, विनिमय, बंधक, गिरवी, उपहार, ऋण और अन्य किसी रूप जैसे अधिकार, शीर्षक, स्वामित्व या ग्रहणाधिकार का हस्तांतरण।

16.12 बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न –

1. विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम (फेमा) संसद के शीतकलीन सत्र में .... में फेरा को प्रतिस्थापन के लिए पारित किया गया।
   (अ) 1987 (ब) 1999 (स) 1989 (द) 1992
2. फेमा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता है –
   (अ) जिला जज (ब) उच्च न्यायालय जज
   (स) सर्वोच्च/उच्चतम न्यायालय जज (द) मुख्य संसदीय सचिव
3. फेरा को फेमा से प्रतिस्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य था –
   (अ) बाह्य व्यापार एवं भुगतान को बढ़ावा (ब) क्रमिक विकास का उन्नयन
   (स) विदेशी विनिमय बाजार का अनुरक्षण (द) उपरोक्त सभी
4. किस विषय के सम्बन्ध में सन् 2002 में फेमा विनियमन लाया गया?
   (अ) अर्थशोधन एवं निवारण अधिनियम (ब) बाह्य व्यापार को बढ़ावा

(स) विदेशी विनिमय बाजार में धोखाधड़ी (द) उपरोक्त सभी

5. फेमा का मुख्य कार्यालय जो प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है, स्थित है –
(अ) मुम्बई (ब) नई दिल्ली (स) पुणे (द) रांची

16.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

(स) 1. (ब) 2. (ब) 3. (द) 4. (अ) 5. (ब)

16.14 स्वपरख प्रश्न

1. फेमा को परिभाषित करें। इसकी विशेषतायें, आवश्यकता एवं उद्देश्य बताइये।
2. विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
3. फेमा अधिनियम प्रावधान, नियम, परिनियम का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया बताइये। न्यायिक अधिकारी द्वारा जुर्माना वसूली के सम्बन्ध में उसके अधिकार भी बताइये।
4. निम्न पर टिप्पणी लिखिए।
   (अ) फेरा एवं फेमा
   (ब) अध्यक्ष, सदस्य एवं विशेष नियुक्ति हेतु योग्यतायें या अर्हतायें
   (स) फेमा के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया एवं अपील
   (द) चालू एवं पूंजी खाता लेनदेन
5. विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम 2000 के आधार पर प्रमुख शब्दावली की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

16.15 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Garg Rich, “Foriegn Exchange Management”, Vrinda Publications Private Ltd., 2010
2. Bharat, “Foreign Exchange Management Act : Rules and Regulations”, Bharat Law House Pvt Ltd., 2007
3. http://exim.indiamart.com/act-regulations/fera-1993.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Fera
5. http://www.cabible.com/forum/showthread.php/6677-Difference-betwen-FERA-and-FEMA
6. Sharan V, “International Financial Management”, Prentice Hall of India, N. Delhi, 2009
7. Seth A K, “International Financial Management”, Galgotia Publishing Company, 2009

इकाई 17 इन्क्रिप्शन एवं साइबर अपराध

इकाई की रूपरेखा

17.1 प्रस्तावना
17.2 गुढलेखन/इन्क्रिप्शन का अर्थ एवं उपयोग/उपयोगिता
17.3 गुढलेखन/इन्क्रिप्शन की पद्धतियाँ
17.4 इन्क्रिप्शन गूढलेखन की तकनीकें (प्रविधियाँ)
    17.4.1 शास्त्रीय तकनीकें
    17.4.2 गूढ़लेखन की आधुनिक तकनीके (प्रविधियाँ)
17.5 इन्क्रिप्शन की सीमितताएँ
17.6 साइबर अपराध– अर्थ
17.7 परंपरागत एवं साइबर अपराध में अंतर
17.8 साइबर अपराध के कारण
17.9 साइबर अपराधी
17.10 साइबर अपराध करने की विधियाँ एवं तरीके
17.11 साइबर अपराध का वर्गीकरण
17.12 वैधानिक प्रावधान
17.13 साइबर अपराधों से बचाव
17.14 क्या इन्क्रिप्शन साइबर अपराधों को रोक सकता है
17.15 साराँश
17.16 शब्दावली
17.17 बोध प्रश्न
17.18 बोध प्रश्नों के उत्तर
17.19 स्वपरख प्रश्न
17.20 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- गूढलेखन, इन्क्रिप्शन एवं साइबर अपराध के अर्थ का वर्णन कर सकें ।
- इन्क्रिप्शन की उपयोगिता एवं विधियों का वर्णन कर सकें ।
- इन्क्रिप्शन के शाष्त्रीय एवं आधुनिक तकनीकों का वर्णन कर सकें ।
- परम्परागत अपराध एवं साइबर अपराध के अंतर को जान सकें ।
- सायबर अपराध करने के प्रकारों एवं विधियों (तरीकों) के बारे में जान सकें ।
- सायबर अपराध के वर्गीकरण एवं इन्क्रिप्शन के माध्यम से सायबर अपराध को रोकने के बारे में जान सकें ।

17.1 प्रस्तावना

आँकड़ा इन्क्रिप्शन (आँकड़ा कूटलेखन, गूढलेखन) संगणक लेख्यपत्रों (कंप्यूटर फाइल) में संचित आँकड़ों हेतु गुप्त संदेश प्रारूप (संरूप)निर्मित करने की प्रक्रिया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों के अंतर्गत (अंदर) आँकड़ा लेखपत्रों (डाटा फाइल्स) हेतु विविध गूढलेखन/कूटलेखन (इन्क्रिप्शन) तकनीकें हैं। इन तकनीकों को आँकड़ा गूढलेखन कलन विधि (डेटा इन्क्रिप्शन अल्गोरिदम) के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक कलन विधि की अपनी एक अद्वितीय विचारशील पद्वति होती है जो कि आँकड़ों के प्रकार एवँ वाँछित संरक्षण स्तर पर आधारित होती है।

अगूढलेखित (कूटलेखन रहित) आँकड़ा वह सूचना होती है जो कि कंप्यूटर (संगणक) अथवा व्यक्ति द्वारा सरलता से पढ़ी जा सकती है। जब आँकड़ों को कंप्यूटर पर निर्मित (सृजित/रचना) किया जाता है तो वे अकूटलिखित प्रारूप में स्वयमेव (स्वचालित ढंग से) ही संचित हो जाते हैं। कम्प्यूटर अथवा लेख्यपत्र परिसेवकों (फाइल सर्वर) में संचित ये आँकड़े इण्टरनेट पर संभावित घुसपैठियों (अनाधिकृत ढंग से उपयोग करने वाले अपराधियों हैकर्स) की पहुँच में होते हैं तथा उनके द्वारा दुरूपयोग में लाये जा सकते हैं। कूटलेखन/गूढलेखन तकनीकें विशिष्ट प्रक्रियायें होती हैं जो पठनीय आँकड़ों को अस्पष्ट उच्चारण/अव्यंजन उच्चारण में परिवर्तित करने हेतु निर्मित होती हैं। संदेशों को गुप्त ढंग से संकेतीकरण (संकेतन) की प्रक्रिया सदियों तक जासूसी (गुप्तचरी) हेतु प्रयुक्त होती रही है। गूढलेखन (कूटलेखन) पद्धतियाँ एवं मानकों का प्रबंधन राष्ट्रीय मानक एवँ तकनीकी संस्थान (N.I.S.T.) द्वारा किया जाता है। यह निकाय नवीन विकसित गूढलेखन तकनीकों को स्वीकृत तथा इनका परीक्षण करता है। वर्तमान में (सम्प्रति) प्रगतिशील (विकसित) गूढलेखन मानक, गूढलेखिकी (बीजलेखन) के सर्वाधिक (उच्च) आधुनिक माने जाते हैं। ये 256 बिट कुँजी गूढलेखन कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने हेतु अभिकल्पित किए गए हैं। आधुनिक (विकसित) गूढलेखन मानक सन 2001 में निर्मित किया गया था वर्तमान में कई गूढलेखन अल्गोरिदम (कलन विधि) की सहायता करता है।

17.2 गूढलेखन का अर्थ एवं उपयोगिता

गूढलेखन सूचनाओं को विभित्र कलन विधियों के अल्गोरिदम के प्रयोग से रूपाँतरित करने की एक प्रक्रिया है, जो सूचनाओं को सामान्य मनुष्यों हेतु अपठनीय बनाती है जिससे कि उसे सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ पाए जो विशेष ज्ञान (प्राय कुंजी/की के नाम से जाना जाता है) युक्त हो। इस प्रक्रिया का परिणाम गूढलेखित सूचनाओं के रूप में प्राप्त होता है। गूढलेखन की विपरीत प्रक्रिया को, गूढलेखित सूचनाओं को पठनीय बनाना, विगूढ अथवा डिक्रिप्शन कहा जाता है।

गूढलेखन का प्रयोग सरकारों एवं सेनाओं (रक्षा विभाग) द्वारा गोपनीय संचार हेतु लम्बे समय से किया जाता रहा है। वर्तमान में इसका प्रयोग कई नागरिक प्रणालियों में सूचनाओं के संरक्षण हेतु सामान्य रूप से (व्यापकता किया जा रहा है) उदाहरणार्थ कंप्यूटर सुरक्षा, संस्थान द्वारा बताया गया कि वर्ष 2007 में सर्वेक्षण में सम्मिलित 71% कंपनियों ने पारगमन आँकड़ों हेतु तथा 53% ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित (संचित) आँकड़ों हेतु गूढलेखन विधि प्रयुक्त की।

गूढलेखन का प्रयोग आँकड़ों तथा फाइल्स एवं संग्रह युक्तियों जो कि कंप्यूटर में आवंटित होती है को संरक्षित करने के लिए होता है। वर्तमान में ऐसे अनेकों मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें लैपटॉप तथा बैकअप ड्राइव यंत्र के चोरी हो

जाने, खो जाने के कारण उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत गोपनीय सूचनाओं के प्रकाशित/आम हो गये हैं जो कि संगठन एवं उपभोक्ता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन फाइलों का नियमित मध्यान्तर पर गूढलेखन इनकी भौतिक सुरक्षा के उपायों के निष्प्रभावी (असफल) होने की दशा इन्हें संरक्षित करता है।

डिजिटल अधिकार प्रबंध प्रणाली जो कि बौद्धिक अधिकार (प्रतिलिट अधिकार) प्राप्त विषय वस्तु के अनाधिकृत उपयोग अथवा पुनरुत्पादन को संरक्षित करता है तथा सॉफ्टवेयरों के उत्क्रमणीय अभियंत्रण को रोकता है, भी आंकड़ों में निश्चित मध्यान्तर पर गूढलेखन का एक उदाहरण है।

गूढलेखन मार्ग में प्रेषित आँकड़ों की सुरक्षा हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है, यथाः नेटवर्क के द्वारा स्थानाँतरित आँकड़े (इण्टरनेट, ई–वाणिज्य) मोबाइल, दूरभाष, माइक्रोफोन, वायरलेस प्रणाली, ब्लूटूथ यंत्रों के माध्यम से स्थानाँतरित आँकडों की सुरक्षा मे भीं गूढलेखन उपयोगी होता है। हाल में ही ऐसे अनेकों मामले प्रकाश में (संज्ञान में) आए हैं, जिनमें मार्ग में प्रेषित आँकड़ों को अवरोधित किया गया है। चूँकि नेटवर्क की समस्त पहुँचो (प्रयासों) की भौतिक सुरक्षा प्रायः कठिन होती है, अतः इन आँकड़ों को रास्ते में (मार्ग में) सुरक्षित करने हेतु गूढलेखन सहायक है।

गूढलेखन स्वयं ही संदेशों की गोपनीयता की रक्षा कर सकता है किंतु संदेशों की शुद्धता एवँ प्रमाणिकता (सत्यता) की संरक्षा हेतु कतिपय अन्य तकनीकों की भी आवश्यकता होती है। यथाः संदेश प्रमाणिकता कूट (मैसेज अथेंटिकन कोड) अथवा डिजिटल हस्ताक्षर। गूढलेखन हेतु गूढलेखी (प्रच्छन्नलेखी) सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर तथा मानक व्यापक रूप से उपलब्ध है, किंतु सुरक्षा सुनिश्चितीकरण हेतु प्रभावी गूढलेखन का उपयोग (प्रयोग) अभी भी एक चुनौती है। प्रणाली निरूपण में एक छोटी सी चूक अथवा क्रियान्वयन में हुई एक भूल सफल आक्रमणों को आमंत्रित कर सकती है। कभी–कभी प्रतिवादी (शत्रु) अगूढलेखित सूचनाओं को बिना विगूढलेखन प्रक्रिया के ही प्राप्त कर सकतें हैं।

17.3 गूढलेखन की पद्धतियाँ

गूढलेखन शब्दों (मूलपाठ) को इस प्रकार परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिससे कि यह सरलता से पठनीय ना हो पाए। वाणिज्यिक गूढलेखन के अंतर्गत उन विधियों/पद्धतियों का प्रयोग होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली विधियों से अधिक सुरक्षित होती है। प्रायः समस्त आधुनिक गूढलेखन पद्धतियाँ कुँजी, एक विशिष्ट संख्या अथवा संख्या श्रृँखला जो कि गूढलेखन विगूढलेखन अथवा दोनों के लिए प्रयोग में लायी जाती है, पर भरोसा करते हैं।

अगले खण्ड में सामान्य (प्रचिलित) गूढलेखन पद्धतियाँ प्रस्तुत हैं,

1. <u>निजी कुँजी गूढलेखन (प्राइवेट की इन्क्रिप्शन)</u>

निजी कुँजी गूढलेखन एक आदर्श (मानक) प्रकार है। दोनों पक्ष एक गूढलेखन कुँजी साझा करते हैं, तथा गूढलेखन कुँजी उस संदेश को विगूढलेखित करने हेतु प्रयुक्त होती है। संदेश के गूढलेखन के पूर्व कुँजी को साझा करने में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है, कि उसे आपने कितने सुरक्षा पूर्वक (सुरक्षित ढंग से) प्रेषित किया है। कई

निजी कुँजी गूढलेखन पद्धतियों में सार्वजनिक कुँजी गूढलेखन का प्रयोग निजी कुँजी को प्रत्येक आँकड़ा (डेटा) स्थानांतरण सत्र में प्रेषित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

यदि A एवं B गोपनीय संदेश साझा करने हेतु निजी कुँजी गूढलेखन प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो वे दोनों एक समान कुँजी की प्रयोग में लाएंगे। A B को अपना संदेश लिखता है तथा उनकी (उन दोनों A ,& B की) साझा निजी कुँजी का प्रयोग करके उसे गूढलेखित करता है। अब यह संदेश B को भेजा जाता है, B अपनी निजी कुँजी के प्रति (कॉपी) से संदेश को विगूढलेखित करता है। निजी गूढलेखन से तात्पर्य एक कुँजी की प्रतियाँ बनाने से है। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रति को धारण करता हो इस ताले को (गूढलेखित संदेश) को विगूढित (खोल सकता है) कर सकता है। A एवं B की दशा में उनकी कुँजिया सघनता से संरक्षित होगी क्योंकि वे संदेशों को गूढलेखित एवं विगूढलेखित दोनों कर सकते है।

2. सार्वजनिक की गूढलेखन (पब्लिक की इन्क्रिप्शन)

सार्वजनिक कुँजी (की) गूढलेखन में दो कुँजियों का प्रयोग किया जाता है, एक गूढलेखन हेतु तथा द्वितीय विगूढलेखन हेतु।

संदेशप्रेषक, प्राप्तकर्ता से गूढलेखन कुँजी हेतु कहता है, संदेश को गूढलेखित करता है तथा यह गूढलेखित संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषित कर देता है। केवल प्राप्तकर्ता ही संदेश को विगूढलेखित कर सकता है, यहां तक कि प्रेषक भी गूढलेखित संदेश को नहीं पढ़ सकता है।

जब A B के साथ कोई संदेश पब्लिक (सार्वजनिक) कुँजी गूढलेखन के माध्यम से साझा करना चाहता है, तो सर्वप्रथम वह B से उसकी सार्वजनिक कुँजी मांगता है, तत्पश्चात A B की पब्लिक कुँजी के प्रयोग से संदेश को गूढलेखित करता है। सार्वजनिक कुँजी गूढलेखन में मात्र B की निजी कुँजी उसके सार्वजनिक कुँजी के साथ गूढलेखित संदेश को विगूढलेखित कर सकती है। A ने अपना संदेश B को भेजा, B A के संदेश को विगूढलेखित करने हेतु अपने निजी कुँजी का प्रयोग करता है।

B द्वारा अपने निजी कुँजी की सुरक्षा तथा सार्वजनिक कुँजी का मुक्त हस्त से वितरित करना ही सार्वजनिक कुँजी गूढलेखन के कार्यशील होने का आधार है।

वह जानता है कि यह (निजी कुँजी) उसके सार्वजनिक कुँजी के साथ गूढलेखित किसी भी संदेश को विगूढलेखित कर सकता है।

17.4 गूढलेखन की तकनीकें (प्रविधियाँ)

17.4.1 शास्त्रीय तकनीकें

समस्त गूढलेखन तकनीकों के दो मूलभूत अंग निम्नलिखित हैं,

प्रतिस्थापना

- विषय वस्तु (मूल शब्द) को अन्य शब्दों अथवा संख्याओं अथवा प्रतीकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।

- यदि मूल शब्द बिट के अनुक्रम के रूप में दिखता है तो प्रतिस्थापन द्वारा मूल शब्द बिट पद्धति को कूटलिखित पाठ बिट पद्धति से परिवर्तित कर दिया जाता है।
- <u>पुर्नव्यस्थापन/क्रमसंचय</u>
  मूल शब्द के अक्षर/बिट/अष्ट बिट को बिना मूल प्रयुक्त अक्षरों के बदले (परिवर्तित) कर व्यवस्था पुर्नव्यवस्थित किया जाता है।
- इसे सरलता से पहचाना जा सकता है क्योंकि कूटलिखित विषय वस्तु का आवृति विवरण, मूल पाठ के शब्द के समान ही होता है।

<u>प्रति स्थापन कलन–विधि –</u>

<u>1.</u> <u>सीजर गूढ़लेख.</u> यह ज्ञात प्रतिस्थापन गूढ़लेख में सर्वाधिक प्राचीन गूढ़लेख (सादफर) है जो जूलियस सीजर द्वारा प्रथमतः प्रयुक्त (खोजा गया) हुआ था। इसमें विषय – पाठ के प्रत्येक अक्षर को उसी (समान) वर्णमाला के अक्ष के साथ परिवर्तित किया जाता है।

<u>उदाहरण :</u> यदि परिवर्तित मान 3 है तो रूपांतरण को इस प्रकार प्रस्तुत (परिभाषित) किया जा सका है.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
D	E	F	E	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

इस प्रकार संदेश , “meet me after the toga party” कर के परिवर्तित संदेश (रूप) निम्नलिखित होगा,

PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB

<u>गणितीय मॉडलः</u>

इस मॉडल (प्रतिमान) में प्रत्येक अक्षर को एक अंक दिया जाता है,

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

तब इस प्रणाली में सीजर गूढ़ लेख खोज (सीजर सायफेट)
इस प्रकार व्यक्त होगा,

$$C = E(p) \quad = (P+K) \bmod (26)$$

$$P = D(c) = (C-K) \bmod (26)$$

गूढ़लेख विश्लेषण के अंतर्गत प्रत्येक अक्षर को तब तक खिसकाते (स्थान परिवर्तित) करते रहते है, जब तक कि हम मूल संदेश को नहीं पहचान लेते। अतः बूटफोर्स अटैक (पशुबल आक्रमण) अपनाने से हमें प्रयास के केवल 26 अवसर (परीक्षण हेतु अवसर) प्राप्त होते है।

उदाहरण गूढ़लेख पाठ "GCUA VQ DTGCM" को 2 अक्षर के खिसकाव के साथ समझ पाना (विगूढ़ित) कर पाना आसान है।

2. एक – वर्णानुक्रमक (अक्षरात्मक) गूढ़लेख,

इसके अंतर्गत मूल पाठ का प्रत्येक अक्षर यदृच्छया किसी (आगे के अक्षर) पश्चातवर्ती अक्षर के साथ रेखाचित्रित / परिवर्तित किया जाता है, अतः कुंजी का आकार 26 अक्षरों का होता है।

उदाहरण

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
D	K	V	Q	F	J	B	J	W	P	E	S	C	X	H	T	M	Y	A	U	O	L	R	G	Z	N

मूलपाठः If we wish to replace letters

गूढ़लेख पाठः WIRFRWAJUHYFTSDVFSFUUFYYA

गूढ़लेख विश्लेषणः

अब ब्रूटफोर्स अटैक (पशु बल आक्रमण) जो कि इस गूढ़लेख के लिये आवश्यक होगा वह 126 का गहन अन्लेषण होगा अर्थात 126 = 4 x 1026 कुँजी कितु यहाँ का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी (आँग्ल) में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अक्षर e (E) है तत्पश्चात T, R, N, O, A, S है जब कि अन्य अक्षर Z, J, K, Q, X, यदा – कदा ही प्रयुक्त होते है। गूढ़लेख विश्लेषण एकल द्वितीय एवँ तृतीय अक्षर आवृतियों की सारणी है।

3. बहुवर्णी गूढ़लेख (पोली अल्फाबेटिक सायफर)

सुंरक्षा के और उन्नत (प्रभावी) बनाने की एक और विधि (अभिगम) बहुल गूढ़लेख वर्ण जिसे बहुवर्णी प्रतिस्थापन गूढ़लेख भी कहा जाता है। इस के प्रयोग द्वारा गूढ़लेख विश्लेषण को अधिक अक्षरों के द्वारा गूढ़लेख विश्लेषण को अधिक अक्षरों के द्वारा कठिन बनाया जाता है जिससे इसका अनुमान लगापाना तथा आवृति वितरण का पता लगाना सरल नहीं होता है। एक कुँजी का चयन यह जानने हेतु करना कि कौन का अक्षर (वर्ण) इस संदेश के प्रत्येक वर्ण हेतु प्रयुक्त हुआ है।

विजेनेर गूढ़लेख (विजनेर साँइफर)

1. मूल पाठ लिखें,
2. पुनरावृत्ति कुँजी शब्द (प्रमुख संकेत शब्द) को इसके नीचे लिखियें,
3. प्रत्येक कुँजी वर्ण को सीजर गूढ़लेख कुँजी की भाँति प्रयुक्त कीजिये,
4. तत्पश्चात सुसंगत मूल विषय को गूढ़लेखित कीजियें:

मूलपाठः'–	**ATTACKATDAWN**
कुँजी :–	**LEMONH EMONLE**
CLPHERTEXT	
LXFOPUEFRNNR	

4. स्वतंत्र (स्व) कुँजी गूढ़लेख

अपनी गूढ़लेख प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विजेनेर द्वारा स्वतँत्र कुँजी गूढ़लेख विधि प्रस्तावित किया। इसमें संदेश के साथ संकेत शब्द प्रारम्भ में लगे रहते हैं, किंतु फिर भी आक्रमण हेतु आवृति विशेषतायें रखे रहते हैं।

कुँजी : **deccptiveweavediscveredsav**

मूलपाठ : **weavcdiscoveredsavcyourself**

गूढ़लेख : **ZICVTWQNGKZEIJGASXSTSLVVWLA**

ध्यान दे कि किस प्रकार हमने मूलपाठ से अक्षरों के साथ कुँजी बनायी।

5. एक मुश्त भराव (वन–टाइम पैड)

इस प्रणाली में संपूर्ण गूढ़लेखन व विगूंढ़लेखन हेतु पूर्णतः यह कुँजी प्रयोग में लायी जाती है। चूँ किइस प्रणाली मूल पाठ एवँ गूढ़लेखित पाठ के मध्य कोई साँख्किीय सहन्सम्बन्ध नही होता अतः किसी भी मूलपाठ एवँ किसी भी गूढ़लेख पाठ के लिय एक दूसरे का प्रति चित्रण होते है।

पुर्नव्दस्थापन (व्युत्क्रमण) गूढ़लेख

1. छड़बाड़ गूढ़लेख

इसमें सर्व प्रथम विभित्र पंत्तियों के ऊपर संदेश के वर्णा को तिरछे लिखिये तत्पश्चात पंक्ति–दर – पंक्ति गुढ़लेख को (पढ़िये) समझने का प्रयास किया जाता है।

उदाहरण निम्नलिखि संदेश को ङड़–बाड़

गूढ़लेख (रेल–फेन्स सायफँर) के इस द्वारा गूढ़लेखित किया गया हैं,

"Meet me after the Graduation Party"

संदेश को इस प्रकार लिखिये–

memratrngautopry

etefeterdainat

2. गुणन गूढ़लेख (प्रॉडक्ट सॉयफर)

प्रतिस्थापन अथवा व्युत्क्रम गूढ़लेख सुराक्षित नहीं है, क्योंकि इनकी भाषाई विशेषताओं की अपनी सीमितता होती है। अतः गूढलेख विश्लेषण को और कठिन बनाने हेतु लगातार कई गूढ़लेखें के प्रयोग का विचार इसे और अधिक सुरक्षित बनाने में सहायक होगा। दो प्रतिस्थापनों के द्वारा एक कठिन प्रतिस्थापन गूढ़लेख बनाया जा सकता है दो व्युत्क्रम एक कठिन व्युत्क्रम द्वारा अनुगमित प्रतिस्थापन एवं नवीन तथा अत्यधिक कठिन गूढ़लेख का निर्माण करता है।

17.4.2 गूढ़लेखन की आधुनिक तकनीके (प्रविधियाँ)

जैसे – जैसे आधुनिक गूढ़लेखन तकनीके विकसित हुयी यह तथ्य सामने आया कि कूट–भंजक (कोइ – ब्रेकर्स) को कूट को तोड़ने हेतु असाधारण लम्बाई के प्रक्रम से गुजरना होगा।

निम्नलिखित प्रणायाँ अभंजनीय मानकर दस्तावेजित की गयी हैं,

1. AES Encrytions Broken (ए.इ.एस. गूढ़लेखन भग्न)

ए.इ.एस. गूढ़लेखन अपने प्रतिरूप डी. ई. स. गूढ़लेखन प्रणाली की तुल्या सकने योग्य है। वाई–फाई गूढ़लेखन आधुनिक जो कि तोड़ा जा चुका है। सन् 2005 में फेडरल ब्यूरों ऑफ इन्विस्टीगेशन (एफ.बी. आई) ने एक प्रयोग किया तथा उसमें W E P नेटर्वक को 3 मिनट में तोड़ दिया।

2. टवयव/तत्व ऊबड़–खाबड़ प्रणाली

कन्टेण्ट स्क्रैम्बलिग सिस्टम,

यह प्राणाली जो डी. बी. डी तथा डी. वी. डी प्लेयर में प्रयुक्त होती है नी 1996 के पूर्व अति – प्रभावी रूप में व्यवहार में लायी जाती थी जब कि सरकार ने (1996) गूढ़लेखन की लम्बाई निर्धारित (नियामन) की थी। यह अनमिनत बार तोडी जा चुकी है।

3. जी. एस. एम. सम्प्रषण

जी. एस. एम. सम्प्रेषण तथा सैलफोन रोमिग नेटवर्क द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाला गूढ़लेखन है जो 98 सैलफोन में प्रयुक्त होता है तथा जिसे भी कई बार तोड़ा जा चुका है।

4. कम्प्युटिंग की वर्तमान दशा (वर्तमान अवस्था)

अपने एक साक्षात्कार में जॉन अरविवाल ने कहा कि "विश्व का सर्वाधिक शक्शिाली कम्प्यूटर संयुक्त राज्य अमेंरिका या जापान में बना मेन फ्रेम कम्प्यूटर नही बरन यह एक हैकर द्वारा किसी धूल – धूसरित कार्यालय अथवा परित्यक्र भवन में हाटवायर्ड सामाँतर कम्प्यूटर है।

17.5 गूढलेखन की सीमितताएँ

गूढलेखन विश्लेषण अथवा गुण गूढलेखित संदेशों को बिना कुँजी की सहायता से पढ़ पाना वर्तमान में आधुनिक कंप्यूटरर्स (संगणकों) की सहायता से जितना सरल हो गया है, उतना पूर्व में कभी नहीं था। बूट फोर्स विधि के द्वारा गूढलेखन विश्लेषण का कार्य आधुनिक कंप्यूटर अधिक तीव्र गति से कर सकते हैं। इसकी सहायता से उन प्रत्येक संभव कुँजियों को प्राप्त किया जा सकता है जिससे संदेश का मूल पाठ प्राप्त हो सकता है।

हालाँकि कुँजी जितनी लंबी (बड़ी) होगी गूढलेखन विश्लेषण की बूट फोर्स विधि उतना ही समय लेगी किंतु यह गूढलेखन एवं विगूढलेखन दोनों प्रक्रियाओं को अत्यधिक धीमा (मंद) कर देती है। गूढलेखन विधि की सुरक्षा हेतु कुँजी की लम्बाई अति महत्वपूर्ण होती है, किंतु यह लंबाई प्रत्येक बार परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि सी पी यू निर्माता ने प्रोसेसर बनाते रहते हैं।

गूढलेखन आपके आंकड़ों को सुरक्षित नहीं बनाते। बिना गूढलेखन के आँकड़ों का प्रेषण उसी प्रकार असुरक्षित है, जिस प्रकार पोस्टकार्ड में लिखा व सामान्य डाक से भेजा गया कोई संदेश असुरक्षित होता है।

गूढलेखन कम से कम यह सुनिश्चित करता है कि जो भी इस (संदेश विशेष) संदेश को पढ़ता है उसने अत्यधिक कठिन परिश्रम किया है।

17.6 साइबर अपराध– अर्थ/परिचय

साइबर अपराध पद मिथ्यानामी है। इस पद को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियमित किसी संविधि/अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। साइबर अपराध सिद्धाँत रूप से परंपरागत अपराध से भिन्न नहीं हैं। दोनों ही आचरण को समाहित करते हैं, चाहे वह कृत्य हो अथवा भूल जो विधि के शासन को तोड़ते (भंग) करते हैं, तथा सरकार द्वारा लगाए गए अनुमत द्वारा प्रतिभारित किए जाते हैं।

साइबर अपराध के मूल्याँकन के पुर्व यह आवश्यक है, कि परंपरागत अपराध की संकल्पना पर विमर्श किया जाए तथा साइबर अपराध एवं परंपरागत अपराध की समानताओं एवं असमानताओं पर विचार किया जाये। कंप्यूटर अपराध से आशय उन अपराधों से है जिनमें कंप्यूटर तथा नेटवर्क सम्मिलित होते हैं, अर्थात ये इन उपकरणों की सहायता से संपादित होते हैं। कंप्यूटर या तो अपराध कारित करने हेतु प्रयुक्त हुआ हो अथवा कंप्यूटर स्वयं शिकार हुआ हो। नेट अपराध से आशय इंटरनेट के अपराधिक उपयोग से है।

साइबर अपराधों को आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क इंटरनेट, चैट रूम, ईमेल, नोटिस बोर्ड एवं समूह एवं मोबाइल फोन की सहायता से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के प्रति अपराधिक उद्देश्य से उनकी ख्याति को नुकसान पहुंचाने अथवा पीड़ित को शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कारित दोष (अपकार) के रूप में परिभाषित किया गया है। ये अपराध देश की सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं। इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख मुद्दे ऊंचे दर्जे (हाई प्रोफाइल) के होते हैं, यथाः वे जो क्रैकिंग, प्रतिलिप्याधिकार उल्लंघन, बाल पोनोग्राफी एवं बाल अलंकरण से संबंधित होते हैं। इसके साथ निजता की सुरक्षा भी एक प्रमुख समस्या है, जब गोपनीय सूचनाएँ विधिक अथवा गैर विधिक ढंग से खो जाती अथवा अवरोधित कर दी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एवं निजी दोनों वर्ग के अपराधी साइबर अपराधों यथा जासूसी, वित्तीय चोरी एवं अन्य सीमा पार अपराधों में संलग्न है। साइबर अपराध की ये गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार घटित होते हैं अथवा जिनमें कम से कम एक अन्य देश का हित सम्मिलित होता है उसे साइबर युद्ध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाने का प्रयत्न कर रही है।

17.7 साइबर अपराध एवं परंपरागत अपराधों के मध्य अंतर

ऊपरी तौर पर ये साइबर अपराध एवं परंपरागत अपराधों में कोई अंतर नहीं है। हालाँकि गहन अवलोकन के पश्चात हम कह सकते हैं कि परंपरागत एवं साइबर अपराधों के मध्य एक स्पष्ट विभाजक रेखा है, जो कि विवेचनीय है। साइबर अपराध कारित करने के माध्यम इन दोनों साइबर एवं परंपरागत अपराधों के मध्य अंतर का कारण है। साइबर अपराधों के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि अपराध के किसी भी स्तर (चरण) में साइबर माध्यम सम्मिलित होने चाहिए।

17.8 साइबर अपराध के कारण

हार्ट ने अपने शोधकार्य The Concept of Law (द कान्सेप्ट आफ ला विधि की संकल्पना) में कहा है कि मानव अतिसंवेदनशील (अरक्षितता) होता है अतः उसके संरक्षण हेतु विधि आवश्यक है साहित्य जगत में इस कथन को लागू करते हुए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर (संगणक) अति संवेदनशील होते हैं, साइबर अपराधों से उनके संरक्षण व बचाव हेतु विधि का शासन आवश्यक है।

कंप्यूटर की अरक्षतितता अथवा संवेदनशीलता के कारणों के रूप में निम्न को रखा जा सकता है,

1. **तुलनात्मकतः अल्प स्थान में अत्यधिक आँकड़ों को संग्रहित करने की क्षमता**

अल्प स्थान में अधिक आँकड़ों का संग्रहण की क्षमता कंप्यूटर का एक अद्वितीय गुण है। इस कारण से इसमें संग्रह सूचनाओं को मिटाना (हटाना/समाप्त करना) चाहे भौतिक अथवा आभासी (वर्चुअल) माध्यम से अत्यंत सरल है।

2. **सहज पाठ (अभिगम्यता)**

कंप्यूटर्स की अनाधिकृत पैठ से सुरक्षा (रक्षण) में सबसे प्रमुख समस्या गोपनीयता भंग की है जो कि भौतिक कारणों से नहीं वरन जटिल प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न होती है। सतर्क (गणितीय) बम, गुप्त रूप से पासवर्ड इत्यादि संग्रहित करने की मशीन आधुनिक आवाज रिकॉर्डर (ध्वनि अभिलेखी) दृष्टिपटल प्रतिबिम्बक (रेटिना इमेजर्स) इत्यादि जो कि बायोमेट्रिक प्रणाली को धोखा दे सकती हैं तथा सुरक्षा दीवारों से कतरा के गुजर सकती हैं, का प्रयोग विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों को भेदने के लिए किया जा सकता है।

3. **जटिल**

कंप्यूटर प्रचालन तंत्र पर कार्य करते हैं तथा ये प्रचालन तंत्र लाखों कूटो (कोड्स) से बने हुये होते है। मानव मस्तिश्क दो प्रक्षम होता है तथा यह संभव नहीं है कि किसी चरण पे ये कोई चूक न हो। साइबर अपराधी इसी कमी (छिरू) का लाभ उठाते है तथा कम्प्यूटर सिस्टम को भेजते हैं।

4. **असावधानी –**

असावधानी मानवीय व्यवहार का सामान्य अंग है अर्थात् असावधानी मानव व्यवहार से निकटता से जुड़ी है। अतः इसकी अति संभावना है कि कम्प्यूटर में सुरक्षा सम्बन्धी साइबर अपराधियों को कम्प्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेष एवं उस पर नियंत्रण करने का अवसर प्रदान कर सकता है।

5. **साक्ष्यों की हानि–**

साक्ष्य का क्षय (हानि) एक सामान्य एवं निष्चित समस्या है, ऑकड़े नियमिततः नश्ट होते रहते है। इसके साथ ही क्षेत्रीय विस्तार के बाहर ऑकड़ों का संग्रह भी अपराध अन्वेशण की इस प्रक्रिया को पंगु कर देता है।

17.9 साइबर अपराधी

साइबर अपराधी विभिन्न समूहों, वर्गो से आते है। यह विभाजन उनके मस्तिष्क में व्याप्त उद्देश्य/भावना के आधार पर विवेकसंगत/औचित्यपूर्ण होता है। साइबर अपराधियों को निम्नांकित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

1. **6–18 वर्ष के बच्चे एवं किशोर –**

बच्चों में इस प्रकार के अपराधी व्यवहार के दिखने का प्रमुख कारण उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना है जिसके कारण वे नवीन बातों का जानना एवं छान–बीन करना चाहते हैं। इसके अन्य सजातीय (संबधी) कारणों में बच्चों/किशोरों का अपने वय के बच्चों / किशोरों उन्नत, आकर्शक दिखने की इच्छा का पाया जाना भी है। इसके अतिरिक्त कतिपय मनोवैज्ञानिक कारण भी उपरोक्त हेतु उत्तरदायी होते है। युवा–बाल भारती (दिल्ली) प्रकरण अपराधी का उसके मित्रों के द्वारा हुये उत्पीड़न का परिणाम था।

2. **संगठित हैकर्स (संगठित घुसपैठिये) –**

इस प्रकार (श्रेणी) के घुसपैठिये कतिपय निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति (पूर्ति) हेतु संगठित होते है। ये कारण उनकी राजनैतिक पूर्वा ग्रह की भावना रूढ़िवादित इत्यादि हो सकते हैं। पाकिस्तान के हैकर्स विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैकर्स में गिने (माने) जाते है। वे प्रधानतः (मुख्यतः) भारत सरकार की बेवसाइट्स को अपना निशाना अपने राजनैतिक उद्देष्यों की पूर्ति हेतु बनाते है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA - नासा) तथा माइक्रोसाफ्ट की वेबसाइट्स हैकर्स के निषाने पर रहती है।

3. **व्यवसायिक (पेशेवर) हैकर्स / अनाधिकृत ढंग से कम्प्यूटर में प्रवेश एवं छेड़खानी करने वाले पेशेवर –**

इनका कार्य धन से प्रेरित होकर सम्पादित होता है अर्थात् ये पैसे के लिए (पैसे पर) कार्य करते हैं। इनको प्रतिर्स्पधीयों की वेबसाइट्स को हैक कर विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं बहुमूल्य सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु नियोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें नियोक्ता के तंत्र को तोड़ने (अनाधिकृत ढंग से प्रवेष करने के छद्म प्रयास हेतु) हेतु भी नियोजित किया जाता है, जिससे संगठन के तंत्र के छिन्दों, कमियों को जाना जा सकते एवं दूर करने हेतु आवष्यक कदम उठाया जा सके।

4. **असंतुष्ट / नाखुश कर्मचारीगण** – इस समूह में वे लोग आते है, जो अपने नियोक्ताओं द्वारा बर्खास्त किये गये हो अथावा उनके असंतुश्टट हो। अपने अपमान के प्रतिकार हेतु सामान्यतः वे अपने नियोक्ता के तंत्र को हैक करते है।

17.10 साइबर अपराध करने की विधि एवं रीति (ढंग)

1- **कम्प्यूटर तंत्र अथवा नेटवर्क में अनाधिकृत पैठ/हैकिंग** – सामान्य अर्थों में सइ अपराध को हैंकिग (घुसपैठ) कहा जाता है। तथापि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निर्माताओं ने हैकिंग शब्द को कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया है अतः किसी प्रकार के भ्रम को टालने हेतु हम विनिमेयता के अनुसार हैकिंग पद का प्रयोग 'अनाधिकृत पैठ' हेतु नहीं करेगें क्योंकि अनाधिकृत प्रवेश के व्यापक संकेतार्थ हैं।

2- **इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गयी सूचनाओं की चोरी** – इसके अतंर्गत कम्प्यूटर की हार्डडिस्क, स्थानान्तरणीय संग्रह माध्यमों में संग्रहित (संचयित) सूचनाओं की चोरी को सम्मिलित किया जाता है। चोरी या तो भौतिक रूप से ऑकड़ों के उपयोग अथवा उन सूचनाओं/ऑकड़ो को आभासी माध्यम के द्वारा विकृत करना, किसी भी रूप में हो सकती है।

3- **ई–मेल बमवर्शण (बामिंग)** – ई–मेल बमवर्शण से आषय पीड़ित को अत्यधिक संख्या में ई–मेल भेजने से हे। पीड़ित कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी या यहॉ तक कि मेल सर्वर भी हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप ये कार करना बंद कर (क्रैश) सकता है।

4- **ऑकड़ा झॉसेबाजी (ठगी)** – इस आक्रमण के अंतर्गत कम्प्यूटर क्रिया (प्रोसेस) के पूर्व प्राकृतिक (अपरिष्कृत) ऑकड़ो में परिवर्तन कर दिया जाता है तथा प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात इसे पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है। विद्युत परिषद को जबकि वह कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही थी इस समस्या ऑकड़ा ठगी का सामना करना पड़ा था।

5- **सलामी अटैक (सलामी आक्रमण)** – ये अपराध मुख्यतः वित्तीय संस्थानों में वित्तीय अपराध कारित करने के उद्देश्य से किये जाते है। इस अपराध की प्रमुख विशेषता यह होती है कि परिवर्तन (छेड़छाड़) इतना लघु होता है कि प्रायः इस पर ध्यान नहीं जाता। उदाहरण– जिमलेट प्रकरण में जिसमें एक बैंक में गणितीय बाम्ब (लाजिक बाम्ब) के द्वारा प्रत्येक खाते से 10 सेंट काटकर एक खात विशेष में जमा कर दिया जाता था।

6- **डिनायल आफ सर्विस अटैक (सेवा से मना करने वाला अटैक)** – इसमें पीड़ित का कम्प्यूटर अपनी क्षमात से अधिक प्रार्थना से भर दिया जाता है फलतः तंत्र (सिस्टम) कार्य करना बंद कर देता है। वितरित डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसी का एक प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत आक्रमणकारी (आक्रॉता) बहुत अधिक संख्या में फैले हुये हैं, तथा इस अटैक को प्रसरित करते हैं। अमेजन, याहू

7- **वायरस / वर्म आक्रमण** – वायरस एक प्रकारर के प्रोग्राम होते हैं, जो अपने आपको सिकी कम्प्यूटर अथवा फाइल से संलग्न/सयंयोजित कर लेते है, तथा नेटवर्क पर अन्या फाइलों अथवा कम्प्यूटर पर संचरित होते है। वे सामान्यतः ऑकड़ों को जो कि कम्प्यूटर में अवस्थित होते है, को प्रभावित करते है या तो उनमें परिवर्तन (छेड़छाड़) कर अथवा उन्हें मिटाकर वर्म को वायरस के विपरी कम्प्यूटर सिस्टम से संलग्न होने की आवष्यकता नहीं होती वे महज अपनी क्रियात्मक प्रतियों (फक्षनल कापी) का निर्माण करते है तथा इसे वे तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि कम्प्यूटर की मेमोरी के समस्ट लपलब्ध स्थान में फैल नही जाते। उदाहरणार्थ– लव बॅग वायरस जिसने सम्पूर्ण विष्व के 5 प्रशिति कम्प्यूटर्स को प्रभावित किया। इससे हुई हानि 10 मिलियन अमेरिकी डालर थी। विष्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्म्न इण्टरनेट वर्म लेटलून था जो राबर्ट मोरिस ने 1988 में विकसित किया था। इसके कारण इण्टरनेट के विकास के गति प्रायः ठप्प (रूक) हो गयी थी।

8- **गणितीय बाम्ब (गणक बाम्ब)** – ये घटना निर्भर कार्यक्रम (इवेंट डिपण्डेन्ट प्रोग्राम) होते है। इनसे यह ऑशय है कि इन्हें किस निश्चित धटना के होने पर कुछ करने हेतु विकसित किया गया है। इन निश्चित घटनाअें को 'कारण घटना' (ट्रिगर इवेन्ट) कहा जाता है। यहॉ तक कि कुछ वायरस को भी लाभ्रिक बाम्ब कहा जा सकता है क्येंकि वे वर्ष भर निष्क्रिय (शांत) पड़े रहते है तथा किसी तिथि विशेष को ही सक्रिय होते हैं। यना – चेर्नोबिल वायस।

9- **ट्रोजन अटैक** – इस शब्द की उत्पत्ति 'ट्रोजन अश्व' (हार्स) से हुयी है। साफ्टवेयर के क्षेत्र में इससे ऑशय एक अनाधिकृत प्रोग्राम से है जो अप्रतिरोधी ढंग से दूसरे के सिस्टम पर स्वयं को अधिकृत प्रोग्राम दर्शाते हुये नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ई–मेल द्वारा ट्रोजन स्थापना भेजना अटैक का सर्वाधिक ऑ (सामान्य) रूप है। उदाहरणार्थ चैटिंग के दौरान एक अमेरिकी फिल्म निर्देशिका के कम्प्यॅटर में ट्रोजन स्थापित कर दिया गया तथा सॉइबर अपराधियों ने वेब कैमरे के द्वारा जो कि फिल्म निर्देशिका के कम्प्यूटर में लगा था, फिल्म निर्देशिका की नग्न छायाचित्रों को प्राप्त कर लिये तथा उन्होंने उस निर्देशिका को उत्पीड़ित किया।

10- **इण्टरनेट समय की चोरी**– सामान्यतः इस प्रकार की चोरी में पीड़ित का इण्टरनेट सर्फिंग का समय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। यह पीड़ित के लॉग–इन–आईडी तथा पासवर्ड (कूट शब्द) के अनिधिकृत पैठ (गलत ढंग से प्राप्त) के कारण संभव होता है। उदाहरणार्थ – कर्नल बान्नवा प्रकरण जिमें पीड़ित का इण्टरनेट उपयोग का समय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग कर लिया जाता था। कदाचित यह भारत में साइबर अपराध का प्रथम सूचित केस (प्रकरण) था। हालॉकि इस केस ने पोलिस को उसके साइबर अपराध की प्रकृति को समझाने में चूक/कमी को उजागर कर दिया।

11- **वेब जैकिंग** – इस पद की उत्पत्ति हाई जैंकिंग शब्द से हुई है। इस अपराध में हैकर्स दूसरे की वेबसाइट में पैठ कर नियॅत्रण स्थापित कर लेते है। वे वेबसाइट की सूचनाओं को विकृत अथवा परिवर्तित कर सकते हैं यह राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति अथवा पैसों के लिये किया जा सकता है। उदाहरणार्थ– हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा हैक कर ली गयी तथा उस पर कुछ अश्लील सामग्रियॉ प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त मुंबई अपराध शाखा की बेवसाइट भी हैक कर ली गयी थी। बेब हैकिंग का एक अन्य प्रकरण 'गोल्डफिश' प्रकरण था जिसमें वेबसाइट को हैक कर लिया गया था तथा गोल्डफिश से जुड़ी (सम्बन्धित) सूचनाओं को परिवर्तत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती मॉगी गयी। इस प्रकार वेब हैकिंग कुछ प्रतिफल के बदले में दूसरे की बेब साइट पर नियंत्रण स्थापन की प्रक्रिया है।

17.11 साइबर अपराधों का वर्गीकरण

साइबर अपराधों को व्यापक रूप से निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया जा कसता है–

1. **व्यक्तियों के विरुद्ध** – (i) उनके व्यक्ति (ii) व्यक्ति की सम्पत्ति।
2. **संगठन के विरूद्ध** – (i) सरकार (ii) फर्म, कम्पनी, व्यक्तियों का समूह।
3. **व्यापक पैमाने पर समाज के विरूद्ध** – निम्नलिखित समूहों के विरूद्ध कारित किये जाने वाले अपराधो को निम्नांकित ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है–

व्यक्तियों के विरुद्ध – (i) ई–मेल के द्वारा उत्पीड़न,

(ii) साइबर–स्टाकिंग

(iii) अष्लील–सामग्री का प्रसार

(iv) मानहानि

(v) कम्प्यूटर तंत्र के ऊपर अनाधिकृत नियंत्रण/पैठ,

(vi) अश्लील प्रदर्शन,

(vii) ई–मेल ठगी (धोखा)

(viii) धोखेबाजी एवं कपट

व्यक्ति के सम्पत्ति के विरूद्ध – (प) कम्प्यूटर बर्बरता

(ii) वायरस प्रसारण,

(iii) नेट अतिचार (नेट्रेसपास)

(iv) कम्प्यूटर तंत्र पर अनाधिकृत नियंत्रण / पैठ

(v) बौद्धिक अधिकार सम्पदा सम्बन्धी अपराध,

(vi) इण्टरनेट समय की चोरी।

संगठन के विरूद्ध – (i) कम्प्यूटर तंत्र पर अपराधिकृत नियंत्रण / पैठ,

(ii) अनाधिकृत सूचनाओं को प्राप्त करना,

(iii) सरकारी संगठनों को विरूद्ध साइबर आतंकवाद,

(iv) पाइरेटेड (नकली) साफ्टवेयर का वितरण।

समाज के विरूद्ध व्यापक पैमाने पर – (प) बाल–पोर्नोग्राफी,

(ii) अश्लील प्रदर्शन (प्रसार) से युवाओं के मन–मस्तिष्क को प्रदूषित करना,

(iii) तस्करी (अवैध–विक्रय)

(iv) वित्तीय अपराध,

(v) गैर–कानूनी (अवैध) लेखों का विक्रय,

(vi) आन–लाइन जुआ,

(vii) जालसाजी।

उपरोक्त अपराधों को विस्तृत रूप में निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है–

(i) ई–मेल के द्वारा उत्पीड़न – यह कोई नवीन सिद्धांत नही वरन, पत्रों (डाक) द्वारा उत्पीड़न के समान ही होती है।

(ii) साइबर–स्टाकिंग – आक्सफोर्ड शब्दकोष ने स्टाकिंग को ''छिपकर (गुप्त रूप से) पीछा करना'' के रूप में परिभाशित किया है।

साइबर–स्टाकिंग में किसी व्यक्ति के इण्टरनेट पर हलचल के उसके द्वारा अक्सर देखे जाने वाले बुलेटिन बोर्ड पर संदेष (कभी–कभी धमकी युक्त) प्रसारित कर पीछा करने की क्रिया को सम्मिलित किया जा हैं पीड़ित जिस चैट–रूम (वार्ता–कक्ष) में अक्सर समय व्यतीत करता है, उस पर संदेश लिकर अथवा उसके ई–मेल पर ई–मेल बम वर्षण कर के पीठा करना स्टाकिंग कहलाता है।

(iii) अश्लील–सामग्री का प्रकाशन/पोर्नोग्राफी (विशेषकर बाल–पोर्नोग्राफी) के प्रसार द्वारा मानसिक/चारित्रिक प्रदूषण का प्रसार – इण्टरनेट पर पोर्नोग्राफी कई रूपों में हो सकती है। इसके अंतर्गत इस प्रकार के अश्लील सामग्रियों को वेबसाइट पर

रखकर इस प्रकार के प्रतिबंधित सामग्री का प्रदर्शन भी सम्मिलित होता है। इस प्रकार के आपत्तिजनक सामग्री को उत्पादित करने हेतु कम्प्यूटर का प्रयोग करना, इण्टरनेट से अश्लील सामग्री को प्राप्त करना (डाउनलोड) आदि भी सम्मिलित होते है। ऐस अष्लील/आपत्तिजनक सामग्री के दुष्प्रभाव किषोरों को असंस्कारयुक्त तथा मानसिक रूप से भ्रष्ट बना देता हैं

(iv) मानहानि – मानहानि एक ऐसा कृत्य है जिसमें किसी भी ख्याति, मान को समाज में अच्छे, भद्र जनों के वर्ग में गिराने/नीचा करने की भावना से उन्हें समाज से अलग करने की दुर्भावना से अथवा उन्हें घृणा का पात्र बनाने के नकारात्मक उद्देश्यों के लिये किया जाता है। साइबर मानहानि परम्परागत मानहानि से भिन्न नहीं है, केवल इसमें आभासी माध्यमों का सहारा (प्रयोग) लिया जाता है।

(v) कम्प्यूटर तंत्र के ऊपर अनाधिकृत नियंत्रण/पैठ – इसे सामान्यतः हैकिंक के नाम से जाना जाता है। हालॉकि भारतीय विधि में हैकिंग का एक अलग संकेतार्था बताया गया है अतः यहॉ हम ''अनाधिकृत पैठ'' पद को ''हैकिंग'' के साथ विनिमेय के रूप में प्रयुक्त नहीं करेगें क्योंकि ''अनाधिकृत पैठ'' पद जो कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में वर्णित है के अर्थ अधिक व्यापक है।

(vi) ई–मेल ठगी (धोखा) – नकली ई–मेल वह मेल होती है जो अपने उद्‌गम (मूल) मेल/वास्तविक मेल को दुर्व्यपदेशति करती है। यह अपने उद्‌गम (मूल स्त्रोत) को अपने वास्तविक स्त्रोत से भिन्न प्रदर्षित करती है अर्थात् एक नकली प्रस्तुतिकरण जो पाठक को वास्तविक होने का एहसासा कराये। परड्यू विश्वविद्यालय इंडियाना के स्नातक छात्र राजेश मान्यट को कालेज परिसर में परमाणु अस्त्र को विस्फोटित करने की धमकी देने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। कथित मेल एक अन्य छात्र के एकांउट से छात्र सेवेाओं के उपाध्यक्ष को भेजी गयी थी, हालॉकि इस मेल का पता लगा लिया गया और पाया गया कि यह राजेश मन्यार के एकांउट से ही भेजी गयी थी।

(vii) कम्प्यूटर बर्बरता – उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी अन्य की सम्पत्ति को नष्ट करना नुकसान को कम्प्यूटर बर्बरता कहा जाता है। इसके अंतर्गत उस परिधि के अंतर्गत कम्प्यूटर अथवा किसी व्यक्ति को हानि नुकसान पहॅुचाना सम्मिलित है। यह कृत्य कई रूपों यथा कम्प्यूटर की चोरी, कम्प्यूटर के कुछ भाग (कल–पुर्जो आदि) की चोरी, कम्प्यूटर से जुड़ी सामग्रियों की चोरी/ हानि अथवा कम्प्यूटर या इसके गौण (अमुख्य) भाग को भौतिक क्षति पहुंचाया आदि रूपों में कारित किया जा सकता है।

(viii) बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बन्धी अपराध/ नकली (पाइरेटेड) साफ्टवेयर का वितरण – बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अंतर्गत अनेक अधिकार सम्मिलित होते है। कोई भी ऐसा कृत्य जिसके कारण बौद्धिक सम्पदा का स्वामी अपने अधिकारों से पूर्ण या आंषिक रूप से वंचित हो जाये अपराध है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के उल्लघंन का प्रचलित (सर्वप्रमुख) रूप साफ्टवेयर पाइरेसी (चोरी), प्रतिलिप्याधिकार उल्लघंन, व्यापार–चिन्ह, सेवा–चिन्ह उल्लघंन, कम्प्यूटर के स्त्रोत कूट (सोर्स कोड) की चोरी इत्यादि है।

(ix) सरकारी संगठनों के विरूद्ध साइबर आतंकवाद – यहाँ यह आवश्यकता अनुमानित की जा सकती है, कि साइबर आतंकवाद तथा साइबर अपराध मं अंतर स्थापन का क्या कारण/आवश्यकता है। दोनों ही आपराधिक कृत्य है। तथापि इन दोनों अपराधों के मध्य अंतर निश्चित करने की अनिवार्य आवश्यकता है। साइबर अपराध सामान्यतः एक घरेलू मुद्दा होता है जिसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भी हो सकते हैं, जबकि साइबर आतंकवाद एक वैश्विक चिंता (मामला/मुद्दा) है, जिसके घरेलू तथा वैश्विक (अंतर्राष्ट्रीय) परिणाम होते है। इण्टरनेट पर इन आतंकी आक्रमणों में डिस्ट्रीव्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक (वितरित सेवा से मना/अस्वीकृति आक्रमण), घृणापूर्ण बेबसाइट तथा द्वेश–युक्त ई–मेल, संवेदनशील कम्प्यूटर तंत्र एंव नेटवर्क पर आक्रमण। तकनीक के जानकार आतंकवादी 512–बिट गूढ़लेखन का प्रयोग कर रहे है जिसे विगूढलेखित कर पाना प्रायः असंभव। साइबर आतंकवाद के नवीन उदाहरणों मे ओसामा–बिन–लादेन, लिट्टे के द्वारा अमेरिका के सैन्य परिनियोजन प्रणाली पर इराक युद्ध के दरमियान आक्रमण को उल्लिखित किया जा सकता है।

साइबर आतंकवाद को धार्मिक, राजनैतिक अथवा इसी प्रकार के उद्देश्यों से अथवा इन उद्देश्यों के प्रोत्साहन स्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के पूर्व–निर्धारित योजनके के अंतर्गत विध्वंसक (विनाशकारी) गतिविधियों अथवा धमकी/भय के कृत्य के साइबर जगत में संपादन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

(x) तस्करी – यह विभिन्न रूपों यथा, नशीले पदार्थों की मानव–तस्करी, हथियारों की तस्करी इतयादि के रूप में हो सकती हे। ये तस्करी अपरीक्षित (जॉच–रहित) हो रही है क्योंकि ये छद्म नामों से संचालित हो रही है। चेन्नई में एक तंत्र (रैकेट) पकड़ा गया जो शहद के नाम से नशीला पदार्थ (ड्रग्स) का विक्रया कर रहा था।

(xi) धोखाधड़ी एवं ठगी – आनलाइन धोखाधड़ी एवं ठगी साइबर जगत में वर्तमान में सम्पादित हो रहे प्रमुख अपराधों में से है। केडिट कार्ड अपराध, साविदिक अपराध, नौकरी प्रदान करने के प्रलोभन आदि आन लाइन धोखाधड़ी के प्रमुख रूप एवं प्रकार है।

17.12 वैधानिक प्रावधान

भारत सरकार ने यह आवश्यक समझा कि इलेक्ट्रानिक कामर्स के आदर्श (प्रतिमान) नियम जो व्यापार विधि पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने अपनाया तथा उसके संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया उस पर ध्यान दिया जाय तथा उसे प्रभाव में लाया जाये। फलतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित हुआ तथा 17 मई 2000 को लागू हुआ। इस अधिनियम में समय–समय पर परिवर्तन (संशोधन) करने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि यह अधिनियम सन् 2000 में पारित सूचना प्रौद्योगिक अधि0 के साथ अनुकूल बन सके तथा वे साइबर जगत के प्रकरणों को नियमित एवं नियंत्रित करने में प्रभावी हो सके।

सूचना प्रौद्योगिक अधि0 विभिन्न साइबर अपराधों से सम्बन्धित है धारा 43 अनाधिकृत पैठ, अनाधिकृत डाउनलोडिंग, वायरस आक्रमण, अथवा कोई अन्य नियंत्रक,

क्षतिकारक तोड़–फोड़, डिनॉयल ऑफ एक्सेस, (किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा रही सेवा में हस्तक्षेप) से सम्बन्धित है। इस धारा में उपरोक्त अपराध के प्रतिकार उपाय के रूप में रु0 1 करोड़ का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया गया है।

वैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण–

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 निसंदेह एक स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि इसके अस्तित्व में आने के पूर्व इस विशेषीकृत क्षेत्र (साइबर अपराध) हेतु कोई विधियां अस्तित्व में नहीं थी। यद्यपि अपने अनुप्रयोग की अवधि में कई बार यह कानून (अधिनियम) अपर्याप्त पाया गया क्योंकि कई अपराध ऐसे थे जिनके हेतु या तो इस अधिनियम में प्रावधान नहीं थे अथवा थे तो अपर्याप्त थे।

सूचना प्रौद्योगिकी अधि0–2000 की मुख्य सीमायें निम्नलिखित हैं–

1. बिना जन–विमर्श के अति आतुरता में पारित किय गया फलतः इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल–

विशेषज्ञों के अनुसार इस अधि0 की अपर्याप्तता का सर्व प्रमुख कारण इसको लागू करने में दिखाई गयी तत्परता (जल्दबाजी) तथा संसद में पारित करने से पूर्व जन–विमर्श न कराना है।

2. अधि0 की प्रस्तावना एवं उद्देश्य में वर्णित साइबर लॉ शब्द वर्णित करता है, कि ये ई–कामर्स की सहायता हेतु है ना कि साइबर अपराधों के नियमन हेतु–

साइबर लॉ प्रदान करने के पीछे विधायिका का प्रमुख भाव (इच्छा) ई–कामर्स के नियमन का था न कि साइबर अपराधों से निबटना। इस अधिनियम के साइबर अपराधों से निबटने में अपर्याप्त होने का यह भी एक प्रमुख कारण है।

3. साइबर अपकृत्य–

साइबर स्टाकिंग साइबर उत्पीड़न, साइबर उत्पात, तथा साइबर मानहानि आदि जैसे हालिया प्रकरणों ने एक बार यह दर्शाया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इन अपराधों से पार पाने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त भविष्य में साइबर अपराध के नवीन प्रकार सामने आयेगें जिनसे निबटना एक चुनौती होगी। अतः भारत को साइबर अपराध संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिये। हालॉकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दण्ड संहिता दोनों संयुग्मित रूप से इन अपराधों से निबटने में सक्षम हैं।

4. परिभाषाओं में निहित अस्पष्टता–

SEC 66 (धारा–66) में वर्णित हैंकिंग की परिभाषा अतिव्यापक एवं दुरूपयोग की संभावना से युक्त है। इस धारा के दुरूपयोग की अतिशय संभावना है। इसके अतिरिक्त धारा 67 कतिपय सीमा तक अस्पष्ट है। कामुक सूचना अथवा अश्लील पोर्नोग्राफिक सूचनाओं को परिभाषित करना अति कठिन कार्य है।

5. एक समान विधि–

विश्व स्तर पर एक समान साइबर लॉ का होना वर्तमान में समय की मांग है। साइबर अपराध एक वैश्विक सिद्धान्त/संकल्पना है । अतः इससे निबटने की पहल/अगुवाई भी वैश्विक स्तर पर ही होनी चाहिये। उदाहरणार्थ लगभग वायरस का जो निर्माता था उसकी उसके देश के लोगों ने बहुत प्रशंसा की इस तरह की

मानसिकता साइबर अपराध के प्रति अन्य देशों के प्रयास को कहीं न कहीं कमजोर करती है।

6. अधिकार क्षेत्र के मुद्दे–

वैश्विक प्रकृति होने के कारण साइबर अपराध के प्रकरणों में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे विचारणीय होते है। साइबर जगत की सतत् बढ़ती शक्ति/प्रकार के कारण क्षेत्रीय संकल्पनायें मिट रही है। विवाद सुलझाने के नवीन तरीकों को परम्परागत विधियों पर वरीयता अवश्य ही प्रदान की जानी चाहिये। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इस विषय पर मौन है।

7. क्षेत्रेत्तर अनुप्रयोग (लागू करना)

हालांकि धारा 75 इस विधि के क्षेत्रेत्तर अनुप्रयोग का प्रावधान करता है, लेकिन वे केवल उसी दशा में औचित्य रखेगें तब इस धारा के आधार पर सक्षम प्राधिकरण (संस्थाएं) सूचनाओं के निर्गत हेतु आदेशों एवं सम्मनों का पहचानेगें (मान्यता देना) जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में न आते हो तथा विधि प्रवर्तन अभिकरणों के मध्य कम्प्यूटर अपराध की सामग्रियों एवं साक्ष्यों को परस्पर विनिमय करने हेतु सहयोग के उपायों को तलाशेंगे।

8. साइबर अपराध का गतिक स्वरूप–

साइबर अपराध की गतिक प्रकृति के विषय में बोलते हुये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्विस्टीगेशन (एफ0बी0आई0) के निदेशक लुईस फ्रीच ने कहा कि ''संक्षेप में साइबर घुसपैठ से लड़ने की हमने अपनी योग्यता को स्पष्टतया उन्नत किया है, समस्या अति तीव्र गति से बढ़ रही है और हम इससे बहुत पीछे हैं।'' मानव–मस्तिष्क की कुसृजनात्मकता (विध्वंसता) किसी विधि से नहीं रोकी जा सकती।

अतः इस हेतु एकमात्र उपाय उदार संरचना की भावना के साथ साइबर अपराध के प्रकरणों में वैधानिक प्रावधानों का अनुप्रयोग करना है।

9. अपराधों के प्रतिवेदन के प्रति संकोच–

जैसा कि उपरोक्त है कि इस अधिनियम के घातक दोष में साइबर अपराधों का प्रतिवेदित न हो पाना है। एक निश्चित कारण असहयोगी पुलिस बल का होना है। पोलिस आज एक शक्तिशाली बल है जो कि साइबर अपराधों को रोकने में सहायक भूमिका निभा सकता है।

इसके साथ ही पोलिस निर्दोषों उनके सामान्य साइबर व्यवसाय में सहायता कर सकती है।

17.13 साइबर अपराध की रोकथाम (निवारण)

बचाव सदैव इलाज (उपचार) से श्रेष्ठ होता है। इंटरनेट प्रयोग करते समय कतिपय पूर्व सावधानियों का पालन करना सदैव उचित होता है। इनको अपने साइबर जीवन का भाग बनाना चाहिये। मुम्बई पोलिस की साइबर सेल (साइबर प्रकोष्ठ) के तकनीकी सलाहकार एवं नेटवर्क सुरक्षा परामर्शदाता शैलेश जरका ने ऑन लाइन सुरक्षा हेतु 5पी मंत्र दिया है। ये 5पी है, प्रीकाशन (सावधानी), प्रीवेन्शन (बचाव) प्रोटेक्शन (संरक्षा), प्रेजर्वेशन (परिरक्षण) तथा पर्सवीरन्स (दृढ़ता)। एक इन्टरनेट उपयोगकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये।

- साइंबर स्टाकिंग को रोकने के लिये अपने से सम्बन्धित कोई भी सूचना नहीं बतानी चाहिये। यह उसी प्रकार से है कि कोई अपनी पहचान किसी अजनबी के सम्मुख सार्वजनिक स्थान पर बतायें।
- चैट दोस्तों तथा अजनबियों को ऑन लाइन अपने चित्र इत्यादि न भेजें क्योंकि ऐसे तमाम प्रकरण है जिनमें इन चित्रों का दुरूपयोग हुआ है।
- वायरल आक्रमण से रक्षा हेतु सदैव आधुनिक अद्यतन एण्टी वायरल साफ्टवेयर का प्रयोग करें।
- आंकड़ों का बैंक अप रखे जिससे कि वायरल आक्रमण के कारण नुकसान की दशा में आंकड़े (डेटा) सुरक्षित रहें।
- धोखे से बचाव हेतु अपने क्रेडिट कार्ड स्तर को कभी भी किसी असुरक्षित बेवसाइट से न भेजें।
- अपने बच्चों द्वारा प्रयोग की जा रही वेबसाइट पर निगाह रखे जिससे उन्हें उत्पीड़न से दुराचारिता से बचाया जा सके।
- ऐसे सुरक्षा प्रोग्रामों का प्रयोग सदैव बेहतर होता है जो कुकीज पर नियंत्रण रखे तथा सूचनाओं को साइट पर वापस भेज सके, क्योंकि असंरक्षित ढंग से कुकीज को छोड़ना घातक सिद्ध हो सकता है।
- वेबसाइट के स्वामियों को उनकी साइट के ट्रैफिक (यातायात) को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये तथा साइट पर किसी प्रकार की अनियमितता को रोकना चाहिये। होस्ट आधारित इन्ट्रुजन डिटेक्शन डिवाइस ये कार्य कर सकते है।
- फायरवाल का प्रयोग लाभदायक हो सकता है।
- सार्वजनिक साइट्स पर चलित वेबसर्वर को भौतिक रूप से आंतरिक विभागीय कार्य से पृथक रखा जाना चाहिये।

17.14 क्या गूढलेखन साइबर अपराधों को रोक सकता है?

क्या गूढ़लेखन का प्रयोग साइबर अपराधों नियोजित सुरक्षा भंग, बौद्धिक सम्पदा अधिकार अपराधों तथा अन्य साइबर अपराधों यथा—साइबर स्टाकिंग, उत्पीड़न तथा साफ्टवेयर चोरी को रोकने हेतु एक उपाय के साथ में किया जा सकता है?

हालांकि संवैधानिक मुद्दे (चिंता) निश्यित ही गूढ़लेखन के प्रयोग के साथ संतुलित होने चाहिये। गूढ़लेखन आंकड़ों का ऐसे रुप में रूपांतरण है जिसे पढ़ पाना बिना उपयुक्त तकनीकी ज्ञान के कदाचित असंभव है। गूढ़लेखन का उद्देश्य सूचनाओं को उन लोगों से छिपाकर जिनके हेतु वह नहीं है, निजता की सुनिश्चितता है। यह उन लोगों से भी गोपनीयता एवं अपठनीयता बनाने का प्रयास है, जिन्होंने गूढ़लेखन आंकड़ों को प्राप्त कर लिया है।

विगूढ़लेखन, गूढ़लेखन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। इसके द्वारा गूढ़लेखन आंकड़ों को पुनः पठनीय रूप में रूपांतरित किया जाता है। प्रायः गूढ़लेखन एवं विगूढ़लेखन हेतु कतिपय गोपनीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है जिसे कुंजी (की) कहा जाता है। गूढ़लेखन हेतु समान कुंजी प्रयुक्त होती है किन्तु अन्य उपयोग हेतु एक भिन्न

कुंजी का प्रयोग होता है। प्रमाणीकरण (अथेंटिकेशन) कूट–लेखन (बीज लेखन) का एक अन्य उभरता क्षेत्र है तथा इण्टरनेट पर निजता व सांविदिक कार्य हेतु तेजी से प्रयोग में लाया जा रहा है। जब अनुबन्धों को इलेक्ट्रानिक ढंग से भेजा जाता है तो यह प्रमाणीकरण आवश्यक होताा है, कि दस्तावेज में जो कहा जा रहा है वह उपयुक्त है, तथा इस पर उचित (उपयुक्त) पक्ष के हस्ताक्षर अंकित है। कूट लेखन तकनीकों एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन है जो कठिन समस्याओं के अस्तित्व में आने पर निर्भर करती है। कूट लेखन संचार को निजी रखने एवं यह निर्धारित करने से सम्बन्धित है कि क्या संचार वास्तव में प्रमाणीकृत है। कूट लेखन प्रभावीकरण हेतु उपाय (अस्त्र) प्रदान करता है, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर सम्मिलित है, जो दस्तावेज को एक कुंजी विशेष से बांधता है तथा उस पर डिजिटल मुहांकन होता है जो इस दस्तावेजों को एक निश्चित समय पर इसके सृजन से बांधता है।

17.15 सारांश

इस इकाई में हमने गूढ़लेखन, इसकी विधियों, तकनीकों एवं सीमाओं तथा साइबर अपराध, कारण इसके वर्गीकरण, वैधानिक प्रावधानों एवं साइबर अपराधों से संरक्षण के बारे में अध्ययन किया। गूढ़लेखन सूचनाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया है, जिससे इन सूचनाओं को उन व्यक्तियों के अलावा जो विशेष तकनीकी ज्ञान रखते हो, सबके लिये अपठपनीय बनाया जाता है, इन विशेषजन को जो इसे पढ़ने हेतु आवश्यकता कुंजी कहते है।

गूढ़लेखन प्रक्रिया का परिणाम गूढ़लेखित सूचना के रूप में प्राप्त होता है। इस गूढ़लेखन की व्युत्क्रम प्रक्रिया का ही नाम विगूढ़लेखन है, सैन्य विभागों एवं सरकारों द्वारा संचार को गोपनीय बनाने हेतु गूढ़लेखन की प्रक्रिया का प्रयोग लम्बे समय से किया जा रहा है। जब इसका प्रयोग नागरिक प्रणाली (नागरिक व्यवस्था) में सूचनाओं के संरक्षण में सामान्य रूप से हो रहा है।

साइबर अपराधों को, आधुनिक दूर संचार के माध्यमों यथा इण्टरनेट की सहायता से किसी व्यक्ति समूहों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचाने, अथवा उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आपराधिक उद्देश्य से व्यक्ति अथवा समूहों के विरूद्ध किये गये अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गूढ़लेखन का प्रयोग साइबर अपराधों से बचाव तथा नियोजित सुरक्षा भंग के अतिरिक्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बन्धी अपराधों तथा अन्य अपराधों यथा साइबर स्टाकिंग, उत्पीड़न, और साफ्टवेयर चोरी से बचाव हेतु किया जाता है। हालांकि संवैधानिक मुद्दों का संतुलन गूढ़लेखन के प्रयोग के साथ होना आवश्यक है।

17.16 शब्दावली

कूटलिखित आंकड़ेः–जिनमें आंकड़े गूढ़लिखित होते हैं।

प्रत्युपाय–ऐसा कोई भी कदम या युक्ति जो कम्प्यूटरतंत्र की संवेदनशीलता को न्यून करें।

कूट–लेखन–सूचनाओं को संरक्षित अथवा इसके अर्थ को छिपाने की ऐसी विधि जिसमें सूचनाओं को प्रेषित करने के पूर्व गुप्त कूटों में परिवर्तित कर दिया जाता है।
साइबर अपराध–प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर्स तथा इंटरनेट से सम्बन्धित अपराध।
डिजिटल हस्ताक्षर–हस्ताक्षर के समतुल्य इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर।
गूढ़लेखन–सूचनाओं को कूट में परिवर्तित कर उनके रक्षण एवं छिपाने की प्रक्रिया।
चोरी–प्रतिलिप्याधिकारी साफ्टवेयर, संगीत गीत, चलचित्र की सी0डी0 की अनाधिकृत प्रतिलिपि बनाना।
वायरस–एक ऐसा कम्प्यूटर प्रोग्राम जो अपने स्वयं की प्रतिकृति बनाये व बिना उपयोगकर्ता की सहायता से एक मशीन से दूसरे मशीन में प्रसरित होने के लिये अत्यकल्पित किया गया हो।
सामाजिक अभियांत्रिकी–वायरस निर्माता एवं हैकर्स द्वारा अपनायी जाने वाली तकनीक जो कम्प्यूटर उपयोगकर्ता को सूचनायें प्रकट करने अथवा वायरस सक्रिय करने हेतु फंसाने हेतु प्रयुक्त की जाती है।

17.17 बोध प्रश्न

(A) रिक्त स्थान की पूर्ति करें–

1. ....से आशय कूट लेखन अथवा अबोधगम्य बनाने की प्रक्रियायें है, जिससे कोई संदेश तांत्रिक (उद्देशित/लक्ष्यित) प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य न पढ़ सके।
2. .....एक व्यक्ति होता है जो सूचनाओं को कूट लिखित अवस्था में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है।
3. .....बिना अपनी पहचान बताये संदेश हस्तान्तरित करने की योग्यता
4. .....गूढ़लेखन एवं विगूढ़लेखन के लिये समान (एकल) कुंजी प्रयोग करते हैं।
5. ......फर्जी ई–मेल अथवा सामाजिक अभियांत्रिकी की सहायता से विशिष्ट व्यक्तियों यथा वरिष्ठ अधिशासी अथवा किसी संगठन के सदस्य को व्यक्तिगत सूचनायें प्रकट करने अथवा पहचान चोरी हेतु तैयार करने की युक्ति लगाना।

B. सत्य/असत्य

1. विगूढ़लेखन, गूढ़लेखन की विपरीत प्रक्रिया है। a. सत्य b. असत्य
2. साइंबर आतंकवाद का सम्बन्ध महेज एक देश की सीमाओं के अंतर्गत व्याप्त क्षेत्र से होता है। a. सत्य b. असत्य

C. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. गूढ़लेखित एवं कूट लेखन प्रारूप में रूपांतरित पाठ का लाभ हैं,
   (a) D.S. (b) कूट लेखित पाठ
   (c) GUID (d) SPIM
2. इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों के प्रयोग द्वारा अपना बचाव करने में अल्प सक्षम व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्पीड़न करने का कृत्य कहलाता है?
   (a) फिटिंग (b) क्रैकिंग

(c) साइंबर बुलियिंग (d) हैकिंग

3. निम्नलिखित में से मलवेयर का उदाहरण है?

(a) जाम्बी (b) इविल ट्विन

(c) मैक्रो–वायरस (d) स्क्रिय बैड्ज

4. प्रायः इन्वेण्ट्री ट्रैकिंग के लिये प्रयुक्त तथा यदि निष्क्रिय न किया जाये तो निजता का खतरा भी धारण करता है, ऐसे बारकोड्स का प्रतिस्थापन (स्थानापत्र) हैं,

(a) RFID (b) SET

(c) WEP (d) WPA

5. उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण की कौन सी विधि विविध तकनीकों यथा–वायरस रिकगिनेशन, रेटिनास्कैन तथा अंगुलि प्रतिमुद्रा (फिंगर प्रिटिंग) का प्रयोग करती है।

(a) डिजिटल हस्ताक्षर (b) ल प्रमाण पत्र

(c) बायो मेट्रिक अथेन्टीकेशन (d) ग्लोबल यूनिट आइडेंटीफायर

17.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

A.

1. पब्लिक की गूढ़लेखन 2. कूट लेखन 3. अनामता

4. सममितिय की गूढ़लेखन 5. छेदक (चुभती) फिशिंग

B.

1. सत्य 2. असत्य

C. 1. (b) 2. (c) 3. (c) 4. (a) 5. (c)

17.19 स्वपरख प्रश्न

1. गूढ़लेखन से आप क्या समझते हैं? साइबर अपराधों के नियंत्रण में गूढ़लेखन की क्या भूमिका है?
2. गूढ़लेखन की विभिन्न विधियां एवं तकनीकें क्या हैं? विस्तृत वर्णन कीजिए।
3. क्या गूढ़लेखन साइबर अपराधों को रोक सकता है? गुढ़लेखन की सीमितताएं बताईए।
4. साइबर अपराध के कारण क्या है? परम्परागत एवं साइबर अपराधों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
5. साइबर अपराध से सरंक्षण हेतु भारत में वैधानिक प्रावधान क्या है?
6. साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

17.20 संदर्भ पुस्तकें

1. Jayashankar K.K, Johnson Philip, “Cyber Law” Pacific books international, 2011

2. Goel Hemant, “Law and Emerging Technology Cyber law” Jain Book Depot, 2004
3. http://www.cidap.gov.in/documents/Cyber%20Crime.pdf
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Encryption
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_crime
6. Fadia Ankit, “Encryption” Vikas publisher, 2010.
7. Barkha, Ram Mohan, “Cyber Law and Crimes” Jain Book depot, 2011

इकाई–18 ई–शासन (गवर्नेंस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

इकाई की रूपरेखा

18.1 प्रस्तावना
18.2 ई–शासन का अर्थ एवं विशेषताएं
18.3 ई–शासन का अधिकार क्षेत्र
18.4 ई–शासन के लाभ
18.5 ई–शासन के उद्देश्य
18.6 ई–शासन के विभिन्न पहलू या दृष्टिकोण
18.7 ई–शासन के विभिन्न सोपान
18.8 भारत में ई–शासन हेतु रणनीतियाँ
18.9 भारत में ई–शासन की आधारभूत संरचना
18.10 सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम, 2000
18.10.1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विशेषताएँ
18.10.2 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के मुख्य प्रावधान
18.10.3 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत शास्तियाँ
18.10.4 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधित अधिनियम, 2008 की मुख्य विशेषताएं
18.11 साराँश
18.12 शब्दावली
18.13 बोध प्रश्न
18.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
18.15 स्वपरख प्रश्न
18.16 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- ई–शासन के अर्थ, विशेषताओं एवं उद्देश्यों की व्याख्या कर सकें ।
- ई–शासन के विभिन्न पहलुओं एवं इसके विस्तार क्षेत्र और लाभ की स्पष्ट व्याख्या कर सकें।
- भारत में ई–शासन के आधारिक ढाँचे की व्याख्या कर सकें ।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विस्तृत व्याख्या, इसकी विशेषता, मुख्य प्रावधान और शास्तियों का वर्णन कर सकें ।

18.1 प्रस्तावना

सरकार की प्रवीणता, पारदर्शिता एवं जबावदेही में बढ़ोतरी करने के लिये सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी अधिनियम के उपयोग की व्याख्या ई–गवर्नेंस द्वारा की जाती है। सामान्यतः किसी नागरिक या व्यवसाय के मध्य सामंजस्य सरकारी कार्यालय के सरकारी ऐजेन्सी का अहम स्थान होता है। सूचना और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव होने से सेवा केन्द्रों की स्थापना संभव हो पायी है यह केन्द्र नागरिकों के बहुत करीब होते है। भारत में, ई–गवर्नेंस उन स्थानों या क्षेत्रों में प्रभावशील होता

है जहां सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित विकास हो चुका हो और इसके माध्यम से सुशासन देने की पहल की जाती है। यह सरकारी तंत्र एवं सरकार की प्रकृति दोनों को ही बदलने का सुअवसर प्रदान करता है। इसका प्रभाव समस्त सरकारी कार्यों एवं निजी क्षेत्र की एजेन्सियों तथा सामान्य रूप से समाज पर भी पड़ता है। सूचना और ज्ञान के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्राकश डालना व्यर्थ ही होगा, भारतवर्ष के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुशासन प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सुशासन से तात्पर्य वांछित लक्ष्य की प्राप्ति एवं उचित मानदंडों एवं मूल्यों के साथ प्रदर्शन करने के लिये पर्याप्त क्षमता की एक प्रणाली के माध्यम से सुशासन प्रदान करना है। यह लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होने के नाते लोगों को बुनियादी सेवाएं देने में सक्षम होने के नाते और स्वास्थ एवं साफ कार्यवाहियों के लिये उत्तरदायी होने के नात एक बुनियादी समान सामाजिक आर्थिक और नैतिक अवसर प्रदान करने में सक्षमता के संबंध में एक सार है। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न संस्थाएं एवं प्रक्रियाएं दोनों ही लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों और उचित समय सीमा में सभी हितधारकों की सेवा करने की कोशिश करें।

18.2 ई–शासन का अर्थ एवं विशेषताएं

ई–शासन क्या है ?

ई–शासन सूचना और सेवाओं के वितरण में उधार के उद्देश्य से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग है साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना एवं सरकार को अधिक जब से पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना भी ई गवर्नेस का उद्देश्य है।

ई–शासन के लक्षण या विशेषताएं / परिणाम

- **गुणवत्ता पूर्ण सेवा की प्राप्तिः** नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं का एक विशिष्ट मापदंड (मानक) निश्चित होना चाहिये।
- **शिकायत निवारण** :– समय सीमा के भीतर ही शिकायतों का निपटारा किया जाना चाहिये।
- **प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि** :– नागरिकों के पास यह अधिकार होना चाहिये के वे सरकारी कार्योलयों /सेवाओं के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।
- **पारदर्शिता** :– निर्णय के क्षेत्र में पारदर्शिता होनी चाहिये एवं एक नागरिक को निर्णय तक पहूंचने वाले तक पहुंचने की स्वतंत्रता होनी चाहिये।
- **जबाबदेही** :– ई–शासन की समग्र वैधता को न्यायसंगत बनाने और सुनिश्चित करने के लिये शासन में सार्वजनिक विश्वास बनाये रखने हेतु जबावदेही आवश्यक है।
- **निर्णय लेने में लोगों की सक्रियता** : – स्थानीय विकास की निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने अवसर प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिये।

ई–शासन का उद्देश्य एकस्मार्ट (चतुर) सरकार प्रदान करना है। यहाँ स्माट से तात्पर्य सरल, नैतिक, जवाबदेह, जिम्मेदार, उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार से है।

– आई.सी.टी.के. उपयोग से शासन में सुगमता आती है। भारतीय

कम्प्यूटर तकनीक के प्रयोग इलेक्टानिकी दस्तावेजों, आनलाइन प्रस्तुतीकरण, आनलाइन सेवा प्रदायगी के माध्यम से किया जाता है।

M – इसका प्रयोग शासन में नैतिकता लाता है, रिश्वत, लालफीताशाही जैसी अनैतिकताओं की समाप्ति, करता है।

A – इसका प्रयोग सरकार को जवाबदेह बनाता है क्योंकि सरकार की सूचना एवं आंकड़े आन लाइन उपलब्ध रहते हैं जिन्हें प्रत्येक नागरिक देख सकता है, देश के गैर सरकारी संगठन और मीडिया के आंकड़े और सूचना से आन लाइन उपलब्ध रहती है।

R – प्रौद्योगिकी एक गैर जिम्मेदार सरकार को बदलने में मदद कर सकती है, जानकारी तक पहुँच में अधिक सुरक्षित नागरिक बनते हैं। और यही शक्तिशाली या आधिकारित नागरिक एक जिम्मेदार सरकार बनाते है।

" – विस्तृत नैतिकता, सूचनाओं की आन लाइन उपलब्धता, लालफीताशाही में कमी, होने से सुशासन पारदर्शी होता है और सरकार द्वारा किसी भी सूचना को नागरिकों से छुपाने हेतु होले स्थान ही नहीं रहता है।

18.3 ई–शासन का अधिकार क्षेत्र

शासन का तात्पर्य सरकार और नागरिकों, सरकार और व्यवसायियों एवं सरकार और सरकार के मध्य सूचनाओं के प्रवाह से है। ई–शासन के अन्तर्गत निम्नलिखित संबंध भी आते हैं:–

A – सरकार के नागरिक के साथ संबंध (जी टू सी)

B – नागरिक के सरकार से संबंध (सी.इ जी.)

C – सरकार से सरकार के संबध (जी टू जी)

D – सरकार के व्यवसाय से संबंध (जी टू बी)

A सरकार के नागरिक से संबंध : सरकार के नागरिक से संबंध ई–शासन का सर्वाधिक आधारभूत पहलू है। आधुनिक काल में सरकार एक नागरिक के जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करती है। नागरिक के सरकार के साथ संबंध जन्म से ही प्रारंभ हो जाते है और फिर उस नागरिक की मृत्यु के साथ ही समाप्त होते है। एक व्यक्ति अपने जीवन के हर मोड़ पर सरकार के साथ लेन देन करता है, फिर चाहे वह जन्म प्रमाण–पत्र हो, विवाह का पंजीकरण हो, तलाक हो या मृत्यु का पंजीकरण हो । सरकार के नागरिक के साथ संबंध में सरकार द्वारा नागरिक को दी जाने वाली सेवाएं भी सम्मिलित हैं इन सेवाओं के अन्तर्गत लोक उपयोगी सेवाएं जैसे – टेलि संचार, यातायात, डाक सेवा , चिकित्सकीय सेवाएं, विद्युत शिक्षा और नागरिकता से संबंधित कुछ घरेलू सेवाएं जैसे – प्रमाणीकरण, पंजीकरण, विज्ञप्ति, कराधान, पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि सेवाएं सम्मिलित हैं।

अतः ई–शासन के अन्तर्गत नागरिकों को सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाओं से विभूषित किया जाता और यह सब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग के कारण संभाव्य हो पाता है।

(1) **ई–नागरिकता** :– एक व्यक्ति को नागरिकता से संबंधित दी जाने वाली सरकार सेवाओं की सुविधा देने के लिये कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रभावशील होना ई–नागरिकता में सम्मिलित होगा । इसके अन्तर्गत राशनकार्ड, पासपोर्ट, निर्वाचन पत्र, पहचान पत्र इत्यादि के आनलाइन जारी करने एवं नवीनीकरण से संबंधित समस्त कार्य–विवरण आते है। सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि

वह प्रत्येक नागरिक हेतु एक पहचान पत्र जारी करे ताकि उनकी पहुँच आन लाइन सरकारी सेवाओं तक हो सके। इसी तरह नागरिकों के आंकड़े भी एकत्रित करने करने आवश्यक होंगे जो कि एक दुरूह कार्य है।

(2) **ई–रजिस्ट्रीकरण** :– ई–रजिस्ट्री के अन्तर्गत समस्त आनलाइन संविदाएं आती है। व्यक्ति अपनी जीवनकाल में विभिन्न संविदाएं या करार करता है। उनमें से बहुत सी संविदाएं या लेन–देन इस तरह के होते हैं कि उनके वैधता एवं प्रभावशील बनाने के लिय उनका पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। इस तरह के पंजीयन में भी भारतीय कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी विशेष सहयोग प्रदान करती है। ई–पंजीयन के प्रभाव में आने से बड़ी मात्रा में कागज के उपयोग में कमी आयेगी।

(3) **ई–यातायात** :– ई7यातायात सेवाओं के अन्तर्गत सड़क, रेल, जल या वायु के द्वारा होने वाले यातायात से संबंधित सरकारी सेवाओं का प्रभावशील होना आता है। यह सब आनलाइन किया जा सकेगा ।

- टिकिट की बुकिंग या निरस्तीकरण
- गाड़ियों की, रेल यातायात की, नावों और विमानों की सही जानकारी।
- गाड़ी चलाने हेतु जारी होने वाले लाइसेंस को जारी करना या पुर्न नवीनीकरण करना।
- गाड़ियों का पंजीयन या पुर्ननवीनीकरण
- गाड़ियों का अन्तरण ।
- लाइसेंस हेतु दी जानी वाली फीस की अदायगी ।
- गाड़ियों के पंजीयन हेतु दी जाने वाली फीस की अदायगी और कर का भुगतान।

(4) **ई–स्वास्थ्य** :– ई–स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिय सरकार आई.सी.टी. के माध्यम से सक्षम होगी। इस सुविधा के तहत समस्त चिकित्सालय आन्तरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जायेंगे। प्रत्येक रोगी की सारी जानकारियों के आकड़े एक ही जगह मिल जायेंगे। स्थानीय दवा विक्रेताओं की जानकारी भी एकत्रित करके एन डाटाबेस तैयार किया जा सकेगा।

(5) **ई–शिक्षा** :– आई.सी.टी. के प्रभाव में आने से शिक्षा का एवं कोर्स का क्रियान्वयन ई–शिक्षा के अन्तर्गत किया जा सकेकगा। दूरवर्ती शिक्षा की सुविधा एक कक्षा में, दी जाने वाली शिक्षा की भांति दी जा सकेगी। इंटरनेट के उपयोग से दूरवर्ती शिक्षा में लगने वाले समय में भी कमी आयेगी, इंटरनेट के माध्यम से आनलाइन शिक्षा दी जा सकेगी, एक क्लास लगायी जा सकेगी।

(6) **ई–सहायता** :– कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आपदा और संकट प्रबंधन की सुविधा ई–सहायता के अन्तर्गत आती है। इसके अन्तर्गत इंटरनेट, एस.एम.एस. आदि जैसी तकनीकों का उपयेाग सम्मिलित है। इस तकनीक के उपयोग से आपदा के समय लगने वाले समय में कमी आयेगी। आपदा की स्थितियों में गैर सरकारी संगठन सरकार की सहायता करते हैं। आपदाओं से संबंधित उपलब्ध आनलाइन जानकारी, चेतावनी एवं सहायता प्राप्ति में कम्प्यूटर तकनीक के प्रयोग से सरकार और गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्राप्त होगी और दोनेां अपने अपने कार्य में सामंजस्य बैठा पाने की स्थिति में होंगे, परिणामस्वरूप बचाव कार्यक्रम समय में और तेजी से होगा।

(7) **ई–कराधान** :– ई–करारोपण से कर प्रक्रिया में सुविधा प्राप्त होगी । कराधान प्रक्रिया आन लाइन होने के कारण बकाया कर राशि की जानकारी मिल सकेगी और फलस्वरूप आनलाइन कर का भुगतान करने से संव्यवहार में तेजी आयेगी।

(B) नागरिक के सरकार से संबंध :– इसके अन्तर्गत नागरिकों का सरकार से वार्तालाप आता है। किसी भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया जैसे मतदान, प्रचार–प्रसार, प्रतिक्रिया आदि की प्राप्ति इस संबंधों के अन्तर्गत आते हैं।

(1) **ई–प्रजातंत्र** :– लोकतांत्रिक और शासन प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता ही प्रजातंत्र की सही अवधारणा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज के इस दौर में प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की सतत् सहभागिता संभव नहीं है। कम्प्यूटर तकनीक के माध्यम से मतदान, लोकमत, प्रतिक्रियाए और सरकार की जवाबदेही जैसी प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है।

(2) **ई–प्रतिक्रिया**:– सरकार को प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से कम्प्यूटर तकनीक का उपयोग इस श्रेणी के अन्तर्गत आता है। सरकार द्वारा किये जाने वाले निर्णय की तीव्र प्रतीक्षा की जा रही है। कम्प्यूटर तकनीक के प्रयोग से सरकार की आन लाइन प्रतिक्रिया दी जा सकती है और सरकारी वाद–विवाद किया जा सकता है।

(C) सरकार के सरकार से संबंध :– इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य संबंध एवं दो या दो से अधिक सरकारी विभागों के मध्य संबंध भी इसमें सम्मिलित हैक्।

(1) **ई–प्रशासन** :– आन्तरिक और बाहरी सभी प्रकार के सरकार कार्यों के संपादन हेतु कम्प्यूटर तकनीक का प्रयेाग करना ई–प्रशासन के अनतर्गत आता है। कम्प्यूटर तकनीक के कार्यान्वयन से सरकार और सरकारी विभागों के मध्य लगने वाले संचार समय में कमी आती है है अर्थात समय नष्ट नहीं होता है इसके माध्यम से काफी हद तक कागजी कार्यवाही में कमी लायी जा सकती है यदि सही तरह से उपयेाग किया जाए । ई–प्रशासन के प्रभाव में आने के सरकारी विभागों के प्रशासन में नैतिकता एवं पारदर्शिता भी आयेगी।

(2) **ई–पुलिस** :– ई–पुलिस की अवधारणा सायबर पुलिस से थोड़ी अलग है। सायवर पुलिस में तकनीकी विशेषज्ञों जैसे इलेक्ट्रानिक विशेषज्ञ, सायबर अपराध के विशेषज्ञों आदि की आवश्यकता पड़ती है। जबकि ई–पुलिस के अन्तर्गत पुलिस विभाग में परीक्षण एवं प्रशासन के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिये कम्प्यूटर तकनीक का प्रयोग आता है। ई–पुलिस की अवधारणा के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों के आंकड़ों के आधार पर उनकी प्रदर्शन, आपराधिक आंकड़े जिनकी कस्टडी के दौरान आवश्यकता होती है, अपराध की प्रवृत्ति आदि आत हैं। पुलिस विभाग में लगने वाले समय में काफी हद तक कमी लायी जा सकती है यदि कम्प्यूटर तकनीक का उपयोग किया जाता है और साथी कागजी कार्यवाही में कमी आने से खर्चा भी कम हो सकता है।

(3) **ई–न्यायालय** :– न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान कम्प्यूटर तकनीक का प्रयोग ई–न्यायालय के अन्तर्गत आता है। इस तकनीक के माध्यम से दूर दराज के मामलों की भी सुनवायी की जा सकती है। आन–लाइन सम्मन और वारन्ट भेजे जा सकते हैं। तथा निर्णयों एवं डिक्रियों की प्रकाशन भी आन–लाइन किया जा सकता है।

(D) सरकार के व्यवसाय से संबंध :–

(1) **ई–कराधान** :– कार्पोरेट क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में करो, ड्यूटी एवं बकाया राशि का भुगतान केन्द्र सरकार को करता है। ई–करारोपण के द्वारा यदि इस तरह के करों का ड्यूटी का और बकाया राशि का भुगतान किया जाता है तो बहुत आसान हो जायेगा। आनलाइन कराधान एवं आनलाइन करों का भुगतान करने से समय एवं खर्चे में कमी आयेगी । कम्प्यूटर तकनीक के माध्यम

से हइस धोखाधड़ी के मामलों की पुनः जाँच पड़ताल कर उस पर लगाम कस सकते हैं ताकि आगे चलकर तारतम्यता एवं एकरूपता लायी जा सके और सरकार को उचित राशि प्राप्त हो सके।

(2) **ई–विज्ञप्तिकरण** :– कंपनियों को सरकार से विभिन्न प्रकार के लाइसेंस लेने होते है, और इसी प्रकार कंपनियों को विभिन्न पंजीकरण भी कराने होते हैं। कम्प्यूटर तकनीक के आगमन या प्रभावीकरण से विज्ञप्ति एवं पंजीकरण दोनों में लगने वाले व्यय एवं समय दोनों की ही बचत होगी।

(3) **ई–टेन्डर** :– आन लाइन टैन्डरिंग एवं आनलाइन खरीद की सुवधिाएं ई–टैन्डर के अन्तर्गत आती हैं। सरकार के साथ व्यवसाय के नये अवसरों की जानकारी इसके माध्यम से होगी एवं कार्य का बटवारा भी आन लाइन ही होगा । भौतिक रूप से टैन्डर व्यवसाय में लगने वाले समय की अपेक्षा आन लाइन टैन्डरिंग में समय एवं पैसा दोनों की बचत होगी।

18.4 ई–शासन के लाभ

ई–शासन से होने वाले लाभ निम्नलिखित है :–

(1) **गति** :– प्रौद्योगिकी संचार को तेजी प्रदान करता है। इंटरनेट, फोन, सैल फोन के चलन सामान्य संसूचना में लगने वाले समय में बहुत कमी ला दी है।

(2) **कीमत या मूल्य में कमी** :– सरकार का अधिकांश व्यय लेखन सामग्री पर की कीमतों पर होता है। कागज आधारित संप्रेक्षण या संसूचनाओं के आदान–प्रदान में बहुत अधिक मात्रा लेखन सामग्री, प्रिंटर, कम्प्यूटर आदि की आवश्यकता होती है। जिसकी वजह़ से व्यय बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। इंटरनेट एवं फोन से संसूचनाओं का आदान प्रदान सस्ता होता है एवं सरकार का कीमती धन भी बचता है।

(3) **पारदर्शिता** :– आई.सी.टी. का उपयोग सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाता है। सरकार की प्रत्येक जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होगी। नागरिक जब चाहें तब सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु यह तभी संभव हो सकेगा जब सरकार की प्रत्येक सचूना या जानकारी पर इटरनेट पर डाली जाये और जनता क लिये आसानी से उपलब्ध हो। वर्तमान सरकारी प्रक्रिया में आम जनता से बहुत सारी जानकारियाँ छुपाये जाने के बहुत से मार्ग है। आई.सी.टी. समस्त जानकारियों को आनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करता है जो कि जानकारी छुपाने की सारी संभावनाओं को समाप्त कर देता है।

(4) **जबावदेही** :– जब से सरकार सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है तभी सरकार अपने आप ही जबावदेह हो जाती है। सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायी होना ही जवाबदेही कहलाती है। यह सरकार की समस्त प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के लिये उत्तरदायी होता है। एक जवाबदेह सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है।

18.5 ई–शासन के उद्देश्य

ई–शासन के निम्नलिखित उद्देश्य या लक्ष्य हैः–

(1) **जागरूक समाज का निर्माण** :– समाज एक शक्तिशाली समाज होता हैं जागरूक लोग ही एक उत्तरदायी सरकार बना सकते हैं। अतः सरकार और लोक महत्व की समस्त प्रकारों की जानकारियों तक पहुंच पाना ही ई–शासन का मुख्य उद्देश्य है।

(2) **सरकार और नागरिकों (जनता) के मध्य पारस्परिक विचार – विमर्श को बढ़ावा देना:–** के मध्य बमुश्किल बातचीत होती है, नागरिकों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्रतिक्रिया की मात्रा बहुत नगण्य है। ई–शासन का लक्ष्य है प्रतिक्रिया हेतु ढाँचा । या आधार–स्तम्भ

तैयार करना ताकि लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। एवं जनता की समस्याओं के प्रति सरकार जागरूक रह सके।

(3) **नागरिकों की सहभागिता में वृद्धि करनाः–**सही प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता की आवश्यकता होती है। बढ़ती जनसंख्या ने प्रतिनिधि प्रजातंत्र को स्थान दिया जो कि सही अर्थों में प्रजातंत्र नहीं है। ई–शासन का लक्ष्य सरकारी प्रक्रियाओं में नागरिको के सहयोग में वृद्धि कर सही अर्थों में प्रजातंत्र को बचाये रखना है, इसी के साथ ही शासन का लक्ष्य है प्रतिक्रिया में सुधार करना, सस्त सूचनाओं तक पहुँच बढ़ाना और किसी भी मामले में निर्णयात्मक स्थिति के नागरिकों को पूरी तरीह से सहभागिता स्थापित करना।

(4) **सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना :–** ई–शासन का यह उद्देश्य है कि वह समस्त सरकारी आंकड़ों एवं सूचनाओं को आम आदमी की पहुंच तक उपलब्ध कराकर सरकारी काम काज में पारदर्शिता स्थापित करे। लोगों को सरकारी नीतियों एवं निर्णयों की जानकारी होनी चाहिये।

(5) **सरकार की जवाबदेही तय करनाः–** प्रत्येक सरकार अपने द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय एवं अपने द्वारा किये गये कार्यों के उत्तरदायी और जवाबदेह होती है। ई–शासन के उद्देश्य के माध्यम से सरकार अब भी उपेक्षा और अधिक जवाबदेह बन सकेगी और यह सब पारदर्शिता लाने के कारण एवं जनता के अधिक जागरूक होने के कारण संभव हो सकेगा।

(6) **शासन की लागत को कम करनाः–** ई शासन का उद्देश्य सरकार ,ारा सूचनाओं एवं सेवाओं के भौतिक वितरण पर होने वाले खर्च में कटौती करके सरकार की लागत को कम करना है। और यह जब लेखन सामग्री पर होने वाले व्यय में कमी करके संभव है। इसी प्रकार आमने–सामने उपस्थित होकर बातचीत करने के स्थान पर संसूचनाों का आदान प्रदान सैलफोन या लैंडलाइन फोन के जरिये करने के कारण लगने वाले समय में कमी होने के साथ–साथ लागत में भी कमी आती है।

(7) **सरकार की प्रतिक्रिया समाज को कम करनाः–** सामान्यतः लाल फीताशाही या अन्य किन्ही कारणों से सरकार जनता की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का उत्तर देने के आकि समय ले लेती है। ई–शासन का उद्देश्य है कि जनता द्वारा पूंछे गये प्रश्नों एवं समस्याओं की प्रतिक्रिया सरकार कम समय के अन्दर कर सके। यह समसयाएं या प्रश्न मूलतः सरकार की समस्याएं होती हैं क्योंकि सरकार लोगों के लिये ही है।

18.6 ई–शसन के विभिन्न पहलू या पक्ष

1. सूचना प्रबंधन
2. पहचान एवं अभिगम प्रबंधन
3. सामग्री प्रबंधन या प्रकरण प्रबंधन
4. मानक प्रबंधन
5. आईसीटी कानूनी ढाँचा

(1) **सूचना प्रबंधन :–** सरकार और सरकारी प्रक्रिया की समस्त सूचनाएं एक ही स्थान पर एकत्रित होने या रखने को सूचना प्रबंधन कहा जाता है। यह सूचनाओं की एक व्यवस्थित व्यवस्था या वर्गीकरण है। यदि सरकार की सूचना बिना किसी व्यवस्था या प्रबंधन के एक ही स्थान पर एकत्रित होती है तो सूचना प्राप्त करने वाले को सही सूचना की प्राप्ति होना बहुत ही कठिन होता। सूचनाओं को व्यवस्थित रखना ई–शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सूचना प्रबंधन कुछ बिन्दुओं पर बात करता है– जैसे सूचना कैसे दी जाए? क्या सूचना दी जाए ? सूचना किसे दी

जानी चाहिये ? सूचना कब दी जानी चाहिये ? सूचना कहाँ दी जायेगी ? और सूचना क्यों दी जानी चाहिये ?

सूचना प्रबंधन की प्रक्रिया को तीन पहलुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है– (1) आंकड़ा प्रबंधन, (2) सूचक प्रबंधन एवं (3) ज्ञान प्रबंधन । आंकड़ा प्रबंधन में कवेल आंकड़ों और जानकारी को एक ही स्थान पर संकलित और व्यवस्थित किया जाता है। सूचक प्रबंधन में सूचना से संबंधित मिलते जुलते शब्द, अकित कर, नाम पत्र, अर्थ एवं संदर्भों की सूचना का एकत्रीकरण सम्मिलित है। ज्ञान प्रबंधन के अन्तर्गत कर्मचारियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कौशल / सरकार के लाभ के लिये सरकार की प्रवीणता सम्मिलित है। सूचना प्रबंधन ई–कामर्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इसने अपनी महत्व ई–शासन में भी सिद्ध कर दिया है। सूचना प्रबंधन की सहायता से सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया एक ऐसे व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो एक कुशल या दक्ष एवं सामान्य लागत वाली प्रक्रिया के रूप में स्थापित हो जाता है। सूचना प्रबंधन का उद्देश्य लागत में कमी करना, कार्य प्रदर्शन को बेहत बनाना सरकार के उत्पादन एवं सेवाओं में अन्तर स्थापित करना, विशिष्ट /अतिविशिष्ट सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं नागरिक को केकन्द्र में रख कर काम करना है।

सूचना प्रबंधन के निम्नलिखित चरण है:–

- **एकत्रीकरण** :– सरकार की समस्त उपलब्ध सूचनाओं को एकत्र करना।
- **निर्माण करना** :– कोई ऐसी सूचना जो उपलब्ध नहीं हो या खो गयी हो या विलुप्त हो गयी हो, उसका निर्माण करना।
- **पहुँच** :– संग्रहीत सूचनाओं को आम जनता तक पहुँचाना।
- **वितरण** :– मांगी गयी आवश्यक जानकारी का आमजनता को वितरण ।
- **उपेक्षा करना** :– जो सूचना लोगों के लिये महत्वपूर्ण न हो उसकी उपेक्षा करना।
- **अलग रखना** :– उपेक्षित एवं बिना काम की जानकारी को अलग रखना।
- **अद्यतीकरण** :–सूचनाओं को लगातार अद्यतन करते रहना।
- **सुरक्षित रखना** :– आधुनिक तकनीक के माध्यम से सूचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना ताकि वह जरूरतमंद लोगों जो वास्तविक रूप में जानकारी चाहते हैं, उन तक पहुंच सके।

(2) **पहचान एवं अभिगम प्रबंधन** :– पहचान प्रबंधन ई–गवर्नेंस पोर्टल तक डिजिटल पहचान के उद्देश्य से एवं उनके निर्माण, रखरखाव एवं उपयोग के लिये प्रक्रियाओं एवं बुनियादी ढाँचे का एक सैट है। सुस्थापित पहचान प्रबंधन व्यवस्था हमें अभिगम प्रबंधन व्यवस्था तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। पहचान प्रबंधन व्यवस्था का उद्देय एक मापनीय, विस्तारणीय ओर सुरक्षित मानकों पर आधारित एक ढाँचा तैयार करना ताकि आंकड़ों की प्राप्ति एव संग्रहण दोनों हो सके।

अभिगमन प्रबंधन के अन्तर्गत आता है उपयोगकर्ता की पहचान का प्रमाणीकरण्का और सरकार एवं लोकोपयोगी सूचनाओं को आन लाइन उपलब्ध कराना। जनता तक सूचनाएं सुरक्षित पहुंचाने के लिये अभिगम प्रबंधन अत्यावश्यक है। सार्वजनिक जानकारी की आन–लाइन उपलबधता को समरक्षा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आनलाइन चोरी और बेवसाइट पर हैकिंग के माध्यम माध्यम से हमला होता रहता है। अन्य देशों के घुसपैठियों द्वारा सार्वजनिक सूचना की चोरी न हो जाए इस बात की सुरक्षा ई–शासन के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सूचनाएं होती हैं जिन तक केवल सरकार की ही पहुँच होनी चाहिये। अतः सूचनाओं की आनलाइन सुरक्षा

अत्यन्त आवश्यक है जिसे अभिगम प्रबंधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। और यह अभिगम प्रबंधन केवल तभी संभव होगा जब पहचान प्रबंधन व्यवस्था आनलाइन होगी और जिसका संचालन सफलता पूर्वक भलीभांति हो रहा होगा।

पहचान को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैः–

(1) नागरिक (2) नियोक्ता (3) ग्राहक (4) संगठन (5) अभिकरण (6) सहभागी इत्यादि ।

पहचान प्रबंधन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैः–

(अ) **नागरिक अनुरोध** :– पहला चरण है नागरिकों की पहचान के निर्माण हेतु अनुरोध करना। फार्म एवं दस्तावेज स्वयं जमा करके इस चरण की पूर्ति की जा सकती है।

(ब) **सत्यापन** :– दूसरा चरण है पहचान का सत्यापन करना और यह सत्यापन विभिन्न दस्तावेजों, फोटो पहचान पत्र इत्यादि का प्रतिपरीक्षण करके किया जा सकता है।

(स) **पहचानकर्ता का अभिहस्तांकन** :– सरकार द्वारा पहचान कर्ता प्रत्येक नागरिक को अभिहस्तांकित किया जाता है जो कि संख्यात्मक कभी हो सकता है या उपयोगकर्ता का नाम भी हो सकता है। ताकि पहचान की बहुतायत को रोका जा सके। आज आधुनिक तकनीकी विकास के युग में पहचान बायोमैट्रिक, डिजिटल प्रमाण पत्रों, स्मार्ट कार्ड आदि के रूप में हो सकती है।

(द) **पहचान भंडारण** / आंकड़ों के भंडारण में पहचान का संचयन :– जब एक बार किसी पहचानकर्ता को उपयोगर्ता का नाम या पासवर्ड निर्मित हो जाता है, तो उसकी पहचान का संचयन पहचान भंडारण में हो जाता है।

अभिगम् प्रबंधन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैः–

(अ) **अभिप्रमाणन** :– जब कभी भी उपयोगकर्ता आन लाइन पोर्टल खोलना चाहेगा तो पंजीकरण के समय प्राप्त एक विशेष पहचान के माध्यम से ही वह पोर्टल खोल सकेगा। उपयोग कर्ता द्वारा अपना नाम और पासवर्ड डालने के पश्चात् या किसी अन्य अभिप्रमाणन प्रक्रिया जैसे बायोमैट्रिक, डिजिटल प्रमाण–पत्र आदि का उपयोग करने के बाद जैसे पोर्टल खुलता है तो इस तरह पोर्टल का खुलना अभिप्रमाणन कहलाता है।

(ब) **प्राधिकरण या अनुज्ञा** :– उपयोगकर्ता की अनुज्ञा उसके प्रकार या प्रकृति पर निर्भर करती है। उपयोग करने वाला प्रशासक, प्रबंधक, लेखक, निर्माता इत्यादि कुछ भी हो सकता है। केवल उपयोगकर्ता ही सूचना को प्राप्त कर सकता है। प्रशासक सूचना बदलने हेतु प्राधिकृत है।

(स) **पहुँच नियंत्रण** :– यह उपयोगकर्ता के अभिप्रमाणन पर आधारित होता है, उसके विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्राप्त करने पर नियंत्रण लगायाक जा सकता है। यह भी उपयोगकर्ता के प्रकार जैसे प्रशासक, आदि पर निर्भर करेकगा कि वह किस प्रकार का उपयोग कर्ता है।

लेखांकन एवं प्रतिवेदन :– उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी पर, उनकी अधिकारिता पर एवं उनके अधिकारो पर नज़र रखना लेखा एवं प्रतिवेदन के अन्तर्गत आता है। यह सुरक्षात्मक दृष्टि से सहायक होता है ओर इससे सारी जानकारियां भी सुरक्षित रहती है।

पहचान एवं अभिगम प्रबंधन से होने वाले फायदे / लाभ

(ए) प्रतिलिपि पहचान के संग्रहण की समाप्ति

(बी) आकड़ों के मानकीकरण के प्रवर्तन के द्वारा अनुप्रयोगों की अन्तः कियाशीलता।

(सी) एकल संकेतक

(डी) सुरक्षित अभिगम (प्रवेश)

(इ) अनाधिकृत प्रवेश को रोकना

(एफ.) नागरिक भागीदारी में वृद्धि
(जी.) सरकारी सेवाओं के के प्रदर्श में सुधार
(एच) सेवा वितरण में सुधार
(आई) चौबीसों घंटे और सातों दिन सरकारी सेवाओं की उपलब्धता ।

(3) **सामग्री प्रबंधन** :– इंटरनेट द्वारा बेबसाइट के माध्यम से सत्यता या आंकड़ों की व्यवस्था, वितरण और नज़र रखने की प्रक्रिया को सामग्री प्रबंधन कहा जाता है। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता अधिक ज्ञान प्रापत करता है और आन लाइन सही जानकारी उसे तुरन्त प्राप्त हो जाती है। इसके अन्तर्गत सही व्यक्ति को उचित समय में उचित जानकारी प्राप्त होती है।

वेबसाइट की सामग्री को इस प्रकार बांटा जा सकता हैः– लिखित संदेश, ग्राफिक्स, श्रव्य, दृश्य, चित्रांकन, लिंक इत्यादि । इन विभिन्न प्रकार की सामग्री का रखरखाव या व्यवस्था अत्यनत दुरूह कार्य है। यह निश्चित करना आवश्यक है कि कहाँ लिखित से देश का उपयेाग होगा और कहाँ चित्रों का और कहाँ ग्राफिक्स का।

सामग्री प्रबंधन में निम्नलिखित भी शामिल हैः–

(ए) **वेब आधारित प्रकाशन** :– वेबपेज दस्तावेजों, चार्ट ग्राफ, इत्यादि का वेबसाइट पर आन लाइन प्रकाशन ।
(बी) **प्रारूप प्रबंधन** :– वेबपेज, लिखित से देश, ग्राफिक्स दृश्य , श्रव्य वीडियो के लिये एक निश्चित प्रारूप पर काम करना।
(सी) **संशोधन पुनरीक्षण** :– सूचना का सतत् सुधार करते हुये अद्यतन रहना इसके अन्तर्गत आता है।
(डी) **अनुक्रमण या सूचीबद्ध करता** :– ऐसे विषयों एवं विषयवस्तु की सूची बनाना जिनकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
(इ) **जाँच** :– उपयेागकर्ता जिस आंकडे का प्रयोग करना चाहता हैउसकी जांच पड़ताल की सुविधा प्रदान करना।

<u>सामग्री प्रबंधन का उद्देश्यः–</u>

(ए) सही विवरण (तथ्यों) उचित व्यक्ति को यथोचित समय में संसूचित करना।
(बी) यह सुनिश्चितता प्रदान करना कि सामग्री आवश्यकता पर आधारित है, सुसंगत है, अद्यतन है एवं विशुद्ध जानकारी है।
(सी) सामग्री को नकल से बचाना।

<u>सामग्री प्रबंधन की आवश्यकता :–</u>

(ए) केन्द्रीयकृत भंडारण :– समस्त सूचनाओं का भंडारण केन्द्रीयकृत होना चाहिये, ताकि आसानी से प्राप्ति हो सके और नेटवर्किंग एवं लेखा जोखा में होने वाली विषमताओं से बचा सके।
(बी) सामग्री की समीक्षा एवं प्रमाणीकरण :–

वेबसाइट पर उपलब्ध विषय सामग्री की सतत् समीक्षा होनी चाहिये एवं उसका प्रमाणीकरण भी होना चाहिये ताकि वेबसाइड पर उपलब्ध तथ्यों की प्रमाणिकता को बरकरार रखा जा सके। वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य जानकारियों या संबंधित विषय वस्तु के साथ भी ऐसी ही सतर्कता अपनायी जानी चाहिये।

(सी) अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा तथ्यों का उपयोग :– जब तक कि उपयोगकर्ता वेबसाइट पर प्रकाशित तथ्यों तक पहुंच नहीं जाता, तब तक पूरा प्रयास व्यर्थ नहीं होता है।

(4) **मानक प्रबंधन :–**

कम्प्यूटर तकनीक ई–प्रशासन प्राप्त करने के कई तरीके प्रदान करता है। वेबपेज, विषय सामग्री, ग्राफ, श्रव्य एवं दश्य आदि बहुत सारे प्रारूप है। जैसा कि वेबसाइट में एक रूपता नहीं देखी जा रही है। तकनीकों, चाहे वह मूल हों या आधुनिक सभी के विभिन्न स्तर है। ई–शासन के लिये बुनियादी तकनीकें पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि कुद संवेदनशील जानकारियाँ इससे संबंधित रहती है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर मूलभूत तकनीकें पर्याप्त नहीं है। अतः ई–शासन वेबसाइट को मानकों का निर्धारण करना होगा। मानक प्रबंधन के अन्तर्गत निम्नलिखित पहलू भी आते हैं :–

(1) नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा मानक
(2) आधार सामग्री एवं आंकड़ों के मानक
(3) स्थानीय करण एवं भाषा तकनीक
(4) गुणवत्ता और दसतवेज मानक

18.7 ई–शासन के विभिन्न सोपान

संयुक्त राष्ट्र संघ का ई–तयारी सर्वेक्षण दुनिया भर में सरकारोकं की आन–लाइन उपस्थिति के रूप में शासन के निम्नलिखित चरणों पर विचार करता हैः–

(1) **उभरती उपस्थिति** :– पहले चरण अर्थात उभरती परिस्थिति के अन्तर्गत जानकारी की मूलभूत एवं सीमित उपलब्धता आती है। ई–शासन की आनलाइन बुनियादी उपस्थिति के अन्तर्गत सरकारी बेबसाइट और कुछ वेबपेज मंत्रियों एवं सरकारी विभागों के कुछ लिंक, आदि सम्मिलित है, क्षेत्रीय या स्थानीय सरकार के लिंक इसमें शामिल होक भी सकते हैं और नहीं भी। इस चरण के अन्तर्गत बेबसाइट में कुछ संग्रहीत जानकारी जैसे सरकार के मुखिया क`संदेश या संविधान सम्मिलित है। हालांकि इस स्तर पर अधिकांश जानकारी नागरिकों के लिये कोई विकल्प होने के कारा स्थायी बनी हुई है।

(2) **विस्तृत उपस्थिति** :– संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राप्त जानकारी के अन्तर्गत दूसरे चरण पर आती है, सरकार की आनलाइन विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। इस स्तर पर सरकार जानकारी के अधिकाधिक संसाधन जैसे सरकारी नीतियों, नियमों, कानूनों, प्रतिवेदन समाचार पत्र आदि उपलब्ध कराती है। इस स्तर पर समसत जानकारियों का अधोभारण (डाउनलोड) किया जा सकता है। इस चरण के अन्तर्गत उपयोगकर्ता आनलाइन उपलब्ध दस्तावेजों के अन्तर्गत विभिन्न जानकारियों की खेज कर सकता है। वेबसाइट तक पहुंच सुगम बनाने हेतु एक उस स्थान का एक नक्शा और सहायक तथ्यों का भी समावेश किया जाता है। यद्यपि कि इस चरण के अन्तर्गत बहुत सारे दस्तावेज आन लाइन उपलब्ध होते है किन्तु बेबसाइट तक पहुंच पाना इतना असान नहीं होता है। ओर यह दिशाहीन होता है। इस चरण में कोई अंतः क्रियाशीलता नहीं होती है क्योंकि जानकारी नागरिकों से सरकार की अपेक्षा इसका झुकाव नागरिकों की ओर ही होता है।

(3) **परस्पर संवादात्मक उपस्थितिः–** परस्पर संवादात्मक उपस्थिति या तीसरा चरण सरकार को उनकी वेबसाइटों अंतः क्रियाशीलता शुरू करने पर विचार करता है। ग्राहक या उपभोक्ता को सरकार की आनलाइन सेवाओं की सुविधाजनक उपलब्धता इसमें सम्मिलित है। साथ ही डाउन लोड होने योग्य फार्म और बिलों, करो एवं अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण है तो दिये जाने वाले भुगतान हेतु आवेदन इसके अन्तर्गत आते है। इस चरण के अन्तर्गत नागरिकों के साथ दृश्य श्रृव्य क्षमताओं वाली

सरकारी वेबसाइट में वृद्धि हुई है ताकि नागरिकों के साथ पारस्परिकता को बढ़ावा मिले। इस सतर सरकारी अधिकारी ईमेल, फैक्स, टेलीफोन और डाक के माध्यम से संपर्क कर पायेंगे । वेबसाइट का को नियमित यप से अद्यतन किया जायेगा ताकि ताजा जानकारी प्राप्त हो सके एवं जनता जागरूक रहे।

(4) **लेन–देन की उपस्थिति :–** चरण 4 अथर्कात लेनदेन की उपस्थिति नागरिकों ओर सरकार के मध्य दो प्रकार की बातचीत की अनुमूति देता है। इसके अन्तर्गत कर अदायगी पहचान पत्र हेतु आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, अनुज्ञप्ति नवीनीकरण एवं अनय इसी प्रकार के नागरिकों के सरकार से परस्पर संवाद आते हैं, इन सभी के माध्यम से नागरिक चौबीस घंटे एवं सातों दिन अपने फार्म या आवेदन जमा कर सकते हैं। इस स्तर पर नागरिक संबंधित सार्वजनिक सेवाओं के लिये भुगतान करने योग्य हो सकेंगे, वैसे मोटरयान उल्लघन, कर, क्रेडिट कार्ड, बैंक या डेबिट कार्ड के माध्यम से डाक सेवाओं हेतु फीस की अदायगी कर सकेंगे। एक सुरक्षित लिंक के माध्यम से सार्वजनिक संबंधों के लिये आन लाइन बोली भी लगायी जा सकेगी । इस तरह की बोली वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने वाले लगा सकेंगे।

(5) **नेटवर्क उपस्थिति :–** संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण के अनुसार पांचवे चरा पर आता है नेटवर्क उपस्थिति या उपलब्धता, जो कि आनलाइन ई–शासन द्वारा की गयी पहल का सबसे सरल और आसान तरीका है। इसे सरकार का सरकार कोक, सरकार का नागरिक को एवं नागरिक का सरकार के मध्य संवाद के नाम से जाना जा सकता है। इस स्तर पर सरकार नागरिकों के योगदान आन लाइन सहयोगात्मक रवैया एवं द्विपक्षीय स्वतंत्र वार्ता की सराहना कर ली है। वेब टिप्पणी ुार्म एवं आन लाइन नवीन परामर्श देने वाले तंत्र जैसे परस्पर संवादात्मक विशेषताओं के माध्यम से, सरकार, सार्वजनिक नीतियों, विधि निर्माण एवं लोकतंत्रात्मक सहयोगात्मक निर्णय लेने में नागरिकों के विचार आमंत्रति करती है। ई–शासन के इस चरण में जनसांख्यिकीय अधिकार के रूप में सामूहिक निर्णय लेने, भागीदारी लोकतंत्र और नागरिक सशक्तिकरण की अवधारणा के पूर्ण सहयोग और समझ के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों का एकीकरण शुरू किया गया है।

18.8 भारत में ई–शासन हेतु रणनतियाँ

1. **सम्पूर्ण भारत में तकनीकी आधारभूत संरचना /ढाँचे का निर्माण :–** भारत में ई–शासन के कार्यान्वयन के लिये एक पूर्णरूपेण कम्प्यूटर तकनीकी ढाँचे की कमी है। भारत में ई–शासन का पूर्णतया कार्यान्वयन के अन्तर्गत हार्डवेयर तकनीक एवं साफ्टवेयर आधारभूत ढाँचा सम्मिलित है। उत्तम एवं तीव्र संयोजकता का विकल्प भी इसमें शामिल है। संयोजकता के नये विकल्प में उच्चगति डाटा संचरण तकनीक (ब्राडबैंड) और तेजगति के तारविहीन नेटवर्क जैसे 3 जी एवं 4 जी नेटवर्क आदि भी सम्मिलित है।

आधारभूत संरचना सरकार द्वारा, निजी क्षेत्रों और व्यक्तिगत तौर पर तैयार किया जाना चाहिये। आधारभूति ढाँचे के अन्तर्गत इंटरनेट कैफे, जानकारी और परस्पर संवाद करवाने वाले कियोस्क आते हैं। आधारभूत ढाँचा तैयार करते समय असमर्थ (अक्षम) लोगों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये । यदि तकनीक लागू हो जाती है तो उसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल होंगे ।

(2) **संस्थागत क्षमता का निर्माण करना :–** तकनीकी ढाँचे के अलावा, सरकार को संस्थागत क्षमता का निर्माण करना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण विशेषज्ञों की नियुक्ति आती हैं सरकार के साथ–साथ एक निपुण या प्रवीण डाटावेस की आवश्यकता होगी ताकि

बौद्धिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सके । इसके साथ–साथ सरकार को सभी विभागों को उच्च तकनीक से परिपूर्ण करना होगा साथ ही एक विशेष जाँच एजेंसी भी स्थापित करनी होगी।

(3) **कानूनी आधारभूत संरचना का निर्माण** :– ई–शासन को प्रभावी बनाने के लिये एक अच्छी सरकार को ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता होगी जिनका ससमामेलन पुरानी स्थापित तकनीक के साथ–साथ नयी उभरती हुई तकनीक के साथ भी हो जाए। बदलती हुई तकनीक में पूर्व–स्थापित विचारेां को बदल दिया है। तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है और विकसित भी हो रही है। यह महत्वपूण्र है कि सरकार द्वारा जो भी नियम या कानून बनाए जाए उनका समामेलन नयी तकनीक के साथ हो एवं भविष्य की बदलती हुयी तकनीक के साथ भी समुचित से ससबंधित विधि थोड़ी लचीली होनी चाहिये। ताकि तेजी से बदलती हुई तकनीक के साथ सामंजस्य बैठा सके। वर्तमान में भारत में कवेल एक ही कानून है वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 जो कि मुख्यतः ई–शासन का विधायन है। भारत में बहु सारे कानूनों में सुधार करके इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को शामिल किया गया है, फिर भी ई–शासन इसमें पूरी तरह सम्मिलित नहीं हो पाया है।

(4) **न्यायिक ढाँचे का निर्माण** :– वर्तमान न्यायाधीशों में तकनीकी जागरूकता का अभाव है। पूरी न्यायिक व्यवस्था को नयी तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करके उससे होने वाले लाभ ओर हानि के विषय में जानकारी प्राप्त कर ने की आवश्यकता है । साथ ही इसके विभिन्न उपयोगों के बारे में भी जानना आवश्यक है। न्यायालय नये न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है और भारतीय कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों का गठन कर सकता है। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये सरकार विशेष न्यायाधिकरणों की भी स्थापना कर सकती है।

(5) **समस्त जानकारी को आनलाइन उपलब्ध कराना**:– सरकार को वेबसाइट के माध्यम से सारी जानकारियों को आनलाइन उपलब्ध कराना होता है। इस प्रकार की सुविधा जानकारी के केन्द्रीयकृत भंडारण विषय की स्थानीयकरण एवं विषय वस्तु प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त होती है। सरकारी जानकारी सार्वजनिक होती है अतः प्रत्येक नागरिक को हर जानकारी के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है । क्योंकि आखिरकार लोगों के द्वारा लोगों और लोगों के लिये ही सरकार का निर्माण होता है।

(6) **ई–शासन को लोकप्रिय बनाने हेतु** :– भारत में शिक्षितों का प्रतिशत चौका देने वाला है। पूरा विश्व ही ई–शासन की ओर भाग रहा है किन्तु भारत में शिक्षा विभाग में अब भी बहुत कमी है। ई–शासन को सुशासित चलने के लिये लोगों को कम्प्यूटर शिक्षित होना अत्यावश्यक है। भारत में लोगों की ई–शिक्षा का दर बहुत धीमा है। सरकार को ई–शासन के लिये मुहिम चलाने की आवश्यकता है, साथ ही ई–शासन हेतु लोगों की जागरूकता में बढ़ोत्तरी होना अत्यावश्यक है। सरकार ई–शासन के लिये केवल लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है ताकि लोग ई–शासन को लेकर सहज हो जाएं । और यह सब लोगों का ई–शासन से होन वाले लाभों के बारे में बता कर किया जा सकता है। नेताओं की जागरूकता भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है क्योंकि नेता ही लोगों को आनलाइन करने हेतु प्रेरित कर सकते है।

(7) **केन्द्र राज्य भागीदारी** :– भारतीय व्यवस्था संघात्मक सदृश है। अतः प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के कार्यान्वयन केक लिये केन्द्र राज्य एवं अन्तर्राज्यीय सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। ई–शासन के सफलतम रूप से प्रभाव में लाने के लिये भी सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। यह सहयोग केन्द्र राज्य, अन्तर्राज्य एवं अर्न्तविभागीय संबंधों तक विस्तृत होगा। इसी प्रकार सरकार एक केन्द्रीय स्थल जैसे

भारत सरकार का पोर्टल की स्थापना कर सकती है, ताकि सभी सरकारी अंगों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके, तथा साथ ही राज्य सरकार के भी सभी अंगों की सारी जानकारी तक पहुंच आसान बन सके। राष्ट्रीय नागरिक लेखा जोखा (आंकड़े) के निर्माण हेतु राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की सहायक हो सकती है।

(8) **मानक स्थापित करनाः–** गुणवत्तापूर्ण ई–शासन की स्थापना के लिये विभिन्न मानकों का निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है तथा निजी व्यावसायिक क्षेत्रों के कार्यों के निष्पादन स्तर हेतु भी मानक का निर्धारण आवश्यक हैं वर्तमान में भारत सरकार मानक प्रबंधन के आधार पर कार्य कर रही है ओर इस हेतु बहुत सारे आलेख बनाये गये हैं। इन मानकों में निम्नलिखित सम्मिलित है :7 अंतर संचालन मानक, सुरक्षका मानक, तकनीकी मानक, गुणवत्ता मानक आदि । भारत में सरकारी वेबसाइटों का कोई समान या मानकों में एकरूपता नहीं हैं यहाँ तक कि महाराष्ट्र की विभिन्न वेबसाइटों में उपलब्ध दो वेबपेजों के मानक अलग–अलग हैं। जानकारी की गुणवत्ता, दस्तावेज या प्रारूप की गुणवत्ता के कोई निश्चित मानक नहीं हैं। अतः सरकार द्वारा समान राष्ट्रीय मानको की स्थापना करना अत्यनत महत्वपूर्ण है जिनका अनुसरण सभी सरकारों एवं एजेन्सियों द्वारा किया जा सके।

18.9 भारत में ई–शासन ढाँचा (संरचना)

- राज्य वार क्षेत्रीय नेटवर्क :
- राज्य विवरण केन्द्र
- राज्य एस.डी.जी. (राष्ट्रीय ई–शासन सेवा वितरण मार्ग)
- सामान्य सेवा केन्द्र

1. <u>राज्य वार क्षेत्रीय नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.)</u>

विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क एक उन्नत दूरसंचार बुनियादी ढाँचा है, जिसका आजकल आंकड़ों के आदान प्रदान के लिये एवं दो या दो से अधिक स्थानों के मध्य अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिसे, बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है और महत्वपूर्ण भौगोलिक दूरी कम हो गयी है। संयोजकता का माध्यम ताँबे ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस हो सकता है जैसा भी संभव हो सके। ऐसे विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क, दश्य, श्रृव्य और विवरण के रूप में जानकारियों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिये एक राजमार्ग बनाते हैं। भारत के सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्यवार क्षेत्रीय नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.) नामक एक अनुमोदित योजना केन्द्र शासित प्रदेश की परिकल्पना की गयी, ताकि सरकारी कार्य करने के लिये सरकार की समग्र प्रणाली में गति, दक्षता, विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व लायाज ा सके। पूरी तरह कार्योन्वित होने पर एस.डब्ल्यू.ए.एन. प्रत्येक राज्य में दृश्य, श्रृव्य और डेटा संचार के लिये एकजुट संग्रहीत नेटवर्क के रूप में प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र प्राशासित प्रदेश में काम करेगा। एस.डब्ल्यू.ए.एन. को सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के विभागों की प्रशासनिक जानकारी और संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डिजायन तैयार किया गया है। पूरी तरह कार्यान्वित होने पर, देश भर में एस.डब्ल्यू.ए.एन. के कम से कम 50000 विभागीय कार्यालयों को संचार लिंक के दस लाख मार्ग किलोमीटर के माध्यम से कवर करने की उम्मीद है।

राज्यवार क्षेत्र नेटवर्क योजना :– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने माच्र 2005 में एस.डब्ल्यू.ए.एन. योजना केक लिये लगभग 3334 करोड़ रूपये की सरकारी मंजूरी प्राप्त की। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पांच वर्षों में इस परिव्यय को पाँच करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है। इस योजना में राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों का 1329 करोड़ रूपये की शेष राशि का हिस्सा है, जिसका प्रावधान अतिरिक्त

केन्द्रीय सहायता के व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है। स्वान योजना के तहत, विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क को 27 राज्यों एवं 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है। गोवा एवं अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क लागू किया गया है इसमें स्वान योजना शामिल नहीं है। स्वामा योजना 33 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में पूरे जोरों पर है।

2. राज्य डेटा केन्द्र :–

राष्ट्रीय ई–शासन योजना के ई–शासन पहल को समर्थन देने के लिये राज्य डेटा केन्द्र को मूल आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में चिन्हित किया गया है।

राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत राज्यों को सेवाएं देने, आवेदन लेने एवं सरकार द्वारा सरकार को सरकार द्वारा नागरिक को योग्य इलेक्ट्रानिक प्रदायगी हेतु आधारभूत ढाँचा तैयार करने हेतु राज्य डेटा केन्द्र स्थापित करने की प्रस्तावना है। राज्य सरकार इन सेवाओं का लाभ सामान्य प्रदाय केन्द्र जिसे राज्यवार क्षेत्रीय नेटवर्क एवं सामान्य सेवा केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त हो, ग्रामीण स्तर तक विस्तार करके ले सकता है। राज्य ब्यौरा केन्द्र बहुत सारे क्रियाकलापों की सुविधा देता है एवं उनमें से कुछ कार्यशीलताएं राज्य की केन्द्रीय भंडारण, सुरक्षित विवरण भंडारण, सेवाओं का आनलाइन वितरण, नागरिक सूचना पोर्टल, राज्य इंटरनेट पोर्टल, आपदा वसूली, दूरस्थ प्रबंधन और सेवा सूचना इत्यादि है। राज्य विकास समितियाँ भी बेहतर संचालन और प्रबंध नियंत्रण और विवरण प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन प्रबंधन, परिनियोजन एवं अन्य लागत उपलब्ध कराती है।

इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य विवरण केन्द्र स्थापित करने के लिये राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये दिशा निर्देश तैयार किये हैं। इन दिशा –निर्देशों में कार्यान्वयन विकल्प भी सम्मिलित है जिसका उपयोग राज्यों द्वारा राज्य विकास समिति स्थापित करने हेतु किया जाता है।

राज्य विकास समिति योजना को सरकार पाँच वर्षों के लिये 1623.20 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया है। यह आशा की जाती है कि मार्च 2011 तक सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य विवरण केन्द्रों की स्थापना की जा सकेगी।

3. राष्ट्रीय ई–शासन सेवा प्रदाय मार्ग एन.एस.डी.जी.:

राष्ट्रीय ई–शासन सेवा प्रदाय मार्ग, राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत एक एकीकृत बहुसाधन कार्यक्रम है, जो मानक आधारित संदेशों के माध्यम से उपरोक्त कार्य को सुगत बना सकता है । एवं निर्बाध अंतः क्रियाशीलता प्रदान करेगा तथा समस्त विभागों में विवरण या ब्यौरे का आदान प्रदान भी सुगत हो सकेगा। एन.एस.डी.जी. एक तंत्रिका केन्द्र (तंत्र) के रूप में कार्य कर रहा है, और सरकार के सभी लेन देन को मुद्रित करने के लिये बड़ी संख्या में लेन देन और समय को संभालेगा।

सरकार को राष्ट्रीय ई–शासन योजना के दृष्टिकोण को समझने के लिये, यह आवश्यक है कि केन्द्र, राज्यों और स्थानीय सरकार के सभी विभाग विभिन्न स्तरों, शासन–क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में सहयोग, सहायता करेंगे, ताकि समस्त जानकारी एकीकृत रूप से सभी के पास तक पहुंच सके। विभिन्न प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकीयों का उपयोग करके विरासत प्रणालियों के द्वीप के द्वारा विशेष सरकारी प्रणालियों और विभिन्न भौगोलिक स्थानों में फैले हुये, स्वचालन की अलग–अलग स्थिति में इस कार्य को बहुत चुनौती पूर्ण बनाते हैं। राष्ट्रीय– ई–शासन सेवा प्रदाय मार्ग (एन.एस. डी.जी.) राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत आने वाला बहुत आयामी योजना, के माध्यम से इस

विशेष कार्य को सरलतापूर्वक किया जा सकता है जो कि मानक आधारित संदेशों एवं एकरूप अन्तःकियाशीलता और विवरण के विनिमय से ही संभव है।

राष्ट्रीय ई–शासन सेवा प्रदाय मार्ग का दृष्टिकोण :–

नागरिकों को आनलाइन सेवाएं एवं व्यापार देने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा ई–शासन आवेदन प्राप्त होने पर सरकार केक लिये यह आवश्यक होगा कि वह विभिन्न विभागों एवं सरकारों के विभिन्न स्तरों पर बाह!य एजेन्सियों के मध्य सामंजस्य बनाये। विभागों के बीच एक पुल का कार्य करना है ताकि विभागों के बीच संबंधों को इंगित करने के लिये बिन्दुवार विकास हो सके। इससे उन अनुप्रयोगों का नेतृत्व होगा जिनका संस्करण परिवर्तन और सरकारी नीतियों और व्यावसायिक नियमों में बदलाव के मामले बनाये रखना और उन्नयन करना थोड़ा कठिन है। राष्ट्रीय ई–शासन सेवा प्रदाय मार्ग विभागों के बीच संबंधों को इंगित करने के लिये इस तरह के बिंदुओं को कम करने का प्रयास है और एक मानक अन्तर्मुख, संदेश, मार्ग प्रशस्त करता है जिसके माध्यम से विभाग सामने से सेवा प्रदायताओं और पीछे से सेवा प्रदायताओं तक अपने अनुप्रयोगों एवं विवरण को अन्तः क्रियाशील बना सकते है। एन.एस.डी.जी. का लक्ष्य ई–शासन मानकों के ढांचे के आधार पर सरकार की स्वायत्त ओर विषम संस्थाओं के बीच अन्तः क्रियाशीलता का एक उच्च क्रम प्राप्त करना है। यह छवि या चित्रण सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से सुलभ नहीं है । उपयोगकर्ता की जानकारी के लिये उस छवि या चित्रण का शीर्षक है 'एन.एस.डी.जी. का दृष्टिकोण, 'अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें डी.आई. वेबमास्टर से ।

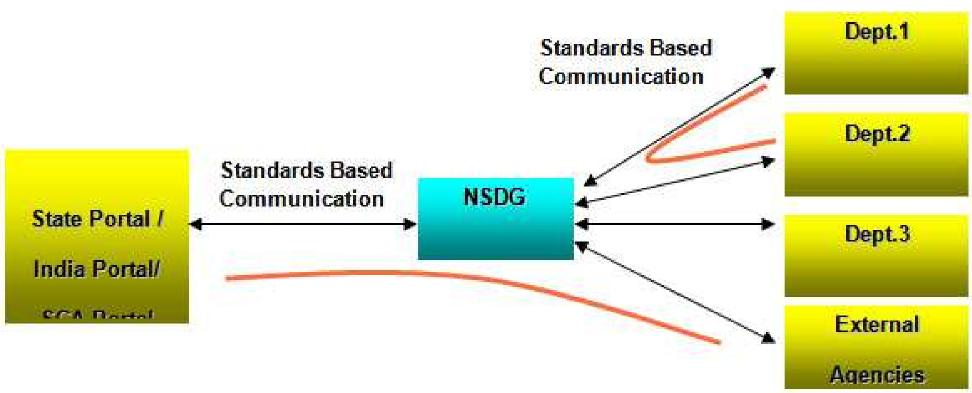

4. सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.):–

सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) राष्ट्रीय ई–शासन योजना की रणनीतिक आधारशिला है, एक बड़े पैमान पर ई–शासन प्रारंभ करने के लिये राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धता के रूप में काम करने वाला है।

सामान्य सेवा केन्द्र उच्चगुणवत्ता पूर्ण एवं कीमत के मामले में भी प्रभावकारी दृश्य, श्रृव्य एवं विवरण सामग्री भी गुणवत्ता पूर्ण होगी । ई–शासन शिक्षा, स्वास्थ्य, सूदर मनोरंजन जैसी निजी सेवाओं के क्षेत्रों में भी सामानय सेवा केन्द्र अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देगा । सामान्य सेवा केन्द्र का मुख्य आकर्षण यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वेब–परिपूर्ण ई–शासन सेवा से प्राप्त हो सकेंगी । इसके साथ ही आवेदन पत्र प्रमाण–पत्रों और उपयोगी भुगतान जैसे बिजली , टेलिफोन और पानी के बिल का भुगतान भी इस केन्द्र के माध्यम से किया जा सकेगा। यह योजना सी.एस.सी. योजना सी. एस.सी. योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिये निजी क्षेत्र और गैर सरकारी

संगठनों केक लिये एक अनुकूल वातावरण बनाती है, इस प्रकार यह ग्रामीण भारत केक विकास को सरकार की भागीदारी बन गयी। सी.एस.सी. योजना के पी.पी.पी. माडल में एक त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें सी.एस.सी. आपरेटर (ग्रामीण स्तर के वयवसाय भी) सेवा केन्द्र एजेन्सी (एस.सी.ए.) शामिल है, जो सी.एस.सी. के 5000–1000 के विभाजन के लिये उत्तरदायी होकगा और राज्य निर्दिष्ट एजेन्सी (एस.डी.ए.) जो कि राज्य सरकार द्वारा चिनिहत है, पूरे राज्य पर प्रभावशील बनाने हेतु उत्तरदायी होगी।

सितंबर 2006 में सी.एस.सी. योजना को 5742 करोड़ यपये की राशि केक साथ 4 वर्षों के लिये अनुमोदन प्राप्त हुआ । यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 2011 तक सौ प्रतिशत सी.एस.सी. नामित हो सकेंगे।

18.10 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

इलेक्ट्रॉनिक माध्य से होने वाले संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने के लिये एक अधिनियम लाया गया, इलेक्ट्रानिक संव्यवहार को सामान्यतया 'इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय या वाणिज्य का नाम दिया गया, जिसमें कागज आधारित तरीकों के विकल्प सम्मिलित है, इलेक्ट्रानिक माध्यम से तैयार किये गये दस्तावेजों (सरकारी एजेन्सियों के साथ) के रखरखाव एवं फिर आगे भारतीय दंड संहिता में संशोधन हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बैकर्स बुक, साक्ष्य अधिनियम , 1934 लाया गया।

18.10.1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विशेषताएं

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में संचार एवं सूचना सुरक्षा के उपयोग पर विशेष नियंत्रण हेतु प्रयत्नशील है। जानकारी और विवरण का संरक्षण भारत में एक नयी अवधारणा है, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैः–

- सूचना मानवीय है।
- सूचना विस्तृत होने योग्य है।
- सूचना का प्रतिस्थापन है।
- सूचना विसरणशील, परिवहन योग्य एवं साझा किये जाने योग्य है।
- एनक्रिप्शन पर नियंत्रण है।
- इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बढ़ावा देना, श्रेय देना एवं सुरक्षित रखना।

18.10.2 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के मुख्य प्रावधान :–

इस प्रकार भारत के गणराज्य के 51 में वर्ष में संसद द्वारा मुख्य प्रावधानों के साथ इसे लागू किया जाए :

(1) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिक मान्यता :–

जब कोई कानून यह आवश्यक होता है कि काई भी जानकारी या मामला लिखित या प्रिंटिग फार्म में या टाइप किया होगा तब,क इस कानून में कुछ निहित होने के बावजूद, किसी भी जानकारी या मामले के संबंध में इस प्रकार की आवश्यकता का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये :–

- एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत या उपलब्ध कराया गया।
- बाद के संदर्भों में वहाँ तक उपयोग करने योग्य पहुंच हो।

(2) अंकीय हस्ताक्षरों की विधिक मान्यता :–

जब कोई विधि यह प्रावधानित करती है कि कोई जानकारी या कोई मामला जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर या किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर या अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है।

स्पष्टीकरण : इस धारा या भाग के उद्देश्य के लिये अपने व्याकरणिक भिन्नताओं और संाानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ हस्ताक्षर किये गये व्यक्ति केक संदर्भ में, उसके हस्तलिखित हस्ताक्षर या किसी भी निशान या कोई दस्तावेज होंगे एवं शब्द 'हस्ताक्षर' को उसी संदर्भ में लिया जायेगा।

(3) **सरकारी एवं अन्य एजेन्सियों मे, अंकीय हस्ताक्षरों एवं इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का उपयोग :–**

- किसी कार्यालय, प्राधिकारी, निकाय या किसी निजी एजेन्सी या किसी विशिष्ट तरीके से सरकार द्वारा अनुमोदित एवं नियंत्रित एजेन्सी में किसी फार्म या आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज भरते समय अंकीय हस्ताक्षरों एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का उपयोग ।
- लाइसेंस, परमिट, अनुशास्ति, अनुमोदन किसी भी नाम से हो उसकी ग्रान्ट हेतु विशिष्ट प्रक्रिया अपनाया जाना ।
- रसीद या पावती एक विशेष तरीके से दी जायेगी। तब, किसी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद, ऐसी आवश्यकता को संतुष्ट माना जायेगा यदि ऐसी फाइलिंग, मामला, ग्रांट, रसीद या भुगतान समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकता है।

(4) इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का प्रतिधारण :–

जब कोई भी विधि यह निर्धारित करती है कि दस्तावेजों अभिलेखों को एक विशिष्ट समय के लिये रखा जाना आवश्यक होगा तब इस आवश्यकता से इस प्रकार संतुष्ट माना जायेगा । अगर यह दस्तावेज, अभिलेख, या जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखे जाते है। यदि

- एकत्रित जानकारी बाद के संदर्भों में लाभकर्ता की पहुंच में है।
- इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ऐसे प्रारूप में रखा गया है उसी मूलरूप में सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिये प्रदर्शित किया जा सकता है।
- विवरण जो मूल, गंतव्य तिथि और प्रेषण के समय की पहचान की सुविधा प्रदान करेगा या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्राप्ति इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में उपलब्ध है।

(5) नियम, विनियम आदि का इलेक्ट्रानिक गजट में प्रकाशन :

यदि कोई विधि इंगित करती है कि किसी भी नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या अन्य किसी मामले का सरकारी गजट में प्रकाशन होना चाहिये, तब, ऐसी आवश्यकता को संतुष्ट माना जायेगा यदि ऐसे नियम, विनियम आदेश, उपविधि, अधिसूचना या अन्य कोई मामला सरकारी गजट या इलेक्ट्रॉनिक गजट में प्रकाशित हो जाता है।

बशर्ते। कि जब कोई नियम, विनयम, आदेश, उप–विधि, अधिसूचना या अन्य कोई मामला सरकारी गजट या इलेक्ट्रॉनिक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उस गजट में पहली बार प्रकाशित तिथि को ही प्रकाशन तिथि माना जायेगा।

(6) अंकीय हस्ताक्षर के संदर्भ में केन्द्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति :–

इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये, केन्द्र सरकार नियम द्वारा निर्धारित कर सकती है:–

- अंकीय हस्ताक्षर का प्रकार ।
- अंकीय हस्ताक्षर का प्रारूप एवं तरीका ।
- अंकीय हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की पहचान निर्धारित हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं तरीका।
- इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों या भुगतानों की पर्याप्त प्रामाणिकता या समग्रता, सुरक्षा एवं गोपनीयता की सुनिश्चिता हेतु नियंत्रण प्रक्रिया एवं कार्यवाही ।
- कोई अन्य मामला जिसके अंकीय हस्ताक्षर की विधिक प्रभाव देना आवश्यक है।

(7) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विशेषताएः–

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के लिये प्रवर्तक को जिम्मेदार ठहराया जायेगा :–

- यदि इसे स्वयं प्रवर्तक द्वारा ही भेजा गया है।
- यदि इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया है जिसे इलेक्ट्रानिक अभिलेख के संबंध में प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार प्राप्त है।

(8) **पावती रसीद :–** यदि प्रवर्तक पत्र पाने ाले से इस बात पर सहमत नहीं है कि इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रसीद पावती एक निर्दिष्ट प्रारूप या विशिष्ट तरीके से दिया जाना चाहिये था, तो पावती निम्नक द्वारा दी जा सकेगी :–

- पाने वाले के द्वारा किया गया कोई भी संवाद या वार्तालाप या
- प्रवर्तक के लिये पाने वाले का चरित्र या आचरण ही इस बावत् के लिये पर्याप्त है कि इलेक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त हो गये है।
- जहाँ प्रवर्तक निर्धारित किया है कि इलेक्ट्रानिक अभिलेख तभी बंधनकारी होंगे जब इस अभिलेख की उसे पावती रसीद प्राप्त हो जायेगी, तब जब तक पावती प्राप्त नहीं हुई है, इलेक्ट्रानिक अभिलेख ऐसा माना जायेगा मानो प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं गया।

(9) प्रेषण का समय एवं स्थान और इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रसीदः

प्रवर्तक और पाने वाले के मध्य सहमति के अलावा, इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रसीद का समय निम्न प्रकार से विनिश्चित किया जायेगा –

- इलेक्ट्रानिंक अभिलेखों के प्राप्ति के उद्देश्यों के लिये पाने वाले को कम्प्यूटर स्पधन के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।
- जैसे ही इलेक्ट्रानिक अभिलेख निर्दिष्ट कम्प्यूटर संसाधन में प्रवेश करता है उसी समय रसीद प्राप्त होती है।
- यदि इलेक्ट्रानिक अभिलेख पाने वाले के कम्प्यूटर संसाधन पर भेजा जाता है जो कि निर्दिष्ट कम्प्यूटर ससांधन नहीं है, उसकी रसीद उसी समय प्राप्त हो जाती है जब इलेक्ट्रानिक अभिलेख पाने वाला प्राप्त कर लेता है।
- यदि पाने वाले को कोई निर्दिष्ट कम्प्यूटर संसाधन विशेष समय के साथ नहीं बताया गया है, तब यदि कोई रसीद प्राप्त होती है तो वह तब प्राप्त होगी जब इलेक्ट्रानिक अभिलेख पाने वालों के कम्प्यूटर संसाधन में प्रवेश कर जाता है।

(10) **सुरक्षित इलेक्ट्रानिक अभिलेख :–** जब जब किसी विशेष समय बिन्दु पर किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख के लिये कोई सुरक्षित प्रक्रिया अपनायी जाती है तब सत्यापन काल को ही सुरक्षित इलेक्ट्रानिक अभिलेख माना जावेगा ।

(11) **सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर :–** संबंधित पक्षकारों के द्वारा सुरक्षित प्रक्रिया पर सहमति के बाद प्रार्थना पत्र देने पर, उसके अंकीय हस्ताक्षर का सत्यापन यिका जा सकेगा :–

- हस्ताक्षर करने वाले ग्राहक के लिये अद्वितीय था।
- उप ग्राहक की पहचान करने योग्य थी।
- ग्राहक के पूर्ण नियंत्रण में रहते हुये एक तरीका या साधन का उपयोग करते हुये हस्ताक्षर किये गये और उसे ऐसे इलेक्ट्रानिक अभिलेख से जोड़ दिया गया उसी प्रकार से संबंधित है कि यदि इलेक्ट्रानिक अभिलेख में कोई सुधार किया गया तो अंकीय हस्ताक्षर अवैध माने जायेंगे।
- इस प्रकार किये गये ंकीय हस्ताक्षर को सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर माना जावेगा।

(12) **सुरक्षा प्रक्रियाः–** इस अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार एक सुरक्षा प्रक्रिसा निर्धारित करेगी जिसमें प्रक्रिया के उपयोग के समय उत्पन्न होने वाली वसाणिज्यिक परिस्थितियों के संबंध में प्रावधान रहेंगे, जिसमें सम्मिलित होगा–

- संव्यवहार की प्रकृति।
- उनकी तकनीकी क्षमता के संदर्भ में पक्षकारों के परिष्कार का स्तर।
- अन्य पक्षकारों द्वारा लगायी गयी समान लेन–देन की मात्रा।
- प्रदान किये गये विकल्पों की उपलब्धता किन्तु किसी पक्षकार द्वारा अस्वीकृत विकल्प ।
- वैकल्पिक प्रक्रियाओं की लागत,
- एक जैसे संव्यवहार या आदान प्रदान में उपयोग होने वाली सामान्य प्रक्रिया।

(13) **अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारीता :–**

कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फार्म पर अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रमाणीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। उपधारा (1) के अन्तर्गत उक्त आवेदन प्राप्त होने पर प्रमाणीकरण प्राधिकारी, एवं जितना उचित लगे उतनी पूछता है कि उपरान्त अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी कर सकेकगा या आवेदन निरस्त करने के कारणों की जानकारी लिखित में दिये जायेंगे। बशर्ते कि जब तक प्रमाणीकरण प्राधिकारी संतुष्ट नहीं हो या तो हैं तब तक कोई अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा :–

- आवेदक के पास सार्वजनिक चाभी से जुड़ी हुयी निजी चाभी अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र में सूचीबऋ होना चाहिये।
- आवेदक के पास ऐसी निजी चाभी है, जिससे अंकीय हस्ताक्षर किये जा सकते है।
- सार्वजनिक चाभी को प्रामण पत्र में सूचीबद्ध होना चाहिये ताकि आवेदक द्वारा निजी चाभी के माध्यम से किये जाने वाले अंकीय हस्ताक्षर को सत्यापित किया जा सके।

(14) **अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रतिनिधित्व (वर्णन करना):–**

अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण जारी करते समय प्रमाणीकरण प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि :–

- इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं विनियोगों का पालन किया गया है।
- अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र प्रकाशित हुआ है या अन्यथा उस पर विश्वास करने वाले को यह सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा एवं ग्राहक ने इसे स्वीकार भी कर लिया है।
- ग्राहक के पास सार्वजनिक चाभी से संबंधित निजी चाभी है, जो कि अंकीय हस्ताक्षर प्रामण पत्र में सूचीबद्ध है।
- ग्राहक की सार्वजनिक और निजी चाभी से सुचालित चाभी के जोड़े के रूप में कार्य कर रही है।
- अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र में अंकित जानकारी बिल्कुल सटीक है।

(15) अंकीय हस्ताक्षर प्रामण–पत्र का निलंबन या स्थगन :–

उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत, प्रमाणीकरण प्राधिकारी जिन्होंने अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र जारी किया है, वह उक्त अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकते हैं:–
निम्नलिखित में से किसी के द्वारा आवेदन प्राप्ति के बाद :–

- ग्राहक अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र में सूचीबद्ध है या
- इस कार्य हेतु कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे ग्राहक ने प्राधिकृत किया हो,
- यदि यह मत है कि अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र को लोक हित में निरस्त कर दिया जाना चाहिये।
- अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र का निलंबन पंद्रह दिनों से अधिक के लिये नहीं किया जायेगा जब तक कि ग्राहक को इस मामले में सुनवायी का मौका नहीं दिया जाता है।
- इस धारा के अन्तर्गत अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के निलंबन पर, प्रमाणीकरण अधिकारी इस बात की जानकारी ग्राहक को देगा।

(16) अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का निरसन या प्रतिसंहरणः–

प्रमाणीकरण प्राधिकारी उनके द्वारा जारी अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र को निरसित कर सकेगाः–

- जब कोई ग्राहक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवदन किया जाता है, या
- ग्राहक की मृत्यु होने पर, या
- किसी फर्म के विघटन या किसी कंपनी के समापन पर जहाँ ग्राहक कोई फर्म या कंपनी है।
- अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र में अंकित गौड़ तय झूठे है या तथ्यों को छुपाया गया है।
- अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र को जारी करने हेतु आवश्कयताओं से असंतुष्टि थी।
- प्रमाणीकरण प्राधिकारी की निजी व्याख्या या सुरक्षा प्रणाली की भौतिक रूप से अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के तरीके में शामिल किया गया था।
- जहाँ ग्राहक कोई कंपनी या फर्म है तो उसे दिवालिया या मृत घोषित कर दिया गया है, और जो भंग होने की स्थिति में है, समाप्त हो रही या अन्यथा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है।

(17) निलंबन या निरसन की सूचना :–

जहाँ धारा 37 या धारा 38 के अन्तर्गत अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र को निरसित या निलंबित कर दिया जाता है, प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा उक्त निलंबन या निरसन की सूचना प्रकाशित की जायेगी । इस तरह के सूचना के प्रकाशन के लिये अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट संग्रह में संग्रहीत की जायेगी।

जहाँ एक या एक से अधिक संग्रह विनिर्दिष्ट है, प्रमाणीकरण प्राधिकारी उक्त निरसन या निलंबन की सूचना उक्त सभी संग्रह को देंगे।

18.10.3 सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति :–

- यदि कोई व्यक्ति कम्प्यूटर, कम्प्यूटर व्यवस्था या कम्प्यूटर नेटवर्क के स्वामी की, आज्ञा के बिना उसका इस्तेमाल करके हानि पहुंचाता है।
- ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क तक पहुंच बनाता है या पहुँच सुरक्षित रखता हैं।
- किसी आंकड़े, कम्प्यूटर आंकड़े या उक्त कम्प्यूटर या कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से कोई जानकारी को डाउन लोड़ करता है या प्रति निकालता है या निष्कर्ष निकालता है।
- कोई कम्प्यूटर प्रदूषक या कम्प्यूटर वायरस किसी कम्प्यूटर में प्रवेश कराता है या सूत्रपात करने का कारण बनता है।
- किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क, डाटा, डाटाबेस या किसी अन्य कार्यक्रम को हानि पहुंचाता है या पहुँचाने का कारण बनता है।
- कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्अम या कम्प्यूटर नेटवर्क को नष्ट करता है या नष्ट करने का कारण बनता है।
- किसी प्राधिकृत व्यक्ति की पहुँच से किसी कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क को दूर रखता है।
- कम्प्यूटर, कम्प्यूटर व्यवस्था या कम्प्यूटर नेटवर्क तक पहुंचने में इस अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध सहायता पहुँचाता है।
- किसी दूसरे व्यक्ति के कम्प्यूटर , कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क के उपयोग करने पर उसका शुल्क या प्रभार ले लेता है।
- वह हानि के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का उत्तरदायी होगा और यह क्षतिपूर्ति एक करोड़ रूपये से अधिवक नहीं होगी।
- जो कोई भी जानबूझकर सार्वजनिक रूप से सदोष हानि या नुकसान पहुँचाता है या पहुँचाने की इच्छा रखता है या कम्प्यूटर में सुरक्षित किसी जानकारी को नष्ट करता है या हटाता है या संशोधन करता है या उसकी उपयोगिता या महत्व का समाप्त करता है या किसी अन्य साधन से हानिकर रूप से असर डालता है, यह माना जायेगा कि उसने अनाधिकृत प्रवेश (हैक) किया है।
- जो कोई भी अनाधिकृत प्रवेश करता है उसे तीन साल तक की सजा या दो लाख रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा ।

18.10.4 सूचना प्रौद्योगिकी(संशोधन) अधिनियम, 2008 की मुख्य विशेषताएः–

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008, 5 फरवरी, 2009 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरति किया गया । संशोधनों का पुनर्विलोकन इंगित करता है कि डेटा सुरक्षा और निजता से संबंधित बहुत सारे प्रावधाना है, साथ ही इलेक्ट्रानिक और अंकीय माध्यम से आतंकवाद समाप्ति के बहुत सारे प्रावधान हैं जिन्हें नये अधिनियम में भी स्थान दिया गया । अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैः–

- शब्द 'अंकीय हस्ताक्षर' के स्थान पर इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर' लाया गया ताकि अधिकाधिक तकनीकी रूप से समान हो।
- संचार उपकरण' को परिभाषित करने हेतु एक नयी धारा जोड़ी गयी, जिसका संबंध सैलफोन, व्यक्तिगत अंकीय सहायता या दोनों का सम्मिश्रण या अन्य कोई उपकरण जिसका उपयोग संचार, संदेश भेजने या कोई दृश्य या श्रृव्य या चित्रों को भेजना भी शामिल है।
- शब्द 'साइबर कैफे' जोड़ने हेतु नयीं धारा जोड़ी गयी, इंटरनेट की सारी सुविधाएं एक आसान माध्यम से मुहैया कराने ाली जगह को साइबर कैफे की संज्ञा दी गयी, यह भी सत्य है कि सार्वजनिक रूप से सभी सदस्यों के साथ व्यावसायिक संबंध भी इसमें शामिल है।
- किसी भी इलेक्ट्रानिक अभिलेख के संबंध में 'मध्यस्थ' के लिये एक नयी धारा अन्तर्निविष्ट की गयी, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्यव्यक्ति की तरफ से अभिलेखों को प्राप्त करता है, संग्रहण करता है या उन अभिलेखों को संचारित करता है या उस अभिलेख के संदर्भ में कोई सेवा प्रदान करता है, उसे मध्यस्य कहा जायेगा और इसमें टेलिकाम सेवा देने वाले, नेटवर्क की सेवाएं प्रदान करने वाले, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, आनलाइन भुगतान साइट, आनलाइन नीलामी साइट, आनलाइन बाजार स्थान, और साइबर कैफे सम्मिलित हैं' । किन्तु धारा 43(ए) से संदर्भित निगमित निकाय इसमें शामिल नहीं है।
- एक नयी धारा 10ए इस प्रभाव के साथ अन्तर्विष्ट की गयी कि जो संविदाएं इलेक्ट्रानिक रूप से पूरी की जाती हैं वह केवल इसी आधार पर अप्रवर्तनीय नहीं हो जायेगी कि इलेक्ट्रानिक तरीके या साधन का प्रयोग किया गया था।
- धारा 66 में धारा 66ए से 66एफ तक नयी धाराओं को जोड़ा गया जिसमें अश्लील इलेक्ट्रानिक संदेश संचरण पहचान चोरी करने, कम्प्यूटर संसाधन का उपयोग करके छद्‌भरूपण या प्रतिरूपण करना, निजता और साइवर आतंकवाद का उल्लंघन जैसे अपराधों के लिये दंड निर्धारित करना शामिल है।
- पुराने अधिनियम की धारा 67 में संशोधन करके कारावास की अवधि को कम किया गया है। अश्लील सामग्री के संचरण या प्रकाशन के लिये होने वाली सजा पांच साल से घटाकर तीन वर्ष की गयी और जुर्माने की राशि एक लाख से बढाकर पाँच लाख कर दी गयी । धारा 61ए से 67 सी तक नयी धाराएं अन्तर्निविष्ट की गयी। धारा 67ए और बी यौन संबधित गतिविधियों एवं इलेक्ट्रानिक तरीकों से किया गया बाल यौन शोषण जैसे अपराधों को मिलने वाले दंड से संबंधित हैं। धारा 67सी निर्दिष्ट जानकारी के रूप में ऐसी जानकारी को संरक्षित और बनाये रखने के लिये मध्यस्थ के दायित्व से संबंधित है, इसका समय और तरीका केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके पर आधारित था।

- देश में बढ़ते आतंकवाद के डर को ध्यान में रखते हुये नये संशोधन कर एक नयी संशोधित धारा 69 जोड़ी गयी जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से होने वाली किसी भी चोरी या अपराध के लिये राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने एवं निगरानी रखने की शक्ति प्रदान की गयी, इस हेतु राज्य सरकार दिशा–निर्देश दे सकता था।
- नयी धाराए 69 ए और बी के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वे किसी भी जानकारी की सार्वजनिक होने पर रोक लगाने का निर्देश दे सकती है और निगरानी करने हेतु प्राधिकृत किया गया साथ साइबर सुरक्षा के मद्दैनज़र किसी भी कम्प्यूटर संसाधन के द्वारा सारे विवरण एकत्रित करने हेतु राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया।
- धारा 81 में एक नया उपबन्ध जोड़ा गया कि अधिनियम के प्रावधान बाध्यकारी होंगे। प्रावधान बताते हैं कि अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को प्रतिलिपप्याधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

18.11 सारांश

इस इकाई में हमने ई–शासन और सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में जाना। ई–शासन से तात्पर्य सरकार की दक्षता, पारदर्शिता और जबावदेह ही को समृद्ध बनाने हेतु सूचना संचारण प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। भारत में ई–शासन एक प्रभावी क्षेत्र है जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी ने बहुत प्रगति की है और एक अच्छा शासन देने की इसमें प्रबल क्षमता है। सरकार की तकनीकों एवं प्रकृति दोनों में बदलाव के अनेक अवसर है। इसका असर समस्त सरकारी कार्यों एवं एजेन्सियों, निजी क्षेत्र और समाज पर पड़ता है। जानकारी और ज्ञान के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रवेश या दखल का बरताव करना व्यर्थ ही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूर स्थानों में रहने वाले लोगों को ई–शासन प्रदान करने में सूचना प्रोद्योगिकी के उपयोग की अच्छी संभावना है। ई–शासन का उद्देश्य एक स्मार्ट सरकार प्रदान करना है। सूचना संचरण तकनीक का उपयोग सरकार के कार्यों को पारीदर्शी बनाता है। समस्त सरकारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होगी। नागरिक जब चाहें तब देख सकते हैं। किन्तु यह तभी संभव होगा जब सरकारी की छोटी से छोटी जानकारी को इंटरनेट पर डाला जाये और जनता के लिये उपलब्ध करायी जाए। वर्तमान शासन प्रक्रिया में बहुत सी जानकारियाँ जनता तक नहीं पहुँच पातीं है। जानकारी सूचना संचरण के माध्यम से सारी जानकारी आनलाइन मिलने में सहायता प्राप्त होती है और जानकारी के दुराव छुपाव की संभावनाएं कम हो जी हैं। दूसरी ओर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आने से इलेक्ट्रानिक ब्यौरा या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रानिक संचार को विधि मान्यता प्राप्त हो गयी है, जिसका उपयोग कागज पर लिख कर संग्रहण करने के विकल्प के रूप में किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 ने कुछ संशोधन का पुनर्विलोकन किया जो यह इंगित करता है कि पर्यावरण संरक्षण और निजता से संबंधित बहुत सारे प्रावधान है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और अंकीय माध्यम से आतंकवाद को भी नया मोड़ दिया जा सकता है और इन प्रावधानों का समावेश इस नये अधिनियम में किया गया।

18.12 शब्दावली

प्रतिनिधि :– कम्प्यूटर नेटवर्क में एक प्रतिनिधि है जो अस्थायी तौर पर डाटा का संग्रहण करता है। प्रदर्शन कारणों से प्रतिनिधि का प्रयोग किया जाता है या सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिये इसका उपयोग किया जाता है।

सेवा प्रदाता :– संचार व्यवस्था और मीडिया की सेवाएं प्रदान करता है । व्यावसायिक प्रकृति की सेवाओं का कोई पूर्वनिर्धारित पद नहीं होता है।

अभिगम्यता :– अभिगम्यता से तात्पर्य समस्त उपयोग कर्ताओं की पहुंच वेबपेज तक होने से है। दृष्टि एवं श्रवण से विकलांग लोग, मैन्युल निपुणता या संज्ञानात्मक बाधा उत्पन्न होती है जब ऐसे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।

अभिलेख :– अभिलेख वह फाइलें होती हैं जिनमें कुछ अन्य फाइलें भी रहती हैं। अभिलेख संबंधी सेवाओं के लिये उपयोग में आने वाला सबसे साधारण प्रारूप है जिप फाइल।

क्रिप्टो प्रोसेसर :– आंकड़ों की क्रिप्टोग्राफी रख रखाव के लिये उपयोग में आने वाला प्रक्रमक।

18.13 बोध प्रश्न

सही या गलत

1 ई–शासन एक संघात्मक अवधारणा है और इसलिये राज्य की कोई गतिविधि सम्मिलित नहीं है।

2 सरकारी प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव ही ई–सरकार है।

3 ई सरकार केवल सरकार के व्यावसायिक वितरकों के साथ संबंधों पर प्रभावी होती है।

4 सरकार का सरकार में सभी अर्न्तसरकारी गतिविधियाँ शामिल हैं जो सरकारी इकाईयों के मध्य होती हैं, साथ ही अन्य सरकारों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श शामिल है।

5 जी टू सी को प्रभाव में लाना जी–टू– बी की अपेक्षा अधिक आसान है।

6 ई–सरकार पूरी तरह से इंटरनेट पर ही आश्रित होती है।

7 ई–शिक्षा का मुख्य या सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक पारंपरिक पढ़ने वाली किताब की अपेक्षा वेबसाइट को समृद्ध बनाना आसान है।

8 सरकार की वितरण प्रणाली जो इलेक्ट्रानिक रूप से की जाती है उसकी कीमत पारंपरिक वितरण प्रणाली से कहीं कम है।

9 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ने आपसी संवाद के उपयोग के ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित किये हैं।

10 शब्द 'अंकीय हस्ताक्षर' के स्थान पर 'इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर शब्द लाया गया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2002 को अधिकाधिक रूप से निष्पक्ष तकनीक बन सके।

11 भारत में संवाद कायम करने के लिये क्रिप्टोग्राफी और एनक्रिप्शन का उपयोग एक नयी अवधारणा है।

12 यदि कोई इलेक्ट्रानिक विवरण उत्प्रेरक द्वारा भेजा गया था ता उसे ही जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

18.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1 गलत, 2 सही, 3. गलत 4. सही 5. गलत, 6 गलत, 7. सही, 8. सही, 9 सही, 10 गलत, 11 सही, 12. सही ।

18.15 स्वपरख प्रश्न

1 ई–शासन क्या है , इससे होने वाले लाभ एवं इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

2 भारत में ई–शासन का विस्तृत क्षेत्र क्या है ?

3 सरकार, नागरिकों और व्यवसाय' के मध्य होने वाले जानकारी का आदान प्रदान ही शासन कहलाता है।'' इस कथन की व्याख्या कीजिए।

4 ई–शासन के उद्देश्य क्या है ? भारत में ई–शासन को प्रभाव में लाने के लिये सही रणनीति क्या होनी चाहिये ?

5 ई–शासन के आधारभूत ढाँचे के विकास में सूचना एवं परस्पर संवाद प्रौद्योगिकी की क्या महती भूमिका हो सकती है ?

6 **निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :–**

(ए) राज्य वार क्ष्क्षेत्रीय नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.)

(बी) राष्ट्रीय ई–शासन सेवा वितरण मार्ग (एन.एस.डी.जी.)

(सी) राष्ट्रीय ई–शासन सेा वितरण मार्ग (एन.एस.डी.जी.)

7 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए ताकि आंकड़े सुरक्षित रह सके एवं उनकी निजता भी बनी रहे।

8 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की मुख्य विशेषताएं क्या है?

18.16 संदर्भ पुस्तकें

1. JayashankarK.K, Johnson Philip, "Cyber Law" Pacific books international, 2011
2. Goel Hemant, "Law and Emerging Technology Cyber law" Jain Book Depot, 2004
3. http://www.cidap.gov.in/documents/Cyber%20Crime.pdf
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Encryption
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_crime
6. Fadia Ankit, "Encryption" Vikas publisher, 2010.
7. Barkha, Ram Mohan, "Cyber Law and Crimes" Jain Book depot, 2011

इकाई 19 पर्यावरण विधि की संवैधानिक एवं प्रशासनिक पकड़

इकाई की रूपरेखा

19.1 प्रस्तावना

19.2 पर्यावरण का अर्थ

19.3 पर्यावरण प्रदूषण के कारण

19.4 पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की सामान्य शक्तियाँ।

19.5 खतरनाक पदार्थों के रखरखाव पर रोक या निर्बन्धन

- 19.5.1 आयात और निर्यात
- 19.5.2 उद्योगों के स्थान
- 19.5.3 उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य एवं दायित्व
- 19.5.4 पर्यावरणीय प्रदूषक निर्धारित मानकों से अधिक हो

19.6 प्रवेश और निरीक्षण के संदर्भ में अधिकारियों की शक्तियाँ

19.7 नमूना लेने की शक्ति एवं प्रक्रिया

19.8 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दंड और अपराध

19.9 सारांश

19.10 शब्दावली

19.11 बोध प्रश्न

19.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

19.13 स्वपरख प्रश्न

19.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- पर्यावरण, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों एवं पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ समझ सकें।
- पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कर सकें।
- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियों की व्याख्या कर सकें।
- नमूना लेने की शक्ति एवं प्रक्रिया की व्याख्या कर सकें।
- अधिनियम के प्रावधानों के विरोध में अपराधों और शास्तियों की व्याख्या कर सकें।
- आयात – निर्यात एवं उद्योग की स्थापना (स्थान) की प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें ।
- उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य एवं दायित्वों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें।

19.1 प्रस्तावना

साधारण बोलचाल में पर्यावरण के अन्तर्गत वायु, जल, रोशनी, तापमान, मिट्टी आदि, पेड़ पौधों के और जानवर एवं समस्त अजीवित वस्तुएं आती है। जिनसे हम चारों ओर से घिरे हुये हैं।

शब्द 'पर्यावरण' का साधारण प्रयोग ''प्राकृतिक'' पर्यावरण की व्याख्या करने में किया जाता है एवं पर्यावरण से तात्पर्य जीवों और जीवों के समूह के आसपास रहने वाले सभी जीवित और गैर जीवित चीजों के योग है। पर्यावरण में वह सभी तत्व, कारक, और स्थितियाँ सम्मिलित हैं जिनका कुछ जीवों की वृद्धि एवं विकास पर कुछ प्रभाव पड़ता है । पर्यावरण में जैविक और जैविक कारक दोनों सम्मिलित है जो कि मानव जीव पर प्रभाव डालती है। जैविक कारक जैसे प्रकाश, तापमान, पानी, वायुमंडलीय गैसें जैविक कारकों के साथ संयोजित है।

भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा एवं सवर्धन करे तथा जंगलों एवं देश की वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करें। प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य अधिरोपित होता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत जंगल, झीले, नदियाँ एवं अन्य जीव आते हें, को संरक्षण प्रदान करे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में भी पर्यावरण की व्याख्या की गयी है। भारत में 1980 के, देश को स्वस्थ पर्यावरण की सुनिश्चितता हेतु पर्यावरण विभाग की स्थापना की गयी । जो कि बाद में 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में स्थापित हो गया। विभिन्न विधियों जैसे अधिनियम, नियम एवं अधिसंरचनाओं को संवैधानिक बल प्राप्त है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद प्रभाव में आया। एवं इसे छाता विधायन (सुरक्षात्मक विधि) के रूप में देखा गया क्योंकि इसके माध्यम से कानूनों में आये रिक्तता को भरा गयाक । इसके पश्चात् बहुत सारे कानून अस्तित्व में आये और इस तरह समस्या उत्पन्न होनी प्रारंभ हो गयी, जैसे 1989 में अस्तित्व में आया कानून – खतरनाक व्यर्थ नियमों का रख–रखाव एवं प्रबंधन।

19.2 पर्यावरण का अर्थ

पर्यावरणः– साधारतया पर्यावरण में सम्मिलित है वायु, जल, रोशनी, तापमान, मिट्टी आदि, पेड़ पौधे एवं जानवर, तथा वह सभी अजीवित वस्तुएं जो हमारे चारों ओर उपलब्ध है। शब्द कोश देखने के बाद हम पाते हैं कि एक आसपास का वातावरण, बाह्य परिस्थितियों जो लोगों, पशुओं या पौधों, की जीवित या काम करने की स्थिति आदि के विकास या वृद्धि को प्रभावित करती है, उसे पर्यावरण कहते हैं।

सी.सी. पार्क के अनुसार– 'पर्यावरण' उन सभी शर्तों को दर्शाता है जो अंतरिक्ष और समय में दिये गये बिन्दु पर मनुष्यों को घेरे है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(9) में पर्यावरण शब्द को परिभाषित किया गया है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अधिक की आवश्यकता नहीं होती है, पर्यावरण में पानी, वायु और भूमि एवं मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवन और सम्पत्तियां शामिल हैं।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार पर्यावरण में जीवित और गैर जीवित दोनों ही घटक सम‍िमलित है। निर्जीव पर्यावरण के भौतिक पर्यावरण या जैविक पर्यावरण भी कहा जाता है। भौतिक या जैविक कारक में स्थल मंडलीय, जल मंडलीय एवं वायुमंडलीय कारक सम्मिलित है। दूसरी ओर, जैविक कारकों में वृक्ष, पशु, व्यक्ति एवं सूक्ष्म जीवन संबंधी कारक सम्मिलित है।

पर्यावरणीय प्रदूषक :– शब्द 'पर्यावरणीय प्रदूषक' को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(बी) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है, जो यह कहती है कि इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अधिक की आवश्यकता न हो, पर्यावरणीय प्रदूषक का अर्थ है कोई भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ जिससे पर्यावरण को खतरा होने की संभवना है उसे पर्यावरणीय प्रदूषक कहा जायेगा।

पर्यावरणीय प्रदूषण :– पर्यावरणीय प्रदूषण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2(सी) के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ किसी भी पर्यावरण प्रदूषक के पर्यावरण में मौजूदगी है। वह समस्त कारण जिनके द्वारा लोग आस–पास प्रदूषण फैलाते है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण में, स्थानीय स्तर पर मानवीय गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता कम हो जाती है। निःसंदेह पर्यावरण प्रदूषण शहरी औद्योगीकरण, प्राकृतिक संसाधनों की तकनीकी क्रांति, शहरी प्रभाव एवं ऊर्जा और वस्तु विनियम की बढ़ी हुई दरों के साथ उपभोक्ता वस्तुओं एवं बढ़ता हुआ औद्योगिक अपशिष्टों का परिणाम है।

19.3 पर्यावरण प्रदूषण के कारण

वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण न केवल भारत की अपितु समस्त विश्व की एक बहुत बड़ी और भयानक (खतरनाक) समस्या है। पर्यावरण का निरन्तर गिरता हुआ स्तर आधुनिक तकनीकी रहन रहन, औद्योगिकरण और शहरीकरण का परिणाम है। बी.आर. कृष्णा अय्यर के अनुसार सामयिक वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति ने मनुष्य ओर प्रकृति के बीच के संबधं को, काफी हद तक परिवर्तित (रूपांतरित) किया है। यह सही ही कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है और सबसे खराब दुश्मन है। अतः पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण या कारक इस प्रकार हैः–

1 **जनसंख्या वृद्धि** :– पारिवारिक संतुलन एवं पर्यावरण के कम होते हुये स्तर का एक महत्वपूर्ण कारक मानव जनसंख्या में वृद्धि होना है। मनुष्य अपने अस्तित्व एवं अच्छे जीवन के लिये अच्छे से अच्छी सुविधाएं जुटाता है इसलिए जनसंख्या विकास का परिणाम यातायात के साधनों, कृषि में विकास, शहरी विकास, और औद्योगिक विस्तार के माध्यम से बढ़ा है। यदि हम एक ओर मानवता को भूख, प्राकृतिक संकट एवं आपदाओं से बचाना चाहते हैं और दूसरी ओर विकास की दौड़ में शामिल होकर अन्य राष्ट्रो के साथ वैश्विक राष्ट्रीयता के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो हमें आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का विकास करना होकगा। अतः पर्यावरण पतन एवं पारिस्थितिकी असंतुलन को मुख्य जड़ जनसंख्या का अत्यधिक होना है। पर्यावरणीय प्रभाव एवं जनसंख्या वृद्धि के मध्य सीधा संबंध है। यदि लोगों की संख्या अधिक है, तो उन्हें अधिक भोजन, अधिक भूमि की आवश्यकता होगी, ताकि कृषि उत्पादन कर सकें एवं रहने के लिये इमारत खड़ी कर सकें ।

2 **गरीबी** :– गरीबी दूसरा कारक है जिसका प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण पर पड़ता है। उनकी मौलिक एवं दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं जिनमें उनके लिये भोजन और पशु, ईधन, लोगों के लिये आश्रम सम्मिलित है, इन सबकी प्राप्ति के लिये गरीबी के कारण देश के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण करते है। हमारी पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के अनुसार गरीबी और आवश्यकता महान प्रदूषक है। अतः यह सत्य ही है कि गरीबी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।

3 **औद्योगिक विकास** :– यह सत्य है कि तीव्र गति के औद्योगिक विकास ने मानव समाज को आर्थिक समृद्धि प्रदान की है किन्तु इससे पर्यावरण संबंधी समस्याओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है। औद्योगिक विकास को आधुनिकता का पैमाना माना जाता है और राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की बढ़ती दर एवं औद्योगिक उत्पात की वृद्धि दर के घातक पर्यावरण समस्याओं को जन्म दिया एवं बड़े स्तर पर पर्यावरण समस्याओं का कारण बनी। उद्योगों के लिये कच्चा सामग्री की मांग की पूर्ति हेतु, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के परिणामस्वरूप जंगलों की कटाई, खजिनों की प्राप्ति हेतु जमीन की खुदाई, लगातार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि में कमी आ गयी है। औद्योगिक विस्तार के कारण भूजल के स्तर में भी गिरावट आ रही है। इसके अलावा, औद्योगिक अपशिष्ट, प्रदूषित जल,

विषैली गैसे, रसायन, कारखानों के उत्पादन से निकलने वावली अनचाही विषैली गैसे एवं राख आदि पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे है। यह अनैच्छिक उत्पादन हवा, जल, भूमि, मिट्टी आदि को प्रदूषित कर रहे हैं। एवं इससे पर्यावरण का पतन हो रहा है।

4 **कृषिगत विकासः–** कृषि योग्य भूमि का विस्तार, कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि को कृषि गत विकास कहा जाता है। कृषिगत विकास केवल आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों, आधुनिक तकनीकों, वृहद उत्पादन एवं रासायनिक उर्वरकों इत्यादि के उपयोग से ही संभव हो सका है, जिसने दुनिया की आबादी में बढ़ोत्तरी के कारण भोजन की बढ़ती मांग को हल किया है। किन्तु कृषि विकास के कारण पर्यावरण का ह्रास हुआ है। क्योंकि उन्नत कृषि के लिये रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग किया गया, इसी तरह सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के कारण सिंचाई संसाधनों का उपयोग बढ़ा और इससे जैविक समुदायों में भी परिवर्तन आयां वन भूमि भी कृषि भूमि में ही परिवर्तित हो गयी। यह सारी प्राक्रिया एवं उन्नत कृषि विकास के मापदंडों के कारण गंभीर एवं खतरनाक पर्यावरण संबंधी समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ।

(5) **शहरीकरण :–** शहरी केन्द्रों में धन संचय एवं अधिक आर्थिक एवं अधिक नौकरी के अवसरों की उपलब्धता के कारण भीड़भाड़ वाले महानगरीय क्षेत्रों में आबादी की एकाग्रता में वृद्धि हुई है और इस प्रकार बड़ी झुग्गी बतिस्तयों ने आकार और विस्तार लिया । जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन एवं औद्योगिक विस्तार एवं विकास के कारणक नये शहरी क्षेत्रों की उत्पत्ति एवं विस्तार ही प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से हो रहे शोषण के लिये उत्तरदायी हैं और विभिन्न प्रकार का पर्यावरण अपशिष्ट एवं विकसित एवं विकासशील देशों में प्रदूषण के लिये भी यही कारक उत्तरदायी है। शहरीकरण के कारण इमारतों, सड़कों, गलियों सीवेज और बड़े–बड़े नालों का निर्माण होता है, सभी प्रकार की गाड़ियों में वृद्धि होती है, उद्योगों और कारखानों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है, शहरी कचरा, धूल, विषैली गैसे, धुआ, सीवेज का पानी इत्यादि वृद्धि होती है। इन सभी चीजों के कारण विभिन्न पर्यावरण समस्याओं की उत्पत्ति होती है। शहरी क्षेत्र अपनी स्वयं की दिक्कत, गड़बड़ी, व्यवस्थाओं, स्वच्छता की कमी, जलापूर्ति की कमी, भीड़भाड़, यातायात के गंभीर नुकसान से ग्रस्त है।

6 **तकनीकी विकासः–** तकनीकी विकास होने के कारण पारिस्थिति की समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। दुनिया में अधिक आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण के लिये खतरे उत्पन्न होते है। एशिया के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग तथा पैसिफिक ने फरवरी 1985 में चेतावनी दी थी कि एशिया का पर्यावरण पहले से ही संकटपूर्ण स्थिति में है, विकास रूपी गतिविधियों के परिणामस्वरूप इस पर अतिरिक्त भार ही पड़ेगा । पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी पर विचार करते हुये, हम तीन अलग–अलग पहलुओं का सामना कर रहे हैं– पर्यावरण की कमी, अनुकूल, तकनीक, पर्यावरण से संबंधि चीजों की अधिकता । हमें एक ऐसी उन्नत तकनीक को खोज निकालने की आवश्यकता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और साथ ही पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली तकनीकी का अन्त करने वाली तकनीक कहो या ऐसी तकनीक का कम से कम उपयोग करने वाली हो।

19.4 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की सामान्य शक्तियाँ

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 केन्द्र सरकार को विभिन्न शक्तियाँ देती है। साधारण शक्तियाँ धारा–3 के द्वारा केन्द्र सरकार को दी गयी है जिनके अन्तर्गत केन्द्र सरकार को

यह शक्ति प्राप्त है कि वह पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारने हेतु या पर्यावरण सुरक्षा हेतु वह सभी मानक अपनाये जो आवश्यक हों ताकि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय या मामले आते हैं।

- इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के विभिन्न कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना या उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या किसी अन्य विधिक अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बनाये गये नियमों के मध्य सामंजस्य बैठाना ।
- पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रेरण एवं रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका निष्पादन करना।
- कुछ निश्चित क्षेत्रों में उद्योगों के क्रियान्वयन या प्रक्रिया में रोक लगाना या कुछ सुरक्षा कवचन के साथ उन्हें उद्योग संचालित करने हेतु आज्ञा देना।
- पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों जैसे विनिर्माण प्रक्रिया, सामग्री एवं पदार्थों का परीक्षण करना।
- पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याओं से जुड़े हुये अनुसंधान एवं जांच पड़ताल में सहायता पहुंचाना ।
- खतरनाक वस्तुओं के रख–रखाव हेतु सुरक्षा इन्तजामों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना।
- पर्यावरण की गुणवत्ता हेतु मानक तैयार करना।
- विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिये मानक तैयार करना। पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिये विभिन्न मानक तैयार किये जा सकते है।
- ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षा बिन्दु और प्रक्रिया तैयार करना जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। और फिर इन दुर्घटनाओं हेतु उपचारात्मक बिन्दु तैयार करना ।
- किसी परिसार, कारखाना, उपकरण, संयंत्र, विनिर्माण प्रक्रिया सामग्री आदि का निरीक्षण करना एवं किसी व्यक्ति पदाधिकारी या प्राधिकारी आदि हेतु दिश निर्देश जारी करना तथा पर्यावरण प्रदूषण के उत्थान और नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समुचित कदम उठाना।
- पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण, उत्थान आदि के लिये निर्देश, संहिता, नियमावली तैयार करना।
- पर्यावरणीय प्रयोगशाला की स्थापना करना एवं मान्यता देना।
- पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्रित करना और प्रचार प्रसार करना।
- इसी तरह के कुछ अन्य मामले जिन्हें केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशील ढंग से लागू कराने के उद्देश्य से आवश्यक समझती है, उन्हें लागू करना ।

1 प्राधिकारी या प्राधिकारीगणों के गठन की शक्ति :–

अधिनियम की धारा 3(3) प्रकाशित गजट के आदेशानुसार केन्द्र सरकार को प्राधिकारियों के गठन हेतु प्राधिकृत करती है कि वह विनिर्धारित शक्तियों एवं कार्यों के निर्धारण हेतु नामों की घोषणा करे, ताकि कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

2 **अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति** :– अधिनियम की धारा 4 केन्द्र सरकार को प्राधिकृत करती है कि वह पदाधिकारियों की नियुक्ति करें और उन्हें अधिनियम के तहत् शक्तियाँ प्रदान करें। इस प्रकार नियुक्त पदाधिकारीगण केन्द्र सरकार या प्राधिकारीगण या अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारियों के अधीन कार्य करेंगे।

3 **निर्देशित करने का अधिकार** :– अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति, पदाधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निर्देशित कर सकती है। पदाधिकारी या प्राधिकारीगण अपने कार्यो की पूर्ति हेतु प्राप्त शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित मामलों में कर सकेंगे जैसे कम्पनी समापन हेतु निर्देश देना, किसी उद्योग को रोकने या चालू करने हेतु निर्देशित करना या पानी, बिजली या ऐसी कोई अन्य सेवा के सतत् निरन्तर रखने या, बंद करने हेतु निर्देश देना आदि।

4 **नियम बनाने की शक्ति** :– अधिनियम की धारा–6 केन्द्र सरकार को विधायन के उद्‌देश्य को चलायमान रखने हेतु नियम बनाने हेतु प्राधिकृत करती है कि केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विधि निर्माण कर सकती है। धारा 6 कहती है कि केन्द्र सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करने के बाद धारा–3 में वर्णित सभी या किसी एक विषय पर नियम बना सकती है। यह नियम सभी पर लागू होंगे, नियम बनाये जाने वाले विषय इस प्रकार हैः–

- विभिन्न क्षेत्रों और उद्‌देश्यों के लिये वायु, जल या मिट्‌टी की गुणवत्ता के स्तर और उद्‌देश्यों हेतु।
- विभिन्न क्षेत्रों के लिये पर्यावरण प्रदूषको हेतु अधिकतम सीमा निर्धारित करना।
- खतरनाक वस्तुओं के रखरखाव हेतु प्रक्रिया और सुरक्षात्मक उपाय बनाना।
- उद्योगों की स्थिति पर नियंत्रण एवं निषेध तथा विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।
- विभिन्न क्षेत्रों में खतरनाक वस्तुओं के रखरखाव पर नियंत्रण एवं निषेध ।
- दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है और इस प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये आवश्यक उपचारों की व्यवस्था करना।

5 **पर्यावरण संबंधी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की शक्तिः–**

अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह एक या एक से अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकती है ताकि हवा, जला और मिट्‌टी के नमूनों की व्याख्या की जा सकें।

6 **सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति की शक्ति :–**

धारा 13 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी अधिसूचना में विज्ञप्ति जारी करने के बाद हवा, वायु और मिट्‌टी के या अन्य पदार्थों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषण की नियुक्ति कर सकती है। ओर इनकी पदस्थापना पर्यावरण प्रयोगशालाओं में होगी।

इनके कार्यों एवं शक्तियों के संबंध में केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति, पदाधिकारी, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की मांग कार्यपूर्ति हेतु कर सकती है या कोई विनिर्धारित प्राधिकारी या पदाधिकारी, किसी रिपोर्ट, सांख्यिकी, लेखा और अन्य कोई सूचना या अन्य कोई व्यक्ति, पदाधिकारी, राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारीगण ऐसा करने हेतु बाध्य होंगे।

19.5 खतरनाक पदार्थों के रखरखाव पर रोक या निर्बन्धन

पर्यावरण (संरक्षण) यिम, 1986 के नियम 13 के अन्तर्गत खतरनाक पदार्थों के नियंत्रण एवं प्रतिबंधित करने से संबंधित है। नियम 13 के उपनियम–1 के अनुसार केन्द्र सरकार खतरनाक पदार्थों को नियंत्रित या प्रतिबंधित करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रख सकती है ।

विचारणीय (महत्वपूर्ण) कारक :+–

- विचारणीय पक्ष यह है कि खतरनाक प्रकृति का पदार्थ चाहे संख्यात्मक संदर्भ हो या गुणात्मक प्रकृति का हो, उससे व्यक्तियों को, पर्यावरण, अन्य जीव जन्तुओं, पौधों या संपत्ति को कितना खतरा है।
- प्रतिबंधित या नियंत्रित पदार्थों के स्थान पर आसानी से उपलब्ध पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
- प्रति पदार्थ की आसान उपलब्धता या देश में ऐसी तकनीक की विद्यमानता ताकि सुरक्षित पदार्थ को विकसित किया जा सके।
- वह खतरनाक पदार्थ जो प्रश्न वाचक है उसका पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करने के विषय में नये पदार्थ की क्रमिक प्रवेश के परिपक्वता चक्र के विषय में जानकारी प्रदान करना।
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई अन्य कारक जो केन्द्र सरकार के संज्ञान में आता है।

19.5.1 आयात एवं निर्यात :

प्रक्रिया :– नियम 13 का उपनियम (2) केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है। यह विनियमित करता है कि खतरनाक पदार्थों को नियंत्रित या प्रतिबंधित करते समय और साथ ही इन पदार्थों के आयात निर्यात के संदर्भ में भी केन्द्र सरकार को निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा :–

1 जब भी केन्द्र सरकार को यह लगता है कि क्षेत्र में खतरनाक वस्तुओं के रखरखाव हेतु नियंत्रण या प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, सरकारी अधिसूचना जारी करने के पश्चात् और किसी अन्य तरह से जैसा केन्द्र सरकार समय–समय पर ठीक समझती है, नियंत्रण लगा सकती है, इस आशय की सूचना दी जाना आवश्यक है।

2 इस तरह प्रत्येक विज्ञप्ति में खतरनाक वस्तुओं का संक्षिप्त व्यौरा एवं भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी दी जायेगी और साथ ही संबंधित क्षेत्र में खतरनाक वस्तुओं पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने के कारणों का उल्लेख करना भी आवश्यक है।

3 खरतनाक, वस्तुओं के रखरखाव पर प्रतिबंध या नियंत्रण संबंधी जारी विज्ञप्ति पर यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह सरकारी गजट के प्रकाशित होने के 30 दिनों के अन्दर केन्द्र सरकार को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

4 सरकारी गजट प्रकाशित विज्ञप्ति के 60 दिनों के अन्दर केन्द्र सरकार समस्त आपत्तियों की सुनवायी करेगा और तत्पश्चात् संबंधित क्षेत्र या परिसर में खतरनाक वस्तुओं के रखरखाव पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगा सकती है।

19.5..2 उद्योग परिसर (स्थान)

उद्योगों के स्थान पर निषेध एवं प्रतिबंध तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संचालन के संदर्भ में पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 का नियम 5 केन्द्र सरकार को अधिकार देता है कि वह उद्योग के स्थान पर एवं विभिन्न क्षेत्रों में संचालन एवं प्रक्रिया पर निषेध एवं प्रतिबंध लगा सके।

नियम–5 का उपनियम (1) निर्धारित करता है कि उद्योगों के संचालक एवं प्रक्रिया तथा स्थान को प्रतिबंधित या निषेधित करते समय केन्द्र सरकार निम्नलिखित कारकों का सहारा ले सकती है।

- किसी क्षेत्र के लिये निर्धारित उसके विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की गुणवत्ता हेतु मानक।
- किसी क्षेत्र के लिये विभिन्न पर्यावरण प्रदूषणों (शोर प्रदूषण सम्मिलित) के संकेद्रण की अधिकतम स्वीकार्य सीमा।
- उद्योग, प्रक्रिया या संचालन से पर्यावरण प्रदूषण का संभावित उत्सर्जन या निर्वहन को निषिद्ध या प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव।
- किसी क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु संबंधी विशेषताएं या लक्षण ।
- क्षेत्र की ऐसी जैविक विविधता, जिसे कि केन्द्र सरकार की राय में संरक्षित होने की जरूरत है।
- पर्यावरण के अनुकूल भूमि का उपयोग।
- निषिद्ध या प्रतिबंधित करने के लिये प्रस्तावित किसी उद्योग, प्रक्रिया संचालन से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव ।
- प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों एवं निकटता उम्दा अवशेष अधिनियम 1958 के तहत एक संरक्षित क्षेत्र या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क, या खुले रिजर्व या अधिसूचित बंद क्ष्झेत्र या किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौता या अभिसमय के अन्तर्गत संरक्षित स्थान या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघों या अन्य निकायों के द्वारा लिये निण्रयों का अग्रसर करने हेतु संरक्षित क्षेत्र से निकटतां ।
- मानवीय समझौतों से संबंधित ।
- और वह समस्त कारक जिन्हें केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र के पर्यावरण सुरक्षा हेतु सुसंगत समझती है।

प्रक्रियाः– उपनियम (2) निर्धारित करता है कि किसी भी उद्योग पर प्रतिबंध या निर्बन्धन लगाते समय केन्द्र सरकार निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुशरण करेगीः–

(ए) जब भी केन्द्र सरकार उचित समझती है कि उद्योग के स्थान या उस विशिष्ट क्षेत्र में विद्यमान उद्योग पर प्रतिबंध लगाना वांछनीय है तो वह सरकारी बजट में प्रकाशित करेगी और किसी अन्य तरीके से भी केन्द्र सरकार इस तरह की सूचना समय–समय पर दे सकती है।

(बी) उपखण्ड (ए) के अन्तर्गत किसी भी अधिसूचना में क्षेत्र, उद्योगों, क्रियान्वयन, प्रक्रिया आदि का संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा और साथ ही उद्योग पर लगाये जाने वाले प्रतिबंधों या निर्बन्धनों के कारणों का भी उल्लेख होगा।

(सी) केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध या निर्बन्धन पर यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह सरकारी गजट में प्रकाशन होने के साठ दिनों के अन्दर केन्द्र सरकार को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(सी) केन्द्र सरकार प्रकाशन होने के एक सौ बीस दिनों के भीतर आये हुये समस्त आपत्तियों का संज्ञान लेगी एवं उपरोक्त प्रकाशन के 365 दिनों के भीतर संबंधित औद्योगिक स्थान या प्रक्रिया पर प्रतिबंध या निषेध लगा सकती है।

19.5.3 उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य एवं दायित्व :–

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 7 उद्योग के संचालन आदि से संबंधित है। इस धारा के अनुसार इन व्यक्तियों को मानक से अधिक पयर्यावरणीय रियायतों का उत्सर्जन या निर्वहन करने की अनुमति नहीं है। धारा 7 निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित मानकों के अतिरिक्त पर्यावरणीय रियायतों का उत्सर्जन या निर्वहन ही कर सकेगा। इस धारा के अन्तर्गत निर्वहन या उत्सर्जन रियायत के लिये अनुमति के रूप में या मानकों से अधिक पर्यावरण विरोधी रियायतों का उत्सर्जन करना सरल वर्जित है।

एम.सी. मेहता बनाम् भारत संघ ए.आई.आर. 1988 सु.को. 115 के मामले में उच्च्तम न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारियों हेतु कुछ दिशा–निर्देश जारी किये हैं ताकि कानपुर में गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम की जा सके, उसमें सम्मिलित है–

(ए) डेयरी से उत्सर्जित कचरे की रोकथाम ।

(बी) नालियों को बड़ा करना और जहाँ नालियाँ न हो वहाँ नाली का निर्माण करना।

(सी) खुली जमीन का उपयोग करने से बचने के लिये सार्वजनिक शौचालय बनाने का प्रावधान ।

(डी) इस तरह के मामलों में यदि आपराधिक कार्यवाही चल रही है तो उच्च न्यायालयों को साधारणतया स्टे आदेश नहीं देना चाहिये।

(इ) शवों या अधजले शवों को नदी में नहीं फेंका जाना चाहिये।

(एफ) नये उद्योग प्रारंभ हेतु लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिये जब अपशिष्ट पदार्थों के उपचार हेतु प्रावधान बने हों एवं विद्यमान प्रदूषित उद्योगों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करना।

(जी) केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण को एक विषय के रूप में शैक्षणिक संस्थाओं में सम्मिलित किया जाना।

(एच.) व्यक्तियों को पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराया जाना चाहिये।

अधिनयम की धारा 8 व्यक्तियों पर यह अधिरोपित करती है कि सभी लोग खतरनाक पदार्थों के रख रखाव में नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन और सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेंगे। यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति विनिर्धारित सुरक्षा उपायों और प्रक्रिया के अलावा कोई भी खतरनाक पदार्थ का रखरखाव नहीं करेगा।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का नियम 13 विभिन्न क्षेत्रों में खतरनाक वस्तुओं के रखरखाव पर प्रतिबंध एवं निषेध से संबंधित है। नियम –13 के प्रावधान इस प्रकार हैः–

1 विभिन्न क्षेत्रों में खतरनाक वस्तुओं की देखरेख करने वालों पर निषेध एवं प्रतिबंध लगाते समय केन्द्र सरकार निम्नलिखित कारकों पर ध्यान देगी–

- खतरनाक प्रकृति के ऐसे पदार्थ (मात्रात्मक या गुणात्मक) जिनसे पर्यावरण, मानव जाति, अन्य जीवन जन्तुओं, पौधो और सम्पत्ति का नुकसान पहुंचने की संभावना हो,
- निषिद्ध या प्रतिबंधित करने के लिये प्रस्तावित पदार्थों के विकल्प के रूप में या आसानी से उपलब्ध होने वाले पदार्थों के संबंध में ।
- विकल्प की स्वदेशी उपलब्धता या एक सुरक्षित विकल्प विकसित करने के लिये देश में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता की स्थिति।
- प्रश्न सूचक खतरनाक वस्तुओं के पूर्णरूपेण निषेध के नये विकल्प के क्रमिक परिचय के लिये यह परिपक्वता अवधि आवश्यक भी हो सकती है और

- और अन्य कोई कारक जिसे पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र सरकार सुसंगत समझती है।

2 खतरनाक वस्तुओं, जिसमें इनका आयात एवं निर्यात भी सम्मिलित है, के रखरखाव पर प्रतिबंध या निषेध का प्रश्न हो तो केन्द्र सरकार निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करेगी :–

- जब कभी भी केन्द्र सरकार को ऐसा लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र में खतरनाक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है, केन्द्र सरकार सरकारी गजट में प्रकाशन करके या किसी अन्य तरीके से, समय–समय पर इस प्रकार की सूचना प्रकाशित कर सकती है।
- उपखण्ड –1 के अन्तर्गत प्रत्येक अधिसूचना में खतरनाक पदार्थों एवं भौगोलिक क्षेत्रों या संबंधित अधिसूचित क्षेत्र का सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध रहेाग एवं साथ ही प्रतिबंध लगाने का निषिद्ध करने के कारणों का स्पष्टीकरण भी उपलब्ध रहेगा।
- उपखझण्ड (1) द्वारा निषिद्ध या प्रतिबंधित खतरनाक वस्तुओं वाले क्षेत्र पर यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिनों के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- केन्द्र सरकार सरकार गजट में प्रकाशन के साठ (60) दिनों के भीतर समस्त आपत्तियों को संज्ञान में लेगी ।

19.5.4 जब पर्यावरणीय प्रदूषक निर्धारित मानकों से अधकि हो:–

ऐसे मामलों में जहाँ पर्यावरण प्रदूषण का निर्वहन निर्धारित मानकों से अधिक है, व्यक्तियों के दायित्व का निर्धारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 9 के अन्तर्गत उल्लेखित है, यह धारा कुछ व्यक्तियों पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि कहां निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरणीय प्रदूषकों का निर्वहन होता है, इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों एवं ऐजेन्सी को दी जाये। अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान इस प्रकार हैः–

धारा 9(1) :– जहाँ पर्यावरण प्रदूषकों का निर्वहन निर्धारित मानकों की अपेक्षा अधिक होता है या किसी दुर्घटनावश अधिक है कि संभावना है, वहीं वह व्यक्ति जो इस निर्वहन के लिये जिम्मेदार है या जिम्मेदार व्यक्ति या स्थान जहां निर्वहन होता है या होने की संभावना है ही पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु प्रतिबद्ध है साथ है –

(ए) इस तरह की घटना या तथ्यों या इस तरह की घटना या तथ्यों की आशंका की सूचना भी संबंधित व्यक्ति ही देगा जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हुआ है–

(बी) यदि इस तरह प्राधिकारियों या ऐजेन्सी के द्वारा बुलाया जाता है तो वह हर संभव सहायता देने हेतु प्रतिबद्ध है।

धारा 9(2) :– उपधारा (1) में वर्णित किसी भी घटना या तथ्य या घटना या तथ्यों की अंश की सूचना प्राप्त होने पर, उपधारा (1) में उल्लेखित प्राधिकारी या ऐजेन्सी, शीघ्रातिशीघ्र सुधारात्मक उपाय अपनायेंगे ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सके।

धारा 9(3) :– उपधारा (2) में उल्लेखित उपाचारात्मक उपायों से संबंधित यदि प्राधिकारी या एजेन्सी द्वारा कोई व्यय किया जाता है, तो ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा भू राजस्व या सार्वजनिक मांग के बकाये के रूप में संबंधित व्यक्ति द्वारा उस तारीख से जबसे भुगतान किया जाता है और तब तक जब तक भुगतान नहीं हुआ है, संबंधित व्यक्ति द्वारा पुर्नप्राप्त किया जा सकता है।

19.6 प्रवेश और निरीक्षण के संबधं में अधिकारियों की शक्तियाँ

पर्यावरण (संरक्षण) अधीनियम, 1986 की धारा 10 में प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्तियों का वर्णन है।
धारा 10(1) :– इस धारा के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को, युक्तियुक्त समय में, किसी भी स्थान पर प्रवेश का अधिकार होगा :–

(ए) केन्द्र सरकार से संबंधित किसी भी कार्य को करने के उद्देश्य से,

(बी) यदि कोई उद्देश्य है तो वह स्थापित करने हेतु किसी भी क्रिया कलाप का किया जाना या इस अधिनियम द्वारा बनाये गये नियमों, सूचना, आदेश, निर्देश या अधिकारिता के अन्तर्गत किसी कार्य का किया जाना,

(सी) किसी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, ब्यौरा, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जांच एवं परीक्षण के उद्देश्य से या किसी ऐसी इमारत की जांच करने के लिये प्रवेश करना, जिसमें उसे पूर्ण विश्वास है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उल्लेखित कोई अपराध हुआ है या होने वाला है एवं उपकरणों, औद्योगिक संयंत्र लेखा जोखा रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य कोई भौतिक वस्तु की जब्ती करने के लिये प्रवेश करना जिसमें विश्वास करने का पूर्ण कारण है कि यदि इन दस्तावेजों को जब्त नहीं किया गया तो इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध गठित होने में साक्ष्यों को समाप्त कर दिया जायेगा, और इस प्रकार की जब्ती पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक है।

धारा 10(2) कोई भी व्यक्ति जो खतरनाक वस्तुओं का उद्योग संचालित कर रहा है वह उपधारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को हर संभव सहायता देने हेतु बाध्य है। और यदि वह बिना किसी कारण के सहायता पहुंचाने में असफल रहता है, तो वह अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का दोषी होगा।

धारा 10(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कार्य में जानबूझकर देरी करता है या बाधा पहुँचाता है, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का दोषी होगा।

धारा 10(4):– अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों या जम्मू कश्मीर या अन्य कोई क्षेत्र जहाँ यह संहिता लागू नहीं होती, वहाँ प्रचलित संबंधित प्रावधान ऐसी किसी भी खोज या जब्ती के संदर्भ में ठीक उसी प्रकार प्रभावी होंगे जैसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 94 के अन्तर्गत वारंट जारी होने पर प्रभावी होते हैं।

19.7 नमूना लेने की शक्ति एवं प्रक्रिया

धारा 11 :– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 11 नमूना लेने की शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रावधान का निर्धारण करती है:–

धारा 11 (1) केन्द्र सरकार या इस हेतु अधिकृत कोई अन्य अधिकारी को हवा, पानी, मिट्टी या किसी कारखाने, चार दीवारी या विनिर्धारित किसी अन्य स्थान का विश्लेषण करने के उद्देश्य नमूना लेने की शक्ति प्राप्त है।

धारा 11(2) :– उपधारा (1) के अन्तर्गत लिये गये नमूने के परिणाम का विश्लेषण किसी कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा जब तक उपधारा (3) एवं (4) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

धारा 11(3) :– उपधारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत, उपधारा (1) के नमूना लेने वाला व्यक्ति :–

(ए) स्थान के मालिक या उसके अभिकर्ता को विनिर्धारित प्रारूप में सूचना तामील करेगा कि वह नमूने लेकर विश्लेषण करना चाहता है।

(बी) मालिक, अभिकर्ता या किसी व्यक्ति की उपस्थिति में विश्लेषण हेतु नमूना एकत्र करेगा,

(सी) जिस डिब्बे या डिब्बों में नमूना लिया गया है उसे चिन्हित करके सील बन्द किया जायेगा और नमूना लेने वाले व्यक्ति एवं मालिक या उनके अभिकर्ता या व्यक्ति दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

(डी) नमूने के डिब्बे या डिब्बों को बिना किसी विलंब के केन्द्र सरकार द्वारा (धारा 12 के अन्तर्गत) मान्यता प्राप्त योगशाला में भेजा जायेगा।

धारा 11(4)जब उपधारा (1) के अन्तर्गत विश्लेषण के लिये कोई नमूना लिया जाता है एवं नमूना लेने वाला व्यक्ति उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अन्तर्गत उसके मालिक या अभिकर्ता या किसी व्यक्ति को सूचना तामील करता है, तब :–

(ए) ऐसे मामले में जहाँ मालिक या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहते है, नमूना लेने वाला व्यक्ति उस जगह से डिब्बा या डिब्बों में नमूना एकत्रित करेगा जिसे चिन्हित करके उसी के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं सील बंद कर दिया जायेगा।

(बी) ऐसे मामले में जहाँ मालिक या उसका अभिकर्ता या व्यक्ति नमूना लेते समय उपस्थित तो रहता है, लेकिन एकत्रित नमूने पर हस्ताक्षर करने, उसे चिन्हित करने और सील बंद करने को मना करना है जो कि उपधारा (3) के खण्ड (सी) की अनिवार्यता है, ऐसी स्थिति में एकत्रित नमूने को नमूना एकत्रित करने वाला व्यक्ति ही चिन्हत करके हस्ताक्षरित करेगा और सील बंद करके बिना किसी विलंब के धारा 12 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेज देगा और धारा 13 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त या नियुक्त सरकारी विश्लेषक को अधिसूचित करेगा कि मालिक या अभिकर्ता या व्यक्ति जानबूझकर उपस्थित रहा या इन लोगों ने एकत्रित नमूने के डिब्बे या डिब्बों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया । ऐसी सूचना लिखित में दी जायेगी।

नमूना एकत्रीकरण हेतु प्रक्रियाः– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 11 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार या अन्य प्राधिकृत अधिकारी विश्लेष के उद्देश्य हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थ का नमूना ले सकेंगे। किन्तु कोई भी नमूना लेने से पूर्व केन्द्र सरकार या अन्य प्रधिकृत अधिकारी द्वारा स्थान के मालिक या अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को इस उद्देश्य की सूचना दी जायेगी कि वे तत्काल नमूना लेना चाहते हैं ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके । नमूना लेने की प्रक्रिया का वर्णन पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 6 में दिया गया है जो कि इस प्रकार हैः–

नमूना लेने हेतु प्राधिकृत अधिकारी या केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में नमूना एकत्रित करेंगे ताकि उसे दो समान भागों में बांटा जा सके एवं प्रभावी रूप से सील बंद करेंगे एवं उचित रूप से चिन्हित करेंगे एवं जिस व्यक्ति के यहाँ से नमूना लिया गया है उसे अनुमति प्रदान करेंगे कि व वह भी नमूने को चिन्हित कर, हस्ताक्षरित करके उसे सील बंद कर दे। ऐसे मामले में जहाँ नमूना डिब्बों में या छोटी (थोड़ी) मात्रा में लिया गया हैं एवं नष्ट होने की स्थिति में है या ऐसी स्थिति में है कि यदि बाहर निकला तो हानि प्रद हो सकता है तो केन्द्र सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उक्त पदार्थ के दो नमूने डिब्बे को बिना खोले ही एकत्रित करेगा और सुचित रूप से सील करके चिन्हित करेगा। केन्द्र सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एकत्रित नमूनों को इस प्रकार समाप्त कर देंगेः–

(1) एकत्रित नमूने का एक भाग उस व्यक्ति को सौंपा जायेगा जिसकी देखरेख में नमूना लिया गया एवं

(2) दूसरा भाग विश्लेषण हेतु पर्यावरणीय प्रयोगशाला में भेज दिया जायेगा।

<u>विश्लेषण हेतु लिये गये नमूने के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया एवं प्रयोगशाला प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का प्रारूप</u>

जहाँ कहीं भी केन्द्र सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत– कोई नमूना लिया गया है, उसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 8 के अन्तर्गत विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रयोगशाला में इस प्रकार भेज दिया जायेगाः–

1. केन्द्र सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना पर्यावरण प्रयोगशाला में पंजीकत डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा भेज दिया जायेगा।
2. प्राधिकृत अधिकारी की विशिष्ट सील के साथ एवं उस व्यक्ति की सलील या चिन्ह के साथ जिसके यहां से नमूना लिया गया है, दूसरी प्रति अलग से मुद्रित लिफाफे में पंजीकृत डाक या विशेष वाहक द्वारा पर्यावरण प्रयोगशाला को भेज दी जायेगी।
3. निष्कर्ष को तीन प्रतियाँ में परिष्कृत किया जायेगा और सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उस अधिकारी को भेजा जायेगा जिससे नमूना विश्लेषण के लिये प्राप्त किया गया है।
4. सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, विश्लेषण वाले अधिकारी द्वारा दूसरी प्रति अभिलेख के तौर पर रखी जायेगी एवं प्रतिवेदन की तीसरी प्रति को उसके द्वारा न्यायालयीन प्रक्रियाओं हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, यदि कोई प्रक्रिया की जाती है।

19.8 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दंड और अपराध

पर्यावरण (संरक्ष्ण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत, कंपनी द्वारा किये गये अपराधों से संबंधित प्रावधान धारा 16 में है और धारा 17 में सरकारी विभागों द्वारा किये गये अपराधों के संबंध प्रावधान दिये गये है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति (दंड) का प्रावधान एवं नियम, आदेशों और निर्देशों का वर्णन अधिनियम की धारा 15 में दिया गया है किन्तु बचाव संबंधी प्रावधान अधिनियम की धारा 18 में दिये गये हैं जिन्हें सद्भावना पूर्वक उपयोग में लाया जाता है।

कंपनी द्वारा दिये गये अपराधः– अधिनियम की धारा 16 कंपनियों द्वारा किये गये अपराधों का वर्णन इस प्रकार करती हैः–

धारा 16(1) :– जब इस अधिनियम के अन्तर्गत कंपनी के द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित होते समय प्रत्यक्ष रूप से कार्यभार संभा ले हुा था, उत्तरदायी माना जायेगा, वह प्रत्येक व्यक्ति, या कम्पनी अपराध के दोषी माने जायेंगे और उनके विरूद्ध सारी कार्यवाही की जायेगी एवं तदनुसार दंडित भी किये जा सकेंगे। परन्तु इस उपधारा की कोई बाते किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपराधित किसी दंड को नहीं बतायेगी । वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया है । वह यह सिद्ध कर देता है कि यह अपराध गठित न ही इस हेतु पूरी सावधानी बरती गयी।

सरकारी विभाग द्वारा अपराध कारित किया जानाः– इस संदर्भ में अधिनियम की धारा निम्नानुसार वर्णन करती हैः–

धारा 17(1) : जब किसी सरकारी विभाग द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध कारित किया जाता है, विभाग प्रमुख अपराध का दोषी माना जायेगा एवं उसी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दंडित किया जायेगाः–

धारा 16(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सिकी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि यह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबधंक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबधंक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरूद्व कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

इस धारा के प्रयोजनों के लिये :–

(क) ''कम्पनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है, तथा

(ख) फर्म के संबधं में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभ्प्रेत है।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध :–

धारा 17(1) :– जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जायेगा अैर तद्नसार अपने विरूद्ध कार्रवाई किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगाः परन्तु इस धारा की कोई बात किसी विभााध्यक्ष को दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिये जाने का निवारण करने के लिये सब सम्यक, तत्परता बरती थी।

धारा 17(2) – उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी,जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता हे कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्रवाई किये जाने और दंडित किये जाने का भाभी होगा।

अधिनियम तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिये शास्तिः–

अधिनियमों, नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंधन के लिये पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 में कठोर शास्ति का वर्णन किया गया है। धारा 15 की उपधारा (1) कहती है कि जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या निकाले गये आदेशों या किये गये निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंधन के संबधं में कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेकगा, या दोनों से और यदि ऐसी असफल्ता या उल्लंधन चालू रहता है, पांच हजार रूपये तक का हो सकेाग, दण्डनीय होगा। यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्रवाही के लिये संरक्षणः–

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या निकाले गये आदेशों या दिेय गये निर्देशों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की कयी या की जाने वाली आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य

कर्मचारी अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या ऐसे किसी प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी।

19.9 सारांश

इस कार्य में हमने पर्यावरण, इसके प्रदूषकों एवं इसको नियंत्रण करने हेतु केनद्र सरकार की शक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण एवं उद्योगों के स्थान के संदर्भ में अध्ययन किया। पर्यावरण में समस्त तत्व, कारक ओर वह सारी शर्तें सम्मिलित हैं जिनका प्रभाव कुछ के विकास में वृद्धि पर पड़ता है। पर्यावरण में जैव कारक भी सम्मिलित है। जैव कारक जैसे रोशनी, तापमान, जल, वातावरण में उपलब्ध गैसें आदि जैव कारकों के साथ उपलब्ध है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अन्य किसी समस्या से हीं अधिक बड़ी और खतरनाक समस्या है, यह समस्या केवल भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व की एक गंभीर समस्या है। आधुनिक जीवन शैली, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के परिणामस्वरूप ही पर्यावरण के स्तर में गिरावट आयी है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण सुधार के लिये उपाय करने की शक्ति प्रदान करती है कि :–

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, केन्द्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिये आवश्यक समझे पर्यावरण विधि यह निर्धारित करती है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो उद्योग चलाता है या कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है, ऐसे मानकों से अधिक, जो विहित किये जाएं, किसी पर्यावरण प्रदूषक को निस्सारण या उत्सर्जन नहीं करेगा अथवा निस्सारण या उत्सर्जन करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

19.10 शब्दावली

- **अम्ल वर्षा** :– हवाई प्रदूषकों द्वारा जो तेजी से अम्लीय हो गयी है।
- **वायु प्रदूषक** :– हवा मे ंव्याप्त कोई भी पदार्थ, जो उच्च पर्याप्त एकाग्रता में, मनुष्य, अन्य जानवरों, वनस्पति या सामग्री को नुकसान पहुंचा सकता है। हवा से उत्पन्न पदार्थ के लो लगभग किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम संरचना प्रदूषकों में सम्मिलित हो सकते हैं। ये ठोस कणों, तरल बूंदों, गैस या इन सबके मिश्रण के रूप में हो सकते हैं।
- **गौण उत्पादन (उपोत्पाद)** : मुख्य उत्पाद के अलावा एक औद्वोगिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामग्री गौण उत्पाद कहलाती है।
- **चिरकालिक (स्थायी) प्रभाव** :– एक मनुष्य या जानवर पर प्रतिकूल असर के रूप में जिनमें लक्षण बार–बार प्रकट होते हैं या लंबी अवधि तक धीरे–धीरे विकसित होते हैं।
- **संरक्षण** :– प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और नवीनीकृत करने के लिये समय की सबसे लंबी अवधि में उनके उच्चतम आर्थिक या सामाजिक लाभ को आवश्वस्त करना संरक्षण कहलाता है। स्वच्छ नदियाँ और झीलें, जंगली क्षेत्र, विविध वन्य जीवों की आबादी, स्वस्थ मिट्टी और स्वच्छ हवा प्राकृतिक संसाधन हैं जो भविष्य की पीढ़ियों के लिये संरक्षित रखना अत्यावश्यक है।
- **घनत्व** :– एक ठोस, तरल या गैस के आकार के लिये उसके भारीपन को मापने के पैमाने को घनत्व कहते हैं। घनत्व प्रति इकाई मात्रा में वजन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है,

अर्थात –घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम या क्यूबिक फुट प्रति पाउंड / पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। या लगभग 62.4 पाउण्ड प्रति क्यूबिक फुट है।

- **प्रवाह (धारा)** :– पानी या अन्य कोई तरल, आंशिक या पूरी तरह से एक जलाशय, मुहाने, उपचार प्रक्रिया या उपचार संयंत्र से बहने वाली धारा प्रवाह कहलाती है।
- **खतरनाक पदार्थ** :– कोई भी सामग्री जो मानव स्वास्थ्य और / या पर्यावरण के लिये खतरा बन गयी है, खतरनाक पदार्थ की श्रेणी में आती है। खतरनाक पदार्थ बिषैले, संक्षारक, ज्वलनशील, विस्फोटक या रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील होते हैं।

19.11 बोध प्रश्न

सही या गलत

13 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं।

14 विश्लेषण हेतु लिये गये नमूने को केन्द्र सरकार या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोगशाला में भेजा जायेगा।

15 संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक आयोग, एशिया एवं पैसिफिक एशिया ने फरवरी 1985 में चेतावनी दी थी कि एशियन पर्यावरण, पहले से ही अच्छी स्थिति में है।

16 पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 19 के अन्तर्गत खतरनाक वस्तुओं के रखरखाव पर नियंत्रण एवं निर्बन्धन से संबंधित प्रावधान है।

17 तकनीकी विकास के कारण भी पर्यावरण संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई है।

19.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1 सही, 2 सही, 3. गलत 4. गलत 5. सही ।

19.13 स्वपरख प्रश्न

1 पर्यावरण, पर्यावरणीय प्रदूषक एवं पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ की व्याख्या कीजिए एवं पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को समझाइये ।

2 पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियों की चर्चा कीजिए ।

3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के उपबंधों के उल्लंघन के लिये शास्ति एवं अपराधों की व्याख्या कीजिए ।

4 खतरनाक वस्तुओं के रखरखाव पर प्रतिबंध एवं नियंत्रणलगाते समय केन्द्र सरकार द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये एवं किन कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

5 पर्यावरण (संरक्षण) अधीनियम 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दंड एवं विभिन्न अपराधों को समझाइये ।

6 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :–

(ए) प्रवेश एवं निरीक्षण के संदर्भ में अधिकारियों की शक्तियाँ

(बी) नमूना लेने की शक्ति एवं प्रक्रिया

(सी) उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य एवं दायित्व

7 उद्योगों के स्थान के मामले में एवं आयात–निर्यात के मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए ।

8 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिकारियों की प्रवेश एवं निरीक्षण की क्या शक्तियाँ है ?

19.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Garg Rich, “Foriegn Exchange Management”, Vrinda Publications Private Ltd., 2010
2. Bharat, “Foreign Exchange Management Act : Rules and Regulations”, Bharat Law House Pvt Ltd., 2007
3. http://exim.indiamart.com/act-regulations/fera-1993.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Fera
5. http://www.cabible.com/forum/showthread.php/6677-Difference-betwen-FERA-and-FEMA
6. Sharan V, “International Financial Management”, Prentice Hall of India, N. Delhi, 2009
7. Seth A K, “International Financial Management”, Galgotia Publishing Company, 2009

इकाई 20 प्रदूषण कानूनों की रोकथाम और नियंत्रण

इकाई की रूपरेखा

20.1 प्रस्तावना

20.2 जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

- 20.2.1 जल प्रदूषण अर्थ एवं कारण
- 20.2.2 जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु केन्द्रीय बोर्ड
- 20.2.3 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन
- 20.2.4 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त बोर्ड का गठन
- 20.2.5 केन्द्रीय बोर्ड के कार्य
- 20.2.6 राज्य बोर्ड के कार्य
- 20.2.7 प्रदूषक पदार्थ आदि के व्ययन के लिये सरिता या कुंए के उपयोग पर प्रतिबंध
- 20.2.8 नये निकासों और नये निस्सरणों पर प्रतिबंध
- 20.2.9 दंड
- 20.2.10 अपील

20.3 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

- 20.3.1 वायु प्रदूषण का अर्थ एवं कारण
- 20.3.2 केन्द्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- 20.3.3 केन्द्रीय बोर्ड की अधिकार एवं शक्तियाँ
- 20.3.4 राज्य बोर्ड के कार्य
- 20.3.5 वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति
- 20.3.6 बोर्ड की वायु को प्रदूषित करने से व्यक्तियों को रोकने के लिये न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति
- 20.3.7 दंड एवं जुर्माना

20.4 ध्वनि प्रदूषण का अर्थ, कारण एवं प्रभाव

20.5 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

20.6 सारांश

20.7 शब्दावली

20.8 बोध प्रश्न

20.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

20.10 स्वपरख प्रश्न

20.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- जल,वायु एवं शोर प्रदूषण का अर्थ समझने एवं उनके कारणों को जान सकें।
- जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार के संविधान और उसके कार्यों की व्याख्या कर सकें ।

- जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य बोर्ड के कार्यों एवं संगठन की व्याख्या कर सकें ।
- जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत अपील, और विभिन्न जुर्मानों की चर्चा कर सकें।
- वायु (प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1981 को समझ सकें ।
- वायु प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों को घोषित करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति को जान सकें ।
- शोर प्रदूषण अधिनियम की व्याख्या कर सकें।
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को जान सकें ।

20.1 प्रस्तावना

तीव्र गति से बढ़ती हुई विकासात्मक गतिविधियां एवं तेज रफ्तार से होते शहरीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवन स्तर की गुणवत्ता पर जोर डाला है। पर्यावरण के चारों ओर बढ़ता प्रदूषण, वायु और जल के गिरते हुये स्तर का साक्षी है, बढ़ता शोरगुल, बढ़ती गाड़ियों की संख्या आदि भी प्रदूषण की साक्षी है। इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता जानकर मंत्रालय ने प्रदूषण समाप्ति हेतु नीति अंगीकार की है जिसमें विनियमों, विधायन, समझौतो, वित्तीय सहायता आदि विभिन्न तंत्र व्यवस्था का समावेश है ताकि प्रदूषण पर रोक लगायी जा सके एवं उसे समाप्त भी किया जा सके। आगे, पारंपरिक प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुये, पाइप के अंतिम छोर की मरममत के द्वारा संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में वांछनीय लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, अतः प्रदूषण नियंत्रण का रूझान या आवश्यकता, स्वच्छ एवं कम अपशिष्ट तकनीक, पुर्नउपयोग एवं पुननिर्माण , प्राकृतिक संसाधन स्त्रोत, पर्यावरणीय अंकेक्षण एवं संस्थागत एवं मानव संसाधन विकास की ओर स्थानांतरित हो गया । विभिन्न उपायों एवं नीतियों को जमीनी प्रभाव देने के लिये, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें कठोर नियमों, पर्यावरणीय मानकों का विकास, वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्राधिकार सहित क्षेत्रीय पर्यावरणीय नियोजन के लिये क्षेत्रीय एटलस तैयार करना सम्मिलित है।

20.2 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

20.2.1 जल प्रदूषण अर्थ एवं कारण :

नदियों एवं झीलों में खतरनाक पदार्थों का निस्सरण होने की स्थिति मानव क्रियाकलापों का ही परिणाम है। जल प्रदूषण से तात्पर्य मानव क्रियाकलापों द्वारा झीलों, नदियों, समुद्रों और सतही जल में ऐसे निस्सरण से है जिनसे जीवजन्तु या पौधों या जलीय जीवों के जीवन और स्वास्थ्य को हानि उत्पन्न होने की संभावना है। जल प्रदूषण होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैः–

1 **अपशिष्ट (बेकार) पदार्थ का निपटानः** कारखानों और घरों से मल, कचरा और तरल अपशिष्ट कचरे में शामिल है। रासायनिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट में जहरीले एवं विषैले रसायन सम्मिलित रहते हैं। और यह जरहीले रसायन सीधे नदियों में जाते हैं। परिणामस्वरूप नदी का जल मछलियों एवं अन्य जलीय जीव जन्तुओं एवं पौधों के लिये विषाक्त हो जाता है।

2 **रसायनिक खाद एवं कीटनाशक** :– किसान खेती में उर्वरकता लाने के लिये खाद का उपयोग करते हैं एवं कीड़े–मकोड़ों को मारने के लिये कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जिससे खेती को नुकसान होता है। खाद और कीटनाशक पौधों के लिये अच्छे हो सकते हैं किन्तु मनुष्यों

एवं जानवरों के लिये बहुत हानकारक होते हैं। इनमें से बहुत से रसायन तो बारिश के पानी में भी मिल जाते हैं। और फिर तालाबों, नहरों, नदियों एवं समुद्रों में भी मिल जाते हैं।

(3) **मानव मलमूत्र और पशुओं के गोबर का निपटान :–** बारिश से मानव निकास, और पशुओं का गोबर नदियों, झीलों और तालाबों में मिल जाता है। इस तरह दूषित पानी पीने से डायरिया, दस्त, पीलिया, टायफॉयड और कालरा जैसी पानी से होने वाली बीमारियाँ हो जाती है। नदी के प्रदूषित पानी से समस्त जनसंख्या को बीमारी हो सकती है।

(4) **शहरीकरणः–** हाल ही के दशकों में सम्पूर्ण दुनिया में तीव्रगति सी होते शहरीकरण ने अनेकों पर्यावरणीय समस्याओं को जन्मदिया है जैसे जलपूर्ति, अपशिष्ट, जल उत्पादन एवं संग्रहण, उपचार और निदान आदि। बहुत से नगर एवं शहर जो नदियों के किनारे पर बसे हैं उन्होंने अपशिष्ट जल, मल, निकासी आदि की समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया है। शहरी इलाकों में अपशिष्ट जल को बिना उपचार के ही छोड़ दिया जाता है जिनके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है।

(5) **कारखाने (उद्योग धन्धे) :–** बहुत सी नदियों और शुद्ध जल के स्रोत उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट सामग्री से प्रदूषित हो जाते है। उद्योगों से निकलने वाला यह अपशिष्ट जीवन के लिये बहुत हानिकारक होता है। थर्मल पावर संयंत्र इंजीनियरिंग उद्योग, कागज मिल, इस्पात संयंत्र, कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग अपशिष्ट जल उत्पत्ति के बहुत बड़े सहयोगी उद्योग है।

(6) **कृषि (खाद एवं कीटनाशक) अपवाह एवं अनुचित कृषि व्यवहार (पद्धतियाँ):–** मानसून की शुरूआत में या जब भी भारी वर्षा होती है उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों, कीटनशकों एवं अन्य रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से जल प्रदूषित होता है। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाली खेती भी जल प्रदूषण में योगदायी है।

(7) **धार्मिक एवं सामाजिक कार्य (प्रथा.):–** धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक प्रथाएं नदी के जल स्त्रोत के प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। मवेशियों एवं जानवरों के शवों को नदी में बहाया जाता है। नदी के किनारों पर शव जलाये जाते हैं। अधजले शव नदी में बह जाते हैं। इस तरह की प्रथाएं नदी के जल को प्रदूषित करती हैं और जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पडता है। धार्मिक अनुष्ठानों (पर्वों) के दौरान बड़ी संख्या में नदियों में स्नान करना भी पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाता है।

20.2.2 जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु केन्द्रीय बोर्डः–

जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना जलप्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत होती है जो इस प्रकार हैः–

धारा 3(1) :– केन्द्रीय सरकार ऐसी तारीख से (जो असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्य में और संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रारंभ से छः माह के बाद की तारीख नहीं होगी।) जो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक केन्द्रीय बोर्ड गठित करेगी जिसका नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा और वह इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा।

धारा 3(2) :– केन्द्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे,

अध्यक्ष की नियुक्ति :–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम–निर्देशित किया जाने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों की, बावत् विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला

व्यक्ति होगा अथवा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा ।

(ख) पाँच से अनधिक इतनी संख्या में पदधारी जो केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये उस सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे।

(ग) पाँच से अनधिक इतनी संख्या में व्यक्ति, जो राज्य बोर्डों के सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे जिनमें से दो से अनधिक धारा (4) की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में निर्दिष्ट सदस्यों में से होंगे।

(घ) तीन स अनधिक इतनी संख्या में अशासकीय व्यक्ति, जो कृषि, मीन उद्योग या किसी उद्योग या व्यापार के या किसी अन्य हित का जिसका केन्द्रीय सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे।

(ड) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कम्पनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिये दो व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगें,

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जानेवाला एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण की वैज्ञानिक, इंजीनियरी, या प्रबंध संबंधी पहलुओं की, अर्हताएं, ज्ञान और अनुभव है।

धारा 3(3) :– केन्द्रीय बोर्ड पूर्वोक्त नाम वाला तथा शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सम्पत्ति के अर्जन, धारण ओर व्ययन करने की तथा संविदा करने की तथा शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लायेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

20.2.3 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन :–

जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 4 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन के संदर्भ में प्रावधानों का उपबंध करती है।

अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार हैः–

धारा 4(1) :–राज्य सरकार ऐसी तारीख से जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करेगी जिसका वह नाम होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये और वह इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा।

धारा 4(2) राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक अध्यक्ष जो पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित विषयों के बाबत् विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा अथवा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, परन्तु अध्यक्ष या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक होगा जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझें।

(ख) पाँच से अनाधिक इतनी संख्या में पदाधिकारी, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये उस सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे।

(ग) पाँच से अनधिक संख्या में व्यक्ति जो राज्य के भीतर कृत्य करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों में से उस राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे।

(घ) तीन से अधिक इतनी संख्या में अशासकीय व्यक्ति, जो कृषि, मीन उद्योग या किसी उद्योग या व्यापार के या किसी अन्य हित का, जिसका राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिये, प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारानाम निर्देशित किये जायेंगे।

(ड.) राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कम्पनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिये दो व्यक्ति जो उस सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाएंगे,

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला, एक पूर्णकालिक सदस्य–सचिव जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, इंजीनियरी या प्रबन्ध संबंधी पहलुओं की अर्हताएं, ज्ञान और अनुभव है।

धारा 4(3) :– प्रत्येक राज्य बोर्ड सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नाम वाला तथा शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रावाला निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के अधीन, उपबंधों के अधीन रहते हुये संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाया जा सकेकगा एवं उस पर वाद लाया जायेगा।

धारा 4(4) :– इस धारा में किसी बात के होते हुये भी किसी संध राज्य क्षेत्र के लिये राज्य बोर्ड गठित नहीं किया जायेगा, और किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय बोर्ड उस संध राज्य क्षेत्र के लिये राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा।

परन्तु किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय बोर्ड इस उपधारा के अधीन की अपनी सभी शक्तियां और कृत्य या उनसे कोई ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्रत्यायेाजित कर सकेगा जिसे केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

20.2.4 केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त बोर्डों का गठनः

जल प्रदूषण नियंण एवं निवारण अधिनियम 1974 की धारा 13 संयुक्त बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानों का उपबन्ध करती है जो इस प्रकार हैः–

धारा (13) (1) :– इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी,

(क) दो या अधिक समीपस्थ राज्यों की सरकारों द्वारा या

(ख) केन्द्रीय सरकार (एक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में) और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र का संघ राज्य क्षेत्र समीपस्थ एक या अधिक राज्यों की सरकारों द्वारा करार :–

(1) खण्ड (क) में निर्दिष्ट दशा में, भाग लेने वाले सभी, राज्यों के लिये, और

(2) खण्ड 'ख' में निर्दिष्ट दशा में, भाग लेने वाले संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र और राज्य या राज्यों के लिये, संयुक्त बोर्ड के गठन के लिये उपबन्ध करने के लिय किया जा सकेगा, जो ऐसी अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा और ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिये, यदि कोई हो, उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा, जो उस करार में विनिर्दिष्ट की जाये।

संयुक्त बोर्डों की संरचना :– जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 की धारा 14 संयुक्त बोर्डो की संरचना का वर्णन करती है । धारा 14 के प्रावधान इस प्रकार है :–

धारा 14(1) :– धारा –बी की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किये गये करार के अनुसरण में गठित संयुक्त बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम –निर्देशित किया जाने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों, की बावत् विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव

रखने वाला व्यक्ति होगा अथवा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा ,

(ख) भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक से दो पदधारी, जो भाग लेने वाली संबंद्ध राज्य सरकार द्वारा उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम – निर्देशित किये जायेंगे।

(ग) एक व्यक्ति, जो भाग लेने वाली राज्य सरकारों में से प्रत्येक द्वारा सम्बद्ध राज्य में कृत्य करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों में से नाम – निर्देशित किया जायेगा।

(घ) एक आशासकीय व्यक्ति, जो सम्बद्ध राज्य में कृषि, मीन उद्योग या उद्योग या व्यवसाय के हितों का या किसी ऐसे अन्य हित का, जिसका प्रतिनिधित्व भाग लेने वाली राज्य सरकार की राय में होना चाहिये, प्रतिनिधित्व करने के लिये भाग लेने वाली राज्य सरकारों में से प्रत्येक द्वारा नाम– निर्देशित किया जायेगा ।

(ड) भाग लेने वाली राज्य सरकारों के स्वामित्व, नियंत्रण, या प्रबंन्ध के अधीन कम्पनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिये दो व्यक्ति के केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम –निर्देशित किये जायेंगे,

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक पूर्णकालिक सदस्य, सचिव जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक इंजीनियरी या प्रबन्ध संबंधी पहलुओं की अर्हताएं, ज्ञान और अनुभव हैं।

20.2.5 केन्द्रीय बोर्ड के कार्य :–

जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा–16 केन्द्रीय बोर्ड के कृत्यों से संबंधित है । केन्द्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य होगा । राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों एवं कुओं की सफाई करवाना। विशेषतया एवं साधारण रूप से भी केन्द्रीय बोर्ड निम्नलिखित समस्त या कुछ कार्यों को करेगाः–

- जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण से सम्बद्ध किसी विषय पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना,
- राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना और उनके बीच विवादों को सुलझाना।
- राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना और उनका मार्गदर्शन करना, जल प्रदूषण की तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या अपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसन्धान क्रियान्वित और प्रायोजित करना,
- जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, या उपशमन के कार्यक्रमों में लगे हुये, या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर योजना बनाना और उसे संगठित करना जिन्हें केन्द्रीय बोर्ड विनिर्दिष्ट करे,
- जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के बारे में जनसम्पर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम बनाना,
- जल प्रदूषण से ओर उसे प्रभावी निवारण और नियंत्रण के लिये प्रकल्पित उपायों से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र संकलित और प्रकाशित करना और मल तथा व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया और व्ययन से संबंधित निर्देशिकाएं, संहिताएं या पथ प्रदर्शिकायें तैयार करना और उनसे सम्बद्ध जानकारी का प्रसार करना,

- सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से सरिता या कुंए के लिये मानक अधिकथित करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे बातिल करना,
- परन्तु जल की गुणवत्ता, सरिता या कुंए में बहाव की प्रकृति और ऐसी सरिता या कुंए या सरिताओं या कुओं के जल के उपयोग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये एक ही सरिता या कुंए के लिये अथवा विभिन्न सरिताओं या कुंओं के लिये विभिन्न मानक अधिकथित किये जा सकेंगे।
- जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित कराना,
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किये जाएं।

20.2.6 **राज्य बोर्ड के कार्य :–** राज्य बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

- राज्य में सरिताओं और कुंओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना और उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना,
- जल प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या उपशमन से सम्बद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल प्रदूषण और उसके निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार कना,
- जल प्रदूषण तथा उसके निवारण, नियंत्रण तथा उनकी उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना और उनमें भाग लेना,
- जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित कार्यक्रम में लगे हुये या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उससे संबंधित सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना,
- मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव का, मल और व्यावसायिक बहिस्त्राव की अभिक्रिया के लिये संकर्म और संयंत्र का निरीक्षण करना और जल की अभिक्रिया के लिये स्थापित संयंत्र से, उसके शुद्ध करने के लिये संकर्मों से और मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव के व्ययन की पद्धति से, या इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई सम्मति प्रदान करने से संबधित योजनाओं, विनिर्देशों या अन्य आंकड़ों की समीक्षा करना ।
- विभिन्न क्षेत्र की मृदा, जलवायु और जलस्रोतों की विशेष दशाओं का और विशेष रूप से सरिताओं और कुंओं में जल के बहाव की विद्यमान प्रकृति का जिसके कारण तनुकरण की न्यूनतम डिग्री भी संभव नहीं है, ध्यान रखते हुये मल और व्यावसायिक बहिस्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियाँ निकालना,
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिस्रावों के उपयोग की पद्वतियाँ विकसित करना,
- भूमि पर ऐसे मल और व्यावसायिक बहिस्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियां विकसित करना जो सरिता के क्षीण बहाव के कारण तनुकरण की न्यूनतम डिग्री वर्ष के अधिकतम भाग में नहीं हो सकती है, व्यय के लिये दक्ष पद्धतियां विकसित करना,
- किसी सरिता में, अच्छे मौसम में, न्यूनतम तनुकरण को और ऐसे बहिस्रावों के निस्सरण के पश्चात् उस सरिता के जल में अनुज्ञेय प्रदूषण की सहन सीमा को ध्यान में रखते हुये

किसी विशेष सरिता में निस्सारित किये जाने वाले मल और व्यावसायिक बहिःस्रावों की अभिक्रिया के मानक अधिकथित करना,

- मल या कचरा या दोनों का निस्सरण कराते समय व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले बहिस्रावों के मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना,
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के अवस्थान के बारे में सलाह देना, जिसके चलाये जाने से किसी सरिता या कुए का प्रदूषण सम्भाव्य है,
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं या समय समय पर उसे सौंपे जायें।

20.2.7 प्रदूषक पदार्थ आदि के व्ययन के लिये सरिता या कुंए के उपयोग पर प्रतिबंध :–

जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 सरिता या कुंए में प्रदूषक पदार्थ आदि के व्ययन पर प्रतिषेध से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि कौन से कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और कौन से अपराध की श्रेणी में नहीं आते है। इस धारा में राज्य बोर्ड द्वारा दिये गये अपवादों के संबंध में भी बताया गया है।

धारा 24 के प्रावधान इस प्रकार हैः–

- कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी विषाक्त, अपायकर या प्रदूषक पदार्थ को जो ऐसे मानकों के अनुसार अवधारित है जो राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित हों, किसी सरिता या कुंए या मल नाली में या भूमि पर (प्रत्यक्षता या अप्रयत्क्षतः) न तो प्रवेश कराएगा और न प्रवेश करना अनुज्ञात करेगा,
- कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे अन्य पदार्थ को, जो कि अन्य कारणों से या अपने परिणामों से प्रदूषण की सारवान अपवृद्धि ऐसे रीति से करने वाली या करने के लिये सम्भाव्य है कि जिसमें वह सरिता के जल के उचित प्रवाह में या तो सीधे या वैसे ही पदार्थों से मिलकर अड़चन डाल सके, सरिता में न तो प्रवेश कराएगा और न प्रवेश करना अनुज्ञात करेगा।
- किसी सरिता में या उसके आर–पार उसके किनारे या तल के ऊपर कोई भवन, पुल, बार, बांध, जल कपाट, डाक, बंगसार, नाली या मल नाली या अन्य ऐसे स्थायी संकर्मों का जिनका सन्निर्माण करने, सुधार करने या बनाये रखने का उसे अधिकार है, सन्निर्माण करना, विकास करना या बनाये रखना।
- भूमि को ठीक करने के प्रयोजन के लिये या ऐसी सरिता के किनारे या तल को आलम्ब देने, उसकी मरम्मत करने या उसे संरक्षित करने के लिये किसी सरिता के किनारे पर या उनके तल में कोई सामग्री उस दशा में निक्षप्त करना जब ऐसी सामग्री ऐसी सरिता को प्रदूषित करने के लिये समर्थ न हो,
- किसी सरिता में कोई रेत या कंकण या ऐसा अन्य प्राकृतिक निक्षेप रखना जो ऐसी सरिता की धारा में प्रवाहित हुआ हो या उसके द्वारा निक्षिप्त हो गया हो,
- राज्य बोर्ड की सहमति से किसी कुए, ताल या जलाशय में इकट्ठे हुये निक्षेप का किसी सरिता में प्रवेश कराना या प्रवेश करना अनुज्ञात करना।

20.2.8 नये निकासों और नये निस्सरणों पर प्रतिबंध :–

जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 नये निकासों और नये निस्सरणों पर निर्बन्धन के संबंध में बताती है। इस धारा में 1988 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया जिसके अनुसार किसी उद्योग की स्थापना या क्रिया, जिसमें जल प्रदूषण होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में बोर्ड की सहमति लेना अनिवार्य होगा। धारा 25 के अन्तर्गत इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति,

- कोई ऐसा उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया, या कोई ऐसी अभिक्रिया और व्ययन प्रणाली या उसमें विस्तार या परिवर्तन न तो स्थापित करेगा और न स्थापित करने की कोई कार्यवाही करेगा जिससे जल या व्यवसायिक बहिःस्त्राव किसी सरिता या कुंए या मल नाली में या भूमि पर निस्सारित होने की सम्भावना है (ऐसा निस्सारण जिसे इसके पश्चात् इस धारा में निस्सारण कहा गया है) या
- मल के निस्सारण के लिये कोई नया या परिवर्तित निकास उपयोग में नहीं लायेगा, या
- मल का कोई नया निस्सारण आरंभ नहीं करेगा।
- विहित फीस के साथ आवेदन किया जायेगा।
- नये निस्सारण की दशा में, उस भूमि या परिसर से जहां से निस्सारण या नया निस्सारण किया जाना है, बहिःस्त्राव की प्रकृति और संरचना, तापमान, आयतन या निस्सारण की दर के बारे में शर्तें हो सकेंगी।
- वह सहमति केवल ऐसी अवधि के लिये विधिमान्य होगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं और अधिरोपित ऐसी कोई शर्तें किसी ऐसे व्यक्ति पर आबद्धकर होगी जो कोई उद्योग संक्रिया या प्रक्रिया, या अभिक्रिया ओर व्ययन प्रणाली या उसमें विस्तार या परिवर्धन स्थापित कर रहा है या स्थापित करने के लिये कोई कदम उठा रहा है या भूमि या पूर्वोक्त परिसर से बहिःस्त्राव निस्सारित कर रहा है, या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसी सहमति से इन्कार कर सकेगा।
- हर राज्य बोर्ड एक रजिस्टर रखेगा जिसमें इस धारा के अधीन अधिरोपित शर्तों की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और रजिस्टर का उतना भाग जिसका सम्बन्ध किसी भूमि या परिसर से किसी निकास से या किसी बहिःस्त्राव से हो, यथास्थिति, उस निकास, भूमि या परिसर में हितबद्ध या उससे प्रभावित किसी व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये सभी उचित समयों पर खुला रहेगा।

20.2.9 दंडः—

जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 42 कतिपय कार्यों के लिये शास्ति के संदर्भ में बात करती है जिसके अनुसार, जो कोईः—

- बोर्ड के प्राधिकार द्वारा या के अधीन भूमि पर लगाये गये किसी स्तम्भ, थम्ब या खूंटे को या प्रस्तुत, अन्तरलिखित या रखी गयी कोई सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटायेगा, क्षति पहुंचायेगा या विरूपति करेगा, अथवा
- बोर्ड के आदेशों या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधित करेगा, अथवा
- बोर्ड के किसी संकर्म या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायेगा अथवा

- बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी कोई जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अपेक्षा करे, अथवा
- धारा 31 के अधीन किसी दुर्घटना या अन्य अकल्पित कार्य या घटना के होने की सूचना उस धारा द्वारा यथापेक्षित बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों या अभिकरणों को देने में असफलत रहेगा, अथवा
- कोई ऐसी जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उससे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, जानते हुये या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है, अथवा
- धारा 25 और धारा 26 के उपबंधों के अधीन कोई सहमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये जानते हुये या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ज़ुर्माने से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 24 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये शास्ति :–

जो कोई धारा 24 के उपलबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष छः मास से कम न होगी, किन्तु जो छः वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

धारा 25 या धारा 26 के उल्लंघन के लिये शास्ति :–

अधिनियम की धारा 44 यह उपबन्धित करती है कि जो कोई धारा 25 या धारा 26 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष और छः मास से कम न होगी, किन्तु जो छः मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात् वर्धित शास्ति :–

यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 24 या धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है, पुनः उस उपबंध के उल्लंधन के किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोष सिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम न होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

अधिनियम के कुछ उपबन्धों के उल्लंघन के लिये शास्ति :–

इस संदर्भ हेतु एक नयी धारा 45 (ए) इस अधिनियम में 1988 के अधिनियम संख्या 53 की धारा 25 के द्वारा जोड़ी गयी है जो यह प्रावधानित करती है कि जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा जिसके लिये इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति का उपबन्ध नहीं किया गया है वह ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दस हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा और उल्लंघन या असफलता जारी रहने की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिये दोषसिद्ध किये जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा उल्लंधन या ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

20.2.10 अपीले :–

जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम) 1974 की धारा 28 अपील के प्रावधानों को उपबन्धित करती है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी आदेशों के विरूद्ध अपील के प्रावधान इस प्रकार हैः–

- अपील प्राधिकारी एक ऐसे व्यक्ति या तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, उस सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
- वह प्रारूप जिसमें और वह रीति जिससे उपधारा (1) के अधीन अपील की जा सकेगी, ऐसी अपील के लिये संदेय फीस और अपील प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।
- उपधारा (1) के अधीन की गयी अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी और राज्यबोर्ड को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा, यथासंभव शीघ्र करेगा।
- यदि अपील प्राधिकारी यह अवधारित करता है कि, यथास्थिति अधिरोपित शर्त या किसी शर्त में कोई परिवर्तन अयुक्तियुक्त था तो–

(क) जहाँ अपील, अधिरोपित किसी शर्त की अयुक्तियुक्तता के बावत् हो, वहां ऐसा प्राधिकारी यह निर्देश दे सेगा कि वह शर्त या तो बातिल की हुयी मानी जायेगी या उसके स्थान पर ऐसी शर्त रखी जायेगी जो उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो,

(ख) जहाँ अपील किसी शर्त में परिवर्तन की अयुक्तियुक्तता के बाबत् हो, वहाँ ऐसा प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी शर्त बिना परिवर्तन के प्रवृत्त मानी जायेगी या उसमें ऐसी रीति से परिवर्तन किया जायेगा जो उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।

20.3 वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

20.3.1 वायु प्रदूषण का अर्थ और कारणः–

जब हवा में जो, धूल, लौ या गंध नुकसान दायक मात्रा में उपलब्ध होती है, तब वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। अर्थात खतरनाक मात्रा इतनी होनी चाहिये कि जिससे मनुष्यों एवं जानवरों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो या जिससे पेड़–पौधों एवं अन्य पदार्थों को हानि उत्पन्न हो। वह पदार्थ जिनसे वायु प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषक कहा जाता है । वह प्रदूषक जो हमारे वातावरण में उपलब्ध रहते हैं और जिनसे हवा को प्रत्यक्षता नुकसान होता है उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। कार निकासी से निकलने वाले कार्बन डायआक्साइड और कोयले के जलने से उत्पन्न सल्फर डायआक्साइड प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं। यही प्राथमिक प्रदूषक जब वातावरण के साथ मिलकर रासायनिक प्रतिक्रिया देते हैं तो आगे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। परिणाम कारक यौगिक द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध इसका उदाहरण है।

<u>वायु प्रदूषण के कारणः–</u>

1. बहुत सारी चीजों के चलते वायु प्रदूषण होता है । पृथ्वी स्वतः ही वायु शुद्ध करती है। फिर भी वायु प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि पृथ्वी भी इसकी सफाई नहीं कर सकती । जिसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे पर्यावरण पर अम्ल वर्षा, धुंध एवं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में पड़ रहा है।
2. कार, ट्रक, जैट वायुयान और गाड़ियों के अन्य इंजनों से वायु प्रदूषण होता है। इनमें कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और गैसीय ऑक्साइड शामिल है। इस तरह के प्रदूषण से धुंध उत्पन्न होती है (जैसा कि (लॉस एंजिलिस में देखी गयी) जिससे सांस से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ओजोन परत में छेद होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य से निकलने वाली नुकसान दायक किरणों में वृद्धि होती है।

3 कारखाने, आफिस की इमारतें, घर और बिजली उत्पादन करने वाले स्टेशन जीवश्म, ईधन जलाते हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। तेल और कोयले के जलने से धुंध को बढ़ावा मिलता है अर्थात धुंध फैलती है। इस प्रकार वायु प्रदूषण से पेड़–पौधे नष्ट हो जाते हैं, इमारतों को नुकसान पहुँचता है और लोहे पर जंग लगती है।

4 पेट्रोलियम तेल शोधक कारखानों से हाइड्रोजन एवं कार्बन के सम्मिश्रण से बने यौगिक निकलते हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है।

5 बिजली के कुछ तार विद्युत रोधित नहीं होते हैं और उनका विद्युत दाब बहुत अधिक होता है। इससे वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है।

6 घर के अन्दर और बाहर दोनों के परोपजीवों (कीटों) को मारने के लिये और खरपतवार को मारने के लिये कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और यह सब वायु प्रदूषण के कारण है।

7. परमाणु ऊर्जा से निकलने वाले रेडियो धर्मी तत्वों से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो कि धूल के रूप में उपस्थित होती है।

8 पौधों की वृद्धि के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली खाद से भी वायु प्रदूषण होता है।

9 जब कभी घरों के भीतर प्रदूषण होता है तो 'बीमार करने वाले लक्षण' शब्द का प्रयोग किया जाता है। घरों में जब नये कालीन, पेन्ट और या सफाई करने वाले रसायनों से उत्पन्न गैसों को बाहर निकलने हेतु उचित वातायन व्यवस्था नहीं होती है तब उपर्युक्त वर्णित स्थिति उत्पन्न होती है। फंफूंद इत्यादि से भी 'बीमार करने वालों लक्षण' (एस.बी.एस.) की स्थिति उत्पन्न होती है।

10 खनन के दौरान निकलने वाले विभिन्न कणों से वायु प्रदूषित होती है।

11 कागज मिल, रासायनिक संयंत्र, लौह मिल, स्टील मिलें, सीमेन्ट संयंत्र आदि हवा में अवयव उत्सर्जित करते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषित होता है।

20.3.2 केन्द्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 एवं 4 उपबंधित करते है कि कोई भी राज्य जिसमें जलप्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 प्रभाव में है एवं वह राज्य जिसमें राज्य सरकार ने धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है, ऐसा राज्य बोर्ड का प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु राज्य बोर्ड कहलाएगा जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत होगी। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य नियंत्रण बोर्ड उस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के पालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा।

राज्य बोर्डों का गठनः–

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 5 राज्य बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है, इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

धारा 5(1):–ऐसे किसी राज्य में, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधीनियम 1974 (1974 का 6) प्रवर्तन में नहीं है, या उक्त अधिनियम प्रवर्तन में तो है किन्तु राज्य सरकार के उक्त अधिनियम के अधीन किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या गठन नहीं किया है तो राज्य सरकार ऐसी तारीख से जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के

लिये एक राज्य बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम वह होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये और वह इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगां ।

धारा 5(2) :– इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थातः–

(क) एक अध्यक्ष, जिसे पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित विषयों के बावत् विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम– निर्देशित किया जायेकगा परन्तु अध्यक्ष पूर्णकालिक या अंशकालिक, जैसा राज्य सरकार ठीक समझे, हो सकेगा,

(ख) पाँच से अनधिक ऐसी संख्या में, जो राज्य सरकार ठीक समझे, पदधारी, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये उस सरकार द्वारा नाम, निर्देशित किये जाएंगे,

(ग) पाँच से अनधिक ऐसी संख्या में, जो सरकार ठीक समझे, व्यक्ति जो राज्य के भीतर कार्य करने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों में से उस राज्य सरकार द्वारा नाम– निर्देशित किये जायेंगे।

(घ) तीन से अनधिक ऐसी संख्या में, जो सरकार ठीक समझे, अशासकीय व्यक्ति, जो कृषि, मीन उद्योग अथवा उद्योग या व्यापार या श्रम या किसी अन्य हित का, जिनका उस राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिये, प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नाम– निर्देशित किये जायेंगे,

(ड.) दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार के स्वामित्व, नियन्त्रण या प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा जो उस राज्य सरकार द्वारा नाम– निर्देशित किये जायेंगे,

(च) एक पूर्ण कालिक सदस्य–सचिव जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबन्ध संबंधी पहलुओं की ऐसी अर्हताएं, ज्ञान और अनुभव है जो विहित किया जाये और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

परन्तु राज्य सरकार यह सनिश्चित करेगी कि कम से कम दो सदस्य ऐसे व्यक्ति है। जिन्हें वायु की गुणवत्ता के सुधार या वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित विषयों के बारे में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव है।

<u>20.3.3 केन्द्रीय बोर्ड की अधिकार एवं शक्तियाँ :–</u>

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 16 में केन्द्रीय बोर्ड की शक्तियों एवं कृत्यों का वर्णन है। केन्द्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना एवं देश में व्याप्त वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन करना है।

विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय बोर्डः–

- वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसके प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से सम्बद्ध किसी विषय पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगा,
- वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये राष्ट्रव्यापी, कार्यक्रम की योजना बना सकेगा और उसे निष्पादित कर सकेगा,
- राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित कर सकेगा और उनके बीच के विवादों को सुलहा सकेाग,

- राज्य बोर्डो को तकनीकी सहायता दे सकेगा और उनका मार्गदर्शन कर सकेगा, वायुप्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण या उपशमन की समस्या से संबंधित अन्वेषण और अनुसन्धान क्रियान्वित और प्रायोजित कर सकेगा,
- वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के कार्यक्रमों में लगे हुये या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर योजना बना सकेकगा और संगठित कर सकेगा।
- वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के बारे में जन सम्पर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम आयोजित कर सकेगा,
- वायु प्रदूषण से और उसके प्रभावी निवारण नियन्त्रण और अपशमन के लिये परिकल्पित उपायों से संबेधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र, संकलित और प्रकाशित कर सकेगा, और, वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन संबंधी निर्देशिकाएं, संहिताएं या मार्ग निर्देशिकाएं तैयार कर सकेगा,
- वायु की गुणवत्ता के लिये मानक अधिकथित कर सकेगा,
- वायु प्रदूषण से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकेगा और उसका प्रसार कर सकेगा,
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो विहित किये जाएं ।

20.3.4 राज्य बोर्डों के कार्य :–

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 राज्य बोर्ड के कृत्यों के संबंध में प्रावधानित करती है:'–

- वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना,
- वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना,
- वायु प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना,
- वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण या उपशमन से संबंधित कार्यक्रम में लगये हुये या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उससे संबंधित सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना,
- किसी नियंत्रण उपस्कर, औद्योगिक संयत्र या विनिर्माण प्रक्रिया का सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण करना और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये कार्यवाही करने के बावत्, ऐसे व्यक्तियों को, आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देना जैसे वह आवश्यक समझे,
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का ऐसे अन्तरालों पर जो वह आवश्यक समझे, निरीक्षण करना, वायु की क्वालिटी का निर्धारण करना और ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवसारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये उपाय करना,
- केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की क्वालिटी के बारे में अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुये औक्द्योगिक संयंत्रयों तथा आटोमोबाइल से वायुमण्डल में वायु प्रदूषण के उत्सज्रन के लिये मानक अधिकथित करना या किसी पोत या किसी

वायुयान से भिन्न किसी भी अन्य स्रोत से वायुमण्डल में किसी वायु प्रदूषक के उत्सर्जन के लिये कोई मानक अधिकथित करना, परन्तु ऐसे औद्योगिक संयंत्रयों से वायुमण्डल में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के परिमाण और सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुये, भिन्न भिन्न औद्योगिक संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन के लिये इस खण्ड के अधीन भिन्न भिन्न मानक अधिकथित किये जा सकेगे,

- राज्य सरकार के किसी ऐसे उद्योग को जिसमें वायु प्रदूषण होना सम्भाव्य है, चलाने के लिये किसी परिसर या अवस्थान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सलाह देना,
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं या उसे समय–समय पर सौंपे जाएं,
- ऐसी अन्य बातें और ऐसे अन्य कार्य करना जो वह अपने कृत्यों के उचित पालन के लिये और साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यानिवत करने के लिये आवश्यक समझे।

20.3.5 वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति :–

वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19, इस अधीनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, राज्य सरकार को प्राधिकृत करती है कि वह वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा कर सके। धारा 19 के प्रावधान इस प्रकार हैः–

धारा 19(1) :– राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

धारा 19(2):– राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वाराः–

(क) किसी वायु प्रदूषण क्षेत्र का विस्तार करके या उसे घटाकर उसमें परिवर्तन कर सकेगी,

(ख) ऐसा कोई नया वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसमें एक या अधिक विद्यमान वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र या उसका कोई भाग अथवा उसके कोई भाग सम्मिलित किये जा सकें।

धारा 19(3) :– यदि राज्य सरकार की, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी अनुमोदित ईंधन से भिन्न किस ईंधन के प्रयोग से वायु प्रदूषण हो सकता है या होना सम्भाव्य है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र में या उसके किसी भाग का ऐसे ईंधन के प्रयोग को, ऐसे तारीख से (जो अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से कम से कम तीन मास पश्चात् की होगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कीजये प्रतिबद्ध कर सकेगी।

धारा 19(4) :– राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसी तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुमोदित साधित्र से भिन्न किसी साधित्र का प्रयोग किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में स्थित परिसरों में नहीं किया जायेगा।

धारा 19(5) :– यदि राज्य सरकार की, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् यह राय हे कि किसी वायुप्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी सामग्री (जो ईंधन नहीं है) के जलाये

जाने से वायु प्रदूषण हो सकता है या होना सम्भाव्य है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र में या उसके किसी भाग में ऐसी सामग्री के जलाये जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

<u>20.3.6 बोर्ड की वायु को प्रदूषित करने से व्यक्तियों को रोकने के लिये न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति :</u>

अधिनियम की धारा 22(ए) के अन्तर्गत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह वायु को प्रदूषित करने से रोकने के लिये व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में आवेदन कर सकता है। बोर्ड को यह शक्ति 1987 के अधिनियम 47 की धारा 11 अन्तर्गत प्राप्त है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1988 को प्रभाव में आया।

धारा 22–ए(1) जहां बोर्ड को यह आशंका है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी वायु प्रदूषण क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्र प्रचालित करने के कारण या अन्यथा धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक किसी वायु प्रदूषण के उत्सर्जित होने की सम्भावना है, वहां बोर्ड ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वायु प्रदूषण का उत्सर्जन करने से रोकने के लिये किसी ऐसे न्यायालय को, जो किसी महानगर मजिस्ट्रेट के या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायलाय से अवर न हो, आवेदन कर सकेगा।

धारा 22–ए(2) :– उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

धारा 22–ए(3):– जहाँ उपधारा (2) के अधीन न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई वायु प्रदूषक उत्सर्जित कराने या करने की अनुज्ञा देने से रोकने के लये आदेश देता है तो वह उस आदेश में :–

(क) उस व्यक्ति को ऐसी कोई कार्रवाई करने से, जिससे उत्सर्जन होने की सम्भावना है, प्रतिविरत रहने का निदेश दे सकेगा,

(ख) यदि उपखण्ड (क) के अधीन निदेश का उस व्यक्ति ,ारा पालन नहीं किया जाता है, जिसको ऐसा निदेश दिया गया है, तो बोर्ड को ऐसी रीति से, जो न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्देश को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

धारा 22–ए(4) :– उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा उपगत सभी व्यय, भू–राजस्व की या लोक मांग की बकाया के रूप में सम्यक व्यक्ति से वसूल किये जाऐंगे।

<u>20.3.7 दण्ड एवं जुर्माना:–</u>

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37, 38 एवं 39 इस अधिनियम के अन्तर्गत घटित अपराधों के लिये दण्ड एवं शास्ति के संबंध में प्रावधानित करती है।

<u>कुछ कार्यों के लिये शास्ति :–</u>

अधिनियम की धारा 38 कुछ कार्यों के लिये शास्ति का वर्णन करती हे, इसके अनुसार, जो कोई–

(क) बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तंभ, थम्ब या खूंटे को या लगायी गयी, अन्तर्लिखित या रखी गयी किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या क्षति पहुंचायेगा या उसे विरूपित करेगा, या

(ख) बोर्ड के आदेशों या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा डालेगा, या

(ग) बोर्ड के किसी संकर्म या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचायेगा, या

(घ) बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये बोर्ड या ऐसा अधिकारी या अनय कर्मचारी अपेक्षा करे, या

(ड.) राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक परिमाण में वायु प्रदूषकों के वायु मण्डल में उत्सर्जन की घटना या ऐसी घटना होने की आशंका की सूचना धारण –23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में राज्य बोर्ड और अन्य विहित प्राधिकरणों या अभिकरणेां को देने में असफल रहेगा या

(च) कोई ऐसी जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उससे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, ऐसा कथन करेगा जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्ट मिथ्या है, या

(छ) धारा–21 के अधीन कोई सम्मति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, ऐसा कथन करेगा जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्ट मिथ्या है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

अधिनियम के कुछ उपबन्धों के उल्लंघन के लिये शास्ति :–

अधिनियम की धारा अभिनिर्धारित करती है कि जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निर्देश का, जिसके लिये इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति का उपलब्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से दस हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिये दोष सिद्व किये जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

20.4 ध्वनि प्रदूषण का अर्थ, कारण एवं प्रभाव

ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक, अप्रिय ओर मानव, पशु या मशीनयुक्त पर्यावरणीय शोर है, जो मानव एवं जानवरों की क्रियात्मकता या जीवनात्मकता तथा संतुलन को बाधित करता है। ध्वनि शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द नौसिस से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ है विरक्ति या अरूचिपूर्ण या असुविधाजनक। बाहरी शोरगुल का मुख्य स्रोत विनिर्माण एवं यातायात व्यवस्था है, जिसमें मोटर गाड़ी से उत्पन्न शोरगुल, हवाई जहाज और रेल से उत्पन्न शोरगुल भी सम्मिलित है। बेकार शहरी योजना से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है, साथ ही रहवासी क्षेत्र में औद्योगिक एवं आवासीय भवन भी ध्वनि प्रदूषण का परिणाम है।

अत्यधिक शोर से मनुष्य के हृदय को खतरा उत्पान्न हो सकता है, खून के दबाव मे ंवृद्धि हो सकती है और तनाव में वृद्धि होने के साथ–साथ हृदयगति भी रूक सकती है, परिणाम स्वरूप हृदयाघात भी हो सकता है। जानवरों में हिंसक होने का या शिकार का पता लगाने हेतु चेतना उपलब्ध होने का एवं प्रजनन आदि में खतरा उत्पन्न हो सकता है तथा सुनने की शक्ति स्थायी रूप से समाप्त होकर मौत का खतरा बढ़ सकता है।

इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य किसी भी अवांछित ध्वनि से है। मुख्यतः ध्वसनि एक यांत्रिक गड़बड़ी है जो हवा में एक लहर के रूप में एवं अन्यपानी या स्टील की तरह लोच पूर्ण या यांत्रिक रूप में विद्यमान है। मनुष्य का कान ध्वनि तरंगों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ध्वनि डेसीबल में मापी जाती है। लोगारिधमिक स्केल में डेसीबल ध्वनि मापने की मुख्य इकाई है।

निम्नलिखित शोर स्तर स्वीकार्य माना जाता हैः–

औद्योगिक	कार्यशाला प्रयोगशाला	40–60 डेसीबल 40–50 डेसीबल
चिकित्सा	वार्ड	20–35 डेसीबल
आवासीय परिसर	शयनकक्ष मुख्य कक्ष	25 डेसीबल 40 डेसीबल
शिक्षण संस्थान	कक्षा पुस्तकालय	30–40 डेसीबल 35–45 डेसीबल
व्यवसायिक	कार्यालय मंत्रणा कक्ष	30–45 डेसीबल 40–45 डेसीबल

ध्वनि प्रदूषण के कारणः–

ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में शोरगुल के स्त्रोत कहीं अधिक हैं। सामान्यतः स्त्रोत स्थिर या अस्थिर हो सकते हैं।

1 **स्थिर स्त्रोत** :– विभिन्न अवसरों जैसे त्यौहारों, चुनाव के दौरान, मंदिरों, मस्जिदों में पूजन के दौरान लाउड स्पीकरों का उपयोग, विज्ञापन के दौरान, खनन के कार्य के दौरान, बुलडोजर का प्रयोग करने पर, खुदाई एवं चट्‌टानों को तोड़ने में डाइनामाइट का प्रयोग करने पर, घरेलू उपकरण जैसे वैक्यूम क्लीनर, टी.वी., रेडियो, स्टीरियों, ग्राइण्डर, मिक्सर आदि चलाने, सब्जी एवं मछली बाजार से उत्पन्न शोर इस श्रेणी के अन्तर्गत आते है।

2 **अस्थिर स्त्रोत** :– सड़क यातायात, रेल यातायात, वायु यातायात, नौपरिवहन इत्यादि से उत्पन्न शोरगुल को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता हैः–

(1) परिवहन /यातायात से उत्पन्न ध्वनि

(2) औद्योगिक ध्वनि

(3) निर्माण कार्य से उत्पन्न आवाज

(4) अड़ोस–पड़ोस से उत्पन्न आवाज़

(1) **परिवहन /यातायात से उत्पन्न ध्वनि** :– सबसे अधिक ध्वनि यातायात से उत्पन्न होती है। दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि व्यवस्ततम इलाकों में दोपहर की श्ध्वनि 60 डेसीबल (ए) से अलग अलग है। (भारी) व्यस्त यातायात के क्षेत्रों में रात्रि में ध्वनि की मात्रा 90 डेसीबल (ए) तक पहुंच जाती है।

(अ) **सड़क यातायात या राजमार्ग ध्वनि** :– राजमार्ग यातायात से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत है । राजमार्ग से होने वाला शोरगुल दो प्रकार का होता है :– व्यक्तिगत गाड़ियों से उत्पन्न शोर एवं सभी प्रकार की गाड़ियों का निरंतर गतिमान होने से उत्पन्न होने वाला शोर ।

व्यक्तिगत वाहनों से उत्पन्न शोर में इंजन और प्रसारण से उत्पन्न शोर, निःशेष शोर गुल, कार के दरवाजे को बंद करने से उत्पन्न होने वाला शोर और हार्न बजाने से होने वाला शोर भी सम्मिलित है। यातायात गति ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। कुछ अन्य कारक जिन पर यातायात शोर निर्भर करता है वह है यातायात का घनत्व एवं बहुत सारे परिचालन कारक। स्थितियाँ।

गाड़ियों के प्रकार । भारी डीजल इंजन वाली गाड़ियों से सर्वाधिक शोर उत्पन्न होता है। यह भी पाया जाता है कि स्पोर्टस कारों एवं मोटर साईकिलों से खतरनाक ध्वनि उत्पन्न होती है।

(ख) **एयरक्राफ्ट से उत्पन्न शोर** :– यह शोरगुल सड़क यातायात से भिन्न है क्योंकि यह निरनतर जारी रहने वाला शोर गुल नहीं होता है बल्कि यह शोर रूक रूककर होता है। वायुयान के उतरते समय और उड़ान भरते समय शोर बहुत अधिक होता है। विश्व के बड़े–बड़े शहरों में रात्रिकालीन हवाई सेवा पर रोक लगायी गयी है और ध्वनि की सीमा भी निर्धारित की गयी है।

(ग) **रेल यातायात से उत्पन्न ध्वनि** :– रेल यातायात से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, सड़क यातायात या हवाई यातायात से उत्पन्न ध्वनि के समान गंभीर रूकावट नहीं है। रेल यातायात से उत्पन्न ध्वनि सामान्यतः गाड़ियों की अपेक्षा कम आवृत्ति वाली होती है । रेल पटरियों के आसपास बनी इमारतों पर रेल गाड़ियों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। रेल पटरियों के आसपास ध्वनि का स्तर 10–20 डेसीबल तक पहुंच जाता ।

(2) **औद्योगिक शोर** :– उद्योगों में, शोर ऊर्जा रूपान्तरण का गौण उत्पाद है। कम्प्रेशर, जनरेटर, भट्टियाँ, करधे, चक्कियाँ, रिहाई वाले वाल्व, और गंदगी बाहर फेंकने वाले पंखे शोर का सबसे बड़े स्त्रोत है। अधिकांश इकाईयों में शोरगुल का स्तर 80–120 डेसीबल रहता है, जोकि वास्तविकरूप में खतरनाक है। अध्ययन बताते हैं कि उद्योगों में काम करने वाले 1.3 प्रतिशत कामगारों की सुनने की क्षमता बाधित होती है जो कि 80 डेसीबल तक शोर का स्तर बढ़ने से होती है।

(3) **विनिर्माण कार्य से उत्पन्न शोरः–** कारखानों से उत्पन्न शोरगुल की अपेक्षा विनिर्माण स्थलों से उत्पन्न शोर ज्यादा खराब होता है। उसके दो कारण हैं – पहला यह है कि सड़कों, पुलों, इमारतों, बांधों इत्यादि का निर्माण आवश्यक हो सकता है, और दूसरा कारण यह है कि विनिर्माण कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण अधिक शोर उत्पन्न करने वाले होते हैं।

(4) **आस–पड़ोस से उत्पन्न शोरगुल** :– इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार से उत्पनन ध्वनियों के स्त्रोत सम्मिलित हैं, जो साधारण जनता को परेशान एवं क्रोधित करते हैं। जो सबसे अधिक जिम्मेदार स्त्रोत मेरी राय में है वह है कार्यक्रमों, त्यौहारों और चुनावों के दौरान किया जाने वाला लाउड स्पीकरों का प्रयोग । कुछ अन्य स्त्रोत है वैक्युम क्लीनर, टी.वी., रेडियो, कपड़े धोने वाली माशीन इत्यादि । विशेषतः दीपावली, जैसे तयौहारों के अवसर पर पटाखों के प्रयोग से ध्वनि का स्तर बढ़कर 80–100 डेसीबल तक पहुंच जाता है जो कि सामान्य ध्वनि के स्तर 50 डेसीबल से कहीं अधिक है।

ध्वनि प्रदूषण के प्रभावः– वातावरण में अवांछनीय ध्वनि के विद्यमान होने को ही ध्वनि प्रदूषण के रूप में माना जाता है। क्योंकि इससे जीवन जीने की गुणवत्ता में कमी आती है। अवांछनीय ध्वनि का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 100 डेसीबल तक के ध्वनि के स्तर के प्रभाव में रहता है तो बहुत थोड़े ही समय में जहर शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण को एक धीमें श्रवण के रूप में देखा जाता है। प्रो. ग्रैल के अनुसार, 155 डेसीबल से अधिक की ध्वनि से त्वचा जल तक सकती है एवं 198 डेसीबल की ध्वनि से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। शोरगुल से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। इन संदर्भ में डॉ. सैन्युल रोसेन ने यह पाया कि अप्रत्याशित या अवांछित शोरगुल से विद्यार्थी का मन भटक सकता है, त्वचा में पीलापन, श्लेष्म झिल्ली में सूखापन, प्रारंभिक ऐंठन और ऐड्रेनल साथ की स्थिति तक उत्पन्न हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह जैविकता एवं उसकी प्रणाली को परेशान करता है।

मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अन्तर्गत आता है उच्च स्तरीय शोरगुल जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यों एवं जानवरों में विभिन्न व्यावहारिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। मनुष्यों में इससे थकान, तनाव संबंधी बीमारियाँ, हकलाहट, क्रोध, मानसिक असंतुलन, चिड़चिड़ाहट, क्षमता में कमी होना और लगातार गल्तियाँ, होना, नींद में बाधा आदि उत्पन्न होती है। बहुत से मामलों में चिकित्सकीय रूप से भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि शोरगुल केक कारण तंत्रिका तंत्र की ऊर्जा का ह्रास होता है। प्रत्येक व्यक्ति पर शोर का परिणाम अलग–अलग पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इससे खिंचाव, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, चिन्ता उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हार्मोन में असन्तुलन होता है और फिर मानव शरीर पर इसका गलत असर पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता है बल्कि इसका कअसर पक्षियों औेर जानवरों पर भी देखा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण, कभी कभी, पक्षी अंडे देना तक बंद कर देते हैं और जानवर मोसम में संभोग करना बंद कर देते है।

उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति में वद्धि के साथ–साथ ध्वनि प्रदूषण की समस्या ने भी गंभीर रूप ले लिया है। औद्योगीकरण शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण से बहुत से बुराईयों उत्पन्न हो गयी है और मानव स्वास्थ्य के लिय हानिकारक भी है। इससे निद्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हकलाहट हो सकती है, क्षमता में कमी आ सकती है, उच्च रक्तचाप, अवसाद, अक्षमता, आलस्य , पेट संबंधी समस्या, एलर्जी, मानसिक तनाव, क्रोध आदि की संभावना रहती है। जानवरों पर भी इसका ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। किस स्तर तक ध्वनि से खतरा उत्पन्न होता है, यह शोरगुल की अवधि या समय सीमा एवं शोर की तीव्रता पर निर्भर करता है।

20.5 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

वन जीव सलाहकार बोर्ड का गठनः– वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 6 के अन्तर्गत वन्य जीव सलाहकार बोर्ड के गठन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है जो कि इस प्रकार हैः–

धारा 6(1) :– राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र के मामले में प्रशासक, शीघ्रातिशीघ्र अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद एक राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का गठन करेगी, अर्थात –

- राज्य का मुख्यमंत्री संध राज्य क्षेत्र की दशा में यथास्थिति मुख्यमंत्री या प्रशासक अध्यक्ष या वन और वन्य जीव का भारसाधक मंत्री, उपाध्यक्ष ,
- राज्य विधान मंडल के दो सदस्य या विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की दशा में, उस संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के दो सदस्य,
- यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार का सचिव जो वन और वनय जीव का साधक हो,
- मुख्य वन्य जीव संरक्षक, जो सदस्य सचिव होगा,
- वन्य जीव परिरक्षण के निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाला एक अधिकारी
- मुख्य वन्य जीव प्रबंधक, जो सदस्य सचिव होगा।

- इसी प्रकार अन्य अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य, जिनकी संख्या 15 से अधिक नहीं होगी, जिन्हें कि राज्य सरकार समझती है कि वे वन्य जीव संरक्षण में अपनी इच्छा या हित रखते हैं।

धारा 6(2) :– राज्य सरकार मुख्य वन संरक्षक या मुख्य वन्य जीव प्रबंधक की नियुक्ति बोर्ड के सचिव के रूप में करेगी।

धारा 6(3) :– बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में उपधारा (1) के खण्ड (जी) में बताया गया है और रिक्त हुये सदस्यों की पूर्ति विहित तरीके से की जावेगी।

धारा 6(4) :– सदस्य कर्तव्य पालन के दौरान हुये व्यय के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी भत्तों के हकदार होंगे।

बोर्ड के कृत्यः– धारा 8 के अनुसार वन्य जीव सलाहकार बोर्ड राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा–

- उन क्षेत्रों के चयन और प्रबन्ध के बारे में जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, खेल रिजर्व और संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।
- परमिट और अनुज्ञप्ति देने संबंधी नीतियों के निर्माण हेतु परामर्श देने का कार्य करेगा।
- किसी भी अनुसूची के संशोधन संबंधित मामलों में परामर्श का कार्य करेगा। और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित अनय मामलों में भी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किया जाता है, परामर्श का कार्य करेगा ।

20.6 सारांश

विकासात्मक गतिविधियों की बढ़ती गति और तेजी से शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों और गुणवत्ता पूर्ण जीवन पर जोर दिया गया है। हवा और पानी का घटता स्तर, शोर का बढ़ता स्तर, गाड़ियों से उत्पन्न शोर आदि विभिन्न पर्यावरणीय मीडिया में बढ़ते प्रदूषण के साक्षी हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य और संयुक्त बोर्ड का गठन जलप्रदूषण को नियंत्रित करने के कलिये किया गया। इसी तरह, वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य बोर्ड का गठन किया गया, इस बोर्ड के गठन से संबंधित प्रावधान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 में दिये गये हैं । विभिन्न उपायों और नीतियों को प्रभावित करके के लिये बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसमें कठोर नियम, पर्यावरणीय मानकों का विकास, वाहन प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय योजनाओं के साथ–साथ औद्योगिक संस्थान आदि के लिये क्षेत्रीय नक्शा तैयार करना इसमें सम्मिलित हैं। किन्तु फिर भी, पर्यावरणीय प्रदूषण के ऊपर दृष्टि रखने के लिये आम नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है।

20.7 शब्दावली

- **कच्चे नाले** :– अनुपचारित अपशिष्ट जल की सामग्री ।
- **मलप्रवाह पद्धति** :– इस्तेमाल किये गये पानी और ठोस पदार्थ जो कि नाले के माध्यम से एक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र जिसमें घरों का प्रवाह जाता है। अधिमानित शब्द अपशिष्ट जल है।

- **धारा**:– चैनल जिसके माध्यम से एक प्राकृतिक धार या नदी बहती है या एक ही बार बहती है।
- **अपशिष्ट विनिमय** :– ऐसी व्यवस्था जिसमें कम्पनियाँ दोनों ही पक्षकारों के लाभ के लिये उनकी कंपनी द्वारा अपशिष्ट को एक दूसरे से बदलते हैं।
- **अपशिष्ट का प्रवाह** :– घरों, व्यवसायों, संस्थानों और विनिर्माण संयंत्रों से ठोस अपशिष्टों का कुल प्रवाह जिनका पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जलाया जाता है या जमीन में गाढ़ दिया जाता है या "आवासीय अपशिष्ट प्रवाह" के रूप में टुकड़े या "पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट प्रवाह" होता है।
- **अस्थीय जल प्रणाली** :– एक गैर सामुदायिक जल प्रणाली ऐसी प्रणाली है जो कि प्रति वर्ष, प्रतिदिन छः मास से अधिक समय के लिये 25 से कम अरहवासी व्यक्तियों को जल प्रदान करती है, इसे अस्थायी गैर सामुदायिक जल प्रणाली भी कहते हैं।
- **आक्सीडेन्ट** :– एक आक्सीजन युक्त पदार्थ, जो रासायनिक पदार्थों के रासायनिक तत्वों का प्राथमिक घटक है, जो एक नये पदार्थ का उत्पादन करने के लिये रासायनिक रूप से हवा में प्रतिक्रिया करता है।
- **व्यापक हवा** :– वातावरण का कोई भी अप्रतिबंधित भाग उन्मुक्त हवा, चारों ओर से घिरी हवा ।

20.8 बोध प्रश्न

सही या गलत

1. जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य होगा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की नदियों एवं कुंओं में स्वच्छता को बढ़ावा देना ।
2. 100 डेसीबल से अधिक के शोर के स्तर का श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
3. केन्द्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकता एवं न ही दोनों के मध्य उत्पन्न विवाद को सुलझा सकता है।
4. वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की स्थापना वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 6 के अन्तर्गत हुई है।
5. राज्य बोर्ड की सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति नये निर्वहन या सीवेज बनाने की शुरूआत नहीं कर सकता।

20.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1– सही, 2–सही, 3–गलत, 4– सही, 5– गलत ।

20.10 स्वपरख प्रश्न

1 जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत जल प्रदूषण को रोकने एवं नियंत्रण हेतु स्थापित केन्द्रीय बोर्ड के गठन एवं उसके कार्यों की चर्चा कीजिए।

2 जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण राज्य बोर्ड के गठन एवं कार्यों की चर्चा कीजिए।

3 जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नये निर्ममों एवं नये संपादनों पर क्या प्रतिबंध लगाये गये हैं । किसी नये या परिवर्तित मल प्रवाह या मार्ग हेतु सहमति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है ?

4 वायु प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों को रोकने के लये वायु (प्रदूषणनिवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत राज्य बोर्ड को क्या शक्तियां प्रदान की गयी हैं चर्चा कीजिए।

5 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत अपराधों एवं शास्तियों के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

6 वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत निर्धारित राज्य बोर्ड के कार्यों की व्याख्या कीजिए।

7 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये :–

(अ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

(ब) ध्वनि प्रदूषण, इसके कारण और प्रभाव

(स) जल प्रदूषण के कारण

20.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Garg Rich, “Foriegn Exchange Management”, Vrinda Publications Private Ltd., 2010
2. Bharat, “Foreign Exchange Management Act : Rules and Regulations”, Bharat Law House Pvt Ltd., 2007
3. http://exim.indiamart.com/act-regulations/fera-1993.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Fera
5. http://www.cabible.com/forum/showthread.php/6677-Difference-betwen-FERA-and-FEMA
6. Sharan V, “International Financial Management”, Prentice Hall of India, N. Delhi, 2009
7. Seth A K, “International Financial Management”, Galgotia Publishing Company, 2009

इकाई 21 बौद्धिक संपदा अधिकारों के बुनियादी सिद्धान्त एवं उनका अधिग्रहण

इकाई की रूपरेखा

21.1 प्रस्तावना

21.2 बौद्विक सम्पदा अधिकारों का अर्थ एवं प्रकृति

21.3 बौद्विक सम्पदा अधिकारों के लाभ

21.4 बौद्विक संपदा अधिकारों के विभिन्न प्रकार

21.4.1 पेटेन्ट

21.4.2 पेटेन्ट कानू के मूलभूत सिद्धान्त

21.4.3 कापीराइट

21.4.4 कापीराइट के मूलभूत सिद्धान्त

21.4.5 औद्योगिक संरचना

21.4.6 औद्योगिक संरचना के मूलभूत सिद्धान्त

21.4.7 खाका (रचना)

21.4.8 ट्रेडमार्क

21.4.9 ट्रेडमाक के मूलभूत सिद्धान्त

21.4.10 भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा

21.4.11 नये पौधों की विविधता की सुरक्षा

21.5 सारांश

21.6 शब्दावली

21.7 बोध प्रश्न

21.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

21.9 स्वपरख प्रश्न

21.10 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- बौद्विक संपदा अधिकार के अर्ध, प्रकृति और उद्देश्यों की व्याख्या कर सकें।
- बौद्विक संपदा अधिकारों के लाभों की व्याख्या कर सकें।
- विभिन्न बौद्यिक संपदा अधिकारों, उनकी विशेषताओं एवं सिद्वान्तों की व्याख्या कर सकें।

21.1 प्रस्तावना

अर्थव्यवस्था की नयी जानकारी के आगमन के साथ, कुछ पुराने और मौजूदा प्रबंधन रचना और दृष्टिकोण को बदलना होगा। अर्थव्यवस्था का ज्ञान नवाचार और ज्ञान आधारित परिसम्पत्तियों को समझने और प्रबंधित करने के बारे में तात्कालिकता का एक टैग रखता है । किसी संस्था, उद्यम सरकार और उद्योग की सफलता का निर्धारण करने के लिये ज्ञान अर्पित करने हेतु लगने वाला समय एक महत्वूर्ण पैरामीटर बन गया है। जितने कम समय में ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। सफलता की उतनी ही अधिक संभावना होती है।

बदलते व्यापारिक माहौल के साथ ही बौद्विक संपदा अधिकार कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण हो गये हैं बदलते व्यापारिक माहौल की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। जैसे वैश्विक प्रतिद्वन्द्विता, उच्च स्तरीय नवाचार की जोखिक लघु उत्पाद चक्र, तकनीक में त्वरित परिवर्तन की आवश्कता, अनुसंधान एवं विकास में अधिक विनिवेश, उत्पाद एवं विपणन एवं अत्याधिक कौशलयुक्त मानव संसाधन। व्यापार की बहुपक्षीय व्यवस्था एवं नये उभरते आर्थिक आदेशों के कारण राष्ट्रों के मध्य व्यापार की भौगोलिक बाधाएं समाप्त होती जा रही है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैश्विक वयापार की जटिलाताओं में वृद्धि हो सकती है और प्रभावित करने वाली वस्तुओं का आगमन होगा और इससे अनिश्चितता की संभावना भी बढ़ेगी । बहुत सारे उत्पाए और तकनीकें एक साथ विकसित की जाती है और बहुत से देशों में उनका उपयोग किया जाता है। सेवाओं और वस्तुओं के व्यापार की शुरूआत होने के साथ ही बौद्विक सम्पदा अधिकारों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, इसकी वजह से यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ज्ञान की खोज करने वाले को उसके अधिकार प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों और तकनीकों को विकसित करने वालों को अनुसंधान एवं विकास की कीमत भी उसमें जोड़नी होगी एवं साथ ही नये उत्पाद को बाजार में लाने के लिये लगने वाली अन्य कीमतों को भी इसमें जोड़ना होगा क्योंकि अनुसंधान एवं विकास कार्यों में बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है और परिणाम स्वरूप लाभ भी बहुत अधिक मात्रा में होता है।

बौद्धिक संपदा को प्राप्त करना, रचनात्मकता प्रदान करना, संरक्षित और प्रबंधित करना ठीक उसी तरह एक कार्पोरेट गतिविधि हो गयी है जैसे संसाधनों और राशि में वृद्धि करना तो ज्ञान रूपी क्रांति बौद्धिक संपदा एवं संपूर्ण निर्णय लेने की मांग करेगी। यह भी समझना महत्वपूर्ण होगा कि कोई भी उम्पाद विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों का समायोजन है। वैश्विक समुदाय द्वारा अनुभव की जा रही प्रतिस्पर्धा के मामले में कई उद्योग, तेजी से बाजार की मांगों का जबाव देने के लिये एवं कीमतों में प्रतिस्पर्धा रखने के लिये अपनी विशेषज्ञता साझा करने हेतु अपना हाथ मिलाने लगे है। नये विचारों एवं प्रयोगों का निरंतर प्रवाह बनाये रखने के लिये, अनुसन्धान एवं विकास संस्थान में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को जीत या पूर्ण प्राप्ति की स्थिति में आने के लिये अधिक प्रेषित होना चाहिये। इसलिये सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्था और एजेन्सियों को जमीनी स्तर पर नयी वास्तविक विकताओं के साथ अवश्य ही आना होगा। और अधिकाधिक बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रादुर्भाव करने के लिये गहन सार्थक अनुसन्धान हेतु सकारात्मक कदम उठाने होंगे ताकि इन अधिकारों की संरक्षण हो सके एवं प्रभावी रूप से इन्हें प्रबंधित किया जा सके।

21.2 बौद्विक सम्पदा अधिकारों का अर्थ एवं प्रकृति

बौद्विक सम्पदा अधिकार क्या है:–

बौद्विक सम्पदा अधिकार कानूनी अधिकार होते है, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कापीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदि को बौद्विक सम्पदा अधिकार कहते है। जिस प्रकार कोई भौतिक धन का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई बौद्विक सम्पदा का भी स्वामी हो सकता है, इसी लिये बौद्विक सम्पदा अधिकार प्रदान किये जाते है। व्यक्ति अपने बौद्विक सम्पदा के उपयोग का नियंत्रण कर सकता है । इन अधिकारों के कारण उसकी सुरक्षा होती है और लोग खोज और कुछ नया करने के लिये तत्पर रहते हैं। इस कारण के तहत बौद्विक सम्पदा के स्वामी को अर्मूत संपत्ति के कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति :–'कापीराइट के अतिरिक्त सभी बौद्धिक संपदा अधिकारा क्षेत्रीय अधिकार है, जो कि इस संदर्भ में विश्वव्यापी हैं कि यह बर्न अभिसमय के समस्त सदस्यों को तत्काल

उपलब्ध हैं । राज्य द्वारा यह अधिकार दिये जाते हैं और इन अधिकारों पर उनके धारणकर्ता का पूर्णाधिकार या एकाधिकार होता है, कोई भी व्यक्ति धारणकर्ता की इच्छा के बिना इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह जानना आवश्यक है कि समय–समय पर इन अधिकारों का पुनर्नवीनीकरण आवश्यक होता है, केवल कापीराइट और, व्यापार के रहस्य को छोड़कर अर्थात कापीराइट और व्यापार के रहस्य के पुनर्नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की एक निश्चित समय–सीमा होती है, केवल ट्रेडमार्क और भौगोलिक चिन्हनों की कोई तय सीमा नहीं होती है, इनका काल अनिश्चिकालीन होता है बर्तें कि विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद फीस अदा करके इसका पुनर्नवीनीकरण किया गया हो।

ट्रेड सीक्रेट का भी काल या समय सीमा अनिश्चित होती है किन्तु उन्हें पुनर्नवीकरण की आवश्यकता नहीं होती । बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सौंपा जा सकता है, भेंज दिये जा सकते है, बेचे जा सकते है और किसी भी अन्य सम्पत्ति की तरह अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) भी प्राप्त की जा सकती है। अन्य चल एवं अचल समपत्तियों के विपरीत, इन अधिकारों को बहुत से देशों में एक साथ एक ही समय में रखा जा सकता है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार का केवल विधिक व्यक्तित्व है जैसे–इन्हें सम्पत्ति खरीदने एवं बेचने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में कोई संस्था जो कि स्वायत्त संस्था नहीं है, उसे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के धारण करने का अधिकार नहीं है, विशेषतः पेटेन्ट, कापीराइट, औद्योगिक डिजायन, आईसी का बाहरी खाका डिजायन, एवं ट्रेड सीक्रेट आदि अधिकार कुछ नयापन लिये होते हैं और मौलिकता से जुड़े होते हैं, इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ भी पहचान रखते हों, उपयोक्त उल्लिखित अधिकारों के माध्यम से नहीं पहचाना जा सकता है। हालांकि कुछ कृषि और पारंपरिक उत्पादों की रक्षा के लिये भौगोलिक संकेतों का उपयोग करना संभव होगा।

21.3 बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लाभ

बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के आविष्कार कर्ता या बनाने वालों को यह अधिकार विशेष अधिकारों को प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं और इस प्रकार उन्हें सूचनाओं के वितरण, योगदान एवं आंकड़ों को गोकपनीय रखने में सहायक होते हैं। यह विधिक संरक्षण भी प्रदान करते हैं एवं उनके काम के लिये उनहें प्रोत्साहन भी दिया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिनियम के अन्तर्गत मंजूर अधिकार सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाते हैं।

21.4 बौद्धिक सम्पदा अधिकारेां के विभिन्न प्रकार

सामूहिक रूप से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं जिनको संरक्षित करने के लिये सामूहिक रूप से उपयोग में लाया जा सकता है, इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आविष्कारी कार्य आते हैं।

- पेटेन्ट
- कापीराइट
- ट्रेडमार्क
- पंजीकृत (औद्योगिक) डिजायन
- आई.सी. ले–आउट (खाका) डिजायन की सुरक्षा
- भौगोलिक संकेत एवं

- अप्रकटित जानकारी की सुरक्षा

21.4.1 **पेटेन्ट :–**

पेटेन्ट सरकार द्वारा दिया जाने वाला वह अद्वितीय अधिकार है जिसके तहत किसी भी नयी खोज से बनने वाले पदार्थ पर खोजकर्ता को एकाधिकार दिया जाता है, बशर्ते कि विधि द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन अन्वेषणकर्ता द्वारा कर लिया गया हो। विशिष्ट अधिकार से तात्पर्य है कि एक निश्चित समय–सीमा तक न तो कोई उस उत्पाद को बना सकता है और न बेच सकता है, और अगर यदि वह बनाना चाहे तो उसे पेटेन्ट धारक की अनुमति लेनी होगी । पेटेन्ट की अवधि सीमित समय तक रहती है । अधिकार के स्वामित्व के अलावा, पेटेन्ट धारक द्वारा इन अधिकारों का उपयोग शोषण भी देश के अन्य कानूनों के कारण संभव नहीं है। यह विधि स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य आदि से संबंधित हो सकती है।

विधि में पेटेन्ट एक सम्पदा का अधिकार है एवं इसलिये इसे भी अन्य सम्पत्तियों की तरह दान दिया जा सकता है, विरासता में मिल सकता है, इसे किसी को सौंपा जा सकता है, बेचा जा सकता है या लाइसेंस भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही राज्य द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है राज्य इसे विशेष परिस्थितियों में रद्द कर सकती है भले ही पेटेन्ट को बेचा या लाइसेंस या निर्माण या इसी दौरान उसका विपणन किया गया हो।

पेटेन्ट क्षेत्रीय प्रकृति का होता है और अन्वेषकों /उनके भागीदारों को, उन देशों में पेटेन्ट प्राप्त करने के लिये आवश्यक शुल्क के साथ, उनके देशों के हित के अनुसार अलग–अलग पेटेंट का आवेदन करना होगा। एक नयी रासायनिक प्रक्रिया, या दवाई, या इलेक्ट्रोनिक सर्किट या कोई नया सर्जिकल उपकरण या एक वैक्सीन पेटेन्ट के विषय में बशर्ते कि कानून की सभी शर्तो का यथासंभव पालन किया गया हो ।

21.4.2 **पैटेन्ट विधि के आधारभूत सिद्धान्त :–**

भारत में पहला पेटेन्ट कानून 1856 में लागू किया गया। समय–समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। नया पेटेन्ट कानून 1870 में भारतीय पेटेन्ट अधीनियम के रूप में आया। टी.आर.आई. पी. एस. के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिये अधिनियम में संशोधन किया गया है। हाल ही में 2005 में संशोधन किया गया था जो पहले से 2002 एवं 2003 में संशोधन द्वारा लाये गये थे। जब संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भारत पेरिस अभिसमय, पेटेन्ट सहयोग समिति और बुडापेस्ट संधि का सदस्य बन गया।

संशोधन अधिनियम के मुख्य एवं विशिष्ट प्रावधान इस प्रकार हैः–

1 **खोज (आविष्कार) की परिभाषाकः–**

खोज से तात्पग्र नये उत्पाद या प्रक्रिया की खोज से है जिसमें आविष्कारक कदम तथा औद्योगिक प्रभावशीलता की क्षमता सम्मिलित है। नयी खोज से तात्पर्य एक ऐसी खोज या तकनीक से है जिसका अपने देश में या विश्व में कहीं भी, पेटेन्ट हेतु आवेदन करने की दिनांक तक, किसी भी दस्तावेज में प्रकाश नहीं हुआ है। जैसे – पेटेन्ट हेतु आवेदित विषय सामग्री सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आयी हो या न ही वह कला की स्थिति का हिस्सा हो।

मौजूदा ज्ञान की तुलना में अधिक तकनीकी ज्ञान या आर्थिक महत्व या दोनों आदि आविष्कारक चरणों में सम्मिलित हैं । और यह कला में निपुण व्यक्ति के लिये कुछ स्पट नहीं करता है। ''औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होने का अर्थ है कि आविष्कार का किसी उद्योग में उपयोग किया जा सकता है।''

नवीनता :कोई आविष्कार नवीन तभी माना जायेगा यदि वह कला की वैश्विक स्थिति का हिस्सा नहीं बनता है। मैगजीन (पत्रिका) तकनीकी जर्नल, किताबों, समाचार पत्रों आदि से प्राप्त जानकारियाँ ही कला की स्थिति निर्मित करती है। किसी सेमिनार या कान्फ्रेंस में आविष्कार या खोज की मौखिक जानकारी देना भी इसकी नवीनता को समाप्त कर सकता है।

नवीनता को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आंका जाता है। कोई खोज अपनी नवीनता तब खो देता है जब उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप स किसी प्रकाशन के माध्यम से हो जाती है। शर्त यह है कि पेटेन्ट हेतु आवेदन देने के पूर्व विश्व में कहीं भी उपरोक्त खोज का प्रकाशन न हुआ हो। अतः कोई पेपर प्रकाशित होने से पहले यह सलाह दी जाती है इस बात की थोड़ी सी भी सम्भावना है कि उपरोक्त खोज पेटेन्ट योग्य है तो उसका पेटेन्ट हेतु आवेदन कर दिया जाए। देश के हित में अपने द्वारा की गयी खोज का पहले उपयोग करना भी उसकी नवीनता को नष्ट कर सकता है।

व्यापक साहित्य और पेटेन्ट खोजों के माध्यम से नवीनता निर्धारित की जाती है। यह एहसास होना चाहिए कि नवीनता का पता लगाने के लिये पेटेन्ट खोज अत्यन्त आवश्यक ओर जरूरी है, क्योंकि पेटेन्ट दस्तावेजों में दी गयी अधिकांश सूचना कहीं भी प्रकाशित नहीं होती है। किसी भी आविष्कार की नवीनता के लिये, बड़ी सफलता होने की आवश्कयता नहीं है। कोई भी आविष्कार छोटा या बड़ा नहीं होता है। कला, प्रक्रिया या उत्पाद या दोनों की वर्तमान स्थिति में संशोधन पेटेन्ट के लिये उम्मीदवारी हो सकती है, बशर्ते कि ये पहले जानकारी में नहीं थे। उदाहरण के लिये रासायनिक प्रक्रिया में, प्रतिक्रियाओं का उपयोग, उत्प्रेरक का उपयोग, नयी प्रक्रियात्मक स्थिति पेटेन्ट करने योग्य आविष्कार को जन्म दे सकती है।

आविष्कारशीलता (गैर स्पष्टता) :–एक पेटेन्ट आवेदन में एक खोज परक कदम शामिल है यदि प्रस्तावित आविष्कार कला में कुशल व्यक्ति के लिये स्पष्ट नहीं है, जैसे पेटेन्ट आवेदन के विषय में कुशलता । पूर्वकला को आविष्कार की ओर यह सोचकर केन्द्रित नहीं करना चाहिये कि विषय विशेषज्ञ ने पेटेन्ट आवेदन करने से पहले आविष्कार के बारे में सोचा नहीं होगा । आविष्कारशीलता को अप्रकाशित पेटेन्ट उपलब्ध सामग्री के आधार पर विनिश्चिता नहीं किया जा सकता। एक आविष्कारशील कदम की जटिलता या सादगी, का पेटेन्ट के अनुदान पर कोई असर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में बहुत ही साधारण आविष्कार पेटेन्ट के लिये अर्हता प्राप्त कर सकता है। यदि समय पर प्रस्तावित पेटेन्ट और पूर्व कला के बीच एक आविष्कारशील कदम है, तो एक आविष्कार हुआ है।

उपयोगिता (सार्थकता) :– पेटेन्ट के अनुदान के लिये आविष्कार की उपयेागिता होना आवश्यक है। किसी भी आविष्कार के लिये वैध पेटेन्ट नहीं दिया जा सकता है यदि उसकी सार्थकता या उपयोगिता न हो पेटेन्ट विर्दिशन को उनके अभ्यास के विभिन्न उपयोगों और तरीके को समझना चाहिये, भले ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया हो। यदि आप एक प्रक्रिया का दावा कर रहे हैं तो आपको इसके द्वारा उत्पादित कम्पाउंड के उपयोग का वर्णन नहीं करना चाहिये। फिर भी ऐसा करना सुरक्षित होगा । लेकिन यदि आप किसी यौगिक का दावा बिना उसकी उपयोगिता बताये कर रहे हैं तो आपको पेटेन्ट देने से मना किया जा सकता है।

(2) **गैर पेटेन्ट योग्य आविष्कार** :– किसी भी आविष्कार की नवीनता, आविष्कारशीलता एवं उपयोगिता की स्थितियों से संतुष्टि पेटेन्ट दिला सकती है किन्तु निम्नलिखित स्थितियों में पेटेन्ट के लिये अर्हता नहीं मिल सकती है:–

1. एक आविष्कार जो अच्छी तरह से स्थापित प्राकृतिक कानूनों के विपरीत स्पष्ट दावा करता है जैसे निरंतर गतिमान मशीनों के विभिन्न प्रकार ।

2. ऐसी खोज जिसका अपेक्षित उपयोग या अनुपयोग करने सार्वजनिक आदेश या नैतिकता के विपरीत है या जिससे मनुष्य, जानवर या पौधों के जीवन, स्वास्थ या पर्यावरण का खतरा होने की संभावना है जैसे ब्राउनशुगर बनाने की प्रक्रिया का पेटेन्ट नहीं मिलेगा।
3. केवल वैज्ञानिक सिद्धान्त या एक अमूर्त सिद्धान्त के निर्म्रण की खोज जैसे रमन असर और सापेक्षिकता का सिद्धान्त का पेटेन्ट किया जा सकता है।
4 किसी परिचत पदार्थ के नये रूप की खोज मात्र जिसका प्रभावकारिता की वृद्धि में कोई असर नहीं पड़ता है या किसी नयी संपदा की खोज या किसी उपलब्ध पदार्थ का नया उपयोग या उपलब्ध प्रक्रिया, मशीन या संयंत्रों का उपयोग मात्र ही पेटेन्ट की दावेदारी नहीं देती है, अब तक कि इस प्रक्रिया का परिणाम एक नयचे उत्पाद के रूप में न हो या कम से कम एक अभिकारक तो बन गया हो। इस खण्ड के उद्देश्यों के लिये, लवण, यौगिक ईथर, चयापचय, पोलीमार्क, शुद्धरूप, कणों का आकार, संवयव, संवयवों का सम्मिश्रिण, जटिलताएं, संयोजन एवं परिचित पदार्थों के व्युत्पन्न शब्द को एक पदार्थ माना जायेगा, जबतक प्रभावोत्पादकता के संबधं में उनके गुणों में भिन्नता न हो।
5 मात्र सम्मिश्रण (संवहनी) द्वारा प्राप्त पदार्थ जो कि उसकी विरूपताओं के गुणों का केवल एकत्रीकण या ऐसी पदार्थ बनाने की प्रक्रिया का परिणाम है।
6 ज्ञात उपकरणों की सुविधाओं की मात्र व्यवस्था या पुनर्व्यवस्था या दोहराव सभी स्वतंत्र रूप से, एक दूसरे के मार्ग में काम कर रहे हैं। जब कहीं अँधेरा है, और बारिश हो रही है और आप चाहते हैं कि लोग आपको बारिश में घूमते हुये देख सकें तो आप अपनी टार्च जलाकर छाते के पास रोशनी करते हैं, तब यह व्यवस्था बल्ब के रूप में पेटेन्ट योग्य है, एवं छाता स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है।
7 कृषि या बागवानी का तरीका । उदाहरण के लिये छत पर की जाने वाली खेती के तरीके का पेटेन्ट नहीं किया जा सकता है।
8 चिकित्सा, शल्य क्रिया, रोग निवारक, रोग निरोधी, नैदानिक, चिकित्सकीय या मनुष्यों को उपचार किया जाने वाला अन्य तरीका या पशुओं के उपचार हेतु अपनायी जाने वाली समान प्रक्रिया जो उन्हें रोग से मुक्त करती है या आर्थिक मूल्य को बढ़ावा देती है या उनके उत्पादों को बढ़ाने वाली प्रक्रिया आदि। उदाहरण के लिये एक नयी शल्य क्रिया तकनीक जिसके द्वारा हाथ के दबाब (संकुचन) को हटाने के लिये की जाने वाली शल्य क्रिया पेटेन्ट योग्य नहीं है।
9 प्रकृति में उपलब्ध जीवित वस्तु या गैर जीवित पदार्थ ।
10 व्यवसाय या गणितीय तरीके या कोई कम्प्यूटर कार्यक्रम।
11 सूक्ष्मजीवों के अतिरिक्त पेड़–पौधे और जानवर पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से, किन्तु इसमें बीज, बीजों की किस्में, मसाले और उत्पादन एवं फैलाव (वृद्धि) के लिये आवश्यक जैविक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं।
12 सूचना की प्रस्तुति
13 एकीकृत परिपथों को स्थलाकृति।
14 कोई खोज, जो प्रभावी रूप से पारंपरिक ज्ञान है या जो ज्ञात घटक या घटकों का एकत्रीकरण या दोहराव है।

(3) **पेटेन्ट की समयावधि** :–सभी प्रकार के आविष्कारों के आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पेटेन्ट की समयावधि 20 वर्ष होगी।

(4) **आवेदनः–** पेटेन्ट के संबधं में आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगाः–

- दावा या दावे अब एकल आविष्कार या आविष्कारों के समूह से संबधित हो सकते हैं ताकि एक एकल आविष्कारक अवधारणा के रूप में प्राप्त हो सके।
- आवेदन करने के 18 महीने बाद पेटेन्ट आवेदन प्रकाशित की जायेगी।
- आवेदक को प्रकाशन के 12 महीनों में या आवेदन की तारीख से 48 महीनों में, जो भी बाद में हो, परीक्षण के लिये अनुरोध करना होगा।

भारत में कोई भी व्यक्ति निर्धारित या अनुमोदित तरीके से लिखित अनुज्ञा के प्राधिकार के सिवाय या नियंत्रक की ओर से किसी खोज के लिये पेटेन्ट के अनुदान के लिये भारत के बाहर आवेदन नहीं कर सकेगा जब तक कि (अ) उसी आविष्कार के पेटेन्ट के लिये आवेदन भारत में कर दिया गया है एवं (ब) अधिनियम के गोपनीयता खण्ड के अन्तर्गत कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है या इस प्रकार दिये गये सभी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

(5) **अंनंतिम विनिर्देशः–** अनंतिम विनिर्देश सामान्यतया अविष्कार की प्राथमिकता को स्थापित करने के लिये लाये जाते हैं, और यह प्राथमिकता एक ऐसे ज्ञात आविष्कार के संबंध में होती है जहां आविष्कार एक वैचारिक अवस्था पर है और आविष्कार के पूर्ण और विशिष्ट अपवाद प्रस्तुत करने मे देरी की उम्मीद है। यद्यपि, पेटेन्ट के आवेदन के साथ अनंतिम विनिर्देश से आवेदक को विधिक पेटेन्ट अधिकार नहीं मिल जाता है। फिर भी, किसी आविष्कार के स्वामित्व की स्थापित करने हेतु यह बहुत महत्वूपर्ण दस्तावेज है। अनंतिम विनिदेश स्थायी एवं स्वतंत्र वैज्ञानिक और विधिक दस्तावेज होता है और इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आज्ञा नहीं दी जाती है।

अनंतिम विनिर्देश के आधार पर पेटेन्ट का अनुदान नहीं दिया जा सकता है। कथित अविष्कार के लिये पेटेन्ट प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण विनिर्देशों का पालन किया जाना चाहिये। अनंतिम विनिर्देश दाखिल करने के 12 महीनों के भीतर संपूर्ण विनिर्देश जमा करने चाहिये। यह कालावधि बढ़ाकर 3 महीने की जा सकती हैं संपूर्ण विनिर्देश के पहले अनंतिम विनिर्देश दखिल करना आवश्यक नहीं है। संपूर्ण विनिर्देश का आवेदन पहली बार में ही दाखिल किया जा सकता है।

(6) **पूर्ण विनिर्देश** :– यह ध्यान देने योग्य है कि पेटेन्ट के दस्तावेज एक तकनीक विधिक दस्तावेज होता है एवं इसका निराकरण विधि विशेषज्ञ की सलाह से होना चाहिये। पेटेन्ट प्राप्त करने के लिय पूर्ण विनिर्देश जमा करना आवश्यक होता है। इसकी संपूर्ण विषय सामग्री में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित हैं :–

- आविष्कार का शीर्षक
- आविष्कार का क्षेत्र।
- आविष्कार की प्रृष्ठभमि जिसमें ज्ञातव्य आविष्कार एवं व्यवहारों की पूर्व कला की कमियाँ सम्मिलित है।
- प्रायोगिक परिणामों के साथ आविष्कार का पूर्ण विवरण ।
- आविष्कार को समझने के लिये आवश्यक चित्र आदि ।

- आविष्कार जिस पर विधिक स्वामित्व मांगा गया है, उससे संबंधित कथन के रूप में दावे । इन दावों का प्रारूप बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किया गया होना चाहिये।

(7) **अनिवार्य अनुज्ञप्ति :–** पेटेन्ट के मुद्रण की दिनांक से 3 वर्षों के बाद, अनिवार्य अनुज्ञपित के लिये आवेदन किया जा सकता है बशर्ते कि :–

- जनता की उचित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है।
- पेटेन्ट किया हुआ आविष्कार जनता को युक्तियुक्त किफायती मूल्य पर उपलब्ध नहीं है।
- पेटेन्ट युक्त आविष्कार ने भारत में अन्य चीजों के साथ कार्य नहीं किया है, जनता की उचित आवश्यकता से संतुष्टि पूर्ण नहीं है यदि उक्त आविष्कार व्यावसायिक रूप से भारत में काम कर रहा है और उसे व्यावसायिक तौर पर प्रतिबंधित या रोक लगा दी गयी है या पेटेन्ट युक्त आविष्कार को छुपा कर रखा गया है।

आवेदक की जोखिम लेने की योग्यता, लोक हित में आविष्कार पर कार्य करने की योग्यता, आविष्कार की प्रकृति, मुद्रण से पहले दिया गया समय, भारत में कार्य के दौरान पेटेन्ट द्वारा अपनाये गये उपाय आदि आवेदक की क्षमताओं में सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय आपदा या अन्य विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों के मामले में या लोक अव्यावसायिक उपयोग या प्रतिस्पर्धी व्यवहार के विरोध का जमीनी स्तर तैयार करने की स्थिति में उपयुक्त परिस्थितियां लागू नहीं होंगी।

पेटेन्ट की जीवन कला के दौरान पेटेन्ट धारक की सहमति से एक पेटेन्टी को पेटेन्ट की समाप्ति के बाद या व्यवहार के लिये पेटेन्ट दस्तावेज में आविष्कार का वर्णन करना चाहिये।

(8) सूक्ष्मजीव विज्ञानी आविष्कार का पेटेन्टः–

सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक प्रक्रिया की पेटेन्टिंग के संबंध में भारतीय पेटेन्ट अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान है। अब सूक्ष्म जीव विज्ञानी प्रक्रिया का पेटेन्ट प्राप्त करना संभव हो गया है और उक्त प्रक्रिया से उत्पन्न उत्पादों का पेटेन्ट भी अब संभाव्य है।

सूक्ष्म जीव विज्ञान की एक कागज पर व्याख्या करना एक जटिल कार्य है। 1949 में अमेरिका में कुछ मान्यता प्राप्त जमाकर्ताओं में सूक्ष्मजीवों के तनाव को दूर करने की एक प्रणाली विकसित हुई थी। 1973 में बुडापेस्ट में एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि पर हस्तक्षर किये गये जिसे 'बुडापेस्ट संधि' के नाम से जाना जाता है एवं बाद में 1980 में इसमें संशोधन किया गया । भारत भी 17 दिसंबर 2001 से इकसा सदस्य बन गया और यह संधि प्रभावी हो गयी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो किसी भी देश में, इस संधि के पक्षकाकर है, पेटेंट आवेदन के प्रयोजन के लिये अधिकारिक तौर पर अनुमोदित संस्कृति संग्रह में संग्रहीत की मान्यता को नियंत्रित करता है। सूक्ष्म जीवों के पुनः प्रजनन करने की कठिनपाईयों एवं वास्तविक असंभाव्यता के कारण, पेटेन्ट के विर्दिशान में इसाक वर्णन कठिन है, अतः जाँच एवं परीक्षण के लिये जीवाणु संग्रह केन्द्र में संग्रह करना आवश्यक हो जाता है।

एक आविष्कार को यह आवश्यक है कि वह सूक्ष्म जीवाणुओं को एक मान्यता प्राप्त संग्रह स्थान (भंडार) में जमा कर के रखे। जहां उन संग्रहीत जीवाणुओं की एक पंजीकृत संस्था प्राप्त हो जाती हैं पेटेन्ट हेतु किये जाने वाले आवेदन में इस पंजीकृत संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, और यह तो अवंश्यंभावी हो जाता है कि पेटेन्ट का आवेदन देने से पूर्व सूक्ष्म जीवाणुओं का संग्रहण किया जाये। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह पूरी व्यवस्था पेटेन्ट आवेदन में एक सूक्ष्म जीवन विज्ञान का वर्णन करने की आवश्कयता पर रोक लगाता है। पेटेन्ट पर आगे

कार्यवाही हेतु जीवाणुओं के नमूने संग्रह स्थान (भंडार) से प्राप्त किये जा सकते हैं। विभिन्न देशों में बहुतसारी अन्तर्राष्ट्रीय संग्रह स्थान (भंडार) है जैसे एटीसीसी, डी.एस.एम. इत्यादि । जिन्हें बुडापेस्ट संधि के तहत मान्यता प्राप्त है।

(9) **डाकपेटी (मेल बाक्स) प्रावधानः–** ट्रिप्स की आवश्यकता है कि देश, औषधि और रासायनिक आविष्कारों के संबंध में उत्पाद पेटेंट प्रदान न करें, 1 जनवरी 1995 से प्रभावी पेटेंट आवेदनों को स्वीकार करने के लिये एक पूरी व्यवस्था तैयार करनी होगी। उक्त आवेदनों का ही पेटेन्ट अनुदान हेतु परीक्षण किया जायेगा, संशोधनों के उपरान्त राष्ट्रीय पेटेन्ट कानून बनाया गया है। उत्पाद पेटेन्ट हेतु आवेदनों के अनमोदन की पूरी व्यवस्था या तंत्र को ही 'डाकपेटी' या मेल बाक्स तंत्र व्यवस्था कहा जाता है। भारत में यह व्यवस्था प्रभावी है और इसी प्रक्रिया के आधार पर परीक्षण हेतु आवेदन लिये जा रहे हैं।

(10) **अनन्य विपणन अधिकार :–** यदि निम्नलिखित मानदंड सन्तुष्ट हैं, तो टी.आर.आईपी. एस. के. लिये यह आवश्यक है कि विश्व संधि संगठन के सदस्य देशों को दवा और कृषि रसायन के संबंध में उत्पाद पेटेंट देने के लिये अपने कानूनों में कोई प्रावधान नहीं होना चाहिये, ऐसे उत्पादों के लिये विशिष्ट विपणन अधिकारों का समावेश होना चाहियेः–

- नई दवा या कृषि रसायन से संबंधित पेटेन्ट आवेदन विश्व संधि संगठन के किसी भी सदस्य देश में दाखिल किया जाना चाहिये । यह व्यवस्था 1 जनवरी 1995 के बाद से निरंतर जारी है।
- 1 जनवरी 1995 के बाद उत्पाद पर पेटेन्ट किसी भी सदस्य देश द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिये । (दवा और कृषि रसायन के जिन उत्पादों पर पेटेन्ट प्राप्त है)
- उत्पाद पर बिक्री का अनुमोदन किसी भी सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिये।
- उत्पाद हेतु एक पेटेन्ट आवेदन, 1 जनवरी 1995 के बाद उस देश में दर्ज किया जाना चाहिये जहाँ अनन्त विपणन (बिक्री) अधिकार की माँग की गयी है।
- अनन्य बिक्री अधिकार प्राप्त करने हेतु विनिर्धारित फार्म में आवश्यक फीस भुगतान करके आवेदक द्वारा आवेदन करना चाहिये।
- अनन्य विपणन का अधिकार केवल उत्पाद की बिक्री हेतु विशिष्ट अधिकार है और यह पेटेन्ट अधिकार से बहुत भिन्न है। यह पाँच वर्ष तक वैध रहता है। या उससमय तक वैध रहता है जब तक कि उत्पाद पेटेन्ट विधि प्रभाव में नहीं आ जाती है । पेटेन्ट अधिनियम में 2005 के संशोधनों के अनुसार अनन्य विपणन अधिकार के प्रावधानों की आवश्यकता नहीं रह गयी है। यद्यपि यह अधिकार भारत में समय–समय पर उपलब्ध रहते हैं तथा विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर न्यायालय द्वारा त्वरित निर्णय भी दिया जाता है।

(11) पेटेन्ट आवेदन प्रस्तुत करने (दाखिल)का समयः–

पेटेन्ट हेतु आवेदन दाखि करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र तिथि पर आवेदन पूर्ण हो जाना चाहिये एवं किसी तरह का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। आवेदन में अनंतिम विनिर्दिश, आविष्कार की प्रकृति का सार प्रकट करने का आदि आवेदक द्वारा प्राथमिकता दर्ज करने में मदद करते हैं। आवेदन प्रसतुत करने में विलंब होने से इस प्रकार की जोखिम उठानी पड़ सकती हैः–

- अन्य अन्वेषक आविष्कार के लिये पेटेन्ट के लिये पहले आविष्कारक के रूप में पहले ही दर्ज हो जाएं, एवं

- वहाँ आविष्कारक द्वारा स्वयं या दूसरों के द्वारा स्वतंत्र रूप से आविष्कार का अनजान प्रकाशन हो सकता है।
- पेटेन्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पहले आविष्कार का किसी भी तरीके या प्रकार का प्रकाशन, उस आविष्कार को पेटेन्ट योग्य होने से अयोग्य करार देगा । अतः, आविष्कार को अपने आविष्कार के विषय में पेटेन्ट आवेदन दाखिल करने से पहले किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिये। पेटेन्ट आवेदन दाखिल करने से पहले किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिये। पेटेन्ट आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आविष्कार का प्रकाशन एवं पेटेन्ट आवेदन के मध्य किसी तरह का मतभेद नहीं है।

21.4.3 कापीराइट (प्रतिलिप्याधिकार) :–

प्रतिलिप्याधिकार एक अधिकार है, जो मूल साहित्यिक रचना, नाट्य रचना, संगीत रचना या कलात्मक रचना हेतु उपलब्ध होता है। चलचित्र रचना, ध्वसनि रिकार्डिंग एवं वीडियो फिल्म रिकार्डिंग एवं डिस्क, टेप एवं अन्य उपकरणों द्वारा रिकार्डिंग आदि प्रतिलिप्याधिकार के अन्तर्गत आते हैं। कम्प्यूटर और साफ्टवेयर कार्यक्रम साहित्यिक रचना के अन्तर्गत आते हैं और इन्हें प्रतिलिप्याधिकार के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957, 1983, 1984, 1992, 1994 एवं 1999 में किये गये संशोधनों के आधार पर भारत में प्रतिलिप्याधिकार को संरक्षित करता है। साहित्यिक रचना के लिये संरक्षण की पूर्ण अवधि लेखक के जीवनकाल या 60 वर्ष तक है। चलचित्रों, रिकार्डों, छायाचित्रों, मरणोत्तर प्रकाशन, अनाम प्रकाशन, सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के कार्यो की समवाधि 60 वर्ष है जो कि रचना के प्रकाशन वर्ष वाले कलैंडर वर्ष के प्रारंभ के मापे जाएंगे। प्रसारण के लिये यह अवधि 25 वर्ष है जो कि प्रसारण होने वाले वर्ष के कलैंडर वर्ष से प्रारंभ होगा।

21.4.4 कापीराइट/प्रतिलिप्याधिकार के मूल सिद्धान्तः–

प्रतिलिप्याधिकार न केवल विचार को बल्कि योजना (कल्पना) की अभिव्यक्ति को भी संरक्षण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये, बहुत से लेखक यांत्रिकी, उष्णता, प्रकाश विज्ञान आदि पहलुओं को सम्मिलित करते हुये भौतिकी पर पाठ्यपुस्तक लिखते हैं। यद्यपि कि यह सारे विषय (प्रसंग) विभिन्न लेखकों की विभिन्न किताबों में रहते हैं, प्रत्येक लेखक को उसके द्वारा लिखी गयी किताब पर प्रतिलिप्याधिकार है, बशर्ते कि वह किताब पूर्व में प्रकाशित किसी किताब की नकल न हो। प्रतिलिप्याधिकार पर अन्तर्राष्ट्रीय संधि बर्न में हुई थी और भारत इसका सदस्य है , इस अधिकार के संरक्षण हेतु प्रतिलिप्याधिकार का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में की गयी कोई भी रचना स्वयंमेव ही प्रतिलिप्याधिकार के अन्तर्गत संरक्षित हो जायेगी, बशर्तें सभी सदस्य बर्न अभिसमय के सदस्य हों। वह क्षण जब कोइ रचनाकार अपनी रचना करता है, वह प्रतिलिप्याधिकार का पात्र हो जाता है। फिर भी, रचना की नियत निर्विवाद तिथि का ब्यौरा रखा जाना चाहिये। जब प्रतिलिप्याधिकार प्रापत स्वी की प्राधिकारिता के साथ किसी रचना का प्रकाशन हो जाता है, तब सार्वजनिक रूप से वितरित प्रतियों पर प्रतिलिप्याधिकार की सूचना चिपकायी जा सकती है। साहित्यिक रचना और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिये प्रतिलिप्याधिकार की सूचना की तामीली पूर्णतः वैकल्पिक है हालांकि प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध है, मामलो की शिकायत पुलिस स्टेशन में की जा सकती है। यह सलाह दी जाती है कि भारत में प्रतिलिप्याधिकार का पंजीयन किसी भी रचना के स्वामित्व को स्थापित करने में बहुत सहायक होगा। प्रतिलिप्याधिकार

के रजिस्ट्रार के कार्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है, पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब एक बार प्रतिलिप्याधिकार पंजीकृत हो जाता है तभी से रचना सार्वजनिक रूप से निरीक्षण हेतु उपलब्ध हो जाती है।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में कम्प्यूटर कार्यक्रम को शब्दों, कोड, योजना या किसी अन्य तरीके से अभिव्यक्त निर्देशों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें पढ़ सकने योग्य मशीनी माध्यम, एक निश्चित कार्य को करने या एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने योग्य कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम सम्मिलित है। यह स्पष्ट है कि इस परिभाषा में कलन विधि, स्त्रोत संहिता (कोड) एवं उद्देश्य कोड भी सम्मिलित है। यह सलाह दी जाती है कि पंजीयन के समय कम्प्यूटर कार्यक्रम यह जानना आवश्यक है कि कार्यक्रम का वह हिस्सा जिसकी जानकारी नहीं दी गयी हे, वह वास्तविक स्वामी का व्यापारिक रहस्य ही रहेगा और इसकी रक्षा स्वामी द्वारा की जानी चाहिये। कम्प्यूटर प्रोग्राम औषधि के क्षेत्र में कभी महत्वूर्ण होंगे जब कोई डी.एन.ए. की क्रमबद्ध करने एवं जीन अनुक्रमण की बात करेगा। सामान्यतया, कम्प्यूटर कार्यक्रम में प्रदर्शित शामिल सभी प्रतिलिप्याधिकार योग्य अविव्यक्ति, स्क्रीन प्रदर्शन सहित, संरक्षित हैं।

फिर भी, कम्प्यूटर प्रोग्रम की तरह, जो कि एक साहित्यिक कार्य है, चिपत्रट प्रदर्शन को भी कलात्मक कार्य ही माना गया है और इस तरह इसका भी पंजीयन नहीं किया जा सकता है । यद्यपि कि कम्प्यूटर प्रोग्राम की ही तरह आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। चित्रपट प्रदर्शन के प्रतिलिप्याधिकार योग्य समस्त तत्वों के सचित्र प्रदर्शन हेतु एक अलग आवेदन दिया जाना आवश्यक है। डिजिटल युग में प्रतिलिप्याधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेता जा रहा है क्योंकि आंकड़े, मल्टी मीडिया कार्य, संगीत, सूचना आदि जैसे नेटवर्क के माध्यम से किये गये कार्य वर्तमान में प्रतिलिप्याधिकार के विषय हैं।

1 **प्रतिलिप्याधिकार द्वारा प्रदान किया गया आवृत्त क्षेत्र :–**

(i) साहित्यिक, संगीत एवं नाट्य रचना, कम्प्यूटर कार्यक्रम /कम्प्यूटर साफ्टवेयर साहित्यिक रचना की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।

(ii) कलात्मक कार्य

(iii) चलचित्र छायांकन, जिसमें ध्वनि पथ एवं वीडियो चलचित्र सम्मिलित है। किसी डिस्क, टेप, छिद्रित रोल या अन्य किसी यंत्र पर रिकार्डिंग करना।

2 **प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंधनः–** प्रतिलिप्याधिकार रचनाकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह रचना की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें, प्रतियाँ बनाये, उसका अनुवसाद करें, सामंजस्य स्थापित करें, विक्रय करे या किराये पर दे और अपनी रचना आम जनता को बताये। उपरोक्त सभी गतिविधियों में से यदि कोई गतिविधि लेखक या उसके अधीनस्थ की सहमति के बिना की जाती है तो इस प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन माना जायेगा। विधि में 'उचित या निष्पक्ष उपयोग' का प्रावधान है, जो शिक्षण एवं अनुसंधान तथा विकास के लिये प्रतिलिप्याधिकार युक्त काम का उपयोग करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में छात्रों को पढ़ाने के लिये किसी किताब की फोटोप्रति तैयार करना उल्लंधन नहीं माना जायेगा, किन्तु व्यावसायिक उद्देश्य से बहुत सारी प्रतियाँ तैयार करना उल्लंघन माना जायेगा। प्रतिलिपयाधिकार से जुड़ा एक ओर अधिकार है, जिसे नैतिक अधिकार है के नाम से जाना जाता है, जिसका अन्तरण नहीं हो सकता है ओर इसकी कोई समयावधि भी निश्चित नहीं है। इस अधिकार का उपयोग रचनाकार अपनी रचना के अश्लील प्रदर्शन से बचने के लिये करते हैं।

निम्नलिखित कार्यों को प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन माना जायेगाः–

(ए) साहित्य, नाट्य या संगीत रचना के मामलो में, कम्प्यूटर कार्यक्रम नहीं हैः–

- रचना की प्रतिलिपि किसी भी भौतिक रूप में तैयार करना जिसमें डलेक्ट्रानिक साधन के माध्यम से इनका संग्रहण भी सम्मिलित है।
- आमजनता के लिये रचना की प्रतियाँ जारी करना जिसमें पहले से प्रसारित प्रतियाँ शामिल नहीं है।
- सार्वजनिक रूप से काम करना या सार्वजनिक तौर पर सम्प्रेषित करना।
- छाया चलचित्र बना निर्माण या रचना के संदर्भ में ध्वनि की रिकार्डिंग करना।
- रचना के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु उसका अनुवाद करना।
- किसी अनुवाद या काम के अनुकूलन के संबंध में उपखंडों में काम के संबधं में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिये ।

(ब) कम्प्यूटर कार्यक्रम के मामले में :–

- उपखण्ड (अ) में विनिर्दिष्ट कोई कार्य करना
- कम्प्यूटर कार्यक्रम की कोई प्रति बेचने या किराये पर देने अथवा बेचने या किराये के आमंत्रण हेतु तैयार करना फिर चाहे ऐसी प्रति पहले बेची जा चुकी हो या पहले किसी अवसर पर किराये पर दी जा चुकी हो।

(स) कलात्मक कार्य के मामले में :–

- भौतिक रूप में रचना या कार्य की प्रतिलिपि तैयार करना जिसमें द्विआयामी कार्य का त्रिआयामी चित्रण या त्रिआयामी कार्य या रचना का दो आयामों में चित्रण सम्मिलित है।
- सार्वजनिक रूप से कार्य की प्रतियाँ जारी करना, पहले से ही प्रसारित प्रतियां शामिल नहीं है।
- कार्य को किसी छायाचित्र में सम्मिलित करना।
- कार्य के अनुकूलन हेतु स्थिति बनाना।
- किसी रचना के अनुवाद करने या अनुकूलन के मामले में उपखण्डों में वर्णित रचना के कोई भी विशिष्ट कार्य करना।

(द) छायाचित्रांकन के मामले :–

- किसी चित्रपत्र या छयाचित्र या उसके सिकी हिस्से का छायाप्रति तैयार करना।
- छायाचित्र की किसी भी प्रति को बेचना या भाड़े पर देना या बेचने या भाड़े पर देने का प्रस्ताव करना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसी कोई प्रति पहले से ही बेची गयी है या भाड़े पर दी गयी है या ऐसी किसी प्रति को बेचने या भाड़े पर देने हेतु प्रस्ताव किया है।
- सार्वजनिक रूप से छायाचित्र को सम्प्रेषित करना।

(य) ध्वनि रिकार्डिंग के मामले में :–

- किसी अन्य ध्वनि रिकार्डिंग को इसमें शामिल करने के लिये ।

- ध्वनि रिकार्डिंग की भी कोई प्रति बेचने या भाड़े पर देना या बेचना या भाड़े पर देने के लिये प्रस्ताव करना, यह तर्कहीन है कि पहले भी इस प्रति को बेचना या भाड़े पर दिया जा चुका है।
- ध्वनि रिकाडिंग को सार्वजनिक तौर पर सम्प्रेषित करना।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिये, एक प्रति यदि एक बार बेच दी जाती है तो यह माना जायेगा कि वह पहले से ही चलन में है।

3 **प्रतिलिप्याधिकार का अन्तरण** : – विद्यमान रचना का स्वामी या भविष्य में रचना का होने वाला स्वामी अपना प्रतिलिप्याधिकार किसी भी व्यक्ति को, या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से निम्नलिखित तरीके से दे सकता हैः–

- संपूर्ण विश्व के लिये या विशिष्ट देश या क्षेत्र के लिये,
- प्रतिलिप्याधिकार पूर्ण अवधि के लिये या आंशिक तौर पर, या
- प्रतिलिप्याधिकार में समावेशित समस्त अधिकारों से संबंधित या इन अधिकारों का कुछ हिस्सा।

4 **कम्प्यूटर कार्यक्रम** – एक कम्प्यूटर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की डिवाइस शामिल है जिसमें सूचना प्रसंस्करण की क्षमता होती है। कम्प्यूटर कार्यक्रम का अर्थ है शब्दों, कोड, योजना या किसी अन्य तरीके में व्यक्त यिके गये निर्देशों का एक समूह, जिसमें पठनीय मशीन का माध्यम शामिल है, जो एक कम्प्यूटर को एक विशेष कार्य करने या किसी विशेष परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अब वस्तु संकेत एवं स्त्रोत संकेत दोनों पर प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त करना संभव है। साधारणतया, समस्त प्रतिलिप्यािधिकार योग्य अभिव्यक्तियां, जिसमें स्क्रीन प्रदर्शन भी सम्मिलित है, संरक्षित हतै। हालांकि कम्प्यूटर कार्यक्रम की तरह स्क्रीन डिस्प्ले साहितियक रचना (कार्य) नहीं होता है, यह एक कलात्मक कार्य होता है और इसलिये पंजीयन हेतु समाज आवेदन नहीं किया जा सकता है। स्क्रीन प्रदर्शन के प्रतिलिप्याधिकार योग्य समस्त तत्वों का ग्राफ प्रतिनिधित्व का ब्यौरा देते हुये एक पृथक आवेदन दिया जाना आवश्यक है।

लेखक के संविदायुक्त सेवाकाल या एप्रेनटिसशिप के दौरान बनाये गये किसी कार्यक्रम के मामले में, नियोजक ही प्रतिलिप्याधिकार का पहला स्वामी होगा, यदि इसके विरूद्ध कोई समझौता या करार नहीं हुआ है । फिर भी तीसरे पक्षकार द्वारा कमीशन के आधार पर किया गया कार्य से कमीशन वाले पक्षकार को स्वयंमेव प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। यदि तीसरा पक्षकाकर एक स्वतंत्र ठेकेदार है, तो कमीशन वाले पक्षकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि एक लिखित विलेख के माध्यम से प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त करे। यह एक सामान्य मिथ्या धारणा है कि कमीशन पक्षकार को प्रतिलिप्याधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अतः यह तभी होगा जब कार्य करने वाला कर्मचारी संविदा के अन्तर्गत अपनी सेवाएं देने के दौरान रचना (कार्य) करता है, और प्रतिलिप्याधिकार नियोजक को प्राप्त हो जाता है।

5 **कम्प्यूटर कार्यक्रमों के लिये विशिष्ट प्रावधानः–**

निम्नलिखित कार्यों को उलझा हुआ नहीं माना जायेगा क्योंकि यह कार्य भारतीय विधि के अन्तर्गत विधि रूप से मान्य है :–

कोई कार्य करना जो कम्प्यूटर प्रोग्राम के विधिक प्रोसेसर के द्वारा अन्य कार्यक्रमों के साथ अन्तर कार्यान्वयन हेतु एक स्वतंत्र कार्यक्रम तैयार करता है एवं ऐसा करना सूचना प्राप्त करनेक के लिये अत्यन्त आवश्यक है, शर्ते कि ऐसी सूचना पहले से उपलब्ध न हो,

- विचारों एवं सिद्धान्तों की सुनिश्चितता के क्रम में कम्प्यूटर कार्यक्रम के कार्यों का परीक्षण या अध्ययन, अवलोकन जिससे प्रोग्राम के तत्वों का उल्लेख मिलता हो, जबकि इस तरह के कार्य करना आवश्यक हो जाते है जब कम्प्यूटर प्रोगग्रम वितरित किया गया था,
- व्यक्तिगत या विधिक रूप से प्राप्त कम्प्यूटर प्रोग्राम की प्रति की प्रतिलिपि तैयार करना, जबकि उक्त प्रोग्राम की प्रति अत्यावसायिक उपोग के लिये प्राप्त हुई हो।
- प्रतिलिप्याधिकार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण के लिये रचना/अभिव्यक्ति वास्तविक रूप में निश्चित होनी चाहिये। लेखक के उपयुक्त कार्य के साथ संरक्षण या सुरक्षा स्वयं में व उस समय जुड़ जाती है जिस क्षण रचना सफलतापूर्वक पूर्ण होती है। एक कार्य तय हो जाता है जब इसे पर्याप्त रूप से स्थायी या स्थिर होने के लिये पारगमन अवधि से अधिक समय के लिये पुनः प्रस्तुत किया जाता है, या अन्यथा सूचित किया जाता है। एक कार्य या रचना शब्दों, संख्याओं, नोट्स, ध्वनियों, चित्रों या किसी भी अन्य रेखा या प्रतीकात्मक संकेतक के रूप में नियत की जा सकती है, यह रचना लिखित, मुद्रित, फोटोग्राफिक, मूर्तिकला, क्षिद्रित, चुंबकीय या किसी मशीन या डिवाइस के माध्यम से भौतिक वस्तु के रूप में माना जा सकता है जो या तो अभी जानकारी में है या इसे बाद में विकसित किया गया है। मूलतः, किसी काम का निर्धारण करने के लिये काम को समझना, पुनरूत्पादन करना या काम को सीधे या मशीनीकृत तरीके को अनुति दी जानी चाहिये । उदाहरण के लिये, निष्क्रिय चक्र, ठोस चक्र (सीडी) सीडीरोम, प्रकाशीय डिस्क, सीडी आईएस, डिजिटल टेप, और अन्य अंकीय संग्रह यंत्र आदि सभी स्थायी रूप में हैं जिसमें कार्य नियत हो सकता है और जिससे कार्य मशीन या यंत्र के माध्यम से समझा जा सकता है, पुरूत्पादित किया जा सकता है या संप्रेषित किया जा सकता है।

  एक युगपत निर्धारण आवश्यकताओं को पूरा करता है यदि एक प्रति या फोनोग्राम आलेख समुचित रूप से स्थिर या स्थायी रूप से मूर्तरूप में हे और समसामयिक अवधि से अधिक समय के लिये इसे समझने, पुनरूत्पादित करने या अन्य तरीके से संप्रेषण के लिये आज्ञा दी जा सकती है। कार्य समुचित रूप से निर्धारित नहीं है यदि वे पूर्णतः क्षणिक या अस्थायी प्रकृति के है, जैसे कि, वह कार्य जो स्क्रीन पर संक्षिप्त रूप से पेश किये गये, टेलिविजय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिखाया गया या कम्प्यूटर की मैमोरी में क्षणिक रूप से लिया गया । इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क प्रसारण एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में जैसे ई–मेल, प्रत्येक कम्प्यूटर की रैम में रहता है, किन्तु पर्याप्त निर्धारण होना पाया गया है।

21.4.5 औद्योगिक संरचना (योजना, नमूना):– हम बाजार में एक ही उत्पाद के बहुत से प्रकार एवं ब्रांड देखते हैं (जैसे–कार, टेलिविजयन, व्यक्तिगत कम्प्यूटर फर्नीचर आदि), जो एक दूसरे से कापी अलग दिखायी देते हैं। यदि उत्पाद के समान कार्यात्मक विशेषताएं है या तुलान करने योग्य कीमतें है, तो उत्पाद का चुनाव आँखों को लुभाने वाली डिजायन के आधार पर होता है । यद्यपि कि काफी समानताएं नहीं हैं, कोई व्यक्ति एक मँहगी चीज भी

खरीदने का निणर्य ले सकता है क्योंकि कि उक्त उत्पाद देखने में बहुत अच्छी है या उसका रंग संयोजन बहुत अच्छा है।

जो कहा जा रहा है वह यह है कि किसी भी उत्पाद की बाहरी आकृति, रंग संयोजन या उसकी सजावट बाजार में निश्चितता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि आपके पास अच्छी डिजायन है, उसका लाभ आपको मिलता है, तो आपके पास इसकी विशेषताओं की सुरक्षा के लिये एक प्रणाली होनी चाहिये अन्यथा व्यापक पैमाने पर उसकी नकल हो सकेगी। अर्थात नकली सामान उपलब्ध होगा।

21.4.6 औद्योगिक संरचना के मूलभूत सिद्धान्त :—

भारतीय अधिनियम के अनुसार डिजायन से तात्पर्य है आकार, विन्यास, नमूने, आभूषण या रेखाओं या रंगों की संरचना जो किसी वस्तु पर लागू होता है, यह चाहे द्विआयामी हो या त्रिआयामी या दोनों ही रूपों में भी हो सकता है। किसी औद्योगिक प्रक्रिया या तरीके के द्वारा, चाहे वह नियमावली युक्त हो, यांत्रिक हो या रासायनिक हो, पृथक या मिश्रित हो, जिससे एक नियत रूप लिया हो और जिसका आंकलन केवल आँखों के द्वारा किया जा सकता है, किन्तु इसके अन्तर्गत वह तरीका या सिद्धान्त सम्मिलित नहीं है, केवल यांत्रिकी आधार पर तैयार किया गया हो। इस संदर्भ में वस्तु से तात्पर्य किसी वस्तु का विनिर्माण एवं कोई कृत्रिम या आंशिक कृत्रिम और आंशिक प्राकृतिक पदार्थ, और वस्तु का वह कोई भी भाग या हिस्सा जिसे पृथक रूप से बनाया और बेचा जा सकता है। डिजायन या आकृति के पंजीयन के उद्‌देश्य से स्टाम्प, लेबिल, टोकन, कार्ड इत्यादि को वस्तु नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक बार कथित आकृति या डिजायन या अलंकरण हटाया क्योंकि एक बार कथित आकृति या डिजायन या अलंकरण हटाया जाता है केवल एक कागज, धातु या इसी प्रकार की सामग्री का टुकड़ा भर रह जाता है और वस्तु अस्तित्व में रहती है। एक वस्तु की लागू डिजायन का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिये। अतः किसी वस्तु की डिजायन का वस्तु के साथ अविभाज्य या अभिन्न अंग होना चाहिये।

डिजायन के पंजीयन के लिये आवश्यक आवश्यकताएं :—

1. डिजायन नयी या मौलिक होनी चाहिये, इसका पूर्व प्रकाशन नहीं होना चाहिये और नहीं किसी देश में इसका उपयोग किया गया होना चाहिये। पंजीयन हेतु आवेदन देने से पहले उक्त कार्य नहीं होना चाहिये। एक नयी वस्तु एक नये विषय के लिये एक ज्ञात आकृति या पैटर्न के आवेदन में हो सकती है। फिर भी, यदि प्रस्तावित आवेदन में जो आकृति दी गयी है, उसमें वास्तविक मानसिक गतिविधि सम्मिलित नहीं है, तो पंजीयन मान्य नहीं होगा।
2 प्रस्तावित आवेदन में किसी वस्तु की डिजायन, आकृति, विन्यास, पैटर्न या अलंकरण की सुविधाओं से संबंधित विशेषताएं होनी चाहिये। अतः औद्योगिक योजनाओं, नक्शों और प्रतिष्ठापन (स्थापन) की आकृतियाँ इस अधिनियम के तहत् पंजीयन योग्य नहीं है।
3 किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु की डिजायन आवेदन करने योग्य होनी चाहिये। साधारणतया, कलात्मक प्रकृति की आकृतियाँ जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला और इसी तरह की अन्य कलात्मकता जो कि किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा थोक में उत्पादित नहीं किया जाता है, उसे अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण से बाहर रखा गया है।
4 तैयार लेख में डिजायन की विशेषताओं हेतु अपील की जानी चाहिये एवं आँखों से पूरी तरह न्याय किया जाना चाहिये । इसका अर्थ यह है कि डिजायन तैयार लेख पर उसी तरह दिखायी दी जानी चाहिये, जिसको वह प्रत्यक्षतः दिखाना चाहता है। अतः किसी बॉक्स के

अन्दर की व्यवस्था में कोई भी डिजायन, पैसे का बटुआ या अलमारी को खुली स्थिति में ऐसे लेख दिखाने के लिये नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये लेख आमतौर पर बंद स्थिति में बाजार में आ जाते हैं।

5 किसी भी वस्तु के निर्माण या संचालन का तरीका या सिद्धान्त जो एक पदार्थ के रूप में मात्र एक यांत्रिक उपकरण है, पंजीयन योग्य डिजायन नहीं होगा । उदाहरण के लिये, एक चाबी जिसकी नवीनता केवल उसके ध्रुवीकरण के आकार में होती है या उस हिस्से पर झुकी हुई है, एवं ताले के लीवर के साथ जुड़े होने के कारण इस अधिनियम के तहत एक डिजायन या आकृति के रूप में पंजीयन नहीं किया जा सकता है। फिर भी, जब कोई डिजायन या आकृति निर्माण संवंधी या मशीनी या मशीनीकरण के कोई क्रिया कलाप के सिद्धान्त या तरीके का सुझाव देती है, तो इस संबंध में इसके प्रतिनिधित्व पर उपयुक्त अस्वीकृति स्थापित करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि डिजायन में अन्य पंजीयन योग्य विशेषताएँ हैं।

(6) डिजायन में कोई ट्रेडमार्क या सम्पत्ति चिन्ह या कलात्मक कार्य को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये ।

(7) चिर–परिचत डिजायनों से पूर्णतः अन्तर होना चाहिये या जानी पहचानी डिजायनों का सम्मिश्रण होना चाहिये।

(8) इसमें परिवादात्मक या अश्लील सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिये ।

डिजायन के पंजीकरण की अवधि :–

पंजीकृत डिजायन की कुल समयावधि 15 साल होती है, प्रारंभिक तौर पर 10 वर्षों का अधिकार दिया जाता है, नियंत्रक के नाम आवेदन के साथ 2000 रूपये की फीस दा करके अगले पांच वर्षों का विस्तार किया जा सकता है। किन्तु ऐसा आवेदन 10 वर्षों की समयावधि समाप्त होने के पूर्व किया जाना चाहिये। डिजायन का स्वत्वधारी विस्तार हेतु आवेदन कर सकता है, जितनी शीघ्र डिजायन पंजीबद्ध हो जाए।

सुरक्षा की रणनीति :–

डिजायन की पंजीयन वक्रता के लिये पहले से उपलब्ध नियम लागू होते हैं। यदि अभिन्न या समान डिजायन से संबंधित दो या दो से अधिक आवेदन विभिन्न तिथियों पर किये गये हैं, पहला आवेदन मान्य माना जायेगा और उसी आधार पर डिजायन का पंजीयन होगा। अतः जैसे ही डिजायन तैयार हो जाती है, शीघ्रातिकशीध्र आवेदन कर देना चाहिये।

निर्धारित फीस अदा करने पर सरकारी गजट में प्रकाशन हो जाता है और उसके उपरान्त सभी पंजीबद्ध डिजायनें सार्वजनिक निरीक्षण के लिये खुल जाती है। अतः, डिजायन नयी है या पुरानी इस बात के निर्धारण के लिये रजिस्टर का निरीक्षण करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस प्रावधान से यह निश्चित करने में आसानी हो जाती है कि विश्व में कहीं भी प्रकाशित डिजायन से यह डिजायन अलग या भिन्न है । यह बहुत कठिन शर्त है। ऐसी बहुत सारी डिजायनें हो सकती है, जो संरक्षित नहीं है और डिजायन कार्यालयों द्वारा इनका कोई हिसाब किताब भी न रखा गया हो । आवेदक को यह जिम्मेदारी होती है कि वह सुनिश्चित करें कि उसने गहन अनुसंधान किया है और अपने द्वारा तैयार की गयी डिजायन की नवीनता और उत्कृष्टता से वह पूर्णतः संतुष्ट है। यद्यपि डिजायन को पंजीबद्ध कराने हेतु आवेदन करने की कीमत बहुत अधिक नहीं होती है यदि डिजायन के लिये किये गये आवेदन में उपलब्ध जोखिम अधिक नहीं है और अपने किसी डिजायन की नकल

नहीं की है । पंजीयन हेतु आवेदन स्वयं आवेदक द्वारा या किसी व्यावसायिक व्यक्ति (पेटेन्ट अभिकर्ता, विधि व्यवसायों या वकील इत्यादि) द्वारा दी जा सकती है। अनिवासी भारतीय आवेदनकों के द्वारा निवासी भारतीय को अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

21.4.7 खाका (रचना)/नक्शा :–

एकीकृत परिपथ (सर्किट) का नक्शा (खाका) बौद्धिक संपदा के संरक्षण के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

बौद्धिक संपदा के अन्य प्रकारों की तरह, आईसी डिजायन का नक्शा मानव मस्तिष्क की ही रचना है । सामान्यतया यह उच्च गुणवत्ता युक्त विशेषज्ञ और आर्थिक मामलों के संदर्भ में एक बड़े निवेश का परिणाम होता है। नये नक्शों के डिजायन की निरंतर आवश्यकता रहती है जो विद्यमान एकीकृत परिपथों के आयामों को घटाते हैं एवं साथ–साथ इनके क्रियकलापों में वृद्धि करते हैं। एकीकृत परिपथ जितना छोटा होगा, और उसे स्थापित होने के लिये भी कम जगह की आवश्यकता होगी। बहुत सारे उत्पादों में एकीकृत परिपथ अधिक उपयोगी होते हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली वस्तुंए जैसे घड़ियाँ, टेलिविजन, कपड़े थोने वाली मशीनें, गाड़ियाँ आदि सम्मिलित हैं। इसके साथ ही इसमें आंकड़े इकट्ठे करने वाले उपकरण भी इसमें शामिल हैं। एकीकृत परिपथ की प्रत्येक सतह की छात्रा चित्रों द्वारा नकल की संभावनाएँ एवं छायाचित्र के आधार पर उत्पादन के लिये मुखैटा तैयार करना किसी भी नक्शे के डिजायन की सुरक्षा के लिये विधायन बनाने में सहायक होते है। ज्योतिमतीय साँचे की क्रियान्वित प्रकृति के कारण डिजायनों को प्रतिलिप्याधिकार विधि के अन्तर्गत प्रभावपूर्ण तरीके से संरक्षित नहीं किया जा सकता है (सिवाय अलंकरित कला के)। इसी प्रकार, क्योंकि व्यक्तिगत शिल्पमुद्रण सांचे के कार्य भी पूरी तरह से संरक्षण योग्य नहीं है, इन्हें पेटेन्ट कानून के अन्तर्गत भी प्रभावी तरीके से संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है, यद्यपि किसी कार्य को लागू करने वाली प्रक्रिया का पेटेन्ट किया जा सकता है। अतः 1990 से राष्ट्रीय सरकार बौद्धिक संपदा अधिकारों की तरह प्रतिलिप्याधिकार को मंजूरी दे रही है ताकि समयानुसार एक विशिष्ट नक्शे को तैयार किया जा सके।

21.4.8 ट्रेडमार्कः–

व्यापार चिन्ह एक विशिष्ट प्रकार का चिन्ह होता है जो कुछ वस्तुओं औक्र सेवाओं को इस प्रकार चिन्हित करता है कि उन्हें पहचाना जा सके कि अमुक व्यक्ति या उद्यम के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। व्यापार चिह्न एक या बहुत सारे शब्दों, पत्रों और संख्याओं का सम्मिश्रण हो सकता है। इसमें कलाकृति, नमूने, त्रिआयामी चिह्न जैसे वस्तुओं का आकार एवं पैकिंग या रंग सम्मिलित हैं जिनके आधार पर इन्हें अलग रूप में पहचाना जाता है। सामूहिक चिह्नों का स्वामी एक संघ होता है जिसके सदस्य इसका उपयोग गुणवत्ता के स्तर को पहचानने में करते हैं। निश्चित मानकों के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है उदाहरण के लिये आइएस.ओ. 9000। चिह्न के स्वामी को व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) दिया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं की पहचान की जा सके और इस पर उनका विशिष्ट अधिकार हो । साथ इसके उपयोग का अधिकार दूसरों को भी प्रतिफल (भुगतान) करने पर दिया जाता है।

किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में जाने पहचाने व्यापार चिन्हन से तात्पर्य ऐसे चिह्न से होता है जो जनता के ऐसे पर्याप्त के लिये बनाये गये हैं जो ऐसे सामान्य का उपयोग करता है या ऐसी सेवाओं को प्राप्त करता है कि अन्य वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में इस तरह के चिह्न के उपयोग होने की संभावना है व्यापार के दौरान या उन सवामानों या सेवाओं के बीच सेवाओं का

प्रस्तुतीकरण और पहले उल्लेख किये गये वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में चिह्न का उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में किया जाना चाहिये।

21.4.9 ट्रेडमाक /व्यापार चिह्न के मूलभूत सिद्धान्त :–

भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का अधिनियम व्यापार एवं माल चिह्न अधिनियम एवं ट्रेडमार्क अधिनियम 1940 के आगे एक बहुत बड़ा कदम है। नवनिर्मित अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं जो 1958 के अधिनियम में विद्यमान नहीं थीं, वह इस प्रकार है:–

1 सेवा चिह्नों, सामूहिक चिह्नो एवं ट्रेड मार्क का प्रमाणीकरण का पंजीयन।
2 पंजीयन एवं पुनर्निर्माण का कार्यकाल 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाना।
3 एक से अधिक श्रेणी के पंजीयन के लिये एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान।
4 ट्रेडमार्क से संबंधित अपराधों के लिये दंड में वृद्धि करना।
5 शब्दों के लिये व्यापक परिभाषाएँ उययोग में लाये जाने का प्रावधान।
6 पंजीबद्ध उपयोगकर्ताओं के पंजीयन हेतु सरलतम प्रक्रिया एवं अनुमत उपयोग के दायरे का विस्तार।
7 अपीलों के त्वरित निराकरण के लिये एवं अपीलों के संशोधन हेतु अपीलीय बोर्डों की स्थापना करना, जो कि अब तक उच्च न्यायालयों में ले जाये जाते थे।

ज्ञात (प्रसिद्ध) ट्रेडमार्क और संबद्ध ट्रेडमार्क :–

वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रसिद्ध ट्रेडमार्क से तात्पर्य है कोई ऐसा चिह्न जो उन लोगों के वास्तविक भाग के रूप में जाना जाता है जो ऐसी वस्तुएं उपयोग में लाते हैं या उन सुविधाओं या सेवा प्राप्त करते हैं । संबद्ध ट्रेडमार्क व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में वह होते है, जिसका स्वामी एक ही होता है और दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, किन्तु समान प्रकृति की वस्तुओं और सेवाओं पर इसका प्रयोग किया जाता है । उदाहरण के लिये सिले सिलाये कपड़ों का व्यापार करने वाली कम्पनी शर्ट, पतलून आदि के लिये संबद्ध, चिह्न का उपयोग कर सकती है अर्थात इस अधिनियम के अन्तर्गत उक्त ट्रेडमार्क का पंजीयन संबद्ध ट्रेडमार्क के रूप में होना आवश्यक है।

सेवा चिह्न :– 1958 का अधिनियम में सेवा चिह्न के बारे में कोई चर्चा नही की गयी है। सेवा से तात्पर्य किसी भी प्रकार की सेवा से है जो उपयोगकर्ता के लिये आसानी से उपलब्ध हो एवं इसके अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय या व्यावसायिक मामलों जैसे बैकिंग, सम्प्रेषण, शिक्षा, वित्तीय, बीमा, चिटफंड, संपत्ति संबंधी यातायात, भंडारण, भौतिक उपचार, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य शक्ति का वितरण, रहना–खाना, मनोरंजन, आमोद –प्रमोद, विनिर्माण, मरम्मत, समाचार संदेश या सूचना और विज्ञापन आदि सम्मिलित हैं। उक्त सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चिह्नों को सेवा चिह्न कहा जाता है।

प्रमाणीकरण ट्रेड मार्क और सामूहिक चिह्न :–

एक प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न एक गारंटी चिह्न होता है जो यह इंगित करता है जिन वस्तुओं के लिये यह चिह्न दिया गया है उसकी एक निश्चित गुणवत्ता है या उनका निर्माण एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया गया है या एक निश्चित क्षेत्र से यह वस्तुएँ आयीं है या कोई विशिष्ट सामग्री का उपयोग किया गया है या शुद्धता का एक निश्चित स्तर बनाये रखता है। वस्तुएं एक निश्चित क्षेत्र से उत्पन्न हुयी होनी चाहिये न कि किसी विशिष्ट व्यापारी से । प्रमाणीकरण चिह्न वस्तुओं पर भी समान मापदंडां की संतुष्टि के साथ ही लागू होते हैं । यह चिह्न अन्य व्यापार चिह्नों की भांति ही पंजीयन योग्य होते है। भारत में विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिये प्रचलित एगमार्क एक

प्रकार का प्रमाणीकरण चिह्न ही है हालांकि प्रमाणीकरण चिह्न के रूप में इसका पंजीयन नहीं हुआ है, एगमार्क के शुरूआती दौर में प्रमाणीकरण चिह्न की अवधारणा प्रचलन में नहीं थी।

सामूहिक चिह्न से तात्पर्य ऐसे व्यापार चिह्न से होता है जो उसे दूसरों से अलग करता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अर्थों, साझेदारी के सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं है, व्यक्तियों के संघ के सदस्यों की वस्तुओं और सेवाओं से यह चिह्न अलग करता है।

पंजीकृत व्यापार चिह्न की समयावधि :– व्यापार – चिह्न का प्रारंभिक पंजीयन 10 वर्षों के लिये होगा परन्तु समय–समय पर नवीकरण फीस का भुगतान करने के पश्चात् असीमित समय के लिये इसका नवीकरण किया जा सकता है।

21.4.10 भौगोलिक संकेतों की सुरक्षाः–

ऐसे संकेत जो उस क्षेत्र में एक सदस्य या क्षेत्र या किसी इलाके के क्षेत्र में पैदा होने के रूप में अच्छी पहचान रखते हैं, जहाँ गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या वस्तु के अन्य लक्षण इसके भौगोलिक मूल के कारण हैं। भौगोलिक संकेतों के पहचान की अवधारणा एवं उनको सुरक्षा प्रदान करने की अवधारणा भारत में और शायद अधिकांश विकसित देशों के लिये नयी है और टी.आर.आई.पी.एस. सहमझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह अवधारणा इन देशों के समक्ष उजागर हुयी। यह ध्यान देने योग्य है कि सामुचित संरक्षित भौगोलिक संकेतों को ही घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सुरक्षा मिल पायेगी। सभी सदस्य देशों पर टी.आर.आई.पी. एस. की शर्ते लागू होंगी। इसके अनुसार, भौगोलिक संकेत जो अपने देश के मूल में संरक्षित नहीं है या जिनका उपयोग उस देश में नहीं किया जा रहा है, सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। शराब के लिये एक ही नाम रखने वाले संकेतों को स्वतंत्र रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। प्रत्येक राज्य अपनी कुछ शर्तें रख सकेगा जिनके अन्तर्गत समान नाम वाले संकेतों को एक दूसरे से अलग कियाक जा सकेगा।

21.4.11 नये पौधों की विविधता की सुरक्षा :–

भारत में अब नये विविध पौधे एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पौधों की नयी किस्मों के संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। इन पौधों को पेटेन्ट के माध्यम से संरक्षित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह अधिनियम अन्य अधिनियमों की भांति क्रियान्वयन में नहीं है, इस अधिनियम को अभी अपनी जगह बनानी है। भारत में इस अधिनियम में कुछ तकनीकी प्रावधानों को सम्मिलित किया है, जिसके अन्तर्गत किसानों को खेती के लिये अपने ही बीज उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। किसानों के साथ लाभ बांटने के प्रावधान, नकली प्रचारात्मक सामग्री के विपणन के लिये जुर्माने के प्रावधान बनाये गये है। इसमें विविध किस्मों एवं विभिन्न प्रकार के किसानों से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। सुरक्षात्मक समयावधि पंजीयन तिथि से 10 वर्षों तक की है।

पौधों की कोई किस्म वास्तव में नयी है भी या नहं, इस निश्चय तक पहुँचने के पाँच मापदंड है :–

- विशिष्टता
- एकरूपता या समानता
- स्थायित्व
- नवीनता
- मूल्यवर्ग (नाम, उपाधि)

कोई भी विविधता विशिष्टता की श्रेणी में तभी आयेगी जब वह किसी अन्य से पूर्णतः भिन्न है, जिसका अस्तित्व आवेदन प्रस्तुत करते समय सभी के संज्ञान में है। विविधता एकरूपता की श्रेणी में तब मानी जायेगी, यदि, विविधता के रहते हुये प्रसार की विशेष विशेषताओं के साथ इसे स्वीकार किया जा सकता है, सुसंगत विशेषताओं में समुचित एकरूपता है। विविधता में स्थायित्व माना जायेकगा यदि विशेषताओं की सुसंगतता प्रचार की सुनरावृत्ति के पश्चात् भी अपरिवर्तनीय रहती है या, प्रचार प्रसार के किसी भी चक्र में विशेषताएं अपरिवर्तनीय रहती हैं। विविधता नवीनता की श्रेणी में मानी जायेगी यदि, संवर्धक के अधिकार के लिये आवेदन करने की तारीख में विविध कटाई सामग्री या प्रसार सामग्री को नहीं बेचा गया या संवर्धक की सहमति से विविधता के शोषण के उद्देश से अन्यथा इसका निपटारा नहीं किया गया है, विविधता एक मूल्य वर्ग द्वारा नामित की जायेगी, जो इसका सामान्य पद होगा। यह सत्य है कि विभिन्न मूल्य–वर्ग की आवश्कयता के लिये इसका सामान्य पदनाम वर्ग होना चाहिये। ताकि मूल्य वर्ग की विविधता को पहचान की जा सके।

21.5 सारांश

इस इकाई में हमने बौद्धिक संपदा के अधिकारों, उनकी प्रकृति, लाभ और बौद्धिक संपदा अधिकारों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। बौद्धिक संपदा अधिकार विधिक अधिकार होते हैं जो कि औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में की जा रही गतिविधियों का परिणाम होते हैं। इन अधिकारों से रचनाकारों और बौद्धिक वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान करने वाले उत्पादों को सुरक्षा प्राप्त होती है । इसके अन्तर्गत उनहें कालमर्यादित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिससे इन अधिकारों के उपयोग पर उनका नियंत्रण हो जाता है। संरक्षित बौद्धिक संपदा अधिकार अनय सम्पत्ति अधिकारों की ही तरह व्यापार का मुद्दा हो सकते हैं, जिन्हें बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है और इन पर स्वत्व भी स्थापित किया जा सकता है । यह मूर्त एवं अनावश्यक उपभोग के अधिकाकर है। बौद्धिक संपदा अधिकार निर्माता या आविष्कारक को अनन्य अधिकार प्रदान करने में सहायता करते है जिससे उन्हें गोपनीय रखने के बजाय जानकारी और आंकडे वितरित और साझा करने के लिये प्रेरित किया जाता है। यह विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं एवं उनके काम का प्रोत्साहन भी देते है। सामूहिक दृष्टि से बौद्धिक संपदा अधिकारों के अन्तर्गत विभिन्न स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार भी आते हैं जिनका उपयोग अन्वेषणात्मक कार्यों के लिये सामूहिक रूप से किया जा सकता है जैसे पेटेन्ट, व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्याधिकार, औद्योगिक रचना, भौगोलिक संकेत, आकृति संरचना का संरक्षण एवं पौधों की नयी किस्में आदि । व्यापार चिह्न और भौगोलिक संकेतों के अलावा बौद्धिक सम्पदा अधिकार की समय सीमा निश्चित है, वयापार चिह्न एवं भौगोलिक संकेतों का जीवन अनिश्चित हो सकता है। बशर्तें कि इनका पुर्ननवीनीकरण किया गया हो और ऐसा पुनर्नवीनीकरण तय फीस जमा करने के बाद एक विशिष्ट समय–सीमा के अन्तर्गत किया गया हो।

21.6 शब्दावली

- **अभिहस्तांकित कर्तव्य** :– एक ऐसा कर्तव्य, जो नियोक्ता के रोजगार के दायरे के भीतर, जो एक नियोक्ता किसी कर्मचारी को प्रदान करता है। ऐसा कर्तव्य या गतिविधि एक विशिष्ट प्राधिकरण के अन्तर्गत नियंत्रित एवं निर्देशित होते हैं या नियोक्ता के पर्यवेक्षण ऐसे कार्य किये जाते हैं।
- **प्रतिफल** :– किसी भी प्रकार का भुगतान चाहे नकद, साम्या या अन्य वस्तु या किसी मूल्य की बात ।

- **सुधार** :– जब विद्यमान बौद्धिक संपदा का उपयोग किया जा रहा था या व्यवहार में थी, उस समय बौद्धिक संपदा का विकास हुआ या मूलभूत पेटेन्ट के दावों पर पूर्णतः अश्रित थी।
- **आविष्कार** :– कोई खोज, प्रक्रिया, सामग्री का निर्माया, वस्तु का निर्माण, करने की विधि जानना, डिजायन, प्रारूप, तकनीकी विकास, जैविक सामग्री, तनाव या खिंचाव, विविधता, किसी भी जीव संस्कृति या हिस्सा, परिवर्तन, अनुवाद, या इन वस्तुओं का विस्तार एवं इन वस्तुओं के संबधं में उपयेाग में आया कोई भी चिह्न ।
- **तकनीक जानकारी** :– सुधार, आविष्कार, बौद्धिक संपदा, अनुसंधान के आंकड़े, निर्देश, प्रक्रिया, नवाचार सूत्र, सूचना और व्यापार रहस्य से संबंधित ज्ञान।
- **मुखौटा संबंधी कार्य–** एक अर्ध चालकता उत्पाद की परतों की धातु, तापावरोधन, धातु का त्रिआयामी पैटर्न, प्रतिनिधित्व करने वली पूर्व निर्धारित छवियों की श्रृंखला ।
- **संयुक्त स्वामित्व** :– बौद्धिक संपदा में स्वामित्व से तात्पर्य एक या एक से अधिक पक्षकारों के द्वारा स्वामित्व ।
- **सामग्री प्राप्तकर्ता** :– सामग्री अन्तरण समझौता (एम.टी.ए.) की शर्तों के अन्तर्गत मूल अमूर्त अनुसंधान सम्पदा प्राप्त करने वलो व्यक्ति या पक्षकार या कोई संस्था ।

21.7 बोध प्रश्न

बहुविकल्प प्रश्न :–

1 निम्न में से कौन बौद्धिक संपदा का केन्द्र नहीं है :–

(अ) उत्पाद को मानसिक प्रयास का संरक्षण

(ब) निर्माता को लाभ का अधिक देना

(स) नये विचारों के स्वतंत्र प्रवाह हेतु उत्साहवर्धन करना।

(द) दूसरों के विचारों की नकल करने से लोगों को रोकना ।

(ध) आविष्कारकर्ता एवं आविष्कार का उपयोग करने वाले के उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों पर रेखा खींचना ।

2 इनमें से किसे बौद्धिक संपदा विधायन के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है।

(अ) पेटेन्ट (ब) व्यापार रहस्य (स) प्रतिलिप्याधिकार (द) औद्योगिक संरचना

(ध) व्यापार चिह्न

3 इनमें से किसे प्रतिलिप्याधिकार द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है?

(अ) कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर (ब) साहित्यिक रचना (स) संगीत रचना (द) ज्योमितीय रचना (ध) लोक साहित्य

4 पेटेन्ट विधि में, आविष्कार में इनमें से कौन सी विशेषता होनी चाहिये ?

(अ) आविष्कार का उपयेाग दूसरों द्वारा न हीं किया जा सकता ।

(ब) आविष्कार अनुपम गुणवत्ता लिये हुये होना चाहिये ।

(स) आविष्कार एक ठोस चीज होनी चाहिये जिसका निर्माण किया जा सके।

(द) आविष्कार कुछ नया लिये हुये होना चाहिये और इसका आविष्कार आविष्कारकर्ता द्वारा ही किया गया होना चाहिये ।

(ध) उपर्युक्त सभी ।

5. जब बौद्धिक संपदा के अधिकार का उल्लंघन होता है, कौन सा उपचार प्राप्त नहीं होने की संभावना होती है ?
   (अ) अर्न्तवर्ती व्यादेश,
   (ब) लेखांकन
   (स) विशिष्ट प्रदर्शन या निष्पादन
   (द) क्षतिपूर्ति
   (ध) एंटन पिलर आदेश
6 व्यापार चिह्न के संरक्षण की दिशा में, निम्नलिखित में से कौन से दीवानी उपचार उपलब्ध हैं :–
   (अ) उत्पाद के व्यापार चिह्न के स्वामी को संरक्षण देना
   (ब) स्थायी व्यादेश
   (स) क्षतिपूर्ति
   (द) लेखांकन की क्षतिपूर्ति
   (ध) उपर्युक्त सभी।
7 औद्योगिक संरचना के संदर्भ में निम्न से कौन सही नहीं है जिसका औद्योगिक डिजायन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन किया जा सकता हो?
   (अ) उत्पाद मौलिक होना चाहिये, नकली नहीं।
   (ब) कुछ उत्पाद जो पहले से ही बाजार में उपलब्ध है उनके समान वस्तु हो सकती है।
   (स) कुछ अर्थों में यह अलग वस्तु का विनिर्माण करती है।
   (द) अभिन्न विशेषता प्रकृति में आभूषणात्मक हो सकती है।
   (ध) यह आकार, पैटर्न या अलंकरण में अद्वितीय होना चाहिये ।
8 गूढ़ व्यापार एवं आत्म विश्वास भंग के कानून के संबंध में इनमें से कौनसी बात सही है?
   (अ) गूढ़ व्यापार का संरक्षण कभी कभी प्रयोग में आता है क्योंकि इसके संघात्मक व्यवस्था को समझना कठिन है ।
   (ब) कोई व्यक्ति गोपनीय जानकारी के गलत प्रकटीकरण का दोषी नहीं हो सकता है यदि, जब इसका प्रकटीकरण किया गया हे तब यह गोपनीय प्रकृति का नहीं था।
   (स) रूटन पिलर आदेश एक न्यायालयीन आदेश होता है जिसके तहत उस व्यक्ति की खोज होती है जिसमें व्यापार के गूढ़ रहस्यों को चुराया और उसके उपयेाग से बहुत सारा लाभ कमाया ।
   (द) व्यापारिक रहस्य के कानून द्वारा विषय सामग्री संरक्षित की जाती है और इसका विवरण प्रांतीय व्यापार रहस्य अधिनियम में विद्यमान है।
   (ध) उपर्युकत सभी ।

21.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1–द, 2–ब, 3–य, 4–स, 5–य, 6–य, 7–ब, 8–ब,

21.9 स्वपरख प्रश्न

8 बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को परिभाषित कीजिए । उनकी प्रकृति तथा लाभों की भी व्याख्या कीजिए ।

9 किसका पेटेन्ट किया जा सकता है ? पेटेन्ट विधि के मूलभूत सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

10 प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण, पेटेन्ट संरक्षण से किस प्रकार भिन्न है ?

11 पेटेन्ट उल्लंघन के सुरक्षात्मक उपाय क्या है ?

12 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :–

(अ) सूक्ष्म जीव विज्ञानी आविष्कारों की पेटेटिंग

(ब) गैर पेटेन्ट योग्य आविष्कार

(स) प्रतिलिप्याधिकारों का उल्लंघन

(6) औद्योगिक संरचना क्या है ? औद्योगिक डिजायन के मूलभूत सिद्वातों की व्याख्या कीजिए ।

(6) टिप्पणी लिखिए :–

(अ) भौगोलिक संकेतों का संरक्षण

(ब) पौधों की नयी किस्मों का संरक्षण

(स) व्यापार चिह्नों और सामूहिक चिह्नों का प्रमाणीकरण

(द) अभिन्यास (खाका) डिजायन

21.10 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Garg Rich, “Foriegn Exchange Management”, Vrinda Publications Private Ltd., 2010
2. Bharat, “Foreign Exchange Management Act : Rules and Regulations”, Bharat Law House Pvt Ltd., 2007
3. http://exim.indiamart.com/act-regulations/fera-1993.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Fera
5. http://www.cabible.com/forum/showthread.php/6677-Difference-betwen-FERA-and-FEMA
6. Sharan V, “International Financial Management”, Prentice Hall of India, N. Delhi, 2009
7. Seth A K, “International Financial Management”, Galgotia Publishing Company, 2009
8. http://www.indiajuris.com/pdf/ptbook.pdf
9. http://www.patentindia.org/patent.htm
10. http://www.patentindia.org/trademark.htm
11. Wadhera Dr B L, Law Relating to Intellectual Property, Universal Law Publishing, 4th edition.
12. Gupta T. S, Intellectual property law in India, Kumar law international, 2011.
13. Myneni S. R, Law of Intellectual Property, Asia Law House Hyderabad, 2001.

इकाई 22 बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रवर्तन एवं स्वामित्व

इकाई की रूपरेखा

22.1 प्रस्तावना
22.2 भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण एवं स्वामित्व
22.3 ट्रिप्स समझौता
22.4 विकासशील देशों के लिये बौद्धिक सम्पदा स्वामित्व का महत्व
22.5 बौद्धिक सम्पदा अधिकार –भारत में प्रचलित विधि
22.6 भारतीय कानून के तहत् उपलब्ध प्रवर्तन तंत्र
22.6.1 पेटेन्ट
22.6.2 ट्रेडमार्क
22.6.3 नकली निशान वाली वस्तुओं को जब्त करना
22.6.4 प्रतिलिप्याधिकार
22.6.5 डिजायन
22.7 आविष्कार का उपयोगी नमूना (आदर्श)
22.8 व्यापार रहस्य संरक्षण
22.9 बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अनंतिम उपाय
22.10 सारांश
22.11 शब्दावली
22.12 बोध प्रश्न
22.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
22.14 स्वपरख प्रश्न
22.15 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि –

- बौद्धिक संपदा के स्वामित्व एवं प्रवर्तन के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कर सकें।
- भारत में बौद्धिक सम्पदा कानून के प्रवर्तन की चर्चा कर सकें।
- भारतीय विधि के अन्तर्गत उपलब्ध प्रवर्तन तंत्र व्यवस्था की व्याख्या कर सकें।
- आविष्कार के उपयोगिता नमूने या आदर्श की व्याख्या कर सकें।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अंनतिम उपायों की चर्चा कर सकें।

22.1 प्रस्तावना

बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक विधिक अवधारणा है जिसके माध्यम से उनकी बौद्धिक क्रियान्वयन के लिये रचना या कार्य के स्वामी एवं रचनाकार को अधिकार प्राप्त होते है। साहित्य, संगीत, आविष्कार इत्यादि के क्षेत्रों में यह अधिकार दिये जाते है, जिनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिये किया जाता है। साधारण रूप में, बौद्धिक सम्पदा कानून कार्य के रचनाकार या आविष्कारक को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है, ताकि उसके द्वारा किये गये कार्य का दुर्विनियोग न किया जा सके और न ही कोई उसकी जानकारी के बिना उसके द्वारा किये गये कार्य

का उपयोग कर सके। बौद्विक सम्पदा कानून सीमित समयावधि के लिये अधिकार प्रदान करके संतुलन स्थापित करता है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने बौद्विक सम्पदा अधिकार होते हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नियंत्रण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है। 1883 में औद्योगिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस अभिसमय एवं 1886 में साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये बने अभिसमय ही सर्वप्रथम अभिसमय थे जिनमें बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के महत्व को मान्यता प्रदान की । दोनों ही संधियाँ विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के प्रत्यक्ष शासन प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत आती हैं।

किसी देश के वैज्ञानिक विकास के लिये बौद्धिक संपदा कानून बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते है। बौद्धिक सम्पदा के कठोर कानून से विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की सम्भावना रहती है तथा देश के ज्ञान के भंडार में भी वृद्धि होती है। किन्तु इसके साथ–साथ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कठोर बौद्धिक संपदा विधायन के साथ–साथ, प्रवर्तन तंत्र व्यवस्था का भी उसी ढंग से समर्थन प्राप्त हो। साफ स्वच्छ, कठोर या मज़बूत एवं बिना भेदभाव के बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन से आर्थिक लाभ मिलता है जिससे कि नवीनता को भी संबल प्राप्त होता है। एक मजबूत बौद्धिक सम्पदा अधिकार से पूर्ण शासन नये निवेश को आकर्षित करता है एवं निवेशकर्ताओं को नयी तकनीक के विकास में सहायक होता है। यह इसलिये जरूरी है कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिये कोई भी कानून प्रभावी प्रवर्तन उपायों के माध्यम से इसके उल्लंघन की रोकथाम के लिये सामरिक (महत्वपूर्ण) उपाय प्रदान करता है।

22.2 भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण एवं स्वामित्व

भारतीय राज्यों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिये भारत में सांविधिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक ढाँचे की स्थापना को परिभाषित किया है । चाहे वे प्रतिलिप्याधिकार, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक संरचना या फिर कोई अन्य हिस्से के साथ सम्मिलित हों।

परिवर्तनशील औद्योगिक दुनिया के साथ सामंजस्य बैठाते हुये बौद्धिक सम्पदा अधिकारों ने भारत में अपनी स्थिति लगातार मजबूत बनायी हुई है। 1999 में, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित एक महत्वूपूर्ण विधायन सरकार ने वैश्विक संव्यवहारों की शर्तों पर जारी किया और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापारिक पहलुओं के अन्तर्गत भारत के अनुरूप भी विधायन का निर्माण किया गया है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

- पैटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999 जो 10 मार्च 1999 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया । इस अधिनियम द्वारा 1970 के पैटेंट कानून में संशोधन किया गया था जो बदले में पेटेंट दाखिल करने के लिये मेल बाक्स व्यवस्था स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। और 5 वर्षों की अवधि के लिये विशिष्ट विपणन अधिकारों के साथ समझौता करता है।
- व्यापार एवं वस्तु चिह्न अधिनियम 1958 के स्थान पर भारतीय संसद में 1999 के शीतकालीन सत्र में ट्रेड मार्क बिल, 1999 पारित किया गया। यह 23 दिसंबर, 1999 को पारित किया गया था।
- भारतीय संसद के दोनों सदनों उच्च सदन एवं निम्न सदन द्वारा 1999 में प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था एवं बाद में इस अधिनियम पर दिनांक 30 दिसंबर, 1999 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

- दिनांक 23 दिसंबर 1999 को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा सुजेनेरिस विधायन अनुमोदित किया गया और जिसे बाद में वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीयन एवं संरक्षण) बिल, 1999 के नाम से नामित किया गया।
- डिजायन अधिनियम, 1911 के स्थान पर भारतीय संसद के उच्च्य सदन द्वारा 1999 में औद्योगिक संरचना बिल पारित किया गया था।
- संसद के उच्च्य सदन में पेटेन्ट (द्वितीय संशोधन) बिल 1999 पेश किया गया जिसके अन्तर्गत पेटेन्ट अधिनियम 1970 में संशोधन किया गया एवं इसके साथ ही यह टी.आर. आई. पी.एस. से भी संबंधित था।

उपरोक्त विधायिका उपायों के साथ–साथ, भारतीय सरकार ने राष्ट्र में बौद्धिक संपदा की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित और दृढ़ीकरण करने के लिये बहुत से परिवर्तनों का समावेश किया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन /संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पेटेन्ट की सूचना से संबंधित सेवाओं और ट्रेडमार्क के पंजीयन को आधुनिक रूप देने के लिये विभिन्न परियोजनाएं चलायी जा रही हैं।

22.3 ट्रिप्स समझौता

1990 के प्रारंभिक दौर में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व का आभास हुआ एवं किसी देश की समृद्धि एवं विकास के लिये इन संपदा अधिकारों के प्रभावशील तरीके से लागू होने पर भी ध्यान गया। व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधारणा संबंधी समझौता इसी ध्यानाकर्षण का परिणाम था, जिस पर 1994 में विश्व संधि संगठन की उरूग्वे बैठक में हस्ताक्षर किये गये और यह एक जनवरी 1995 को लागू हो गया। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा एवं प्रवर्तन की विश्व व्यापी विचारधारा ट्रिप्स समझौते, के रूप में उभर कर आयी। ट्रिप्स समझौते के उद्देश्य अनुच्छेद 7 में निम्न प्रकार बताये गये हैः–

''बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा और प्रवर्तन प्रौद्योगिकीय नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और प्रसार के लिये, उत्पादों के पारस्परिक लाभ और तकनीकी ज्ञान के उपयोग और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिये अनुकूल तरीके और अधिकार दायित्वों के संतुलन के लिये योगदान करना चाहिये।''

22.4 विकासशील देशों के लिये बौद्धिक संपदा स्वामित्व का महत्व

बौद्धिक संपदा अधिकार मालिकों के प्रबंधन ने हमारे जैसे विकासशील देश की तकनीकी संभावनाओं को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यापार से संबंधित अवधारणा पर विश्व व्यापार संगठन के समझौतों ने संपदा अधिकारों के प्रवर्तन एवं सुरक्षा के न्यूनतम मानदंड निश्चित किये हैं, ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों के समुचित संरक्षण के साथ साथ सदस्य देश एक स्वस्थ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकें। हालांकि, यह सदस्य देश की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपने विधिक ढाँचे और व्यवहार में रहते हुये इस समझौते की शर्तों को किस प्रकार लागू करें।

बौद्धिक संपदा अधिकारेां का शोषण एवं संरक्षण दो महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका सीधा असर देश के नये आर्थिक पर्यावरण में प्रदर्शन पर पड़ता है। इसके अलावा, भारत जैसे विकासशील देश के लिये तकनीकी आत्मनिर्भरता अत्यंत महत्वपूर्ण है । विकास और आर्थिक विकास के लिये तकनीक का इस्तेमाल करना अति महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा का स्वामित्व बौद्धिक संपदाओं पर निःशुल्क उपयोग

में सहायता करता है और नवीन आविष्कारों को आविष्कारशील गतिविधियों में संलग्न करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारत ने इस तथ्य को महसूस किया, और एक मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये हैं। देश ने इस हेतु कानूनी और संस्थागत पहल के साथ–साथ विधायी और महत्वपूर्ण निवेश भी किये हैं।

न्यूजैन बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को समझता है और यह इस बात का साक्षी भी है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय में 2009–10 की वार्षिक रिपोर्ट में, कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेटेंट के लिये शीर्षक भारतीय आवेदकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे, कंपनी ने अपने उत्पादों के लिये प्रतिलिप्याधिकार और ट्रेडमार्क के माध्यम से, जहाँ भी लागू हों और अन्य नवाचारों के लिये सुरक्षित बौद्धिक संपदा अधिकार पेश किये हैं।

22.5 बौद्धिक संपदा अधिकार – भारत में प्रचलित विधि

बौद्धिक संपदा अधिकार, स्वामित्व की सामान्य विधि की अवधारणा का विस्तार है। विचारों, अवधारणाओं, अभिव्यक्ति, बुद्धि, रचनात्मकता, मानवीय क्षमताओं का अमूर्त रूप उनके पूर्व के समान होने वाले विज्ञापन मूर्त संपत्ति को तब्दील कर रहे हैं, किसी भी मूर्त वस्तु के समान है और इसलिये किसी भी अन्य संपत्ति की तरह, कानून द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। बाद में वैश्वीकरण के कारण, यूरोपीय संघ, सार्क, नाफ्टा, जी–8 आदि जैसे देशों की सूचनाओं, प्रौद्योगिकी, व्यापार के अभिनव माडल का विकास और वयापार के अवरोध के संकुचन के कारण आसानी से पहुँच, बौद्धिक संपदा ने बाध्यकारी प्रभाव हासिल कर लिया है जिससे इसका उल्लंघन करना बहुत मुश्किल हो गया है।

भारत में बौद्धिक संपदा के प्रवर्तन से संबधित साधारण कानून इस प्रकार हैः–

- दीवानी प्रक्रिया संहिता
- भारतीय दंड संहिता
- दीवानी और आपराधिक व्यवहार के नियम

दीवानी प्रक्रिया संहिता में दीवानी न्यायालयों के माध्यम से दीवानी उपचारों को दिया गया है, भारतीय दंड संहिता दंड संबंधी उपचारों का प्रावधान करती है। परीक्षण न्यायालय, उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस के नियम एवं प्रक्रिया व्यवहार अधिनियम में दिये गये हैं। भारत सामान्य कानून परंपरा का पालन करता है और न्यायिक पूर्वोक्ति की बाध्यकारी शक्ति है। अतः उच्चतम न्यायालय के निर्णय देश के निम्न न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।

बौद्धिक सम्पदा कानून सांविधिक प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है। अति महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा कानून इस प्रकार हैः–

- पेटेन्ट अधिनियम, 1970
- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999
- प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957
- डिजायन अधिनियम, 2000

उपरोक्त विधायन को सुसंगत नियमों का समर्थन प्राप्त होता है एवं नियम इस प्रकार हैः–

- पेटेन्ट नियम, 1972 संशोधित पेटेन्ट अधिनियम 1999
- ट्रेडमार्क नियम, 2001

- प्रतिलिप्याधिकार नियम, 1958 एवं
- डिजायन नियम, 2001
- विश्व संधि संगठन बौद्धिक संपदा विधायन
- भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999
- अर्ध सुचालक एकीकृत सर्किट ले आउट डिजायन अधिनियम, 2000

भौगोलिक संकेतों के प्रवर्तन एवं पंजीयन के लिये उक्त संकेतों के नियम एक प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था मुहैया कराते है। अर्धसुचालक एकीकृत सर्किट ले आउट डिजायन अधिनियम 2000 को 11 दिसंबर 2001 में सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया था ताकि प्रशासनिक तंत्र को सहायता मिल सके।

सूचना तकनीक अधिनियम 2000 भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के मध्य संबंध स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

22.6 भारतीय कानून के तहत् उपलब्ध प्रवर्तन तंत्र

22.6.1 पेटेन्ट :– पेटेन्ट लागू करने के लिये जिला न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये, इस न्यायालय को ही ऐसे वाद को सुने जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ऐसा प्रत्येक वह व्यक्ति जिसके पास पेटेंट के विषय पर वैध दावे है, उसे पेटेंट को लागू करने के लिये कानून की अदालत में लाने का अधिकार है। पेटेंट उल्लंघन के मुकद्में में न्यायालय या तो क्षतिपूर्ति या लाभ की सहायता प्रदान करता है।

काई कार्य पेटेंट का उल्लंघन है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय साधारणतया विभिन्न कारकों पर गौर फरमाता है, जिनमें सम्मिलित हैः–

दावे का दायराः– क्या यह अधिनियम पेटेंट के दायरे के तहत् किसी मान्यता प्राप्त अधिकार के बराबर है। क्या उल्लंघन का कथित कार्य पेटेन्ट के तहत् मान्यता प्राप्त एकाधिकार का उल्लंघन है। उल्लंघन को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर भी होता है।

पेटेंट के उल्लंघन का वाद पेटेंट की सीलबंदी करने के बाद ही लाया जा सकता है। स्वीकृति के विज्ञापन की तिथि और सील की तारीख के बीच की अवधि के दौरान उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान की मंजूरी दावे में दी जा सकती है। पेटेंट के उल्लंघन की कार्यवाही में प्रतिवादी निम्नलिखित में से कोई भी बचाव ले सकता हैः–

(ए) उल्लंघन की मनाही।
(बी) उल्लंघन के बाद के लिये वादी हकदार नहीं है।
(सी) विबन्धन
(डी) अवैधानिक संविदा का पाया जाना।
(इ) नवीनता का न होना एवं गैर स्पष्टता के आधार पर दावा अवैध है।
(एफ) अभिव्यक्त या विविध आविष्कार के उपयोग के लिये लाइसेंस का होना।
(जी) क्षति या लाभ के खाते के दावे के खिलाफ मामलों में सरल उल्लंघन।

अस्थायी व्यादेश के लिये वादी द्वारा अन्तरिम आदेश लाया जाना साधारण एवं संभाव्य है। अदालत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर आविष्कार के कार्य का उल्लंघन करने वाले को निलंबित करने के लिये एक अस्थायी आदेश प्रदान कर सकती है। उल्लंघन के क्रिया कलापों से संबंधित प्रक्रिया दीवानी प्रक्रिया संहिता से संबद्ध होनी चाहिये । जबकि कोई वाद जिला अदालत में लाया

जाता है और मामला उच्च न्यायालय में जाता है तो न्यायालय के वयवहारिक नियम लागू होंगे। पेटेन्ट उल्लंघन के मामलों में देरी से आदेशों की प्राप्ति का एक मुख्य कारण है विचाराधीन न्यायालयों के अंतरिम आदेशों से अपील को वरीयता प्रदान करना। इस कारण मुख्यवाद विचारणीय स्तर पर एवं आदेश से पहले ही लंबित अवस्था में रह जाता है।

22.6.2 ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न)

ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पक्षकार को व्यापार चिह्न के उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निम्नलिखित दीवानी एवं आपराधिक दोनों ही उपचार उपलब्ध हैः–

1. **दीवानी उपचार** :– अधिनियम अभिनिर्धारित करता है कि भारत में अपंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन का कोई भी मामले की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यद्यपि कि, व्यापार चिह्न के पंजीयन का सामान्य विधि के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अतः एक पंजीकृत व्यापार चिह्न के मामले में, आम कानून के अधिकारों को संरक्षित किया गया है, जिसमें एक ट्रेडमार्क के प्रतिवादी द्वारा उपयोग से उत्पन्न होने वाले के लिये भारत की उपयुक्त अदालत में जो समान या भ्रामक समान है, वादी के व्यापार चिह्न के लिये मुकदमा कर सकता है। साथ ही, यह स्थापित किया जाना चाहिये, कि प्रतिवादी की वास्तविक या धमकी भरी कार्यवाही ऐसी है कि वह वादी के सामान के रूप में प्रतिवादी के सामान के उपयोग का परिणाम हो सकते है।

कार्यवाही बंद करने से उत्पन्न होने वाले बिन्दु इस प्रकार हैः–

- कि क्या वादी की उसके व्यापार, पेशा, सेवा या किसी अन्य गतिविधि से संबंधित सामान्य जनता के बीच या किसी विशिष्ट वर्ग समूह के मध्य एक प्रतिष्ठा या साख स्थापित है, प्रतिवादी के द्वारा ऐसा किया जाने के पहले।
- कि क्या प्रतिवादी के क्रियाकलाप या प्रस्तावित मिथ्या व्यपदेशन की गतिविधियों से वादी के व्यापार या साख को नुकसान पहुंचने की संभावना है और व्यापार या साख को क्षति पहुंच रही है या पहुँचने की संभावना है।
- क्या प्रतिवादी उसके द्वारा स्थापित एक या एक से अधिक उपायों या बचाव में सफल हो पाया या नहीं ।

वादी सहायता का हकदार हैः–

काई भी कार्यवाही बंद करने वाले मामले में न्यायालय द्वारा सहायता दी जा सकती है जिसमें कुछ शर्तों के अधीन यदि कोई है, जैसा न्यायालय उचित समझे, व्यादेश सम्मिलित है एवं उल्लंघन की दशा में न्यायालय द्वारा वादी की इच्छा पर या तो क्षतिपूर्ति या लाभ या दोनों का ही आदेश दिया जा सकता है। न्यायिक पूर्वनिर्णयों में निमनिलखित तथ्य स्थापित किये हैं :–

1 सुविधा के संतुलन पर विचार करने में, वादी के लिये अनुकूल कारक हैः–

- क्षेत्र में वादी सबसे पहले होना चाहिये।
- बिना विलंब के कार्यवाही शुरू की जानी चाहिये।
- वादी ने विज्ञापन में अधिक मात्रा में धन व्यय करके साख बनायी है।
- व्यादेश प्रतिवादी को अपने उत्पाद की बिक्री पर रोक नहीं लगायेगा बल्कि वह केवल यह कहेगा कि तुम्हारी बिक्री वादी के समान है और उसे यह सलाह देगा कि बिक्री का तरीका समान न हो,
- वादी न केवल तर्कसंगत है बल्कि यह एक प्रथम दृष्टया मामला है।

(2) सहायता के मामले में यह सुस्थापित है कि कानून में वसूली योग्य क्षतिवादी के लिये पर्याप्त उपाय नहीं हो सकता है यदि प्रतिवादी को रोक नहीं है और वादी अंततः निम्नलिखित स्थिति में मुकद्में में सफल होता हैः–

- यदि ख्याति या साख के नुकसान का खतरा है । ख्याति का एक बार का नुकसान हमेशा (सदैव) का नुकसान होता है।
- यदि वादी के बिक्री के नुकसान का पता लगाना मुश्किल है, और
- यदि प्रतिवादी का उत्पाद निम्न स्तर का है।

उपर्युक्त्त उदाहरणों में क्षतिपूर्ति उपयुक्त उपचार नहीं होगी क्योंकि वादी के व्यापार में हुये घाटे का पता लगाना बहुत कठिन है और स्वस्थ प्रतिद्वद्विता की अपेक्षा बंद करने से अधिक नुकसान होगा । क्षतिपूर्ति तब भी उपयुक्त उपचार नही होगी जब कि वादी का स्थापित व्यवसाय है और जिसे यह डर है या हो सकता है कि प्रतिवादी ने प्रतियोगिता में वैसा ही व्यवसाय प्रारंभ किया है, सुविधा का संतुलन नये घुसपैठिये के विरूद्ध अपेक्षाकृत लंबे समय से स्थापित संरक्षण के पक्ष में होगा।

गुमराह करने के नये अर्थ के मुताबिक, अगर गलत बयानी के परिणामस्वरूप जनता को भ्रय या धोखे की वास्तविक संभावना और वादी को नतीजतन नुकसान हो तो वहाँ राहत दी जायेगी।

सीमापार प्रतिष्ठा :–

भारी न्यायिक पूर्वोक्तियों ने विस्तृत रूप से सीमा पार चिह्नों को यदि कोई हो जो कि भारत में पंजीबद्ध न हो, विस्तृत रूप से स्वीकार किया है और उन्हें मान्यता भी प्रदान की है।

(2) **आपराधिक उपचार** :– अधिनियम में व्यापार चिह्न चाहे पंजीकृत हो या अपंजीकृत, उसे संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान किया गया है। व्यापार चिह्न अधिनियम निम्नलिखित अपराधों का विश्लेषण करता हैः–

- व्यापार चिह्न की हेराफेरी,
- व्यापार चिह्न हेतु गलत तरीके से आवेदन करना,
- झूठे व्यापार चिह्न के लिये दस्तावेज बनाना या रखना,
- व्यापार का गलत ब्यौरा देकर आवेदन करना,
- देश की उत्पत्ति के झूठे संकेतों को लागू करना,
- पहले से ही वस्तुओं पर लागू मूल के संकेतों के साथ छेड़छाड़ करना
- झूठे तरीके से चिन्हित वस्तुओं की बिक्री करना या विक्रय के लिये अपने पास रखना,
- वस्तुओं को हटाना इत्यादि,
- वस्तु को पंजीबद्ध व्यापार चिह्न के रूप में झूठा प्रस्तुतीकरण ।
- व्यापार चिह्न कार्यालय से संबंधित व्यापार स्थल की अपूर्ण का अस्पष्ट जानकारी देना।

उपरोक्त किसी भी अपराध की शिकायत सत्र न्यायाधीश, प्रेसीडेन्सी, मजिस्ट्रेट या जिस मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत यह अपराध कारित किया गया हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा सीधे मजिस्ट्रेट से या पुलिस थाने के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। तत्पश्चात उस पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे।

ऊपर वर्णित 1 से 7 तक के अपराध के दोषी को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यदि अपराध औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत औषधि या

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित खाद्य पदार्थ का अपराधी है तो अपराधी को 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का दंड मिलेगा। अपराध क्रमांक 8 जुर्माने से दंडनीय होगा। अपराध क्रमांक 9 और दस 6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों ये दंडनीय होगा। अपराध क्रमांक 11, 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।

22.6.3 नकली चिह्न वाले सामानों की जब्ती करनाः–

झूठे व्यापारिक चिह्नों या झूठे विवरणों का उत्पादन करने वाले सामान को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत भारत में आयात किये जाने पर प्रतिबंध है और यदि ऐसे सामान का आयात किया जाता है तो निरोध या जब्ती के लिये उत्तरदायी है। भारत में आयातित किसी भी सामान के संबंध में, यदि मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी के पास दिये गये निरूपण के आधार पर यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि सामान पर झूठा व्यापार चिह्न उपयोग में लाया गया है, तो वह माल से संबंधित उसके कब्जे में किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने के लिये माल और आयातक के अभिकर्ता को आवश्यकतानुसार बुला सकता है और साथ ही उसे उस व्यक्ति के नाम और पते के रूप में सूचनाएं प्रस्तुत करनी होंगी जिसके द्वारा माल भारत भेजा गया है और उस व्यक्ति के नाम और पते की आवश्यकता होगी जिसे वह माल भारत में भेजा गया है। इस आवश्यकता के साथ सहयोग न प्रदान करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दंडित किया जावेगा। यद्यपि कि संविधि केवल पंजीबद्ध व्यापार चिह्न के बारे में वर्णन करती है, किन्तु अपंजीबद्ध झूठे व्यापार चिह्न के विरूद्ध किसी कार्यवाही से सीमा शुल्क कार्यालय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

आपराधिक उपचारः– व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 तक व्यापक योजना प्रदान करता है जिसके अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से व्यापार चिह्नों का प्रयोग करने वालों को विभिनन अपराधों के लिये दंडित किया जा सकता है। अपराधों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

- झूठे एवं कपटपूर्ण तरीके से व्यापार चिह्न का प्रयोग करना।
- ऐसी वस्तुओं को बेचना या ऐसी सेवाएं देना जिन पर गलत व्यापार चिह्न अंकित है या गलत व्यापार का वर्णन दिया गया है।
- सामान या वस्तु के टुकड़े, सूती धागा या ऐसे धागे जहाँ पर मुहर लगी हो उसे धारा 81 के विरूद्ध हटाना।
- व्यापार चिह्न को झूठे तरीके से पंजीबद्ध के रूप में प्रस्तुत करना।
- रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टियाँ, एवं
- भारत के बाहर किये गये कृत्यों का भारत में दुरूपयोग ।
- इन अपराधों के कम से कम 6 माह की सजा और 50,000/– रूपये तक का जुर्माना तथा अधिक से अधिक 3 साल की सजा एवं 20,000/– तक जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 105 यह निर्धारित करती है कि दूसरी बार या बाद की दोषसिद्धि होने पर सजा बढ़ा दी जायेगी।

प्रशासनिक उपचारः– अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से प्रशासनिक प्राधिकारियों को भी सहायता एवं उपचार की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो वह समय–समय पर पीड़ित पक्षकार को देंगे। रजिस्ट्रार केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर इन शक्तियों का सर्वाधिक उपयोग करता है।

22.6.4 प्रतिलिप्याधिकार :–

चूंकि भारत के बर्न अभिसमय एवं ट्रिप्स का सदस्य होने के नाते, दूसरे सदस्य देश के व्यापार चिह्न के मालिक को भारत में प्रतिलिप्याधिकार सुरक्षा प्राप्त थी। प्रतिलिप्याधिकार सुरक्षा प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि मूल प्रतिलिप्याधिकार के नाम के मजबूत हिस्से का वर्णन है।

किसी कलात्मक कार्य के संबंध में प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन, उसके स्वामी की सहमति या अनुज्ञप्ति के बिना निम्नलिखित कृत्यों को करने या करने में शामिल होने से होता है:–

- काम का अनुरूपण करने के लिये।
- किसी सिनेमा फिल्म में काम शामिल करने के लिये।
- दो आयामी कार्य के तीन आयाम या त्रिआयामी कार्य के द्विआयामों में चित्रण सहित किसी भी भौतिक रूप में काम को पुनः उत्पन्न करने के लिये।
- काम करने के लिये जनता से संवाद करना।
- उपखंड 1 से 4 तक में वर्णित निर्दिष्ट संबंधों में से कोई भी कार्य के अनुकूलन के संबंध किये गये काम।
- कार्य की प्रतियाँ जनता के लिये जारी करना।

दीवानी उपचार :– प्रतिलिप्याधिकार को लागू करने हेतु व्यादेश क्षतिपूर्ति, लाभ, उल्लंघन करने वाले चिह्नों का प्रदाय एवं संपरिवर्तन के लिये क्षतिपूति जैसे दीवानी उपचार प्राप्त होते हैं जिन्हें प्रतिलिप्यिाधिकार के स्वामी द्वारा कुछ मामलों में व्यापार चिह्न नाम के प्रकाशक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

व्यादेश के लिये वादः– अवरोधकारी उल्लंघन को रोकना या निरंतर जारी उल्लंघन को रोकने के लिये व्यादेश हेतु वाद लाया जाता है। शाश्वत व्यादेश के रूप में सहायता मांगी जा सकती है जैसे प्रतिवादी को प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन से स्थायी रूप से रोक लगा देना या अनिवार्य व्यादेश रूपी सहायता की भी मांग की जा सकती हैं जिसमें प्रतिवादी को आदेश या निर्देश दिया जाता है कि वह उल्लेखित कार्य को या तो वापिस ले ले या स्वामी को दे दे या उसे समाप्त या नष्ट कर दे।

क्षतिपूर्ति हेतु वादः–क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है:–

(1) उल्लंघन के परिणाम स्वरूप प्रतिलिपयाधिकार धारक को होने वाले नुकसान की राशि हेतु क्षतिपूर्ति का दावा करके,

(2) उल्लंघन करने वाले को होने वाले लाभ की राशि हेतु क्षतिपूर्ति दावा,

(3) उल्लंघन होने वाली प्रतियों का राशि का प्रतिनिधित्व करने हेतु क्षतिपूर्ति का दावा।

पहले दो लाभ एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्राप्त है, दो में से केवल एक का ही दावा किया जा सकता है किन्तु दोनों का दावा नहीं किया जा सकता है। तीसरा लाभ एक के अतिरिक्त प्राप्त है या पहले दो के अलावा यह तीसरा लाभ प्राप्त है।

कानून यह मानता है कि सभी उल्लंघन हुई प्रतियाँ और प्लेट प्रतिलिप्याधिकार धारक की सम्पत्ति होती है और इसीलिये इन सबको धारक को ही दिया जाना चाहिये।

लाभ के मामले में, उल्लंघन कर्ता को गलत तरीके से प्राप्त समस्त लाभ उस पक्षकार को दे देना चाहिये जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो और क्षतिपूर्ति के मामले में, जिस पक्षकार को नुकसान का सामना करना पड़ा हो उसके क्षतिपूर्ति अवश्य प्राप्त होनी चाहिये।

आपराधिक उपचारः– प्रतिलिप्यिाधिकार का स्वामी या अन्य कोई भी व्यक्ति, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में यह सम्मिलित है, वादी रहता है या जिस स्थान पर ऐसा उल्लंघन हुआ है

उसके समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। आपराधिक न्यायालय के समक्ष कोई भी कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित है। न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उल्लंघन हुये कार्य के साथ–साथ समस्त यंत्रों, सहायक उपकरणों, संसाधनों एवं पात्रों की जब्ती का आदेश दे सकते है। जिन्हें अधिनियम के उद्देश्यों के लिये प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी की सम्पत्ति के रूप में माना जाता है, एवं उन्हें स्वामी को दिये जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। दोषसिद्धि पर, आपराधिक न्यायालय अपराधी को 3 वर्ष तक की सजा एवं 2 लाख रूपये तक के जुर्माने का दंड दे सकता है। हाल ही में हुये संशोधन के अनुसार अब न्यायालय 6 माह तक की सजा और 50,000/– रूपये का जुर्माना अनिवार्य रूप से सजा के रूप में दे सकता है। किन्हीं विशेष कारणों के रहते हुये मजिस्ट्रेट नयूनतम से भी कम सजा दे सकता है, वरना न्यायालय को 50,000 रूपये का जुर्माना और 6 माह की सजा देना अनिवार्य है।

प्रशासनिक उपचारः– किसी भी कार्य के मामले में प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी या उसके अधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रार के समक्ष व्यापार चिह्न के नाम की उल्लंघन की हुई प्रतियों पर रोक लगाने हेतु आवेदन लाया जा सकता है, जिनका उल्लंघन गलत तरीके से किया गया था।

22.6.5 डिजायन (संरचना) :– डिजायन कानून में हाल में संशोधन हुआ है। संरचना अधिनियम 1911 को समापत करके संरचना अधिनियम 2000 लाया गया है जो कि ट्रेप्स /विश्व संधि संगठन का मिला जुला परिणाम है। कानून एक ऐसा प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है जिसमें एक अनिवार्य रूप से विनियमित डिजायन का अवैध रूप से उपयोग किया जाता है। साथ ही किसी भी वस्तु की बिक्री के लिये आयात भी जो कि भारत में पंजीकृत है, अवैध है। किसी वस्तु पर बिक्री के प्रयोजनों को उजागर करने या प्रकाशित करने के लिये, जिस पर एक डिजायन लागू किया गया है, वह कानून के अनुसार एक अवैध कार्य भी है।

कानून उल्लंघन के द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान करता है। इस तरह का वाद जिला न्यायालय में लाया जा सकेगा। वादों को अन्तरिम सहायता या व्यादेश मिलने की संभावनाएँ होती है।

22.7 आविष्कार का उपयोगी प्रतिमान (नमूना)

आविष्कारों की सुरक्षा के लिये उपयोगी प्रतिमान एक बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। कभी–कभी इसका सांविधिक एकाधिकार के रूप में वर्णन किया जाता है जो कि अन्वेषक को समुचित शिक्षा प्रदान के लिये अन्वेषक के बदले में निश्चित समयावधि प्रदान करता है और अन्य व्यक्तियों को संबंधित कला के साधारण कौशल की जानकारी रखने एवं अन्वेषण का प्रयोग करने हेतु आज्ञा भी देता है। उपयेागी प्रतिमान के अन्तर्गत दिये गये अधिकार उन लोगों के लिये अभिन्न हैं जो पेटेन्ट द्वारा प्रदान किये गये हैं किन्तु शब्द बढ़ावा देने वाला आविष्कार का उपयोग करने के लिये अधिक महत्वपूर्ण है। कभी कभी उपयोगिता मॉडल के संदर्भ में छोटे पेटेंट, नवाचार पेटेंट, है। ऐसे मॉडल को विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्यमों के लिये अधिक उपयुक्त माना जाता है जो मौजूदा उत्पादों के भविष्य के साथ ''मामूली सुधार' करता है। उपयोगिता मॉडल अधिकांश रूप से यांत्रिक नवाचार के लिये उपयोग में लाये जाते हैं।

उपयोगिता मॉडल अधिकारों को पंजीकृत अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं जो कि स्वामी को अन्वेषण की शर्तों में विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं। साधारण रूप से अन्वेषण नया होनी

चाहिये और आविष्कार पूर्ण कदम उठाया जाना चाहिये और औद्योगिक उपयोग के लिये उधार देने में सक्षम होना चाहिये, जिसे उपयोगिता मॉडल के माध्यम से संरक्षित किया जायेगा। परीक्षण की लंबी प्रक्रिया का पालन किये बिना भी उपयोगिता मॉडल प्रदान करना संभाव्य है। जब तक कि पेटेंट नहीं हो, उपयोगिता मॉडल अधिकार कम समय अवधि के लिये दिया जाता है, नवीनीकरण या विस्तार की संभावना के बिना करीब 6 या 10 साल के लिये दिया जाता है। ये मॉडल प्राप्त करने या रख रखाव की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं, जर्मनी और आस्ट्रिया के उपयोगिता मॉडल को ''ग्रैब्राशमस्टर'' के नाम से जाना जाता है, जिस पर जापान जैसे अन्य राष्ट्रों का प्रभाव है। इंडोनेशिया और फिनलैंड में कार्यशील उपयोगिता मॉडल को 'पैटी पेटेन्ट के नाम से जाना जाता है। छोटे और मंझोले उपक्रमों के लिये इस प्रकार के मॉडल कहीं अधिक उपयुक्त होते हैं, जिनसे कुछ सुधार किया जाता है। प्राथमिक रूप से इनका उपयोग यांत्रिक आविष्कारों के लिये किया जाता है।

उपयोगिता मॉडल की उत्पत्ति का समय जर्मनी में 1891 का काल माना जाता है जहां इसका प्रादुर्भाव अन्तराल पूर्ति के आदर्श वाक्य के साथ हुआ। उस समय जर्मनी का पेटेन्ट कार्यालय केवल आविष्कारों को पेटेन्ट देता था जो नवीन होते थे और जिनमें कुछ क्रियात्मकता नज़र आती थी। किन्तु यह पाया गया कि अच्छी संख्या में ऐसे तकनीकी समाधान थे जिनमें औद्योगिक क्रियात्मकता विद्यमान थी किन्तु उसमें तकनीकी या रचनात्मक जटिलता भी थी। ऐसे छोटे आविष्कारों का पेटेन्ट नहीं होता था किन्तु जर्मन विधायिका का यह मत था कि उनकी उच्च आर्थिक मूल्यों के रहते हुये उनका संरक्षण आवश्यक था। अतः पेटेन्ट के अलावा अनन्य अधिकारों का एक सेट बनाने का निर्णय लिया गया था जो ऐसे छोटे आविष्कारों की सुरक्षा के लिये उपयुक्त था। यह उपयोगिता मॉडल अधिकारों के रूप में आता है।

जल्द ही अन्य राष्ट्र भी अपने क्षेत्राधिकार में उपयोगिता मॉडल देने वाले क्ल्ब में शामिल हो गये। पौलैंड, जापान, स्पेन, इटली, पुर्तगाल आदि राष्ट्र उक्त क्लब के सदस्य बन गये। इसके बाद ग्रीस, फिनलैंड, डेनमार्क और आस्ट्रिया द्वारा उपयोगिता मॉडल को अपनाने के बाद उपर्युक्त वर्णित नामों की सूची में बढ़ोत्तरी हो गयी। उपयोगिता मॉडल ऐसे तकनीकी आविष्कारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो नवीनता की आवश्यकताओं और औद्योगिक उपयोगों का पालन करते है, बस शर्त यह है कि कुछ थोड़ा सा आविष्कार शीलता' का भाव उसमें हो।

सामान्यतया उपयोगिता मॉडल अधिकारों को प्राप्त करने के लिये एक साधारण पंजीयन की प्रक्रिया की पूर्ति की आवश्यकता होती है। उपयोगिता मॉडल अधिकारों का उपयोग करने के लिये कुछ औपचारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी आवश्यक है। जितनी संख्या में आविष्कारों का पंजीयन होना है उतने ही संख्या में आवेदन दिये जाने आवश्यक हैं। उपयोगिता मॉडल सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले चित्रों को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदनों के सााथ जोड़ा जाना चाहिये।

उपयोगिता मॉडल पंजीयन हेतु आये आवेदनों की जाँच के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। परीक्षण के अतिरिक्त जाँचकर्ता यह जांच करता है कि दावा नया है या नहीं, साथ ही जांचकर्ता परीक्षण करता है कि आवेदन वांछित आवश्कयताओं को पूरा करता है। और सामाजिक आदेशों के खिलाफ नहीं है, आवेदन स्पष्ट है और इसमें कोई भ्रामक तथ्य नहीं है। यदि आवेदन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो आवेदक को एक नोटिस भेजा जायेगा और इसमें संशोधन करने के लिये कहा जायेगा। यदि आवेदक ऐसा नहीं कर पाता है तो दिया हुआ आवेदन अधिक दिनों तक विद्यमान नहीं रहेगा। वह आवेदन जिनका परीक्षण हो जाता है और परीक्षण के सभी स्तर को पार करते हुये समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करता है, वह पंजीयन योग्य माना जायेगा। किसी

कठोर परीक्षा से गुजरे बिना भी पंजीयन के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आवेदक को केवल पंजीयन शुल्क जमा करना होगा।

उपयोगिता अधिकारों के पंजीयन के बाद इसका प्रकाशन सरकारी गजट में किया जायेगा ताकि आम जनता को इन उपयेागिता अधिकारों में जानकारी प्राप्त हो सके। जब एक बार यह समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती हैं, व्यक्ति को उक्त अधिकार प्रापत हो जाते हैं। साधारणतया आवेदक आवेदन देने के 6 माह के बाद उपयोगिता माडल प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण विश्व में विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न नियमों का पालन किया जाता है। स्पेन में, आवेदन के औपचारिक परीक्षण के बाद एक विपक्षी मंच आता है। वैधानिक हित रखने वाला तीसरा पक्ष उपयोगिता के पंजीयन का विरोध कर सकता है और यह सिद्ध कर सकता है कि विधि द्वारा निर्धारित सुरक्षा आवश्कयताओं में से आविष्कार उपलब्ध नहीं है इसी तरह जर्मनी, आस्ट्रिया, फिनलैंड और डेनमार्क में आवेदक पेटेन्ट कार्यालय से कला पर राज्य की रिपोर्ट के संदर्भ में पूछ सकते है, जिससे यह सुनिश्चित करने में सहायता हो जायेगी कि आविष्कार नया है या नहीं, और उक्त आवेदित वस्तु में आविष्कारक कौशल है या नहीं। किन्तु इस प्रतिवेदन का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है और इसीलिये रिपोर्ट क्या कहती है इस बात पर ध्यान न देते हुये उपयोगिता मॉडल का पंजीयन कार्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है।

22.8 व्यापार रहस्य संरक्षण

कोई सूत्र, किसी उपकरण या आलेख का पैटर्न, डिजायन के प्रति व्यापारिक रहस्य, जो कि गोपनीय रखा जाता है और जिसके माध्यम से कोई भी व्यापार या व्यवसाय अपने प्रतिद्वन्द्वीसे अधिक बढ़ सकता है और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। व्यापारिक रहस्य रासायनिक यौगिक, निर्माण प्रक्रिया, डिजायन या संरक्षित सामग्री या उपभोक्ताओं या ग्राहकों की सूची में से कुछ भी हो सकता है। इसे 'गोपनीय सूचना' या 'विशिष्ट सूचना' के नाम से भी जाना जाता है। व्यापार रहस्य के अन्तर्गत सुरखा प्राप्त करने के लिये मामला या विषय वस्तु भी गोपनीय होनी चाहिये। यद्वपि व्यापार रहस्य की परिभाषा क्षेत्राधिकार के आधार पर परिवर्तनशील है किन्तु कुछ तत्व हैं जिनमें कि समानता पायी जाती है, वह इस प्रकार हैः–

- यह जनता द्वारा ज्ञात है।
- यह धारक को कुछ वित्तीय लाभ प्रदान करता है।
- गोपनीयता बरकार रखने के लिये धारक की ओर से युक्तियुक्त प्रयास किये गये है।
- उसकी या उसके विरोधियों की सूचना या विवरण का महत्व।
- जानकारी आसानी से सीखी जा सकती है या दूसरों द्वारा दोहरायी जा सकती है।

कोई भी उपक्रम या संगठन उसके कर्मचारियों के साथ गैर प्रकटीकरण का समझौता करके अपनी सूचना या आंकड़ों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। गोपनीय मामलों की सुरक्षा के ऐसे कानून किसी भी गुप्त आंकड़े या सूचना के मामले में एकाधिकार प्रदान करते हैं। व्यापार रहस्य अनिश्चित कालावधि के लिये सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेन्ट की तरह इसकी समय–सीमा समाप्त नहीं होती है।

प्रत्येक कम्पनी उसकी विभिन्न गतिविधियों और संचालन के शोधन से संबंधित सूचना की श्खोजबीन में अपना समय और संसाधन निवेश करती है। अगर अन्य कम्पनी को उसी ज्ञान का उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी तो औद्योगिक क्षेत्र में पहली कम्पनी के अस्तित्व और प्रमुख को

नुकसान पहुँचेगा। जब व्यापार रहस्यों को मान्यता दी जाती है तब इस ज्ञान के अन्वेषक को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह उसे बौद्धिक संपदा के हिस्से जैसा माने।

पेटेन्ट और प्रतिलिप्याधिकार की तरह, व्यापारिक रहस्यों की कोई विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संधि नहीं है। अतः व्यापारिक रहस्यों की एक स्तरीय परिभाषा देने के लिये कोई कोई विश्वव्यापी कानून नहीं है। सम्पूर्ण विश्व में व्यापारिक रहस्यों को वर्ष प्रति वर्ष मान्यता मिलट रही है। यह कहा जाता है कि विश्व में महान तकनीकों को पेटेन्ट के बताय व्यापार रहस्य के शीर्ष के अन्तर्गत संरक्षित किया जाता है। उत्तर अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार समझौता (एन.ए.एस.टी.ए.) एवं बौद्धिक संपदा के परिप्रेक्ष्य से संबंधित व्यापार पर समझौते की उरूग्वे के गैट सम्मेलन में पुष्टि की गयी, जिसके कि कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं जो व्यापारिक रहस्यों की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी की ओर इंगित करते हैं। विशेषतः एशियन राष्ट्रों में इस बात का प्रचलन बढ़ रहा है कि घेरलू संविधियों के उपयोग के समय व्यापारिक रहस्यों को सुरक्षा दी जाती है।

व्यापारिक गोपनीयता को गोपनीय ही रखा जाता है और इसे आम जनता को नहीं बताया जाता है। स्वामी या निर्माणकर्ता मिश्रित कदम उठाते हैं और अपने प्रतिद्वन्द्वी तक अपने ज्ञान को पहुंचने से रोकते हैं। व्यापार रहस्यों के धारक द्वारा नियुक्त किये जाने का मौका मिलने के बदले, एक कार्यकर्ता अपने नियोक्ता की किसी भी भौतिक जानकारी और आंकड़ों का खुलासा न करने के लिये अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु तत्पर रहेगा। कोई भी असावधानी या उसका उल्लंघन करने का तात्पर्य होगा कि वित्तीय शास्ति आरोपित होना। अन्य व्याापारिक सहयोगी संस्थान या कंपनियाँ जिनके साथ अन्वेषक कार्यरत है, भी अक्सर ऐसे ही संविदा पर हस्ताक्षर करती हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर जुर्माना या शास्ति से दंडित किया जास केगा।

यदि कोई कम्पनी अवैधानिक तरीकों से किसी अन्य कंपनी की व्यापारिक गोपनीयता को पाने का प्रयास करती है तब वह उस देश के कानून के तहत जहाँ ऐसा होना पाया जाता है, विधिक रूप से उत्तरदायी होगा। यदि व्यापार की गोपनीयता औद्योगिक जासूसी के माध्यम से प्राप्त की गयी है, तब वह अवैधानिक मानी जायेगी और वह व्यक्ति या कंपनी जो इसमें शामिल था उसे दोषी माना जायेगा और विधिक उत्तरदायित्व के लिये दोषी माना जायेगा।

22.9 बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अनंतिम उपाय

(1) न्यायिक प्राधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावशील अनंतिम उपायों का आदेश देने की शक्ति प्राप्त होगीः–

(ए) किसी भी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन होने से रोकने के लिये और विशेष रूप से सीमा के निकासी के तुरन्त बाद आयातित सामान सहित माल के अधिकार क्षेत्र में वाणिज्य के चैनल में प्रवेश को रोकने के लिये ,

(बी) कथित उल्लंघन के संबंध मे सुसंगत साक्ष्यों को संरक्षित करने के लिये

(2) न्यायिक प्राधिकारी, जहाँ उचित समझे, अस्थायी उपायों को अपनाने का अधिकार रखते हैं, विशेष रूप से जहाँ थोड़े से ही विलम्ब से सही धारक को अपूरणनीय क्षति हो सकती हैया जहाँ साक्ष्य नष्ट होना लगभग तय है।

(3) न्यायिक अधिकारियें के पास यह अधिकार है कि वह आवेदक को पर्याप्त प्रमाण के साथ स्वयं को संतुष्ट करने के लिये किसी भी उचित उपलब्ध साक्ष्य को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करें कि आवेदक ही सही धारक है, और आवेदक के अधिकारों का उल्लंघन

किया जा रहा है या इस तरह का उल्लंघन आसन्न है, और इस प्रकार प्रतिवादी की सुरक्षा और दुरूपयोग को रोकने के लिये पर्याप्त सुरक्षा या समकक्ष आश्वासन प्रदान करने के लिये आवेदक को आदेश देना।

(4) जहां अनंतिम उपायों को अपनाया गया है, जल्द से जल्द उपायों के निष्पादन के बाद प्रभावित पक्षकारों को बिना देरी किये सूचना दी जायेगी। एक समीक्षा, सुनवाई के अधिकार के साथ बचाव पक्ष के अनुरोध पर निर्णय लेने की उचित अवधि के भीतर उपायों की अधिसूचना के बाद इन उपायों के संशोधित या निरस्त होने की पुष्टि की जानी चाहिये।

(5) आवेदक द्वारा माल की पहचान के लिये आवश्यक सूचना दी जानी आवश्यक है और यह माल प्राधिकारी से संबंधित हो जिससे अनंतिम उपाय निष्पादित हो सके।

(6) अनुच्छेद 4 के बिना, अनुच्छेद 1 और 2 के आधार पर किये गये, अनंतिम उपाय, प्रतिवादी के अनुरोध पर रद्द कर दिये जाने चाहिये या अन्यथा प्रभावहीन होकर बंद हो जाने चाहिये। यदि मामले के गुणों के आधार पर कार्यवाही निर्णयात्मक स्थिति में है और युक्तिमुक्त समय के अन्दर मामले के गुणावगुण नहीं बताये गये हैं, यदि विधि के सदस्य ऐसा करने की आज्ञा देने हैं तो न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उपायों की सुनिश्चितता के अभाव में 20 दिनों से अधिक या कलैंडर के 31 दिनों, दोनों में से जो अधिक हो, से ज्यादा नहीं होगा।

(7) जहाँ अनंतिम उपाय निरस्त हो जाते हैं या आवेदक द्वारा किये गये किसी अन्य कार्य या कार्य लोप के कारण समाप्त हो जाते हैं या बाद में यह पाया जाता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का किसी तरह का न कोई उल्लंघन हुआ है और न ही होने की संभावना है, न्यायिक प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वे आवेदक को आदेशित कर सकें कि प्रतिवादी की प्रार्थना पर उसे किसी क्षति के लिये समुचित हर्जाना दें।

(8) उस सीमा तक कि किसी भी अनंतिम उपाय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आदेश दिया जा सकता है, इस तरह की प्रक्रिया इस खंड में उल्लेखित लोगों के लिये सिद्धांतों के उपकरणों की पुष्टि करेगी।

22.10 सारांश

इस इकाई में हमने बौद्धिक संपदा स्वामित्व एवं क्रियान्वयन तंत्र जो कि भारतीय विधि के अन्तर्गत उपलब्ध है, के बारे में अध्ययन किया । 1999 में विश्वव्यापी व्यवहार या चलन के अनुरूप सरकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सं संबंधित महत्वपूर्ण विधायन अधिनियमित किया एवं बौद्विक संपदा अधिकारों की व्यापार संबंधित अवधारणा के अन्तर्गत भी भारत दायित्वों को ध्यान में रखते हुये नियम बनाये। बौद्धिक क्षमता से संबंधित कानून पहले से ही मौजूद है, समय की आवश्कयता एक विशेष और कुशल न्यायपालिका है जो राष्ट्रीयहित को ध्यान में रखते हुये उपयुक्तता के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारेां के साथ काम कर सके और सुनिश्चित कर सके कि प्रवर्तन प्रणाली में योकगदान देने वाले अधिकार प्राप्त लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी क्षतिपूर्ति की मात्रा ऐसी होनी चाहिये कि वे न केवल अधिकारों के धारक की क्षतिपूर्ति कर सकें बल्कि अवैध गतिविधियों में शामिल होने वाले उल्लंघन कर्ताओं के लिये भी एक निवारक के रूप में कार्य कर सके। उल्लंघन कर्ताओं को अधिकार धारक की साख को हुई हानि को क्षतिपूर्ति के लिये सुधारात्मक विज्ञापन देने का आदेश भी दिया जाना चाहिये।

22.11 शब्दावली

- **वादी** : आवेदक
- **उल्लंघन** : अवहेलना / भंग
- **व्यापार रहस्य** : व्यापारिक रहस्य प्रौद्योगिकी और /या व्यापार के क्षेत्र में जनता के लिये सटीक जानकारी है, इसका आर्थिक मूल्य होता है क्योंकि यह व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोगी है, और व्यापार रहस्य के स्वामी द्वारा गुप्त रखा जाता है।
- **विवरण** : पेटेन्ट के लिये मांगी गयी सम्पूर्ण व्याख्या ही विवरण कहलाता है। अन्वेषण की व्याख्या या विवरण पूर्णरूपेण और स्पष्टतया लिखा जाना चाहिये। जिसे विशेषज्ञों द्वारा आसानी से समझा जा सके। खोज का विवरण इंडोनेशियन भाषा में सही और उत्तम तरीके से लिखा जाना चाहिये। विवरण में प्रमुख शब्द या वाक्यांश साधारण भाषा में होने चाहिए और तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग में लायी गयी तकनीक की भाषा भी साधारण होनी चाहिये।
- **बहुलीकरण** : यह रचनात्मका की आंशिक या पूरी तरह से बहुलीकरण होना है जिसमें एक सामान सामग्री का प्रयोग करना पर्याप्त है या नहीं, जिसमें स्थायी या अस्थायी अनुरूपण भी सम्मलित है।
- **संयुक्त स्वामित्व** : साधारणतया संयुक्त स्वामित्व से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसके अन्तर्गत संविदा अधिकारों पर दो या दो से अधिक व्यक्ति अपना हित साझा करते हैं। सभी प्रकार के मूर्त ओर अमूर्त सम्पत्ति के सभी प्रकार के अधिकार इसमें सम्मिलित है। बौद्धिक सम्पदा कानून में, सभी प्रकार की संरक्षित विषय सामग्री पर संयुक्त रूप से स्वामित्व हासिल किया जा सकता है।

22.12 बोध प्रश्न

बहुविकल्प प्रश्न :–

1 उपयोगिता मण्डल की उत्पत्ति बहुत पहले 1891 में हुई थी जहाँ इसका उद्देश्य अन्तराल को भरना था।

(अ) फ्रांस (ब) जर्मनी (स) इटली (द) केन्या

2 डिजायन अधिनियम 1911, डिजायन अधिनियम .... के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो कि ट्रिप्स / विश्व संधि संगठन की सामंजस्य का परिणाम था।

(अ) 2002 (ब) 2004 (स) 2000 (द) 2005

3 बौद्धिक सम्पदा कानून देश के .... विकास के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

(अ) वैज्ञानिक (ब) एतिहासिक (स) तकनीकी (द) वित्तीय

4 बौद्विक संपदा अधिकारों की व्यापार संबंधी अवधारणा (ट्रिप्स) संबंधी समझौता जिस पर 1994 में विश्व संधि संगठन के उरूग्वे सम्मेलन में हस्ताक्षर किये गये थे और जो .... में प्रभाव में आया।

(अ) 1 जनवरी 1985 (ब) 1 फरवरी 1999 (स) 1 जनवरी 1975 (4) 1 जनवरी 1995

5. झूठे व्यापार चिह्न वाली वस्तुएं या झूठे विवरण वाली वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क अधिनियम .... के अन्तर्गत आयात करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

(अ) 1968 (ब) 1962 (स) 1987 (द) 1986

6 व्यापार चिह्न बिल .... भारत की संसद में शीत कालीन सत्र के दौरान पारित किया गया, यह व्यापार एवं वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958 के स्थान पर लाया गया।

(अ) 1998 (ब) 1997 (स) 1999 (द) 1996

7 पेटेन्ट को प्रभावी बनाने के लिये वाद .... न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिये जिसे उकत वाद पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो।

(अ) उच्चतम (ब) उच्च (स) जिला (द) दीवानी

8 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा कानून, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू आई.पी. ओ.) द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

22.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1–ब, 2–स, 3–अ, 4–द, 5–ब, 6–द, 7–स, 8–सही,

22.14 स्वपरख प्रश्न

13 विशेषतः भारत जैसे देशों के विकास के लिए बौद्धिक सम्पदा स्वामित्व एवं उसके क्रियान्वयन के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए।

14 भारतीय विधि के अन्तर्गत उपलब्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए ।

15 भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनंतिम उपायों की चर्चा कीजिए।

16 **टिप्पणियाँ लिखिए:–**

(अ) टी.आर. आई पी एस. समझौता

(ब) व्यापार रहस्य सुरक्षा

(स) खोज या आविष्कार का उपयोगिता मॉडल

5. पक्षकार को व्यापार चिह्न के उल्लंघन के विरूद्ध प्राप्त होने वाले दीवानी एवं आपराधिक उपचारों की व्याख्या कीजिए ।

6. प्रतिलिप्याधिकार की अवहेलना के विरूद्ध प्राप्त दीवानी, आपराधिक एवं प्रशासनिक उपचार कौन–कौन से हैं, वर्णन कीजिए।

22.15 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Garg Rich, "Foriegn Exchange Management", Vrinda Publications Private Ltd., 2010
2. Bharat, "Foreign Exchange Management Act : Rules and Regulations", Bharat Law House Pvt Ltd., 2007
3. http://exim.indiamart.com/act-regulations/fera-1993.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Fera
5. http://www.cabible.com/forum/showthread.php/6677-Difference-betwen-FERA-and-FEMA
6. Sharan V, "International Financial Management", Prentice Hall of India, N. Delhi, 2009
7. Seth A K, "International Financial Management", Galgotia Publishing Company, 2009
8. http://www.indiajuris.com/pdf/ptbook.pdf
9. http://www.patentindia.org/patent.htm
10. http://www.patentindia.org/trademark.htm
11. Wadhera Dr B L, Law Relating to Intellectual Property, Universal Law Publishing, 4th edition.
12. Gupta T. S, Intellectual property law in India, Kumar law international, 2011.
13. Myneni S. R, Law of Intellectual Property, Asia Law House Hyderabad, 2001.

———

इकाई 23 पेटेंट और ट्रेडमार्क

इकाई की रूपरेखा

23.1 प्रस्तावना
23.2 पेटेंट का अर्थ एंव विशेषताए
23.3 पेटेंट के प्रकार
23.4 भारत में पेटेंट योग्य और पेटेंट के लिये अयोग्य अविष्कार
17.4.1 भारत में पेटेंट योग्य अविष्कार
17.4.2 भारत में पेटेंट नही किये जाने वाले अविष्कार
23.5 अविष्कारों का व्यवासायीकरण एंव प्रकटीकरण
23.6 भारत में पेटेंट का पंजीकरण
23.7 ट्रेडमार्क अर्थ एंव वर्गीकरण
23.8 भारत में ट्रेडमार्क कानून की विशेषताए
23.9 भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण
23.10 सारांश
23.11 शब्दावली
23.12 बोध प्रश्न
23.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
23.14 स्वपरख प्रश्न
23.15 संदर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो सकेंगें कि :

- पेटेंट के अर्थ, विशेषता और महत्व को समझ सकें।
- भारत में पेटेंट योग्य और पेटेंट हेतु अयोग्य अविष्कारो का विवरण दे सके।
- विभिन्न प्रकार के पेटेंटो की पंजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकें।
- ट्रेडमार्क के अर्थ और उसके वर्गीकरण की व्याख्या कर सके।
- ट्रेडमार्क के पंजीकरण प्रकिया को स्पष्ट कर सके।
- भारत में ट्रेडमार्क कानून की मुख्य विशेषताओ को समझ सके।

23.1 प्रस्तावना

पेटेंट शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के पेटेरे शब्द से हुआ है। जिसका अर्थ है खुला छोडना। सीधे तौर पर यह पेटेंट शब्द का छोटा स्वरूप है जो कि एक शाही आदेश होता था जिसमे किसी व्यक्ति को यह विशेष अधिकार दिया जाता था कि वह किसी उपयोग कर सके। इस तरह के अनुदानो में भूमि के पेटेंट शामिल थे जो अमेरिका की शुरूआती राज्य सरकारो द्वारा भूमि अनुदान थे, और आधुनिक कॉपीराइट के एक पूर्ववर्ती मुद्रण पेटेंट थे।

आधुनिक उपयोग में, पेटेंट शब्द आमतौर पर किसी भी नए उपयोगी और गैर स्पष्ट प्रक्रिया, मशीन, निर्माण के आलेख या मामले की संरचना का अविष्कार करने वाले किसी भी व्यक्ति को दिये गये दायरे का संदर्भ देता है। कुछ अन्य प्रकार के बौद्विक संपदा अधिकारो को भी कुछ न्यायालय में

पेटेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है औद्योगिक डिजाइन के अधिकार को अमेरिका में डिजाईन पेटेंट कहा जाता है पौधे के प्रजनन को कभी–कभी पौधे के पेटेंट कहा जाता है और उपयोगिता माडल को कभी–कभी नवाचार पेटेंट कहा जाता है। अविष्कारों के लिये पेटेंट की विशेष प्रजाति के उदाहरणो में जैविक पेटेंट, व्यवसाय पद्धति पेटेंट, रासायनिक पेटेंट और साफ्टवेयर पेटेंट शामिल है।

पेटेंट देने की प्रक्रिया पेटेंट पर रखी गई आवश्यकताओं और विशिष्ट अधिकारो की सीमा राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रिय समझौतो के अनुसार देशो के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है। आमतौर पर हालांकि एक पेटेंट आवेदन में अविष्कार को परिभाषित करने वाले एक या अधिक दावो को शामिल करना चाहिये जो प्रांसगिक पेटेंट कराने की योग्यता जैसे नवीनता और गैर स्पष्टता को पूरा करना चाहिये। अधिकांश देशों में कए पेटेंट के लिये दिया गया विशेष अधिकार अनुमति बिना पेटेंट अविष्कार को बनाने उनका उपयोग बिक्री या वितरण करने से दूसरो को रोकने के लिये सही है।

विश्व व्यापार संगठनो के समझौतो के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारो के संबधित पहलुओ के तहत पेटेंट विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राज्यो में किसी भी अविष्कार के लिये प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रो में उपलब्ध होना चाहिये और उपलब्ध सुरक्षा अवधि में बीससाल का न्यूनतम होना चाहिये कई देशो में कुछ विषम क्षेत्रो को पेटेंट से बाहर रखा गया है, जैसे व्यवसायिक तरीके और कम्प्यूटर प्रोग्राम।

23.2 पेटेंट का अर्थ एंव विशेषताए

पेटेंट बौद्धिक संपदा का एक स्वरूप है। इसमें अविष्कारो के सार्वजनिक प्रकटीकरण के बदले एक सीमित समय के लिये एक अविष्कार या उनके समनुदेशिती को एक संप्रभु राज्य द्वारा दिये गये विशेष अधिकारो का एक समूह शामिल है।

पेटेंट को एक कानूनी एकाधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक अविष्कार के मालिक को देश द्वारा सीमित समय के लिए प्रदान किया जाता है। सिर्फ पेटेंट का होना स्वामी को यह अधिकार नही देता है कि वह पेटेंट कराये गये अविष्कार को उपयोग या फायदा उठा सके। यह अधिकार कभी भी अन्य कानूनों जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमन या यहां तक कि अन्य पेटेंट द्वारा प्रभावित हो सकता है। पेटेंट कानून की दृष्टि से एक संपत्ति का अधिकार है और इसे दूर किया जा सकता है, विरासत में दिया बेचा गयाख लाइसेंस प्राप्त किया या छोड़ा जा सकता है। जैसा कि यह सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, कुछ मामलो में, यहा तक कि अनुदान के बाद भी इसे रद्द या बेचा जा सकता है।

पेटेंट की विशेषताए

पेटेंट की निम्नलिखित विशेषताए है :

1. **विशिष्ट** : इसे तथाकथित विशिष्ट एकाधिकार या विशिष्टता के रूप में भी जाना जाता है अविष्कार या आवेदको के आवेदन के अनुसार सरकार के अधिकारियो द्वारा पेटेंट आवेदक को दिये गये शर्तो के अनुसार या एक विशिष्ट अधिकार के कानूनी कार्यवाहक के अनुसार पेटेंट धारक के तहत प्राप्त विशिष्ट अधिकार है। यह विशेष अधिकार है जो पेटेंट धारक को उपयोग लाभार्जन और कार्य करने का विशेषाधिकार देता है।
2. **एकाग्रता** : तथाकथित पेटेंट का समय पेटेंट को एक निश्चित समय सीमा का संदर्भ देते हुए, जो कानून के तहत सुरक्षा की अवधि है प्रभावी पेटेंट संरक्षण अवधि के लिये राष्ट्रिय

पेटेंट कानूनों की अपनी आवश्यकताए है और समय की अवधि के संरक्षण की गणना अलग–अलग होती है। चीन के पेटेंट कानून के अनुच्छेद 42 के अनुसार अविष्कार वाले पेटेंट 20 वर्ष की अवधि के लिये और डिजाइन वाले पेटेंट 10 वर्ष के लिये प्रदान किये जाते है, जिसे दाखिले की तारीख से गिना जाता है।

3. **क्षेत्रीय या प्रादेशिक** : तथाकथित क्षेत्रीय, यह एक क्षेत्र को सदर्भित करता है और देश या क्षेत्र में दिये गये पेटेंटो के सरक्षण को केवल अन्य देशो और क्षेत्रो के ढ़ाचे के भीतर कानूनी प्रभाव नही लेता है, पेटेंट मान्यता प्राप्त नही है और संरक्षित नही है। यदि अन्य देशो में पेटेंट अधिकारो का आनंद लेना चाहते है, तो अन्य देशो के कानूनों के अनुसार एक पेटेंट आवेदन होना चाहिये। जब तक की अंतरराष्ट्रीय संधियो और द्विपक्षीय समझौतों को मान्यता प्रदान न किया गया हो कोई भी देश अन्य देश के बौद्धिक संपदा संस्थानो के द्वारा प्रदत्त अंतरराष्ट्रीय पेटेंटो को नही पहचानते।
4. **तकनीकी पहलू** : पेटेंट आमतौर पर उत्पादों और प्रक्रियाओ के कार्यात्मक और तकनीकी पहलुओ और दी जाने वाली विशिष्ट शर्तो को पूरा करने से संबधित होता है।
5. **उपयोगी आवश्यकता** : पेटेंट कानून यह निर्दिष्ट करता है कि पेटेंट की विषय वस्तु उपयोगी होनी चाहिये। इस संदर्भ में उपयोगी शब्दावली इस शर्त को संदर्भित करती है कि विषय वस्तु का एक उपयोगी उद्देश्य है और इसमे संचालन भी शामिल है। अर्थात् एक मशीन जो उद्देश्य से निष्पादित करने के लिये काम नही करेगा उसे उपयुक्त नही कहा जायेगा और इसलिये उसे पेटेंट नही दिया जोयगा। ज्यादातर मामलो में उपयोगिता की आवश्यकता आसानी से कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिक प्रोद्योगिकी में मिलती है।
6. **नवीनता की आवश्यकता** : किसी भी अविष्कार को पेटेंट कराने के संदर्भ में यह आवश्यक है कि यह पेटेंट कानून के अनुसार नवीन हो। यह नवीनता की आवश्यकता बताती है कि अविष्कार पेटेंट नही कराया जा सकता है अगर अविष्कार का कुछ सार्वजनिक प्रकटीकरण न किया गया हो। यह कानून जो बताता है कि जब एक सार्वजनिक प्रकटीकरण किया गया है तो जटिल है और अक्सर तथ्यो औश्र कानून के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

पेटेंट का महत्व

किसी व्यक्ति को पेटेंट क्यो कराना चाहिये ?

अविष्कार पर विशिष्ट अधिकारो का आनंद लेने के लिये पेटेंट के लिये जाना चाहिये। यदि अविष्कार को अपने अविष्कार पर पेटेंट नही मिलता है और वह बाजार में अपने अविष्कार के आधार पर उत्पाद प्रक्रिया का परिचय देता है तो कोई भी इस अविष्कार की प्रतिलिपि बना कर व्यवसायिक रूप से इसका लाभ उठा सकता है। दूसरो को अपने अविष्कार के प्रयोग करने बेचने या काम करने से रोकने हेतु अविष्कारक को यह चाहिये कि वह पेटेंट प्रक्रिया हेतु जाये।

1. पेटेंट बौद्धिक अधिकार सुरक्षा का एक रूप है जो अविष्कारो को सक्षम बनाता है कि वे अन्य लोगो को अपने विचारो को प्रयोग करने से रोक सके। पेटेंट दोनो के लिये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, पहला उस व्यक्ति के लिये जिसने अविष्कार किया हो और दूसरा अर्थव्यवस्था के लिये। पेटेंट कानून यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अन्य अविष्कारको के कण और विचारो का अनुचित लाभ लेने में सक्षम न हो। पेटेंट यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि व्यवसाय और व्यक्ति नये विचार पैदा करने के लिये

कार्य करते रहे, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने में मदद करके अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान कर सकते है।

2. विधी प्रक्रिया या उत्पाद के लिये एक नए विचार की सुरक्षा के द्वारा पेटेंट व्यक्तियों और व्यवसायो के लिये उनके कार्य एंव निवेशों की रक्षा करने के लिये संभव बनाते है। इस प्रकार की सुरक्षा के बिना लोगों के लिये अविष्कारों में बड़ी मात्रा में पैसा निवेश करना सार्थक नही होगा क्योकि वे अपने प्रतिद्वद्वियो को बिना किसी मेहनत एंव व्यय के बिना अविष्कारो को उपयोग करने से नही रोक पायेगे।

3. पेटेंट व्यक्तिगत अविष्कारो और छोटे व्यवसायो के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकते है क्योकि वे अपनी रचनाओ का लाभ उठाने से बड़ी कंपनियो को आसानी से रोक सकते है एक पेटेंट अविष्कार एक नए व्यवसाय के लिये आधार बना सकता है या फिर अपने भाग्य को बनाने के लिये एक अविष्कारक को सक्षमक कर सकता है। पेटेंट सरक्षण के बिना एक छोटा सा व्यवसाय बडी कंपनियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नही होगा जो कि इनका विचार ले सकते है और इसे अधिक कुशलता से और बडे पैमाने पर तैयार कर सकते है बडी कंपनिया भी अपने अविष्कारो की सुरक्षा के लिये पेटेंट का उपयोग कर सकते है।

4. पेटेंट सिस्टम अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योकि यह अविष्कार और नवाचार को बढ़ावा देता है। यह लोगो को यह सुनिश्चित करने के लिये विचारो के साथ आने के लिये प्रोत्साहित करता है कि उनके अधिकार सुरक्षित हो जायेगें जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। चूंकि पेटेंट के सीमित नियम है और उन्हे पेटेंट किये गये विचारो को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है, इसलिये यह सुनिश्चित करके विकास को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिल सकती है कि प्रक्रियाओ और उत्पादो के विचारो को पेटेंट अवधि के अंत मे उपयोग के लिये उपलब्ध होगा।

5. पेटेंट का महत्व तब भी स्पष्ट हो सकता है जब एक कंपनी या एक अविष्कारक खुद को पेटेंट कानून के गलत पक्ष पर पाता है। पेटेंट नियम अविष्कारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वह विचार प्रयोग करने से रोकता है भले ही वे एक नए विचार के साथ आये हो जो पुराने पेटेंट वाले उत्पाद या प्रक्रिया के आधार पर आते है। इसलिये यह महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय यह समझे कि पेटेंट प्रणाली कैसे काम करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इसे खराब होने से बचा सके अगर वे किसी अन्य व्यक्ति या व्यवसाय के पेटेंट का उल्लंघन करते है तो इसका परिणाम भारी कानूनी समस्याओ मे हो सकता है।

6. पेटेंट व्यक्तिगत अविष्कारो और व्यवसाय समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिये बडे पैमाने पर महत्वपूर्ण हो सकते है। पेटेंट निवेश और नये विचारो के विकास को प्रोत्साहित करते है वे नए अविष्कारो को जनता के लिये उपलब्ध कराते है ताकि पेटेंट की अवधि के अंत में उनका प्रयोग किया जा सके और वे नये उत्पादो और प्रक्रियाओ के अविष्कारको के लिये सुरक्षा भी प्रदान कर सकते है।

23.3 पेटेंट के प्रकार

पेटेंट के तीन प्रकार होते है।

1. **उपयोगिता पेटेंट** : यह पेटेंट का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जो अविष्कार के कार्यात्मक पहलू पर दी गयी है इस प्रकार के पेटेंटो का पेटेंट कार्यालय में सबसे अधिक मांग है और इनके आवेदन के प्रारूप तैयार करने में काफी कौशल की आवश्यकता होती है। अविष्कार की कार्यात्मक उपयोगिता सुरक्षित है।
2. **डिजाईन पेटेंट** : इस प्रकार के पेटेट को अविष्कार के सजावटी अथवा बाहरी रूप में प्रदान किया जाता है। यदि कोई डिजाईन कार्यात्मक आवश्यकता का है तो यह डिजाइन पेटेंट के लिये पंजीकृत नही किया जा सकता है क्योकि अविष्कार के सुचारू संचालन के लिये आकार बहुत ही महत्वपूर्ण है।
3. **प्लांट पेटेंट** : इस प्रकार के पेटेंट को पौधे की किस्मो के अलैगिंक पुनरूत्पादन के माध्यम से तैयार किये जाने पर प्रदान किया जाता है।

23.4 भारत में पेटेंट योग्य और पेटेंट के लिये अयोग्य अविष्कार

पूर्व इकाइयों में पेटेंट करने योग्य अविष्कारो और पेटेंट के लिये अयोग्य अविष्कारो के बारे में पहले ही विस्तृत चर्चा की जा चुकी है इस इकाई में भी सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

23.4.1 भारत में पेटेंट योग्य अविष्कार

पेटेंट करने योग्य क्या है ?

केवल अविष्कार पेटेंट योग्य होते है। एक अविष्कार को नया उपयोगी और निकटतम पूर्व की तुलना में अधिक बेहतर होना चाहिये। एक नया और अनावश्यक उत्पाद प्रक्रिया तंत्र या संरचना आम तौर पर पेटेंट योग्य आना जाता है।

23.4.2 भारत में पेटेंट नही किये जाने वाले अविष्कार

एक अविष्कार नवीनता अविष्कारशीलता और उपयोगिता की स्थिति को संतुष्ट कर सकता है लेकिन यह निम्न स्थितियो के तहत पेटेंट के लिये योग्य नही हो सकता है।

1. एक अविष्कार जिनका व्यवसायिक उपयोग सार्वजनिक आदेशो या नैतिकता के विपरीत हो या जो मानव पशु या पौधो के जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बन सकता है।
2. किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का खोज मात्र या एक सार सिद्धांत का निर्माण या किसी जीवित वस्तु की खोज या गैर जीवित पदार्थ की खोज पेटेंट के लिये योग्य नही है।
3. किसी ज्ञात पदार्थ या किसी ज्ञात प्रक्रिया मशीन या उपकरण के उपयोग का उपयोग करने के लिये किसी भी नई सम्पत्ति या नये प्रयोग की मात्र खोज जब तक कि इस तरह की ज्ञात प्रक्रिया किसी नये उत्पाद में नतीजे या कम से कम एक नये रिएक्टेंट को जन्म दे।
4. केवल तत्व द्वारा प्राप्त पदार्थ जिसके परिणामस्वरूप उसके घटको के गुणो के एकत्रीकरण में या ऐसी पदार्थ बनाने के लिये एक प्रक्रिया है।
5. स्वतंत्र रूप से कार्यरत ज्ञात डिवाइसो की एकमात्र व्यवस्था या पुनः व्यवस्था या दोहराव।
6. कृषि या बागवानी की एक विधि।
7. मनुष्यो के औषधीय शल्य चिकित्सा रोगग्रस्त रोगनिरोधी नैदानिक चिकित्सीय या अन्य उपचार के लिये किसी भी प्रक्रिया या जानवरो के समान उपचार के लिये किसी भी प्रक्रिया को उन्हे रोग मुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादो को बढ़ाने की प्रक्रिया।

8. सूक्ष्मजीवो के अलावा पूरे या किसी अन्य भाग में पौधो और जानवरो लेकिन पौधो और जानवरो के उत्पादन या प्रसार के लिये बीज किस्मो और प्रजातियो और अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाए शामिल है।
9. गणितीय या व्यवसायिक पद्धति या कम्प्यूटर प्रोग्राम की एक प्रति।
10. एक साहित्यिक नाटकीय संगीत या कलात्मक काम या किसी अन्य सिनेमेटोग्राफिक कार्यो सहित सौंदर्य निर्माण और टेलीविजन प्रस्तुतियॉ।
11. योजना या नियम या मानसिक कार्य करने की पद्वति या खेल खेलने मात्र की विधि।
12. सूचना का एक प्रस्तुतिकरण।
13. एकीकृत परिपथो का स्थलाकृति।
14. एक अविष्कार जो कि पांरपरिक ज्ञान है या पांरपरिक रूप से ज्ञात घटक या घटको के ज्ञात गुणो का एक़त्रीकरण या दोहराव है।
15. परमाणु उर्जा से संबधित अविष्कार।

23.5 अविष्कारो का व्यवसायीकरण एंव प्रकटीकरण

कई अविष्कारको का मानना है कि पेटेंट आवेदन करना सबसे महत्वपूर्ण है और पहली बार उन्हे एक बार विचार करना चाहिये। यह स्थिति शायद ही कभी होती हैं। एक अविष्कार पेटेंट करना एकमात्र विचार नही है और किसी आवेदन को दर्ज करने के लिये जल्दी पहली बार एक गलत काम हो सकता है।

पेटेंट का कोई महत्व नही होता जब तक कि उत्पाद या तकनीक का वाणिज्यिक मूल्य प्रदर्शित नही किया जा सकता है। बहुत से पेटेंट किये हुए अविष्कार अब तक विफल हो चुके है, इसलिये नही कि वे कार्यविहिन है इसलिये भी नही कि उनका अविष्कार पहले किया जा चुका है बल्कि इस वजह से कि अविष्कारक उनका वाणिज्यिक मूल्य और उपयोग प्रदर्शित करने में विफल थे। आज अविष्कार तेजी से एक व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। यदि आप व्यवसाय से लाभ कमाना चाहते है तो आपको निश्चित ही निवेश करना चाहिये और प्रबंधन और विपणन कौशल तकनीक कौशल के रूप में महत्वपूर्ण है। यदि अविष्कारक के पास सभी आवश्यक कौशल नही है तो परियोजना का फायदा उठाने के लिये एक टीम या साझेदारी को बनाना ज्यादा उचित होता है हो को अविष्कार का लाइसेंस दिया जा सकता है। यदि कोई सफलतापूर्वक एक अविष्कार का व्यवसायीकरण करता है तो वह आराम से इससे लाभ कमा सकता है। सफल कंपनियो की एक बड़ी संख्या पेटेंट के माध्यम से अपने उत्पादो को घरेलू और अंतरराष्ट्रिय बाजार में रक्षा करती है वर्तमान अंतरराष्ट्रिय व्यापार में एक महत्वपूर्ण कारक है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के हित में व्यापार के लिए अन्य पंरपरागत रूप से इस्तेमाल की गयी बाधाए हटा दी जाती है। पेटेंट उन कुछ तंत्रो में से एक है जिनके कारण कंपनिया अपने बाजार हिस्सेदारी की रक्षा के लिये कानूनी रूप से उपयोग कर सकती है। विदेशी पेटेंट होने से आयटिश कंपनियों को अपने उत्पादो को निर्यात बाजारो में संरक्षित करने की अनुमति मिलती है।

जहा उत्पाद दूरी लागत या अन्य कारको के कारण निर्यात के लिये अनुपयुक्त है वहा लाइसेसिंग रणनिति का प्रयोग किया जा सकता है भारतीय कंपनी एक विदेशी निर्माता को अपने आविष्कार के लिये निर्माण विपणन अधिकारो के लाइंसेस के लिये पेटेंट का उपयोग कर सकती है। इसके बदले में वह रायल्टी प्राप्त करते है जो उनके मुनाफा को बढ़ाता है। गैर–विनिर्माण कंपनियो

या विश्वविद्यालयो और/या विदेशी कंपनियो दोनो के लिये घरेलू और विदेशी बाजारो के लाइसेसिंग भी उपयुक्त रणनितियां है।

सफल होने के लिये एक आविष्कारक के पास व्यापार या तकनीकी विशेषज्ञता का एक बड़ा सौदा नही होना पड़ता है। हालाकि उसे परियोजना के लिये एक व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। पहली बात यह है कि आविष्कार प्रक्रिया में कई चरण है। यह पता होना महत्वपूर्ण है कि कौन सा चरण है और आगे क्या करना है।

सफल अविष्कार के विकास के चरण निम्नलिखित है।

- समस्या की पहचान जिसे हल करने की जरूरत है।
- समस्या के समाधान की पहचान जो कार्य करता हो ।
- एक प्रोटोटाइप विकसित करना या फिर यह साबित करने के लिये सक्षम होना कि अविष्कार कैसे कार्य करता है।
- अविष्कार की रक्षा के लिये एक पेटेंट आवेदन दर्ज कराना जिससे की लोगो को इस बारे में अवगत कराया जा सके।
- अविष्कार के निर्माण और विपणन की व्यवस्था या तो अपनी कंपनी के माध्यम से या लाइसेंस के माध्यम से करना।
- प्रत्येक चरण में अपनी विशेष विशेषज्ञता और संसाधनो की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि प्रारंभिक चरण संतोषजनक रूप से पूर्ण हो जाये अनुभव दर्शाता है कि शार्ट कट लेना फायदेमंद नही होता है उदाहरण के लिये यदि कोई प्रोटोटाइप बहुत कच्चा है या ठीक से काम नही करता है तो किसी विशेष अविष्कारो के लाभो की प्रशंसा करने के लिये निवेशको या संभावित लाइसेंसधारियो को प्राप्त करना कठिन है।

अविष्कार का प्रकटीकरण

जब तक कि पेटेंट आवेदन दर्ज नही किये जाते अविष्कार का विवरण बाहरी लोगो को नही बताना चाहिये हालाकि कई लोग पेटेंट आवेदन पत्र बहुत जल्दी दाखिल करने की गलती करते है क्योकि वे डरते है कि कही किसी और को एक ही चीज के अविष्कार का पेटेंट प्रदान न कर दिया जाये और इस तरह वे किसी भी स्पष्ट योजना के बिना जितनी जल्दी हो सके एक आवेदन पत्र वे किसी भी स्पष्ट योजना के बिना जितनी जल्दी हो सके एक आवेदन पत्र फाईल कर देते है और फिर उन्हे यह ज्ञात होता है कि वे कई महीनो तक व्यवसायिक रूप से अविष्कार का फायदा उठाने की स्थिति मे है और उन्होने अंतरराष्ट्रिय पेटेंट दाखिल करने के लिये आवश्यक वित्त प्राप्त करने के लिये प्रर्याप्त समय नही छोडा है सामान्य तौर पर आविष्कार के विकास को पूरा करने और व्यवसायिक उपयोग के एक योजनाबद्व कार्यक्रम के भाग के रूप में खुलासा करने के लिये आवश्यक होने पर पेटेंट फाइल करना बेहतर होता है। यदि अविष्कार के विकास के दौरान सहायता प्राप्त करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों या अन्य लोगो से बात करना आवश्यक है तो यह गोपनियता के आधार पर किया जाना चाहिये। लोगो को सूचित किया जाना चाहिये कि सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय है और एक सरल दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिये कहा जाना चाहिये जिससे कि वे सूचनाओ का प्रकटीकरण तब तक न करे जब तक कि ऐसा करने की अनुमति नही दी जाये।

उचित व्यवसायीकरण रणनीति को अपनाने में एक ही समय तकनीकी वाणिज्यिक और कानूनी रूप से सभी पहलुओ पर विचार करना शामिल है। प्रारभिक चरणो में तकनीकी पहलुओ पर उचित ध्यान देना चाहिये लेकिन पेटेंट आवेदन दायर करने के बाद एक बार पेटेंट सिस्टम द्वारा प्रदान किये गये सीमित समय स्तर के भीतर जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी व्यवसायीकरण को आगे बढाना चाहिये। यदि एक बार एक आवेदन आयरलैंड में दर्ज किया गया है। तो अन्य देशों में आवेदन बारह महिने के भीतर करके अच्छा संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है जैसा की नीचे समझाया गया है एक अंतरराष्ट्रिय पेटेंट कार्यक्रम एक बहुत ही महंगा व्यवसाय हो सकता है। इसके लिये निजि या सार्वजनिक स्त्रोतो से धन प्राप्त करना संभव नही है जब तक की इनके अविष्कार के लिये निश्चित वाणिज्यिक योजनाए न हो जो अच्छी तरह से उन्नत हो अपनी विनिर्माण कंपनी को स्थापित करना या संभावित लांइसेंस धारियो की पहचान करना और उनके साथ समझौते तक पहुचने मे समय लग सकता है।

बारह महिनो से अधिक की समय अवधि आमतौर पर इन गतिविधियो में से किसी को पूरा करने के लिये आवश्यक है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति पेटेंट आवेदन को दायर करता है तो बहुत जल्दी ही उसे वित्तिय कठिनाइयो का सामना करना पड सकता है अविष्कार का विकास पूरा न होना भी पेटेंट जल्दी फाईल करने पर गलती की एक वजह हो सकती है। विकास के दौरान डिजाईन बदल सकते है या अन्य अन्वेषक सुविधाओ को पेश किया जा सकती है। यदि पेटेंट विनिर्देश बहुत जल्दी तैयार किया गया है तो संभव है कि इसमे किये गये परिवर्तनो को प्रतिबिंबित करने मे संशोधन करना संभव न हो एक पेटेंट स्वतः समाप्त हो सकता है यदि वह अंतिम वाणिज्यिक उत्पाद को कवर नही करता है।

23.6 भारत में पेटेंट का पंजीकरण

भारत में पेटेट पंजीकरण आपके प्रतिस्पर्धियो को अपने अविष्कार का शोषण करने से रोकने में उपयोगी है। आप अपने प्रतिद्धंदियो को अपने अविष्कार के आस पास डिजाइन करने के लिये बाह्य कर सकते है। यदि संभव हो तो, जो उन्हे समय और पैसा खर्च करने का बाह्य कर सकता है। इससे आपको अन्य कंपनियो के साथ एक मजबूत स्थिति से रखा जा सकता है जिनके पास पेटेंट है जिनमे आपकी दिलचस्पी है ग्राहक अक्सर पेटेंटेंड तकनीक से प्रभावित होते है जो आपकी विपणन को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। पेटेंट दूसरे व्यवसायो के लिये एक चेतावनी के लिये अच्छा तरीका है।

कई प्रतियोगी अब पेटेंट नियमो के बारे में अधिक जानकारी रखते है और इसके उल्लंघन का नतीजा भी अच्छे से समझते है भारत में पेटेंट का पंजीकरण पेटेंट कराने वाले व्यक्ति को पेटेंट कराये गये वस्तु या प्रक्रिया को उपयोग करने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है। वह अन्य व्यक्तियो को पेटेंट की गयी वस्तु या प्रक्रिया को प्रयोग करने से रोक सकता है। किसी पेटेंट अधिकार प्राप्त व्यक्ति के पास पेटेंट प्रदान करने लाइसेंस के तहत अनुदान या अन्यथा किसी भी विचार के लिये इसका निपटारा करने का अधिकार प्राप्त होता है। पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है।

1. आवेदन दाखिल करना –

कोई भी व्यक्ति भले वह नाबालिग हो वह पेटेंट के लिये अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ आवेदन कर सकता है। ऐसे व्यक्तियो में अविष्कारक या उसके सहयोगी या कानूनी प्रतिनिधि शामिल है या आवेदन की प्राथमिकता के मामले मे सम्मेलन

के देश या उनके साथियो या कानूनी प्रतिनिधयो को शामिल किया जाता है एक कारपोरेट संस्था को अविष्कारक के रूप में नामांकित नही किया जा सकता है। भारत में रहने वाले विदेशियो और नागरिको को इस उद्देश्य के लिये एक पते की आवश्यकता होती है। वे एक पंजीकृत एजेंट या प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते है जिनके पते सेवा के लिये पता हो सकते है।

- **दाखिला का स्थान** : पेटेंट के लिये आवेदन पेटेंट कार्यालय शाखा में दर्ज किया जाना चाहिये जिसके क्षेत्रिय क्षेत्राधिकार में आवेदक रहता है या उसका मुख्य व्यवसाय या निवास स्थान है। एक विदेशी आवेदक को उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र के पेटेंट कार्यालय शाखा में दर्ज करना होगा जहा सेवा के लिये उसका पता स्थित है।
- **प्राथमिकता** : एक सम्मेलन देश में सबसे पहले संबधित आवेदन से प्राथमिकता का दावा किया जा सकता है बशर्ते कि भारतीय आवेदन प्राथमिकता की तारीख के 12 महिनो के भीतर दर्ज किया गया हो। एकाधिक और आंशिक प्राथमिकताओ की अनुमति है।
- **विनिर्देश** : एक प्राथमिकता आवेदन पहले उदाहरण में एक पूर्ण विनिर्देश के साथ दर्ज किया जाना चाहिये किन्तु एक अस्थायी अनुप्रयोग या तो एक अंतिम विनिर्देश या पूर्ण विनिर्देश के साथ दायर किया जा सकता है। जहा एक अंतिम विनिर्देश पहले उदाहरण में दायर किया गया है, एक पूर्ण विनिर्देश 12 महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिये जहा दो या अधिक अंनतिम विनिर्देशा को दायर किया गया है विनिर्देशो को संज्ञेय किया जा सकता है और सभी विषयो को एक ही पूर्ण विनिर्देश में शामिल किया जा सकता है जो जल्द दर्ज किया जा सकता है जो जल्द से जल्द दर्ज अंनतिम विनिर्देश की तारीख के 12 महीने के भीतर दर्ज किया जा सकता है।
- **अविष्कारक का नामकरण** : गैर–प्राथमिकता वाले आवेदनो के संबध में आविष्कारक का नाम आवेदन पत्र मे होना चाहिये। प्राथमिकता वाले आवेदनो के संबध में आविष्कारक जहाज के रूप में घोषणा आवेदन के साथ या अधिकतम 6 महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिये।
- **अन्य देशो से संबधित अनुप्रयोगो की जानकारी** : भारत में पेटेंट आवेदन पत्र दाखिल करने के लिये आवश्यक है कि अन्य देशो से सभी संबधित आवेदनो के विवरण के नियंत्रक को भारतीय आवेदन के अनुदान के लिये सूचित करने के लिये जारी करना। ऐसा करने मे असफल होने से उच्च न्यायालय के सामने कार्यवाही में पेंटेट का विरोध किया जा सकता है या इसके विरोध में आवेदन से इनकार कर सकते है।

2. पेटेंट परीक्षण

- **आवेदन का परीक्षण** : औपचारिक और मूल परीक्षा दोनो भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा बनायी गयी है। परीक्षण अनुरोध पर होता है।
- **प्रकिया** : नियंत्रक द्वारा जारी पहली परीक्षा रिर्पोट की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर आवेदक को पेटेंट कार्यालय की सभी आपत्तियो और आवश्यकताओ को पूरा करने की आवश्यता है। समय का कोई विस्तार प्राप्त नही होता है। यदि एक पेटेंट आवेदन पहली परीक्षा रिर्पोट की तारीख से 12 महीने में क्रमशः नही किया जाता है तो यह समाप्त हो जाता है।

- **आवेदन का संशोधन** : एक आवेदक अपने स्वयं के समझौते के उसके आवेदन के संशोधन के लिये नियंत्रक पर या उसके संबध में दायर कोई दस्तावेज पर लागू हो सकता है लेकिन इस तरह के संशोधन में संशोधन स्पष्टीकरण या अस्वीकारण के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिये। एक आवेदक परिक्षार्थी के आरहरण में अपने आवेदन या विनिर्देश को संशोधित कर सकता है और दूसरे अविष्कारो के लिये एक अलग डिवीजनल अप्लीकेशन फाइल कर सकता है जो मूल आवेदन के पूर्ण विनिर्देश या फिर बाद की तारीख को दाखिल करने को प्रदान करेगा जैसा कि कट्रोलर तय करे। डिवीजनल आवेदन मुख्य आवेदन की अनुमति से पहले दर्ज किया जाना चाहिये।

3. पेटेंट प्रकाशन :

प्रकाशन आवेदन की तारीख से 18 महीने होता है। शुल्क के भुगतान पर अनुरोध पर तत्काल प्रकाशन संभव है। पेटेंट के लिये आवेदन पत्र के प्रकाशन की तारीख से और इस तरह आवेदन के संबध में पेटेंट देने की तिथि तक आवेदक के पास ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार होगें जैसे अविष्कार के लिये पेटेंट प्रकाशन के आवेदन की तिथि का निर्धारण

- **पेटेंट आवेदन का पूर्व अनुदान प्रतिरोध** : प्रकाशन के बाद लेकिन प्रतिनिधित्व के माध्यम से अनुदान की तिथि से पहले कोई भी पेटेंट के अनुदान का विरोध कर सकता है।
- **विषय वस्तु का प्रकाशन** : एक आवेदन की अनुदान आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया गया है और इसमें अनुदान के बाद विरोधियो के लिये अधिसूचित किया गया है पेटेंट के अनुदान के एक वर्ष के भीतर पेटेंट के अनुदान को विपक्षी कार्यवाही के आधार पर नियंत्रक द्वारा रद्द किया जा सकता है।
- **पेटेंट का प्रतिसंहरण** : दुनिया में पूर्व प्रकाशन के आधार पर भारत मे सार्वजनिक उपयोग या ज्ञान विषय के संबध में नवीनता की कमी स्पष्टता अविष्कार की कमी अस्पष्टता धोखाधडी गलत सुझाव के विवरण की कमी या प्रतिनिधित्व के रूप में नामित सच्चे अविष्कारण उपयोगिता की कमी विषय की गैर–पेटेंटेबिलिटी उदाहरण के लिये भोजन दवा परमाणु उर्जा मात्र मिश्रण ज्ञात उपकरणो की मात्र व्यवस्था परीक्षण की प्रक्रिया कृषि या बागवानी की विधि औषधीय उपचार की प्रक्रिया अन्य देशो में संबधित अनुप्रयोगो के बारे में सूचना के भौतिक विवरणो में प्रस्तुत करने में विफलता या गलतफहमी से संबधित विवरण नियंत्रक को दी जाती है या अविष्कार नैतिकता के कानून के विपरीत है।
- **वार्षिकिया** : अतिरिक्त के पेटेंट के मामले में जिसके लिये कोई वार्षिकी बही देय है, वार्षिकी नवीनीकरण शुल्क का भुगतान भारतीय पेटेंट के जीवनकाल के अनुसार किया जाना चाहिये। इस तरफ की पहली फीस किसी के जीवन के दूसरे वर्ण के अंत में गिरने से पहले पेटेंट दी आवेदन के रजिस्टर में दर्ज की गयी तारीख से पेटेंट के तीन महीने की अवधि के भीतर देय है दो या अधिक साल का नवीनीकरण शुल्क भी एक साथ भुगतान किया जा सकता है यह पेटेंटी के इच्छा पर निर्भर करता है। जुर्माना राशि जमा कर के छः महीने का विस्तार प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्रश्न में नवीनीकरण शुल्क उपलब्ध अवधि के भीतर भुगतान नही किया जाता है तो पेटेंट समाप्त हो जायेगा।

- **नवीनीकरण** : पेटेंट के निरष्त हो जाने पर एक वर्ष के भीतर पेटेंट के नवीनीकरण के लिये पुनः आवेदन किया जा सकता है। साथ में यह प्रदर्शित करना होगा की पेटेंट का निरस्तीकरण अनजाने में हुआ है और आवेदन करने में कोई अनुचित देरी नही की गयी है।
- **पेटेंट का कार्य** : प्रत्येक पेटेंट और प्रत्येक लाइसेंस धारी को कैलेण्डर वर्ष के अंत से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें पेटेंट प्रदान किया जाता है। एक प्रपत्र के अनुसार जो पिछले वर्ष एक व्यवसायिक स्तर पर भारत में अविष्कार किया गया है। इस प्रपत्र का दाखिल न करना एक आपराधिक अपराध है।
- **अनिवार्य लाइसेंस** : पेटेंट की सीलिंग के 3 वर्ष पश्चात एक इच्छित पार्टी नियंत्रक को एक अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के लिये आवेदन कर सकता है, इस अनुरोध के साथ की अविष्कार के संबध में सभी में सभी जरूरी आवश्यकताओ को पूर्ण कर लिया गया है या अविष्कार उचित कीमत पर उपलब्ध नही है।
- **मार्किंग** : यह अनिवार्य नही है लेकिन सलाह दी जाती है क्योकि उलंघन के मामले में क्षति पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। पेटेंट के मार्किंग हो जाने पर पेटेंटेड शब्द या पेटेंट के साथ अविष्कार शब्द वस्तु या प्रक्रिया के साथ जुड जाता हैं।
- **उल्लंघन** : पेटेंट उल्लंघन का केस पेटेंटी या पेटेंट लाइसेंसधारी द्वारा दायर किया जा सकता है। निरसन के लिये हर अधिकार एक रक्षा और निरसन के रूप में उपलब्ध है जिसे उल्लंघन की कार्यवाही के दावा किया जा सकता है। न्यायालय वैध दावे या दावो के संबध में राहत दे सकता है, भले ही बाद में एक या अधिक अन्य दावो को अवैध माना जा सके। राहत मे अदालत द्वारा दिये गये नुकसान और लागतो को शामिल किया जाता है।

4. पेटेंट और कम्प्यूटर साफ्टवेयर :

कम्प्यूटर के लिए पेटेंट कार्यक्रम संभव है जो कम्प्यूटर पर चलते समय तकनीकी प्रभाव या हार्डवेयर का उत्पादन करते है। हांलाकि अगर कोई प्रोग्राम किसी कम्प्यूटर पर चलने पर तकनीकि प्रभाव नही पेश करता है तो यह पेटेंट करने योग्य नही है। एक तकनीकि प्रभाव आम तौर पर प्रोद्योगिकी में सुधार है और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में होने की आवश्यकता है जो पेटेंटनीय है। उदाहरण के लिये जापानी और अंग्रेजी के बीच अनुवाद करने के लिये एक बेहतर कार्य्रक्रम पेटेंट योग्य नही है क्योकि भाषा विज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है न कि तकनीकि क्षेत्र/दूसरी तरफ एक प्रोग्राम जो छवि वृद्धि को गति देता है, पेटेंट योग्य हो सकता है क्योकि यह एक तकनीकी क्षेत्र में तकनीकी सुधार का उत्पादन करता है।

कुछ देशो जैसे अमेंरिका जो आपके साफ्टवेयर के लिये एक संभावित बड़ा बाजार हो सकता है, साफ्टवेयर पेटेंटिंग के दृष्टिकोण से अधिक उदार है और अक्षर साफ्टवेयर के लिये पेटेंट प्रदान करता है जिसे भारत और अन्य देशो में शामिल किया जायेगा।

यह तय करना कि कोई विशेष कम्प्यूटर प्रोग्राम पेटेंट करने योग्य है या नही पेटेंट एंजेट से इस जटिल समस्या पर सलाह प्राप्त किया जा सकता है जिससे कि पेटेंट को पूर्णतः प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सके।

भारत में पेटेंट आवेदन को दाखिल करने के लिये आवश्यकताए (पेटेंट एजेंट को भेजे जाने के लिये)

- एंजेट का प्राधिकरण
- अंग्रेजी में निर्दिष्टीकरण

- चित्र के सेट
- प्राथमिकता दस्तावेज यदि प्राथमिकता का दावा कियसा जाना है (यानि मूल रूप से दायर की गयी विनिर्देशन की प्रमाणित प्रति), यदि प्राथमिकता दस्तावेज अंग्रेजी में नही है तो इसके साथ एक प्रमाणित या प्रमाणित अग्रेजी अनुवाद के साथ होना चाहिये।
- सम्मेलन देश मे अविष्कारक और आवेदनकर्ता का पूरा नाम पता व्यवसाय और प्रतिनिधि होने की दशा में प्रतिनिधि की समस्त सूचनाए स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिये।
- अन्य देशो में सभी संबधित अनुप्रयोगो का विवरण
- आवेदन दाखिल करने के तीन माह के भीतर आवेदन के लिये आवेदक के अधिकार का सबूत
- आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित अविष्कार के रूप में घोषित किया गया है जहा प्राथमिकता का दावा किया गया है या जरा पूर्ण विनिर्देश एक अंनतिम विनिर्देश के बाद दायर किया गया है, आवेदन करने के तीन महीनो के भीतर या पूर्ण विर्निदेशन के तहत दायर किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र 1 विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षर के साथ
  1. अविष्कारक या आवेदक का पूर्ण नाम
  2. आवेदक की और से हस्ताक्षर करने वाले का नाम एंव पदनाम
  3. अविष्कारक आवेदको और सम्मेलन देश के आवेदको का नाम एंव राष्ट्रीयता (यदि भारत से भिन्न हो तो) और
  4. सम्मेलन देश में आवेदन दाखिल करने की तिथि

23.7 ट्रेडमार्क का अर्थ एंव वर्गीकरण

एक ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह या संकेतक है जो किसी व्यक्ति व्यवसाय संगठन या अन्य कानूनी संस्था द्वारा यह पहचानने के लिये उपयोग किया जाता है कि उपभोक्ताओ को उत्पादन एवं सेवाओ के साथ ट्रेडमार्क एक विशेष स्त्रोत के लिये नामित एक विशिष्ट बाजार के लिये नामित होता है, और इसका प्रयोग अन्य संस्थाओ के उन उत्पादो या सेवाओ से भिन्न है। एक ट्रेडमार्क आमतौर पर एक नाम, शब्द, वाक्यांश, लोगो, प्रतीक, डिजाइन, छवि या इन तत्वो का संयोजन होता है। इसमें कई गैर परंपरागत ट्रेडमार्क शामिल है जिनमें ऐसे निशान शामिल होते है जो इन मानक श्रेणियो में नही आते है जैसे कि रंग गंध या ध्वनि के आधार पर।

ट्रेडमार्क के स्वामी ट्रेडमार्क उल्लघंन के लिये कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते है ताकि उस ट्रेडमार्क के अनाधिकृत उपयोग को रोक सके। इस प्रकार की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिये अधिकांश देशो को ट्रेडमार्क के औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा सहित कुछ देशो मे आम कानून ट्रेडमार्क अधिकारो को पहचानते है। जिसका आशय है कि ट्रेडमार्क के लिये कार्यवाही की जा सकती है। आमतौर पर सामान्य कानून ट्रेडमार्क धारक को ट्रेडमार्क के रूप में ज्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान करते है।

ट्रेडमार्क शब्द का प्रयोग अनौपचारिक रूप से किसी भी विशिष्ट विशेषता को संदर्भित करने के लिये किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति को आसानी से पहचाना जाता है। जैसे हस्तियो की

जानी मानी विशेषताए। जब एक ट्रेडमार्क उत्पादो के बजाय सेवाओ के संबध में उपयोग किया जाता है। तो कभी–कभी इसे एक सेवा चिन्ह भी कहा जा सकता है, खासकर सयुंक्त राज्य अमेरिका में।

ट्रेडमार्क का वर्गीकरण

ट्रेडमार्क को निम्नलिखित चार वर्गो में विभक्त किया जा सकता है।

1. स्वाभाविक रूप से विशिष्ट चिन्ह ।
2. चिन्ह के रूप में स्वाभाविक रूप से विशिष्ट नही है। लेकिन उपयोग और प्रतिष्ठा के कारण विशिष्टता प्राप्त की है।
3. चिन्ह के रूप में सामान्य, वर्णनात्मक, प्रशसात्मक या माल। सेवाओ के चरित्र और गुणवत्ता के लिये संदर्भ है।
4. भौगोलिक नाम से युक्त चिन्ह ।

1. स्वाभाविक रूप से विशिष्ट गुण वे होते है जो आविष्कृत शब्द की प्रकृति में है, इन्हे कोई असाधारण अर्थ नही है और कानून में उच्चतम संरक्षण प्रदान करते है। इस तरह के निशानो की वस्तुओ के चरित्र या गुणवत्ता के लिये कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नही है और इसमें सामान्य नाम, उपनाम या साधारण भाषा के शब्द शामिल नही है। कालटेक्स और कोडक जैसे ट्रेडमार्क इसी श्रेणी में आते है।
2. कुछ ऐसे निशान जो स्वाभाविक रूप से उनकी प्रकृति में विशिष्ट नही है लेकिन किसी विशेष व्यक्ति की विशिष्ट वस्तुओ या सेवाओ के अलग होने या विशिष्टता प्राप्त करने की क्षमता रखने में सक्षम हो सकते है। इस तरह के निशान अविष्कारशील नही हो सकते है लेकिन उनमें अंतर करने की क्षमता है जिन गुणो में अंतर करने की क्षमता होती है। (हांलाकि स्वाभाविक रूप से विशिष्ट नही) उपयोग और प्रचार के कारण व्यापार के दौरान प्राप्त अनन्य उपयोग और प्रचार के कारण व्यापार के दौरान प्राप्त अनन्य उपयोग और प्रतिष्ठा के कारण एक विशिष्ट चरित्र की स्थिति प्राप्त कर सकते है। व्यक्तिगत नाम, उपनाम या साधारण भाषाओ के शब्दो को मिलकर अंक विशिष्टता प्रदान करने में सक्षम होते है और दूसरो के उन लोगो से एक निर्माण के सामान को अलग करने में सक्षम होते है और ऐसे नाम उपनाम या शब्दो में वर्ण या गुणवत्ता का कोई सीधा संदर्भ नही है।
3. पात्रों या वस्तुओ की गुणवत्ता के संदर्भ में होने वाले या भौगोलिक संकेतो का संकेत होने वाला निशान न तो स्वाभाविक रूप से विशिष्ट है और न ही इसमें अंतर करने में सक्षम है और न ही माध्यमिक महत्व के द्वारा विशिष्टता प्राप्त करने में सक्षम है ताकि ट्रेडमार्क के रूप में वर्णन किया जा सके। शब्द जो वस्तुओ या सेवाओ के चरित्र और गुणवत्ता के लिये एक सीधा संदर्भ व्यक्त करते है उन्हे वर्णनात्मक अंक के रूप में जाना जाता है यदि अंक वस्तुओ के चरित्र या गुणवत्ता के लिये एक अप्रत्यक्ष संदर्भ व्यक्त करते है तो वह ट्रेडमार्क बन सकता है।
4. आमतौर पर भौगोलिक नाम एक ट्रेडमार्क की भूमिका को निष्पादित करने में असमर्थ माना जाता है। भौगोलिक नाम जो उसके सामान्य रूप में किसी विशिष्ट प्रकार या माल या सेवाओ की गुणवत्ता के लिये जाने जाते है या मान्यता प्राप्त है वे ट्रेडमार्क की भूमिका निभाने में सक्षम नही है। हालाकि अगर इसके सामान्य महत्व में एक जगह किसी विशेष प्रकार या माल की गुणवत्ता के लिये नही जाना जाना जाता है जिसके लिये इसका नाम

प्रयोग किया जाता है तो वह अभी भी प्रदर्शन कर सकता है और व्यापार चिन्ह की भूमिका अदा करने में सक्षम है। ऐसे बहुत से भौगोलिक नाम है जिन्हे एक ट्रेडमार्क की भूमिका जैसे चम्बल गुजरात भारत आदि करने में सक्षम और माना जाता है।

5. कुछ ऐसे भी चिन्ह हो सकते है जो श्रेणियो 1 से 4 में किसी मे नही आते है लेकिन इसमे अन्य तत्व या संयोजन शामिल हो सकते है, उदाहरण के लिये अकेले खडे एक शब्द चिन्ह एक ट्रेडमार्क की भूमिका अदा करने के योग्य नही है लेकिन जब अन्य तत्वो के साथ संयोजन में एक विशिष्ट तरीके से उपयोग किया जाता है एक अच्छा व्यापार चिन्ह होने मे सक्षम हो सकता है।

23.8 भारत में ट्रेडमार्क कानून की विशेषताए

भारत में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 द्वारा संचालित किया जाता है। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। इसे 1958 में लागू हुए ट्रेड एंव मर्चेडाइज मार्क्स एक्ट की जगह दी गयी । भारत में नए ट्रेडमार्क एक्ट की कुछ प्रमुख विशेषताए इस प्रकार है।

1. **सेवा चिन्ह** : सेवा उद्योग में उपयोग किये गये अंको की रक्षा के लिये एक तंत्र अब उपलब्ध है। इस प्रकार कम्पयूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर निर्माण एवं रखरखाव, रेस्तंरा और होटल सेवाओ, कूरियर और परिवहन, सौंदर्य ऐव स्वास्थय देखभाल विज्ञापन प्रकाशन शैक्षिक और जैसी सेवाए प्रदान करने वाले व्यवसाय अब उनके नामो और अंको की रक्षा करने की स्थिति में है।
2. **सामूहिक चिन्ह** : कंपनियो के एक समूह के द्वारा उपयोग किये जाने वाले चिन्ह अब सामूहिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है।
3. **प्रसिद्व चिन्ह** : चिन्ह, जिन्हे अच्छी तरह से ज्ञात माना जाता है, परिभाषित है, इस तरह के निशान अधिक सुरक्षा का आनंद लेंगे। ऐसे व्यक्ति पंजीकरण कराने या अंक का प्रयोग करने में सक्षम नही होगे जो प्रसिद्व ट्रेडमार्क की नकल है।
4. **पंजीकरण का बढ़ता दायरा** : वह व्यक्ति जो अपने चिन्हो का प्रयोग करते हुए अपने चिन्हो को किसी विशेष वस्तु या श्रेणी और वाणिज्य के रूप में दर्ज कराते है, दूसरो को रोक सकते है एवं मुकदमा कर सकते हैं
   - उसी या उसी तरह के अंक का उपयोग केवल उनके हिस्से के रूप में भी करते है।
   - अपने कंपनी या फर्म के नाम के रूप में उसी समान चिन्ह का प्रयोग करते है।
   - व्यापारिक पत्रो या विज्ञापनो में ठीक उसी प्रकार का चिन्ह प्रयोग करना।
   - उसी चिन्ह के आधार पर माल का आयात–नियार्त करना
   - ट्रेडमार्क का अनाधिकृत मौखिक उपयोग।
5. **कठोर सजा** : ट्रेडमार्क अधिकार का उल्लंघन करने के लिये सजा बढ़ा दी गयी है। अपराध अब सज्ञेय बना दिया गया है और उल्लंघन करने वाले वस्तुओ को पकडने के लिये पुलिस को व्यापक शक्तिया दी गयी है। उसी समय पूर्व अदायगी हुकुमत देने के लिये न्यायालयो की शक्तियो को बढ़ा दिया गया है।

6. **अपीलीय बोर्ड** : अपील के शीघ्र निपटारे के लिये चेन्नई में एक अपीलीय बोर्ड का गठन किया गया है जिससे आवेदन सुधार और निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके।
7. **शीघ्र प्रक्रिया** : सामान्य शुल्क का पाच गुना भुगतान करके खोज और पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये प्रक्रिया निर्धारण किया गया है।
8. **उन्नत नवीनीकरण अवधि** : पंजीकृत ट्रेडमार्क को हर दस वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना चाहिये।
9. लाइसेंस अनुबंध को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना आवश्यक नही है।
10. चिन्ह में माल का आकार भी शामिल हो सकता है।
11. चिन्ह में रंगो का संयोजन भी शामिल हो सकता है।

प्रावधान का उल्लघंन एक सज्ञेय अपराध है

भारत में ट्रेडमार्क नियम का किसी भी प्रकार का उल्लघंन एक संज्ञेय अपराध है एक पुलिस अधिकारी जो की पुलिस अधीक्षक रैंक का हो वारंट के बिना सामान और अन्य उपकरणो की खोज और जब्त करने के लिये अधिकृत है। हांलाकि अधिकारी को ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रारसे परामर्श करना आवश्यक है। अधिनियम के तहत उल्लघंन पर अपराधी पर 6 महीने की न्यूनतम कारावास और 50000 का जुर्माना और अधिकतम 3 साल की सजा और 200000 रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

23.9 भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण

1. पंजीकरण के लिये आवेदन :

पंजीकरण के लिये आवेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी चिन्ह के मालिक होने या दावा करने पर किया जा सकता है। लेकिन केवल उस विशेष वस्तु या सेवा के संबध में जो वह प्रयोग कर रहा है या उस चिन्ह को प्रयोग करने का प्रस्ताव कर रहा है आवेदन दाखिल करते समय मालिक को खुद या खुद को चिन्हित करने का इरादा या पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिये।

- **विदेशी या देश में नहीं रहने वाले भारतीय** : इन्हे ट्रेडमार्क के पंजीकृत स्वामित्व के रूप में दर्ज किया जा सकता है लेकिन उन्हे भारत में सेवा के लिये एक पते के साथ रजिस्ट्री प्रदान करना चाहिये, अन्यथा उन्हे एक पंजीकृत एंजेट या प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिये।
- **चिन्ह के प्रकार** : कानून एसेसिएशन के ट्रेडमार्क, प्रमाण पत्र के पंजीकरण रक्षात्मक अंक और सामूहिक अंक प्रदान करता है।
- **रजिस्ट्रैबिलिटी** : पंजीकृत होने के लिये एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में निम्नलिखित आवश्यक विवरण होना चाहिये।
    1. एक कंपनी का नाम, व्यक्तिगत या फर्म जिसे एक विशेष तरीके से प्रस्तुत किया गया हो।
    2. आवेदन के पंजीकरण के लिये आवेदक के हस्ताक्षर या व्यवसाय के पूर्व मालिक के हस्ताक्षर।
    3. एक या अधिक आविष्कृत शब्द ।
    4. एक या एक से अधिक शब्द जिनके सामान की गुणक्ता का कोई सीधा संदर्भ नही है और न कि उनके सामान्य प्रतीक के अनुसार एक भौगोलिक नाम या एक

उपनाम या एक व्यक्तिगत नाम या किसी भी सामान्य संक्षिप्त नाम या एक नाम भारत में पंथ जाति या जनजाति ।

5. कोई अन्य विशिष्ट चिन्ह भारत में पेश किये जाने वाले पहले एंटिगिन, एस्पिटिन, क्लोरप्रोयोनीन, फेरस सल्फेट परीरियान और उसके कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनो के नाम और प्रतिको को व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकृत नही किया जा सकता है। चित्रो के मामले में चित्रित व्यक्ति का नाम बताया जाना चाहिये।

2. परीक्षण :

यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे कानून का पालन करते है और वे पहले से पंजीकृत है या जो पहले लंबित अनुप्रयोगो के विषय है, के साथ संधर्ष नही करते, अनुप्रयोगो की जाच की जाती है।

- **संशोधन** : चिन्ह के संशोधन के लिये आवेदन स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते यह कोई प्रमुख परिवर्तन न हो।
- **इनकार के लिये आधार** : ऐसे निशानो के संबध में पंजीकरण अस्वीकार कर दिया जाता है जो परिवादात्मक या अश्लील है, जो धोखा देने भ्रम पैदा करने या धार्मिक संवेदनाओ को अपमानित करने की संभावना है जो कानून या नैतिकता के विपरीत है या जो अन्य अदालत में सुरक्षा से वंचित हो जाते है, रासायनिक नाम या जो सामान वस्तुओ या माल के विवरण के लिये अन्य अंक के समान है। समान अंको के मामले मे, पंजीकरण को प्रमाणित करने के लिये अनुमति दी जा सकती है कि चिन्ह का प्रयोग एक साथ और अच्छे विश्वास में किया जा रहा है।
- **सुनवाई** : ऐसे मामलो में सुनवाई की जा सकती है जो आवेदनो से संबधित है, जो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया है और सुनवाई में जारी किये गये किसी भी आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

3. अनुदान, संरक्षण

- **प्रतिरोध** : जो आवेदन स्वीकार किये जाते है वे ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशित होते है और विपक्ष को विज्ञापन की तारीख के तीन महीने का समय विस्तार भी प्राप्त किया जा सकता है। दाखिल करने के लिये 1 महीने का समय विस्तार भी प्राप्त किया जा सकता है। पहले रजिस्टर दो भागो में विभक्त था। भाग ए मे ट्रेडमार्क एक्ट 1940 के तहत पंजीकृत कहले अंक और सभी अंक जो विशिष्ट थे या विशिष्टता प्राप्त कर चुके थे (इस आशय का संतोषजनक प्रमाण उत्पादित किया जाना चाहिये) रजिस्टर के भाग ए में पंजीकृत किया जा सकता है भाग बी में निहित अंक शामिल है, जो भाग ए में पंजीकृत नही हो सकते है या जो विशिष्ट नही थे लेकिन आवेदको के समान को अलग करने में सक्षम थे। 2003 के बाद यह अंतर हटा दिया गया है। अब केवल एक ही रजिस्टर है।
- **पंजीकरण की अवधि** : दस वर्षो में, अगले प्रत्येक वर्षो की अवधि के लिये नवीनीकरण संभव है।
- **नवीनीकरण शुल्क** : पिछले पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से पहले 6 महीने से अधिक समय से पहले भुगतान नही किया जाना चाहिये। रजिस्ट्रार को आवेदन पर नवीनीकरण की आखिरी तारीख से एक वर्ष के भीतर एक चिन्ह बहाल किया जा सकता है। नवीनीकरण

शुल्क का भुगतान न करने के लिये रजिस्टर से निकाले गये एक ट्रेडमार्क को हटाने की तारीख से एक साल की अवधि के दौरान पंजीकरण के लिये आवेदन के खिलाफ उद्घृत किया जा सकता है।

- **समनुदेशन** : एक पंजीकृत ट्रेडमार्क संबधित व्यवसाय के सद्भावना के साथ या इसके बिना सौपा जा सकता है एक अपंजीकृत व्यापार चिन्ह संबधित व्यवसाय की सद्भावना के बिना समनुदेशित नही किया जा सकता है, सिवाय इसके कि यह एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के रूप में उसी व्यवसाय में उपयोग किया जाता है और एक ही व्यक्ति को उसी सामान को कवर करने वाला एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के साथ सौपा जाता है।
- **पंजीकृत उपयोगकर्ता** : केंद्र सरकार एक पंजीकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण को मना कर सकती है अगर वह सार्वजनिक हित के खिलाफ या भारत में उघोग व्यापार या वाणिज्य के खिलाफ है। ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को उस तथ्य के आधार पर तथ्यो और परिस्थितियो का खुलासा करना चाहिये, जिसमे वह एक पंजीकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण को अस्वीकार करने और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने का प्रस्ताव करता है।
- **माल का चिन्हाकन** : कानून यह निर्धारित नही करता है कि एक पंजीकृत ट्रेडमार्क, जिसका उपयोग उसके मालिक के द्वारा किया जाता है, को उन वस्तुओ पर वर्णित किया जाता है, जिसे पर यह लागू किया जाता है और न ही इसकी आवश्यकता है कि स्वामित्व का खुलासा किया जाना चाहिये जहा एक पंजीकृत उपयोगकर्ता द्वारा एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हालांकि माल को इस तरह से चिन्हित किया जाना चाहिये की वह पंजीकृत स्वामित्व की पहचान का खुलासा कर सके और यह तथ्य कि रजिस्टर्ड उपयोकर्ता पंजीकृत प्राधिकारी की अनुमति से उपयोग किया जा रहा है भारत में आयातित या निर्मित या इकठ्ठे किये गये सभी सामान इस तरह से चिन्हित किये जाने की आवश्यकता हो सकती है कि वे अपने मूल देश को इंगित कर सके। अधिनियम की धारा 117 के तहत भारत सरकार समय पर माल को चिन्हित करने के तरीके को निर्दिष्ट करने वाले अधिसूचना जारी करेगी।
- **गैर–उपयोग के लिये सुधार** : पंजीकृत चिन्ह के संबध में पंजीकरण को सही किया जा सकता है और सुधार के लिये आवेदन करने के लिये आधार का एक स्थान है। संशोधन आवेदन दाखिल करने से पहले 5 वर्ष और एक माह से ज्यादा के लिये एक चिन्ह का उपयोग नही किया जाता है विशेष परिस्थितियो में गैर उपयोग का बहाना है।
- **उल्लंघन** : पंजीकृत चिन्ह के उल्लंघन के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है और किसी भी मुकदमे में पंजीकरण, पंजीकरण की तिथि से भी कई वर्षो बाद तक मान्य रहता है। भारत या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्व ट्रेडमार्क में प्रतिष्ठा के साथ अपंजीकृत ट्रेडमार्क को किसी गुमशुदा कार्यवाही दुरूपयोग से सुरक्षित किया जा सकता है।

23.10 सारांश

इस इकाई में हमने भारत में पेटेंट, उनके पंजीकरण की प्रक्रिया, ट्रेडमार्क उनका वर्गीकरण और ट्रेडमार्क के पंजीकरण के बारे में अध्ययन किया है, पेटेंट बौद्विक संपदा का एक रूप है, इसमें अन्वेषण के सार्वजनिक प्रकटीकरण के बदले एक सीमित समय तक अविष्कारक या उसके समअनुदेशिति के लिये एक संप्रभु राज्य द्वारा दिये गये अनन्य अधिकारो का एक सेट शामिल होता

है। आधुनिक उपयोग में पेटेंट शब्द आमतौर पर किसी भी नये उपयोगी और गैर–स्पष्ट प्रक्रिया, मशीन, निर्माण के आलेख, या मामले की संरचना का अविष्कार करने वाले किसी भी व्यक्ति को दिये गये दायरे का संदर्भ देता है, पेटेंट का महत्व तब तक कुछ नही है जब तक कि उत्पाद या तकनीक का वाणिज्यिक मूल्य प्रदर्शित नही किया जा सकता है और इसका उपयोगिता नही बताई जा सकती है।

दूसरी तरफ ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह, या संकेतक है जो किसी व्यक्ति, व्यवसाय संगठन या अन्य कानूनी इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली पहचान के लिये उपभोक्ताओ को उत्पाद या सेवाओ के साथ एक विशिष्ट स्त्रोत से उत्तपन्न प्रतीत होता है, जिसे किसी विशिष्ट बाजार के लिये नामित किया जाता है और अन्य संस्थाओ के अन्य उत्पादो या सेवाओ को अलग करने के लिये उपयोग किया जाता है, ट्रेडमार्क के स्वामी ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिये कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते है ताकि उस ट्रेडमार्क के अनाधिकृत उपयोग को रोक सके, इस प्रकार की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिये अधिकांश देशो को ट्रेडमार्क के औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

23.11 शब्दावली

संज्ञेय अपराध : एक आपराधिक अपराध, जिसमे पुलिस को एफ. आई. आर. दर्ज करने की छूट होती है और अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

अनुदान पश्चात प्रतिरोध : यह न्यायालय के ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत उपलब्ध एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो तृतिय पक्षो को दिये गये पेटेंट या ट्रेडमार्क की वैधता पर विवाद करने की अनुमति देता है।

उपयोगिता पेटेंट : यह पेटेंट का सबसे आम प्रकार है। इनमे उन सभी अविष्कारो को शामिल किया जाता है जो नये है और उपयोगी है।

उल्लघंन : कानूनी संदर्भ में, उल्लघंन का आशय कानून अथवा नियमों का अनुपालन न करने से है इन्हे स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। इसमें बौद्विक संपदा का उल्लघंन भी शामिल है।

दावा : पेटेंट कानून में दावा एक अविष्कार कों परिभाषित करता है जिसे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। ये स्पष्ट भाषा में लिखे होते है।

अविष्कार : एक अविष्कार आलेख मशीन रचना या प्रक्रिया से संबधित एक नयी और उपयोगी अवधारणा है।

प्रकटीकरण : पेटेंट के बदले एक अविष्कारक एक पूर्ण रहस्योद्घाधन या अविष्कार का प्रकटीकरण प्रदान करता है और पेटेंट के तहत रक्षा की मांग करता है।

सेवा चिन्ह : यह एक ट्रेडमार्क के समान है, सिवाय इसके की वह किसी उत्पाद के बजाय सेवा के स्त्रोत को पहचानती और अलग करता है।

पेटेंट मॉडल : प्रस्तावित अविष्कार का एक मॉडल। पेटेंट कार्यालय ने 1880 में मॉडलो के उपयोग को बंद कर दिया, लेकिन कई आधुनिक अविष्कारक उन्हे आज भी अपने अविष्कारो की कल्पना करने के लिये उपयोग करते है।

बहाल करना : हटाये गये लेख को पूनः स्थापित करना।

23.12 बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. **कानूनी संरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये, पेटेंट को होना चाहिये :**

1. वैज्ञानिक सहयोगियो द्वारा अनुयोदित
2. बाजार क्षमता
3. वैज्ञानिक आधार
4. औद्योगिक उपयोगिता
5. उपरोक्त सभी

2. पेटेंट एक्ट 1988 के तहत, निम्न में से कौन पेटेंट योग्य नही है–

1. नये उत्पाद
2. विनिर्माण प्रक्रिया
3. गणितीय प्रक्रिया
4. उपयोक्त सभी
5. रासायनिक फार्मूला

3. पेटेंट कितने समय वैद्य रहता है–

1. 25 साल
2. हर 5 साल में नवीनीकरण कराना होता है।
3. 20 साल
4. प्रत्येक 10 वर्ष में नवीनीकरण कराया जा सकता है।
5. 10 साल

4. ट्रेडमार्क निम्न में से किससे निकटता से जुड़ा है–

1. प्रतिष्ठा
2. पेटेंट
3. व्यापार छवि
4. उपयोक्त सभी
5. ख्याति

5. निम्न में से किसके लिए इसका उपयोग नये उत्पाद को संरक्षित करने के लिये किया जा सकता है :

1. ट्रेडमार्क और कॉपीरइट
2. कॉपीराइट और पेटेंट
3. पंजीकृत डिजाइन और पेटेंट
4. उपरोक्त सभी

6. निम्नलिखित में से कौन पेटेंट का हिस्सा है :

1. पेटेंट अवलोकन
2. पेटेंट सार
3. पेटेंट सारांश
4. उपरोक्त सभी
5. पेटेंट की लागत

7. खोज पेटेंट करने योग्य नही है, क्योकि

1. यह संभव नही हैं
2. इसके लिये कोई मांग नही है।

3. यह प्रतियोगिता में बाधा डालेगी
4. यह ज्ञात की खोज में बाधा डालती है।
5. उपरोक्त सभी

8. निम्नलिखित मे से कौन सा सिंद्वात ट्रेडमार्क पर लागू है

1. एक ट्रेडमार्क वस्तु और सेवा में भेद करने में सक्षम होना चाहिये।
2. ट्रेडमार्क भ्रामक नही होना चाहिये।
3. उपरोक्त सभी
4. एक ट्रेडमार्क को पिछले ट्रेडमार्क के साथ भ्रम पैदा नही करना चाहिये
5. ट्रेडमार्क विशिष्ट होना चाहिये।

9. काम्पैक्ट डिस्क से संगीत के अवैध नकल के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियारो में से एक निम्नलिखित मे से क्या है,

1. कानून
2. उपरोक्त में से कोई नही
3. सार्वजनिक जिम्मेदारी
4. इंटरनेट
5. नमी तकनीक

10. पेटेंट प्रणाली को पिछले कुछ वर्षो में भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है क्योकि

1. यह अविष्कारो में बाधा डालता है ।
2. कंपनियो को असामान्य उच्च लाभ उत्तपन्न करने में सक्षम बनाता है।
3. बड़ी एंव शक्तिशाली अतंराष्ट्रीय फर्मो को समर्थन करता है।
4. प्रतियोगिता में बाधा डालता है।
5. उपरोक्त सभी

23.13 बोध प्रश्नो के उत्तर

1 - (iv)	2 – (iii)	3– (iii)	4 – (i)
5– (iv)	6 – (ii)	7– (iv)	8 – (iii)
9 – (v)	10 – (v)		

23.14 स्वपरख प्रश्न

1. पेटेंट से आप क्या समझते है। इसके महत्व और गुणो की विवेचना करे।
2. विभिन्न प्रकार के पेटेंट को समझाइये। भारत में पेटेंट पंजीकरण के विभिन्न चरणो की व्याख्या करे।
3. भारत में पेटेंट योग्य एवं पेटेंट के लिये अयोग्य अविष्कारो का वर्णन करे।
4. विभिन्न प्रकार के ट्रेडमार्को की व्याख्या कीजिये। भारत में नये ट्रेडमार्क कानून की क्या विशेषताए है।
5. भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये।
6. निम्न पर टिप्पणी लिखे।
    1. अविष्कारो का व्यवसायीकरण
    2. अविष्कारो का प्रकटीकरण

3. ट्रेडमाक का अनुदान और संरक्षण
4. पेटेंट प्रकाशन

23.15 संदर्भ पुस्तकें

1. http://www.indiajuris.com/pdf/ptbook.pdf
2. http://www.patentindia.org/patent.htm
3. http://www.patentindia.org/trademark.htm
4. Wadhera Dr B L, Law Relating to Intellectual Property, Universal Law Publishing, 4th edition.
5. Gupta T. S, Intellectual property law in India, Kumar law international, 2011.
6. Myneni S. R, Law of Intellectual Property, Asia Law House Hyderabad, 2001.